

प्रकाशक
भार्तुङ्ग, उपाध्याय, मत्री
सत्तों साहित्य मडल, नई दिल्ली

तीसरी वार
नथा संस्करण १९५०

मूल्य
अजिल्द . तीन रुपये
सजिल्द . साढे तीन रुपये

मुद्रक—
कृष्णप्रसाद दर
इलाहाबाद लॉ अर्नेल डेस
इलाहाबाद

प्रकाशककी ओरसे

भारतको गांधीजीकी आनेक देनोमें से 'सत्याग्रह' उनकी एक किशोर देन है। इस छब्बका आविष्कार दक्षिण अफ्रीकामें हिंदुस्तानियोंके मान-मर्यादा और मानवोचित अधिकारोंके लिए किये गये समाजके दिनोंमें हुआ था और वहीपर सबसे पहले राजनीतिके क्षेत्रमें बड़े पैमानेपर इसका प्रयोग किया गया था।

दक्षिण अफ्रीकाको इस लड़ाईको हुए यथापि एक युग बीत चुका है, तथापि उसके अनुभव, उसकी शिक्षा, उसके निष्कर्ष आज भी ताजे हैं। इसी पुस्तकके द्वितीय खण्डकी प्रस्तावनामें गांधीजीने लिखा है, "मेरे इस बातको अख्तरश्च सत्य मानता हूँ कि सत्यका पालन करनेवालेके सामने सपूर्ण अगतकी समृद्धि रहती है और वह ईश्वरका साक्षात्कार करता है। अहिंसाके साक्षियमें वैर-भाव टिक नहीं सकता, इस बचतको भी मैं अख-रश्च सत्य मानता हूँ। कष्ट सहन करनेवालोंके लिए कुछ भी अवश्य नहीं होता, इस सूत्रका मैं उपासक हूँ। . ." जीवनकी कठोरतम साजनासे उद्भूत ये मूल-भूत इतने बर्बाद आज भी ताजे हैं और हमेशा ताजे रहेंगे।

दक्षिण अफ्रीकासे आनेके बाद भारतमें गांधीजीने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें गहराईसे समझतेके लिए दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास जानना आवश्यक है। कारण कि जिन मूलभूत सिद्धातोंपर बादकी लड़ाइया लड़ी गई, उनका मूलसूत्र दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहमें भिजता है।

पुस्तकका अनुवाद भूल गुजरातीसे श्रीकालिकाप्रसादजीने किया है और भग्नेजी-सस्करणके आधारपर बहुतसे परिवर्द्धन करके उसे यथासमव्यपूर्ण बनानेका प्रयत्न किया गया है।

—मनो

विषय-सूची

प्रथम खण्ड	१-२४०
प्रासादाविक	
१. मूर्गोल	३
२. इतिहास	६
३. दक्षिण भारतीयोंका आगमन	१५
४. भुसीबतोंका सिहाबलोकन—१	३२
५. भुसीबतोंका सिहाबलोकन—२	३८
६. भारतीयोंने क्या किया ?—१	४५
७. भारतीयोंने क्या किया ?—२	५३
८. भारतीयोंने क्या किया ?—३	६६
९. बोधर-गुद ~	८६
१०. लड़ाईके बाद ~	१०४
११. भलभगसीका बदला—झूनी कानून ~	१२५
१२. सत्याप्रहृष्टा चन्द ~	१३३
१३. 'सत्याप्रहृष्ट' बनाम 'ऐसिक रेजिस्ट्रेशन' ~	१४३
१४. विलाषतको शिष्ट-मध्यज्ञ	१५०
१५. वक्तराजनीति अथवा काणिक हृष्ट ~	१६०
१६. ग्रहमण भुहमण काङ्क्षिता ~	१६४
१७. पहली फूट ~	१७३
१८. पहला सत्याप्रहृष्टी कैदी ~	१७७
१९. 'इडियन ओपीनियन' ~	१८१

	पृष्ठ
२०. पकड़-घकड़	१८५
२१ पहला समझौता	१९७
२२ समझौतेका विरोध मुझपर हमला	२०१
२३ गोरे सहायक	२२१
२४ और भीतरी कठिनाइया	२३४

द्वितीय खंड

२४१-४१८

प्रस्तावना	२४३
१ जनरल स्मट्सका विश्वासघात (?)	२४७
२ युद्धकी पुनरावृत्ति	२५८
३. ऐच्छिक परवानोकी होती	२६३
४. कीमपर नया सवाल उठानेका आरोप	२६७
५. सोरावजी शापुरजी अडाजनिया	२७२
६. सेठ दाऊद मुहम्मद आदिका लडाईमें शामिल होना	२७६
७ देशनिकाला	२८५
८ फिर शिष्ट-मण्डल	२९२
९ टाल्स्टाय फार्म—१	२९८
१०. टाल्स्टाय फार्म—२	३०१
११. टाल्स्टाय फार्म—३	३१०
१२. गोखलेकी यात्रा—१	३२६
१३. गोखलेकी यात्रा—२	३३६
१४ वचन-भग	३४३
१५ व्याह व्याह नहीं रहा	३४६
१६. स्त्रिया जेलमें	३५६
१७. भजदूरोकी धारा	३६०

	पृष्ठ
१८ खानमालिकोंके पास और उसके बाद	३६६
१९ ट्रांसवालमें प्रवेश—१	३७३
२०. ट्रांसवालमें प्रवेश—२	३७७
२१ सभी कैद	३८३
२२. कसौटी	३९१
२३ अतका आरम	३९८
२४ प्राथमिक समझौता	४०६
२५ पत्र-अवहार	४०६
२६ गुडका भ्रत	४१४
उपसहार	४१७

दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह

प्रथम खण्ड

प्रास्ताविक

वक्षण अफीकामे हिंदुस्तानियोंकी सत्याप्रहृष्टी लड़ाई आठ बरस चली। इस सप्राम के लिए ही 'सत्याप्रहृष्ट' शब्दकी लोज की गई और प्रयोग किया गया। बहुत दिनोंसे भेरी इच्छा थी कि इस सप्रामका इतिहास लिखा। उसका कितना ही अध तो केवल मैं ही लिख सकता हूँ। कौन-सी वात किस हेतुसे की गई, इसका पता तो युद्धका सचालन करनेवालेको ही हो सकता है। राजनीतिके क्षेत्रमें वडे पैमानेपर यह पहला ही प्रयोग था। इसलिए इस सत्याप्रहृष्टके विद्वातका विकास कैसे हुआ इसकी जानकारी लोगोंको हो जाता हर हालतमें जरूरी समझ जायगा।

पर इस बक्त तो हिंदुस्तानमें सत्याप्रहृष्टके लिए विद्वाल क्षेत्र है। वीरम-गाम¹ की चूगीकी एक छोटी-सी लड़ाईसे इसका अनिवार्य क्रम आरम्भ हुआ है।

वीरमगामकी चूगीकी लड़ाईमें निमित्त या बढ़वाण² का साधुचरित परोपकारी दरजी आई मोतीलाल। १६१५में मैं विलायतसे वापस आकर काठियावाड जा रहा था। तीसरे दर्जेमें सवार था। बढ़वाण स्टेशनपर यह दरजी अपनी छोटी-सी टोली लेकर आया था। वीरम-गामकी कथा थोड़ी-सी सुनाकर उसने मुझसे कहा—“इस कट्टको कटिए। आपने काठियावाडमें जन्म लिया है, इसे सार्थक कीजिए।” उसकी मालौमें दृढ़ता और करणा दोनों थीं।

मैंने पूछा, “तुम जेल जानेको तैयार हो ?” .

तुरत जवाब मिला—“हम फासी चढ़नेतकके लिए तैयार हैं।”

¹ वीरमगाम अहमदाबादसे ४० मील पश्चिममें एक कसबा है। बढ़वाण वीरमगामसे ४० मील पश्चिममें पड़ता है।

मे—“मेरे लिए तो जेल ही काफी है; पर देखना, विश्वासघात न हो ।”

‘ भ्रीतीलाल—“यह तो काम पड़नेपर मालूम होगा ।”

मं राजकोट पहुचा। वहा अधिक व्यारे मालूम किये और सरकारके साथ लिखा-पढ़ी चुरू कर दी। वगमरा¹ आदिके भाषणोंमें मैने लोगोंका सलाह दी कि वीरमगामकी चुगीके मामलेमें सत्याग्रह करना पड़े तो वे उसके लिए तैयार रहे। सरकारकी वफादार खुफिया पुलिसने ये भाषण उसके दफ्तरमें पहुचाए। पहुचानेवालेने सरकारके साथ अनजानमें जनताकी भी सेवा की। अतमे लाडं चेम्सफर्डके साथ इस विषयमें बातचीत हुई और उन्होंने दिए हुए वचनका पालन किया। औरोने भी कोशिश की, यह मैं जानता हूँ। पर मेरी पक्की राय है कि इस मामलेको लेकर सत्याग्रह किये जानेकी सभावना थी, इसीसे यह चुगी रह हुई।

वीरमगामके बाद गिरमिटके कानूनसे लड़ना पड़ा। इस कानूनको रह करानेके लिए भरपूर कोशिश की गई थी। इस लड़ाईको जोर पहुँचानेके लिए सार्वजनिक आदोलन भी अच्छा-खासा हुआ था। अब इसमें हुई सभामें गिरमिट यानी शर्तवद कुलीप्रथाको बद करानेके लिए १६१७ की ३१ वी जुलाईकी तारीख तै की गई थी। यह तिथि कैसे नियत हुई इसका इतिहास यहा नहीं दिया जा सकता। इस आदोलनके अतर्गत बाह्यरायके पास पहले बहनोंका प्रतिनिविमड़ल गया। इसमें खास कोशिश किसकी थी यह लिखे बिना नहीं रहा जा सकता। वह थी चिरमरणीय बहन जाइजी पेटिटकी। इस लड़ाईमें केवल सत्याग्रहकी तैयारीसे ही हमारी विजय हो गई। पर उसके विषयमें सार्वजनिक आदोलनकी आवश्यकता थी, यह ग्रतर याद रखने लायक है। गिरमिटको बद करना वीरमगामकी चुगी उठवानेसे ज्यादा बजनदार मामला था।

¹काठियावाड़का एक स्थान।

लाडं चेम्सफर्डने रीलट कानूनके बाद गलतियां करनेमें कसर नहीं की । फिर भी आज मेरा यही स्थगाल है कि वे चतुर और समझदार वाइस-राय थे । सिविल सर्विसके स्थायी अधिकारियोंके पजेसे श्रंतिक कौन वाइसराय बच सकता है ?

तीसरी लड़ाई थी चंपारनकी । इसका व्यारेवार इतिहास राजनेत्रवादने लिखा है । इसमें सत्याग्रह करना पड़ा, केवल तैयारी काफी नहीं हुई; पर विपक्षका स्वार्थ कितना बड़ा था ! चंपारनके लोगोंने कितनी शांति रखी, यह बात विज्ञाने लायक है । सभी नेताओंने मन, बचन और कायासे पूरी तरह शांति रखी, इसका साक्षी भी स्वयं हूँ । तभी तो यह सदियोंकी बुराई क्ष महीनेमें नामग्रेप हो गई ।

चौथी लड़ाई थी अहंमदाबादके मिलमजदूरोंकी । उसका इतिहास गुजरात न जाने वो दूसरा कौन जान सकता है । मजदूरोंने कैसी शांति रखी । उनके नेताओंके बारेमें क्या मुझे कुछ कहनेकी ज़रूरत है ? पर यह सब होते हुए भी इस विजयको मेरे दोषपूर्ण मानता हूँ । इसलिए कि मजदूरोंकी प्रतिज्ञाका पालन करानेके लिए मैंने जो उपचास किया वह मालिकोपर दबाक-सा हो गया । उनके और मेरे बीच जो स्नेह था वह उपचासका असर उनपर ढाले विना रह ही नहीं सकता था । फिर भी इस सघर्षका सार तो स्पष्ट ही है । मजदूर जातिके साथ अपनी प्रतिज्ञा-पर अटल रहते तो उनकी जीत होती ही और वे मालिकोंका मन हर लेते । वे मालिकोंका दिल नहीं जीत सके, क्योंकि वे मन-बचन-कर्मसे निर्दोष—शाव रहे, यह नहीं कहा जा सकता । वे शरीरसे जांत रहे, यह भी बहुत् माना जायगा ।

पाचवी लड़ाई लड़ामें लड़ी गई, इसमें सभी नेताओंने शुद्ध सत्यका पालन किया, यह मेरी कह सकता । हाँ, शांति अवस्थ बनाए रखी गई । किसानोंकी जाति कुछ मजदूरोंकी तरह केवल कार्यिक ही थी । इसमें महज आवरू सलामत रही । जनतामें जबर्दस्त जागृति फैली । पर खेदाने

शातिका पूरा पाठ नहीं पढ़ा था । भजदूर शातिका शुद्ध स्पष्ट नहीं समझ पाए थे । इससे रीलट ऐक्टके विशद सत्याग्रह करते समय लोगोंको कप्ट सहना पड़ा । मुझे अपनी हिमालय-जैसी भूल कबूल करनी पड़ी और उपवास करना-कराना पड़ा ।

छठी लडाई-रीलट कानूनके विशद हुई । उसमें हमारे भीतरके दोष बाहर आ गए, पर ग्राम बुनियाद पकड़ी थी । मैंने अपनी भव गलतिया कबूल की, प्रायः चित्त किया । रीलट कानूनपर अमल तो कभी हो न सका और अत्यंत यह काला कानून रह भी हो गया । इस समाजसे हमें बहुत बटा सवक मिला ।

हमारी भातवी लडाई भी खिलाफत, पजाव और स्वराज्यकी । वह अभी चल रही है । उसमें एक भी सत्याग्रही अविचलित रहा तो हमारी विजय निश्चित है, यह मेरा अटल विश्वास है ।

पर जो युद्ध चल रहा है वह भाषाभारत है । उसकी तैयारी बिना इरादेके किस तरह हो गई इसका क्रम मैंने ऊपर दे दिया है । बीरम-गामका चुगीकी लडाईके समय क्या खबर थी कि मुझे और भी लडाईयाँ लड़नी होगी । बीरमगामका भी दक्षिण अफ्रीकामें मुझे कहा पता था ? सत्याग्रहकी यहीं तो खूबी है । वह सुद हमारे पास आ जाता है । हमें उसे ढूँढ़ने नहीं जाना पड़ता । यह गुण उसके सिद्धातमें ही निहित है । जिसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है, जिसमें कोई चालाकी नहीं करनी होती, जिसमें असत्यके लिए तो म्यान ही नहीं, ऐसा धर्मयुद्ध अनायास ही अपने पास आता है और वर्ममें आस्था रखनेवाला जन उसके स्वागतके लिए सदा तैयार रहता है । जिसकी रचना पहलेसे करनी पड़े वह धर्मयुद्ध नहीं हो सकता । धर्मयुद्धकी रचना करनेवाला और भचालक तो म्यां ईश्वर है । यह युद्ध ईश्वरके ही नामपर चल सकता है और जब सत्याग्रहीकी सारी बुनियाद ढीली हो जाती है, जब वह नितात निर्वल हो जाता है, जब उसके चारों ओर अधिकार छा जाता है, तभी ईश्वर उसकी भद्रदको

(७)

पहुँचता है। मनुष्य जब अपने धारको रजकंणसे भी छोटा मानता है तभी ईश्वर उसकी सहायता करता है। राम निर्देशको ही बल देते हैं।

इस सत्यका अनुभव तो अभी हमें होना है। इतिहास में मानता हूँ कि दक्षिण अफ्रीकाका इतिहास हमारे लिए सहायकरूप हैं।

जो-जो अनुभव वर्तमान सत्त्वाममें अवश्यक हुए हैं, पाठ्य देखेंगे कि चससे मिलते-जुलते अनुभव दक्षिण अफ्रीकामें भी हुए थे। दक्षिण अफ्रीका-का इतिहास हमें यह भी बतायेगा कि अग्रीतक हमारे सत्त्वाममें नैराश्यका एक भी कारण नहीं है। विजयके लिए वह इतना ही जरूरी है कि हम अपनी योजनापर दृढ़ताके साथ आरुद्ध रहें।

यह प्रस्तावना में जुहू^१ में बैठा लिख रहा हूँ। इतिहासके ३० प्रकरण यरबडा जेलमें लिखे थे। मैं बोलता गया और भाई इन्दुलाल याक्षिक लिखते गए। बाकीके प्रकरण पीछे लिखनेकी सोचता हूँ। जेलमें मेरे पास आधारके लिए पुस्तके न थी। यहा भी उन्हें इकट्ठा करनेकी इच्छा नहीं है। औरेवार इतिहास लिखनेकी मुझे फुरसत नहीं है। उत्साह या इच्छा भी नहीं है। मेरा चाहेक्य इतना ही है कि हमारे वर्तमान सत्त्वाममें इससे मदद मिले और कभी किसी फुरसतवाले साहित्यविदासीके हाथों यह इतिहास विस्तारपूर्वक लिखा जाय तो उसके काममें मेरा यह प्रयत्न पतवार—पथप्रदाता—रूप हो सके। यद्यपि यह विना आधारके लिखी हुई धीरा है, फिर भी कोई यह न समझे कि इसमें एक भी ऐसी बात है जो सही नहीं है या एक बगह भी अतिशयोक्ति की गई है, यह मेरी प्रार्थना है।

जुहू, बुधवार,
फाल्गुन बढ़ी १३, स० १९६०, }
२ अप्रैल, १९६४ } —मोहनदास करमचंद गांधी

^१ वस्त्राहिका उपनिषद्।

दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह

प्रथम खण्ड

: १ :

.भूगोल

अफ्रीका दुनियाके बड़े-से-बड़े भूखंडमेसे एक है। हिंदुस्तान भी एक भूखंडके बराबर विस्तारवाला देश माना जाता है, पर महज रक्केबी कृष्णसे देखे तो अफ्रीकामें चार या पाँच हिंदुस्तान समा जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकाका ठेठ दक्षिणी भाग है। हिंदुस्तानकी तरह अफ्रीका भी प्रायद्वीप है। अतः दक्षिण अफ्रीकाका बड़ा हिस्सा समुद्रसे घिरा हुआ है। अफ्रीकाके बारेमें आम ख्याल यह है कि वहाँ ज्यादा-से-ज्यादा गरमी पड़ती है और एक दृष्टिसे यह बात सही भी है। भूमध्यरेखा अफ्रीकाके वीचसे होकर गुजरती है और इस रेखाके आसपासकी गरमीका अंदाजा हिंदुस्तानके रहनेवालोंको नहीं हो सकता। हिंदुस्तानके ठेठ दक्षिणमें जिस गरमीका अनुभव हम करते हैं उससे भूमध्यरेखाके पासकी गरमीका कुछ अंदाजा किया जा सकता है। पर दक्षिण अफ्रीकामें वैसी गरमी विलकुल नहीं, क्योंकि अफ्रीकाका यह भाग भूमध्यरेखासे बहुत दूर है। उसके बड़े भागकी आब-हृत्वा तो इतनी सुंदर और ऐसी मोतदिल है कि वहाँ यूरोपकी जातिया सुखसे घर बना सकती है। हिंदुस्तानमें बसना उनके लिए नामुमकिन-सा है। इसके सिवा

दक्षिण अफ्रीकामे तिब्बत या काश्मीरके जैसे वहुतसे ऊचे प्रदेश हैं, फिर भी वे तिब्बत या काश्मीरकी तरह दससे चौदह हजार फुट्टककी ऊचाईवाले नहीं हैं। इससे वहाँकी हवा खुश्क और बदशित होने लायक ठड़ी रहती है। इसीलिए दक्षिण अफ्रीकाके कितने ही भाग क्षयरोगियोंके लिए अत्युत्तम माने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीकाकों स्वर्णपुरी जोहान्सवर्ग ऐसे ही भागोंमें एक है। जमीनके जिस टुकडेपर जोहान्सवर्ग आवाद है वह आजसे ५० साल पहले विलकूल बीरान और सखी घासका मैदान था, पर जब वहाँ सौनेकी खानोंकी खींज हुई तब वहाँ, जाहूके महलकी तरह, मकान-पर-मकान बनने लगे और आज तो वह सुदर वगलोका विशाल नगर है। वहाँके धनियोंने दक्षिण अफ्रीकाके उपजाऊ भागों और यरोपसे भी एक-एक पौधेके १५-१५ रुपये देकर पेड़-पौधे मिंगाये और लगाए हैं। उसका पिछला इतिहास न जाननेवाले यात्रीको आज यही जान पड़ेगा कि मेरे पेड़-पौधे हजारों सालसे वहाँ लग रहे होगे।

दक्षिण अफ्रीकाके सभी विभागोंका वर्णन मैं यहा नहीं करना चाहता। जिन विभागोंके साथ हमारे विषयका कुछ सवध है केवल उन्हींका थोड़ा परिचय दे रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीकामे दो हुकूमतें हैं—विटिश और पुर्तगीज। पुर्तगीज हिस्सेको डेलागोआवें कहते हैं, और हिंदुस्तानसे जाते हुए वह दक्षिण अफ्रीकाका पहला बड़रगाह माना जाता है। वहाँसे थोड़ा दक्षिणकी ओर और बढ़िये, नीचे उतरिये तो पहला विटिश राज्य नेटाल आता है। उसका बड़रगाह पोर्ट नेटाल कहलाता है, पर हम उसे डबनके नामसे जानते हैं और दक्षिण अफ्रीकामे भी वह आम तौरसे इसी नामसे ख्यात है। नेटालका यह सबसे बड़ा नगर है। नेटाल-की राजधानीका नाम पीटर मारित्सवर्ग है। वह डर्बनसे

अदरकी ओर आगे जाते हुए लगभग ६० मीलके फासलेपर पड़ता है। समृद्धकी सतहसे उसकी ऊंचाइ अद्वाजन् २ हजार कुट है। डब्बनकी आवहवा कछ-कुछ वर्वईसे मिलती हुई मानी जा सकती है, पर वर्वईसे वहाँकी हवामे कुछ अधिक ठंड अवश्य है। नेटालसे आगे बढ़कर और अंदर जानेपर द्रासवाल आता है जिसकी जमीन आज दुनियाको सबसे ज्यादा सोना दे रही है। कुछ वरस पहल वहा हीरेकी खान भी मिली है, जिनसे दुनियाका बड़े-से-बड़ा हीरा निकला है। वह कोहेनरसे भी वहा हीरा रसके पास है, ऐसा समझा जाता है। उसका नाम खानक मालिकके नामपर रखा गया है और वह कलीनन हीरा कहलाता है।

पर जोहान्सवर्ग 'स्वर्णपुरी' है और हीरेकी खाने भी उसके पास ही है, फिर भी वह द्रासवालकी राजधानी नही है। उसकी राजधानी प्रिटोरिया है। यह जोहान्सवर्गसे ३६ मीलके फासलेपर है और वहा खासकरके राजदरवारी आदंभियों तथा उनसे संबंध रखनेवालोंकी वस्ती है। इससे वहाका वातावरण कुछ शात माना जाता है। जोहान्सवर्गका वातावरण तो अतिशय अशांत कहा जाता है। जैसे हिदुस्तानके किसी शातिभरे गांव या छोटेसे नगरसे कोई ववई जैसे महानगरमे पहुचे तो वहाके धम-धड़के और अशातिसे घवरा जाता है; प्रिटोरियासे जौनेवालेको जोहान्सवर्गका दृश्य भी देसा ही मालूम होता है। यगर यह कहे कि जोहान्सवर्गके लोग चलते नहो, वल्कि दौड़ते हैं तो यह अतिशयोक्ति नही मानी जायगी। किसीको किसीकी ओर देखने तककी

'कलीनन हीरेका बलन दे हजार कैरट है। कोहेनरका बलन १०० कैरटके भीर रसके राजमुकुटके हीरे 'ओर्लफ' का २०० कैरटके लगभग है।'

फरसत नहीं होती और हर एक इसी घुनमें गर्क दिखाई देता है कि कैसे कम-से-कम समयमें अधिक-से-अधिक पैसा कमा ले। द्रांसवालको छोड़कर परिचमकी और भी अंदर जाड़ए तो आरेज फी स्टेट अथवा आरेजियाका उपनिवेश आता है। इसकी राजधानी बलमफोटीन है। यह अतिरिक्त शात और छोटा-सा नगर है। आरेजियामें कोई खान-बान नहीं है। वहांसे रेलपर कुछ घंटेकी यात्रासे ही हम केप कॉलोनीकी सरहदपर पहुंच जाते हैं। केप कॉलोनी दक्षिण अफ्रीकाका सबसे बड़ा उपनिवेश है। उसकी राजधानी और सबसे बड़ा बद्र-गाह केप टाउनके नामसे प्रसिद्ध है। 'केप आव गुड होप' नामका अंतरीप इसी राज्यमें है। गुड होपके मारी हैं शुभाशा। वास्को डी गामा जब पुतंगालसे हिन्दुस्तानकी खोजमें निकला तब उसने यही पहुंचकर अपने जहाजका लगर ढाला और यही उसे यह आशा वधी कि अब अपनी मुराद जहर पूरी होगी। इसीसे इस स्थानका नाम 'शुभाशा अंतरीप' रखा।

इन चार मूल्य विटिंग उपनिवेशोंके अतिरिक्त और कई प्रदेश हैं जो विटिंग साम्राज्यके सरक्षणमें हैं और जिनमें उन लोगोंकी वस्ती है जो दक्षिण अफ्रीकाके यूरोपियनोंके आगमनके पहलेसे इस देशमें रहते थे।

दक्षिण अफ्रीकाका मूल्य धंधा खेती ही माना जायगा। खेतीके लिए यह बहुत ही अच्छा देश है। कितने ही भाग तो अतिशय उपजाऊ और सुहावने हैं। अनाजोंमें सबसे अधिक और आसानीसे उपजनेवाली फसल मकईकी है। मकई दक्षिण अफ्रीकाके हवशी वार्षिदोका मूल्य आहार है। कुछ हिस्सोंमें गेहूं भी पद। होता है। फलोंके लिए तो दक्षिण अफ्रीका प्रसिद्ध है। नेटालमें बहुत किस्मोंके और वहूं बढ़िया केले, पपीते और अनन्नास पकते हैं और इतनी इकरातसे कि गरीब-से-गरीब आदमीको भी मिल सकें। नेटाल और दूसरे

उपनिवेशोंमें भी नारगी, संतरा, 'पीच' और एंप्रिकाट (जर्दाल) इतने बड़े परिमाणमें पैदा होते हैं कि हजारों आदमी सामान्य अमसे देहातमें उन्हे बिना पैसेके पा सकते हैं। केप कॉलोनी तो अंगूर और बड़े वेर का देश है। वहाँ जैसे अगर शायद ही और कही उपजते हो। मौसममें वे इतने सस्ते हो जाते हैं कि गरीब आदमी भी जी भरकर खा सके। जहाँ हिंदुस्तानी वसते हो वहाँ आम न हों, यह हो नहीं सकता। हिंदुस्तानियोंने आमकी गुठलिया बोई और इसका फल यह हुआ कि दक्षिण अफ्रीकामें आज आम भी अच्छी मात्रामें उपलब्ध है। उनकी कुछ किस्में तो वेशक ववईके 'हापुस-पायरी' के साथ मकावला कर सकती है। साग-भाजी भी इस रसीली भूमिमें इफरातसे उपजती है और कह सकते हैं कि शौकीन हिंदुस्तानियोंने हिंदुस्तानकी लगभग सभी साग-तरकारिया यहाँ उपजा ली है।

मवेशियोंकी तादाद भी यहाँ काफी कही जा सकती है। गाय-बैल हिंदुस्तानके गाय-बैलोंसे बड़े ढील-ढीलवाले और अधिक बलवान होते हैं। गोरखाका दावा करनेवाले हिंदुस्तानमें कितने ही गाय-बैलोंको हिंदुस्तानके लोगोंकी तरह ही दुबला-सखा देखकर मैने शर्मसे सिर झुकाया है और अनेक बार मेरा दिल उनकी दशा देखकर रोया है। दक्षिण अफ्रीकामें दुबली गाय या दुबला बैल मैने कही देखा हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता, गोकि मैं अपनी आखे प्रायः खुली रखकर उसके सभी भागोंमें फिरा हूँ। प्रकृतिने अपनी द्वासरी देनोंके साथ-साथ इस भूमिको सृष्टि-सौन्दर्यसे संबारनेमें भी कोताही नहीं की है। डवंनका दृश्य तो बहुत ही सुंदर माना जाता है; पर केप कॉलोनी उससे भी बढ़-बढ़कर है। केप टाउन नगर 'ट्रिबल माउटेन' नामक पहाड़की तलहटीमें वसा हुआ है जो न बहुत नीचा है और न बहुत ऊँचा। दक्षिण

अफ्रीकाकी पजा करनेवाली एक विदुषीने इस पहाडपर एक कविता लिखी है, जिसमे वह कहती है कि जो अलौकिकता मैंने 'टेबल माउटेन' मे अनुभव की है वह मुझे किसी और पर्वतमे नहीं मिली। इसमें अतिशयोक्ति भले ही हो— मैं मानता हूँ कि है—पर इस विदुषी वहनकी एक बात मेरे मनमे बैठ गई है। वह कहती है कि टेबुल माउटेन केप टाउन-निवासियोके मित्रका काम करता है। यह पर्वत ऊचा नहीं है। इससे डरावना नहीं लगता। लोगोको दूरसे ही उसका पूजन करके सतोष नहीं करना पड़ता, बल्कि वे इस पहाडपर ही घर बनाकर रहते हैं और बिलकुल समुद्रके किनारे होनेसे समुद्र सदा अपने स्वच्छ जलसे उसके पाव पखारा और उसका चरणामूर्ति पिया करता है। बच्चे और बढ़े, स्त्री और पुरुष सब निर्भय होकर लगभग सारे पहाडपर विचर सकते हैं और हजारों नगरवासियोके कोलाहलसे सारा पर्वत प्रतिदिन गूज उठता है। इसके विशाल वृक्ष, सुगंध-भरे और रंग-विरंगे फूल सारे पहाडको इस तरह सवार देते हैं कि उसकी सुषमा निरखते और उसपर विचरते लोग अघाते ही नहीं।

दक्षिण अफ्रीकामे इतनी बड़ी नदियाँ नहीं हैं जिनकी तुलना हमारी गगा-जमुनाके साथ की जा सके। थोड़ी नदिया है, पर वे बहुत छोटी कही जाएंगी। इस देशमे बहुतेरे भाग ऐसे हैं जहाँ नदीका पानी पहुँचता ही नहीं। ऊचे प्रदेशोमे नहरे भी कहासे लाई जाए? और जहाँ समुद्रकी समता करनेवाली नदिया न हो वहा नहरे कहासे हो सकती है? दक्षिण अफ्रीकामे जहा-जहा प्रकृतिने पानीकी तगी कर रखी हैं वहा पाताल जैसे गहरे कुएँ खोदकर पवनचक्रियों और भापकी कलोके जरिए इतना पानी खीचा जाता है कि खेतोको सीच सके। वहाकी सरकारकी तरफसे खेतोंको

भरपुर मद्द मिलती है। किसानोंको सलाह देनेके लिए वह खेती के विशेषज्ञों को भेजा करती है। किसने ही स्थानोंमें प्रजाओं लाभके लिए सरकार अनेक प्रयोग किया करती है। वह नमनोंके खेत रखती है, लोगोंको मवेशी और बीज मिलनेका सुभीता कर देती है, बहुत थोड़े खेतोंसे बहुत गहरे कुएँ खुदवा देती है और उसकी कीमत किस्तोंमें चुकानेका सुभीता किसानोंके लिए कर देती है। इसी तरह लोहेके कटीले तारोंकी बाड़ मी खेतोंके इन्हें लगावा देती है।

दक्षिण अफ्रीका भमध्यरेखाके दक्षिणमें पड़ता है और हिंदुस्तान उत्तरमें। इससे वहाका सारा बातावरण हिंदुस्तानियोंको उलटा-सा मालम होता है। वहाका छृतुक्रम भी विपरीत है। जब हमारे यहाँ गरमी होती है तब वहाँ जाडेके दिन होते हैं। वर्षाका वहाँ कोई पक्का नियम नहीं दिखाई देता। वह चाहे जब हो सकती है। आमतौरपर २० इच्छे अधिक वारिश नहीं होती।

• १२ •

इतिहास

अफ्रीकाके भूगोलपर निगाह ढालते हुए जिन विभागोंको हम देख गए हैं, पाठ्य यह न समझले कि वे आदिकालसे ही ही हैं। विलकुल पुराने जमानोंमें वहाँ कौनसे लोग बसते थे इसका पक्का निश्चय अभी नहीं हो सका है। यरोपके लोग जब दक्षिण अफ्रीकामें आवाद हुए उस वक्त वहाँ हवणी जातिके लोग रहते थे। यह भाना जाता है कि अमरीकामें जिन दिनों गुलामीका चक जौर-जौरसे चल रहा था उस बक्त ये हवशी बहाँसे भागकर दक्षिण अफ्रीकामें आ गये और

आवाद हुए। उनकी जुदा-जुदा जातिया हैं, जैसे जुलू, स्वाजी, वस्टो, वेकवाना इत्यादि। इनकी भाषामें भी भेद है। ये हवधी ही दक्षिण अफ्रीकाके मूलनिवासी माने जाएंगे। पर दक्षिण अफ्रीका इतना लवा-चौड़ा देश है कि फिलहाल जितने हवधी वहां वसते हैं उनसे बीसतीस गुनी बड़ी आवादी उसमे सुधमे समा सकती है। डर्वनसे केप टाउन रेलके रास्ते लगभग १८०० मीलका सफर है। समुद्रकी राह भी एक हजार मीलसे कमका फासला नहीं है। इन चारों राज्योंका रकवा ४,७३,००० वर्गमील है।

इस विशाल भूखड़मे १९१४ में हवधियोंकी आवादी करीब ५० लाख और गोरोकी करीब १३ लाखके थी। हवधियोंमे जुलू सबसे ज्यादा कहावर और सुदर कहे जा सकते हैं। हवधियोंके लिए सुदर विशेषणका व्यवहार मैंने जान-बूझकर किया है। सफेद चमड़े और नुकीली नाकपर हम रूपका आरोप किया करते हैं। इस वहमको क्षणभरके लिए अलग रख दे तो जुलू लोगोंको गढ़नेमें ब्रह्माने कोई कसर रखी है, यह नहीं जान पड़ेगा। स्त्री-पुरुष दोनों ऊंचे कदके होते हैं, छाती अपनी ऊंचाईके अनुपातसे चौड़ी होती है। सारे शरीरकी रगे सुगठित और खूब मजबूत होती है। इनकी पिंडिया और भुजाएं भी सदा माससे भरी हुई और गोलाकार ढिखाई देती है। कोई स्त्री या पुरुष भुक्कर या कवड़ निकालकर चलता हुआ शायद ही कभी दिखाई देता है। होंठ अवश्य लवे और मोटे होते हैं, पर सारे शरीरके आकारको देखते हुए मैं तो उन्हे तनिक भी बेडौल न कहगा। आखे गोल और तेजस्विनी होती है। नाक चपटी और बड़ी होती है, पर इतनी ही कि लवे-चौड़े मुह-पर फवे। उनके सिरके घुंघराले बाल उनकी शीशम-जैसी काली और चमकीली त्वचापर खिल उठते हैं। आप किसी जुलूसे

पूछें कि दक्षिण अफ्रीकामे उसनेवाली जातियोंमे सबसे अधिक सुंदर तुम किसे कहोगे तो यह दावा वह अपनी जातिके लिए ही करेगा और इसमे मुझे उसका तनिक भी अज्ञान नहीं दिखाई देता। जो प्रयत्न सैडो आदि आज यूरोपमे अपने जागिर्दोंकी बाहु, छाती आदिके व्यवस्थित विकासके लिए कर रहे हैं वैसे किसी भी प्रयत्नके बिना, कुदरती तौरपर ही, इस जातिके अग-प्रत्यंग सुदृढ़ और गढ़े हुए दिखाई देते हैं। प्रकृतिका नियम है कि भूमध्य रेखाके नजदीक रहने-वालोंका चमड़ा काला ही होना चाहिए और हम यह मान ले कि प्रकृति जो-जो शक्लें गढ़ती है उसमे सुंदरता होती ही है तो सौदर्यविषयक अपने सकुचित और एकदेशीय विचारोंसे बच जायें। इतना ही नहीं, हिंदुस्तानमे अपने ही चमड़ेको कुछ काला पाकर हमारे मनमे जो अशोभन लज्जा और अरुचि उत्पन्न होती है उससे भी हम मुक्त हो सकते हैं।

ये हवाओं मिट्टी और फूसके गुंबददार झोपड़ोंमें रहते हैं। इन झोपड़ोंमें एक ही गोल दीवार होती है और ऊपर फूसका छप्पर। छप्पर भीतर लगे हुए एक खंभेपर टिका होता है। दरवाजा एक ही होता है और इतना नीचा कि बिना भुके कोई अंदर नहीं जा सकता। यही दरवाजा हवाके आने-जानेका रास्ता होता है। उसमें किवाड़ तो शायद ही होते हैं। हम लोगोंकी तरह ये लोग भी दीवार और जमीनको मिट्टी और गोबर-से लीपते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग कोई भी चौकोर चीज नहीं बना सकते। अपनी आखोंको उन्होंने केवल गोल चीज ही देखना और बनाना सिखाया है। हम प्रकृतिको भूमितिकी सरल रेखाएं, सीधी आङ्गृतिया बनाते नहीं पाते और प्रकृतिके इन निर्दोष भोले-भाले बच्चोंका जान उनके प्रकृतिके अनुभवपर ही आश्रित होता है।

उनके इस मिट्टीके महलमे साज-सामान भी उमके अनुहण ही होता है। यरोपीय सभ्यताके प्रवेशके पहले ये पहलने-ओढ़ने, सोने-बैठने सबमे चमड़ेका ही उपयोग करते थे। कुरसी-मेज, सदृक-पिटारा रखनेको तो इस 'महल'मे जगह भी नहीं होती और अच्छेजीके आधारपर आज भी उनके दर्जन बहाँ शायद ही होते हैं। अब उनके घरोमे कबलका प्रवेश हो गया है। श्रिटिंग राजके पहुँचनेके पहले हवशी स्त्री-पुस्त लगभग नगे ही फिर करते थे। आज भी देहातमें बहुतेरे इसी तरह रहते हैं। गुह्य अंगोको वे एक चमड़ेसे ढक लेते हैं। कोई कोई यह भी नहीं करते, पर इसका अर्थ कोई पाठक यह न कर ले कि ये लोग अपनी इंद्रियोको बगमे नहीं रख सकते। जहा एक बड़ा समुदाय किसी रुद्धिसे वधकर्य व्यवहार करता हो वहा यह बात विलकूल मुमकिन है कि दूसरे समुदायको वह रुद्धि अपोग्य मालम होती हो, फिर भी पहले समुदायकी निगाहमे उसमे तनिक भी दोप न हो। इन हवशियों-को एक दूसरेकी ओर ताकने-झाकनेकी फुरसत ही नहीं होती। भागवतकार कहते हैं कि गुकदेवजी जब नगी नहाती हुई स्त्रियोके दीनसे होकर चले गए तो न उनके मनमे तनिक भी विकार उत्पन्न हुआ, न उन निष्पाप स्त्रियोको तनिक भी क्षोभ हुआ या जरा भी शर्म आई। मुझे इसमे कुछ भी अलीकिक नहीं दिखाई देता। हिंदुस्तानमे आज ऐसे मौकेपर हममेसे कोई भी इतनी स्वच्छता, इतनी निविकारताका अनुभव नहीं कर सकता तो यह कुछ मनुष्य-जातिकी पवित्रताकी सीमा नहीं है, बल्कि हमारे दुर्भाग्यकी निशानी है। हम जो इन लोगोको जगली मानते हैं यह तो हमारे अभिमानकी प्रतिध्वनि है। जैसा हम मानते हैं वैसे जगली वे नहीं हैं।

ये हवशी जब शहरमे आते हैं तब उनकी स्त्रियोके लिए यह नियम है कि उन्हे छातीसे घुटनेतकका भाग अवश्य ढक रखना

चाहिए। इस कारण उन्हे पसद न होते हुए भी वैसा कपड़ा लपेटना पड़ता है। इससे दक्षिण अफ्रीकामें इस नापके कपड़ेकी बहुत खपत होती है और ऐसे लाखों कंबल और चादरें हर साल यूरोपसे आती हैं। पुल्लोके लिए अपनी ढेहको कमरसे घुटनेतक ढक रखना लाजिमी है। इससे उन्होंने यूरोपके चारोंहाँसे पहननेका चलन चला दिया है। जो यह नहीं करते वे नेफादार जांविया पहनते हैं। ये सारे कपड़े यूरोपसे ही आते हैं।

इन लोगोंकी सास खुराक मकई और जब मिल जाय तब मांस है। मसाले करीहसे तो खुशकिस्मतीसे वे विलकुल अनजान हैं। इनके भोजनमें मसाला पड़ा हो या हल्दीका रंग भी आ गया हो तो ये नाक-भौंसिकोड़ेगे और जो निरे जगली कहे जाते हैं वे तो उसे छुएगे भी नहीं। साधित उदाली हुई मकईको थोड़ा नमक मिलाकर एक बक्तमें एक सेर खा लेना साधारण जुलके लिए कोई असाधारण बात नहीं है। मकईके आटेको पानीमें पकाकर उसकी लपसी बनाकर खानेमें वे सतीष मानते हैं। मास जब मिल जाय तब कच्चा या पक्का, उदालकर या भनकर, केवल नमकको साथ, खा लेते हैं। मास चाहे जिस प्राणीका हो, उसे खाते उन्हें हिचक नहीं होती।

उनकी भाषाके नाम भी जातिके नामपर ही होते हैं। लेखन-कलाका प्रवेश गोरोंके ही द्वारा हुआ है। हवशी बण्माला-जैसी कोई चीज नहीं है। हालमे रोमन लिपिमें वाइविल आदि पुस्तके हवशी भाषायोंमें छापी गई है। बुलू भाषा अत्यत मधुर है। अधिकाश शब्दोके अंतमे 'आ' का उच्चारण होता है। इससे भाषाकी ध्वनि कानोंको हल्की और मीठी लगती है। मैते पढ़ा और सुना है कि उसके शब्दोंमें अर्थ और काव्य दोनों होते हैं। जिन थोड़ेसे शब्दोंका ज्ञान मुझे अनायास हो गया है उनके आधारपर मुझे यह भत ठीक मालूम

होता है। नगरों आदिके यरोपियनोके रखे हुए नाम जो मैंने दिये हैं उनके काव्यमय हवशी नाम भी हैं ही; पर वे मुझे याद नहीं रहे। इससे उन्हें नहीं ढे सका।

पादरियोके भटानुसार तो हवशियोका न कोई धर्म था और न है, पर धर्मको व्यापक अर्थमें ले तो कह सकते हैं कि वे एक ऐसी अलौकिक शक्तिको अवश्य मानते और पूजते हैं, जिसे वे खुद पहचान नहीं सकते। इस शक्तिसे वे डरते भी हैं। शरीरके नाशके साथ मनष्यका मवंथा नाश नहीं होता, इसकी भी उन्हें धधली प्रतीति होती है। हम नीतिको धर्मका आधार माने तो नीतिपालक होनेके कारण उन्हें वर्मनिष्ठ भी मान सकते हैं। सच और झूठके भेदको वे परी तरह समझते हैं। अपनी स्वाभाविक अवस्थामें वे जिस सीमातक सत्यका पालन करते हैं, गोरे या हम लोग उस सीमातक उसका पालन करते हैं या नहीं, इसमें शक है। उनके मदिर-देवालय नहीं होते। दूसरी जातियोंकी तरह इन लोगोंमें भी बहुत तरहके वहम देखनेमें आते हैं। पाठकोंको यह जानकर अचरज होगा कि शरीर-वलमे दुनियाकी किसी भी जातिसे हेठी न ठहरनेवाली यह कौम वस्तुत इतनी डरपोक, इतनी बुजदिल है कि हवशी जवान गोरे वालकको भी देखकर डर जाता है। कोई उसके सामने तमचा तान दे तो वह या तो भाग जायगा या ऐसे जड़ बन जायगा कि उसमें भागनेकी शक्ति भी न रहेगी। इसका कारण तो है ही। उसके दिलमें यह बात बैठ गई है कि मुट्ठीभर गोरोनेजो ऐसी बड़ी और जगली जातिको वशमें कर रखा है यह जरूर कोई जादू होना चाहिए। भाले और तीरसे काम लेना हवशी बहुत अच्छी तरह जानते थे। ये तो उनसे छीन लिए गए हैं। बंदूक उन्होने न कभी देखी, न चलाई। जिसको न दियासलाई दिखानी पड़ती है, न एक उगली हिलानेके सिवा और कोई हरकत

करनी पड़ती है, फिर भी एक छोटी-सी नलीसे यकायक आवाज होती है, आग मढ़कती है और गोली लगाकर क्षणभरमें आदमीका काम तमाम कर देती है ! यह ऐसा चमत्कार है जो बेचारे हवशीकी समझमें नहीं आ सकता । इससे वह इस चीजको काममें लानेवालेके डरसे हमेशा बदहवास रहता है । उसने और उसके वाप-दादोंने देखा है कि इन गोलियोंने कितने ही असहाय और निरपराध हवशियोंकी जान ले ली है । यह क्यों और कैसे होता है, बहुतेरे हवशी इसे आज भी नहीं बानते ।

इस जातिमें 'सम्यता' धीरे-धीरे प्रविष्ट होती जा रही है । एक ओरसे भले पादरी इंसामसीहका संदेश, जैसा कुछ उन्होंने उसे समझा है, उनके पास पहुचा रहे हैं । उनके लिए मदरसे खोल रहे हैं और उन्हे सामान्य अक्षरज्ञान दे रहे हैं । इनकी कोशिशसे कितने ही चरित्रवान् हवशी भी तैयार हुए हैं; पर बहुतेरे जो अक्षरज्ञान और सम्यतासे परिचित न होनेके कारण अनेक अनीतियोंसे वचे हुए थे, आज ढोगी-याखंडी भी हो रहे हैं । जो हवशी 'सम्यता' के सपर्कमें आ चुके हैं उनमें शायद ही कोई ऐसा हो जो शरावकी वुराईसे बचा हो । उनके तागड़े मस्त जरीरपर जब शरावका भूत सवार होता है तब वे पूरे पागल हो जाते हैं और न करनेके सब काम कर डालते हैं । सम्यताके साथ-साथ आवश्यकताओंका बढ़ना तो उतना ही पक्का है जितना दो और दो मिलकर चार होना । जहरतें बढ़ानेके लिए ही या उन्हे श्रमका मूल्य सिखानेके लिए, हर हवशीको 'मुढ़-कर' या व्यक्ति-कर (Poli tax) और कटी-कर (Hut tax) देना पड़ता है । ये करन लगाए जायं तो यह अपने खतोमें रहनेवाली जाति सानोसे सोना याहीरा निकालनेके लिए जमीनके बंदर सैकड़ों गजकी गहराईमें क्यों उतरने जाय ? और इन सानोंके लिए इनका अम सुलभ न हो तो सोना और हीरे

पृथ्वीके उदरमें ही पड़े रह जाय । वैसे ही इनपर कर लगाये बिना यंरोपियनोंको नीरुण मिलना भी कठिन होगा । इसका फल यह होआ है कि खानोंके भीतर काम करनेवाले हजारों हन्त्रियोंको दूसरे रोगोंके साथ-साथ एक प्रकारका क्षय रोग भी हो जाता है जिसे 'माइनर्स थाइसिस' (खानमें काम यारनेवालोंका क्षय) कहते हैं । यह रोग प्राणहारी है । इसके पर्जेमें पड़नेके बाद विरले ही उदरते हैं । ऐसे हजारों आदमी एक खानके अदर रहे और उनके बाल-बच्चे साथ न हो तो उस दशामें वे कितना सयम रख सकते हैं, पाठक इमका सहज ही अनुमान कर सकते हैं । इसके फलस्वरूप पैदा होनेवाले रोगोंके भी ये लोग शिकार हो जाते हैं । दक्षिण अफ्रीकाके विचारशील गोरे भी इस गभीर प्रश्नपर विचार न करते हो, सो बात नहीं है । उनमेंसे कितने ही अवश्य यह मानते हैं कि सभ्यताका असर इस जातिपर कुल मिलाकर अच्छा पड़ा है, यह दावा शायद ही किया जा सकता है । इसका बुरा असर तो हर आदमी देख सकता है ।

इस महान् देशमें जहा ऐसी सरल, निर्दोष जाति वसती थी, कोई चार सौ साल पहले बलदा लोगोंने पड़ाव डाला । ये गुलाम तो रखते ही थे, अपने जावाके उपनिवेशसे कितने ही बलदा अपने मलायी गुलामोंको लेकर उस प्रदेशमें दाखिल हुए जिसे आज हम केप कालोनी कहते हैं । ये मलायी लोग मूसलमान हैं । उनमें बलदा लोगों का रक्त और वैसे ही उनके कितने ही गुण भी हैं । वे सारे दक्षिण अफ्रीकामें इकू-टुकूके बिखरे हुए दिखाई देते हैं, पर उनका कोन्द्र केप टाउन ही माना जाता है । आज उनमेंसे कितने ही गोरोकी नौकरी करते हैं और दूसरे स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं । मलायी स्त्रिया बड़ी ही मेहनती और होशियार होती है । उनकी रहन-सहन आम तौरसे साफ-सुथ्री दिखाई देती है । औरते बुलाई और सिलाई-

का काम बहुत अच्छा कर सकती है। मदं कोई छोटा-मोटा रोजगार करते हैं। बहुतेरे तांगा-गाड़ी हाकनेका धंधा करके गुजर-वसर करते हैं। कुछने ऊचे दरजेकी अग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की है। उनमेसे एक डाक्टर अब्दुलरहमान केप टाउनमें मशहूर है। वह केप टाउनकी पुरानी घारा सभामें भी पहुच गए थे। नए विवानमें प्रवान घारा सभामें जानेका यह हक छीन लिया गया है।

बलदा लोगोंका वर्णन करने हुए बीचमे मलायी लोगोंका जिक्र अपने आप आ गया। पर अब हम जरा देखे कि बलदा लोग किस तरह आगे बढ़े। बलदाके मानी उच होते हैं, यह मुझे बतानेकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये लोग जितने बहादुर योद्धा थे और हैं उतने ही कुण्ठ किसान थे और आज भी हैं। उन्होंने देखा कि हमारे आसपासका देश खेतीके लिए बहुत ही उपयुक्त है। उन्होंने यह भी देखा कि इस देशके असल वाशिदे सालमे कुछ ही दिन काम करके आसानीसे अपना निर्वाह कर सकते हैं। तब उनसे मजदूरी क्यों न कराये? बलदाके पास युद्धकला थी, वंडक थी और दूसरे प्राणियोंकी तरह आदमियोंको भी कैसे बसमे किया जाता है, यह जानते थे। उनका विश्वास था कि ऐसा करनेमें धर्मकी कोई वाधा नहीं है। अतः अपने कार्यके औचित्यके विषयमें तनिक भी वाकाशील हुए विना उन्होंने दक्षिण अफ्रीकाके मलनिवासियोंकी मजदूरीके बलपर खेती आदि करना शुरू कर दिया।

जैसे बलदा दुनियामें अपना फैलाव करनेके लिए अच्छी-अच्छी जमीने ढूढ़ रहे थे वैसे ही अग्रेज भी इस केरमे फिर रहे थे। अत धीरे-धीरे अग्रेज भी यहां पहुचे। अग्रेज और डच चचेरे भाईं तो हैं ही। दोनोंका स्वभाव एक, लोभ एक। एक ही कुम्हारके बनाये हुए मटके जब इकट्ठे होते

हैं तो कभी-कभी आपसमें टकराकर फटते भी हैं। वैमे ही ये दोनों जातियाँ भी धीरे-धीरे देशमें घुमतीं और हवशियोंको बगमें करते हुए एक दूसरेसे टकरा गईं। इनमें भी झगड़े हुए, लड़ा-इया भी हुईं। मजूवाकी पहाड़ीपर अग्रेजोंने हार भी खाई। इस हारका दाग उनके दिलपर रह गया और वह पककर फोड़ा बन गया। यह फोड़ा १८९९ से १९०२ ई० तक जो जगत्-प्रसिद्ध युद्ध हुआ उसमें फूटा। लाईं रावट्सनने जब जनरल क्रोजेको अपने अधीन किया तब उन्होंने स्वर्गीया महारानी विक्टोरियाको यह तार किया—“मजूवाका बदला ले लिया।” पर इन दोनोंके बीच जब पहली (बोअर-युद्धके पहले) मुठ-भेड़ हुई तब वहुतेरे बलदंड लोग अग्रेजोंके नामकी हुक्मत भी कबल करनेको तैयार न थे। इसलिए दक्षिण अफीकाके अज्ञात भीतरी भागमें चले गये। इसीके फलस्वरूप ट्रासबाल और आरेज फी स्टेटकी उत्पत्ति हुई।

यही बलदा या डच लोग दक्षिण अफीकामें बोअरके नामसे पुकारे जाने लगे। उन्होंने अपनी भाषाकी रक्षा उससे उसी तरह चिपके रहकर की है जैसे बच्चा मातासे चिपका रहता है। अपनी स्वतंत्रताके साथ अपनी भाषाका अतिशय निकट सबध है, यह बात उनके अतरमें अकित हो गई है। उसपर कितने ही हमले हुए, फिर भी वे अपनी भाषाकी रक्षा किये जा रहे हैं। इस भाषाने भी अब ऐसा नया दृष्टि कर लिया है जो यहाँके लोगोंके अनुकूल हो। हालेंडके साथ वे अपना निकट सबध बनाये नहीं रख सके, इससे जैसे संस्कृत-से प्राकृत भाषाएं निकली वैसे ही डच भाषासे अपनाइ डच-बोअर लोग बोलने लगे। पर अब वे अपने बच्चोंपर अनाबृश्यक बोझ डालना नहीं चाहते। इसलिए इस प्राकृत बोलीको स्थायी रूप दे दिया है और वह ‘टाल’के नामसे विख्यात है। उसीमें उनकी पुस्तके लिखी जाती है। बच्चोंकी पढाई इसी

भाषामे होती है और धारा समाके बोअर सदस्य उसीमे भाषण भी करते हैं। यूनियनकी स्थापनाके बाद सारे दक्षिण अफ्रीकामे दोनों भाषाओं, 'टाल' या डच और अंग्रेजी-को समान पद प्राप्त हैं, यहांतक कि उसके सरकारी गजट और धारा समाकी कार्रवाइंका दोनों भाषाओंमे प्रकाशित होना जरूरी है।

बोअर लोग सीधे, भोले और घर्मंमे पक्की निष्ठा रखने-वाले होते हैं। वे बड़े-बड़े खेतोंके बीच वसते हैं। उनके खेतोंके विस्तारकी कल्पना हमें नहीं हो सकती। हमारे किसानोंके खेतके मानी होते हैं दो या तीन बीघे जमीन। अक्सर इससे भी छोटे होते हैं। उनके खेतोंका स्वरूप यह है कि एक-एक आदमीके पास सौंकड़ों-हजारों बीघा जमीन होती है। यह सारी जमीन तत्काल जोत डालनेका लोभ भी इन किसानोंको नहीं होता। कोई उनसे दलील करे तो कहते हैं—“पड़ी रहने दो। जिस जमीनको हम न जोतेगे उसे हमारी सतान जोतेगी।”

हर एक बोअर युद्धकलाका पूरा पडित होता है। वे आपसमें भले ही लड़ते-भगड़ते रहे, पर अपनी आजादी उन्हे इतनी प्यारी होती है कि जब उनके ऊपर हमला होता है तो सारे बोअर उसका सामना करनेको जुट जाते हैं और एकजान होकर लडते हैं। उन्हे लंबी कवायदकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि लड़ना सारी जातिका स्वभाव या सहज गुण है। जनरल स्मिट्स, जनरल डी वेट, जनरल हर्जोंग, तीनों बड़े वकील और बड़े किसान हैं और तीनों वैसे ही बड़े लड़वया भी हैं। जनरल बोयाके पास नौ हजार एकड़का एक खेत था। खेतीके सारी पेचीदगिया उन्हे मालूम थी। सुलहके लिए जब वह यूरोप गये तब उनके बारेमे कहा गया कि भेड़ोंकी परीक्षामे उनके जैसा कुशल यूरोपमे भी शायद ही कोई हो। यही जनरल बोया

स्वर्गीय राष्ट्रपति क्रूगरके स्थानापन्न हुए। उन्हे अग्रेजी अच्छी आती थी, फिर भी इंगलैडमे जब वे बादशाह और मन्त्रिमंडलसे मिले तब उन्होने सदा अपनी मार्तभापामे ही बातचीत करना पसंद किया। कौन कह सकता है कि उनका यह आग्रह उचित नहीं था? अपना अग्रेजीका ज्ञान दिखानेके लिए गलतिया करनेकी जोखिम वह क्यों उठाये? उपर्युक्त शब्दकी तलाशमे उनके विचारोकी शृङ्खला टूट जाय, यह साहस वह किस लिए करे? मन्त्रिगण अनजानमे कोई अपरिचित अग्रेजी मुहावरा बोल जाय, वह उसका अर्थ न समझे और कुछ-का-कुछ जबाब दे जाए, जायद घबरा जाए और यो उनका काम विगड़ जाय, ऐसी सगीन गलती वह क्यों करे?

वोअर पुरुष जैसे वहांदुर और सीधे है, वोअर स्त्रिया भी वैसी ही वहांदुर और सरल स्वभावकी होती है। वोअर युद्ध-के समय जो वोअर लोगोने अपना खुन बहाया वह बलि वे वोअर स्त्रियोकी हिम्मत और उनसे मिलनेवाले बढ़ावके दल-पर ही दे सके। इन स्त्रियोको न अपना सुहाग उजडने-का डर था और न भविष्यकी ही चिंता थी। मैं कह चुका हूँ कि वोअर लोग ईसाई हैं और धर्ममे पक्की आस्था रखनेवाले हैं। पर वे हजरत ईसाके नये इकरारनामे (न्यू टेस्टामेट) को मानते हैं, यह नहीं कह सकते। सच पछिए तो यूरोप ही नये इकरार-नामेको कहा मानता है? फिर भी यूरोपमे नये इकरार-नामेका आदर करनेका दावा किया हीं जाता है, गोकि कुछ ही यूरोपवासी ईसामसीहके शाति-धर्मको जानते और उसका पालन करते हैं। पर वोअर लोगोके बारेमे तो कह सकते हैं कि वे नये करारका नामभर जानते हैं। पुराने करार (ओल्ड टेस्टामेट) को वे अवश्य भावपर्बक पढ़ते और उसमे जो लडाइयोका वर्णन है उसे कठ करते हैं। हजरत मूसाका 'दातके बदले दांत और आखके बदले आख' की शिक्षाको वे

पूरे तौरसे मानते हैं और जैसा मानते हैं वैसा ही आचरण भी करते हैं।

बोअर स्त्रियोने भी यह मानकर कि अपनी स्वतंत्रताकी रक्खाके खातिर जितना भी दुख सहन करना पड़े वह धर्मका आदेश है, श्रीरज और आनन्दसे सारी मुसीकते सह ली। उन्हें भुकानेके लिए स्वर्गीय लाड़ किचनरने कोई उपाय उठा नहीं रखा। उन्हे जुदा-जुदा शिविरों या इहातोमे बढ़ करवा दिया, जहाँ उनपर असह्य आपत्तिया आई, ज्वाने-पीनेकी सासर, ठड़से और गरमी-बपसे बेहाल। कोई गराव पीकर बढ़हवास या कामाघ सैनिक इन असह्य शिविरोंपर आक्रमण भी कर बैठता। इन इहातोमे बनेके प्रकारके उपद्रव हुआ करते थे। फिर भी ये वहादुर स्त्रिया न भुकी। अतमे बादशाह एडवर्डने लाड़ किचनरको लिखा—“भुकसे यह सहन नहीं हो सकता। बोअर स्त्रियोको भुकानेका अगर हमारे पास यही इलाज हो तो इसकी बनिस्वत चाहे जैसी भी सुलह कर लेना मैं पसद करूँगा। आप लड़ाईको जल्दी समेटिये।”

इस सारे दुख-दर्दकी आवाज जब इगलेंड पहुँची तब ब्रिटिश जनता बहुत दुखी हुई। बोअरोकी बहादुरीसे वह आश्चर्यचकित हो रही थी। ऐसी छोटी-सी जाति दुनियाको घेर रखनेवाली सल्तनतके छक्के छुड़ा दे, यह बात तो ब्रिटिश जनताके मनमे चुभती ही रहती थी। पर जब उसे इन इहातोके भीतर बढ़ रियोका आतंनाद, उन स्त्रियोके द्वारा नहीं, उनके मर्दोंके द्वारा भी नहीं—वे तो रणमे ही ज़म्म रहे थे—वलिक उन डक्के-दुक्के उदार-चरित अग्रेज स्त्री-मुरुपोके जरिये, जो उस बक्त दक्षिण अफ्रीकामे मौजूद थे, पहचा तो उसके अंदर अनुतापका उदय हुआ। स्वर्गीय सर हैनरी केम्पबेल बैनरमैनने अग्रेज जनताके हृदयको पहचाना और युद्धके विश्व

गर्जना की। स्वर्गीय श्रीस्टेडने प्रकट रूपसे ईश्वरसे प्रार्थना की कि वह इस युद्धमे अग्रेजोंको हँरा दे और दूसरोंको भी वैसा करनेकी प्रेरणा की। यह दृश्य अद्भुत था। सच्चा दुख सचाईके साप सहा जाय तो वह पथरके दिलको भी पानी कर देता है। यह है इस कष्ट-सहन अर्थात् तपस्थाकी महिमा और इसमे ही सत्याग्रहकी कुजी है।

इसका फल यह हुआ कि फ्रीनिखनकी सुलह हुई और दक्षिण अफ्रीकाके चारो राज्य एक शासन-प्रवंधके तीव्र आये। यद्यपि इस सुलहकी बात अखबार पढ़नेवाले हर हिंदुस्तानीको मालम है, फिर भी एक-दो बातें ऐसी हैं जिनकी कल्पनातक बहुतौको होना मुमकिन नही। फ्रीनिखनकी सुलह होते ही दक्षिण अफ्रीकाके चारों राज्य एकमे मिल गये हो सौ बात नही। हर एककी अपनी धारा सभा थी। उनका शासक मण्डल धारा सभाके सामने पूरे तौरपर जवाब-देह न था। द्रासवाल और फ्री स्टेटकी राज्य व्यवस्था 'काउन-कॉलोनी'—शाही उपनिवेश—के ढंगकी थी। ऐसे सकुचित अधिकारसे जनरल बोथा या जनरल स्मट्सको सतोष न हो सकता था। फिर भी लार्ड मिलनरने बिना दूल्हेको वरात निकालना मुनासिब समझा। जनरल बोथा और जनरल स्मट्स धारा सभासे अलग रहे। उन्होंने असहयोग किया। सरकारसे संबंध रखनेसे साफ इनकार कर दिया। लार्ड मिलनरने तीखा भाषण किया और कहा कि जनरल बोथाको यह मान लेनेकी जरूरत नही है कि यह सारा भार उन्हीके सिर है। राज्यव्यवस्था उनके बिना भी चल सकती है।

बोथोंकी वहादुरी, उनकी स्वतंत्रता, उनकी कूरवानीके बारेमे मैंने दिल खोलकर लिखा है। फिर भी पाठकोंके मनपर यह छाप डालनेका मेरा इरादा नही था कि संकटकालमे भी उनमे मतभेद नही हो सकता, या उनमे कोई कमजोर दिल-

वाला था ही नहीं। लाड़ मिलनर बोअरोमे भी सहजमें राजी हो जानेवाला दल खड़ा करसके और यह मान लिया कि इसकी मददसे मैं धारा सभाको चमका सकूगा। एक नाटक-कार भी मुख्य पात्र—नायक—के बिना अपने नाटकको सुंदर नहीं बना सकता। फिर इस कठोर संसारमें राजकाज चलानेवाला आदमी प्रधान पात्रको भूल जाय और सफल होनेकी आशा रखे तो वह पागल ही कहा जायगा। सचमुच लाड़ मिलनर-की यही दशा हुई। यह भी कहा जाता था कि उन्होंने धमकी तो दे दी, पर जनरल बोथाके बिना ट्रॉसबाल और फ्री स्टेटका राज्य-प्रबंध चलाना उन्हे इतना कठिन हो गया कि अपने बगीचेमें अक्सर चितातुर और बदहवास दिखाई देते थे। जनरल बोथाने स्पष्ट शब्दोमें कह दिया कि फ्रीनिखनके सुलहनामेका अर्थ मैंने तो साफ तौरपर यही समझा था कि बोअर लोगोंको अपनी भीतरी अवस्थाका परामूर्ति अधिकार तुरंत मिल जायगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा न होता तो मैं कभी उसपर दस्ताखत न करता। लाड़ किचनरन इसके जवाबमें कहा कि मैंने जनरल बोथाको इस तरहका कोई विश्वास नहीं दिलाया था। बोअर जनता ज्यों-ज्यों विश्वासकी अविकारिणी सिद्ध होती जायगी त्यों-त्यों उन्हें स्वतंत्रता मिलती जायगी। अब इन दोनोंके बीच कौन इंसाफ करे? कोई किसीको पंच मान लेनेकी बात कहे तो भी जनरल बोथाको वह क्यों मंजूर होने लगी? इस अवसरपर वही सरकारने जो न्याय किया वह उसको संपूर्ण रीतिसे छोड़ा देनेवाला था। उसने यह मंजूर किया कि विपक्षने—उसमें भी निर्वल पक्षने—समझौतेका जो अर्थ समझा हो वह अर्थ सबल पक्षको स्वीकार करना ही चाहिए। न्याय और सत्यकी नीतिसे तो सदा यही अर्थ ठीक होता है। अपने कथनका मैंने अपने मनमें चाहे जो अर्थ रखा हो, फिर भी मुझे मानना चाहिए कि उसका जो असर सुनने या पढ़नेवालेके मनपर पड़ता हो उसी अर्थमें

मैंने अपनी बात कही या लेख लिखा। इस सुनहले नियमका पालन हम व्यवहारमें अकसर नहीं करते, इसीसे बहुतसे विवाद पैदा होते हैं और सत्यके नामपर अर्धसत्य—बहस्तुत डेढ़ असत्य—काममें लाया जाता है।

इस प्रकार जब सत्यकी—यानी यहा जनरल वोथाकी, पूरी विजय हुई तब वे काममें जुट गये। इसके फलस्वरूप सब राज्य डकृठे हो गये और दक्षिण अफ्रीकाको सपाँ स्वाधीनता मिल गई। उसका भड़ा युनियन जैक है। नैकोमे इस प्रदेशका रग लाल है। फिर भी दक्षिण अफ्रीका पूरे तौरपर स्वतंत्र है, यह माननेमें तनिक भी अतिशयता नहीं है। ब्रिटिश सामाज्य दक्षिण अफ्रीकाका कारवार करनेवालोकी रजभदीके बिना वहासे एक पाई भी नहीं ले सकता। इतना ही नहीं, ब्रिटिश मन्त्रियोने स्वीकार कर दिया है कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश भंडेको उतार फेकना और नामसे भी स्वतंत्र हो जाना चाहे तो उसे कोई रोकनेवाला नहीं है। और अगर वहाके गोरोने अबतक ऐसा कदम नहीं उठाया तो इसके सबल कारण है। एक तो यह कि बोअर जनताके नेता चतुर और समझदार हैं। ब्रिटिश सामाज्यके साथ इस तरहकी साझेदारी या सबध, जिसमें खुद उन्हे कुछ भी खोना न पड़े, वे रखें तो इसमें कोई दोष नहीं। पर इसके सिवा दूसरा व्यावहारिक कारण भी है। और वह यह कि नेटालमें अग्रेजोकी सख्ता अधिक है। केप कालोनी-में अग्रेजोकी सख्ता अधिक है, पर बोअर लोगोसे ज्यादा नहीं हैं और जोहान्सबर्गमें केवल अग्रेजोका ही प्रभाव है। इसलिए बोअर जाति सारे दक्षिण अफ्रीकामें स्वतंत्र प्रजातंत्र राज्य स्थापित करना चाहे तो यह धरमे ही भगड़ा खड़ा कर लेना है और शायद गृहयुद्ध भी भड़क उठे। इसीसे दक्षिण अफ्रीका आज भी ब्रिटिश उपनिवेश कहलाता है।

यूनियनका विधान किस तरह बना यह भी जानने लायक

वात है। चारों राज्योंकी धारा सभाओंने एकमत होकर यनियन सयुक्तराज्यका विधान बनाया। विटिंग पाल्मिट-कौं उसे अक्षरश स्वीकार कर लेना पड़ा। आम सभाके एक सदस्यने उसके एक व्याकरण-दोषकी और ध्यान खीचकर गलत शब्द निकाल देनेकी सलाह दी। स्वर्गीय सर हेनरी कैम्पबेल वैनरमैनने इस सुभाषको नामंजूर करते हुए कहा कि राज्य-व्यवस्था शुद्ध व्याकरणसे नहीं चला करती। यह विधान विटिंग मत्रिमहल और दक्षिण अफ्रीकाके मंत्रियोंमें मशवरा होकर तैयार हुआ है। उसका व्याकरण-दोपतक दूर करनेका अधिकार विटिंग पाल्मिटके लिए नहीं रखा गया है। फलत यह विधान ज्यो-का-त्यों आम-सभा और उभराव सभा दोनोंको मजूर करना पड़ा।

इस प्रस्तुतमे एक तीसरी वात भी उल्लेखनीय है। विधान-मे किंतनी ही धाराएँ ऐसी हैं जो तटस्थ व्यक्तिको अवश्य बेकार मालम होनी। उनके कारण खर्च भी बहुत बढ़ा है। यह दोष विधान बनानेवालेकी दृष्टिके बाहर नहीं था, पर उनका उद्देश्य पूर्णता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि कुछ घट-बढ़कर एकमत होना और अपने प्रयत्नको सफल करना था। इसीसे इस वक्त यनियनकी चार राजधानियाँ मानी जाती हैं, क्योंकि उपराज्योंमेंसे कोई भी अपनी राजधानीका महत्व छोड़ देनेको तैयार नहीं है। चारों राज्योंकी स्थानीय धारा सभाएँ भी कायम रखी गई हैं। चारों राज्योंको गवनर-जैसा कोई अधिकारी भी चाहिए ही। इससे चार प्रातीय जासक स्वीकार किए गये हैं। हर आदमी समझता है कि चार स्थानीय धारा सभाएँ, चार राजधानियाँ और चार हाकिम वकरीके गलेके स्तरकी तरह निरर्थक और निरे आडवरहूप हैं। पर दक्षिण अफ्रीकाके व्यवहारकृशल राजनीतिज्ञोंने इसकी परवा न की। इस प्रबंधमे आडवर था और खर्च

के लिए क्यों वंचे ? और जबतक पक्के, बारहमासी मजदूर न मिले तबतक अंग्रेज अपना अभीष्ट सिद्ध न कर सकते थे । अतः उन लोगोंने भारत-सरकारके साथ लिखा-पढ़ी गुरु को और हिंदुस्तानसे मजदूरोंकी मदद मांगी । भारत-सरकार ने नेटालकी मांग मंजूर की और हिंदुस्तानी मजदूरोंका पहला जहाज १८५० की १६ वीं नवंबरको नेटाल पहुंचा । दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके इतिहासमें यह तारीख महत्व पूर्ण है, क्योंकि इस पुस्तक और इसके विषयका मूल इसी घटनामें है ।

मेरे विचारसे भारत-सरकारने यह मांग मंजूर करनेमें भलीभांति सोचा-विचारा नहीं । यहाके अंग्रेज अधिकारी जानेवेजाने नेटालके अपने भाइयोंको और भुके । अवश्य ही जहांतक हो सकता था, मजदूरोंके वचावकी शर्तें उन्होंने इकरारनामेमें दाखिल करा दी और उनके खाने-पीनेका सामान्य सुभीता भी करा दिया; पर यो दूर देशको गये हुए अपढ़ मजदूरोंपर कोई कष्ट पड़े तो वे उससे कैसे छुटकारा पा सकेंगे, इसका पूरा खयाल तो उन्हे नहीं रहा । उनके धर्मका क्या होगा, अपनी नीतिकी रक्खा वे कैसे करेंगे, इसका तो विचार भी नहीं किया गया । अधिकारियोंने यह भी न सोचा कि गो काननमें गुलामी उठ चुकी है, पर मालिकोंके दिलसे तो दूसरोंकी गुलाम बनानेका लोभ अभी नहीं भिटा है । उन्हे यह समझना चाहिए था; पर उन्होंने नहीं समझा कि ये मजदूर दूर देशमें जाकर एक वंची मुद्दतके लिए गुलाम हो जाएंगे । सर विलियम विलसन हृष्टरने, जिन्होंने इस स्थितिका गहरा अध्ययन किया था, इसकी तुलना करते हुए दो शब्दों या शब्दसमूहका व्यवहार किया था । नेटालके ही भारतीय मजदूरोंके बारेमें लिखते हुए एक वार उन्होंने लिखा कि यह आधी गुलामीकी स्थिति है । दूसरे बक्त अपने पत्रके अंदर उन्होंने

इसका वर्णन यह कहकर किया कि यह स्थिति गुलामीकी हृदके पास पहुंच रही है—उससे मिलती-जुलती है। नेटालके एक कमीशनके सामने गवाही देते हुए वहाँके बड़े-से-बड़े यूरोपियन—स्वर्गीय श्री एस्कवने भी यही बात कवूल की। ऐसे बहुतसे सबत तो नेटालके अग्रगण्य गोरोके मुहसे—उनके बयानोंसे ही दिए जा सकते हैं। उन बयानोंमें से अधिकाश उस अरजीमें जामिल कर लिए गये हैं जो इस बारेमें भारत सरकारके पास भेजी गई थी। पर होनहार होकर ही रही और जो स्टीमर इन मजदूरोंको नेटाल ले गया वह सत्याग्रहके महान् वृक्षका बीज भी अपने साथ ले गया।

मजदूरोंको नेटालके दलाल हिंदुस्तानियोंने किस तरह ठगा, कैसे उनके जालमें⁴ फ़सकर ये लोग नेटाल पहुंचे, वहा पहुंचनेपर उनकी आंखे कैसे खुली, आख खुल जानेपर भी वे नेटालमें क्यों बने रहे, कैसे उनके पौछे दूसरे भी बहां पहुंचे, वहा पहुंचकर उन्होंने धर्म और नीतिके सारे वधन कैसे तोड़ फेके अथवा ये वधन खुद टूट गये, कैसे विवाहिता पत्नी और बेघाके बीचका भेदतक नहीं रहा, इस सबकी कहानी तो इस छोटी-सी पुस्तकमें लिखी ही नहीं जा सकती।

इन मजदूरोंको नेटालमें एग्रिमेटमें गये हुए मजदूर कहते हैं। इससे ये अपने आपको 'गिरमिटिया' कहने लगे। इसलिए आगेसे हम 'एग्रिमेट'को 'गिरमिट' और उसके अंदर गये हुए मजदूरोंको 'गिरमिटिया' कहेंगे।

नेटालमें गिरमिटियोंके जानेकी खबर जब मारिशस पहुंची तब इस तरहके मजदूरोंमें सबध रखनेवाले हिंदुस्तानी व्यापारी वहा जानेको ललचाये। मारिशस नेटाल और हिंदुस्तानके बीचमें पड़ता है। उस देशमें हजारों हिंदुस्तानी मजदूर और व्यापारी बसते हैं।

उनमेंसे एक व्यापारी स्वर्गीय सेठ अबूबकर आमदने नेटालमें दुकान खोलनेका इरादा किया । इस वक्त नेटालके अग्रेजोंका हिंदुस्तानी व्यापारी क्या कर सकते हैं, इसका पता नहीं था, इसकी परवा भी नहीं थी । गिरमिटियोंकी मददसे वे ईख, चाय, कहवे वर्गहकी नफा देनेवाली फसल उपजा सके । ईखकी शकर बनाकर इतने थोड़े समयमें छोटे पैमानेपर दक्षिण अफ्रीकाको ये शकर, चाय और कहवा देने लगे कि देखकर अचरज हो । अपनी कमाईसे उन्होंनें महल खड़े किये और सचमुच जंगलमें मंगल कर दिया । ऐसे समय सेठ अबूबकर-सरीखा अच्छा, भला और चतुर व्यापारी उनके बीचमें जा वसे तो यह उन्हे क्यों न खटकता ? फिर इनके साथ तो एक अग्रेज भी साथी हो गया ! सेठ अबूबकरने अपना व्यापार चलाया, जमीन खरीदी और उनके अच्छा पैसा कमानेकी स्वर उनके बतन पोरवंदर और उसके आसपासके गांवोंमें फैली । फलत, दूसरे भेमन नेटाल पहुंचे । उनके पीछे सूरतकी ओरके बोहरे भी पहुंचे । उन्हे मुनीम तो चाहिए ही । अतः गुजरात, काठियावाड़के हिंदू मुनीम भी बहां पहुंच ।

इस प्रकार नेटालमें दो वर्गके हिंदुस्तानी बसे : १. स्वतंत्र व्यापारी और उनके स्वतंत्र कस्त्यारी और २. गिरमिटिया । कुछ दिनोंमें गिरमिटियोंके बाल-बच्चे हुए । गिरमिटियोंका नानाके अनुसार उनकी सतान यथापि मज़हूरी करनेके लिए बंधी नहीं थी, फिर भी इस कानूनकी कुछ कठोर धाराओंके अधीन तौ थी ही । गुलामीका दाग गुलामकी औलादको लगे बिना कैसे रहता ? ये गिरमिटिया पांच वरसके इकरारपर जाते थे । पांच साल पूरे हो जानेपर वे मज़हूरी करनेको बघे नहीं थे । उन्हें खुली मज़हूरी या व्यापार करना और नेटालमें स्थायी रूपसे वसना हो तो इसका उन्हे हक था । कुछने इस अधिकार-

का उपयोग किया, कुछ हिंदुस्तान लौट आये। जो नेटालमें रह गये वे 'फ्री इंडियंम' कहलाने लगे। हम उन्हे 'गिरमिट मुक्त' या थोड़ेमे 'मुक्त हिंदुस्तानी' कहते। इस अंतरको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जो अधिकार पूर्ण स्वतंत्र भारतीय, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, भोग रहे थे वे सभी इस वधनसे मुक्त हुए हिंदुस्तानियोंको प्राप्त नहीं थे। जैसे उन्हे एकसे दूसरी जगह जाना हो तो उनके लिए परवाना लेना जरूरी था। वे व्याह करे और चाहते हो कि वह कानूनसे जायज माना जाय तो जरूरी था कि गिरमिटियोंकी रक्खाके लिए नियुक्त अधिकारी (प्रोटेक्टर आव इंडियन इमिग्रेट्स) के दफूतरमे जाकर उसे दर्ज कराये, आदि। इनके सिवा दूसरे भी कठोर अंकुश उनपर थे।

ट्रांसवाल और फ्री स्टेटमे १८८०-९० मे बोअर लोगोके प्रजातन्त्र राज्य थे। प्रजातन्त्र राज्यका अर्थ भी यहां स्पष्ट कर देना जरूरी है। प्रजातन्त्र याती गोरातन्त्र। हवशी जनताका उसमे कुछ लेना-देना हो ही नहीं सकता था। हिंदुस्तानी व्यापारियोंने देखा कि हम केवल गिरमिटिया और गिरमिट-मुक्त हिंदुस्तानियोंमे ही अपना रोजगार कर सकते हो ऐसी बात नहीं है। हम हवशीयोंके साथ भी व्यापार कर सकते हैं। हवशी लोगोके लिए हिंदुस्तानी व्यापारी बड़े सुभीतेकी चीज सावित हुए। गोरे व्यापारियोंसे वे बहुत ज्यादा ढरते थे। गोरा व्यापारी उनके साथ व्यापार करना तो चाहता था; पर हवशी ग्राहक उससे यह आशा रख ही नहीं सकता था कि वह मौठी जबानसे उसे बुलायेगा। अपने पैसेके बदलेमे पूरा माल पा जाता तो वह घन्य भाग समझता। पर कुछको यह कड़वा अनुभव भी हुआ कि चार शिर्लिंगकी चीज लेनी है और दुकानदारके सामने एक पौँडका सिक्का रख दिया; पर उसे १६ के बदले ४ शिर्लिंग ही वापस मिले या कुछ भी न मिल।

गरीब ग्राहक अधिक मांगे, हिसावकी गलती दिखाये तो वदलेमे गंदी गालियां पाए। इतनेसे ही छूट जाय तो भी गनीभत समझिये, नहीं तो गालीके साथ ब्रसा या लात भी मिलती। मेरे कहनेका यह मतलब हर्गिज नहीं कि सभी अंग्रेज व्यापारी ऐसा करते हैं। पर ऐसी भिसाले काफी तादादमें मिलती है, यह तो जरूर कहा जा सकता है। इसके विपरीत हिंदुस्तानी व्यापारी हवशी ग्राहकको मीठी बोलीसे तो बुलाता ही है, उसके साथ हँसकर बात भी करता है। हवशी भोला होता है। वह चाहता है कि दुकानके अदर जाकर चीजोंको देखे-भाले। हिंदुस्तानी व्यापारी इस सवको सह लेता है। यह शही है कि वह परमार्थ दृष्टिसे ऐसा नहीं करता, इसमे उसकी स्वाधीनिष्ठा होती है। भौका मिल जाय तो हिंदुस्तानी व्यापारी हवशी ग्राहकको ठगनेसे भी नहीं चूकता; पर हवशियोंमें भारतीय व्यापारीकी प्रियताका कारण उसकी मिठास—उसका मधुर व्यवहार है। फिर हवशी हिंदुस्तानी व्यापारीसे डरता तो कभी नहीं। उलटी ऐसी भिसाले भौजद है कि किसी हिंदुस्तानी दुकानदारने हवशी ग्राहकको ठगनेकी कोशिश की और वह जान गया तो उसके हाथों उस व्यापारी-की मरम्मत भी हो गई। गालियां तो उसे अकसर मिला करती हैं। इस प्रकार हवशी और हिंदुस्तानीके संबंधमें डरनेका कारण हिंदुस्तानीके लिए ही होता है। अंतमे इसका फल यह हुआ कि भारतीय व्यापारीके लिए हवशियोंकी ग्राहकी बहुत लाभजनक सिद्ध हुई। हवशी तो सारे दक्षिण अफ्रीकामें फैले हुए हैं ही। हिंदुस्तानी व्यापारियोंने सुन रखा था कि ट्रांसवाल और फ्री स्टेट्से बोअर लोगोंके बीच भी व्यापार किया जा सकता है। बोअर सीधे, भोले और दिखावेसे दूर रहनेवाले होते हैं। हिंदुस्तानीकी दुकानसे सौदा खरीद नहीं उन्हें शर्म नहीं लगती। अतः कितने ही हिंदुस्तानी व्यापा-

रियोने ट्रासवाल और फी स्टेटकी ओर भी पथान किया। उन्होंने वहा दुकाने खोली। उन दिनों वहा रेले आदि नहीं थी। इसलिए खब अधिक नफा मिल सकता था। व्यापारियोंका खयाल सही निकला। बोअरो और हबशियोंमें उनका माल खब बिकने लगा। रह गई केप कॉलोनी। वहा भी कितने ही हिंदुस्तानी व्यापारी पहुँच गये और अच्छी खासी कमाई करने लगे। इस प्रकार छोटी-छोटी सख्ताओंमें चारों उपनिवेशोंमें हिंदुस्तानी बट गये और तत्काल समस्त स्वतंत्र भारतीयोंकी तादाद चालीससे पचास हजारके बीच और गिरमिटमुक्त हिंदुस्तानियोंकी एक लाख होनेका अदाजा किया जाता है। ये गवितया लिखते समय इस सख्तामें मुमकिन है, कुछ कमी हुई हो, पर बेशी हरगिज नहीं हुई है।

: ४ :

मुसीबतोंका सिंहावलोकन—१

नेटाल

नेटालके गोरे मालिकोंको महज गुलाम दरकार थे। एस मजदूर वे नहीं चाहते थे, जो नौकरी करनेके बाद आजाद होकर उनके साथ थोड़ी-सी भी प्रतियोगिता कर सके। ये गिरमिटिया गो इसीलिए नेटाल गये थे कि हिंदुस्तानमें अपनी खेती-बारी आदिमे वहुत सफल नहीं हो सके थे, फिर भी ऐसे नहीं थे कि खेतीका कुछ भी ज्ञान न रखते हो या जमीन और खेतीकी कीमत न समझते हो। उन्होंने देखा कि नेटालमें अगर हम साग-भाजी भी बोये तो अच्छी उपज कर सकते हैं और अगर जमीनका एक छोटा-सा टुकड़ा भी ले ले तो उससे और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अतः वहुतसे गिरमिटिया

जब नौकरीके बंधनसे मुक्त हुए तब कोई-न-कोई छोटा-भोटा धंधा करने लगे गये। इससे कुल मिलाकर तो नेटाल-जैसे देशमें वसनेवालोंको लाभ ही हुआ। अनेक प्रकारकी साग-सब्जियाँ जो कुशल किसानोंके अभावके कारण अवृतक पैदा नहीं होती थी अब उपजने लगी। जो चीजे जहाँ-तहाँ थोड़ी-बहुत उपजती थीं वे अब अधिक मात्रामें मिलने लगी। इससे साग-सब्जीका भाव एकवार्ती गिर गया। पर यह बात पैसेवाले गोरोंको न रुची। उन्होंने सोचा कि आजतक जिस चीजको हम अपना इजारा¹ मानते थे उसमें अब हिस्सा बटाने-वाले पैदा हो गए। इससे इन गरीब गिरमिटियोंके विश्व आदोलन आरम्भ हुआ। पाठकोंको यह जानकर अचरज होगा कि गोरे एक और तो ज्यादा-से-ज्यादा मजबूर मांग रहे थे, हिंदुस्तानसे जितने गिरमिटिया आते वे तुरंत खप जाते, और दूसरी ओर जो मजबूर गिरमिटिसे मुक्त होते जाते उनपर तरह-तरहके अकूश रखनेके लिए आदोलन चल रहा था। यह था उनकी होशियारी और जीतोड़ मेहनतका मुआवजा !

आदोलनने कितने ही रूप धारण किये। एक पक्षने यह मांग पेश की कि जो गिरमिटिया गिरमिटिसे मुक्त हो चुके हैं वे हिंदुस्तान लौटा दिए जाय और पूराना इकरारनामा बदलकर नया इकरारनामेमें नये आनेवाले मजबूरोंसे यह शांत लिखा ली जाय कि गिरमिटिसे मुक्त होनेपर वे या तो हिंदुस्तान लौट जाएंगे या फिरसे गिरमिटिमें दाखिल हो जाएंगे। दूसरे पक्षने यह मत प्रकट किया कि गिरमिटिसे छुटकारा पानपर वे नया इकरारनामा लिखना पसद न करे तो उनसे भारी वासिक 'व्यक्ति-कर' लिया जाय। दोनों दलोंका मतलब तो एक ही था कि जैसे भी हो गिरमिटियावर्ग किसी भी दशामें नेटाल-

¹एकाधिकार।

में स्वतंत्र होकर न रह सके । कोलाहल इतना बढ़ा कि अंतमें नेटालकी सरकारने एक कमीशन नियुक्त कर दिया । दोनों पक्षोंकी माग सोलह आने गैरवाजिव थी और गिरमिटियोंकी उपस्थिति आर्थिक दृष्टिसे सपूर्ण जनताके लिए सब प्रकार लाभदायक थी । इसलिए कमीशनके सामने जो स्वतंत्र गवाहिया हुईं वे उक्त दोनों पक्षोंके विरुद्ध थीं । फलत् तात्कालिक परिणाम तो विरुद्ध पक्षकी दृष्टिसे कुछ भी न हुआ, पर जैसे आग बुझ जानेके बाद अपना कुछ निशान छोड़ ही जाती है, वैसे ही यह आदोलन भी नेटाल सरकारपर अपनी छाप छोड़ गया । नेटालकी सरकारके मानी थे खासतौरसे धनिक वर्गकी हिमायती सरकार । अतः भारत-सरकारके साथ उसका पत्र-च्यवहार आरम्भ हुआ और दोनों पक्षोंके सुभाव उसके पास भेजे गए । पर हिंद सरकार यकायक ऐसा सुभाव कैसे स्वीकार कर सकती थी, जिससे गिरगिटिए हमेशाके लिए गुलाम बन जाते ? हिंदुस्तानियोंका गिरमिटमे वाधकर इतनी हूर भेजनेका एक कारण या बहाना यह था कि गिरमिट-की मियाद पूरी होनेपर गिरगिटिए आजाद होकर अपनी शक्तिका पूर्ण विकास और उस अनुपातसे अपनी आर्थिक स्थितिको सुधार सकेंगे । नेटाल इस दक्त भी 'क्राउन कॉलोनी (जाही उपनिवेश) था और ऐसे उपनिवेशोंके शासन-प्रबन्धके लिए उपनिवेश विभाग भी पूरी तरह जिम्मेदार माना जाता था । इसलिए नेटालको अपनी अन्याय-पूर्ण हच्छा पूरी होनेमें उससे मदद नहीं मिल सकती थी । इससे और ऐसे ही दूसरे कारणोंसे नेटालमें उत्तरदायी धासनाधिवार प्राप्त करनेका बांदोलन आरंभ हुआ । १८९३ में यह अधिकार उसे मिल गया । अब नेटालमें बल आया । उपनिवेश-विभागके लिए भी अब नेटालकी मागोंको, वे वैसी ही क्यों न हों, मंजूर कर लेना अविक कठिन नहीं रहा । नेटालको इस नई यानी जवाब-लेना अविक कठिन नहीं रहा ।

वे ह सरकारकी ओरसे हिंदुस्तानकी सरकारसे मशवरा करनेके लिए राजदूत भेजे गए । उनकी मांग यह थी कि हर एक गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानीपर २५ पौँड यानी ३७५ रु० का वार्षिक व्यक्ति-कर लगाया जाय । इसके मानी यह होते थे कि कोई भी हिंदुस्तानी मजदूर यह कर अदा न कर सके और फलतः आजाद होकर नेटालमें न रह सके । तत्कालीन बाइसराय लाई एलिगनको यह प्रस्ताव बहुत भारी लगा और अंतमें उन्होंने ३ पौँडका वार्षिक व्यक्ति-कर मंजूर किया । गिरमिटियाकी कमाईके हिसावसे तीन पौँडके मानी उसकी लगभग दो महीनेकी कमाई होते थे । यह कर केवल मजदूरपर ही नहीं था । उसकी स्त्री, तेरह वरससे उपरकी लड़की और सोलहसे उपरके लड़केको भी देना था । ऐसा मजदूर शायद ही हो जिसके स्त्री और दो बच्चे न हों । अतः भोटे हिसावसे हीर मजदूरको १२ पौँड वार्षिक कर बदा करना था । यह कर कितना कष्टदायक हो गया, इसका वर्णन नहीं हो सकता । उस दुखको केवल वही जान सकता है जिसने उसका अनुभव किया हो, या थोड़ा बहुत वह समझ सकता है जिसने उस अपनी आँखों देखा हो । नेटाल सरकारके इस कायंका भारतीय जनताने कसकर विरोध किया । वडी (ब्रिटिश) और भारत-सरकारके पास अजियां भेजी गईं । पर इस आंदोलनका नतीजा इससे अधिक और कछ न निकला कि २५ के ३ पौँड हो गए । गिरमिटिया बेचारे खुद तो इस मामलेमें क्या कर सकते थे ? आंदोलन तो महज हिंदुस्तानी व्यापारीकर्गने देशके दर्दसे कहिये या परार्थ दृष्टिसे किया था ।

जो सलूक गिरमिटियोंके साथ किया गया वही स्वतंत्र भारतीयोंके साथ भी हुआ । नेटालके गोरे व्यापारियोंने उनके खिलाफ भी मुख्यतः इन्हींकारणोंसे आंदोलन चलाया । हिंदुस्तानी व्यापारी अच्छी तरह जम गए थे । उन्होंने नगरक अच्छे

भागोमे जमीने खरीद ली थी। गिरमिटसे छोटे हुए हिंदुस्तानियोंकी आवादी ज्यो-ज्यो बढ़ती गई त्यो-त्यो उनको दरकार होनेवाली चीजोंकी खपत अच्छी होने लगी। हजारो बोरा चावल हिंदुस्तानस आता और अच्छे नफेपर बिकता। यह व्यापार अधिकाशमे और स्वभावत हिंदुस्तानियोंके हाथमे रहा। उधर हवशियोंके साथ होनेवाले व्यापारमे भी उनका हिस्सा अच्छा खासा हो गया। छोटे गोरे व्यापारियोंसे यह देखा न गया। इसके सिवा इन व्यापारियोंको कुछ अग्रेजोंने ही यह बताया कि कानूनके अनुसार उन्हे नेटालकी धारा सभाके सदस्य होने और चुननेका हक है। मताधिकारियोंकी सूचीमे कुछ नाम भी दर्ज कराये थे। नेटालके राजकाजी गोरे इस स्थितिको न सह सके। उन्हे यह चिंता हो गई कि यो हिंदुस्तानियोंकी स्थिति नेटालमे ढूढ़ हो गई और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी तो उनकी प्रतियोगितामे गोरे कैसे टिक सकेंगे? अत नेटालकी जवाबदेह सरकारने स्वतत्र भारतीयोंके बारेमे जो पहला कदम उठाया वह था ऐसा कानून बना देना जिससे एक भी नया हिंदुस्तानी बोटर यो मताधिकारी न हो सके। १८९४ मे इस विषयका पहला बिल नेटालकी धारा सभामे पेश किया गया। इस बिलका मता था हिंदुस्तानीको हिंदुस्तानीकी हैसियतसे बोट देनेके हक्से वचित कर देना। यह पहला कानून था जो नेटालमे रग-भेदको आधारपर भारतीयोंके विरुद्ध बनाया गया। भारतीय जनताने विरोध किया। रातोरात अरजी तैयार हुई। उसपर चार सौ आदमियोंसे दस्तखत कराये गए। इस अरजीके पहुचते ही धारा सभा चौकी, पर बिल तो पास होकर ही रहा। उन दिनों लाई रिपन उपनिवेश-सचिव थे। उनके पास अरजी भेजी गई। उसपर दस हजार हस्ताक्षर थे। दस हजार हस्ताक्षरके मानी हुए नेटालमे आजाद हिंदुस्तानियोंकी लगभग सारी

आवादी। लाईं रिपनने विलको नामजूर किया। उन्होने कहा कि व्रिटिश साम्राज्य कानूनमें रगभेदको स्वीकार नहीं कर सकता। यह जीत कितने महत्वकी थी, पाठक हस्त आगे चलकर अधिक समझ सकेगे। इसके जवाबमें नेटालकी सरकारने नया विल पेण किया। इसमें रग-भेद नहीं रखा गया, पर अप्रत्यक्ष रीतिसे चोट तो हिंदुस्तानियोपर ही थी। हिंदुस्तानी जनता इसके विरुद्ध भी लड़ी, पर उसका विरोध विफल हुआ। यह कानून दोषर्थी था। उसका पक्का अर्थ करानेके लिए वह आखिरी अदालत यानी प्रिवी-कौसिलतक लड़ सकती थी, पर लड़ना ठीक नहीं समझा गया। मेरा अब भी ख्याल है कि न लड़ना ठीक ही हुआ। मूल वस्तु मान ली गई, यही क्या कम था।

पर नेटालके गोरो या वहाकी सरकारको इतनेसे' संतोष होनेवाला नहीं था। हिंदुस्तानियोकी राजनीतिक शक्ति जमने न देना तो एक बहुत जरूरी काम था ही, पर उनकी आंख असलमें तो भारतीय व्यापार और स्वतंत्र भारतीयोके आगमनपर थी। तीस करोड़की आवादीवाला हिंदुस्तान नेटाल-की ओर उलट पढ़े तो वहाके गोरोकी क्या दण होगी? वे तो इस समझमें बिलीन हो जाएंगे। इस आशकासे वे बेचेन हो रहे थे। उस वक्त नेटालकी आवादी मोटे हिसाब से यह थी ४ लाख हजारी, ४० हजार गोरे, ६० हजार गिरमिटिए, १० हजार गिर-मिट-मुक्त और १० हजार स्वतंत्र भारतीय। गोरोके ढरके लिए कोई ठीस कारण तो था ही नहीं, पर डरे हुए आदमीको दलीलसे समझाया नहीं जा सकता। हिंदुस्तानकी असहाय स्थिति और उसके रस्म-रिवाजसे वे अनजान थे। इससे उनको यह भ्रम हो रहा था कि जैसे साहसी और शक्तिमान हम हैं वैसे ही हिंदुस्तानी भी होगे और इस कारण उन्होने केवल वैराग्यिकका हिसाब कर लिया। इसलिए उनको दोप कैसे दिया जा

सकता है ? जो हो, नतीजा यह हुआ कि नेटालकी धारा सभाने जो दो दूसरे कानून पास किए उनमें भी मताधिकारकी लड़ाईमें हिंदुस्तानियोंकी जीत होनेके फलस्वरूप रण-भेदको दूर रखना पड़ा और गर्भित भाषासे काम निकालना पड़ा । इसकी बदौलत स्थिति थोड़ी-वहुत सम्फूली रह सकी । हिंदुस्तानी कौम इस मौकेपर भी खूब लड़ी, फिर भी कानून तो पास होकर ही रहे । एक कानूनके जरिये भारतीयोंके व्यापारपर कठोर अंकुश रखा गया, दूसरेके द्वारा उनके प्रवेश-पर । पहले कानूनका आदाय यह था कि कानूनद्वारा नियुक्त अधिकारीकी अनुमतिके बिना किसीको भी व्यापारका पर-वाना न मिले । व्यवहारमें यह स्थिति थी कि कोई भी गोरा जाकर अनुमति-पत्र पा सकता था । पर भारतीयको वह बड़ी कठिनाईसे मिलता । उसमें बकील वगैरहका तो सच्च करना ही पड़ता । फलत कच्चे और कमजोर दिलचाले तो बिना परवानेके ही रह जाते । दूसरे कानूनकी खास शर्त यह थी कि जो हिंदुस्तानी यूरोपकी किसी भी भाषामें प्रवेशका प्रार्थनापत्र लिख सके वही प्रवेशकी अनुमति पाये । अर्थात् करोड़ों हिंदुस्तानियोंके लिए तो नेटालका दरवाजा बिल्कुल ही बद हो गया । जान या अनजानमें मुझसे नेटालके साथ अन्याय न हो जाय, इसलिए मुझे यह बता देना चाहिए कि जो भारतीय इस कानूनके पास होनेके तीन साल पहलेसे नेटालमें घर बनाकर रहता हो वह अगर नेटाल छोड़कर हिंदुस्तान या और कहीं जाय और फिर लौटे तो, वह अपनी स्त्री और नाबालिंग वच्चोके साथ, यूरोपकी कोई भाषा न जाननेपर भी दाखिल हो सकता था । इनके अतिरिक्त गिरभिटियों और स्वतन्त्र भारतीयोंपर दूसरी भी कितनी ही कानूनी और वेकानूनी रुकावटे थीं और बबतक हैं । पर पाठकोंको उन्हें सुनीनेकी जरूरत मुझे नहीं दिखाई देती ।

जितना विवरण इस पुस्तकका विषय समझानेके लिए जरूरी है उतनी ही मैं देना चाहता हूँ। दक्षिण अफ्रीकाके हर एक राज्यके हिंदुस्तानियोंकी हालतका इतिहास बहुत लदा होगा, यह तो हर पाठक समझ सकता है, पर ऐसा इतिहास देना इस पुस्तकका उद्देश्य नहीं है।

: ५ :

मुबसीतोंका सिंहावलोकन—२

ट्रांसवाल और दूसरे उपनिवेश

जैसा नेटालमें हुआ वैसा ही कमोवेन दक्षिण अफ्रीकाके दूसरे उपनिवेशोंमें भी हुआ। १८८० के पहलेसे ही हिंदुस्तानियोंको नफरतकी निगाहसे देखना शुरू हो गया और केप कॉलोनीको छोड़कर और सभी उपनिवेशोंमें यह वारणा हो गई थी कि हिंदुस्तानी भजदूरके रूपमें तो बहुत अच्छे हैं। पर बहुतरे गोरोंके मनमें यह बात पक्के तौरसे बैठ गई थी कि स्वतंत्र भारतीयोंसे तो दक्षिण अफ्रीकाकी हानि ही है। ट्रांसवाल प्रजातंत्र राज्य था। उसके अध्यक्षके सामने हिंदुस्तानियोंका यह कहना कि हम निटिश प्रजा कहलाते हैं, अपनी हँसी करना था। हिंदुस्तानियोंको कोई भी शिकायत करनी हो तो वे निटिश दूतके ही पास कर सकते थे। पर ऐसा होते हुए भी अचरजकी बात यह थी कि ट्रांसवाल जब निटिश साम्राज्यसे बाहर था उस बक्त निटिश दूत जो मदद कर सकता था वह मदद जब ट्रांसवाल निटिश साम्राज्यके अंदर भान लिया गया, विलकुल बंद हो गई। जब लाड़ मोर्ले भारत मंत्री थे और ट्रांसवालके हिंदुस्तानियोंकी बकालत करनेके लिए एक प्रतिनिधि मंडल उनके पास गया तब उन्होंने साफ

कह दिया कि “उत्तरदायी—स्वराज्य भोगी—सरकारोपर बड़ी (साम्राज्य) सरकारका काव वहुत ही थोड़ा होता है। स्वतंत्र राज्यको वह लडाईकी धमकी दे सकती है, उससे लडाई कर भी सकती है; पर उपनिवेशोके साथ तो महज मशविरा ही किया जा सकता है। उनके साथ हमारा सबध कच्चे धागेसे जुड़ा हुआ है। जरा ताना कि टटा। बल्से तो काम लिया ही नहीं जा सकता। कलसे—युक्तसे—जो कुछ कर सकता हूँ वह सब करनेका विश्वास आपको दिलाता हूँ।” द्रासवालके साथ जब लडाई छिड़ी तब लाडं लैसडाउन, लाडं सेलवर्न आदि ब्रिटिश अधिकारियोने कहा था कि भारतीयोंकी दुखद स्थिति भी इस युद्धका एक कारण है।

अब हम इस दुखके प्रकरणको देखें। द्रासवालमे हिंदुस्तानी पहले-पहल १८८१ ई० मे दाखिल हुए। स्वर्गीय सेठ अबूबकरने द्रासवालकी राजधानी प्रिटोरियमे दुकान खोली और उसके एक खास महल्लेमे जमीन भी खरीदी। इसके बाद दूसरे व्यापारी भी एक-एक करके वहां पहुँचे। उनका व्यापार खूब तेजीसे चला तो गोरे व्यापारियोके दिलमे डाह पैदा हुई। अखवारोमे हिंदुस्तानियोके खिलाफ लेख लिखे जाने लगे। धारा सभाको अर्जिया भेजी गई, जिनमे हिंदुस्तानियोको निकाल बाहर करने और उनका व्यापार बद करा देनेकी प्रार्थनाए की गई। इस नए देशमे गोरोकी धन-तृष्णाकी कोई हद न थी। नीति-अनीतिका भेद वे शायद ही समझते हो। धारा सभाको उन्होने जो आवेदनपत्र भेजा था उसके अंदर इस तरहके वाक्य है—“ये लोग (हिंदुस्तानी व्यापारी) मानवी सम्यता क्या चीज है यह जानते ही नहीं। वे बदचलनीसे पैदा होनेवाले रोगोसे सड़ रहे हैं। हरएक स्त्रीको वे अपना शिकार समझते हैं और उन्हे आत्मा-रहित मानते हैं।” इन चार वाक्योमे चार मूठ भरे हैं। ऐसे नमूने

बीसियों पेश किए जा सकते हैं। जैसी जनता, वैसे ही उसके प्रतिनिधि। हमारे व्यापारी भाइयोंको इसकी क्या खबर कि उनके विद्युत केंद्र बेहूदा और अन्याय-भरा आन्दोलन चल रहा है? अखबार वे पढ़ते न थे। अखबारी और अजियोंके आदोलनका असर धारा सभा पर हुआ और उसमे एक विल पेश किया गया। इसकी खबर प्रमुख भारतीयोंके कान तक पहुँची तो वे चौके। वे राष्ट्रपति कूमारके पास गए। दिवांगत राष्ट्रपतिने तो उन लोगोंको घरके अदर कदम भी न रखने दिया। बांगनमें ही खड़ा करके उनकी बात थोड़ी बहुत सुननेके बाद कहा—“आप लोग तो इस्माईल्सकी ओलाद हैं, इसलिए आप लोग इंसोकी ओलादकी गुलामी करनेके लिए ही पैदा हुए हैं। हम इंसोकी ओलाद माने जाते हैं। इसलिए हमारी बराबरीका हक तो आपको मिल ही नहीं सकता। हम जो हक दे रहे हैं उसीसे आपको संतोष मानना चाहिए।” इस जवाबमे द्वेष या रोष था, यह हम नहीं कह सकते। राष्ट्रपति कूमारकी शिक्षा ही इस प्रकार-की थी कि बचपनसे ही बाइबिलके पुराने इकरारनामे (ओल्ड टेस्टामेंट) मे कही हुई वाते उन्हे सिखाई गई और वह उनपर

‘इब्राहीम (२२५०-२१०० ई० पू०)के बड़े और अभिशाप वेटे, जो उनकी कनिष्ठा पत्ती (दासी) हाजरासे पैदा हुए थे। ज्येष्ठा पत्ती सारा के पेटसे इसहाकका जन्म होनेपर, उसके कहनेसे, इब्राहीम हाजरा और इस्माईलको उस जगह से जाकर छोड़ आये, जहाँ अब भक्ता नगर है। भुसलमान हजरत ड्राहीमके समान इन्हें भी पैगंबर मानते हैं। अखका प्रमुखतम कवीला कुरेश, जिसमे हजरत मुहम्मदका जन्म हुआ था, इन्हींकी ओलाद माना जाता है। ईसो, इसहाकके सबसे बड़े वेटे थे। बाइबिलके सूप्तिसङ्गमे इनकी कथाएं विस्तारसे दी हुई हैं। —शनू०

विश्वास करने लगे। जो आदमी जैमा मानता हो वैसा ही सच्चे दिलसे कहे तो इसमें उसको कौन दोष दे सकता है? किर भी इस सरलतामें रहनेवाले अजानका बुरा असर तो होता ही है और नतीजा यह हुआ कि १८८५ में बहुत कड़ा कानून घारा ज्ञानमें जल्दी-जल्दी पास किया गया, मानी हजारों हिन्दुस्तानी ट्रांसवालमें घुमकर लूट मचानेके लिए तैयार वैठे हो! प्रमुख भारतीयोंकी प्रेरणासे इस कानूनके खिलाफ ग्रिटिंग राजदूतको कदम उठाना पड़ा। मामला उपनिवेश सचिव तक पहुंचा। इस कानूनके अनुसार ट्रासवालमें दाखिल होनेवाले हरएक हिन्दुस्तानीको २५ पौंड देकर अपनी रजिस्ट्री करानी पड़ती और वह एक इंच भी जमीन न ले सकता। चुनावमें मत देनेका अधिकारी तो वह हो ही नहीं सकता था। यह सारी बात इतनी अनुचित थी कि ट्रासवालकी सरकारको बचावके लिए कोई दलील ही नहीं सूझती थी। ट्रासवाल सरकार और बड़ी सरकारके बीच एक सुलहनामा हुआ था जिसे 'लंडन कन्वेंशन' कहते थे। उसमें ग्रिटिंग प्रजाक अधिकारोंकी रक्षा करनेकी एक धारा—१४वी—थी। इस धाराके आधारपर बड़ी सरकारने इसके जवाबमें यह दलील दी कि हमने जो कानून बनाया है, बड़ी सरकार पहलेसे उसको स्पष्ट या गर्भित सम्मति दे चुकी है।

यो उभयपक्षमें मतभेद होनेसे मायला पंचके पास गया। पंचका पंगु फैसला हुआ। उसने दोनों पक्षोंको राजी रखने-की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तानियोने यहाँ भी कुछ खोया ही। लाभ इतना ही हुआ कि अधिक खोनेके बदले कम खोया। पंचके इस फैसलेके अनुसार १८८६ में कानूनमें सुधार हुआ। उसके अनुसार रजिस्ट्रीकी फीस २५ पौंडके

वजाय ३ पौँड लेना तथ हुआ और जमीन जो कही भी खरीद और रख न सकनेकी कड़ी शर्त थी उसके बदले यह निश्चय हुआ कि ट्रांसवालकी सरकार जिस हल्के, महल्ले, वाड़में तै कर दे उसीमे हिंदुस्तानी जमीन ले सके। इस दफ्तरपर अमल करानेमें भी ट्रांसवाल सरकारने दिल्में चोर रखा। अतः ऐसे महल्लोंमें भी जरखरीद जमीन लेनेका हक तो नहीं ही दिया। हर शहर-कसबेमें जहा हिंदुस्तानी बसते थे, वे महल्ले नगरसे बहुत दूर और गंदी-से-गंदी जगहोंमें रहे गए। वहां पानी-रोशनीका सुभीता कम-से-कम था, पाखानोंकी सफाईका हाल भी वही था। यानी हम हिंदुस्तानी ट्रांसवालके 'पचम' बन गए और कह सकते हैं कि इन महल्लों और हिंदुस्तानके भंगी-वाडोंमें कुछ भी फक़ न था। लगभग यह स्थिति हो गई कि जैसे हूँ भंगी-चमारको छुने और उनके पड़ोसमे बसनेसे 'अपविन्द्र' हो जाता है वैसे ही भारतीयके स्पर्श या पड़ोससे गोरा नापाक हो जाता ! फिर इस १८८५ के तीसरे कानूनका ट्रांसवालकी सरकारने यह अर्थ किया कि हिंदुस्तानी व्यापार भी इन महल्लोंमें ही कर सकते हैं। यह अर्थ सही है या नहीं, इसके निर्णयका अधिकार पचने ट्रांसवालकी अदालतोंको ही दे रखा था। इसलिए भारतीय व्यापारियोंकी स्थिति अति विप्रभ हो गई। फिर भी कही वात-चीत बलाकर, कही मुकदमे लड़कर, कही सिफारिशसे काम लेकर भारतीय व्यापारी अपनी स्थितिकी रक्षा समुचित रीतिसे कर सके। बोअर-यूद्ध आरंभ होनेके समय ट्रांसवालमें भारतीयोंकी ऐसी दुखद और अनिश्चित स्थिति थी।

अब हम की स्टॉटकी दशा देखें। वहां दस-पंद्रहसे अधिक हिंदुस्तानी दुकानें नहीं खुलवाई थीं कि गोरोने जबदंस्त आदालन उठा दिया। वहांकी धारा सभाने चौकसीसे काम करके खतरेकी जड़ ही काट दी। उसने एक कड़ा कानून

पास करके और नुकसानका नगण्य मुआवजा देकर, हरएक हिंदुस्तानी डुकानदारको फी स्टेट्से निकाल बाहर किया। इस कानूनके अनुसार कोई हिंदुस्तानी व्यापारी, जमीनके मालिक या किसानकी हैसियतसे फी स्टेट्में नहीं रह सकता था। चुनावमे भी यह सकता था। खास तौरसे डिजाजत हासिल करके मजदूर या होटलके 'बेटर' (खिदमतगार) के रूपमें रह सकता था! यह इजाजत भी हरएक प्रार्थीको मिल ही जाय, सो वात नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि फी स्टेट्में कोई प्रतिष्ठित भारतीय दो-चार दिन रहना चाहे तो भी बड़ी कठिनाईसे ही रह सकता था। बौअर-युद्धके समय वहा कोई चालीस हिंदुस्तानी बेटरों के सिवा और कोई हिंदुस्तानी नहीं था।

केप कॉलोनीमे यद्यपि हिंदुस्तानियोके खिलाफ थोड़ा आदोलन होता रहता था, स्कलो आदिमे भारतीय वालकका प्रवेश नहीं हो सकता, होटली वर्गरहमे हिंदुस्तानी मूसाफिर जायद ही उत्तर सकता—इस तरहके हिंदुस्तानियोकी अद्वैतेलना करनेवाले वरताव तो वहा भी होते थे, फिर भी व्यापार करने और जमीन रख सकनेके बारेमें कोई रुकावट वहुत दिनोतक वहा नहीं थी।

ऐसा होनेके कारण मुझे बता देने चाहिए। एक तो, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, केपटाउनमे खासतौरसे और सारी केप कॉलोनीमे आमतौरसे मलायी लोगोकी आवादी अच्छी खासी तादादमे थी। मलायी लोग खुद मुसलमान हैं। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानोके साथ तुरत उनकी राह-रस्स्म हो गई और उनके जरिये दूसरे हिंदुस्तानियोसे भी थोड़ी-वहुत तो हो ही गई। इसके सिवा कुछ हिंदुस्तानी मुसलमानोने मलायी स्त्रियोंसे व्याह भी कर लिया। मलायीके खिलाफ किसी तरहका कायदा-कानून केपकी सरकार कैसे बना

सकती थी ? उनकी तो केप कॉलोनी जन्मभूमि है । उनकी भाषा भी डच है । डच लोगोंके साथ ही वे शुरूसे ही रहते आ रहे हैं । अत रहन-सहनमें भी उनकी बहुत नकल करने लगे हैं । इन कारणोंसे केप कॉलोनीमें सदा कम-से-कम वर्णद्वेष रहा है । इसके सिवा केप कॉलोनी सबसे पुराना उपनिवेश और दक्षिण अफ्रीकाका शिक्षण-केन्द्र है । इससे वहाँ प्रौढ़, विनयशील और उदारहृदय गोरे भी पैदा हुए । मैं तो मानता हूँ कि यूनियनमें एक भी ऐसी जगह और एक भी जाति ऐसी नहीं है जहाँ या जिसमें उपर्युक्त अवसर मिले और संस्कार ढाले जाय तो सुन्दर-से-सुन्दर मानव-पृष्ठ उत्पन्न न हो सकते हो । दक्षिण अफ्रीकामें सौभाग्यसे मूँह सभी जगह इसकी मिसाले दिखाई दी; पर केप कॉलोनीमें ऐसे पूर्णपोका अनुपात बहुत बढ़ा है । उनमें सर्वाधिक विद्यात और विद्वान् श्री मेरीमैन हैं, जो दक्षिण अफ्रीकाके गलैडस्टन कहे जाते हैं और केप कॉलोनीके प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं । श्री मेरीमैनके बराबर नहीं तो उनसे दूसरे दरबेपर विराजने-वाला है सूर्यों आइनर परिवार, और मोल्टीनो परिवारका भी वही पद है । आइनर घरानेमें कानूनके भशहूर हिमायती श्री डब्ल्यू० पी० आइनर^१ हो गए हैं । वह एक समय केप कॉलोनीके मात्रिमण्डलमें भी रह चुके हैं । उनकी वहाँ कॉलिव

^१ श्रीमेरीमैन १८७२में केप कॉलोनीमें उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित होनेके बाद उसके हूरएक मणिमण्डलके सदस्य रहे और १८१०में जब यूनियनकी स्थापना हुई तो अतिम मणिमण्डलके प्रधान थे ।

^२ सुर जात मोल्टीनो १८७२ के प्रथम मणिमण्डलमें प्रधान मंत्री थे ।

^३ श्रीआइनर कुछ दिनोंतक एटर्नी-जनरल रहे और पीछे प्रधान मंत्री हुए ।

श्राइनर दक्षिण अफ्रीकाकी लोकप्रिय विदुपी थी और जहा-जहाँ अग्रेजी भाषा बोली जाती है वहा-वहा विख्यात थी। मनुष्यम् त्रपर उनका प्रेम असीम था। आखोसे जब देखिए प्रेमका भरना ही भरता होता। इस वहनने जब 'झीम्स' (स्वप्न) नामक पुस्तक लिखी तबसे वह 'झीम्स' की लेखिकाके नामसे प्रसिद्ध होगई। इनकी सरलता इतनी थी कि ऐसे प्रतिष्ठित और प्रख्यात कुलकी तथा विदुपी होते हुए भी घरके बरतनतक खुद माजा करती थी। श्री मेरीमैन और इन दोनों परिवारोने सदा हवशियोका पक्ष लिया। जब-जब उनके हक्कपर हमला होता, उनकी जबर्दस्त हिमायत करते। उनके प्रमकी धारा हिंदुस्तानियोकी और भी वहती थी, यद्यपि वे सभी हवशी और हिंदुस्तानीमें भेद करते थे। उनकी दलील यह थी कि हवशी दक्षिण अफ्रीकाके गोरोके आगमनसे पहलेके बांधिदे हैं, इसलिए गोरे उनके स्वाभाविक अधिकारोंको छीन नहीं सकते, पर हिंदुस्तानियोके बारेमें उनकी प्रतियोगिताका खतरा दूर करनेके लिए कोई कानून बनाया जाय तो यह विल-कूल अन्याय नहीं माना जायगा। फिर भी उनकी हमदर्दी हमेशा हिंदुस्तानियोके साथ रहती। स्वर्णीय गोपालकृष्ण-गोखले जब दक्षिण अफ्रीका पधारे तब उनके सम्मानमें वहा जो पहली सभा केप टाउनके टाउनहालमें हुई उसमें श्री श्राइनरने सभापतिका आसन ग्रहण किया था। श्री मेरीमैनने भी उनके साथ बड़े सौजन्य और विनयसे बातें की और हिंदुस्तानियोके साथ हमदर्दी जाहिर की। केप टाउनके अखबारोंमें भी और जगहके पत्रोंकी तुलनामें पक्षपातकी मात्रा वहूं कम थी।

श्री मेरीमैन आदिके बारेमें मैंने जो कुछ लिखा है वह दूसरे यूरोपियनोके विषयमें भी कहा जा सकता है। यहा तो मैंने मिसालके तौरपर उपर्युक्त सर्वमान्य नाम दे दिये हैं।

इन कारणोंसे यद्यपि केप कॉलोनीमें रंगद्वेष सदा कम रहा, फिर भी दक्षिण अफ्रीकाके शेष तीनों उपनिवेशोंमें जो हवा हर बक्त वहा करती थी उसकी गंध केप कॉलोनीमें पहुंचे ही नहीं, यह कैसे हो सकता था ? अतः वहाँ भी नेटालके जैसे भारतीयोंके प्रवेश और व्यापारके लिए परवानेकी शर्त लगा देनेवाले कानून पास हुए । यों कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीकाका दरवाजा जो हिंदुस्तानियोंके लिए विलकुल खुला हुआ था, बौअर-युद्धके समय वह लगभग बद हो गया था । ट्रॉसवालमें उनके प्रवेशपर ऊपर बताये हुए तीन पौडके करके सिवा और कोई रोक न थी । पर जब नेटाल और केप कॉलोनीके बंदरगाह उनके लिए बद हो गए तब बीचमें पड़नेवाले ट्रॉसवालको जानेवाले हिंदुस्तानी कहा चतरे ? एक रास्ता था—पुर्णीजोका डेलगोआवे बंदर । पर वहाँ भी जिटिश उपनिवेशोंकी कमोवेश नकल की गई । इतना कह देना चाहिए कि बहुत कठिनाहस्या उठाकर या रिशवत देकर नेटाल और डेलगोआवेके रास्ते भी इकूके-दुकूके हिंदुस्तानी ट्रॉसवाल पहुंच पाते थे ।

: ६ :

भारतीयोंने क्या किया ?—१

भारतीय जनताकी स्थितिका विचार करते हुए पिछले प्रकरणोंमें हम अशत देख चुके हैं कि उसपर होनेवाले हमलोंका उसने किस तरह सामना किया, पर सत्याग्रहकी उत्पत्तिकी कल्पना पाठकोंको भली भांति हो सके इसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनताकी सुरक्षाके विषयमें किये गए प्रयत्नोंपर एक अलग प्रकरण लिखा जाय ।

१८९३ ई० तक दक्षिण अफ्रीकामे ऐसे स्वतंत्र और यथेष्ट शिक्षा प्राप्त भारतीय थोडे ही थे जो भारतीय जनताके लिए लट सके। अग्रेजी जाननेवाले हिंदुस्तानियोमे मुख्यत कळक और मुनीम थे। वे अपना काम चलाने भर अग्रेजी जानते थे, पर अजिया आदि उनसे नहीं लिखी जा सकती थी। फिर उन्हें अपने मालिकको सारा कवत देना ही चाहिए था। इनके सिवा अग्रेजी पढ़ा हुआ दूसरा वर्ग उन हिंदुस्तानियोका था जो दक्षिण अफ्रीकामे ही पैदा हुए थे। इनमे अधिकांश गिरमिटियोकी संतान थे और उनमें से बहुतेरे जिन्होने थोड़ीसी योग्यता भी प्राप्त कर ली हो, कचहरीमे दुभावियाकी सरकारी नौकरी करते थे। अतः जातिकी उनसे बटी-से-बटी सेवा, हमदर्दी दिखानेके सिवा और क्या हो सकती थी? इसके सिवा गिरमिटिया और गिरमिटमुक्त दोनों मुख्यत सयुक्त प्रान्त और मद्राससे आये हुए हिंदुस्तानी थे। स्वतंत्र भारतीय थे गुजरातके मुसलमान और वे खास तौरसे व्यापारी थे। हिंदू अधिकाश कलकं-मुनीम थे, यह हम पीछे देख चुके हैं। इनके अतिशिक्त थोडे पारसी भी व्यापारी और कलकं वर्गमे थे। पर सारे दक्षिण अफ्रीकामे पारसियोकी आवादी ३०-४० से अधिक होनेकी संभावना न थी। स्वतंत्र व्यापारी वर्गमे चीथी जमात थी सिधके व्यापारियोकी। सारे दक्षिण अफ्रीकामें दो सौ या इससे कुछ अधिक सिधी होगे। कह सकते हैं कि उनका व्यापार हिंदुस्तानके बाहर जहा कही भी वे वसे हैं वहा एक ही तरहका होता है। वे 'फैसी गुड्स'के व्यापारी कहे जाते हैं। 'फैसी गुड्स'के मानी हैं रेशम, जरी वर्गरहकी चीजें, ववडंके वने जीठम, चन्दन और हाथी दातके नक्काशीदार सदूक वर्गरह घरकी सजावट। इसी तरहका सामान वे खास तौरसे बेचते हैं। उनके गाहक ज्यादातर गोरे ही होते हैं।

गिरमिटियोंको गोरे 'कुली' कहकर ही पुकारते हैं। कुलीके मानी हैं वोझ ढोनेवाला। यह नाम इतना चल गया है कि गिरमिटिया सुदूर भी अपने आपको 'कुली' कहते नहीं हिचकता। पीछे तो यह नाम भारतीयमात्रको मिल गया। सैकड़ों गोरे हिंदुस्तानी बकील और हिंदुस्तानी व्यापारीको क्रमशः 'कुली बकील' और 'कुली व्यापारी' कहा करते। इस विशेषणके व्यवहारमें कोई दोष है, इसे कितने ही गोरे तो मानते या जानते भी नहीं; पर वहुतेरे तो तिरस्कार प्रकट करनेके लिए ही 'कुली' शब्दका उपयोग करते। इससे स्वतंत्र भारतीय अपने आपको गिरमिटियोंसे भिन्न बतानेका यत्न करते हैं। इस तथा जिन्हे हम हिंदुस्तानसे ही साथ ले जाते हैं उन कारणोंसे भी स्वतंत्र भारतीय वर्ग और गिरमिटिया तथा गिरमिटमुक्त वर्गके बीच दक्षिण अफ्रीकामें भेद किया जा रहा था।

इस दुखके दरियाके सामने वांध बननेका काम स्वतंत्र हिंदुस्तानी व्यापारियों और खास तौरसे मुसलमान व्यापारियोंने अपने ऊपर लिया। पर गिरमिटियों या गिरमिटमुक्त हिंदुस्तानियोंको साथ लेनेकी कोशिश इरादेके साथ नहीं की गई। यह बात उस बक्त शायद सूझी भी नहीं। सूझती भी तो उन्हें साथ लेनेसे काम बिगड़नेका ही डर होता। दूसरे मुख्य आपत्ति तो स्वतंत्र व्यापारी वर्गपर ही है, यह सोचा गया। इसलिए बचावके प्रयत्ननें ऐसा संकुचित रूप धारण किया। इन स्वतंत्र व्यापारियोंमें अंग्रेजीके ज्ञानका अभाव था। हिंदुस्तानमें उन्हें सार्वजनिक कामोंका अनुभव नहीं हुआ था, पर इन कठिनाइयोंके होते हुए भी कह सकते हैं कि उन्होंने मसी-बत्तका सामना डटकर किया। उन्होंने यरोपियन बकीलोंकी भद्र ली, अजियाँ तैयार कराईं, जव-तब शिष्ट-मण्डल भी ले गए और जहा-जहा बन पड़ा और सूझा बहा-बहा अन्यायसे

लोहा लिया । यह स्थिति १८९३ ई० तक थी ।

इस पुस्तकको अच्छी तरह समझनेके लिए पाठकोंको कुछ मुख्य तिथिया याद रखनी होगी । पुस्तकके अंतमे मुख्य घटनाओंका तारीखबार परिशिष्ट दिया गया है । उसे वे समय-समयपर देख लिया करेंगे तो इस युद्धका रहस्य और रूप समझनेमें मदद मिलेगी । १८९३ तक फ्री स्टेटमे हमारी हस्ती मिट चुकी थी । ट्रासवालमे १८८५का तीसरा कानून जारी था और नेटालके अदर यह विचार चल रहा था कि कैसे केवल गिरमिटिया हिंदुस्तानी ही वहां रह सकें, दूसरे निकाल वाहर किए जाएं, और इस उद्देश्यसे उत्तरदायी शासनव्यवस्था प्राप्त कर ली गई थी ।

१८९३ ई० के अप्रैल महीनेमें मैं दक्षिण अफ्रीका जानेके लिए हिंदुस्तानसे रवाना हुआ । गिरमिटियोंके पिछले इतिहासका मुझे कुछ भी ज्ञान न था । मैं केवल स्वार्थ बुद्धिसे गया । पोरवंदरके मेमन लोगोंकी दादा अब्दुल्लाके नामकी एक मशहूर कोठी डर्वनमें कारवार करती थी । उतनी ही प्रसिद्ध और उसकी प्रतिस्पर्द्धी कोठी पोरवंदरके हूसरे मेमन तैयब हाजी खान मुहम्मदके नामकी प्रिटोरियामे थी । दुभापियवश दोनों प्रतिस्पर्द्धियोंके बीच एक बड़ा मुकदमा चल रहा था । दादा अब्दुल्लाके एक साथीने, जो पोरवंदरमें थे, सोचा कि मुझे जैमा नौसिखिया फिर भी बैरिस्टर वहा चला जाय तो मुकदमा लड़नेमें उन्हें कुछ ज्यादा सहायित होगी । मुझसा निपट अनजान और अनाडी बकील उनका काम विगाढ़ देगा, इमका डर उन्हे नहीं था । कारण कि मुझे कुछ अदालतमें जाकर काम करना नहीं था । मुझे तो महज उन बुरंधर बकील-बैरिस्टरोंको, जो उन्होंने नियुक्त कर रखे थे, मामला समझा देना यानी दुभापियका काम करता था । मुझे नए अनुभव प्राप्त करनेका शौक था । मुसाफिरी रुचती

थी। वैरिस्टरके रूपमें दलालको कमीशन देना जहरसा लगता था। काठियावाड़की साजिशोंमें मेरा दम घुटता था। एक ही बरसके बंधनपर जाना था। मैंने सोचा कि मेरे लिए तो इस इकरारनामेमें कुछ भी अड़चन नहीं है। हानि तो है ही नहीं; क्योंकि मेरे जाने-आने और रहनेका सच्चं दादा अब्दुल्ला ही है। इसके अलावा १०५ पौँडका मेहनताना भी भिलता। मेरे स्वर्गीय बड़े भाईकी मारफत ये सारी बातें तै हूँ थी। मेरे लिए तो वह पिता तुल्य थे। उनकी रजामंदी मेरी रजामंदी थी। उन्हे मेरे दक्षिण अफ्रीका जानेकी बात पसंद आई और १८९३ है० के मई महीनेमें मैं छव्वंन जा पहुँचा।

वैरिस्टरकी बात तो पूछली ही क्या ? मैं अपनी सभभके अनुसार बढ़िया फॉक-कोट इत्यादि डाटकर शानसे बहाज्से उतरा। पर उत्तरते ही मेरी आँखे कुछ-कुछ खुल गईं। दादा अब्दुल्लाके जिस साझीके साथ बात हूँ थी उसने जो वर्णन मुझे सुनाया था वह तो मुझे उलटा ही दिखाई दिया। इसमें उसका कोई दोष न था। यह था उसका भोलापन, सरलता और परिस्थितिका अन्तान। नेटालमें हिंदुस्तानियोंको जो-जो तकलीफे भुगतानी पड़ती थी उन सबका उसे पता नहीं था। और जिन बतावियोंमें हमारा तीव्र अपमान था वे उन्हें अपमानकारक नहीं जान पड़े थे; पर मेरी आँखोंने तो पहले ही दिन यह देख लिया कि गोरोंका बताव हमारे साथ बहुत ही अशिष्ट और अपमानकर है।

नेटाल पहुँचनेके १५ दिनके अंदर ही कचहरियोंमें मुझे जो कहवे अनुभव हुए, देनके अंदर जो कष्ट उठाने पड़े, रास्तेमें जो मार साइं, होटलमें जगह पानेमें जो कठिनाई हुईं, वल्कि जगह पाना लगभग नामुमकिन था—इस सबका वर्णन में यहाँ नहीं कहूँगा। इतना ही कहूँगा कि ये सारे अनुभव मेरी रग-रग में समा गए। मैं तो सिफ़ै एक मुकदमेके लिए गया था,

स्वार्थ और कुतूहलकी दृष्टिसे, इसलिए इस पहले वर्षमें तो मैं इन दुखोंका साक्षी और अनुभवकर्ता मान्य रहा। मेरे धर्मका पालन यहीसे आरम्भ हुआ। मैंने देखा कि स्वार्थ-दृष्टिसे दक्षिण अफ्रीका मेरे लिए वेकार मुल्क है। जहाँ अपमान होता हो वहाँ रहकर पैसा कमाने या सैर-सपाटा करनेका लोभ मुझे तनिक भी न था। यही नहीं, इससे अत्यन्त अरुचि थी। मेरे सामने धर्मसकट खड़ा हो गया। मेरे सामने दो रास्ते थे। एक यह कि जिस स्थितिको मैं जान नहीं सकता था उसे अब जान लिया। इसलिए दादा अब्दुल्लाहके साथ किए हुए इकरारनामेसे छुटकारा प्राप्तकर भाग जाऊ। दूसरा यह कि चाहे जो संकट सहने पड़े सहूँ और अगीकृत कामको पूरा करूँ। कड़ाकेंकी ठड़मे भारित्सवर्ण स्टेशनपर रेलवे पलिसके घक्के खाकर, यात्रा स्थगित कर और ट्रेनसे उत्तरकर, बैटिंग रूममें बैठा था। मेरा सामान कहा है, इसकी खबर मुझे न थी। किसीसे पूछनेकी हिम्मत भी नहीं होती थी। कहीं फिर अपमान हो, मार खानी पड़े तो? ऐसी दशामें, ठड़से कापते हुए नीद कहाँसे आती। मन चक्करदार भूलेपर सबार हुआ। बड़ी रातको निश्चय किया, “निकल भागना तो नामर्दी है, लिए हुए कामको परा करना ही चाहिए। व्यक्तिगत अपमान सहना पड़े, मार खानी पड़े, तो सह और खाकर भी प्रिटोरिया पहुँचना ही चाहिए।” प्रिटोरिया मेरे लिए केंद्र स्थान था। मुकदमा वही चल रहा था। अपना काम करते हुए कोई उपाय हो सके तो करूँ। यह निश्चय कर लनेपर मनको कुछ शांति हुई, हृदयमें कुछ बल भी आया। पर मैं सो तो नहीं ही सका।

सबेरा होते ही मैंने दादा अब्दुल्लाहकी कोठी और रेलवेके जनरल मैनेजरको तार किया। दोनों जगहसे जवाब भी आ गया। दादा अब्दुल्ला और उनके उस वक्त नेटालमें

रहनेवाले साभी सेठ अब्दुल्ला हाजी आदम भवेरीने फौरन सब प्रवध कर दिया । भिन्न-भिन्न स्थानोंमें अपने हिंदुस्तानी आठ-तियोंको मेरी फिक रखनेके लिए तार किए । जनरल मैनेजरसे मी मिले । आठतीयोंको मेरे हुए तारके फलस्वरूप मारित्सवगंके भारतीय व्यापारी आकर मुझसे मिले । उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि आपके जैसे कड़वे अनुभव हम सबको हो चुके हैं । पर हम इसके आदी हो गये हैं, इसलिए इसकी परवा नहीं करते । व्यापार करना और नाजुक दिल रखना दोनों बातें साथ कैसे चल सकती हैं ? इसलिए पैसेके साथ-साथ अपमान भी मिले तो उसे भी बक्समें धर लेनेका नियम हमने स्वीकार कर लिया है । उन्होंने मुझे यह भी बताया कि इस स्टेशनपर हिंदुस्तानियोंको सदर दरवाजेसे आनेकी मनाही है और टिकट लेनेमें भी उन्हें बड़ी कठिनाई होती है । उसी रातमें जो ट्रेन आई उससे मैं रवाना हो गया । मेरा निश्चय ठीक था या नहीं, इसकी परीक्षा अत्यर्थीने पूरे तौरपर की । प्रिटोरिया पहुंचनेके पहले मुझे और अपमान सहने पड़े और मार वर्दाश्त करनी पड़ी । पर इस सबका मेरे मनपर यही असर हुआ कि मेरा निश्चय और पक्का हो गया ।

यो १८९३ मे मुझे अनायास दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयों-की स्थितिका सच्चा अनुभव हो गया । वैसा अवसर आनेपर प्रिटोरियाके भारतीयोंके साथ मैं इस विषयमें वातचीत करता, उन्हें समझाता भी, पर इससे अधिक मैंने कुछ नहीं किया । मुझे ऐसा जान पड़ा कि दादा अब्दुल्लाके मुकदमेकी पैरवी करना और दक्षिण अफ्रीकाके हिंदुस्तानियोंके दुखके निवारणकी चिता करना, ये दोनों बातें साथ नहीं चल सकती । मैंने देखा कि दोनोंको साधनेकी कोशिशमें दोनों जाएंगे । इस पर्व करते-करते १८९४ आ पहुंचा । मुकदमा भी खतम हो

गया । मैं डर्वन लौटा । देश लौटनेकी तैयारी की । दादा अब्दुल्लाने मेरी विदाईके लिए एक जलसा भी किया । उसमे किसीने डर्वनके 'मर्करी' अखवारका एक पच्चा मेरे हाथमें दिया । उसमे धारा सभा नेटाल असेंवलीकी कारवाईके विवरणमे कुछ पक्तिया मैने 'भारतीय मताधिकार' (इडियन फेचाइज) उपर्युक्तिके नीचे पढ़ी । सरकारकी ओरसे उसमे एक विल पेश किया गया था जो हिंदुस्तानियोको धारा सभाको चुनावमे मत देनेके अधिकारसे वचित करता था । मैने देखा कि हिंदुस्तानियोके सारे हक छीन लेनेकी यह शुरूआत है । उस मौकेपर किये गए भाषणोमे ही यह डरादा स्पष्ट था । जलसेमे आये हुए सठो आदिको मैने वह खबर पढ़कर सुनाई । जितना समझाते वना समझाया भी । सारी हकीकत तो मैं जानता नहीं था । मैने उन्हे सलाह दी कि हिंदुस्तानियोको इस हमलेका सामना डटकर करना चाहिए । उन्होने भी इस वातको कबूल किया, पर कहा कि इस तरहकी लडाई हमारे लड़े नहीं लड़ी जा सकती और मुझसे रुक जानेका आग्रह किया । मैने यह लडाई लड़ने तक, यानी महीने दो महीने, रुक जाना मजूर किया । उसी रात धारा सभाको भेजनेके लिए अर्जी तैयार की । विलके और बाच्चन मुल्तवी रखनेके लिए तार भेजा गया । तुरत एक कमेटी बनाई गई । उसके अध्यक्ष सेठ अब्दुल्ला हाजी बनाये गये । तार उन्हींके नामसे भेजा गया । विलकी कारवाई दो दिन रुकी रही । दक्षिण अफ्रीकाकी धारा सभाओं-मेंसे नेटालकी धारा सभामे हिंदुस्तानियोका यह पहला आवेदनपत्र था । उसका असर तो अच्छा हुआ, पर विल पास हुआ ही । उसका अंत क्या हुआ, यह तो चौथे प्रकरणमे बता चुका हूँ । इस तरह लड़नेका बहा हिंदुस्तानियोका यह पहला अनुभव था । इससे उनमे खूब जोश पैदा हुआ । रोज सभाए होती और

अधिकाधिक लोग उनमें सम्मिलित होते। इस कामके लिए जितना चाहिए था उससे अधिक पैसा इकट्ठा हो गया। नकल करने, दस्तखत लेने आदिके कामोंमें मदद करनेके लिए विना पैसा लिए और पासका पैसा लगाकर काम करनेवाले भी बहुसंख्यक स्वयंसेवक मिल गये। गिरफ्तारीमुक्त हिंदुस्तानियोंकी सतान भी इस काममें उत्साहके साथ शामिल हुईं। ये सभी अंग्रेजी जानेवाले और सुदर अक्षर लिखनेवाले युवक थे। उन्होंने नकले तैयार करने आदिका काम रात-दिनका व्यापार न कर बड़े उत्साहसे किया। एक महीनेके अंदर ही दस हजार हस्ताक्षरों वाला आवेदनपत्र लाड़ रिपनके पास भेज दिया और मेरा तात्कालिक काम पूरा हुआ।

मैंने विदा मारी; पर भारतीय जनताको इस संघर्षमें इतना रस मिलने लगा था कि अब वह मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उसने कहा—“आप ही तो हमें समझाते हैं कि हमे जड़मूलसे उखाड़ फेकनेका यह पहला कदम है। विलायतसे क्या जबाब आयेगा, इसे कौन जानता है? हमारा उत्साह आपने देख लिया। हम काम करनेको तैयार हैं। करना चाहते भी हैं। हमारे पास पैसा भी है। पर रास्ता दिखानेवाला न हुआ तो इतना किया-बरा बेकार हो जायगा। इसलिए हम तो मानते हैं कि कुछ दिन बहाँ और रह जाना आपका फज्ज़ है।” मुझे भी दिखाई दिया कि कोई स्थायी सुरक्षा हो जाय तो अच्छा है। पर यह कहा और किस तरह? उन लोगोंने मुझे तनखाह देनेकी बात कही, पर मैंने तनखाह लेनेसे साफ़ इनकार कर दिया। सावंजनिक कार्य बड़ी-बड़ी तनखाह लेकर नहीं हो सकता। फिर मैं तो नीव ढालेवाला था। रहना भी ऐसे ढगमें चाहिए कि उस वक्तके मेरे विचारोंके अनुसार वैरिस्टरको फवे और जातिको भी छोड़ा दे। अर्थात् खच्चे भी भारी था। लोगोंको दबाकर

उनसे ऐसा करके आदोलन बढ़ाना और इसके साथ-साथ अपनी रोजी भी कमा लेना, यह दो परस्पर विरोधी बातोंका समां होगा। इससे मेरी अपनी काम करनेकी शक्ति भी घट जायी। ऐसे अनेक कारणोंसे मैंने लोकमेवाके कार्यके लिए पैसा लेनेसे साफ इनकार कर दिया। पर मैंने यह सुझाव पेश किया कि आप लोगोंमेंसे बड़े व्यापारी अपनी बकालतका काम मुझे दे और इसके लिए मुझे पेशगी 'रिटेनर' दे तो मैं रुकनेको तयार हूँ। एक बरसका रिटेनर आप दे। एक बरस हम एक-दूसरेका अनुभव प्राप्त करे, सालभरके कामका हिसाब करके देखे और फिर ठीक जान पड़े तो आगे काम चलाए। इस सुझावका मवने स्वागत किया। मैंने बकालतकी सनदके लिए दरख्बास्त दी। वहांकी 'ला सोसायटी' अर्थात् बकील मडलने मेरी दरख्बास्तका विरोध किया। उनकी दलील एक ही थी कि नेटालके कानूनके मशक्के अनसार काले या गैहुए रगके लोगोंको बकालतकी सनद नहीं दी जा सकती। मेरी दरख्बास्त की हिमायत वहांके मशहूर बकील थी एस्कवने की, जो पहले एटर्नी जनरल थे और पीछे नेटालके प्रधान-मन्त्री हो गये थे। आमतौरपर लबे अरसेसे यह रिवाज चला आ रहा था कि बकालतकी सनदकी दरख्बास्त कानून-पटियोंमें जो अप्रणी हो वह विना मेहनतानेके अदालतकी सामने पेश करे। इसी प्रथाके अनुसार श्री एस्कवने मेरी बकालत मजूर की। वह दादा अब्दुल्लाके बड़े (सीनियर) बकील भी थे। बकील-मडलकी दलील वडी अदालत (सीनियर कोर्ट) ने रद्द करदी और मेरी दरख्बास्त मजर कर ली। यो बकील-मडलका विरोध विना चाहे मेरी हूँसरी प्रसिद्धिका कारण हो गया।

'बकील-बैरिस्टरको इस दृष्टिसे दिया हुआ पेशगी मेहनताना कि अरुरत पठनेपर काम लेनेका हक रहे।'

दक्षिण अफ्रीकाके अखवारोने वकील-मडलकी हँसी उड़ाई और कछने मुझे बधाई भी दी ।

जो कामचलाऊ कमेटी बनाई गई थी उसे स्थायी रूप दिया गया । मैंने कांग्रेसकी एक भी बैठक देखी तो नहीं थी, पर कांग्रेसके बारेमें पढ़ा था । हिंदके दादा (दादा भाई) के दशन कर चुका था । उनकी मैं पूजा करता था । अतः कांग्रेसका भक्त तो होना ही चाहिए था । उसके नामको लोकप्रिय बनानेका भी स्थाल था । नया जबान नया नाम क्यों ढूँढ़ने जाय ? फिर उसमें भूल कर बैठनेका भी भारी भय था । अतः मैंने सलाह दी कि कमेटी 'नेटाल इंडियन कांग्रेस' नाम ग्रहण करे । कांग्रेसके विषयमें अपना अधूरा ज्ञान अधूरी रीतिसे मैंने लोगोंके सामने रखा । १८९४ ई० के मई या जूनमें कांग्रेसकी स्थापना हुई । भारतीय सस्था और इस सस्थामें इतना अतर था कि नेटाल कांग्रेसकी बैठके बारहो मास हड़आ करती थी और जो सालमें कम-से-कम तीन पौँड व सके वही उसकां सदस्य हो सकता था । अधिक-से-अधिक तो जो कुछ भी दिया जाय वह सघन्यवाद स्वीकार किया जाता । पाच-सात सदस्य सालाना २४ पौँड देनेवाले भी निकल आए । १२ पौँड देनेवालोंकी तादाद तो काफी थी । एक महीनेके अंदर कोई तीन सौ सदस्योंके नाम दर्ज हो गये । हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि जितने घरों और प्रान्तोंके लोग वहाँ थे उसमें शामिल हुए । पहले वरसभर काम बड़े जोशसे चला । सेठ लोग निजकी सवारियाँ लेकर हड़-दूरके गावोंमें नये मेवर बनाने और चंदा इकट्ठा करने जाते थे । हर आदमी भागते ही पैसा नहीं दे देता था । उन्हें समझाना होता था । समझानेमें एक प्रकारकी राजनैतिक जिज्ञासा मिलती थी और लोग परिस्थितिसे परिचित होते थे । फिर हर महीने कम-से-कम एक बार तो कांग्रेसकी बैठक होती

ही थी। उनमें उम महीनेरा पार्ट-पार्टिका हिसाब मुनाया जाना और वह पाग होता। महीनेरे अंदर घटित सारी घटनाएँ भी सुनाई जाती और कार्बाई लिय ली जानी। नदस्य-गण जुदा-जुदा नदाल पूछते। नए कामोपर मशवरा होता। यह यह करने हुए जो कोई कभी ऐसी मधाओंमें नहीं बोलते थे वे करता बन जाने थे। भाषण भी शिष्टता, औचित्यका ध्यान रखकर ही करते थे। यह नारा हमारे लिए नया अनुभव था। लोगोंने उगमे बहुत रस लिया। इस बीच लाड-पिपके नेटालगा (मताधिकार हरण) विल नामजर कर देनेकी घबर आई। उनने लोगोंका हर्ष और आत्म-विश्वास दोनों बढ़े।

जैसे बाहर काम हो रहा था वैसे लोगोंके अदर काम करनेका आदोलन भी चल रहा था। हमारी रहन-महनके बारेमें मारे दक्षिण अफ्रीकामें गोरे जोखदार आदोलन कर रहे थे। हिंदुस्तानी बहुत गंदे हैं, कजूस हैं, जिस मकानमें व्यापार करते हैं उसीमें रहते भी हैं, उनके घर जैसे मांद हो, अपने आरामके लिए भी वे पैमा नहीं खर्च करते। ऐसे मैले, मक्खीचस लोगोंके साथ साफ-स्थरे, उदार और बहुत ज्यादा जरूरती बाले गोरे व्यापारमें कैमे प्रतियोगिता कर सकते हैं? यह उनकी हमेशाकी दलील थी। इससे घर साफ-सुथरा रखने, घर और दुकान अलग-अलग रखने, कपडे साफ रखने, बड़ी कमाईबाले व्यापारीको फवने लायक रहन-सहन रखने आदिके बारेमें भी काग्येसकी बैठकोंमें विवेचन और विवाद होता, सुझाव रखे जाते। कार्बाई सारी मातृभाषामें ही होती। इस सबसे लोगोंको अनायास कितनी व्यावहारिक शिक्षा और राजनीतिक काम-काजका कितना अनुभव मिल रहा था, पाठक इसे समझ सकते हैं। काग्येसके ही अंतर्गत गिरमिट-मुक्त हिंदुस्तानियोंकी सन्तान अर्थात् नेटालमें ही जन्मे हुए

बग्रेजी दोलनेवाले भारतीय युवकोंके सुभीतेके लिए एक शिक्षण-मंडल भी स्थापित किया गया । उसमे नामकी फीस रखी गई । मरुष उद्देश्य था उन नौजवानोंको इकट्ठा करना, उनमें हिन्दुस्तानके प्रति प्रेम उत्पन्न करना और उसका सामान्य ज्ञान करा देना । साथ ही यह हेतु भी था कि स्वतंत्र भारतीय व्यापारी उन्हें अपना ही समझते हैं । यह उन्हें दिखा दिया जाय और व्यापारीवर्गमें भी उनके लिए आदर उत्पन्न किया जाय । अपना खचं चलाते हुए भी कांग्रेसके पास एक बड़ी रकम इकट्ठी हो गई थी । उसकी जमीन खरीदी गई और इस जमीनकी आमदनी आजतक उसे मिला करती है ।

इन्होंने जानवूफ़ कर दिया है । सत्याग्रह कैसे स्वाभाविक रीतिसे उत्पन्न हुआ और लोग कैसे उसके लिए तैयार हुए । ऊपरके थोरे जाने बिना पाठक इस बात-को पूरी तरह नहीं समझ सकते थे । कांग्रेसके ऊपर मुसीबतें आई, सरकारी अधिकारियोंकी ओरसे हमले हुए, उन हमलोंसे वह कैसे बची, यह और ऐसी दूसरी बातोंका जानने लायक इतिहास मुझे छोड़ देना पढ़ रहा है । पर एक बात बता देना जरूरी है । अतिशयोक्तिसे भारतीय जनता सदा बचती रहती । उसकी कमियाँ उसे दिखानेका यत्न सदा किया जाता । गोरोंकी दलीलोंमें जितनी सचाई होती, वह तुरंत स्वीकार कर ली जाती और गोरोंके साथ स्वतंत्रता और आत्मसम्मानकी रक्षा करते हुए सहयोग करनेके हर अवसरका स्वागत किया जाता । हिन्दुस्तानियोंकी आन्दोलनका जितना समाचार बहांके अखबार ले सकते थे उतना उन्हें दे दिया जाता और अखबारोंमें हिन्दुस्तानियोंपर वेजा हमला होता तो उसका जबाब भी दिया जाता ।

नेटालमें जैसी 'नेटाल इंडियन कांग्रेस' थी वैसी ही संस्था

ट्रासवालमे भी थी । पर ट्रासवालकी सस्था नेटालसे सर्वथा स्वतंत्र थी । उनके विधानमे भी अतर था । पर उसकी चर्चमे पाठकोको उलझाना नहीं चाहता । ऐसी सस्था केप टाउनमे भी थी । उसका विधान नेटाल और ट्रासवाल दोनोंकी सस्थाओंसे भिन्न प्रकारका था । फिर भी तीनोंके कार्य लगभग एक ही तरहके कहे जा सकते हैं ।

१८९४का साल खतम हुआ । कांग्रेसका पहला बरस भी १८९५के मध्यमे पूरा हो गया । मेरा वकालतका काम भी मवकिकलोंको पसंद आया । मेरा प्रवासकाल और लबा हो गया । १८९६ मे लोगोंसे इजाजत लेकर ६ महीनेके लिए हिंदुस्तान लौटा, पर पूरे छ महीने भी न रह पाया था कि नेटालसे तार मिला और मुझे तुरत लौट जाना पड़ा । १८९६-९७ का हाल हमे अलग अध्यायमे मिलेगा ।

: ७ :

भारतीयोंने क्या किया ?—२

इस प्रकार नेटाल इंडियन कांग्रेसका काम स्थिर हो गया । मैंने भी लगभग ढाई बरस अधिकतर राजनैतिक काम करते हुए नेटालमे बिता लिए । अब मैंने सोचा कि अगर मुझे दक्षिण अफ्रीकामे अभी और रहना हो तो बालबच्चोंको भी साथ रखना जरूरी है । कृष्ण समय देशका दौरा कर आनेका भी मन हुआ । सोचा कि उस बीच भारतके नेताओंको नेटाल और दक्षिण अफ्रीकाके दूसरे भागोंमे बसनेवाले भारतीयोंकी स्थितिकी सक्षिप्त कल्पना भी करा दूगा । कांग्रेसने ६ महीनेकी छुट्टी दी और मेरी जगह नेटालके सुप्रसिद्ध व्यापारी स्व० आदमजी मिया खाको मत्री

नियुक्त किया । उन्होंने वडी होशियारीसे काम किया । स्व० आदमजी मिया छां अग्रेजी अच्छी जानते थे । अनुभवसे अपने कामचलाऊ ज्ञानको उन्होंने खूब बढ़ा लिया था । गुजराती-का सामान्य अभ्यास था । उनका व्यापार खासतौरसे हवधियोंमें था । अतः जुल भाषा और हवधियोंके रस्म-रिवाजकी उन्हें अच्छी जानकारी थी । स्वभाव शात और बहुत ही मिलन-सार था । जितना जरूरी हो उतना ही बोलनेकी आदत थी । यह सब लिखनेका हेतु इतना ही है कि वडी जिम्मेदारीके पदपर काम करनेके लिए अग्रेजीके या दूसरे अक्षरज्ञानकी जितनी आवश्यकता होती है उससे कही अधिक आवश्यकता सचाई, जान्नि, सहनीलक्ष्मा, दृढ़ता, अवसरकी पहचान और तदनु-रूप कार्य करनेकी योग्यता, हिम्मत और व्यवहार-बुद्धिकी होती है । ये गूण न हों तो अच्छ-से-अच्छे अक्षरज्ञानको नी आभासिक काममें बेले भर कीमत नहीं होती ।

१८९६ के मध्यमे में हिंदुस्तान लौटा । कलकत्तेके रास्ते आया, क्योंकि उस वक्त नेटालसे कलकत्ते जानेवाले स्टीमर आसानीसे मिल जाते थे । गिरिमिटिया कलकत्ते या मद्राससे जहाजपर सवार होते थे । कलकत्तासे बंबई आते हुए रास्तेमें मेरी ट्रेन छूट गई । इससे मुझे एक दिन इलाहा-बादमे बटकना पड़ा । वहीसे मैंने अपना काम शुरू किया । 'पायोनियर'के मिं० चेजनीसे मिला । उन्होंने सौजन्यके साथ बाते कीं । सचाईके साथ मुझे बता दिया कि उनका फूकाद उपनिवेशीकी ओर है; पर कहा कि आप जो कछु लिखें । उसे पछ जाऊंगा और अपने पत्रमें उसपर टिप्पणी भी लिखूंगा । मैंने इतनेको ही काफी समझा ।

देशमे रहनेके दिनोमें दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंकी स्थितिके विषयमें मैंने एक पुस्तिका लिखी । उस पर लगभग सभी अखबारोंमें टीका-टिप्पणी हुईं । उसके दो संस्करण

छपवाने पडे । पांच हजार प्रतिया देशके भिन्न-भिन्न स्थानों-मे भेजी गई । इन्ही दिनो मैने भारतके नेताओंके दर्जन किये—वर्वर्षमे सर फीरोजगाह मेहता, न्यायमूर्ति बद्रहीन तैयबजी, न्यायमूर्ति रानटे इत्यादिके, पूनाम लोकमान्य-तिलक और उनके मडल, प्रोफेसर भाडारकर, गोपाल कृष्ण गोखले और उनके मंडल वालोंके । वर्वर्षसे आरम करके पूना और मद्रासमे भाषण भी किये । इनका विवरण यहां नहीं देना चाहता ।

पर पनाका एक पवित्र स्मरण दिये बिना नहीं रह सकता, यद्यपि अपने विषयके साथ उसका कोई सबध नहीं । पूनामे सार्व-जनिक सभा लोकमान्य तिलकके हाथमे थी । स्वर्गीय गोखले-जीका सबध दक्षिण सभाके साथ था । मे पहले मिला तिलक महाराजसे । उससे मैने जब पूनामे सभा करनेकी बात कही तो उन्होने मुझसे पूछा—“आप गोपालरावसे मिल चुके हैं ?”

मैने पहले उनका आशय नहीं समझा । अत उन्होने किर पूछा—“श्री गोखलेसे आप मिल चुके हैं ? उन्हे जानते हैं ?”

मैने जवाब दिया—“अभी मिल नहीं । उन्हे नामसे ही जानता हूँ । पर मिलनेका इरादा है ।”

लोकमान्य—“आप हिंदुस्तानकी राजनीतिसे परिचित नहीं जान पड़ते ।”

मैने कहा—“विलायतसे पढ़कर लौटनेके बाद मे हिंदुस्तानमे थोड़े ही दिन रहा और उस अल्पकालमे भी राजनीतिक मामलोंमे जरा भी दखल नहीं दिया । इस चीजको मै अपने बसके बाहरकी बात मानता था ।”

लोकमान्य—“तब मुझे आपको कुछ परिचय देना पड़ेगा । पूनामे दो पक्ष हैं—एक सार्वजनिक सभाका, दूसरा दक्षिण सभाका ।”

मैंने कहा—“इसके बारेमें तो मैं कुछ-कुछ जानता हूँ ।”

लोकमान्य—“यहाँ सभा करना तो आसान है; पर मैं देखता हूँ कि आप अपना सवाल सब पक्षोंके सामने रखना चाहते हैं और मदद भी सबकी चाहते हैं। यह बात मुझे पसंद आती है, पर आपकी सभाका सभापति हमसे कोई हो तो दक्षिण सभावाले नहीं आयेंगे और दक्षिण सभाका कोई आदमी सभापति बने तो हमसे कोई नहीं आयेगा। अतः आपको टट्टस्थ सभापति ढूँढ़ना चाहिए। मैं तो इस मामलेमें सलाह भर दे सकता हूँ। दूसरी मदद मुझसे नहीं हो सकेगी। आप प्रोफेसर भांडारकरको जानते हैं? न जानते हो तो भी उनके पास जाइए। वह तट्टस्थ माने जाते हैं। राजनीतिक कामोंमें शामिल भी नहीं होते, पर शायद आप उन्हे ललचा सके। श्री गोखलेसे इस बारेमें बात कीजिए। उनकी सलाह भी लीजिए। बहुत करके वह भी आपको यहीं सलाह देंगे। प्रोफेसर भांडारकर जैसा पृथ्वी सभापति बनना स्वीकार कर ले तो मुझे विश्वास है कि दोनों पक्ष सभाका आयोजन करनेका काम उठा लेंगे। हमारी मदद तो इसमें आपको पूरी रहेगी।”

यह सलाह लेकर मैं गोखलेजीके पास गया। इस पहले मिलनमें ही उन्होंने मेरे हृदयमें कैसे राज्याधिकार प्राप्त कर लिया। इसे तो हूँसरे प्रसगमें लिख चुका हूँ। जिनासज्जन ‘यंग इडिया’ या ‘नवजीवन’की फाइल देखनेका कष्ट करे।^१ लोकमान्यकी सलाह गोखलेजीको भी पसंद आई। मैं तूरंत प्रोफेसर भांडारकरके पास पहुँचा। उन विद्वान् बुद्धिमेंद्र कहा—“आप देखते हैं कि मैं तो सार्वजनिक जीवनमें क्वचित् ही पढ़ता हूँ। अब तो बूढ़ा भी हुआ। फिर भी आपकी

^१ देखिये ‘यंग इडिया’ १३ जुलाई १२१, ‘नवजीवन’ २८ जुलाई’ २१

बातोंने मेरे मनपर बहुत असर किया है। आपके सब पक्षोंकी सहायता प्राप्त करनेके विचारको मैं पसंद करता हूँ। फिर आप हिंदुस्तानकी राजनीतिसे अनजान जान पड़ते हैं और युवक हैं। अत. दोनों पक्षोंसे कहिए कि मैंने आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया। जब सभा हो तो उनमेंसे कोई भी मुझे खबर दे देगा तो मैं जरूर हाजिर हूँगा।” पूनामें सुदर सभा हुई। दोनों पक्षोंके नेता उपस्थित हुए और भाषण दिये।

अनन्तर मैं मद्रास गया। वहाँ जस्टिस सुव्रह्यण्म् ऐयरसे मिला। श्री आनंद चार्ल्स, ‘हिंदू’ के तत्कालीन सपादक श्री जी० सुव्रह्यण्म्, ‘मद्रास स्टैंडर्ड’के सपादक श्री परमेश्वरम् पिल्ले, प्रख्यात वकील श्री भाष्यम् आयगार, मि० नॉर्टन आदिसे भी मिला। वहा भी सभा हुई। वहासे मैं कलकत्ते गया। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, महाराज ज्योतीन्द्रमोहन ठाकुर, ‘इंगिलिशमैन’ के संपादक मि० साइर्स आदिसे भी मिला। वहा सभाकी तैयारी हो रही थी कि इतनेमें, यानी १८९६ ई० के नववर महीनेमें, मुझे नेटालसे तार मिला—“अविलब आइए।” मैं समझ गया कि हिंदुस्तानियोंके खिलाफ कोई नथा आन्दोलन उठा होगा। अत कलकत्तेका काम पूरा किये बिना ही पीछे किरा और बन्धव्यसे जानेवाले पहले ही जहाजपर सवार हो गया। यह स्टीमर दादा अब्दुल्लाकी फर्मने खरीद लिया था और उसके अनेक साहसोंमें नेटाल और पोरबदरके बीच जहाज चलानेका यह पहला साहस था। इस स्टीमरका नाम ‘कोलंड’ था। इस स्टीमरके बाद तुरंत ही पर्णियन स्टीम नेविगेशन कंपनीका स्टीमर ‘नादरी’ भी नेटालके लिए रवाना हुआ। मेरा टिकट ‘कोलंड’का था। मेरा कुटुब भी मेरे साथ था। दोनों जहाजोंमें सब मिलाकर दक्षिण अफ्रीका जाने वाले कोई ८०० मुसाफिर रहे होगे।

हिंदुस्तानमें जो आन्दोलन मैंने किया वह इतनी बड़ी चीज

हो गया—और बड़े अखबारोंमें अधिकारियोंने उसपर लेख-टिप्पणियाँ लिखी—कि रायटरने उसके बारेमें विलायत तार भेजे। यह सबर मुझे नेटाल पहुंचते ही भिड़ी। विलायत-के तारोंपरसे रायटरके वहाँके प्रतिनिधियोंने एक मुख्तासर तार दक्षिण अफ्रीका भी भेजा। इस तारमें जो कुछ भैंने हिंदुस्तानमें कहा था उसमें थोड़ा नमक-मिचं लगा दिया गया था। ऐसी अतिशयोक्ति हम अकसर होते देखते हैं। यह सब जान-बूझकर नहीं किया जाता। वहुवंशी लोग किसी चीजको ऊपर-ऊपरसे पढ़ लेते हैं। उनका कुछ अपना ख्याल तो होता ही है। उसका एक खुलासा होता है। दिमाग उसका एक दूसराही खुलासा बना लेता है। फिर वह जहाँ-जहाँ जाता है वहाँ उसका एक नया ही अर्थ किया जाता है। ये सारी बातें अनायास हआ करती हैं। सार्वजनिक कामोंमें यह खतरा रहता है और यह उनकी हृद भी होती है। हिंदुस्तानमें भैंने नेटालके गोरोंपर आक्षेप किए। गिरमिटियोंपर लगाये गए तीन पौँडके करके विश्वद्व बहुत कड़ी बातें कहीं। सुब्रह्मण्यम् नामक निरपराध गिरमिटियाँको उसके मालिकने पौट दिया। उसके जरूर मैंने अपनी आँखों देखे। उसका सारा मामला मेरे ही हाथमें था। इससे उसकी तसवीर अपनी शक्तिके अनुसार मैं ठीक-ठीक खींच सका था। इस सबका खुलासा जब नेटालवासी गोरोने पढ़ा तब वे मुझपर बहुत कुछ हुए। खूबी यह थी कि जो कुछ भैंने नेटालमें लिखा था वह हिंदुस्तानमें कही और लिखी हुई बातोंसे अधिक तीखा और अधिक व्योरेवार था। हिंदुस्तानमें भैंने एक भी बात नहीं कही थी जिसमें तनिक भी अतिशयोक्ति हो, पर अनुभवसे मैं इतना जानता था कि किसी भी घटनाका वर्णन अनजान आदमीके सामने करो तो जितना अर्थ हमने उसमें रखा हो वह अनजान श्रोता या पाठक उससे अधिक अर्थ उसमें

देखता है। इससे जानबूझकर हिंदुस्तानमें नेटालका चित्र मने कुछ हल्का ही तीव्रा था। पर नेटालमें तो मेरा लेन बहुत थोड़े गोरे पटते और उमकी परवाह करनेवाले और भी कम होने। हिंदुस्तानमें कहीं हुई वातके विषयमें इसका उल्टा ही होता और हुआ। रायटर्सके बलासोंको तो हजारों गोरे पढ़ते थे। किर जो बान नारमे लिखने लायक समझी गई हो उनका महत्व जितना वास्तवमें हो उससे अधिक समझा जाता है। नेटालके गोरे जितना भोवते थे उनना अबर हिंदुस्तानमें किए हुए मेरे कामका पड़ा होता तो गिरफ्तिकी प्रथा आयद बद हो जाती और इससे संबंधों गोरे मालिकोंका नक्शान होता। इसके सिवा यह भी समझा जा सकता है कि नेटालके गोरोंकी हिंदुस्तानमें बदनामी हुई।

इस प्रकार नेटालके गोरोंका पारा गरम हो रहा था कि इतनेमें उन्होंने मुना कि मैं बाल-वच्चोंके साथ 'कोलैंड' जहाजमें लौट रहा हूँ। उस जहाजमें ३-४ सौ हिंदुस्तानी यात्री हैं। उमीके भाय 'नादरी' नामका दूसरा स्टीमर भी उतने हो मुसाफिर लेकर आ रहा है। इससे बदली आगमे धीं पड़ा और वह बड़े जोरसे भड़क उठी। नेटालके गोरोंने बड़ी-बड़ी सभाए की और लगामग सभी प्रमुख यूरोपियन उनमें शामिल हुए। खासतौरसे मेरी और आमतौरसे हिंदुस्तानी कौमकी कड़ी आलोचना की गई। 'कोलैंड' और 'नादरी' के आगमनको 'नेटालपर चढ़ाई' का रूप दिया गया। सभामें बोलनेवालोंने यह अर्थ निकाला कि मैं इन ८०० यात्रियोंको साथ ले आया हूँ और नेटालको स्वतंत्र भारतीयोंसे भर देनेके प्रयत्नमें यह मेरा पहला कदम है। सभामें एक-मतसे यह प्रत्ताव पास हुआ कि दोनों स्टीमरोंके मुसाफिरोंको और मुझे जहाजसे उतरने न दिया जाय। नेटालकी सरकार उन्हें न रोके या न रोक सके तो अपनी जो कमेटी बनाई गई है

वह कानूनको अपने हाथमें ले ले और अपने ही बलसे हिन्दु-स्तानियोंको उत्तरनेसे रोके। दोनों स्टीमर एक ही दिन नेटालके बदर छब्बेन पहुँचे।

पाठकोंको याद होगा कि १८९६ ई० में हिन्दुस्तानमें प्लेगके प्रथम दर्शन हुए। नेटालकी सरकारके पास हमें पीछे लौटानेका कोई कानून-संगत साधन तो था ही नहीं, प्रवेश प्रतिवधक कानून तबतक नहीं बना था। नेटाल सरकारकी सारी हमदर्दी तो अपर लिखी हुई कमेटीकी तरफ ही थी। उसके एक मन्त्री स्व० मि० एस्कव उसके काममें पूरा हिस्सा ले रहे थे। उसको भड़का भी वही रहे थे। सभी बदर-गाहोंमें यह नियम है कि किसी भी जहाजमें छूतके रोगकी शिकायत हो या वह ऐसे बदरगाहसे होकर आ रहा हो जहा कोई छूतवाला रोग फला हुआ हो तो वह इतने दिनोंतक 'कवारटाइन'में रखा जाय यानी उस जहाजके साथ संसर्ग बदरखा जाय और मुसाफिर, माल आदिको उस अवधितक उतारनेकी मताही रहे। यह रोक आरोग्य-नियमोंके अदर और बदरगाहके डाक्टरकी आज्ञासे ही लगाई जा सकती है। नेटालकी सरकारने इस प्रतिवधके अधिकारका शूद्ध राज-नैतिक उपयोग अर्थात् दुरुपयोग किया और दोनों स्टीमरोंपर कोई भी छूतका रोगी न होनेपर भी दोनोंको २३ दिनतक छव्वेनके बंदरगाहके प्रवेशपथमें रोक रखा। इस बीच कमेटी-का काम चलता रहा। दादा अब्दुल्ला 'कोलंड'के मालिक और 'नादरी' के एजेट थे। कमेटीने उन्हें खूब धमकाया। जहाजोंको लौटा दे तो लाभका लोभ भी दिखाया गया और न लौटानेपर बाधारको घक्का पहुँचानेका ढर भी कितनोंने दिखाया। पर कोठीके हिस्सेदार डरपोंक न थे। धमकी देनेवालोंको जवाब दिया—जबतक हमारा सारा कास्बार चौपट न हो जाय, हम बिलकुल बरवाद न हो जाय, हम

लड़ते रहेंगे । पर डरकर इन निर्दोष यात्रियोंको लौटा देनेका पाप हम करनेवाले नहीं । जैसे आपको अपने देशका अभिमान है वैसे ही मान लीजिए कि हमें भी कुछ होना चाहिए ।” इस कोठीके जो पुराने बकील मिं० एफ० ए० लॉटन थे वह भी हिम्मतवाले और बहादुर थे ।

इसी दीच भारतवर्ष स्वर्गीय थी मनसुखलाल हीरालाल नाजर (सूरतके कायस्थ और स्वर्गीय न्यायमूर्ति नानाभाई हरिदासके भानजे) अफ्रीका पहुंचे । मैं उन्हें जानता नहीं था । उनके जानेकी भी मुझे खबर नहीं थी । मझे यह कहनेकी ज़रूरत गायद ही हो कि ‘नादरी’ और ‘कोलैंड’ के यात्रियोंके लानेमें भेरा कुछ भी हाथ नहीं था । उनमें अधिकतर तो दक्षिण अफ्रीकाके पुराने वाँगिंदे थे । उनमेंसे भी बहुतेरे ट्रांसवाल जानेके लिए सवार हुए थे । इन मुसाफिरोंके लिए भी कमेटीने धमकीके नोटिस भिजवाये । कप्तानने उन्हें पढ़कर यात्रियोंको सुनाया । उनमें साफ लिखा हुआ था—“नेटालके गोरे बहुत उत्तेजित हैं और उनके मिजाजकी हालत जानते हुए भी अगर हिंस्तानी यात्री उत्तरनेकी कोशिश करेगे तो बंदरगाहके ऊपर कमेटीके आदमी खड़े रहेंगे और एक-एक मारतीयोंको उठाकर समुद्रमें फेंक देंगे ।” ‘कोलैंड’के मुसाफिरोंको इस नोटिसका उलथा मैंने सुनाया । ‘नादरी’ के मुसाफिरोंको उनमेंसे किसी अग्रेजी जाननेवालेने उसका आशय समझाया । दोनों जहाजोंके यात्रियोंने वापस जानेसे साफ इनकार कर दिया । यह भी जता दिया—“बहुतेरे यात्रियोंको तो ट्रांसवाल जाना है । जो नेटालमें उत्तरना चाहते हैं उनमें भी बहुतसे नेटालके पुराने निवासी हैं । कुछ भी हो, हरएकको नेटालमें उत्तरनेका कानूनन् हक है और कमेटीकी धमकीके बाबजूद अपना हक सावित करनेके लिए मुसाफिर यहाँ उत्तरेंगे ही ।”

नेटालकी सरकार भी हारी । अनुचित प्रतिबध कितने दिन चल सकता है ? २३ दिन तो हो गए, पर दादा अब्दुल्ला न डिगे और न हिंदुस्तानी यात्री ही । अतः २३ दिन बाद रोक हटा ली गई और जहाजोंको अंदर आनेकी इजाजत मिली । इस वीच मिं० एस्कवने उत्तेजित कमेटीको ठंडा कर दिया । उन्होंने सभा करके कहा—“डर्बनमें यरोपियनोंने खूब एकता और हिम्मत दिखाईं । आप लोगोंसे जितना हो सकता था उतना आपने किया, सरकारने भी आपकी सहायता की । इन लोगोंको २३ दिनतक जहाजसे उतरने नहीं दिया । अपनी मावना और अपने जोशका जो दृश्य आपने दिखाया है वह काफी है । इसका गहरा असर बड़ी सरकारपर पड़ेगा । आपके कामसे नेटाल सरकारका रास्ता आसान हो गया । अब आपने बल-प्रयोग करके एक भी हिंदुस्तानी मुसाफिरको उतरनेसे रोका तो अपना काम आप अपने हाथों बिगाढ़ देंगे । नेटाल सरकारकी स्थिति भी कठिन हो जायगी और ऐसा करके भी इन लोगोंको रोकनेमें आप सफल नहीं होंगे । मुसा-फिरोंका तो कोई दोष है ही नहीं । उनमें स्त्रियाँ और बच्चे भी हैं । बम्बईमें जब वे जहाजपर सवार हुए उस वक्त आपकी मनोदशाकी उन्हें खबर भी नहीं थी । इसलिए अब आप मेरी सलाह मानकर अपने-अपने घर चले, जाए और इन लोगोंके आनेमें तनिक भी रुकावट न डालें । पर मैं आप लोगोंको यह बचन देता हूँ कि इसके बाद आनेवालोंको रोकनेका अधिकार नेटालकी सरकार धारा सभासे प्राप्त करेगी ।” यह तो भाषणका सारमात्र है । मिं० एस्कंवके श्रोता निराश तो हुए, पर नेटालके गोरोपर उनका बहुत भारी प्रभाव था । अतः उनके कहनेसे वे विस्तर गए । दोनों जहाज बंदरगाहके अंदर आये ।

मेरे बारेमें उन्होंने कहला भेजा—“आप दिन रहते जहाज-

से न उतरे। शामको मैं (मि० एस्कंब) बंदरगाहके सुप-रिटेडेटको आपको लेनेके लिए भेजूगा। उनके साथ आप घर जायें। आपके घरवाले जब चाहे उतर सकते हैं।" यह कोई जाव्हाका हुक्म नहीं था, बल्कि कप्तानके लिए मुझे उतरने न देनेकी सलाह थी और मेरे सिरपर जो खतरा भूल रहा था उसकी चेतावनी थी। कप्तान मुझे जबर्दस्ती तो रोक नहीं सकता था। पर मैंने सोचा कि मुझे यह सलाह मान लेनी चाहिए। बाल-बच्चोंको मैंने घर न भेजकर डर्वेनके प्रसिद्ध व्यापारी और मेरे पुराने मवक्किल तथा मिश्र पारसी स्त्रियोंके यहाँ भेजा और उनसे कहा कि वही तुम लोगोंसे मिलूगा। मुसाफिर बगैरह उतर गए। इतनेमे मि० लॉटन, दादा अच्छुलाके बकील और मेरे मिश्र, आये और मुझसे मिले। उन्होंने पूछा—“आप अवतक क्यों नहीं उतरे?” मैंने मि० एस्कंबके पत्रकी बात कही। उन्होंने कहा—“मुझे तो शामतक इतजार करना और फिर चोर या अपराधीकी तरह शहरमे दाखिल होना पसंद नहीं आता। आपको कोई डर न हो तो अभी मेरे साथ चलें और हम इस तरह पैदल गहरसे होकर चले जायगे कि जैसे कुछ हुआ ही न हो।” मैंने जवाब दिया—“मैं यह नहीं मानता कि मुझे किसी तरहका डर है। मि० एस्कंबकी सूचनाका आदर करूँ या नहीं, यही सवाल मेरे सामने है। इसमे कप्तानकी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं, इसको भी थोड़ा सोच लेना चाहिए।” मि० लॉटनने हसकर कहा—“मि० एस्कंबने ऐसा क्या किया है कि उनकी सूचनापर आपको तनिक भी ध्यान देना ही पड़े। फिर इस सूचनामें शुद्ध भलमनसी ही है, कोई छल-कपट नहीं है, यह माननेके लिए भी आपके पास क्या आधार है? शहर-में क्या हुआ है और उसमे इन भाईसाहबका कितना हाथ है, यह जितना आप जानते हैं उससे ज्यादा मैं जानता हूँ। (मैंने

बीचमे सिर हिलाया ।) फिर यह मानले कि उन्होंने अच्छे इरादेसे सलाह दी है तो भी उसपर अमल करनेमें आपकी प्रतिष्ठाकी हानि है, यह मैं पक्का मानता हूँ । इसलिए मेरी तो सलाह है कि आप तैयार हों तो अभी चले । कप्तान तो अपना ही आदमी है । इसलिए उसकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी है । उससे पछनेवाले केवल दादा अब्दुल्ला हो सकते हैं । वह क्या सोचेगे, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि इस लड़ाईमें उन्होंने खूब वहांदुरी दिखाई है ।” मैंने कहा—“तो फिर चले । मुझे कोई तैयारी नहीं करनी है । सिफे पगड़ी घिरपर घर लेना बाकी है । कप्तानको बताऊ और चल डे ।” हमने कप्तानकी इजाजत ले ली ।

मिठा लौटन डब्बनके बहुत पूराने और प्रसिद्ध बकील थे । हिंदुस्तान लौटनेके पहले ही उनके साथ मेरा बहुत निकटका सवध स्थापित हो चुका था । अपने टेढे मकदमोंमें उनकी ही मदद लेता और अक्सर उन्हे बडा (सौनियर) बकील भी बनाता था । वह खुद हिम्मतवाले आदमी थे । कद ऊचा-पूरा था ।

हमारा रास्ता डब्बनके बडे-से-बडे महल्लेसे होकर जाता था । हम जब रवाना हुए तब शामके चार-साढे चार बजे होगे । आकाशमें कुछ योहीस बादल थे, पर सुरजको छिपा देनेके लिए काफीथे । सेठ रुस्तमजीके मकान का पैदल जानेपर कम-से-कम एक घटेका रास्ता था । ज्योंही हम जहाजसे उतरे, कुछ लड़कोंने हमे देख लिया । उनमें कोई वड़ी उम्रवाला तो था ही नहीं । आमतौरमें बदरगाहपर जितने आदमी रहा करते हैं उनमें ही आदमी दिखाई देते थे । मेरी जंसी पगड़ी पहननेवाला अकेला मैं ही था । इससे लड़कोंने मुझे तूरत पहचान लिया और ‘आधी’ ‘गांधी’, ‘इसको मारो’, ‘धेरो’ चिलाते हुए हमारी ओर बढ़ आए । कुछ लड़के हले भी

फैंकने लगे । कुछ अघेड उम्रवाले गोरे भी उनमें शामिल हो गए । धीरे-धीरे हल्ला बढ़ा । मिठा लॉटनने देखा कि पैदल जानेमें खतरा लेना है । अत उन्होने 'रिक्शा' बुलाया । 'रिक्शा' के मानी है आदमीके खीचनेकी छोटी-सी गाड़ी । मैं तो कभी 'रिक्शा'में बैठा ही न था, कारण कि जिस सवारी-को आदमी खीचता हो उसमें बैठनेसे मुझे सख्त नफरत थी । मगर आज मुझे जान पड़ा कि रिक्शामें बैठ जाना मेरा धर्म है । पर भगवान् जिसको बचाना चाहते हैं वह गिरना चाहे तो भी नहीं गिर सकता, इसका तो मुझे अपने जीवनके पाच-सात कठिन प्रसरणोंमें प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है । मैं नहीं गिरा, इसका तनिक भी यश मैं नहीं ले सकता । रिक्शा खीचनेवाले हृवशी ही होते हैं । छोकरो और बड़ी उम्रवाले गोरोंने भी रिक्शावालेको धमकाया कि तुमने इस आदमीको रिक्शामें बैठाया तो हम तुम्हें पीटेंगे और तुम्हारा रिक्शा भी तोड़ डालेंगे । अत रिक्शावाला 'खा' अर्थात् ना कहकर चलता बना और मेरा रिक्शामें बैठना रह गया ।

अब पैदल चलकर जानेके सिवा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं रहा । हमारे पीछे खासा मजमा जुट गया । ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते, मजमा भी बढ़ता जाता था । मूर्ख रास्ते वैस्ट स्ट्रीटमें पहुचनेपर तो छोटे-बड़े सैकड़ों लोग उसमें शामिल हो गये । एक तगड़े आदमीने मिठा लॉटनको दोनों हाथोंमें पकड़कर मुझसे अलग कर दिया । अत, अब उनकी स्थिति ऐसी न रही कि मेरे पास पहुच सकें । मुझपर गालियो, पत्थरो और जो कुछ भी उनके हाथमें आया उस सब की वर्षा होने लगी । मेरी पगड़ी सिरसे गिरा दी गई । इतनेमें एक भौट-तगड़े आदमीने पहुचकर मुझको थप्पड़ जमाया और फिर लात भी मारी । मैं चक्कर खाकर गिरही रहा था कि इतनेमें रास्तेके पासके एक मकानके आगनकी रेलिंग मेरे

हाथमे आ गईं । मैंने जरा दम लिया और चक्कर दूर होनेपर आगे बढ़ा । जीता घर पहुंचनेकी आशा लगभग छोड़ चूका था; पर इतना मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त भी मेरा दिल भारनेवालोंका रत्ती भर भी दोष नहीं देखता था ।

इस तरह मैं अपना रास्ता तैं कर रहा था कि इतनेमे डर्बनके पुलिस सुपरिटेंटकी पल्ली सामनेकी ओरसे आ निकली । हम एक-दूसरेको अच्छी तरह पहचानते थे । यह महिला बहादुर थी । यद्यपि आकाशमे बादल घिर रहे थे और सूरज भी डवनेको था, फिर भी इस महिलाने अपनी छतरी मेरी रक्खाके लिए खोल दी और मेरी बगलमे होकर चलने लगी । स्त्रीका अपमान और वह भी डर्बनके बहुत पुराने और लोक-प्रिय कप्तानकी पल्लीका यह गोरे नहीं कर सकते थे । उन्हें चोट भी नहीं पहुंचा सकते थे । अतः उनको बचाते हुए मुझपर जो मार पड़ती वह बहुत हल्की होती । इस बीच पुलिस सुपरिटेंटको इस हमलेकी खबर मिली और उन्होंने पुलिसका एक दस्ता भेज दिया, जिसने मुझको धेर लिया । हमारा रास्ता पुलिस चौकीकी बगलसे होकर जाता था । वहाँ पहुंचे तो देखा कि पुलिस सुपरिटेंट खड़े हमारी राह देख रहे हैं । उन्होंने मुझे चौकीमे ही चले जानेकी सलाह दी । मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और उसमे आश्रय लेनेसे इनकार कर दिया । मैंने कहा कि मुझे तो अपने ठिकाने पर ही पहुंचना है । मुझे डर्बनके लोगोंका न्यायवाच्चा और अपने सत्यपर विश्वास है । आपने जो मेरे रक्खार्थ पुलिस भेजी उसके लिए अहसानमद हूँ । इसके सिवा मिसेज बलेक्जेडरने भी मेरी रक्खा की है ।”

मैं सही-सलामत रुस्तमजीके यहाँ पहुंचा । वहाँ पहुंचते-पहुंचते लगभग नाम हो गई थी । ‘कोलेंड’ के डाक्टर दाजी वरजोर रुस्तमजी सेठके यहाँ मौजद थे । उन्होंने मेरी चोटोंका इलाज शुरू किया । चोटें देखीं । वे अधिक नहीं थीं ।

एक भीतरी वद मुंहकी चोट बहुत दुःख रही थी, पर अभी मुझे शानि पानेका अधिकार नहीं मिला था। रुस्तमजी सेठके घरके सामने हजारो आदमी जमा हो गए। रात हुई तो बहुत-से लोगों लोग भी उस मजमेमें मिल गए। उन लोगोंने रुस्तमजी सेठको कहला भेजा कि गांधीको हमारे हवाले नहीं कर दोगे तो उसके साथ ही तुम्हें और तुम्हारी दुकानको भी जलाकर खाक कर देंगे। रुस्तमजी ऐसे भारतीय न थे जो किसीके डरानेसे डर जाते। सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडरको इसकी खबर मिली तो वह अपनी खुफिया पुलिसके साथ आकर चुपकेसे इस मजमेमें धुस गए। एक चौकी मगाकर वह उसके ऊपर खड़े हो गए। यो लोगोंसे बातचीत करनेके बहाने रुस्तमजीके मकानके दरवाजेपर कब्जा कर लिया, जिससे कोई उसको तोड़कर धूस न सके। खुफिया पुलिसके आदमियोंको उन्होंने पहले ही मुनासिव जगही पर रख दिया था। पहुंचनेके साथ ही उन्होंने अपने एक अहलकारको कह दिया था कि हिंदुस्तानीकी पोशाक पहन और चेहरा रगकर हिंदुस्तानी व्यापारीका भेप बना ले और मुझसे मिलकर कहे—“आप अपने मिश्रको, उनके मेहमानोंकी, उनके मालकी और अपने वालवच्चोकी रका चाहते हो तो हिंदुस्तानी सिपाहीका पहनावा पहनकर रुस्तमजीके गोदामसे निकल जाइए और पुलिस चौकीपर पहुंच जाइए। इस गलीके मोड़पर आपके लिए गाड़ी तैयार लड़ी है। आपको और दूसरोंको बचानेका मेरे पास वस यही एक रास्ता है। मजमा इतना उत्तेजित है कि उसे रोक रखनेके लिए मेरे पास कोई साधन नहीं। आप जल्दी न करेगे तो यह मकान जमीदोज कर दिया जायगा। यही नहीं, जानमालका कितना नुकसान होगा, इसका बदाजा भी मैं नहीं कर सकता।”

मैं स्थितिको तुरत समझ गया । मैंने उसी क्षण सिपाहीकी पौशाक माँगी और उसे पहनकर निकल गया और उक्त पुलिस कमंचारीके साथ सही-सलामत चौकीपर पहुँच गया । इस बीच श्री अलेकजेंडर अवसरके अनुरूप गीतों और भाषणसे भीड़को रिखा रहे थे । जब उन्हें यह इशारा मिल गया कि मैं पुलिस चौकीमें पहुँच गया तब उन्होंने अपना सच्चा भाषण आरम्भ किया :

“आप लोग क्या चाहते हैं ?”

“हम गांधीको चाहते हैं !”

“उसको क्या करना चाहते हैं ?”

“उसे हम जलाएंगे !”

“उसने आपका क्या विगाड़ा है ?”

“उसने हमारे बारेमें हिंदुस्तानियोंको बुसा देना चाहता है और नेटालमें हजारों हिंदुस्तानियोंको बुसा देना चाहता है ।”

“पर वह बाहर न निकले तो क्या कीजिएगा ?”

“तो हम इस मकानमें आग लगा देंगे ।”

“इसमें तो उसके बाल-बच्चे हैं । दूसरे स्त्री-पुरुष हैं । स्त्रियों और बच्चोंको आगमे भूनते आपको शर्म नहीं आती ?”

“यह तो आपका दोष है । आप हमें लाचार करते हैं तो हम क्या करे ? हम तो और किसीको कष्ट देना नहीं चाहते । गांधीको सौप दीजिए । वस हमें और कुछ नहीं चाहिए । आप अपराधीको न सौंपें और उसे पकड़नेमें दूसरोंको नुकसान पहुँचे तो इसका दोष हमारे सिर डालना कहाँका न्याय है ?”

सुपरिटेंडेंटने हल्की हँसी हँसकर उन लोगोंको यह खबर दी कि गांधी तो उन लोगोंके बीचसे होकर सही-सलामत बूसरी जगह पहुँच गया ! लोग खिलखिलाकर हँस पड़े और ‘मूँठ-मूँठ’ चिल्ला उठे ।

सुपरिटेंडेंट बोले—“आप अपने बढ़े कप्तानकी वातका विश्वास न करते हो तो जिन तीन या चार आदमियोंको पसंद करें उनकी कमेटी चुन दें। दूसरे सब लोग यह बचन दें कि कोई मकानके अंदर न घुसेंगा और अगर कमेटी गांधीको घरके भीतर न पा सके तो सब लोग शात होकर घर लौट जाएंगे। आप लोगोंने जोशमें आकर पुलिसके अधिकारको आज नहीं माना, इसमें बदनामी पुलिसकी नहीं, आपकी ही है। इसीसे पुलिसने आपके साथ चाल चली। आपके शिकारको आपके बीचसे ही निकाल लेगइं और आप हार गए, इसमें पुलिसको तो आप दौषप दे ही नहीं सकते। जिस पुलिस को आपने ही नियुक्त किया है उसने अपने कर्तव्यका पालन किया है।”

यह सारी वातचीत सुपरिटेंडेटने इतनी मिठास, इतने हास्य और इतनी दृढ़ताके साथ की कि जो बचन वह मार्ग रहे थे लोगोंने दी दिया। कमेटी बनी। उसने पारसी लत्तमजीके मकानका कोना-कोना छान डाला और लोगोंसे कहा—“सुपरिटेंडेटकी वात सच है। उसने हमे हरा दिया।” लोग निराश तो हुए; पर अपने बचनपर स्थिर रहे, कोई नुकसान नहीं किया और अपने-अपने घर चले गए। यह दिन १८९७ ई० की १३ वी जनवरीका था।

इसी दिन सबेरे ज्योंही मुसाफिरोंपर लगी हुई रोक हटी, डब्बनके एक अखबारका रिपोर्टर मेरे पास आया और मुझसे सारी बात पछ गया था। मुझपर लगाये गए इलजामोंकी पूरी सफाई दे देना बहुत ही आसान था। मैंने मिसालें देकर दिखा दिया था कि मैंने तिलभर भी अत्युक्त नहीं की है। जो कुछ मैंने किया है वह मेरा धर्म था। वह मैं न करूं तो मनव्यं कहलानेका भी अधिकारी न होऊगा। यह सारी कैफियत दूसरे दिन पूरी-की-भूरी प्रकाशित हुई और समझदार

यरोपियनोंने अपना दोष स्वीकार किया। अखबारोंने नेटालकी परिस्थितिसे सहानुभूति प्रकट की, पर साथ ही मेरे कार्यका पूरा समर्थन किया। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी और साथ-साथ हिंदुस्तानी कीमती भी। गोरोपर यह बात साबित हो गई कि गरीब हिंदुस्तानी भी नामदं नहीं हैं और व्यापारी भी अपने व्यापारकी परवा किए बिना स्वाभिमान और स्वदेशके लिए लड़ सकते हैं।

इससे एक और यद्यपि जातिको दुख सहन करना पड़ा और स्वयं दादा अब्दुल्लाको भारी नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी मैं मानता हूँ कि इसके अंतमे तो लाभ ही हुआ। जातिको अपनी क्षक्तिका कुछ अंदाजा मिला और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। मैं भी कुछ अधिक कामका बना, बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। उस दिनका विचार करता हूँ तो देखता हूँ कि ईश्वर मुझे सत्यग्रहके लिए तैयार कर रहा था।

नेटालकी घटनाओंका असर विलायतमे भी हुआ। उपनिवेश-सचिव श्री चेवरलेनने नेटालकी सरकारको तार दिया कि जिन लोगोंने मुझपर हमला किया उनपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और मुझको न्याय मिलना चाहिए।

मिं० एस्क्व न्याय-विभागके प्रधान एटनी-जनरल थे। उन्होंने मुझे बुलाया और मिं० चेवरलेनके तारकी बात कही। मुझे जो छोट पहुँची थी उसके लिए दुख प्रकट किया और मैं बच गया इसपर प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने कहा—“मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको या आपकी कीमते किसी आदमीको कष्ट पहुँचे, यह मैं तनिक भी नहीं चाहता था। आपको कष्ट पहुँचनेका मुझे डर था, इसीसे रातमे जहाजसे उतरनेके लिए सदेसा भेजा; पर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया। मिं० लॉटनकी सलाह आपने मानी

इसके लिए मैं आपको तनिक भी दोष नहीं देना चाहता। आपको जो ठीक जान पड़े उसे करनेका आपको परा अधिकार था। मिं ० चेबरलेनकी मार्गके साथ नेटालकी सरकार पूरी तरह सहमत है। हम चाहते हैं कि अपराधियोंको दंड मिले। हमला करनेवालोंमेंसे आप किसीको पहचान सकते हैं?" मैंने जवाब दिया—“मुमकिन है, एक-दो आदियोंको मैं पहचान सकूँ, पर यह बात आगे बढ़े इसके पहले ही मुझे आपको यह बता देना चाहिए कि मैंने अपने दिलमें यह निश्चय कर रखा है कि अपने ऊपर हुए हमलेके बारेमें मैं किसीके खिलाफ अदालतमें फरियाद नहीं करूँगा। हमला करनेवालोंका तो मैं कोई दोष भी नहीं देखता। उन्हें जो कुछ भी खबर मिली वह अपने नेताओंसे मिली। उसकी सचाईकी जांच करने वह थोड़े बैठ सकते हैं? मेरे बारेमें उन्होंने जो कुछ सुना वह सही हो तो वे भड़क उठे और आवेशम आकर जो न करना चाहिए वह कर बैठे, इसके लिए मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। उत्तेजित जनसमूह इसी रीतिसे न्याय करता आया है। अगर इस विषयमें किसीका दोष है तो उस कमेटीका है जो इस मामलेमें बनाई गई थी, और खुद आपका है और इसलिए नेटालकी सरकारका है। रायटरने चाहे जैसे तार भेजे हो, पर जब आप जानते थे कि मैं खुद यहाँ आ रहा हूँ तब आपका और कमेटीका फर्ज था कि जो अनुभान आपने किए उनके बारेमें पहले मुझसे पूछते और मेरा जवाब सुनते, फिर जो आपको मुनासिब मालूम होता है वह करते। अब मुझपर जो हमला हुआ उसके लिए मैं आपपर या कमेटीपर मुकदमा चला सकूँ, ऐसा तो है ही नहीं और यह मुमकिन हो तो भी अदालतके द्वारा न्याय पानेकी इच्छा मुझे नहीं है। नेटालके गोरोके हक्की रक्षाके लिए आपको जो कुछ करना ठीक जान पड़ा वह आपने किया।

भारतीयोंने क्या किया ?—२

यह राजनीतिक विषय हुआ । मुझे भी इसी मैदानमें आपसे लड़ना और आपको और दूसरे गोरोको यह दिखाना है कि भारतीय राष्ट्र चिट्ठा साम्राज्यके एक बड़े भागके रूपमें, गोरोको नुकसान पहुंचाए विना, केवल अपने सम्मान और अधिकारकी रक्षा करना चाहता है ।”

मिं. एस्कंब बोले—“आपने जो कुछ कहा वह मैंने समझ लिया और वह मुझे पसंद भी आया । आपसे यह सुननेकी मैं आशा नहीं रखता था कि आप मुकदमा चलाना नहीं चाहते, और आप मुकदमा चलाना चाहते तो मैं जरा भी नाखुश न होता; पर जब आपने फरियाद न करनेका विचार प्रकट कर दिया है तब मुझे यह कहनेमें हिचक नहीं कि आपने उचित निश्चय किया है । इतना ही नहीं, अपने इस समझसे आप अपनी कौमकी विशेष सेवा करेंगे । साथ ही मुझे यह भी कबूल करना चाहिए कि अपने इस निश्चयसे आप नेटाल सरकारको विषम स्थितिसे बचा लेंगे । आप चाहे तो हम धर-पकड़ बौरह करें, पर आपको यह बतानेकी जरूरत नहीं है कि यह सब करनेसे गोरोका क्रोध फिर उमड़ेगा, अनेक प्रकारकी टीकाएं होंगी और ये बातें किसी भी सरकारको नहीं रुच सकती । पर अगर आपने अंतिम निश्चय कर लिया हो तो आप अपना विचार जतानेवाली एक चिट्ठी मुझको लिख दे । हमारी बातचीतका खुलासा भेजकर ही हम मिं. चेवरलेनके सामने अपनी सरकारका बचाव नहीं कर सकते । मुझे तो आपके पत्रके भावार्थका ही तार करना होगा । पर मैं यह नहीं कहता कि यह चिट्ठी आप मुझे अभी लिखकर दें । अपने मित्रोंके साथ आप मशविरा करले । मिं. लॉट्नकी भी सलाह लेले । इसके बाद भी अगर आप अपनी रायपर कायम रखे तो मुझे लिखे । पर इतना मुझे कह देना चाहिए कि अपनी चिट्ठीमें फरियाद न करनेकी जिम्मेदारी आपको साफ तौरपर अपने

ही ऊपर लेनी होगी। तभी मैं उसका उपयोग कर सकूँगा।" मैंने कहा—“इस बारेमे मैंने किसीके साथ मशविरा नहीं किया है। आपने इस बातके लिए मुझे बुलाया है, यह भी मैं नहीं जानता था। और इस विषयमें किसीसे सलाह-मशविरा करनेकी इच्छा भी नहीं है। जब मिं० लॉटनके साथ चल देनेका निश्चय किया तभी अपने दिलमे तैं कर लिया था कि मुझे कोई ब्रोट पहुँचे तो इसके लिए दिलमे बुरा नहीं मानूँगा। अतः पीछे फरियाद करनेका तो सवाल ही नहीं हो सकता। मेरे लिए तो यह धार्मिक प्रश्न है और जैसा कि आप कहते हैं, मैं यह मानता भी हूँ कि अपने इस समयमें मैं अपनी कौमकी सेवा करूँगा। यही नहीं, खुद मेरा भी इससे लाभ ही है। इसलिए मैं अपने ऊपर सारीं जिम्मेदारी लेकर यही आपको पत्र लिख देना चाहता हूँ।" और मैंने वही उनसे सादा कागज लेकर चिट्ठी लिख दी।

: ८ :

भारतीयोंने क्या किया ?—३

विलायतसे संबंध

पिछले प्रकरणोमें पाठकोंने देखा होगा कि भारतीय समाजने अपनी स्थिति सुधारनेके लिए विशेष और सामान्य रूपसे कितना प्रयत्न किया और उससे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। दक्षिण अफ्रीकामें जैसे उसने अपने सभी अंगोंका विकास करनेके लिए यथाशक्ति प्रयत्न किया उसी तरह हिंदुस्तान और विलायतसे जितनी मदद मिल सकती हो उतनी पानेकी कोशिश भी की। हिंदुस्तानके बारेमें तो शोड़ा पहले ही लिख चुका हूँ। विलायतसे मदद पानेके लिए क्या-क्या किया

गया, अब इसका उल्लेख आवश्यक है। कांग्रेसको ब्रिटिश कमटीके साथ तो संबंध जोड़ना ही चाहिए था। इसलिए हर हफ्ते हिंदूके दादा (दादाभाई नवरोजी) और कमटीके अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्नको पूरे विवरणकी चिट्ठी लिखी जाती और जब-जब आवेदन-पत्रकी नकल बगैरह भेजनेकी जरूरत होती तब-तब डाक-खर्च बगैरह और कमटीके साधारण खर्चमें सहायताके रूपमें कम-से-कम १० पौंड भेज दिए जाते।

यही दादाभाईंका एक पवित्र सम्बरण लिख दू। वह इस कमटीके अध्यक्ष न थे, फिर भी हमें यही जान पड़ा कि रुपये उन्हींकी माफत भेजना हमें शोभा देगा, वह भले ही उन्हे हमारी ओरसे अध्यक्षको दे दिया करे। पर पहली ही बार जो रकम हमने भेजी, दादाभाईंने उसे लौटा दिया और लिखा कि रुपये भेजने आदि कमटीसे संबंध-रखनेवाले काम आपको सर विलियम वेडरबर्नकी माफत ही करने चाहिए। मेरी अपनी (दादाभाईंकी) मदद तो रहेगी ही। पर कमटीकी प्रतिष्ठा सर विलियम वेडरबर्नकी माफत काम लेनेमें ही बढ़ेगी। मैंने यह भी देखा कि दादाभाईं इतने बूढ़े होनेपर भी अपने पत्रव्यवहारमें बहुत ही नियमित थे। उन्हे कुछ लिखना न हो तो भी पत्रकी पहुँच तो लौटती डाकसे आ ही जाती और उसमें आश्वासनके दो शब्द तो होते ही। ऐसी चिट्ठियाँ भी खुद ही लिखते और इन पहुँचवाली चिट्ठियोंकी नकल भी अपनी टिशु पेपर वुकमे छाप लेते।

एक पिछले प्रकरणमें मैं यह भी दिखा चुका हूँ कि यद्यपि कांग्रेसका नाम आदि हमने रखा था, पर अपने मसलेको एक पक्ष-का प्रश्न बना देनेकी बात हमने कभी सोची ही नहीं थी। इससे दादाभाईंकी जानकारीमें दूसरे पक्षोंके साथ भी हमारा पत्रव्यवहार चलता रहता। इसमें दो आदमी मुख्य थे, एक सर मचेरजी भावनगरी और दूसरे सर विलियम विलसन हंटर। सर

मंचेरजी भावनगरी उन दिनों पालमिटके सदस्य थे। इनको अच्छी मदद मिलती और वह सदा उपयोगी सूचनाएं भी दिया करते; पर दक्षिण अफ़्रीकाके प्रश्नके महत्त्वको भारतीयोंसे भी पहले समझने और कीमती मदद देनेवाले थे सर विलियम विलसन हंटर। ये 'टाइम्स'के भारतीय विभागके सम्पादक थे। उनको जब हमारा पहला पत्र मिला तभीसे वह दक्षिण अफ़्रीकाकी स्थितिका सच्चा रूप ब्रिटिश जनताके सामने रखने लगे और जहा-जहा ठीक जान पड़ा वहा-वहाँ निजी पत्र भी लिखे। जब कोई जरूरी मसला पेश होता तब उनकी डाक लगभग हर हफ्ते आती। अपने पहले ही उत्तरमें उन्होंने लिखा—“आपने जो स्थिति जताई है उसे पढ़कर मुझे दुख हुआ है। अपना काम आप विनयसे, शातिसे और अत्युक्तिसे बचते हुए कर रहे हैं। मेरी हमदर्दी इस मामलेमें पूरे तौरपर आपकी तरफ है और आपको न्याय मिले इसके लिए जो कुछ मुझसे हो सके वह निजी और सार्वजनिक रूपमें भी करना चाहता है। मुझे निश्चय है कि इस मामलेमें हम एक हृंच भी पीछे नहीं हट सकते। आपकी माग ऐसी है कि निष्पक्ष मनुष्य उसमें काटछांट करनेकी वात कह ही नहीं सकता।” लगभग यही शब्द 'टाइम्स'में इस विषयपर उन्होंने जो पहला लेख लिखा उसमें भी लिखे। यही स्थिति उन्होंने अंततक कायम रखी। लेडी हृटरने एक पत्रमें लिखा था कि जीवनके आखिरी दिनोंमें भी वह भारतीय प्रश्नपर एक लेखमाला लिखनेकी वात सोच रहे थे और उसका खाका तैयार कर लिया था।

मनसुखलाल नाजरका नाम पिछले प्रकरणमें दे चुका हूँ। अपने प्रश्नको अधिक अच्छी तरह समझानेके लिए वे कीमती तरफसे विलायत भेजे गए थे। उन्हे दोनों पक्षोंसे मिलकर काम करनेकी हिदायत की गई थी और विलायतमें

रहनेके दिनोंमें वह स्व० सर विलियम हृटर, सर मच्चेरजी भावनगरी और काप्रेसकी विटिश कमेटीके साथ बरावर मिलते रहते थे। वैसेही वे भारतीय सिविल सर्विसके पेशानर कर्मचारियों, भारतीय सचिवके दफ्तर और उपनिवेश विभाग आदिसे भी सम्पर्क रखते थे। इस प्रकार एक भी दिशा, जहाँ हमारी पहुँच हो सकती थी, कोविशासे खाली नहीं रखी। इस सबका फल इतना तो पक्को तौरसे हुआ कि प्रवासी भारतीयोंको स्थिति बड़ी सरकारके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गई और उसका भला-बुरा असर दूसरे उपनिवेशोंपर भी पड़ा। यानी जहा-जहा हिंदुस्तानी वसते थे वहा-वहाँ हिंदुस्तानी और गोरे दोनों जागत हो गए।

: ६ :

बोअर-युद्ध

जिन पाठकोंने पिछले प्रकरणोंको ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा उन्हे इसकी कल्पना हो गई होगी कि बोअर-युद्धके समय दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंकी कथा स्थिति थी। तबतक हुए प्रयत्नोंकी चर्चा भी की जा चुकी है।

१८९९ ई० मे डाक्टर जेमिसनने, खानोंके मालिकोंके साथ हुए गुप्त परामर्शके अनुसार, जोहान्सबर्गपर धावा किया। दोनोंकी आशा तो यह थी कि जोहान्सबर्गपर कब्जा हो जानेके बाद ही बोअर सरकारको उनके धावेकी खबर होगी; पर यह हिंसाव लगानेमे ३० जेमिसन और उनके दोस्तोंने मारी भूल की। उनका दूसरा अदाजा यह था कि उनकी गुप्त योजना प्रकट हो भी गई तो रोडेशियामे सिखाये हुए निशानवाजों-के सामने रण-शिक्षासे कोरे बोअर किसान क्या कर

सकेंगे, उन्होंने यह भी सोच रखा था कि जोहान्सवर्गकी आवादीका वहुत बड़ा भाग तो हमारा स्वागत ही करेगा। पर इस भले डाक्टरका यह हिंसाव भी गलत रहा। राष्ट्रपति क्रांतिकारको सारी योजनाकी खबर बक्तसे मिल गई थी। उन्होंने अंतिशय शाति और कृशलताके साथ गुप्त रीतसे डाक्टर जेमिसनका सामना करनेकी तैयारी कर ली और साथ-साथ जो लोग साजिशमें उनके साथी थे उन्हे गिरफ्तार कर लेनेकी तैयारी भी कर रखी। अत. डाक्टर जेमिसन जोहान्सवर्गके पास पहुंच पाए इसके पहले ही बोअर सेनाने गोलियोंकी बौछारसे उनका स्वागत किया। इस सेनाके सामने डाक्टर जेमिसनका जथा टिक नहीं सकता था। जोहान्सवर्गमें कोई बगावत न कर सके, इसका भी पूरा प्रवध कर लिया गया था। इससे वहा किसीने सिर उठानेका साहस नहीं किया। राष्ट्रपति क्रांतिकी सरगर्मीसे जोहान्सवर्गके करोडपति अवाक् रह गये। इन्होंनी बढ़िया तैयारी कर रखनेका अति सुदर फल यह हुआ कि इस सकटका सामना करनेमें सरकारका कम-से-कम पैसा खर्च हुआ और जानका नुकसान भी कम-से-कम हुआ।

डा० जेमिसन और उनके दोस्त सोनेकी खानोंके मालिक पकड़े गए। उनपर तुरत मुकदमा चलाया गया। कितनोंको फाँसीकी सजा हुई। इनमें अधिकांश तो करोडपति ही थे। बड़ी भरकार इसमें क्या कर सकती थी? दिन-दहाडेका हमला था। राष्ट्रपति क्रांतिका महत्व एकबारगी बढ़ गया। उपर्यन्तवेश-सचिव मिंचे बेरलेनने द्वौनवचन-युक्त तार भेजा और राष्ट्रपति क्रांतिके दयाभावको जगाकर उन बड़े आदभियोंके लिए दयाकी भीख मार्गी। राष्ट्रपति क्रांति अपना दाव अच्छी तरह खेलना जानते थे। दक्षिण अफ्रीकामें कोई शक्ति उनकी राजशक्ति छीन सकती है, इसका ढर उन्हे था ही नहीं।

डाक्टर जेमिसन और उनके मित्रोंकी साजिश उनकी गणनाके अनुसार तो सुयोजित वस्तु थी, पर राष्ट्रपति कूगरके हिसाबसे वह वालबुद्धिका कार्य थी। इसलिए उन्होने मिं० चेवरलेनकी विनती स्वीकार कर ली और किसीको भी फाँसीकी सजा नहीं दी। इतना ही नहीं, सभी अपराधियोंको क्षमा देकर छोड़ दिया !

पर उछला हुआ अन्न कबतक पेटमें रह सकता है ? राष्ट्रपति कूगर भी जानते थे कि डा० जेमिसनका हमला तो गर्भीर रोगका छोटासा चिन्ह-मात्र था। जोहान्सवर्गके करोड़पति अपनी बेइज्जतीको किसी तरह भी घो डालनेका प्रयत्न न करे, यह हो नहीं सकता था। फिर जिन सूचारोंके लिए डा० जेमिसनके हमलेकी योजना की गई थी उनमसे तो एक भी नहीं हो पाया था। इसलिए करोड़पति मुंह बद किये बैठे रहे यह मुमकिन नहीं था। उनकी मांगोंके साथ दक्षिण अफ्रीकामे निटिश साम्राज्यके प्रधान प्रतिनिधि (हाई कमिशनर) लाई भिलरकी पूरी हमदर्दी थी। वैसे ही मिं० चेवरलेनने भी ट्रांसवालके "विद्रोहियोंके प्रति राष्ट्रपति कूगरकी महत्ती उदारताकी सराहना करनेके साथ ही सुधार करनेकी आवश्यकताकी ओर भी उनका ध्यान खीचा था। सभी मानते थे कि बिना तलबार उठाये यह भगडा मिटनेवाला नहीं है। सानोंके मालिकोंकी मारे ऐसी थीं कि उनका अन्तिम परिणाम ट्रांसवालमे बोअरोंकी प्रधानताका नष्ट हो जाना ही हो सकता था। दोनों पक्ष समझते थे कि आखिरी नतीजा लड़ाई ही है। इसलिए दोनों उसकी तैयारी कर रहे थे। इस समयका शब्द-न्युद देखने लायक था। राष्ट्रपति कूगर बाहरसे अधिक हथियार मंगाते तो निटिश एजट उन्हें चेतावनी देता कि आत्मरक्खाके लिए अग्रेज सरकारको भी दक्षिण अफ्रीकामे थोड़ी सेना लानी होगी। जब निटिश सेना दक्षिण

अफ्रीकामे दाखिल होती तो राष्ट्रपति कूगरकी ओरसे ताना मारा जाता और ज्यादा तैयारी की जाती। यो एक पक्ष दूसरेपर दोप लगाता और दोनों युद्धकी तैयारी करते जाते।

राष्ट्रपति कूगर जब पूरी तैयारी कर चुके तब उन्होंने देखा कि अब वैठे रहना तो अपनी गरदन खुद दुश्मनके हाथमे दे देना है। ब्रिटिश साम्राज्यके पास घन-जनका अक्षय भडार है। वह लंबे अरसेतक धीरे-धीरे तैयारी करते और राष्ट्रपति कूगरको समझाते-बुझाते न्यायकी विनती करते हुए वक्त गुजार सकता है और यो दुनियाको दिखा सकता है कि जब राष्ट्रपति कूगर खान मालिकोंको न्याय दे ही नहीं रहे हैं तब हमे निरुपाय हीकर युद्ध करना पड़ रहा है। यो कहकर वह ऐसी जवांस्त तैयारीके साथ युद्ध करेगा कि बोअर उसके सामने टिक ही नहीं सकेंगे और उन्हें दीन बनकर उसकी माँगे मंजर करनी पड़ेगी। जिस जातिके १८ से लगाकर साठ सालतकके सारे पुरुष कँचल योद्धा हो, जिसकी स्त्रिया भी चाहे तो तलवारके हाथ दिखा सकती हो, जिस जातिमे स्वतंत्रता धार्मिक सिद्धात माना जाता हो, वह जाति चक्रवर्ती राजाके बलके सामने भी दैन्य ग्रहण नहीं करेगी ! बोअर जनता ऐसी ही वीर थी।^{१०}

आरेज फ्री स्टेटके साथ राष्ट्रपति कूगरने पहले ही मंत्रणा कर ली थी। इन दोनों बोअर राज्योंकी एक ही पढ़ति थी। राष्ट्रपति कूगरका यह इरादा विल्कुल ही नहीं था कि ब्रिटिश माँगको पूरा-पूरा या इस हृदतक मजूर कर ले कि खानोंके मालिकोंको सतोष हो जाय। अतः दोनों राज्योंने सोचा कि जब युद्ध होना ही है तब अब इसमे जितनी देर की जायगी उतना ही वक्त ब्रिटिश सल्तनतको अपनी तैयारी बढ़ानेके लिए मिलेगा। फलत राष्ट्रपति कूगरने अपना अतिम विचार और आखिरी माँग लाई मिलरको लिख भेजी। इसके साथ ही ट्रासवाल और आरेज फ्री स्टेटकी सरहदोंपर फौज

भी जमादी। इसका नतीजा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता था। विटिश साम्राज्य जैसा चक्रवर्ती राज्य धर्मकीके सामने कब मुक्त सकता है? 'अल्टिमेटम'की अवधि पूरी हुई और बोअर सेना विद्युद्वेगसे आगे बढ़ी। उसने लेडी स्मिथ, किवरली और मेफोरिंगका बेरा डाल दिया। इस प्रकार १८९९ मे यह महायूद्ध आरम हुआ। पाठक जानते ही हैं कि इस युद्धके कारणमें यानी विटिश भागोमें बोअर राज्यमें भारतीयोंकी परिस्थिति, और उनके साथ होनेवाला व्यवहार भी शामिल था।

इस अवसरपर दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंका कर्तव्य क्या है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न उनके सामने उपस्थित हुआ। बोअर लोगोंमेंसे तो सारा पुरुषबांग लड़ाइपर चला गया। बकीलोंने बकालत छोड़ी, किसानोंने अपने खेत छोड़े, व्यापारियोंने अपनी कोठियों-टुकानोपर ताले डाल दिए, नौकरी करनेवालोंने नौकरी छोड़ी। अग्रेजोंकी तरफसे बोअरोंके बराबर तो नहीं, फिर भी केप कॉलोनी, नेटाल और रोडेशियामें असैनिक बंगके बहुसंख्यक लोग स्वयंसेवक बने। बहुतसे बड़े अंग्रेज बकीलों और व्यापारियोंने उनमें नाम लिखाया। जिस अदालतमें मे बकालत करता था उसमे भी अब बहुत ही थोड़े बकील दिखाई दिये। बड़े बकीलोंमेंसे तो अधिकांश लड़ाइके काममे लग गये थे। हिन्दुस्तानियों पर जो तुहमते लगाई जाती है उनमेंसे एक यह है, "ये लोग दक्षिण अफ्रीकामें केवल पैसा कमाने और जोड़नेके लिए आते हैं। हम (अंग्रेजों) पर वे निरे भार रूप हैं और जैसे कीड़ा काठके भीतर बसकर उसको कूरेकर खोखला कर देता है वैसे ही ये लोग हमारा कलेजा कूरेकर खा जानेके लिए ही आये हैं। इस देशपर हमला है, हमारा घरवार लट जानेका बक्त आजाय तो ये हमारे कुछ भी काम आनेवाले नहीं। हमें लुटेरोसे अपना ही बचाव नहीं करना होगा, इन लोगोंकी रक्खा भी करनी होगी।"

इस आरोपपर भी हम सभी भारतीयोंने विचार किया। हम सबको जान पढ़ा कि यह आरोप मिथ्या, निराघार है। इसे सिद्ध करनेका यह बहुत बढ़िया भौका है। पर दूसरी ओरसे नीचे लिखी थाते भी सोचनी पड़ी :

“हमें तो अंग्रेज और बोअर दोनों एकसा सताते हैं। द्वांसवालमें डुख हो और नेटाल, केप कॉलोनीमें न हो, सो बात नहीं है। कोई अतर है तो केवल माश्राका। फिर हमारी स्थिति तो गुलाम कौमकी-सी कही जाती है। हम जानते हैं कि बोअर जैसी मुट्ठीभर आदमियोंकी कौम अपने अस्तित्वक लिए लड़ रही हैं। इस दशामें भी हम उसका विनाश होनेमें सहायक बयो हो? अतमे व्यवहारकी दृष्टिसे देखे तो कोई यह कहनेका साहस नहीं कर सकता, कि बोअर इस लडाईमें हार जाएंगे। वह जीत गए तो हमसे बदला चुकानेमें कब चूकनेवाले हैं?”

इस दलीलको पेश करनेवाला हमसेएक सबल पुक्ष था। मैं खुद भी इस दलीलको समझता और उसको मुनासिब बजान भी देता था। फिर भी वह मुझे ठीक नहीं लगी और उसके भीतर भरे हुए अर्थका उत्तर मैंने अपने आपको और कौमको इस प्रकार दिया

“दक्षिण अफ्रीकामें हमारी हस्ती महज ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे ही है। हरएक अजीमें हमने ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे ही हक मांगे हैं। ब्रिटिश प्रजा होनेमें हमने गौरव माना है, या अपने ऊपर जासन करनेवालों और दुनियासे यह मनवाया है कि उसमें हमारा गौरव है। राज्याधिकारियोंने भी हमारे हकोंकी रक्षा केवल इसीलिए की है कि हम ब्रिटिश प्रजाजन हैं और जो थोड़े-बहुत हक बचाए जा सके हैं वह भी हमारे ब्रिटिश प्रजा होनेसे ही है। जब अंग्रेजोंका और हमारा भी घरवार लूट जानेका सतरा हो तब महज दर्शककी

तरह दूरसे तमाशा देखते रहे तो यह हमारे मनुष्यत्वको शोभा नहीं देगा। यही नहीं, यह अपने कष्टको और बढ़ा लेना भी होगा। जिस आरोपको हम भिन्ना मानते हैं उसको झूठा सावित कर देनेका हमें अनायास अवसर मिला है। इस अवसरको खो देना अपने हाथों ही उस इल्लामकी सचाइका सबूत पेश कर देना होगा। फिर हमारे ऊपर अधिक दृश्य आए और अंग्रेज और ज्यादा ताना मारें तो यह अचरज-की बात न होगी। यह तो हमारा ही अपराध माना जायगा। अंग्रेजोंके सारे आरोप आधार-रहित हैं, उनमे दलीलके लायक भी दम नहीं है, यह कहना अपने आपको ठगने जैसा है। यह सही है कि विटिश साम्राज्यमें हमारी हैसियत गुलाम की-नी है, पर अबतक हमारा व्यवहार यही रहा है कि साम्राज्यमें रहते हुए गुलामीसे छटनेकी कोशिश करते रहे। हिंदुस्तानके सभी नेता इसी नीतिका अनुसरण कर रहे हैं। हम भी यही करते रहे हैं। अगर हम चाहते हों कि विटिश साम्राज्यके अंग बने रहकर ही अपनी स्वाधीनता प्राप्त करें और उन्नति करें तो इस बक्त लड़ाईमें तन-मन-घनसे अंग्रेजों-की मदद करके बैसा करनेका यह सुनहला मौका है। बोअरोंका पक्ष न्यायका पक्ष है, यह बात अधिकांशमें स्वीकार की जा सकती है; पर किसी राज्यतंत्रके अंदर रहकर प्रजावंशका प्रत्येक जन हर मामलेमें अपनी निजकी रायपर अमल नहीं कर सकता। राज्याधिकारी जितने काम करें सब ठीक ही हों, यह नहीं होता। फिर भी प्रजावंश जवतक शासन-विशेषको स्वीकार करता है तबतक उसके कार्योंके अनुकूल होना और उनमें सहायता करना उसका स्पष्ट घर्म है।

“फिर प्रजाका कोई वर्ण धार्मिक दृष्टिसे राज्यके किसी कार्यको अनीतिमय मानता हो तो उसका फर्ज है कि उस कार्यमें विष डालने या सहायता करनेके पहले राज्यको उस

अनीतिसे वचानेकी कोशिश परे तौरसे और जानकी जोखिम उठाकर भी करे। हमने ऐसा कछु नहीं किया। ऐसा धर्म हमारे सामने उपस्थित भी नहीं है और न हममेंसे किसीने यह कहा या माना है कि ऐसे सार्वजनिक और व्यापक कारणसे हम इस लडाईमें जामिल होना नहीं चाहते। अत प्रजाखूपमें हमारा सामान्य धर्म तो यही है कि लडाईके गुण-दोषका विचार न कर जब वह हो ही रही है तो उसमें यथागति सहायता करे। अंतमें यह कहना या मानना कि वोअर राज्योंकी जीत होनेपर—वे न जीतेगे यह माननेके लिए कोई भी कारण नहीं है—हम चूल्हेसे निकलकर भाडमें गिरेंगे और पीछे वे मनमाना बैर चुकाएंगे, दौर बोअर-जाति और खुद अपने साथ भी अन्याय करना है। यह बात तो महज हमारी नामदीकी निशानी गिनी जायगी। ऐसा सोचना तक अपनी बफादारीको बढ़ा लगाना होगा। कोई अंग्रेज क्या क्षणभरके लिए भी यह सोच सकता है कि अंग्रेज हार गए तो मेरी अपनी क्या दशा होगी? लडाईके मैदानमें उत्तरनेवाला कोई भी आदमी अपनी मनुष्यता गंवाए विना ऐसी दलील कर ही नहीं सकता।”

यह दलील मैने १८९९ मे सामने रखी थी और आज भी उसमें कही रहदोबदलकी गुजाइश नहीं दिखाई देती। अर्थात् विटिश राज्यतंत्रके प्रति जो मोह उस वक्त मेरे मनमें था, उस राज्यतंत्रके अधीन रहकर अपनी आजादी हासिल कर लेनेकी जो आशा उस समय मैने दबाई थी वह मोह और वह आशा आज भी मेरे मनमें बनी हो तो मैं अक्षरक्षः यही दलील दक्षिण अफ्रीकामें और वैसी परिस्थितिमें यहाँ भी पेश करूँगा। इस दलीलका खड़न करनेवाली वहुतेरी दलीलें मैने दक्षिण अफ्रीकामें सुनी और उसके बाद विलायतमें भी सुनी। फिर भी अपने विचार बदलनेका

कोई भी कारण में नहीं देख सका। मैं जानता हूँ कि मेरे आजके विचारोंका प्रस्तुत विषयके साथ कुछ भी संबंध नहीं; परं ऊपरका भेद जता देनेके लिए ही सबल कारण है। एक तो यह कि यह पुस्तक उत्तान्तीसे हाथमे लेनेवाला इसे धीरजके साथ और व्यानपर्वक पढ़ेगा, यह आशा रखनेका मुफ्त कोई हक नहीं। अद्यती पाठकको मेरी आजकलकी सरगर्मीके साथ उपर्युक्त विचारोंका मेल बैठाना कठिन होगा। दूसरा कारण यह है कि इस विचार-श्रेणीके अन्दर भी सत्यका ही आश्रह है। जैसा अन्तरमें है वैसा ही दिखाना और तदनुसार आचरण करना वर्मचिरणकी आविस्तारी नहीं, पहली सीढ़ी है। वर्मंकी इमारत इस नींवके बिना खड़ी करना असंभव है।

अब हम पिछले हितिहासकी ओर लौटें।

मेरी दलील बहुतोंको पसंद आई। मैं पाठकोंसे यह मनवाना नहीं चाहता कि यह दलील अकेले मेरी ही थी। फिर यह दलील पेश की जानेके पहले भी लड़ाइमें साथ देनेका विचार रखनेवाले बहुतेरे हिंदुस्तानी थे ही; परं अब व्यावहारिक प्रश्न यह उपर्युक्त हूँवा कि युद्धके इस नक्कारखानेमें हिंदुस्तानी तृतीयीकी आवाज कौन सुनेगा? उसकी क्या गिनती होगी? हथियार तो हममेंसे किसीने कभी हाथमें लिया ही नहीं था। युद्धके बिना हथियारवाले काम करनेके लिए भी तालीम तो मिली ही चाहिए। यहाँ तो एक तालपर कूच करना भी हममेंसे किसीको नहीं आता था। सेनाके साथ लेंबी मजिलें करना, अपना सामान खुद लादकर चलना, यह भी हमसे कैसे होगा? फिर गोरे हम सबको कुछी ही समझेंगे। अपमान भी करेंगे, तिरस्कारकी दृष्टिसे देखेंगे। यह सब कैसे सहन होगा? हमने फौजमें भरती होनेकी माँग की तो इस माँगको मंजूर कैसे करायेंगे? अन्तमें हम सब इस

निश्चयपर पहुँचे कि इस मागको मजूर करनेके लिए जोरदार कोशिश करे। काम कामको सिखाता है। इच्छा होगी तो जक्ति ईश्वर देगा ही। सौंपा हुआ काम कैसे होगा, इसकी चिंता छोट दे। युद्ध-कार्यकी जितनी शिक्षा मिल सके उतनी ले ले और एक बार सेवा-धर्म रवीकार करनेका निश्चय कर लें तो फिर मान-अपमान के विचारको दूर रखे। अपमान हो तो उसे सहकर भी सेवा करते रहे।

अपनी मांगको मजूर करनेमे हमे बेहद कठिनाइयोका सामना करना पड़ा। उनका इतिहास रोचक है, पर उसे देनेका यह स्थान नहीं। इसलिए इतना ही कह देना काफी होगा कि हममेंसे भूख्य जनोंने घायलों और रोगियोकी सेवा-शुश्रृष्टा करनेकी शिक्षा प्राप्त की, अपनी शारीरिक स्थितिके विषयमे डाक्टरका सार्टिफिकेट हासिल किया और लडाईपर जानेकी माग सरकारके पास भेज दी। इन पत्र और मागको मंजूर करनेके लिए उसमे जो आग्रह दिखाया गया था उसका बहुत अच्छा असर हुआ। पत्रके उत्तरमे सरकारने हमारा उपकार माना, पर उस बबत हमारी माग मजूर करनेसे इन्कार किया। इस बीच बोअरोका बल बढ़ता गया। उनका बढ़ाव जवर्दस्त बाढ़की तरह हुआ और नेटालकी राजधानीतक पहुँच जानेका खतरा दिखाई देने लगा। हजारो जख्मी हुए। हमारी कोशिश तो जारी ही थी। अतमे 'ऐम्ब्युलेस कोर' (घायलोंको उठाने और उनकी सेवा करनेवाले दस्ते) के रूपमे हमे स्वीकार कर लिया गया। हम तो लिख ही चुके थे कि अस्पतालोंमे पालाने साफ करने या झाड़ लगानेका काम भी हमे मजूर होगा। अतः ऐम्ब्युलेस कोर बनानेका सरकारका विचार हमे स्वागत करने योग्य जान पड़े, इसमें कोई अचरजकी बात नहीं। हमारा प्रस्ताव स्वतंत्र और गिरमिट-मुक्त भारतीयोके विषयमें ही था, पर हमने सलाह दी थी कि

गिरमिटियोंको भी इसमें शामिल कर लेना चांचनीय है। इस वक्त तो सरकारको जितने भी आदमी मिल सके उतने दरकार थे। इससे सब कोठियोंमें भी निमत्रण भेजे गये। फलत् लगभग ११०० भारतीयोंका शानदार विशाल दस्ता हड्डियोंसे रवाना हुआ। उसके प्रस्थानके समय श्री एस्कंबने, जिनके नामसे पाठक परिचित ही हैं और जो नेटालके गोरे स्वयं-सेवकोंके महानायक थे, हमें घन्यवाद और आशीर्वाद दिया।

अग्रेजी अखदारोंको यह सब चमत्कार-सा लगा। हिंदु-स्तानी युद्धमें कुछ भी मदद देगे इसकी उन्हे आशा ही नहीं थी। एक अग्रेजने अपने एक प्रमुख पत्रमें एक स्तुतिकाव्य लिखा, जिसके टेककी पवित्रिका अर्थ यह है, “अन्ततः हम सभी एक ही साम्राज्यके बच्चे हैं।”

इस दस्तेमें ३०० से ४०० तक गिरमिट-मुक्त हिंदुस्तानी थे जो स्वतंत्र भारतीयोंकी कोशिशेसे इकट्ठा हुए थे। इनमेंसे ३७ मुखिया माने जाते थे। इन्हीं लोगोंके हस्ताक्षरसे सरकारके पास प्रस्ताव भेजा गया था और दूसरोंको इकट्ठा करनेवाले भी यही थे। नेताओंमें बैरिस्टर, कलर्क, मुनीम आदि थे। वाकीके लोगोंमें कारीगर, राज, बढ़ई और मामूली मजदूर वर्गरह थे। इनमें हिंदू, मुसलमान, मद्रासी, उत्तर भारत वाले इस प्रकार सभी वर्गोंके लोग थे। व्यापारी वर्गमेंसे, कह सकते हैं कि एक भी आदमी नहीं था; पर व्यापारियोंने अपना हिस्सा पैसेके रूपमें दिया और काफी दिया।

इतने बड़े दस्तेको जो फौजी मत्ता मिलता है उसके अतिरिक्त दूसरी जहरते भी होती है और वे पूरी हो जाय तो इस कठिन जीवनमें कुछ राहत मिल जाती है। ऐसी राहत देनेमें १०० चीजें जुटानेका भार व्यापारी वर्गने अपने सिर लिया। इसके साथ-साथ जिन धायलोकी हमें सेवा करनी पड़ती थीं उनके लिए भी मिठाई, बीड़ी-सिगरेट आदि देनेमें

उन्होंने अच्छी मदद की । हमारा पडाव जब किसी नगरके पास होता तो वहाके व्यापारी ऐसी मदद देनेमें पूरा हिस्सा लेते थे ।

जो गिरमिटिए हमारे दस्तेमें शामिल हुए थे उनके लिए उनकी अपनी कोठियोंसे अग्रेज नायक भेजे गए थे; पर काम तो सबका एक ही था । सबको साथ ही रहना भी होता था । ये गिरमिटिए हमें देखकर बहुत खुश हुए और एक पूरे दस्तेकी व्यवस्था सहज ही हमारे हाथमें आ गई । इससे यह सारा दस्ता हिंदुस्तानी दस्ता ही कहा गया और उसके कामका यश भी भारतीय जनताको ही मिला । सब पूछिये तो गिरमिटियोंके इसमें शामिल होनेका यश भारतीय जनता नहीं ले सकती थी, उसके अधिकारी तो कोठीबाले ही थे । पर इतना सही है कि दस्ते सगठित हो जानेके बाद उसकी सुव्यवस्थाका यश स्वतंत्र भारतीय दर्थात् भारतीय जनता ही ले सकती थी और इसका स्वीकार जनरल बूलरने अपने सरीतोंमें किया है ।

हमे घायलो और पीडितोंकी सेवा-शुश्रूषाकी शिक्षा देनेवाले डाक्टर वृथ भी मेडिकल सुपरिटेंडेंटके रूपमें हमारे दस्तेके साथ थे । ये भले पादरी थे और भारतीय हँसाइयोंमें काम करते हुए भी सबको साथ मिलते-जुलते थे । ऊपर जिन ३७ आदमियोंको मैंने नेताओंमें गिनाया है उनमेंसे अधिकाश इस भले पादरीके शिष्य थे ।

जैसे हिंदुस्तानियोंका दस्ता बना था वैसे ही यूरोपियनोंका भी बनाया गया था । दोनोंको एक ही जगह काम भी करना होता था ।

हमारा प्रस्ताव बिना शर्तके था । पर स्वीकार-पत्रमें यह जता दिया गया था कि हमे तोप या बदूककी मारकी हृदमें जाकर काम नहीं करना होगा । इसके मानी यह होते थे कि

रणक्षेत्रमे जो सिपाही घायल हो उन्हे सेनाके साथ रहनेवाला स्थायी सेवादल (ऐम्ब्युलेस कोर) उठाकर फौजके पीछे, तोप-वंडूककी मारके बाहर पहुंचा दे । गोरोका और हमारा तात्कालिक सेवादल सुगठित करनेका कारण यह था कि लेडी स्मिथमे घिरे हुए जनरल छ्वाइटको छुड़ानेके लिए जनरल दूलर महाप्रयास करनेवाले थे और इसमे इन्हने आदमियोके घायल होनेका ढर था कि स्थायी सेवादल उन्हे सम्भाल नहीं सकता था । लड़ाईं ऐसे प्रदेशमे हो रही थीं जहा रणक्षेत्र और केन्द्रके बीच पक्की सड़के भी नहीं थीं । इस कारण घोड़ा-गाड़ी आदि सवारियोंसे घायलोंको ले जाना भी युमिकिन नहीं था । केन्द्रीय शिविर सदा किसी-न-किसी रेलवे स्टेशनके पास रखा जाता था और वह मैदानसे सात-आठसे लगाकर पच्चीस मीलतकके फासले पर होता था ।

हमे काम तुरत मिल गया और वह जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा कहा था । घायलोको उठाकर ७-८ मील ले जाना तो मामूली बात थी, पर अक्सर बुरी तरह घायल सैनिको और अफसरोंको उठाकर हमे पच्चीस-पच्चीस मील ले जाना पड़ता था । रास्तेमें उन्हे दवा भी देनी पड़ती थी । कूच सवरे ८ बजे शुरू होता और शामके पांच बजे छावनीके अस्पतालपर पहुंच जाना पड़ता । यह बहुत कठिन काम समझा जाता । घायलको उठाकर एक ही दिनमें २५ मील ले जानेका मौका तो एक ही बार आया । फिर शुरूमे अंग्रेजोंकी हार-पर-हार हो गई और जर्खियोंकी तादाद बहुत बढ़ गई । इससे हमे मारके बंदर ले जानेका विचार भी अधिकारियोको ताकपर रख देना पड़ा । पर मुझे यह बता देना होगा कि जब ऐसा मौका आया तब हमसे यह कह दिया गया कि आपके साथ की हुई चर्तुके अनुसार आप लोग ऐसी जगह नहीं भेजे जा सकते जहा आपको तोपका गोला या बहूककी गोली लगनेका खतरा हो । इसलिए

१५८४

अगर आप इस खतरमें न पड़ना चाहते हो तो आपको इसके लिए मजबूर करनेका जनरल बूलरका जरा भी इरादा नहीं। पर आप यह जोखिम उठा लेंगे तो सरकार आपका अहसान मानेगी। हम तो जोखिम लेना चाहते ही थे। खतरेसे बाहर रहना हमें कभी पसंद नहीं आया था। अत हम सबने इस अवसरका स्वागत किया, पर किसीको न गोली लगी और न कोई और तरहकी चोट पहुंची।

इस दस्तेके रोचक अनुभव तो कितने ही हैं, पर उन सबको देनेके लिए यहां स्थान नहीं। फिर भी इतना बता देना चाहिए कि हमारे दस्तेको, जिसमे अनधड, शिक्षा-संस्कार-रहित गिरिमिटिए भी शामिल थे, यरोपियनोके स्थायी सेवादल और काली फौजके गोरे सिपाहियोंसे अकसर मिलने-जुलने और साथ काम करनेके मौके आते, पर हममेंसे किसीको यह नहीं जान पड़ा कि गोरे हमारे साथ अशिष्ट व्यवहार करते हैं या हमें तुच्छ समझते हैं। गोरोंके तात्कालिक दस्तेमें तो दक्षिण अफ्रीकामें वसे हुए गोरे ही भरती हुए थे। लडाईके पहले वे हिंदुस्तानी विरोधी आन्दोलन करनेवालोंमें से थे, पर इस सकट-कालमें हिंदुस्तानी अपने निजके दुख भूलकर हमारी मददके लिए आगे आये हैं, इस ज्ञान और इस दृश्यने उनके दिलको भी क्षण भरके लिए पिघला दिया था। जनरल बूलरके खरीदेमें हमारे कामकी तारीफ की गई थी, यह लिख चुका हूँ। ३७ मुखियोंको लडाईमें अच्छा काम करनेके लिए तमगे भी दिए गये।

लेडी स्मिथके छुटकारेके लिए जनरल बूलरने जो यह हमला किया था उसके परा होनेके दो महीनेके अदर ही हमारे और गोरोंके दस्तोंको भी घर जानेकी इजाजत दे दी गई। लडाई तो इसके बाद बहुत दिनोंतक चलती रही। हम तो फिर शामिल होनेके लिए सदा ही तैयार थे और विघटनके आदेशके

साथ यह कह दिया गया था कि फिर ऐसी जबर्दस्त जगी कार्रवाई करनी पड़ी तो सरकार आपकी सेवाका उपयोग अवश्य करेगी।

दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयों हारा युद्धमे अपित यह सहायता नगण्य गिनी जायगी। उनके काममें जानका खतरा तो कह सकते हैं कि विलकूल ही नहीं था। फिर भी शुद्ध इच्छाका असर तो हुए बिना रहता ही नहीं। फिर इस इच्छाका अनुभव ऐसे बहत हो जब कोई उसकी आशा न रखता है तब तो उसकी कीमत हूनी आकी जाती है। जबतक लड़ाई चलती रही, भारतीयोंके विषयमे ऐसी सुदर भावना बनी रही।

इस प्रकरणको समाप्त करनके पहले मुझे एक जानने योग्य वृत्तात् सुना देना चाहिए। लेडी स्मिथमे घिरे हुए लोगोंमें अब्जेक्टोंके साथ-साथ वहाँ बसनेवाले इक-टुकके हितुतानी भी थे। उनमे कुछ व्यापारी और क्षेत्र गिरिमिटिया थे, जो रेलवे कंपन्चारी और गोरे गृहस्थोंके गहाँ खिदमतगारी करते थे। उनमे एक प्रभुसिंह नामका गिरिमिटिया था। घिरे हुए आदमियोंको अफसर कुछ काम तो सौपता ही है। एक बड़ा ही जॉखिमवाला और उतना ही मूल्यवान् काम कल्याणमें गिने जानेवाले प्रभुसिंहके जिम्मे किया गया था। लेडी स्मिथके पासकी पहाड़ीपर दोअर लोगोंकी एक 'पोम-पोम' तोप थी। इसके गोलोंसे बहुत-से मकान घराशायी हुए और बहुत-से लोगोंने जानसे भी हाथ घोया। तोपसे गोलेके द्वाने और दूरके निशानेतक पहुचनेमें एक-दो मिनट तो लग ही जाते हैं। इतनी देरकी चेतावनी भी घिरे हुए लोगोंको भिल जाय तो वे किसी-न-किसी आडमे छिप जाते और अपनी जान बचा लेते। प्रभुसिंहको एक पेहके नीचे बैठनेकी ढूयूटी ही गई थी। जबसे तोप दगने लगी और जबतक दगती रही तबतक उसे वहा बैठे और तोपबाली पहाड़ीकी ओर आंख लगाये

रहना पड़ता। ज्योही उसे आग भड़कती दिखाई दे, तुरत घटा बजा देना होता। उसे सुनकर जैसे विल्लीको देखकर चूहे अपने विल्से घुस जाते हैं वैसे ही जानलेवा गोलेके आनंदकी सूचनाका घटा बजते ही नगरवासी अपनी-अपनी छिपनेकी जगहमें छिप जाते और अपनी जान बचा लते।

प्रभुसिंहको इस अमल्य सेवाकी सराहना करते हुए लेडी स्मिथके फौजी अफसरने लिखा है कि प्रभुसिंहने ऐसी निष्ठासे काम किया कि एक बार भी वह घटा बजानेसे नहीं चूका। यह बतानेकी जरूरत शायद ही हो कि प्रभुसिंहको खुद तो सदा खतरेमें ही रहना पड़ता था। यह बात नेटालमें तो मशहूर हुई ही, लार्ड कर्जन (हिंदुस्तानके तत्कालीन वाइसराय) के कानतक भी पहुंची। उन्होने प्रभुसिंहको भेट करनेके लिए एक काश्मीरी जामा भेजा और नेटालकी सरकारको लिखा कि प्रभुसिंहको यह उपहार समारोह-पर्वक प्रदान किया जाय और जिस कारण्जारीके लिए उसे यह दिया जा रहा है उसका जितना ढिढोरा पीटा जा सकता हो पीटा जाय। यह काम डर्बनके मेथरको सौंपा गया और डर्बनके टाउनहालमें सार्वजनिक सभा करके प्रभुसिंहको उक्त उपहार अपित किया गया। यह दृष्टात हमें दो बातें सिखाता है एक तो यह कि हम किसी भी मनुष्यको तुच्छ न समझे। दूसरी यह कि डरपोक-से-डरपोक आदमी भी अवसर आनेपर वीर बन सकता है।

: १० :

लड़ाईके बाद

युद्धका मुख्य भाग १९०० मे पूरा हो गया। इस वीच लेडी स्मिथ, किबरली और मेफेकिंगका छुटकारा हो गया

था। जनरल क्रोजे हार चुके थे। बोअरोने निटिश उपर्युक्त वेशोंका जितना भाग जीत लिया था वह सब निटिश सत्तानतको वापस मिल चुका था। लाई किंचनरने ट्रांसवाल और ऑरेज फी स्टेट्सको भी जीत लिया था। अब कुछ वाकी था तो केवल 'बानर युद्ध' (गोरीला वारफेयर)।

मैंने सोचा कि दक्षिण अफ्रीकामे अब मेरा काम पूरा हो गया भान लिया जा सकता है। एक महीनेके बदले मैं छ बरस रह गया। कार्यकी रूप-रेखा बघ गई थी। फिर भी भारतीय जनताके खुशीसे इजाजत दिये बिना मेरा निकास नहीं हो सकता था। मैंने अपने साथियोंको बताया कि मेरा इरादा हिंदुस्तानमे लोकसेवा करनेका है। स्वार्थके बदले सेवाधर्मका पाठ मैं दक्षिण अफ्रीकामे पढ़ चुका था। उसकी छुन सभा चुकी थी। मनसुखलाल नाजर दक्षिण अफ्रीकामे थे ही। खान भी थे। दक्षिण अफ्रीकासे ही गये हुए किंतने ही भारतीय युवक बैरिस्टर होकर लौट भी चुके थे। अत मेरा देश लौटना किसी तरह अनुचित नहीं भाना जा सकता था। यह सब दलीले देते हुए भी मुझे इस शर्तपर इजाजत मिली कि दक्षिण अफ्रीकामे कोई अनसोची अड़चन आ पड़े और मेरी जरूरत समझी जाय तो कौम मुझे चाहे जब वापस बुला सकती है और मुझे तुरत वापस जाना होगा। यात्राका और मेरे रहनेका खर्च कौमको उठाना होगा। यह शर्त मंजूर कर मैं देश लौटा।

मैंने बम्बईमे बैरिस्टरी करनेका निश्चय किया और चेवर ले लिया। इसमें मुख्य हेतु तो था स्वर्गीय गोखलेकी सलाहसे और उनकी देखरेझमे सावधनिक कार्य करना, पर साथ ही आजीविका कमानेका भी उद्देश्य था। मेरी बकालत भी कुछ चल निकली। दक्षिण अफ्रीकाके साथ जो मेरा इतना गहरा सबंध जुड़ गया था उससे

बहासे लीटे हुए मधविवालोसे ही भुझे इतना पेंसा मिल जाता था कि मेरा खर्च आसानीसे चल जाता । पर मेरे भाग्यमे स्थिर होकर बैठना लिखा ही न था । भुचिकलसे तीन-चार मंहीने बबईमे स्थिर होकर बैठा हुगा कि दक्षिण अफ्रीकासे तार आया—“स्थिति गंभीर है । मिं चेवरलेन जलदी ही आ रहे हैं । आपकी उपस्थिति आवश्यक है ।”

बम्बईका दफतर और घर समेटा और पहले ही जहाजसे दक्षिण अफ्रीकाके लिए रवाना हो गया । यह सन् १९०२ के अतका समय था । १९०१के आविरमें मैं हिंदुस्तान लौटा था । १९०२के मार्च-अप्रैलमे बबईमे दफतर खोला । तारसे मैं पूरी वात जान नहीं सका था । मैंने अटकल लगाई कि सकट कहीं ट्रांसवालमे ही होगा । पर चार-छ महीनेके अदर लौट सकूगा, यह सोचकर वाल-बच्चोंको साथ लिए बिना ही मैं चल दिया था । मगर ज्योही टवंत पहुचा और सारी हकीकत सुनी मैं दिगमढ हो गया । हममेंसे बहुतोंने सोचा था कि युद्धके बाद सारे दक्षिण अफ्रीकामैं हिंदुस्तानियोंकी हालत सुधर जायगी । ट्रांसवाल और कोई स्टेटमें तो कोई कठिनाई ही नहीं सकती, क्योंकि लार्ड लेसडाउन, लार्ड सेलवन आदि वडे श्रिटिश अधिकारियोंने कहा था कि बोअर राज्योंमे भारतीयोंकी विप्रम स्थिति भी इस युद्धका एक कारण है । प्रिटोरियामे रहनेवाला श्रिटिश राजदूत भी अनेक बार मेरे सामने कह चुका था कि ट्रांसवाल श्रिटिश उपनिवेश हो जाय तो हिंदुस्तानियोंके सारे कष्ट तुरंत मिट जायगे । यूरो-पियन भी मानते थे कि राज्य-व्यवस्था बदल जानेपर ट्रांस-वालके पुराने (भारतीय विरोधी) कानून हिंदुस्तानियोंपर लाग नहीं हो सकेंगे । यह बात इतनी सर्वमान्य हो गई थी कि नीलाम करनेवाले जो गोरे जमीनकी बोली बोलते समय लडाईके पहले हिंदुस्तानियोंकी बोली मजूर नहीं करते थे वे

बब खुले तौरपर उसे स्वीकार करने लगे। किंतु ही हिंदुस्तानियोंने इस तरह नीलाममे जमीन खरीद भी ली। पर जब वे तहसीलमे जमीनकी रजिस्ट्री कराने गये तो मालके अफसरोंने १८८५ का कानून सामने रख दिया और दस्तावेजकी रजिस्ट्री करनेसे इन्कार करूँ दिया। डब्बेमे उतरनेपर भैने इतना तो सुन लिया। नेताओंने मुझसे कहा कि आपको ट्रांसवाल जाना है। मिं० चेवरलेन पहले तो यही आयगे। यहांकी (नेटालकी) स्थितिसे भी उनको वाकिफ करा देना जरूरी है। यहांका काम निवाटाकर उन्हींके पीछे-पीछे आपको ट्रांसवाल जूना होगा।

नेटालमे श्री चेवरलेनसे एक शिष्टमण्डल मिला। उन्होंने सारी बाते बड़े सौजन्यके साथ सुन ली और नेटालके मत्रिमण्डलके साथ बाते करनेका बचन दिया। नेटालमे जो कानून युद्धके पहले बन गए थे उनमे तुरंत हेरफेर होनेकी आशा मे खूद नहीं करता था। इन कानूनोंका वर्णन पिछले प्रकरणोंमे किया जा चुका है।

पाठक यह तो जानते ही है कि लड़ाईके पहले चाहे जो हिंदुस्तानी चाहे जब ट्रांसवालमे दाखिल हो सकता था। पर भैने देखा कि अब ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी इस बक्त जो रकावटे थी वे गोरे और हिंदुस्तानी दोनोंपर समान रूपसे लागू होती थी। आज भी देशकी दशा ऐसी थी कि बहुतसे लोग एक साथ उसमे भर जाय तो सबको अफ्र-वस्त्र भी पूरा न मिल सके। लड़ाईके कारण बन्द हुइं बहुतसी दुकानें जब भी बन्द थीं। दुकानोंका अधिकाश माल बौबर सरकार साफ कर गई थी। अत भैने मनमे सोचा कि अगर यह रकावट एक बड़ी मुद्दतके लिए ही हो तो भय करनेका कारण नहीं, पर गोरे और हिंदुस्तानीके लिए ट्रांसवाल जानेका परवाना लेनेकीं रीतिमे अंतर था और यह भेद ही

भयका कारण हो गया। परवाने देनेके दफ्तर दक्षिण अफ्रीकाके जुदा-जुदा बदरगाहोमे खोले गये थे। गोरेको तो कह सकते हैं कि मांगते ही परवाना मिल जाता था, पर हिंदू-स्तानियोके लिए तो ट्रांसवालमे एक एशियाटिक विभाग स्थापित किया गया था।

यह अलग महकमेकी स्थापना एक नयी घटना थी। हिंदुस्तानियोको इस महकमेके अफसरके पास अर्जी भेजनी होती। वह मजर हो गई तो डब्बन या किसी दूसरे बदरगाहसे आमतौरसे परवाना मिल जाता था। यह अर्जी मुझे भी देनी होती तो मिं० चेबरलेनके ट्रांसवालसे चल देनेके पहले परवाना मिलनेकी आशा नहीं रखी जा सकती थी। ट्रांसवालके भारतीय वैसा परवाना प्राप्त कर मुझे नहीं भेज सके थे। यह बात उनके बसके बाहर थी। मेरे परवानेका आधार उन्होने डब्बनसे मेरे परिचय, मेरे सबधका बनाया था। परवाना देनेवाले अफसरसे मेरी जान-पहचान नहीं थी, पर डब्बनके पुलिस सुपरिटेंडेंटसे थी। इसलिए उन्हे साथ लेजाकर अपनी पहचान दिला दी। १८९३ मेरे एक सालतक ट्रांसवालमे रह चुका हूँ, यह अधिकार बताकर मैंने परवाना हासिल किया और प्रिटोरिया पहुचा।

यहाँ मैंने बिलकुल दूसरा ही बातावरण पाया। मैंने देखा कि एशियाटिक विभाग एक भयानक महकमा है और महज हिंदुस्तानियोको दबानेके लिए कायम किया गया है। उसके अफसर उन लोगोंमेंसे थे जो युद्धकालमे हिंदुस्तानी सेनाके साथ दक्षिण अफ्रीका गए थे और भाग्यपरीक्षाके लिए वहा रह गए थे। उनमेंसे कितने तो घसखोर थे। दो अफसरोपर मुकदमा भी चला। जरीने तो उन्हे छोड़ दिया, पर चूंकि उनके घस खानेके वारमें कोई सदेह नहीं रह गया था, इसलिए वे नौकरीसे अलग कर दिये गए। पक्षपातकी

लड़ाक्षि के बाब

तो कोई हृद ही न थी, जहा इस तौरपर एक खास महकमा कायम किया गया हो और जब वर्ग-विशेषके स्वत्वोपर अकुश रखनेके लिए ही उसका निर्माण हुआ हो तब अपनी हस्ती तौरसे कर रहा है यह दिखानेके लिए और वह अपने करव्यका पालन ठीक बंकुच ढंडते रहनेकी ओर ही होता है। हुआ भी यही। मैंने देखा कि मुझे फिरसे श्रीगणेश करना होगा। एशियाटिक महकमेको तुरंत इसका पता नहीं लग सका कि मैं द्वांसवालम कंसे दाखिल हो गया। मुझसे पछनेकी तो यकायक उसकी हिमत हुई नहीं। मैं मानता हूँ कि उसके अधिकारियोंने इतना तो माना होगा कि मैं चौरीसे नहीं दाखिल हुआ हूँगा। इधर-उधरसे पूछताछकर उन्होंने मह भी मालम कर लिया कि मैंने परवाना कंसे हासिल कर लिया। प्रिंटरियाका शिष्ट-मण्डल भी मिं० चेवरलेनके पास जानेको तैयार हुआ। जो आवेदनपत्र उनके सामने पेश किया जानेवाला था उसका मसविदा मैंने बना दिया। पर एशियाटिक महकमेने मुझे उनके सामने जानेकी मनाही कर दी। भारतीय नेताओंने सोचा कि ऐसी दशामें हम भी मिं० चेवरलेनसे मिलने नहीं जाना चाहिए; पर मुझे यह विचार नहीं रखा। मैंने उन्हें यह सलाह दी कि मेरा जो अपमान हुआ है उसे मुझे तो पी ही जाना चाहिए। अर्जी तो तैयार भी उसकी परवा नहीं करनी चाहिए। अर्जी तो तैयार है ही, मिं० चेवरलेनको उसे सुना देना बहुत जरूरी है। हिन्दुस्तानके एक बैरिस्टर मिं० जार्ज गाडफे वहां मौजूद थे। मैंने उन्हें अर्जी पढ़ देनेके लिए तैयार कर लिया। शिष्ट-मण्डल गया। मेरी बात उठी तो मिं० चेवरलेनने कहा—“मिं० गाधीसे तो मैं डब्बनमें मिल चुका हूँ। इसलिए यह सोचकर कि यहांके लोगोंका वृत्तांत यहींके लोगोंसे सुनना ज्यादा अच्छा

होगा मैंने उनसे मिलनेसे इन्कार कर दिया।" मेरी दृष्टिसे तो डस उत्तरने आगमे धीका काम दिया। एजियाटिक महकमेने जो सिखाया था मि० चेवरलेन वही बोले। जो हवा हिंदुस्तानमें वहा करती है वही उक्त विभागने ट्रांसवालमें वहा दी। गुजराती भाइयोको यह बात मालूम होनी ही चाहिए कि वर्मन्डिका रहनेवाला चंपारनमें अग्रेज अफसरोंके लिए परदेसी होता है। इस नियमके अनुसार डर्वेनमें रहनेवाला मैं ट्रांसवालकी स्थिति कैसे जान सकता हूँ, यह पाठ एजियाटिक विभागने मि० चेवरलेनको पढ़ाया। उनको क्या मालूम कि मैं ट्रांसवालमें रह चुका हूँ और न रहा होऊँ तो भी ट्रांसवालकी पूरी परिस्थितिसे परिचित हूँ। सवाल एक ही था ट्रांसवालकी परिस्थितिसे सर्वाधिक परिचित कौन है? हिंदुस्तानसे मुझे खास तौरसे बुलाकर भारतीय जनताने इस प्रश्नका उत्तर दे दिया था, पर हुक्मसे करनेवालेके सामने न्यायग्रास्त्रकी दलील नहीं चल सकती, यह कोई नया अनुभव नहीं। मि० चेवरलेनपर इस उक्त स्थानीय विटिश अधिकारियोंका इतना असर था और गोरो-को सन्तुष्ट करनेके लिए वह इतने आतुर थे कि उनके हाथों न्याय हौनेकी बाजा तनिक भी नहीं थी या वहुत ही कम थी। पर न्याय पानेका एक भी उचित उपाय भलसे या स्वामी-मानवश किये बिना न रह जाय, इस खालसे शिष्ट-मण्डल उनके पास भेजा गया।

पर मेरे सामने १८९४से भी अधिक विप्रम प्रसंग उपस्थित हो गया। एक दृष्टिसे देखनेसे मुझे ऐसा दिलाई दिया कि मि० चेवरलेन यहाँसे रवाना हुए कि मैं हिंदुस्तान-को वापस जा सकता हूँ। दूसरी ओर मैं यह भी साफ देख सकता था कि अगर मैं कौमको भयावह स्थितिमें देखते हुए भी हिंदुस्तानमें सेवा करनेके अभिमानसे वापस जाऊ तो जिस सेवा-

बर्मंकी मुझे हुई है वह दूषित हो जायगी। मैंने सोचा कि मेरी सारी जिदगी भले ही दक्षिण अफ्रीकामें बीत जाय, पर जबतक धिरे हुए दादल बिल्लर नहीं जाते या हमारी सारी कोशिशके बाबजूद और अधिक उमड़कर कौमगर फट नहीं पड़ते, तबतक मुझ ट्रांसवालमें ही रहना चाहिए। मैंने नेताओंके साथ इस प्रकारकी बातचीत की और १८९४ की तरह वकालतकी आमदनीसे गुजर करनेका अपना निश्चय भी बता दिया। कौमको तो इतना ही चाहिए था।

मैंने तुरत ट्रासवालमें वकालत करनेकी इजाजतकी दरखास्त देंदी। हर था कि यहाँ भी वकीलोंका मण्डल मेरी अजीका विरोध करेगा, पर वह निरावार निकला। मुझे सनद मिल गई और मैंने जोहान्सबर्गमें दफ्तर खोला। ट्रासवालमें हिंदुस्तानियोंकी सबसे बड़ी आबादी जोहान्सबर्गमें ही थी। इसीलिए मेरी आजीविका और सार्वजनिक काम दोनोंकी डृष्टिसे जोहान्सबर्ग ही मेरे लिए अनुकूल केन्द्र था। एशियाटिक विभागकी अधिकारीका कटु अनुभव मुझे दिन-दिन हो रहा था और वहाँके भारतीय मण्डल (ट्रासवाल निटिंग हिंडियन असोसियेशन) का सारा जोर इस सड़नको दूर करनेकी ही और लग रहा था। १८८५ के कानूनको रद कराना तो अब दूरका लक्ष्य हो गया था। तात्कालिक कार्य एशियाटिक विभागके रूपमें जो बाढ़ हमारी और चढ़ी आ रही थी उससे अपना बचाव करना था। लाड़ मिलनर, लाड़ सेल्वोनें जो बहाँ आये थे, सर आर्थर लॉली जो ट्रासवालमें लिफ्टनेट गवर्नर थे और पीछे मद्रासके गवर्नर, हुए, इन तथा इनसे नीचेकी श्रेणीके अधिकारियोंके पास भी जिस्ट-मण्डल गये। मैं अकेले भी अक्सर उनसे मिलता। थोड़ी-बहुत राहत भी मिलती। पर वह सभी फटे कपड़ेमें पैदल लगा देना जैसा था। लुटेरे हमारा सारा धन हर लै और पीछे

हम गिडगिडावे तो उसमेसे कुछ लौटा दे, इसमे हम जिस प्रकारका सन्तोष मान सकते हैं कुछ बैसा ही सतोष हमे मिलता। जिन अहलकारोंके वरखारत किये जानेकी बात ऊपर लिख चुका हूँ उनपर इस आन्दोलनके फलस्वरूप ही मुकदमा चलाया गया। भारतीयोंके प्रवेशके विषयमे जो आशका होनेकी बात पहले बता चुका हूँ वह सही निकली। गोरोंको परवाना लेना जहरी नहीं रहा, पर हिंदुस्तानियोंके लिए उसकी पत्थ लानी ही रही। ट्रांसवालकी पुरानी बोअर सरकारने जैसे कडे कानून बनाये थे वैसी कडाईंसे उनपर अमल नहीं होता था। यह कुछ उसकी उदारता या भलमनसाहृत नहीं थी, बल्कि उसका शासन-विभाग लापरवाह था और इस विभागके अधिकारी भले हो तो भलमनसी बरतनेका उन्हे जितना अवकाश पिछली सरकारकी अधीनतामे था उतना ब्रिटिश सरकारकी मातहतीमे नहीं था। ब्रिटिश राज्यतत्र पुराना होनेसे दूढ़ और व्यवस्थित हो गया है और अफसरो-अहलकारीको उसमे यत्रकी तरह काम करना पड़ता है; क्योंकि उनके ऊपर एकके बाद एक चढते-उतरते अंकुश लगे हुए हैं। इससे ब्रिटिश विधानमे राज्यपद्धति उदार हो तो प्रजाको उसकी उदारताका अधिक-से-अधिक लाभ मिल सकता है और अगर वह पद्धति जुल्म करनेवाली या कजूस हो तो इस नियत्रित शासनतत्रमे उसका दबाव भी वह पूरा-पूरा अनुभव करती है। ऐसकी उलटी स्थिति ट्रांसवालकी पुरानी शासन-व्यवस्था जैसे राज्यतत्रमे होती है। उदार कायदे-कानूनका लाभ मिलना न मिलना अधिकाशमे उस विभागके अधिकारियोंके भले-बुरे होनेपर अबलवित होता है। अत जब ट्रांसवालमे ब्रिटिश राज्य स्थापित हुआ तो भारतीयोंसे सबध रखनेवाले सभी कानूनोपर उत्तरोत्तर अधिक कडाईंसे अमल होने लगा। पकड़से बचनेके जो रास्ते पहले खुले रहे

गये थे वे सब बन्द कर दिये गये। यह तो हम देख ही चुके हैं कि एशियाटिक विभागकी नीति कड़ाइंकी होनी ही चाहिए थी। अत. पुराने कानून कैसे रद्द कराये जायं, यह सवाल तो अलग रहा, पर उनकी कठोरता अगलमें नरम कैसे कराइं जा सकती है, फिलहाल तो इसी दृष्टिसे भारतीय जनताको प्रश्न करना रहा।

एक सिद्धांतकी चची जल्दी या देरसे हमे करती ही होगी और इस जगह कर देनेसे आगे पैदा होनेवाली परिस्थिति और भारतीय दृष्टिविन्दुको समझलेमें कुछ आसानी हो सकती है। ज्योंही दूसराल और औरेव की स्टॉटमें विटिश पताका फहराने लगी, लाड़ मिलरने एक कमेटी नियुक्त की। उसका काम था दोनों राज्योंके पुराने कानूनोंकी जाचकर ऐसे कानूनोंकी सूची तैयार करना जो प्रजाके अधिकारपर प्रतिवध लगाते हैं या विटिश विभानके तत्वके विरुद्ध हैं। भारतीयोंकी स्वतंत्रतापर आघात करनेवाले कानून भी साफ-तौरसे इस सूचीमें आते थे। पर यह कमेटी नियुक्त करनेमें लाड़ मिलरका उद्देश्य हिंदुस्तानियोंके कट्टोका नहीं, बल्कि अंग्रेजोंके कट्टोका निवारण था। जिन कानूनोंसे अप्रत्यक्ष रीतिसे अंग्रेजोंको बाधा होती थी उन्हे जितनी जल्दी हो सके रद्द कर देना उनका उद्देश्य था। कमेटीकी रिपोर्ट बहुत ही थोड़े समयमें तैयार हो गई और छोटे-बड़े कितने ही कानून जो अंग्रेजोंके स्वाधेके विरोधी थे, कह सकते हैं कि कलमके एक ही फरारिमें रद्द कर दिये गए।

इसी कमेटीने भारतीय विरोधी कानूनोंको भी छाँटकर अलग किया। वे एक पुस्तकके रूपमें छापे गये, जिसका उपयोग या हमारी दृष्टिसे दुश्ययोग एशियाटिक विभाग आसानीसे करने लगा।

अब अगर भारतीय विरोधी कानून विना हिंदुस्तानियोंका

नाम उनमें रखे और इस ढगपर बनाये गए हों कि वे खास तौरसे उन्हींके लिर्लाफ न हो, बल्कि सबपर लागू होते हो, सिर्फ उनपर अमल करना न करना अधिकारीकी मर्जीपर छोड़ गया हो, या उन कानूनोंके अदर ऐसे प्रतिबंध रखे गये हो जिनका अर्थ तो सार्वजनिक हो, पर उनकी अधिक चोट हिन्दू-स्तानियोंपर ही पड़ती हो, तो ऐसे कानूनोंसे भी कानून बनाने-वालोंका अर्थ सिद्ध हो सकता था और फिर भी वे सार्वजनिक रूपसे लागू होनेवाले कहे जाते। उनसे किसीका अपमान न होता और कालकमसे जब विरोधका भाव नरम हो जाता तब कानूनमें कोई हेरफेर किये विना, केवल उदार दृष्टिसे उसपर अमल होनेसे, जिस जाति-वर्गके विरुद्ध वह कानून बना होता वह बच जाता। जिस प्रकार दूसरी श्रेणीके कानूनोंको मैने सार्वजनिक कानून कहा है, वैस ही पहले प्रकारके कानूनोंको एकदेशीय या जातीय कानून कह सकते हैं। दक्षिण आफ्रीकामें उन्हे रंग-भेदकारी कानून कहते हैं, इसलिए कि उनमें चमड़ेके साका भेद करके काले या गहुआ रंगके चमड़ेवाली जनतापर गोरोंके भुकाबले अधिक अंकुश रखा जाता है।

जो कानून बन चुके थे उनमेंसे ही एक मिसाल लीजिये। पाठकोंको याद होगा कि मताधिकार(हरण)का जो पहला कानून नेटालमें पास हुआ और जो पीछे साओंज़्य सरकार द्वारा रद कर दिया गया उसमें इस आशयकी धारा थी कि एशियाई ऐसे कानूनको बदलना हो तो लोकमतको इतना शिक्षित करना चाहिए से चुनावमें मत देनेका अधिकार न होगा। अब मात्रको आगेसे चुनावमें मत देनेका अधिकार न होगा। जब ऐसे कानूनको बदलना हो तो लोकमतको इतना शिक्षित करनेके बदले होगा कि अधिकाश जन एशियाईयोंसे द्वेष करनेके बदले उनकी ओर मित्रभाव रखनेवाले हो जाय। जब ऐसा सुख-सर आये तभी नया कानून बनाकर यह रंगका दाग दूर किया जा सकता है। यह हुआ एकदेशीय या रंग-भेद करनेवाले

कानूनका दृष्टान्त । अब ऊपर बताया हुआ कानून रद्द होकर उसकी जगह पर जो दूसरा कानून बना उसमें भी मूल उद्देश्यकी लाभग रखा कर ली गई थी, फिर भी वह सार्वजनिक था और रणभेदका डक उसमेसे दूरकर दिया गया था । इस कानूनकी एक दफाका भावार्थ यह है । “जिस देशकी जनताको ‘पार्लामेटरी फ्रेचाइज’ अर्थात् ब्रिटिश जनताको अपनी साधारण सभा-सदस्यके चुनावमे मत-देनेका जैसा अधिकार प्राप्त है वैसा मताधिकार नहीं है उस देशका निवासी नेटालमे मताधिकारी नहीं हो सकता ।” इसमे कही भी हिंदुस्तानी या एशियाईका नाम नहीं आता । हिंदुस्तानमे इंगलैंडका-सा मताधिकार है या नहीं, इस विषयमे विद्वान-जाती तो भिन्न-भिन्न मत देंगे । पर दलीलकी खातिर मान लीजिये कि हिंदुस्तानमें उस वक्त यानी १८९४ मे मताधिकार नहीं था या आज भी नहीं है, फिर भी नेटालमे मताधिकारियों—वोटके अधिकारियोंके नाम दर्ज करनेवाला अधिकारी हिंदुस्तानियोंका नाम वोटर-सूचीमे लिख ले तो यकायक कोई यह नहीं कह सकता कि उसने गेरकानी काम किया । सामान्य अनुमान सदा प्रजाके अधिकारकी ओर किया जाता है । अतः उस वक्तकी सरकार जबतक विरोध करनेका इरादा न करले तबतक ऊपर लिखे हुए कानूनके मौजूद रहते हुए भी भारतीयों और दूसरोंके नाम वोटर-सूचीमे दर्ज किये जा सकते हैं अर्थात् कुछ दिनोंमे नेटालमे हिंदुस्तानीसे नफरत करनेका भाव घट जाय, वहाँकी सरकार हिंदुस्तानियोंका विरोध न करना चाहे तो कानूनमे कुछ भी फेरफार किये बिना हिंदुस्तानियोंके नाम वोटरोंके रजिस्टरमे दर्ज किये जा सकते हैं । सामान्य या सार्वजनिक कानूनकी यह खूबी होती है । ऐसी और मिसालें दक्षिण अफ्रीकाके उन कानूनोंसे दी जा सकती हैं जिनका जिक्र पिछले प्रकरणोंमें किया जा चुका है । इसलिए

बुद्धिमानी की राजनीति यही मानी जाती है कि एकदेशीय—वर्ग या जाति विशेषपर ही लागू होनेवाले—कानून कम-से-कम बनाये जाय। विलकुल ही न बनाना तो सर्वोत्कृष्ट नीति है। कोई कानून जब एक बार बन गया तो उसे बदलनेमें अनेक कठिनाइयां आती हैं। लोकमत जब बहुत शिक्षित समझदार हो जाय तभी कोई कानून रद किया जा सकता है। जिस लोकतत्रमें सदा कानूनीमें रद्दोबदल होती रहती है वह लोकतत्र सुव्यवस्थित नहीं माना जा सकता।

ट्रासवालमें एशियाइयोंके खिलाफ जो कानून बने थे उनमें भरे हुए जहरका अन्दाजा अब हम अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं। ये सारे कानून एकदेशीय थे। इनके अनुसार एशियावासी चुनावमें भत नहीं दे सकता था। सरकारने जो रकवे या महल्ले ठहरा दिये थे उनके बाहर न जमीन खरीद सकता था और न रख सकता था। इन कानूनोंके रद हुए विना अधिकारी वर्ग हिंदुस्तानियोंकी मदद कर ही नहीं सकता था। ये कानून सावंजनिक नहीं थे। इसीसे लाड़ मिलरकी कमेटी उन्हे अलग छांट सकी थी। वे सावंजनिक होते तो दूसरे कानूनोंके साथ वे सब कानून भी रद हो गये होते, जिनमें एशियाइयोंका नाम तो खासतौरसे नहीं लिया गया है, पर जिनका अमल उन्हींके खिलाफ होता था। अधिकारीवर्ग यह तो कह ही नहीं सकता था—“हम क्या कर सकते हैं? हम लाचार हैं। जबतक नई धारा सभा इन कानूनोंको रद नहीं कर देती तबतक हमें तो उनको अमलमें लाना ही होगा।”

जब ये कानून एशियाटिक महकमेके हाथमें आये तो उसने उनपर पूरे तौरसे अमल करना शुरू किया। इतना ही नहीं, शासक-मडल अगर उन कानूनोंको अमल करने योग्य माने तो उनमें जो त्रुटियाँ छूट गई हीं, वचावके रास्ते रह गये

हों, उन्हें वंद कर देनेके नये अधिकार भी उसे प्राप्त करने ही होंगे। दलील तो सीधी-सादी मालम होती है। कानून अगर दुर्लभ है तो उन्हें रह कर देना चाहिए और अच्छे हैं तो उनमें जो नुटियाँ रह गई हों उन्हें दूर कर देना चाहिए। कानूनोंपर अमल करानेकी नीति शासक-मंडलने स्वीकार कर ली थी। भारतीय जनता बोअर-युद्धमे अंग्रेजोंके कंघे-से-कंधा सटाकर खड़ी हुई थी और जानकी जोखिम उठाइ थी, पर यह तो तीन-चार बरसकी पुरानी बात हो गई थी। ट्रांसवालका ड्रिटिंग राजदूत भारतीय जनताका पक्ष लेकर लड़ा था, यह भी पुराने राजतत्रकी बात थी। युद्धके कारणोंमे भारतीयोंके कष्ट भी बताये गये थे; पर यह ऐसे अधिकारियोंकी घोपणा थी जो हूरदशितासे रहित और स्थानीय अनुभवसे कोरे थे। स्थानीय अनुभवने तो स्थानीय अधिकारियोंको साफ बता दिया कि बोअर-राज्यमे हिंदुस्तानियोंके खिलाफ जो कानून बनाये गये थे वे न यथेष्ट थे और न व्यवस्थित। हिंदुस्तानी जब जीमे आये ट्रांसवालमे घुस आये और जहा जैसे जीमे आये रोजगार करने लगे तब तो अंग्रेज व्यापारियोंकी भारी हानि होगी। इन और ऐसी दूसरी दलीलोंने गोरे और उनके प्रतिनिधि शासक-मंडलके दिमागपर कसकर कब्जा जमाया। गोरे कम-से-कम समयमे अधिक-से-अधिक पैसा इकट्ठा कर लेना चाहते थे। हिंदुस्तानी इसमें थोड़ा भी हिस्सा बटाएं, यह उन्हें कब पसन्द आता? राजनीतिमे तस्वीरानका ढींग भी घुसा। दक्षिण अफ्रीकाके विद्विमान पृष्ठोंका सन्तोष निरी बनियाशाही, अपने लाभ, स्वार्थकी दलीलसे नहीं हो सकता था। बचाय करनेके लिए भी मानव-बुद्धि सदा ऐसी दलीलें दूढ़ती हैं जो उसे ठीक लगे। दक्षिण अफ्रीकाकी विद्विने भी यही किया। जनरल स्मद्दस आदिने जो दलीलें दीं वे इस प्रकार थीं :

“दक्षिण अफ्रीका पश्चिमकी सम्यताका प्रतिनिधि है। हिंदुस्तान पूर्वकी सम्यताका केंद्र-स्थान है। दोनो सम्यताओंका सम्मिलन हो सकता है, इस बातको इस जमानेके तत्त्वज्ञानी तो स्वीकार नही करते। इन दोनो सम्यताओंकी प्रतिनिधि जातियोंका छोटे समुदायोंमें भी सगम हो तो इसका परिणाम विस्फोटके सिवा और कुछ नही हो सकता। पश्चिम सादगी-का विरोधी है, पूर्वके लोण सादगीको प्रधान पद देते हैं। इन दोनोंका मल कैसे हो सकता है? इन दोनोंमें कौन सम्यता अधिक अच्छी है, यह देखना राजकाजी अर्थात् व्यावहारिक पुरुषोंका काम नही। पश्चिमकी सम्यता अच्छी हो या बुरी; पर पश्चिमकी जनता उसे ही अपनाये रहना चाहती है। उस सम्यताके रक्षार्थ पश्चिमकी जनताने अयक प्रयत्न किया है। खूनकी नदियाँ बहाई हैं। अनेक प्रकारके द्वासरे दुख सहे हैं। अत पश्चिमकी जनताको अब द्वासरा रास्ता नही सूझनेका। इस दृष्टिसे देखा जाय तो हिंदुस्तानी और गोरोंका सवाल न व्यापारद्वेषका है और न व्यापारद्वेषका। केवल अपनी सम्यताके रक्षणका, अर्थात् आत्मरक्षाके उच्चतम अधिकारके उपयोग और उससे प्राप्त कर्तव्यके पालनका सवाल है। हिंदुस्तानियोंके दोष निकालना भाषणकर्ताओंको लोगोंको भड़कानेके लिए भले ही रुचता हो, पर राजनैतिक दृष्टिसे विचार करनेवाले तो यही मानते और कहते हैं कि भारतीयोंके गुण ही दक्षिण अफ्रीकामें दोपरूप हो रहे हैं। अपनी सादगी, अपने लबे समयतक श्रम करनेके धैर्य, अपनी किफायतशारी, अपनी परलोक-परायणता, अपनी सहनशीलता, इत्यादि गुणोंके कारण ही हिंदुस्तानी दक्षिण अफ्रीकामें अप्रिय हो रहे हैं। पश्चिमकी जनता साहसिक, अधीर, दुनियवी आवश्यकताओंतो बढ़ाने और उन्हें पूरी करनेमें मज़न, खानेपीनेकी शौकीन, शरीरश्रम बचानेको आतुर और उडाऊ

स्वभावकी है। इससे उसे यह डर रहता है कि पूर्वकी सम्यताके हजारों प्रतिनिधि दक्षिण अफीकामे वस गये तो पश्चिमके लोगोंका पछाड़ा जाना निश्चित ही है। इस आत्मघातके लिए दक्षिण अफीकामे वसनेवाली पश्चिमकी जनता हर्गिज तैयार नहीं हो सकती और इस जनताके हिसाथती उसे इस खतरेमे कभी नहीं पड़ने देगे।”

मैं समझता हूँ, मले-से-मले और चरित्रवान् यूरो-पियन इस दलीलको जिस शब्दमें पेश करते हैं मैंने उसी रूपमें निष्पक्षभावसे यहां उसे उपस्थित किया है। मैं ऊपर इस दलीलको तत्त्वज्ञानका ढोग बता आया हूँ; पर इससे मैं यह सूचित करना नहीं चाहता कि इस दलीलमें कुछ भी सार नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि, अर्थात् तात्कालिक स्वार्थ-दृष्टिसे तो उसमें बहुत-कुछ सार है, पर तात्त्विक दृष्टिसे वह निरा ढोग है। मेरी छोटीसी अबलको तो यही दिखाई देता है कि तटस्थ मनुष्यकी बुद्धि ऐसे निर्णयको स्वीकार नहीं कर सकती। कोई सधारक अपनी सम्यताको वैसी असहाय स्थितिमें नहीं डालेगा जैसी स्थितिमें ऊपरकी दलीले देनेवालोंने अपनी सम्यताको डाल दिया है। पूर्वके किसी तत्त्वज्ञानीको यह भय होता हो कि पश्चिमकी जनता पूर्वके साथ आजादीसे मिल-जुले तो पूर्वकी सम्यता पश्चिमकी बाढ़में बालूकी तरह वह जायगी। यह मैं नहीं जानता। पूर्वके तत्त्वज्ञानको जहांतक मैं समझ पाया हूँ, मुझे तो यही दिखाई देता है कि पूर्वकी सम्यता पश्चिमके स्वतंत्र समरपणसे निर्भय रहती है। यही नहीं, वैसे सम्पर्कका स्वागत करती है। इसकी उलटी मिसाल पूर्वमें दिखाई दे तो जिस सिद्धांतका प्रतिपादन मैंने किया है उसको इससे आंच नहीं आती, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस सिद्धांतके समर्थनमें अनेक दृष्टान्त दिये जा सकते हैं। कुछ भी हो, पश्चिमके तत्त्वज्ञानीयोंका दावा तो यह है कि

पश्चिमकी सभ्यताका मूल सिद्धात यही है कि पश्चुवल सर्वों-परि है और इसीसे इस सभ्यताके हिमायती पशुबलके रक्षणमें अपने समयका अधिक-से-अधिक भाग लगाते हैं। उनका तो यह भी सिद्धात है कि जो राष्ट्र अपनी आवश्यकताएं नहीं बढ़ाता उसका अतमे नाश होना निश्चित है। इसी सिद्धात-का अनुसरण करके तो पश्चिमकी जातिया दक्षिण अफ्रीकामें बसी हैं और अपनी सख्त्याकी तुलनामें सैकड़ों गुना बड़ी तादादवाले हवशियोंको अपने वशमें कर लिया है। उन्हे हिंदुस्तानकी रक जनताका भय हो ही कैसे सकता है? इस सभ्यताकी दृष्टिसे वस्तुतः उन्हे कुछ भी भय नहीं है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि हिंदुस्तानी अगर सदाके लिए दक्षिण अफ्रीकामें मजदूर बनकर ही रहते तो उनके बसनेके विरुद्ध कोई आन्दोलन उठा ही नहीं होता।

अत. जो चीज बाकी रह जाती है वह है केवल व्यापार और वर्ण। हजारों यूरोपियनोंने लिखा और कबल किया है कि हिंदुस्तानियोंका व्यापार छोटे अग्रेज व्यापारियोंके लिए हानिकर है और गेहुए रगसे नफरत तो फिलहाल गोरे चमड़े-वाली जातियोंकी हड्डी-हड्डीमें व्याप्त हो गई है। उत्तरी अमरीकामें कानूनमें सबका वरावर हक है, पर वहाँ भी बुकरटी वाशिंगटन जैसा पुरुष, जिसने ऊची-से-ऊची पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की थी, जो अतिशय चरित्रवान और इंसाइं घर्मको माननेवाला था और जिसने पश्चिमकी सभ्यताको पूरे तौरपर अपना लिया था, राष्ट्रपति रूजबल्टके दरबारमें न जा सका और न आज तक जा सकता है। वहाँके हवशियोंने पश्चिमी सभ्यताको स्वीकार कर लिया है। वे इंसाइं भी बन गये हैं; पर उनका काला चमड़ा उनका अपराध है और उत्तरी अमरीकामें अगर लोक व्यवहारमें उनका तिरस्कार किया जाता है तो दक्षिण अमरीकामें अपराधके सदेह-

मात्रसे गोरे उन्हे जिदा जला देते हैं। दक्षिण अमरीकामें इस दडनीतिका एक खास नाम भी है जो आज अप्रेजी भाषाका प्रचलित शब्द हो गया है। वह है 'लिच-ला'। लिच-ला के मानी उस दडनीतिके हैं जिसके अनुसार पहले सजा दी जाती है, पीछे अपराधका विचार किया जाता है। यह प्रथा लिच नामके व्यक्तिसे चली है। अतः उसीके नाम पर इसका नामकरण हुआ है।

इस विवेचनसे पाठक देख सकते हैं कि ऊपर दी हुई तात्त्विक मानी जानेवाली दलीलमें अधिक तत्त्व या सार नहीं है। पर वे यह अर्थ भी न करें कि यह दलील देनेवाले सभी लोग उसे भूठी जानते हुए भी पेश करते हैं। उनमेंसे बहुतेरे सचाइके साथ मानते हैं कि उनकी दलील तात्त्विक है। हो सकता है कि हम वैसी स्थितिमें होंगे तो हम भी वैसी ही दलील पेश करें। कुछ ऐसे ही कारणोंसे 'बुद्धि. कर्मनिःसारिणी' कहावत निकली होगी। इसका अनुभव किसको नहीं हुआ होगा कि हमारी अन्तर्वृत्ति जैसी बनी हो वैसी ही दलीले हमें सूक्षा करती हैं और वे दूसरेके गले न उतरे तो हमें असन्तोष, अधीरता और अन्तमें रोष भी होता है।

इतनी बारीकीमें मैं जानवूझकर गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाठक भिज-भिज दृष्टियोको समझें और जो अवतक वैसा न करते आये हों वे भिज-भिज दृष्टियोको समझने और उनका आदर करनेकी आदत ढालें। सत्याग्रहका रहस्य समझने और सासकर इस अस्त्रको आजमानेके लिए ऐसी उदारता और ऐसी सहनशक्तिकी वति आवश्यकता है। इसके बिना सत्याग्रह हो नहीं सकता। यह पुस्तक कुछ लिखनेके शौकसे तो लिखी नहीं जा रही है। दक्षिण अफ्रीका-के इतिहासका एक प्रकरण जनताके आगे रखना भी उसका उद्देश्य नहीं। मेरा हेतु तो यह है कि जिस वस्तुके लिए मैं जीता

हूं, जीना चाहता हूं और यह मानता हूं कि जिसके लिए मरनेको भी उतना ही तैयार हूं, वह वस्तु कैसे पैदा हुई, उसका पहला सामुदायिक प्रयोग किस तरह किया गया, इसको सारी जनता जाने, समझे और जहांतक पसन्द करे और उसकी शक्ति हो वहांतक उसे अमलमे भी लाये।

अब हम अपनी कहानीको फिर चलाये। हम यह देख चुके कि ब्रिटिश शासनाधिकारियोंने यह निर्णय किया कि द्रासवालमे नये आनेवाले हिंदुस्तानियोंको रोके और पुराने बाशिन्दोंकी स्थिति ऐसी कठिन कर दे कि वे ऊबकर द्रासवाल छोड़ दे और न छोड़े तो लगभग मजदूर बनकर ही रह सके। दक्षिण अफ्रीकाके महान माने जानेवाले कितने ही राजपूत एकाधिक बार कह चुके हैं कि इस देशमें हिंदुस्तानी लकड़हारे और पानी भरने वालेके रूपमें ही खप सकते हैं। ऊपर जिस एशियाटिक विभागकी चर्चा की गई है उसके अधिकारियोंमें मिं० लायनल कर्टिस भी थे जो हिंदुस्तानमें रह चुके थे और दो अमली शासन पद्धति (डायर्की) की खोज और प्रचार करने-वालेके रूपमें प्रतिष्ठा है। वह एक कुलीन धरानेके नौजवान है। कम-से-कम उस बत्त, १९०५-६ में तो नौजवान ही थे। लाई बिल्लरके विश्वासपात्र थे। हर कामको शास्त्रीय पद्धतिसे ही करनेका दावा करते थे, पर उनसे भारी भूलें भी हो सकती थी। जो हान्सबर्गकी म्युनिसिपैटीटीको अपनी एक ऐसी ही गलतीसे १४ हजार पौंडके घाटेमें डाल दिया था। उन्होंने इस बातकी खोज की कि नये हिंदुस्तानियोंका आना रोकना हो तो इस बारेमें सरकारका पहला कदम यह होना चाहिए कि हरएक पुराने हिंदुस्तानीका नाम-पता इस तौरपर दर्ज कर लिया जाय कि उसके बदले दूसरा इस देशमें दाखिल न हो सके और हो तो तुरंत पकड़ लिया जाय। द्रांस-

बालमें अग्रेजी राज्य कायम होनेके बाद हिंदुस्तानियोंके लिए जो परवाने निकाले गए थे उनमें उनके हस्ताक्षर और जो हस्ताक्षर न कर सके तो उनके अंगूठे की निशानी ली जाती थी। पीछे किसी अधिकारीने सुझाया कि उनका फोटो भी ले लिया जाय। तों फोटो, अग्रेजीकी निशानी और दस्तखत तीनों लिए जाने लगे। इसके लिए किसी कानून-कायदेकी जरूरत तो थी नहीं, अतः नेताओंको तुरंत इसकी खबर भी नहो हो सकी। धीरे-धीरे उन्हे इन नवीनताओंकी खबर हुई। जनताकी ओरमें अधिकारियोंके पास आवेदनपत्र भेजे गए, शिष्ट-मण्डल भी भेजे गए। अधिकारियोंकी दलील यह थी कि चाहे जो आदमी चाहे जिस रीतिसे इस देशमें दाखिल हो जाय, यह हमसे सहन नहीं हो सकता। अतः सभी हिंदुस्तानियोंके पास एक ही तरहका परवाना होना चाहिए और उसमें इतना व्योरा होना चाहिए कि परवाना पानेवाल असल आदमी ही उसके जरिए इस देशमें दाखिल हो सके, दूसरा कोई नहीं। मैंने यह सलाह दी कि गोकि कोई कानून तो ऐसा नहीं है जिसकी रूसे हम ऐसे परवाने रखनेको बचे हो, किर मी जबतक शांति-रक्षा कानून मौजूद है तबतक ये लोग हमसे परवाना तो मांग ही सकते हैं। जैसे हिंदुस्तानमें भारतरक्षा कानून (डिफेंस आव इडिया एकट)था वैये ही दक्षिण अफ्रीकामें शांति-रक्षा कानून (पीस प्रिजर्वेशन आडिनेस) था और जैसे हिंदुस्तानमें भारत-रक्षा कानून महज जनताको तग करनेके लिए ही लड़ी मुद्रदत्तक कायम रखा गया वैसे ही यह शांति-रक्षा कानून भी महज हिंदुस्तानियोंको हैरान करनेके लिए रख छोड़ा गया था। गोरोके ऊपर एक तरहसे उसका अमल विलकूल ही नहीं होता था। अब अगर परवाना लेना ही हो तो उसमें पहचानकी कोई निशानी तो होनी ही चाहिए। इसलिए जो लोग अपना नाम न लिख सकते हों उनका अंगूठे-

की निशानी लगाना ठीक ही था। पूँलिसवालोने यह बात छढ़ निकाली है कि दो आदमियोंकी उंगलियोंकी रेखाएं एकसी हीती ही नहीं। उनके रूप और सख्त्याका उन्होंने वर्णीकरण किया है और इस शास्त्रके जानकार दो अगृठोंकी छापकी तुलना करके एक-दो मिनटमें ही कह सकते हैं कि वे अलग-अलग आदमियोंके अंगृठोंकी हैं या एक ही आदमीके अंगृठोंकी। फोटो देना मुझे तो तनिक भी पसंद नहीं था और मुसलमानोंकी दृष्टिसे तो इसमें धार्मिक आपत्ति भी थी।

अन्तमें अधिकारियोंके साथ हमारी बातचीतके फलस्वरूप यह तै पाया कि हरएक हिंदुस्तानी अपना पुराना परवाना देकर उसके बदलेमें नये नमूनेके परवाने बनवाले और नये आनेवाले हिंदुस्तानी नये नमूनेके परवाने ही ले। यह करना हिंदुस्तानियोंना कानूनन कर्ज़ नहीं था, पर इस आशासे लगभग सभी भारतीयोंने अपनी खुशीसे फिरसे परवाने लेना मंजूर कर लिया कि कही उनपर नई रुकावटें न लगादी जायं, दूसरे वे दुनियाको यह दिखा देना चाहते थे कि भारतीय जनता धोखा देकर किसीको इस देशमें नहीं घसाना चाहती और शांतिरक्षा कानूनका उपयोग नये आनेवाले हिंदुस्तानियोंको हैरान करनेके लिए न किया जायगा। यह कोई ऐसी-बैसी बात न थी। जो काम करना हिंदुस्तानियोंको कानूनसे तनिक भी कर्ज़ नहीं था उसे उन्होंने पूरे एका और बड़ी ही शीघ्रतासे कर दिखाया। यह उनकी सचाई, व्यवहार-कुशलता, भलमनसी, समझदारी और नम्रताका चिह्न था। इस कामसे भारतीय जनताने यह भी साक्षित कर दिया कि ट्रांसवालके किसी भी कानूनका किसी भी रीतिसे उल्लंघन करना वह चाहती ही नहीं। हिंदुस्तानी समझते थे कि जिस सरकारके साथ जो जनसभाज इतनी भलमनसीका बरताव करेगा वह उसे अपना-येगी, अपना विशेष प्रेमपात्र समझेगी। ट्रांसवालकी विद्विता सर-

कारने इस भारी भलमनसीका बदला किस प्रकार दिया, इसे हम अगले प्रकरणमें देखेंगे।

: ११ :

भलमनसीका बदला—खूनी कानून

परवानोंका रद्दोबदल होनेतक हम १९०६ में प्रवेश कर चुके थे। १९०३ में मैं ट्रांसवालमें फिर दाखिल हुआ था। उस सालके लगभग मध्यमें मैंने जोहान्सवर्गमें दफ्तर खोला। यानी दो बरस ऐशियाटिक महकमेंके हमलोंका सामना करनेमें ही गये। हम सबने मान लिया था कि परवानों का कागड़ा तै होते ही सरकारको परा संतोष हो जायगा और भारतीय जनताको कुछ शांति मिलेगी। पर उसके भाग्य-में शांति थी ही नहीं। मिठा लायनल कटिसका परिचय पिछले प्रकरणमें देखा हूँ। उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तानियोंके नये परवाने ले लेनेसे ही गोरोंका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। उनकी दृष्टिसे बड़े कामोंका आपसके समझौतेसे होना ही काफी नहीं था। ऐसे कामोंके पीछे कानूनका बल होना चाहिए। तभी उनकी जोभा है और उनके मूलभूत सिद्धांतोंकी रक्षा हो सकती है। प्रथिन कटिसका विचार था कि हिंदुस्तानियोंको जकड़नेके लिए कोई ऐसा काम किया जाय जिसका असर सारे दक्षिण अफीकापर पड़े, और अंतमें दूसरे उपनिवेश भी उसका अनुकरण करें। उनकी रायमें जबतक दक्षिण अफीका-का एक भी दरवाजा हिंदुस्तानियोंके लिए खुला रहेगा तबतक ट्रांसवाल सुरक्षित नहीं माना जा सकता। फिर उनकी दृष्टि से सरकार और आज्ञाय जनताके दीच समझौता होनेसे तो भारतीय जनताकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाती थी। उनका

इरादा इस प्रतिष्ठाको बढ़ानेका नहीं, बल्कि घटानेका था। उनको हिंदुस्तानियोकी रजामदीकी जरूरत नहीं थी। वह तो चाहते थे उनपर बाहरी प्रतिवध लगाकर उन्हे थर्फा देना। अत उन्होने एशियाटिक ऐक्टका मसविदा बनाया और सरकारको सलाह दी कि जबतक इस मसविदेके अनुसार कानून बनकर तयार नहीं हो जाता तबतक हिंदुस्तानियोका लूँग-छिपकर ट्रास्वालमे दाखिल होना चाहिए। नहीं जा सकता और जो इस तरह यहा पहुच जाय उन्हे निकाल बाहर करनेकी प्रबलित कानूनोमे कोई व्यवस्था नहीं है। मिठा कटिसकी दलीले और मसविदा सरकारको पसद आया और उसने इस मसविदेके अनुभ्यव विल ट्रास्वालकी धारा समर्थन पेश करनेके लिए ट्रास्वालके सरकारी गजटमे प्रकाशित कर दिया।

इस विलकी तफसीलमे जानेके पहले एक महत्वकी घटना-की चर्चा थोड़े शब्दोमे कर देना आवश्यक है। सत्याग्रहकी प्रेरणा करनेवाला मैं ही हूँ। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि पाठक मेरी स्थितियोको पूरी तरह समझें। यो जब ट्रास्वालमे हिंदुस्तानियोपर प्रतिवध लगानेके प्रयत्न हो रहे थे, नेटालमे वहाके हबशियो—जुलू लोगोने बगावत कर दी। इस झगड़ेको बगावत कह सकते हैं या नहीं, इस बारेमे मुझे ज़का थी और आज भी है। फिर भी नेटालमे इस घटनाका परिचय सदा इसी नामसे दिया गया है। इस मौकेपर भी नेटालमे रहनेवाले बहुतसे गोरे इस विप्लवको शात करनेमे सहायता देनेके लिए स्वयंसेवकके रूपमे सेनामे भरती द्वारा। मैं भी नेटालका ही निवासी माना जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी उसमे काम करने चाहिए। भारतीय जनताकी अनुमति प्राप्तकर मैंने सरकारको लिखा कि धायलो-की सेवा करनेवाली एक छोटी-सी टुकड़ी खड़ी करनेकी

इजांजत मुझे दे दी जाय । सरकारने प्रस्ताव स्वीकार किया । अतः मैंने ट्रासबालका घर तोड़ दिया । वालवच्चोंको नेटाल-में उस ज्येतपर भेज दिया जहाँसे 'इंडियन ओपीनियन' नामका साप्ताहिक अखबार निकाला जाता था और जहाँ मेरे सह-कारी रहते थे । दफ्तर कायम रखा, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे इसमें बहुत दिन नहीं लगेंगे ।

२०-२५ आदमियोंकी छोटीसी टुकड़ी खड़ी करके मैं फौजमें शामिल हो गया । इस छोटी-सी टुकड़ीमें भी लगभग सभी जातियोंके भारतीय थे । इस टुकड़ीको एक महीने सेवा करली पड़ी । हमें जो काम सीधा गया उसको मैंने सदा इंश्वर-का अनग्रह माना है । मैंने देखा कि जो हवशी जख्मी होते थे उन्हें हम ही उठायें तो वे उठें, नहीं तो वही पड़े सड़ा करें । इन जख्मियोंके जख्मोंकी भरहम-भट्टी करनेमें कोई भी गोरा हाथ न बढ़ाता । जिस शस्त्रवैद्य डा० सैवेजकी मातहतीमें हमें काम करना था वह स्वयं अतिशय दयाल थे । वायलोंको उठाकर अस्पताल पहुंचा देनेके बाद उनकी सेवा-शुश्रूपा हमारे कार्य-क्षेत्रके बाहरकी बात हो जाती थी । पर हम तो यह सौच कर गए थे कि जो भी सेवा हमें सीधी जाय वह हमारी कर्तव्य-परिविके अन्दर ही होगी । अतः इस भले डाक्टरने हमसे कहा कि मुझे कोई भी गोरा हवशियोंकी सेवा करनेके लिए नहीं मिलता और मुझमें यह शक्ति नहीं कि किसीको इसके लिए मजबूर कर सकूँ । आप यह दयाका काम करें तो आप-का अहसान मानेंगा । हमने इस कामका स्वागत किया । किन्तु ही हवशियोंके जख्म पांच-पांच, छः-छः: दिनसे साफ्तक नहीं किये गये थे, इससे उनसे दूरी आ रही थी । इन सबको साफ करला हमारे सिर पड़ा और हमें यह सेवा बहुत स्वी । हवशी हमारे साथ बात तो कर ही नहीं सकते थे; पर उनकी चेष्टाओं और उनकी आंखोंमें हम यह देख सकते थे कि उनका

मन कह रहा है कि मानों भगवानने ही हमें उनकी सहायता के लिए भेज दिया हो। इस काममें अकसर हमें चालीस-चालीस मीलकी मजिल करनी होती।

एक महीनेमें हमारा काम समाप्त हो गया। अधिकारियों-को सतोप हुआ। गवर्नरने कृतज्ञता-प्रकाशका पत्र लिखा। हमारी टुकड़ीमें तीन गुजराती थे, जिन्हें सार्जेंटका अधिकार दिया गया था। उनके नाम जानकर गुजरातियोंको प्रसन्नता होगी। उनमें एक थे ड्रमियागिरु, दूसरे सुरेन्द्रराय मेड और तीसरे हरिशकर जोंगी। तीनों कसे हुए बदनके थे और तीनोंने बड़ी कड़ी मेहनत की। दूसरे भारतीयोंके नाम मुझे इस बक्त याद नहीं आ रहे हैं। पर एक पठान भी उनमें था, यह मुझे अच्छी तरह याद है। यह भी याद है कि हम उसके बराबर बोझ उठा लेते थे और कचमे भी उसके साथ-साथ रहते थे, यह देखकर उसे अचरण होता था।

इस टुकड़ीके कामके सिलसिलेमें मेरे दो विचार, जो अरसेसे मनमें धीरे-धीरे पक रहे थे, पूरी तरह पक गये। उनमें एक तो यह है कि सेवाधर्मका प्रधानपद देनेवालेको ब्रह्मवर्यका पालन करना ही चाहिए, दूसरा यह कि सेवाधर्म स्वीकार करनेवालेको गरीबीको सदाके लिए अपना लेना चाहिए। वह किसी ऐसे धर्ममें न लगे जिससे सेवाधर्मके पालनमें उसे कभी सकोच होनेका अवसर आये, या उसमें तनिक भी स्कावट हो सके।

मैं इस टुकड़ीमें काम कर रहा था तभी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रासवाल लौट आनेकी चिट्ठियां और तार आ रहे थे। अतः फिनिक्समें सब लोगोंसे मिलकर मैं तुरंत जोहान्सवर्ग पहुंचा और वहा वह विल पढ़ा जिसके बारेमें ऊपर लिख चुका हूँ। बिलबाल गजट २२ अगस्त
१९०६ ई० का मैं दफ्तरसे घर ले गया था। घरके पास एक

छोटीसी पहाड़ी थी। वहां अपने साथीको लेकर इस विलक्षणा उल्था 'इडियन ओपीनियन' के लिए करने लगा। ज्यों-ज्यों मैं उसकी धाराबोको पढ़ा गया त्योंत्यों मेरा कलेजा अधिकाधिक कांपने लगा। उसमे मैं भारतीयोंके द्वेषके सिवा और कुछ भी नहीं देख सका। मुझे दिखाइं दिया कि अगर यह विल पास हो गया और भारतीयोंने उसे मजूर कर लिया तो दक्षिण अफ्रीकासे उनके पैर जड़मूलसे उखड़ जायेगे। मुझे स्पष्ट दिखाइं दिया कि भारतीय जनताके लिए यह जीवन-मरणका प्रश्न है। मुझे यह भी दिखाइं दिया कि अर्जी अब देने-से सफलता नहीं मिली तो वह चुप नहीं बैठ सकती। इस कानून-के सामने सिर झुकानेसे भर मिटना बहुतर है। पर मरें कैसे? भारतीय जनता किस खतरेमें कूदे या कूदनेका साहस करे कि उसके सामने विजय या मृत्यु इन दोके सिवा तीसरा रास्ता रह ही न जाय? मेरे सामने तो ऐसी संगीत दीवार खड़ी हो गई कि मुझे रास्ता सूझा ही नहीं। जिस प्रस्तावित विलने-मरे अतरमें इतनी हलचल भवा ही थी उसका व्यौरा पाठकों-को जान लेना ही चाहिए। उसका सार यह है:

"दूसवालमे रहनेका हक रखनेवाला हरएक भारतीय पुरुष, स्त्री और आठ बरस या इससे कमरका लड़का-लड़की एवियाइं दफ्तरमे अपना नाम दर्ज कराके परवाना हासिल करे। यह परवाना लेते समय पुराना परवाना अधिकारी (रजिस्ट्रार) को सौप दे। नाम दर्ज करनेकी अर्जीमें नाम, छारीरपर जो खास निशान हों उन्हें नोट कर ले और उसकी दसो उगलियों और अँगूठेका निशान ले ले। जो भारतीय स्त्री-पुरुष नियत अवधिके अंदर ऐसी दखाई न दे, उसका दूसवालमे रहनेका हक रद हो जायगा। दखल्ति न देना कानूनन् अपराध माना जायगा। उसके लिए जेलकी सजा

मिल सकती है, जुर्माना किया जा सकता है. और अदालत उचित समझे तो देशनिकालेका दड भी दे सकती है। बच्चों की ओरसे मां-बापको दख्खास्त देनी होगी और उंगलियों के निशान आदि लेनेके लिए उन्हें रजिस्ट्रारके सामने हाजिर करनेकी जिम्मेदारी भी मां-बापपर होगी। मां-बापने इस कर्तव्यका पालन नहीं किया हो तो १६ वरसका होनेपर वालकको खुद यह फर्ज अदा करना चाहिए। उसके अदा न किये जानेपर मां-बाप जिस-जिस दंडके पात्र होते हैं उस दंडके अधिकारी १६ की उम्रको पहुँचते हुए लड़की-लड़के भी माने जायगे। प्रार्थकों जो परवाना या रजिस्ट्रीका सार्टिफिकेट दिया जाय उसे हर पुलिस अफसरके सामने, जब और जहाँ वह मांगा जाय, पेश करना लाजिमी होगा। उसे पेश न करना अपराध माना जायगा और अदालत उसके लिए कैद या जुर्मानेकी सजा दे सकती है। राह चलते व्यक्तिसे भी परवाना पेश करनेको कहा जा सकता है। परवानेकी जांचके लिए पुलिस अफसर घरमें भी घुस सकते हैं। ट्रांसवालके बाहरसे आनेवाले भारतीय स्त्री-पुरुषको जांच करनेवाले अफसरके सामने अपना परवाना पेश करना ही होगा। कोई कामसे अदालतमें जाय या मालके दफ्तरमें व्यापार या बाइसिकिल रखनेको अनुमति-पत्र लेने जाय तो वहाँ भी अफसर उससे परवाना मांग सकता है। अर्थात् कोई भारतीय किसी भी सरकारी दफ्तरमें उस दफ्तरसे संबद्ध कार्यके लिये जाय तो अफसर उसकी प्रार्थना स्वीकार करनेसे पहले उससे उसका परवाना मांग सकता है। उसे पेश करने या उसे रखनेवाले व्यक्तिसे अधिकारी इस वारेमें जो कुछ पूछे उसे बतानेसे इन्कार करना भी अपराध माना जायगा और अदालत उसके लिए भी जेल या जुर्मानेकी सजा दे सकती है।”
दुनियाके किसी भी हिस्सेमें स्वतन्त्र मनुष्योंके लिए इस

तरहका कानून है, इसका पता मुझे नहीं है। मैं जानता हूँ कि नेटालके गिरमिटिया हिंदुस्तानियोंके लिए परवानेका कानून बहुत सख्त है पर वे बचारे तो स्वतंत्र लोग माने ही नहीं जा सकते। फिर भी कह सकते हैं कि उनके परवानेका कानून इस कानूनकी तुलनामें नरम है, और उस कानूनके तोड़नेकी सजा तो इस कानूनमें निर्दिष्ट दण्डके सामने कुछ भी नहीं है। लाखोंका कारबाहर करनेवाला रोजगारी इस कानूनके अनुसार देश निकालेकी सजा पा सकता है, ग्रानी इस क्षणजुका भग होनेसे उसके विलकुल त्राप्त हो जानेकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर्यावान पाठक आगे चलकर देख सकेंगे कि इस अपराधकेलिए लोगोंको देशनिकालेकी सजा भी मिल चुकी है। जरायम पेशा जातियोंके लिए हिंदुस्तानमें कितना कहा कानून है। इस कानूनमें जो दसों उंगलियोंकी निशानी लेनेकी दफा थी वह तो दीक्षण अकीकामें विलकुल नहीं बात थी। इस विषयका कुछ साहित्य पढ़ जाना चाहिए, यह सोचकर मैं मिंहेनरी नामक पूलिस अफसर की लिखी हुई 'उगलियोंकी निशानी' (फिंगर प्रिंशन्स) पुस्तक पढ़ गया। उसमें मैंने देखा कि इस प्रकार कानूनन् उंगलियोंका निशान केवल अपराधियोंसे ही लिया जा सकता है। अतः जबदस्ती दसों उंगलियोंकी छाप लेनेकी बात मुझे अति भयानक लगी। स्त्रियोंको और वैसे ही १६ वरसके बदरके लड़के-लड़कियोंको भी परवाना लेना होगा, यह बात इस विलम्बे पहलेपहल रखी गई थी।

अगले दिन कुछ गण्यमान्य हिंदुस्तानियोंको इकट्ठा कर मैंने इस कानूनका अक्षर-अक्षर समझाया। फलतः उसका जो असर मुझपर हुआ था वही उनपर भी हुआ। उनमेंसे एक तो आवेशमें आकर बोल उठे—“कोइं मरी स्त्रीसे परवाना माँगने आया तो मैं उसको वहीं गोली मार दूंगा, पीछे मेरा जो होना हो वह होता रहे।” मैंने उन्हें शांत किया और सबको

सुनाकर कहा—“यह मामला बहूत ही गभीर है। यह विल अगर पास हो गया और हमने उस मान लिया तो उसका अनुकरण सारे दक्षिण अफ्रीकासे क्रिया जायगा। मुझे तो उसका उद्देश्य हौं इस देशम् हमारी हस्ती मिटा देना मालूम होता है। यह कानून आखिरी सीढ़ी नहीं है, बल्कि हमे सताकर दक्षिण अफ्रीकासे भगा देनेका पहला कदम है। अत हमपर केवल ट्रासवालमे बसनेवाले १०-१५ हजार हिंदुस्तानियोंकी ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय मात्रकी है। फिर अगर हम इस विलका अर्थ पूरे तौरपर समझ सकते हों तो सपूर्ण भारतवर्षकी प्रतिष्ठाकी जिम्मेदारी भी हमपर ही आती है; क्योंकि इस विलसे केवल हमारा ही अपमान नहीं होता, बल्कि इसमे सारे हिंदुस्तानका अपमान है। अपमानका अर्थ ही है निर्दोष व्यक्तिका मान भंग होना। हम इस कानूनके पात्र हैं यह तो कोई कह ही नहीं सकता। हम निर्दोष हैं और राष्ट्रके एक भी निर्दोष व्यक्तिका अपमान सारे राष्ट्रका अपमान है। अत. इस कठिन अवसरपर हमने जलदवाजीकी, अधीरता दिखाई, क्रोध किया तो उससे इस हमलेसे नहीं बच सकेंगे। पर अगर शातिसे उपाय ढूँ-कर वक्तपर उसका अवलम्बन करे, आपसमे एकता रखें और अपमानका सामना करते हुए जो कष्ट पड़ें उन्हें भेल ले तो मैं मानता हूँ कि इश्वर स्वयं ही हमारी सहायता करेगा।” विलकी गभीरता सबने समझ ली और यह निश्चय किया कि सार्वजनिक सभा करके कुछ प्रस्ताव पास किये जायें। यहूदियोंकी एक नाटकशाला भाडेपर लेकर उसमें सभा की गई।

अब पाठक समझ सकते हैं कि इस प्रकरणके शीर्पकमें इस विलका परिचय ‘खूनी कानून’ कहकर क्यों दिया गया है। यह विशेषण मैंने इस प्रकरणके लिए नहीं गढ़ा है,

वल्कि इस विशेषणका उपयोग दक्षिण अफ्रीकामे ही इस कानूनका परिचय देनेके लिए प्रचलित हो गया था ।

: १२ :

सत्याग्रहका जन्म

१९०६ की ११ दी सितंबरको उक्त नाटकशालामे सभा हुई । द्रासवालके भिन्न-भिन्न नगरोंसे प्रतिनिधि बूलाये गये । पर मुझे कबूल करना होगा कि जो प्रस्ताव मैंने बनाये थे उनका पूरा अर्थ मैं खुद नहीं समझ सका । उनसे क्या नतीजे निकलेंगे, इसका भी अदाजा उस बक्त नहीं कर सका था । सभा हुई । नाटकशाला ठासठास भर गई थी । कुछ नया करना है, कुछ नया होना है—यह भाव मैं हरएकके चेहरेपर देख सकता था । द्रासवाल ब्रिटिश इडियन एसोसियेशनके अध्यक्ष श्री अब्दुलमानी सभापतिके आसन पर विराज रहे थे । वह द्रासवालके बहुत ही पुरानेवाले वार्षिकोमेसे थे । मुहम्मद कासिम कमलद्वीन नामक प्रसिद्ध क्रमके हिस्सेदार और उसकी जोहान्सवर्गकी शाखाके व्यवस्थापक थे । जो प्रस्ताव सभामे उपस्थित किये गये उनमे सच पूछिए तो एक ही महत्वका प्रस्ताव था । उसका आशय यह था कि इस विलके विरोधमे सब उपाय करते हुए भी अगर वह पास हो जाय तो भारतीय उसके आगे सिर न झुकाएं और सिर न झुकानेसे जो-जो कष्ट सहने पड़े उन्हें सह लें ।

यह प्रस्ताव मैंने सभाको पूरी तरह समझा दिया । सभाने भी शातिसें उसे सुन लिया । सभाका सारा कामकाज तो हिंदी या गुजरातीमे ही होता था, इसलिए यह तो हो ही नहीं सकता था कि कोई भी उसकी कोई बात न समझ पाये ।

हिंदी न समझनेवाले तामिल और तेलुगु भाइयोंके लिए उन भाषाओंके बोलनेवाले सारी वातोंको परे तौरपर समझा देते थे। प्रस्ताव नियम-पर्वक उपस्थित किया गया। बहुतोंने अनुमोदन-समर्थन भी किया। उनमें एक बोलनेवाले सेठ हाजी हवीब थे। ये भी दक्षिण अफ्रीकाके बहुत पुराने और अनुभवी वाशिदे थे। उन्होंने बड़ा ही जोशीला भाषण दिया। आवेगमें आकर यहांतक कह गये—“यह प्रस्ताव हमें खुदाको साक्षी करके स्वीकार करना है। हमें चाहिए कि नामद बनकर इस कानूनके सामने कभी सिर न झुकाए। इसलिए मैं खुदाकी कसम खाकर कहता हूँ कि हरगिज इस कानूनके ताबे न होऊगा। और मैं इस सारे जल्सेको सलाह देता हूँ कि सब लोग खुदाको साक्षी करके कसम खायें।”

प्रस्तावके समर्थनमें और भी तीखे और जोरदार भाषण हुए थे। सेठ हाजी हवीब जब बोल रहे थे और कसमकी वातपर पहुँचे तो मैं तुरत चौका और सावधान हो गया। तभी मैं अपनी निजकी और कौमकी जिम्मेदारीको पूरे तौरपर समझ सका। कौमने अवतक कितने ही प्रस्ताव पास किये थे। अधिक विचार या नये अनुभवसे उनमें फेरफार भी किये गये। यह भी हुआ कि सबने उन निश्चयोंपर अमल नहीं किया। स्वीकृत प्रस्तावमें रद्दोबदल, उससे सहमत हुए लोगोंका इन्कार आदि सारी दुनियामें सावंजनिक जीवनके सामान्य अनुभव है। पर ऐसे प्रस्तावोंमें कोई ईश्वरका नाम बीचमे नहीं लाता। तात्त्विक दृष्टिसे विचार किया जाय तो निश्चय और ईश्वरका नाम लेकर की हुई प्रतिज्ञामें कोई अन्तर होनाही नहीं चाहिए। बुद्धिशाली मनुष्य सोच-समझकर कोई निश्चय करे तो उससे वह डिगता नहीं। उसकी निगाहमें उसका वजन ईश्वरको साक्षी करके की हुई प्रतिज्ञाके बराबर ही होता है। पर

दुनिया तात्त्विक निर्णयोंसे नहीं चलती। इश्वरको साक्षी बनाकर की हुई प्रतिज्ञा और सामान्य निश्चयके बीच वह जमीन-आसमानका अतर मानती है। सामान्य निश्चयको बदलनेमें निश्चय करने वाला शर्मिता नहीं, पर प्रतिज्ञा करनेवाला अगर अपनी प्रतिज्ञाको तोड़ता है तो वह खुद तो शर्मिता ही है, समाजभी उसको छिक्कारता है और पापी समझता है। इन वातोंकी जड़ इतनी गहरी हो गई है कि कानून भी कसम खाकर कही हुई वात भूठी ठहरे तो कसम खानेवालेको अपराधी मानता है और सख्त सजा मिलती है।

इन विचारोंसे भरा हुआ मैं जो प्रतिज्ञाओंका अनुभवी था और उनके भीठे फल चक्क चुका था, ऊपर लिखी प्रतिज्ञाकी वात सुनकर भयसे स्तब्ध हो गया। उसके परिणाम एक क्षणमें मेरे मानसचक्षुके सामने आ गये। इस घबराहटसे जोश पैदा हुआ और यद्यपि मैं इस सभामें प्रतिज्ञा करने या लोगोंसे करानेका इरादा लेकर नहीं गया था फिर भी सेठ हाजी हूबीवका सुझाव मुझे बहुत पसंद आया। पर इसके साथ-साथ मैंने यह भी सोचा कि इस प्रतिज्ञाके सारे नतीजोंसे लोगोंको बाकिफ करा देना चाहिए, प्रतिज्ञाका अर्थ स्पष्ट रूपसे समझा देना चाहिए। इसके बाद अगर वे प्रतिज्ञा कर सकें तो उसका स्वागत करना चाहिए और न कर सकें तो मुझे समझ लेना होगा कि अमीं वे आखिरी कस्तौटीपर चढ़नेको तैयार नहीं हुए हैं। अतः मैंने सभापतिसे प्रार्थना की कि मुझे सेठ हाजी हूबीवके कथनका अर्थ समझानेकी इजाजत दे। मुझे इसकी इजाजत मिल गई। मैं उठा और जो कुछ कहा उसका खुलासा जैसा आज मुझे याद है वैसा नीचे दे रहा हूँ:

“मैं सभाको यह बात समझा देना चाहता हूँ कि आजतक जो प्रस्ताव हमने स्वीकार किये हैं और जिस रीतिरे स्वीकार किये हैं उन प्रस्तावों और उस रीतिसे इस प्रस्ताव और इसकी

रीतिमे भारी अतर है। यह प्रस्ताव अति गभीर है, क्योंकि इसपर पूरा-पूरा अमल होनेपर दक्षिण अफ्रीकामें हमारी हस्ती-का रहना-मिटना अवलम्बित है। यह प्रस्ताव स्वीकार करने-की जो रीति हमारे। भाईने सुझायी है वह जितनी गभीर है उतनी ही नवीन है। मैं खुद इस रीतिसे निश्चय, करानेका विचार करके यहा नहीं आया था। इस यशके अधिकारी अकेले सेठ हाजी हवीब है और इसकी जवाबदेही भी उन्हीपर है। उन्हे मैं मुवारकवाद देता हूँ। इनका सुझाव मुझे बहुत रुचा है, पर आप उसे स्वीकार कर लेंगे तो आप भी उनकी जिम्मेदारीमें साझी हो जाएंगे। यह जिम्मेदारी क्या है, यह आपको समझ लेना चाहिए और कौमके सलाहकार और सेवकके रूपमें उसे पूरे तीरपर समझा देना मेरा फर्ज है।

“हम सभी एक ही सिरजनहारको माननेवाले हैं। उसको मुसलमान भले ही खुदा कहकर पुकारे, हिंदू भले ही उसको ईश्वरके नामसे भजे, पर है वह एक ही स्वरूप। उसको साझी करके, उसको बीचमे रखकर हम कोई प्रतिज्ञा करे या कसम खाए, यह कोई ऐसी-बैसी बात नहीं है। ऐसी कसम खाकर अगर हम उससे फिर जायें तो हम कौमके, दुनिया-के और खुदाके सामने गुनहगार होगे। मैं तो मानता हूँ कि सावधानीसे, शुद्धबुद्धिसे मनष्य कोई प्रतिज्ञा करे और पीछे उसको तोड़ दे तो वह अपनी इसानियत, अपनी मनुष्यताको खो देता है। और जैसे पारा चढ़ा हुआ ताबेका सिक्का रहती, इतना ही नहीं, बल्कि उस खोटे सिक्केका मालिक दण्डका पात्र हो जाता है—बैसे ही भूठी कसम खानेवालेकी भी कोई कीमत नहीं होती, बल्कि लोक-परलोक दोनोंमें वह दण्डका अधिकारी होता है। सेठ हाजी हवीब ऐसी ही गभीर कसम खानेकी हमें सलाह दे रहे हैं। इस सभामे

सत्याप्राहका चर्चा

ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो बालक या नासमझ माना जा सके। आप सभी पुस्ता उम्रवाले हैं, दुनिया देखे हुए हैं, बहुतेरे तो प्रतिनिधि हैं और कमबेश जिम्मेदारी भी उठा चुके हैं। अत. इस समाजे एक भी आदमी नहीं है जो 'भैने बिना समझे प्रतिज्ञा कर दी थी' कहकर कभी उस बंधनसे निकल सके।

"मैं जानता हूँ कि प्रतिज्ञाएं, व्रत आदि गंभीर अवसरोंपर ही लिए जाते हैं। उठते-बैठते प्रतिज्ञा करनेवाला जहर ठोकर खायगा और गिरेगा। पर इस देशमें, अपने सामाजिक जीवनमें मैं प्रतिज्ञा करने योग्य किसी अवसरकी कल्पना कर सकता हूँ तो वह अवसर अवश्य, उपरिष्ट है। बहुत सम्हाल-सरकार और डर-डरके कदम उठाना बुद्धिमानी है। पर डर और सम्हालकी भी हृद होती है। हम उस हृदको पहुँच गये हैं। जब उसने दावानल सूलगा दिया है तब भी हम बलिदानकी पुकार न करे और सोच-विचारमें पढ़े रहे तो हम नालायक और नामदं सावित होंगे। अत. यह अवसर शपथ लेनेका है, इस विषयमें तनिक भी शंका नहीं। पर इस शपथकी शक्ति अपनेमें ही या नहीं, मह हरएक को खुद सोच लेना होगा। ऐसे प्रस्ताव बहुतसे पास नहीं किये जाते। जितने लोग कसम खाएं उतने ही उस नहीं कसमसे बचेगे। ऐसी कसम दिखावेके लिए नहीं खाइ जाती। उसका असर यहांकी सरकार, बड़ी (साम्राज्य) सरकार या भारत सरकारपर ब्याहोगा, हृदयपर हाथ रख उसको ही टटोले। अगर उसकी अन्तर्दिमा कहे कि तुम्हें शपथ लेनेकी शक्ति है तभी शपथ ले,

"अब दो शब्द परिणामके विषयमें। बड़ी-से-बड़ी आशा-

जबाबें तो यह कह सकते हैं कि अगर सब लोग अपनी कसमपर कायम रहें और भारतीय जनताका बड़ा भाग कसम खा सके तो यह कानून (आईनेस) या तो पास ही न होगा या पास होगा तो तुरत रद हो जायगा। कौमको अधिक कष्ट न सहना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ भी कष्ट न सहना पड़े। पर कसम खानेवालेका धर्म जैसे एक औरसे श्रद्धापर्वक आशा रखना है, वैसे ही दूसरी औरसे नितात आशा-रूहित होकर कसम खानेको तैयार होना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी लडाईमें जो कड़वे-से-कड़वे परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं, उनकी तसवीर इस सभाके सामने खीचदू। मान लीजिए कि यहाँ उपस्थित हम सब लोग शपथ ले लेते हैं। हमारी सत्या अधिक-से-अधिक ३ हजार होगी। यह भी हो सकता है कि बाकीके १० हजार भारतीय कसम न खाय। शुल्कमें तो हमारी हँसी होनी ही है। फिर इतनी सारी चेतावनी दे देनेपर भी यह मुमकिन है कि कसम खाने वालोंमें कुछ या बहुत-से पहली ही परीक्षामें कमज़ोर सावित हो जाय। हमें जल जाना पड़े, जेलमें अपमान सहने पड़े। भूख-प्यास, सरदी-गरमी भी सहनी पड़े। कड़ी मशक्कत करनी पड़े। उद्धत दरोगाओं (वार्डरो) के कोडे खाने पड़े। जुमना हो और कुकीमें हमारा भाल-असवाब भी बिक जाय। लडनेवाल बहुत थोड़े रह गये तो आज हमारे पास बहुत पैसा होते हुए भी हम कल कगाल हो जा सकते हैं। हमें देशनिकालेकी सजा भी मिल सकती है। जेलमें भूखे रहते और दूसरे कष्ट सहते हुए हमेसे कुछ बीमार हो सकते हैं और कोई मर भी सकता है। अर्थात्, थोड़में कहाँ जा सकता है कि यह बात तनिक भी नामुमकिन नहीं कि जितने कष्टोंकी कल्पना हम कर सकते हैं वे सभी हमें सहने पड़े और समझ-दारी इसीमें है कि ये सारे कष्ट सहन करने होंगे यह मानकरही

हम कसम खायं। मुझसे कोई पूछे कि इस लड़ाइंका अंत क्या होगा और कब होगा तो मैं कह सकता हूँ कि अगर सारी कौम परीक्षामें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई तो लड़ाइंका फैसला वहुत जल्दी हो जायगा। पर अगर हमसे वहुतसे संकटका सामना होनेपर फिसल गये तो लड़ाइंलड़ी होगी। पर इतना तो मैं हिमतके साथ और निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि जबतक मुट्ठीभर लोग भी अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रहनेवाले होंगे तबतक इस युद्धका एक ही अंत समझिये—अर्थात् इसमें हमारी जीत ही होगी।

“अब दो शब्द अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारीके बारेमें भी कह दू। यद्यपि मैं प्रतिज्ञा करनेकी जोखिमोंको बता रहा हूँ, पर साथ ही आपको शब्द खानेकी प्रेरणा भी कर रहा हूँ। इसमें मेरी अपनी जिम्मेदारी किसी है, इसे मैं पूरे तौरपर समझता हूँ। हो सकता है कि आवेदनमें या गुस्सेमें आकर इस समामें उपस्थित लोगोंका बड़ा भाग प्रतिज्ञा करले, पर संकट-कालमें कमज़ोर साधित हो, और मुट्ठीभर लोग ही अंतका ताप सहन करनेके लिए रह जायं। फिर भी मुझ जैसे आदमीकेलिए तो एक ही रास्ता होगा—‘मर मिटना, पर इस कानूनके आगे सिर न झूँकाना।’ मैं तो मानता हूँ कि मान लीजिये ऐसा होनेकी तानिक भी संभावना नहीं, फिर भी फर्ज़ कर लीजिए कि सब गिर गये और मैं अकेला ही रह गया, तो भी मेरा विश्वास है कि प्रतिज्ञाका भंग मुझसे हो ही नहीं सकता। यह कहनेका मतलब आप समझ लें। यह घर्मचंडकी वात नहीं, वल्कि खासतौरसे इस मंचपर बैठे हुए नेताओंको साक्षात् करनेकी वात है। अपनी मिसाल लेकर मैं नेताओंसे विनश्चयपूर्वक कहना चाहता हूँ कि अगर आपमें अकेला रह जानेपर भी दृढ़ रहनेका निश्चय या दैसा करनेकी शक्ति न हो तो आप इतना ही न करे कि खुद प्रतिज्ञा न करे,

वल्कि लोगोके सामने यह प्रस्ताव रखकर उनसे प्रतिज्ञा कराइं जाय, इसके पहले ही आप अपना विरोध लोगोपर प्रकट कर दे और अपनी सम्मति उसमे न दे । यह प्रतिज्ञा यद्यपि हम सब साथ मिलकर करना चाहते हैं तो भी कोई इसका यह अर्थ कदापि न करे कि एक या अनेक लोग अपनी प्रतिज्ञाको तोड़ दें तो दूसरे सहज ही उसके बधनसे भुक्त हो सकते हैं । हरएक अपनी-अपनी जिम्मेदारीको समझ कर स्वतंत्र रूपसे प्रतिज्ञा करे और यह समझकर करे कि दूसरे कुछ भी करें, पर मैं खुद तो मरते दम तक उसका पालन करूँगा ही ।”

इस आशयका भाषण करके मैं अपनी जगहपर बैठ गया । लोगोने अतिशय शांतिसे उसका एक-एक गढ़ सुना । दूसरे नेता भी बोले । सबने अपनी और श्रोताओंकी जिम्मेदारीका विवेचन किया । सभापति उठे । उन्होंने भी स्थितिको समझाया और अनमें सारी सभाने खड़े होकर हाथ उठाकर और ईश्वरको साक्षी करके प्रतिज्ञा की कि यह कानून पास हो गया तो हम उसके बागे सिर न झुकाएगे । वह दृश्य मझे तो कभी भूलनेका नहीं । लोगोके उत्साहकी सीमा न थीं । अगले ही दिन इस नाटकशालामे कोई दुर्घटना हुई और सारी नाटकशाला जलकर खाक हो गई । तीसरे दिन लोग मेरे पास यह खबर लाये और कोम्पको यह कहकर मुवारकवाद देने लगे कि नाटकशालाका भस्म हो जाना गुभ शकुन है । जैसे नाटकशाला जल गई वैसे ही यह कानून भी एक दिन बागकी नजर हो जायगा । इन लक्षणोंका मुभापर कभी असर न हआ था । अतः मैंने इस घटनाको कोई महत्व न दिया । यहाँ उसका उल्लेख केवल यह बतानेके लिए किया है कि लोगोंमें इस समय कितना शौर्य और श्रद्धा थी । इन दोनों बातोंके दूसरे बहुतसे चिह्न पाठक अगले प्रकरणोंमें देखेंगे ।

उयह विराट सभा करनेके बाद काम करनेवाले बैठ नहीं रहे। जगह-जगह सभाएं की गई और सर्वंत्र सर्वसम्मतिसे प्रतिज्ञाएं दुहराई गईं। 'इडियन ओपीनियन'में अब यह सनी कानून ही चर्चाका मुख्य विषय था। दूसरी ओर स्थानीय ('प्रादेशिक') सरकारसे मिलनेके भी यत्न किये गये। उपनिवेश सचिव मिठाड़नके पास एक शिष्ट-मंडल भेजा गया। प्रतिज्ञाकी बात उन्हें सुनाइ गई। इस शिष्ट-मंडलमें सेठ हाजी हवीब भी थे। उन्होंने कहा—“कोई अफसर मेरी स्त्रीकी उंगलियोंका निशान लेने आया तो मैं अपने गुस्सेको जरा भी कावूमें न रख सकूगा। मैं उसको वही मार डालूंगा और फिर अपने आपको खत्म कर दूँगा!” मन्त्री महोदय क्षण भर सेठ हाजी हवीबके मुहकी और ताकते रह गये। फिर कहा—“यह कानून औरतों पर लागू हो या नहीं, इस बारेमें सरकार विचार कर ही रही है। इतना इत-मीनान ती मैं आप लोगोंको अभी दिला सकता हूँ कि स्त्रियोंसे सबध रखनेवाली धाराए वापस ले ली जाएगी। इस विषयमें आपकी भावनाको सरकार समझ सकती है और उसका लिहाज करना चाहती है। पर दूसरी दफाओंके बारेमें तो मुझे खेदके साथ बता देना होगा कि सरकार दृढ़ है और रहेगी। जनरल बोथा चाहते हैं कि आप भली भाँति सोच-विचारकर इस कानूनको मजूर कर ले। गोरोंकी हस्तीके लिए सरकार उसको ज़रूरी समझती है। कानूनके मूल उद्देश्यकी रक्ता करते हुए व्योरेके बारेमें आपको कोई सुझाव पैश करना हौतो सरकार उसपर अवश्य ध्यान देगी। शिष्ट-मंडलको मेरी सलाह है कि अगर आप कानूनको स्वीकार करके तफसीलके बारेमें ही सुझाव पैश करें तो इसमें आपका हित है।” मन्त्री महोदयके साथ जो दलीलें की गईं उन्हें मैं यहां नहीं देता; क्योंकि वे सभी दलीलें पीछे दी जा चुकी

है। उनके सामने रखनेमे भेद केवल भाषाका था। दलीलें तो बही थी। मत्रीजीको यह सूचित करके कि आपकी सलाह होते हुए भी कोई इस कानूनको मजूर नहीं कर सकता और स्त्रियोंको उससे मुक्त रखनेके इरादेके लिए सरकारको घन्यवाद देकर शिष्ट-मडलने उनसे विदा ली। स्त्रियोंकी मुक्ति भारतीय जनताके आन्दोलन की बढ़ौलत हुई या सरकार-ने ही और विचार करके मिं० कटिसकी जास्तीय पढ़तिको अस्वीकार करके कुछ लोक-व्यवहारका भी लिहाज किया, यह कहना कठिन है। सरकारी पक्षका कहना था कि सरकार-ने भारतीयोंके आन्दोलनके कारण नहीं, बल्कि स्वतन्त्र रूपसे विचार करके ही यह निश्चय किया है। चाहे जो हो, पर भारतीय जनताने तो 'काकतालीय न्याय'से यह मान ही लिया कि यह उसके आन्दोलनका ही फल है और इससे लड़नेका उत्ताह बढ़ा।

कौमके इस सकल्य या आन्दोलनको कौनसा नाम दिया जाय, यह हममेंसे कोई नहीं जानता था। उस बक्त मेरे इस आन्दोलनको 'पैसिव रेजिस्टेंस' कहता था। 'पैसिव रेजिस्टेंस'-का अर्थ भी पूरी तरह नहीं समझता था। इतना ही समझा था कि किसी नई वस्तुका जन्म हुआ है। लड़ाई ज्यो-ज्यो आगे बढ़ती गई तथों-तथो 'पैसिव रेजिस्टेंस' नामसे उलझन पैदा होने लगी और इस महान् युद्धका अधेजी नामसे ही परिचय देना मुझे लज्जाजनक जान पड़ा। फिर कौमकी जबानपर यह शब्द चढ़ भी नहीं सकता था। अतः 'इंडियन ओपीनियन' मेरे सबसे अच्छा नाम ढूढ़ निकालनेवालेके लिए छोटे-से इनामकी घोषणा की। कुछ नाम मिले। इस बक्त तक इस युद्धके अर्थ की 'इंडियन ओपीनियन' मेरे भली भाति चर्चा हो चुकी थी। इससे प्रतियोगिता करनेवालोंके पास खोजके लिए काफी मसाला हो गया था। मग्नलाल गांधीने भी इस

प्रतियोगितामें भाग लिया । उन्होंने 'सदाग्रह' नाम भेजा । इस शब्दको पसंद करनेका कारण बताते हुए उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तानी कौमका यह आन्दोलन एक भारी आग्रह है और यह आग्रह 'सद्' अर्थात् शुभ है । इसलिए यह नाम पसंद किया । उनकी दलीलका सार मैंने थोड़ेमे दिया है । मुझे यह नाम रुचा । फिर भी जिस वस्तुका समावेश मैं करना चाहता था उसका समावेश उसमे नहीं होता था । इसलिए मैंने 'द' को 'त्' करके और उसमे 'य' जोड़कर 'सत्याग्रह' नाम बनाया । सत्यमे शांतिका अंतर्मित भाना और आग्रह किसी भी वस्तुका किया जाय तो उसमें से बल उत्पन्न होता है । अतः आग्रहमे बलका भी समावेश किया, और भारतीय आन्दोलनको 'सत्याग्रह' अर्थात् शांतिसे उत्पन्न होनेवाले बलके नामसे पुकारना शुरू किया । तभीसे इस संग्रामके लिए 'पैसिव रेजिस्टेस' शब्दका उपयोग बद कर दिया गया, यहाँतक कि अंग्रेजी लेखोमे भी 'पैसिव रेजिस्टेस' का उपयोग त्याग दिया और उसके बदले 'सत्याग्रह' या कोई दूसरा अंग्रेजी शब्द लिखना आरंभ किया । इस प्रकार जिस वस्तुका परिचय सत्याग्रहके नामसे दिया जाने लगा उस वस्तु और सत्याग्रह नामका जन्म हुआ । अपने इतिहासको आगे बढ़ानेके पहले 'पैसिव रेजिस्टेस' और 'सत्याग्रह' का भेद हम समझ ले, यह जरूरी है । इसलिए अगले प्रकरणमे हम यह भेद समझेंगे ।

: १३ :

'सत्याग्रह' बनाम 'पैसिव रेजिस्टेस'

आन्दोलन ज्यों-ज्यो आगे बढ़ता गया त्यो-त्यों अंग्रेजोको

भी उससे दिलचस्पी होती गई। मुझे यह बता देना चाहिए कि यद्यपि ट्रांसवालके अग्रेजी अखबार आम तौरसे खुनी कानूनके पक्षमें ही लिखते थे और गोरोके विरोधका समर्थन करते थे, किर भी कोई प्रसिद्ध भारतीय उनको कुछ लिख भेजता तो वे खुशीसे उसको छापते थे। भारतीय सरकारके पास जो अर्जिया भेजते उन्हें भी पूरा-पूरा या उनका सार प्रकाशित कर देते। वडी सभाओमें कभी-कभी अपने रिपोर्टर भेजते और जब ऐसा न होता तो जो रिपोर्ट हम लिखकर भेज देते वह छोटी होती तो छाप देते।

यह भलमनसी भारतीय जनताके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई और आन्दोलन बढ़नेपर कुछ प्रमुख यूरोपियन भी उसमें रस लेने लगे। इन मुख्योम जोहान्सवर्गके लिखपती मिं० हॉस्किन भी थे। इनमें वर्ण-द्वेष तो आदिसे ही नहीं था। पर आन्दोलन आरंभ होनेके बाद हिंदुस्तानियोके मसलेसे उन्हे गहरी दिलचस्पी हो गई। जर्मस्टन नामका एक नगर है जो जोहान्सवर्गका उपनगर-सा है। वहाके गोरोने मेरा भाषण सुननेकी इच्छा प्रकट की। सभा हुई। मिं० हॉस्किनने उसमें हमारे आन्दोलनका और मेरा परिचय देते हुए कहा—“ट्रांसवालके भारतीयोने न्याय प्राप्तिके लिए, दूसरे उपाय निष्कल हो जानेपर ‘पैसिव रेजिस्टेस’ का अवलबन किया है। उन्हें चुनावमें मत देनेका अधिकार नहीं। उनकी सूचा थोड़ी है। वे निर्वल हैं, उनके पास हथियार नहीं। इसलिए उन्होंने ‘पैसिव रेजिस्टेस’ को, जो निर्वलोका हथियार है, ग्रहण किया है।” यह सुनकर मैं चौका और जो भाषण करने मैं गया था उसने दूसरा ही रूप ले लिया। मिं० हॉस्किनकी गया था उसने दूसरा ही रूप ले लिया। मिं० हॉस्किनकी दलीलका खंडन करते हुए मैंने ‘पैसिव रेजिस्टेस’ को ‘सोल-फोर्स’ यानी आत्मबल बताया। इस सभामें मैंने देखा कि ‘पैसिव रेजिस्टेस’ शब्दके उपयोगसे भयानक भ्रम होनेकी

संभावना है। सभामे दी हुई दलील और 'पैसिव रेजिस्टर्स' और आत्मबलका भेद समझानेके लिए जो कुछ और कहनेकी अवश्यकता है उसे मिलाकर मैं दोनोंके बीच रहनेवाले विरोधको समझानेकी कोशिश करूँगा।

'पैसिव रेजिस्टर्स' इन दो शब्दोंका उपयोग अंग्रेजी भाषामे पहले-पहल किसने किया और कव किया, इसका पता तो मुझे नहीं है। पर ड्रिटिश जनतामे जव-जव किसी छोटे समुदाय-को कोइ कानून प्रसंद नहीं आया तब-तब उसने उस कानूनके विश्व विद्रोह करनेके बदले उस कानूनके सामने सिर न झुकाने-का 'पैसिव' अर्थात् हल्का कदम ठाठाया और उसके फलस्वरूप जो सजा मिले उस भुगत लेना प्रसंद किया। कुछ बरस पहले जव ड्रिटिश पार्लिमेंटने शिक्षाका कानून (एजूकेशन-ऐकट) पास किया तब डाक्टर किलफड़के नेतृत्वमे 'नान-कनफर्मिंस्ट' नामक इसाई सम्प्रदायने 'पैसिव रेजिस्टर्स'का अवलंबन किया था। इंगलैण्डकी स्त्रियोन मताधिकार पानेके लिए जो जव-दंस्त आन्दोलन किया था उसे भी 'पैसिव रेजिस्टर्स'का नाम दिया गया था। इन दोनों आन्दोलनोंको ध्यानमे रखकर ही मिं हॉस्टिकनने कहा कि 'पैसिव रेजिस्टर्स' निर्वल शृष्टिवा मताधिकार-रहितका हृथियार है। डाक्टर किलफड़के पक्षको मताधिकार प्राप्त था, पर आम सभामें उसकी संख्या इतनी कम थी कि वह बोटके बलसे शिक्षा-कानूनका पास होना नहीं रोक सका, अर्थात् यह पक्ष सख्तबलमे कमज़ोर ठहरा। अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिए यह पक्ष शस्त्रका उपयोग कभी करता ही नहीं, सो बात नहीं थी। पर इस काममें उसका उपयोग करके वह सफल नहीं हो पाता। सुव्यवस्थित राज्य-तंत्रमे हर बक्त यकायक बगावत करके ही हक हासिल करने-का तरीका चल ही नहीं सकता। फिर डाक्टर किलफड़के पक्षके कुछ इसाई सामाज्य रीतिसे हृथियारका इस्तेमाल हो

सकता हो तो भी उसका विरोध करते। स्थियोंके आन्दोलनमें मताधिकार तो था ही नहीं। संख्या और शरीर-बलमें भी वे कमजोर थीं। अतः यह उदाहरण भी मिँ हॉस्टिलकी दलीलका पोषण ही करता था। स्थियोंके आन्दोलनमें हथियारके उपयोगका त्याग नहीं किया गया था। उनके एक पक्षने तो मकानोंमें आग लगाई और पुरुषोंपर हमला भी किया। किसीकी हत्या करनेका इरादा उन्होंने कभी किया हो यह तो मैं नहीं सोचता; पर मौकाका मिलनेपर लोगोंकी मरम्मत करना और इस प्रकार कुछ-न-कुछ उपद्रव खड़े करते रहना तो अवश्य उनका उद्देश्य था।

पर हिंदुस्तानियोंके आन्दोलनमें हथियारके लिए तो कहीं और किसी भी स्थितिमें स्थान ही नहीं था, और ज्योंज्यों हम आगे बढ़ेंगे पाठक देखेंगे कि बड़े-बड़े कट्ट पड़नेपर भी सत्याग्रहियोंने शरीरबलसे काम नहीं लिया और वह भी ऐसे मौकोंपर जब इस बलका सफलता-पूर्वक उपयोग करनेमें वे समर्थ थे। फिर हिंदुस्तानियोंको मताधिकार नहीं था और वे कमजोर थे यह दोनों बातें सही हैं। फिर भी आन्दोलनकी योजनाका डनके साथ कोई संबंध नहीं था। यह कहनेमें मेरा आशय यह नहीं है कि भारतीय जनताके पास मताधिकारका या हथियारका बल होता तो भी वह सत्याग्रह ही करती। मताधिकारका बल हो तो सत्याग्रहके लिए बहुत करके अवकाश ही नहीं होता। हथियारका बल हो तो विपक्षी अवश्य सम्हलकर चलता है। अतः यह भी समझमें आनेवाली बात है कि हथियार-बलवालेके लिए सत्याग्रहके अवसर थोड़े ही आएंगे। मेरे कहनेका तात्पर्य इतना ही है कि मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि भारतीय आन्दोलनकी कल्पनामें शस्त्रबलकी शक्यता-अशक्यताका सबाल मेरे मनमें उठा ही नहीं। सत्याग्रह केवल आत्माका बल है और जहां

और जितने अशमे हथियार यानी शरीरवल का उपयोग होता हो या सोचा जाता हो वहा उतने अंशमे आत्मवलका कम उपयोग होता है। मैं मानता हूँ कि ये दोनों खुद विरोधी शक्तियां हैं और आन्दोलनके जन्मकालमें भी यह विचार मेरे मनमें पूरा-पूरा बैठ गया था।

पर यहाँ हमें इसका निर्णय नहीं करना है कि ये विचार योग्य हैं या अयोग्य। हमें तो केवल 'पैसिव रेजिस्टेंस' और सत्याग्रहके बीचके अंतरको ही समझ लेना है। हमने यह देख लिया कि इन दोनों शक्तियोंके बीच मूलमें ही बहुत बह़ा अंतर है। इस भेदको समझके बिना अपने आपको 'पैसिव रेजिस्टर' या 'सत्याग्रही' माननेवाले दोनोंको एक ही चीज़ मान ले तो यह दोनोंके साथ अन्याय है और इसके बुरे नतीजे भी होगे। हम खुद दक्षिण अफ्रीकामें 'पैसिव रेजिस्टेंस' शब्दका उपयोग किया करते थे। उससे मताधिकारके लिए लड़नेवाली स्त्रियोंकी बीरता और आत्मवलका हमपर आरोप करके हमें यश देनेवाले तो बहुत थोड़े होते, पर हम भी उन स्त्रियोंकी तरह लोगोके जान-मालको नुकसान पहुँचानेवाले मान लिये जाते और मिठाहास्त्रिकन जैसे उदार हृदयके सच्चे मित्रने भी हमें कमजोर मान लिया। विचारमें यह बल है कि मनुष्य अपने आपको जैसा मानता है अंतमे वैसा ही बन जाता है। हम यह मानते रहे कि हम निर्बल हैं, इसलिए निरपाय होकर 'पैसिव रेजिस्टेंस' का उपयोग कर रहे हैं और दूसरोंसे भी यही मनवाया करें तो 'पैसिव रेजिस्टेंस' करते हुए हम कभी बलवान हो ही नहीं सकेंगे और मौका मिलते ही इस निर्बलोंके हृषियारको फेंक देंगे। इसके द्विपरीत अगर हम सत्याग्रही हों और अपने आपको सबल मानकर इस ताकतको इस्तेमाल करें तो इसके दो स्पष्ट परिणाम होते हैं। बलके विचारका पौष्ण करते हुए हम दिन-दिन अधिक बलवान होते जाते हैं।

और ज्यों-ज्यो हमारा बल बढ़ा जाता है त्यों-त्यो सत्याग्रहका तेज बढ़ा जाता है और इस शक्तिका उपयोग छोड़ देनेका मीका हम कभी छूटते ही नहीं। फिर 'पैसिव रेजिस्टेस'में जहा प्रेम-भावका अवकाश नहीं, वहाँ सत्याग्रहमें बैरभावके लिए अवकाश नहीं। इतना ही नहीं, वल्कि वह अधर्म माना जायगा। 'पैसिव रेजिस्टेस' में मीका मिले तो शस्त्र-बलका उपयोग किया जा सकता है, सत्याग्रहमें शस्त्र-बलके उपयोगके लिए अच्छे-अच्छे अवसर उपस्थित हों तो भी वह सर्वथा त्याज्य है। 'पैसिव रेजिस्टेस' अवसर शस्त्र-बलके उपयोगकी तैयारी समझा जाता है। सत्याग्रहका उपयोग इस रूपमें किया ही नहीं जा सकता। 'पैसिव रेजिस्टेस' हथियारकी ताकतक साथ-साथ चल सकता है। सत्याग्रह तो शस्त्र-बलका नितान्त विरोधी है। इसलिए दोनोंका मेल कभी मिल ही नहीं सकता, यानी दोनोंका साथ निभ ही नहीं सकता। सत्याग्रहका उपयोग अपने प्रिय जनोंके साथ भी हो सकता है और होता है, 'पैसिव रेजिस्टेस' का उपयोग वस्तुतः प्रियजनोंके साथ हो ही नहीं सकता, अर्थात् प्यारोंको बैरी मानिये तभी उसके साथ 'पैसिव रेजिस्टेस' किया जा सकता है। 'पैसिव रेजिस्टेस'-में विपक्षको ढुख देने, हेरान करनेकी कल्पना सदा विद्यमान रहती है और उसे ढुस देते हुए खुद कष्ट सहना पड़े तो उसे ॥ सह लेनेको तैयार रहना होता है। पर सत्याग्रहमें ढुख देनेका खयाल तक नहीं होना चाहिए। उसमें तो स्वयं ढुखको मोल लेकर-सहकर विरोधीको जीत लेनेकी ही बात सोची जानी चाहिए।

इस प्रकार इन दो शक्तियोंके बीचके मुख्य भेद भेने गिना दिये। मेरे कहनेका यह मतलब नहीं कि 'पैसिव रेजिस्टेस' के जो गण-या दोष कहिए—मैंने गिनाये हैं वे हर प्रकारके 'पैसिव रेजिस्टेस'में पाये जाते हैं। पर यह दिखाया जा सकता है कि

'पैसिव रेजिस्टेस' के बहुतेरे उदाहरणोंमें ये दोष देखनेमें आये हैं। मुझे यह भी पाठकोंको बता देना चाहिए कि इसामहीनको बहुतसे इसाइं 'पैसिव रेजिस्टेस' के आदित्योत्तरको खसमें मानते हैं; पर वहां तो 'पैसिव रेजिस्टेस' का अर्थ शुद्ध सत्याग्रह ही मानना चाहिए। इस अर्थमें 'पैसिव रेजिस्टेस' के अधिक उदाहरण इतिहासमें नहीं मिलते। डॉलस्टोप्सने खसके इखोबोर लोगोंकी मिसाल दी है। वह ऐसे ही 'पैसिव रेजिस्टेस' यानी सत्याग्रहकी है। हजरत इसाके बाद हजारों इसाइयोने जो जूल्म बदायत किये हैं उस बक्त 'पैसिव रेजिस्टेस' शब्दका उपयोग होता ही नहीं था। अत. उनके समान निमंल उदाहरण जो मिलते हैं उन्हें मैं तो सत्याग्रह ही कहूँगा और अगर आप उन्हें 'पैसिव रेजिस्टेस'की मिसाल मानें तो 'पैसिव रेजिस्टेस' और सत्याग्रहमें कोई भेद नहीं रहता। इस प्रकारका उद्देश्य तो यह दिखाना है कि अंग्रेजीमें 'पैसिव रेजिस्टेस' शब्दका अवहार आमतौरसे जिस अर्थमें होता है, सत्याग्रहकी कल्पना उससे विलक्षण जादी है।

जैसे 'पैसिव रेजिस्टेस' के लक्षण गिनाते हुए, इस शक्तिका उपयोग करनेवालेके साथ किसी भी रीतिसे अन्याय न हो इस खयालसे मुझे ऊपर लिखी चेतावनी देनी पड़ी है, वैसे ही सत्याग्रहके गुण गिनाते हुए मुझे यह बता देना भी जरूरी है कि जो लोग अपने आपको सत्याग्रही कहते हैं उनकी ओरसे मैं उन सारे गुणोंका दावा नहीं करता। मैं इस बातसे अनभिज्ञ नहीं हूँ कि सत्याग्रहके जो गुण मैंने ऊपर बताये हैं उनसे कितने ही सत्याग्रही निरे अनज्ञान हैं। बहुतेरे यह मानते हैं कि सत्याग्रह निर्वलोका हथियार है। कितनोंके मुहसे मैंने यह भी सुना है कि सत्याग्रह शस्त्र-वल्स काम लेनेकी तैयारी है। पर मुझे फिरसे कह देना चाहिए कि सत्याग्रही किन गुणोंसे युक्त देखनेमें आते हैं यह मैंने नहीं बताया है, बल्कि यह दिखानेका यत्न

किया है कि सत्याग्रहकी कल्पनामे कौन-कौनसी बातें हैं और उसके अनुसार सत्याग्रहीको कैसा होना चाहिए। जिस शक्तिसे काम लेना ट्रासवालमे भारतीयोंने आरंभ किया, पाठक उस शक्तिको स्पष्ट रूपसे समझ ले और वह शक्ति 'पैसिव रेजिस्टेस' के नामसे परिचित शक्तिके साथ मिला न दी जाय, इस विचारसे इस जक्तिके अर्थका सूचक शब्द ढूँढ़ना पड़ा और उस वक्त उसमे किन-किन वस्तुओंका समावेश माना गया था, यही बता देना, थोड़ेमे, इस प्रकरणके लिखनेका उद्देश्य है।

: १४ :

विलायतको शिष्ट-मण्डल

ट्रासवालमें खनी कानूनके खिलाफ अर्जिया आदि भेजनेके जो-जो काम करने थे सब कर दिये गए। धारा सभाने स्त्रियोंसे सबध रखनेवाली दफा निकाल दी। बाकीका विल लगभग उसी रूपमें पास हुआ जिस रूपमें प्रकाशित हुआ था। कौममे इस वक्त भरपूर हिम्मत थी और उतना ही एका और एकमतता भी। अतः कोई निराश नही हुआ। फिर भी कोई वैध उपाय उठा न रखनेका निश्चय भी कायम रहा। ट्रासवाल इस वक्त 'क्राउन कॉलोनी' था। 'क्राउन कॉलोनी' का शब्दार्थ है वादशाही उपनिवेश, अर्थात् ऐसा उपनिवेश जिसके कानून, शासन-प्रबध आदिके लिए बड़ी सरकार जवाबदेह समझी जाती है। अत जो कानून शाही उपनिवेशकी धारा सभा पास करे उनपर वादशाहीकी मजरी महज रस्म और सौजन्यकी रक्षाके लिए नही लेनी होती, बल्कि जो कानून शिटिंश विधानके सिद्धातके विरुद्ध हो उस कानूनको वादशाह अपने मंत्रिमण्डलकी सलाहसे स्वीकृति-

देनेसे इन्कार कर सकता है, और ऐसा करनेके मौके भी काफी आते हैं। इसके विपरीत उत्तरदायी शासन-व्यवस्था (रस्यांसिदल गवर्नरमेट) बाले उपनिवेशकी धारा सभा जो कानून बनाये उसके लिए बादशाहकी मंजूरी मुख्यतः सौजन्य-की खातिर ही ली जाती है।

शिष्ट-मण्डल इगलेंड जाय तो कौमको अपनी जिम्मेदारी और अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इसे बतानेका भार मेरे ही सिर रहा। इसलिए मैंने अपने मंडलके सामने तीन सुझाव रखे। एक तो यह कि यद्यपि यहूदी नाटकशाला (इम्पायर थियेटर) बाली सभामें हम प्रतिज्ञाएं कर चुके हैं फिर भी प्रमुख भारतीयोंसे फिरसे व्यक्तिगत प्रतिज्ञा करा लेनी चाहिए जिससे लोगोंके मनमें कोई शंका या कमजोरी आ गई हो तो मालूम हो जाय। यह सुझाव पेश करनेमें मेरी एक दलील यह थी कि शिष्ट-मण्डल सत्याग्रहके बलसे जाय तो निर्भय होकर जाय और कौमका निश्चय विलायतमें उपनिवेश सचिव और भारत सचिवके सामने निर्भयताके साथ रख सके। दूसरा यह कि शिष्ट-मण्डलके खंचका परा बंदेवस्त पहलेसे ही हो जाना चाहिए। तीसरा यह कि शिष्ट-मण्डलमें कम-से-कम आदमी जायें। अक्सर लोगोंका यह ख्याल देखनेमें आता है कि ज्यादा आदमी जाय तो ज्यादा काम हो सकता है। इसीसे यह सूचना की गई। शिष्ट-मण्डलमें जानेवाले अपने सम्मानके लिए नहीं, बल्कि शुद्ध सेवाके उद्देश्यसे जायें इस विचारको सामने लाने और खंच बचानेकी व्यावहारिक दृष्टि इस सुझावमें थी। तीनों सुझाव मंजूर हुए। प्रतिज्ञा-पत्रपर लोगोंसे हस्ताक्षर कराये गये। बहुतोंने हस्ताक्षर किये। पर मैंने देखा कि जो लोग सभामें प्रतिज्ञा कर चुके थे उनमें भी कुछ ऐसे थे जो दस्तखत करते हिचकते थे। एक बार कोई प्रतिज्ञा कर चुकनेके बाद उसे फिर पचास बार

दुहराना पड़े तो इसमें हिचक होनी ही नहीं चाहिए। फिर भी किसे यह अनुभव नहीं हुआ है कि लोगोने जो प्रतिज्ञा सोच-समझकर की हो उसमें भी पीछे ढीले पड़ जाते हैं या मुहसें की हृदय प्रतिज्ञाको लिखते हुए घबराते हैं? पैसा भी हमारे बंदजके अनुसार इकट्ठा हो गया। सबसे अधिक कठिनाईं प्रतिनिधियोके चुनावमें पड़ी। मेरा नाम तो था ही। पर मेरे साथ कौन जाय? इस विचारमें कमेटीने बहुत वक्त गुजारा, कितनी ही रातें बीत गईं और सभा-समितियोमें जो बुरी आदतें देखनेमें आती हैं उनका अनुभव पूरे तौरपर हुआ। कोई कहता कि अकेले गांधी ही जाय, इससे सबका संतोष हो जायगा। पर मैंने ऐसा करनेसे साफ इन्कार कर दिया। मोटे हिसाबसे यह कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीकामें हिंदू मुसलमानका सवाल नहीं था, पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि दोनों कौमोंके बीच जरा भी अतर नहीं था। और इस भेदने कभी जहरीली शक्ति नहीं अस्तियार की तो इसका कारण वहांकी विचित्र परिस्थिति किसी हृदयक भले ही हो, पर इसका असल और पक्का कारण तो यही है कि नेताओंने एकनिष्ठा और सच्चे दिलसे अपना काम किया और कौमको सही रास्ता दिखाया। मेरी सलाह यह थी कि मेरे साथ एक मुसलमान सज्जनको तो होना ही चाहिए और दोसे अधिक आदमियोंकी जरूरत नहीं; पर हिंदुओंकी ओरसे तूरत कहा गया कि आप तो सारी कौमके प्रतिनिधि मानें जाते हैं, इसलिए हिंदुओंका भी एक प्रतिनिधि होना ही चाहिए। कुछ यह भी कहते कि एक प्रतिनिधि कोकणी मुसलमानोंका, एक मेमनोंका और हिंदुओंमें एक किसानोंका और एक अनाविल लोगोंका होना चाहिए। इस प्रकार अनेक जातियोंके दावे पेश हुए। अतमें सब समझ गये और हाजी वजीर अली और मैं यहीं दो आदमी एकमतसे चुने गये।

हाजी वजीर अली आवे मलायी कहे जा सकते हैं। उनके बाप हिंदी मुसलमान और माँ मलायी थी। इनकी मादरी जबान छच कही जा सकती है; पर अग्रेजी भी इतनी पढ़ ली थी कि छच और अग्रेजी दोनों अच्छी तरह बोल सकते थे। अग्रेजीमें भाषण करनेमें उन्हें कही अटकना नहीं पड़ता। अख-वारोंमें पत्र लिखनेका अभ्यास भी कर लिया था। द्वासवाल ग्रिटिंग इंडियन एसोसियेशनके सदस्य थे और लंबे असेसे सार्वजनिक कामोंमें हिस्सा लेते आ रहे थे। हिंदुस्तानी भी अच्छी तरह बोल लेते थे। उनका ब्याह एक मलायी स्त्रीसे हुआ था और इस स्त्रीसे उनके बहुतसे बाल-बच्चे थे। विलायत पहुँचते ही हम दोनों काममें जुट गये। उपनिवेश सचिव और भारत सचिवके सामने जो आवेदनपत्र पेश करना था उसका मसविदा तो जहाजपर ही बना लिया था। उसको छपा ढाला। लाडू एलिन उपनिवेश मंत्री थे, लाडू मौले भारत-मंत्री थे। हम हिंदके दादा (दादाभाई नवरोजी) से मिले। फिर उनके जरिये काग्येसकी ग्रिटिंग कमेटीसे मिले। हमने अपना पक्ष उसे सुनाया और बताया कि हम तो सब पक्षोंको साथ लेकर काम करना चाहते हैं। दादाभाईकी तो यह सलाह थी ही। कमेटीको भी यह ठीक जान पड़ा। इसी तरह हम सर मंचेरजी भावनगरीसे मिले। उन्होंने भी खबर मदद की। इनकी बाँर दादाभाईकी भी सलाह थी कि लाडू एलिनके पास जो शिष्ट-मण्डल जाय उसका नेता कोई तटस्थ और प्रसिद्ध एंग्लो इंडियन बनाया जा सके तो अच्छा है। सर मंचेरजीने कुछ नाम भी सुझाए। उनमें सर लेपल ग्रिफिनका भी नाम था। पाठकोंको जान लेना चाहिए कि सर विलियम विल्सन हूंटर इस बक्त जीवित नहीं थे। वह होते तो दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंकी स्थितिसे उनका गहरा परिचय होनेके कारण वही शिष्ट-मण्डलके नेता हुए होते था उन्हींने

उमराव (लार्ड) वर्गके किसी बड़े नेताको इस कामके लिए दूढ़ दिया होता ।

हम सर लेपल ग्रिफिनसे मिले । उनकी राजनीति तो हिंदुस्तानमें चलते हुए सार्वजनिक आनंदोलनोकी विरोधी ही थी; पर इस मसलेसे उनको गहरी दिलचस्पी हो गई और सौजन्यकेलिए नहीं, बल्कि न्यायकी दृष्टिसे उन्होने हमारा अगआ बनना मंजूर कर लिया । उन्होने सारे कागज-पत्र पढ़ डाले और हमारे मसलेसे पूरी जानकारी कर ली । हम दूसरे एंगलो इंडियन सज्जनोंसे भी मिले । आम सभाके बहुतसे सदस्योंसे और जिनका कुछ भी प्रभाव था ऐसे जितने आदमियों तक हमारी पहुंच हो सकती थी उन सबसे मिले । लार्ड एलिगनके पास शिष्ट-मण्डल गया । उन्होने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनली । अपनी हमदर्दी जाहिर की और साथ-ही-साथ अपनी कठिनाइयाँ भी बताईं । फिर भी जितना हो सके उतना करनेका बचन दिया । यही शिष्ट-मण्डल लार्ड मॉलेसे भी मिला । उन्होने भी सहानुभूति प्रकट की । उनके उत्तरका सार पीछे दे चुका हूँ । सर विलियम वेडरबन्की कोशिशसे आम सभाके हिंदुस्तानके राज-काजसे लगाव रखनेवाले सदस्योंकी सभा उसी भवनके एक दीवानखानेमें हुई और हमने उसके सामने भी अपना पक्ष जितना हमसे हो सका रखा । इस बक्त आइरिश पक्षके नेता मिंरेडमड थे । इसलिए हम उनसे भी खास तौरसे मिलने गये । खुलासा यह कि आम सभाके सब पक्षोंके जिन-जिन सदस्योंसे हम मिल सकते थे उन सबसे मिले । इंगलैंडमें हमें कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटीकी भरपूर मदद तो थी ही । पर यहाके रीति-रिवाजके मुताबिक उसमें तो पक्ष-विशेष और मतविशेषके आदमी ही आ सकते थे । ऐसे बहुतेरे थे जो उक्त कमेटीमें तो नहीं आते थे; पर हमारे काममें पूरी मदद देते थे । हमने सोचा कि हन सबको

इकट्ठा करके हम इस काममें लगा सके तो अधिक अच्छा काम हो सकता है और इस विचारसे एक स्थायी कमेटी बनानेका निश्चय किया । सब पक्षोंके लोगोंको यह विचार पसंद आया ।

हरएक संस्थाका आधार मुख्यतः उसका मंत्री होता है । मंत्री ऐसा होना चाहिए जिसे संस्थाके उद्देश्यपर पूरा-परा विश्वास हो, साथ-ही-साथ उसमे इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिए अपना अधिकाश समर्थ देनेकी शक्ति और काम करनेकी योग्यता भी हो । मिं० एल० डब्ल्यू० रिचमेंथे सभी गुण थे । वह दक्षिण अफीकाके ही थे । वहाँ मेरे दफ्तरमें गूमाश्टेका काम करते थे और इन दिनों लंदनमें वैरिस्टरी पढ़ रहे थे । वह इंगलैंडमें भौजद थे और यह काम करनेके इच्छुक भी थे । इससे कमेटी (साउथ अफीका व्रिटिश इंडियन कमेटी) बनानेकी हिम्मत हम कर सके ।

विलायतमें, बाल्क सारे पश्चिममें, मेरी दृष्टिसे एक असम्य रिवाज यह है कि अच्छे-से-अच्छे कामका मुहूर्तं भोजनके समय रखा जाता है । व्रिटिश प्रधान मंत्री हर साल ९ नववरको लदनके लाडं मेयरके सरकारी बासस्थान मैशन हॉउसमें जो भाषण दिया करते हैं उसमे वह अगले वरसके अपने कार्यक्रम-का संकेत करते हैं और भविष्यके विषयमें अपना निजका अनुमान बताते हैं और इस कारण यह भाषण सारी दुनियाका ध्यान अपनी ओर स्वीच्छा है । लदनके लाडं मेयरकी ओरसे मंत्रिमंडलके सदस्यों आदिको उसमे भोजनका निमंत्रण दिया जाता है और वहाँ भी भोजनके बाद शारावकी बोतलें खुलती हैं और मेजबान तथा मेहमानकी स्वास्थ्य-कामनाके लिए सुरापान किया जाता है । जब इस शुभ या अशुभ (सब अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार विशेषण चुनले) कार्यका दौर चल रहा हो उस बक्त भाषण भी दिये जाते हैं । इसमें बाद-शाहके मंत्रिमंडलका 'टोस्ट' (स्वास्थ्य-कामना) भी शामिल

होता है। इसी (टोस्ट) के जबाबमें प्रधान मन्त्रीका उपर्युक्त महत्वपूर्ण भाषण होता है। और जैसे सार्वजनिक रूपमें वैसे ही निजी तौरपर किसीके साथ खास मशविरा या वातचीत करनी हो तो उसे भोजनका न्यौता देनेका रिवाज है। कभी खातेखाते तो कभी खाना खत्म होनेपर वह विषय छिड़ता है। हमें भी एक नहीं, अनेक बार इस रिवाजके सामने नत मस्तक होना पड़ा था। पर कोई पाठक इसकी अर्थ यह न करे कि हममेसे किसीने कभी अभक्ष्यका भक्षण या अपेयका पान किया। इस प्रकार हमने एक दिन दोपहरके भोजनके निमंत्रण भेजे और उसमे अपने सभी मूल्य सहायकोंको आमंत्रित किया। लगभग सौ निमंत्रण भेजे गये थे। इस भोजका प्रयोजन सहायकोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और उनसे विदा लेना और साथ ही स्थायी समितिकी स्थापना भी था। उसमे भी प्रथाके अनुसार भोजनके उपरात भाषण हुए और कमेटीकी स्थापना भी हुई। इस आयोजनसे हमारे आन्दोलनकी और अधिक प्रसिद्धि हुई।

इस प्रकार कोई ६ हफ्ते विताकर हम दक्षिण अफ्रीकाको वापस हुए। मदीरा पहुचनेपर हमे मिं० रिचका तार मिला कि 'लाडू एलिनने घोषणा की है कि मन्त्रिमंडलने वादशाहसे ट्रांसवालके ऐशियाटिक ऐकटों नामजूर करनेकी सिफारिश की है। अब हमारे हर्षका क्या पूछना! मदीरासे केप टाउन पहुचनेमे १४-१५ दिन लगते हैं। यह बहुत तो हमने बड़े चैनसे गुजारा और दूसरे कष्टोंके निवारण के लिए शोखचिल्ली-केसे हवाई महल बनाते रहे। पर दैवगति विचित्र है! हमारे ये महल कैसे घराशायी हो गये, इसे हम अगले प्रकरणमें देखेंगे।

पर इस प्रकरणको पूरा करनेके पहले एक-दो पवित्र संस्मरणोंको दिये बिना नहीं रहा जा सकता। मुझे यह तो कह ही देना होगा कि विलायतमें हमने एक क्षण भी

वेकार नहीं जाने दिया। वहुतसे सरक्यूलर (गश्ती चिट्ठिया) आदि भेजनेका सारा काम एक बादमीको किये नहीं हो सकता था। उसमे मददकी बड़ी जरूरत थी। पैसा खचं करनेसे वहुत-कुछ मदद मिल सकती है, पर अपने ४० सालके अनुभवसे कह सकता हूँ कि यह मदद शुद्ध स्वयंसेवककी सहायता जैसी फलदायिनी नहीं होती। सौभाग्यवश ऐसी मदद हमे मिल गई। वहुतसे भारतीय युवक जो वहां पढ़ते थे हमारे आसपास बने रहते और उनमेसे अनेक सुवह-शाम, इनाम या नामकी आशा रखे विना हमारी मदद करते। पते लिखना, नक्ले करना, टिकट चिपकाना, डाकघर जाकर चिट्ठिया आदि छोड़ना—किसी भी कामको उनमेसे किसीने अपनी ज्ञानके लिलाफ कहकर करनेसे इन्कार किया हो, यह मुझे याद नहीं आता। पर इन सबको एक ओर रखदे ऐसी मदद देनेवाला दक्षिण अफ्रीकामे मिला हुआ एक अंग्रेज निव्रथा। वह हिंदुस्तानमे रह चका था। उसका नाम था सिम-डस। अंग्रेजीमे कहावत है कि देवता जिसे प्यार करते हैं उसे जलदी अपने पास ले जाते हैं। इस 'परदु-खभजन' अंग्रेजको भी यमदूत भरी जवानीमे उठा ले गये। 'परदु-खभजन' विशेषणक व्यवहारका विशेष कारण है। यह भला भाईं जब बवईमे था तब यानी १८९७ मे प्लेग-पीडित भारतीयोंके बीच निर्भय होकर विचरता और उनकी मदद करता था। छूटके रोगियोंकी सेवा करते हुए भौतमे तनिक भी नहीं डरना तो उसके खूनमे भर गया था। जाति या रंगका हेप उसे छू तक नहीं गया था। उसका स्वभाव अतिशय स्वतन्त्र था। उसका एक सिद्धांत यह था कि सत्य सदा अल्पसंख्यक पक्ष यानी 'माइनारिटी'के साथ ही रहता है। इसी सिद्धांतसे प्रेरित होकर वह जोहान्सवर्गमे मेरी ओर आकृष्ट हुआ और अनेक बार विनोदमे मुझे जूना देता था कि आपका

पक्ष बड़ा हो जाय तो आप पक्का जानिये कि मैं हरगिज आपका साथ नहीं दूगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 'मेजारिटी' (बड़े पक्ष) के हाथमें सत्य भी असत्यका रूप ले लेता है। उसका अध्ययन विस्तृत था। जोहान्सवर्गके एक करोड़पति सर जार्ज फेररका वह विश्वास-भाजन प्राइवेट सेक्रेटरी था। शार्ट हैंड (लघु-लेखन) लिखनेमें तो निष्ठात था। जब हम विलायत पहुँचे तो वह अनायास हमसे आ मिला। मुझे उसका पता-ठिकाना भी मालूम नहीं था। पर हम तो सार्वजनिक लोग थे, इसलिए अखबारकी चचकि विषय ठहरे। इससे इस भले अप्रेजने हमे ढूढ़ निकाला और कहा—“मुझसे जो कुछ सहायता हो सके वह करनेको तैयार हूँ। मुझे चपरासीका काम सौंपिये तो वह भी कल्पा और शार्ट हैंडकी आवश्यकता हो तो आप जानते ही हैं कि मुझसा कुशल स्टेनोग्राफर आपको दूसरा नहीं मिलनेका।” हमे तो दोनों सहायताएं दरकार थीं और यह कहनेमें मैं तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ कि यह अंग्रेज रात-दिन, बिना पैसा लिए, हमारी बेगार करता था। रातके बारह-बारह और एक-एक बजेतक वह सदा टाइपराइटरपर ही बैठा होता। संदेशों ले जाना, डाकखाने जाना, ये काम भी सिमंडस करता और हसते चेहरेसे। मुझे मालूम था कि उसकी माहवार आमदनी लगभग ४५ पौंडके थीं; पर यह सारी आय वह भित्रों आदिकी मदद करनेमें खर्च कर डालता। उसकी उम्र उस बक्त कोइं तीस बरसकी रही होगी। पर वह अविवाहित था और योही जिद्यारी विता देनेका विचार था। मैंने उससे कुछ स्वीकार करनेको लिए बहुत आग्रह किया, पर उसने ऐसा करनेसे साफ इन्कार कर दिया। उसका उत्तर था—“मैं इस सेवाके बदलेमें कुछ लूँ तो मैं धर्म-भ्रष्ट हो जाऊँगा।” मुझे याद है कि आखिरी रातको सामान बगैरह बाधते हमे तीन बज गये। तबतक वह भी जागता रहा।

अगले दिन हमें जहाजपर सवार कराके ही वह हमसे जुदा हुआ। यह वियोग हमारे लिए अति दुखद था। मुझे अनेक अवसरोंपर इसका अनुभव हो चुका है कि परोपकार कुछ गेहूंए रगवालोंकी बपौती नहीं है।

〈सार्वजनिक काम करनेवाले युवकोंकी जानकारीके लिए मैं यहाँ भी बता दूँ कि शिष्ट-मण्डलके खर्चंका हिसाब रखनेका काम हमने इतनी सावधानीसे किया कि जहाजपर सोडावाटर पीना हो तो उसकी जो रसीद मिलती वह भी उतने पैसेके खर्चंके सबतके तौरपर रखली जाती। तारोंकी रसीदें भी इसी तरह रखी जाती। औरेवार हिसाबमें फूटकर खर्चंके नामसे एक भी रकम लिखी जानेकी वात मुझे याद नहीं है। यह मद तो हमारे हिसाबमें थी ही नहीं। 'याद नहीं' शब्द बढ़ानेका कारण यही है कि कभी शामको हिसाब लिखते बहत दो-चार पेनी या दो चार शिलिंगका खर्चं याद न रहा हो और फूटकरके नामसे लिख दिया गया हो तो नहीं कह सकता। इसीलिए अपवाद रूपमें 'याद नहीं' शब्दका व्यवहार किया है।

इस जीवनमें एक बात मुझे साफ तौरपर दिखाई दी है। वह यह कि जवसे हम होश सम्भालते हैं तभीसे दूस्टी या जवाब-देह बन जाते हैं। जवतक मा-बायको साथ होते हैं तबतक जो कोई काम या जो पैसा वे सौंपते हैं उसका हिसाब हमें उनको देना ही चाहिए। हमारा विश्वास करके वे हमसे हिसाब न मारें तो इससे हम अपनी जवाबदेहीसे मुक्त नहीं होते। जब हम स्वतन्त्र होते हैं तब स्त्री-पुत्र आदिके प्रति जवाबदेह हो जाते हैं। अपनी कमाईके मालिक अकेले हम ही नहीं हैं। वे भी उसमें हिस्सेदार हैं। उनकी खातिर हमें पाई-पाइका हिसाब रखना चाहिए। फिर जब हम सार्वजनिक जीवनमें आते हैं तब तो कहना ही क्या! मैंने देखा है कि स्वयंसेवकोंमें यह माननेकी आदत पड़ जाती है कि मानों अपने

हाथमें रहनेवाले काम या पैसेका हिसाब देना उनका फर्ज नहीं है, क्योंकि वे अविश्वासके पात्र तो हो ही नहीं सकते। यह और अज्ञान ही माना जा सकता है। हिसाब रखनेका विश्वास या अविश्वासके साथ कुछ भी संबंध नहीं। हिसाब रखना ही स्वतन्त्र धर्म है। उसके बिना हमें अपने कामको खुद ही मैला मानना होगा। और जिस स्थाने हम स्वयंसेवक हो उसका नेता अगर भूठी भलमनसीके डरसे हमसे हिसाब न मांगे तो वह भी दोषभागी है। काम और पैसेका हिसाब रखना जितना तनख्वाह देनेवालेका फर्ज है, स्वयंसेवकका उससे दूना फर्ज है। इसलिए कि उसने अपने कामको ही अपना बैतन मान लिया है। यह बात अति महत्वकी है और मैं जानता हूँ कि आमतौरसे बहुतेरी संस्थाओंमें इसपर जितना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इसीसे उसके लिए मैंने इस प्रकरणमें इतना स्थान देनेका साहस किया है।

: १५ :

वक्र राजनीति अथवा क्षणिक हर्ष

केप टाउनमें उत्तरते ही और खास तौरसे जोहान्सबर्ग पहुँचनेपर मैंने देखा कि मदीरामें मिले हुए तारकी जो कीमत हमने आंकी थी वह कीमत उसकी नहीं थी। इसमें भेजनेवाले मिंट्रिंगका दोष नहीं था। उन्होंने कानूनके नामंजूर होनेके बारेमें जैसा सुना वैसा तार कर दिया। हम ऊपर दूसरे चुके हैं कि इस वक्त यानी १९०६में द्रासवाल शाही उपनिवेश था। ऐसे उपनिवेशोंके राजदूत अपने उपनिवेशसे संबद्ध विषयोंमें उपनिवेश सचिवको आवश्यक सलाह देनेकेलिए इगलेंड (लंदन) में रहा करते हैं। द्रासवालके हूँत दक्षिण अफ्रीका-

के प्रसिद्ध वकील सर रिचर्ड सॉलोमन थे। खूनी कानून-को नामजूर करनेका निश्चय लाई एलिनने सर रिचर्डके साथ मशाविया करके किया था। १९०७ की पहली जनवरीसे द्रासवालको उत्तरदायी शासनका अधिकार मिलने वाला था। अत. लाई एलिनने सर रिचर्डको यह आइवा-सन दिया—“यही कानून द्रासवालको उत्तरदायी शासन मिलनेके बाद वहाकी घारा सभा पास करे तो बड़ी सरकार उसे नामजूर नहीं करेगी। पर जबतक द्रासवाल शाही उपनिवेश माना जाता है तबतक ऐसे भेदभाववाले कानूनके लिए बड़ी सरकार सीधी जिम्मेदार समझी जायगी और चुकि साम्राज्य सरकारके विधानमे भेदभाववाली राजनीति-की स्थान नहीं दिया जाता, इसलिए इस सिद्धांतका सम्मान करनेके लिए फिलहाल तो मझे बादशाहको यह कानून नामजूर करनेकी सलाह देनी ही होगी।”

इस प्रकार महज नामके लिए कानून रद्द हो जाय और साथ ही द्रासवालके गोरोका काम भी बन जाय तो सर रिचर्डको इसमे कोई एतराज न था। होता क्यों? इस राजनीतिको मैंने ‘वक्त’ विशेषण लगाया है; पर मैं मानता हूँ कि इससे अधिक तीखे विशेषणका व्यवहार किया जाय तो भी इस नीतिका संचालन करनेवालोके साथ वस्तुतः कोई अन्याय नहीं होगा। शाही उपनिवेशके कानूनोके लिए बड़ी सरकार प्रत्यक्षतः जिम्मेदार होती है। उसके विधानमे रंगभेद और जातिभेदके लिए स्थान नहीं। ये दोनों बातें बहुत सुदर हैं। यह बात भी समझें ला सकती है कि बड़ी सरकार उत्तरदायी शासन प्राप्त उपनिवेशोके बनाये हुए कानूनोको एकवारणी रद्द नहीं कर सकती; पर उपनिवेशके राजदूतोके साथ गुप्त मन्त्रणा करना, उन्हें पहलेसे साम्राज्यके विधानके विचार कानूनको नामजूर न करनेका बचन दे देना,

इसमे क्या उन लोगोंके साथ दगा और अन्याय नहीं है जिनके हक् छीने जा रहे हों? सच पूछिये तो लाठं एलिनने पहलेसे वचन देकर ट्रासवालके गाड़ाको भारतीयोंके विश्व अपना आन्दोलन जारी रखनेका बढ़ावा दिया। उन्हे ऐसा करना था तो भारतीय प्रतिनिधियोंको इसे साफ बता देना था। सच तो यह है कि उत्तरदायी शासन भोगनेवाले उपनिवेशोंके कानूनोंके लिए भी बड़ी सरकार जिम्मेदार होती ही है। विटिश विधानके मल सिद्धात स्वराज्य-भोगी उपनिवेशोंके भी मानने ही होते हैं। जैसे, कोई भी उत्तरदायित्व प्राप्त उपनिवेश कानून जायज गलामीकी प्रथाका पुनरुद्धार नहीं कर सकता। लाठं एलिनने अगर खूनी कानूनको अनुचित मानकर नामंजूर किया हो—और ऐसा मानकर ही वह नामंजूर किया जा सकता था—तो उनका स्पष्ट कर्तव्य था कि सर रिचर्ड सॉलोमनको अकेले में बुलाकर कह देते कि उत्तरदायी शासन मिलनेके बाद ट्रासवालकी सरकार ऐसा अन्यायकारी कानून न बनाये और उसका डरादा उसे बनानेका ही हो तो उसे जिम्मेदारी सौंपी जाय या नहीं, इसपर बड़े सरकारको फिरसे विचार करना होगा। या हिंदुस्तानियोंके हक्कोंकी परी रक्षाकी शर्तपर ही ट्रासवालको जबाबदेह हुक्मत सौंपनी चाहिए थी। यह करनेके बदले लाठं एलिनने अपरसे तो हिंदुस्तानियोंकी हिमायत करनेका भोग किया, पर भी उसे उसी बदले ट्रासवालकी सरकारकी सूची विमायत की और जिस कनूनको खुद रद् किया ॥ उसीको फिरसे पास करनेका बढ़ावा दिया। ऐसी बक्तव्य-नीतिका यह एक ही या पहला उदाहरण नहीं था। विटिश साम्राज्यके इतिहासका साधारण विद्यार्थी भी ऐसी दूसरी मिसालें याद कर सकता है।

इसलिए जो हान्स वर्मे हमने एक ही बात सुनी कि लाठं

एलिन और वही सरकारने हमे धोखा दिया। हमे तो मदीरा-मे जितनी खुशी हुई थी, दक्षिण अफ्रीकामे उतनी ही मायूसी हुई। फिर भी इस कृटिलताका तात्कालिक परिणाम तो यही हुआ कि कौममे और जोश फेला और सब कहने लगे—“अब हमें चिता क्या है? हमे क्या वड़ी सरकारकी सहायताके भरोसे लड़ना है? हमे तो अपने बलपर और जिसका नाम लेकर हमने प्रतिज्ञा की है उस भगवान्के भरोसे लड़ना है। और हम सच्चे रहे तो टेढ़ी राजनीति भी सीधी हो ही जायगी।”

द्रासवालमे उत्तरदायी शासनकी स्थापना हुई नई उत्तरदायी धारा सभाने जो पहला कानून पास किया वह था बजट और दूसरा कानून यही खूनी कानून (एशियाटिक रेजिस्ट्रेशन एकट) था। यह कानून ज्यो-का-त्यों उसी रूपमे पास हुआ जिस रूपमे पहले बना और पास हुआ था। उसकी एक दफामे तारीख दी हुई थी। उसे बदलना तो अधिक दिन बीत जानेसे जल्दी ही हो गया था। अतः यह तारीख उसमे बदली गई। २१ मार्च १९०७ की एक ही बैठकमे इस कानूनकी सारी विधिया पूरी करके वह पास कर दिया गया। इस शाब्दिक परिवर्तनका कानूनकी स्थितीके साथ कोइ संबंध नहीं था। वह तो जैसी थी वैसी ही बनी रही। अतः यह कानून रख हुआ था, इस बातको लोग सपनेकी तरह भूल गये। भारतीय जनताने अपनी रीतिके अनुसार आवेदन-पत्र आदि तो भेजे ही, पर इस तूतीकी आवाज उस नक्कार-खानेमे कौन सुनता? इस कानूनके १ जुलाई १९०७ से जारी होनेकी घोषणा की गई थी और भारतीयोंको ३१ जुलाई-के पहले परवानेके लिए दखास्त देनेको हुक्म दिया गया था। इतनी मुद्दत रखनेका कारण हिंदुस्तानियोपर कोई मेहर-वानी करना नहीं था। पद्धतिके अनुसार इस कानूनको वड़ी

सरकारकी मंजूरी मिलनी चाहिए थी। इसमे कुछ वक्त लगना ही था। फिर उसके परिशिष्टके अनसार परचे, परवाने वर्गेरह तैयार कराने और भिज्ञ-भिज्ञ स्थानोंमें परवाने-के दफ्तर (परमिट आफिस) खोलनेमें भी कुछ वक्त लगता। इससे यह पाच-छ घण्टानेकी मुहल्त ट्रासवाल सरकारने अपने ही सुभीतेके लिए दी थी।

: १६ :

अहमद मुहम्मद काछलिया

शिष्ट-मण्डल जब विलायत जा रहा था तब एक अंग्रेज मुसा-फिरने जो दक्षिण अफ्रीकामें रह चुका था, ट्रासवालके कानून और हमारे विलायत जानेका कारण भी हमारे मुहसे सुना। वह तूरंत बोल उठा—“आप कृतेका पट्टा (डॉग्स कॉलर) पहननेसे इन्कार करना चाहते हैं।” इस अंग्रेजने ट्रासवालक परवानेको यह नाम दिया। उसने यह बात पटटेपर अपना हृष्ट और भारतीयोंके प्रति तिरस्कार प्रकट करने या अपनी हमदर्दी दिखानेके लिए कही, इसे मैं उस वक्त नहीं समझ सका था और आज इस घटनाका उल्लेख करते समय भी इस बारेमें कोई निश्चय नहीं कर सकता। किसी भी मनुष्यके कथनका ऐसा अर्थ हमे नहीं करना चाहिए जिससे उसके साथ अन्यथा हो। इस सुनीतिका अनुसरण करते हुए मैं यह माने लेता हूँ कि इस अंग्रेजने अपनी हमदर्दी दिखानेके लिए ऊपरके जैसे, भावना-की तसवीर खीच देनेवाले शब्द कहे। एक और ट्रास-वाल सरकार हमे यह पट्टा पहनानेकी तैयारी कर रही थी, दूसरी ओर भारतीय जनता इसकी तैयारी कर रही थी, कि यह पट्टा न पहननेके अपने निश्चयपर वह किस तरह

कायम रहे और द्रासवालकी सरकारकी कुनीतिके विरोधमें किस तरह युद्ध किया जाय । विलायत और हिन्दुस्तानके अपने सहायकोंको पत्र लिखने और चालू परिस्थितिसे उनको परिचित कराते रहनेका काम तो चल ही रहा था । पर सत्याग्रहकी लड़ाईं बाह्योपचारपर बहुत कम अवलंबित होती हैं । भीतरी उपचार ही सत्याग्रहमें अक्सीर उपचार होता है । अतः कौमके सभी अंग ताजे और चुस्त रहे, इसके घलमें ही नेताओंका समय जा रहा था ।

कौमके सामने एक महत्वका प्रश्न उपस्थित हुआ । सत्याग्रहका काम किस मढ़लकी मारफत लिया जाय? द्रासवाल निटिश इंडियन एसोसिएशनमें तो बहुतसे समासद थे । उसकी स्थापनाके समय सत्याग्रहका जन्म भी नहीं हुआ था । उस संस्थाको अनेक कानूनोंका विरोध करना पड़ा था और आज भी करना था । कानूनोंका विरोध करनेके अतिरिक्त उसे दूसरे राजनीतिक, सामाजिक आदि काम भी करने होते थे । फिर इस संस्थाके सभी सदस्योंने प्रतिज्ञा की थी, यह भी नहीं कहा जा सकता था । इसके साथ-साथ सत्याग्रहमें सम्मिलित होनेसे उस संस्थाको जो बाहरकी जोखिमें उठानी पड़ती उनका विचार करना भी जरूरी था । सत्याग्रहकी लड़ाईको द्रासवालकी सरकार राजद्रोह मान ले और ऐसा मानकर यह युद्ध चलानेवाली संस्थाओंको गैरकानूनी घोषित कर दे तो? इस संस्थाके जो सदस्य सत्याग्रही नहीं होगे उनकी स्थिति क्या होगी? सत्याग्रहके पूर्व जिसने पैसा दिया हो उनके पैसेका क्या होगा? ये बातें भी सोचनेकी थीं । अंतमें सत्याग्रहियोंका यह दृढ़ निश्चय था कि जो लोग अश्रद्धा, अशक्ति या दूसरे किसी भी कारणसे सत्याग्रहमें शामिल न हों उनके प्रति द्वेष न रखा जाय, इतना ही नहीं, उनके साथ बताव करनेमें आजके स्नेह-भावमें कोई अंतर

न आने दिया जाय और सत्याग्रहको छोड़कर और आन्दोलनोंमें उनके साथ-साथ काम किया जाय ।

इन विचारोंसे अंतमे सारी कौमने यही निश्चय किया कि सत्याग्रहकी लड़ाई किसी वर्तमान संस्थाके जरिये न चलाई जाय । दूसरी संस्थाएं जितनी सहायता दे सकती हो दें और सत्याग्रहको छोड़कर और जो उपाय खनी कानूनके विरोधमे कर सकती हों करे । अतः ‘वैसिव रेजिस्टेशन ऐसोसियेशन’ अथवा ‘सत्याग्रह-मंडल’ नामकी नई संस्था सत्याग्रहियोंने स्थापित की । अंगेजी नामसे पाठक यह समझ ले कि जिस वक्त इस नये मंडलकी स्थापना हुई उस वक्ततक सत्याग्रह नामकी खोज नहीं हो सकी थी । ज्यो-ज्यो समय बीतता गया त्यों-त्यों हमें यह भालूम होता गया कि अलग संस्था स्थापित करनेसे जनताका हर तरह लाभ ही हुआ और अगर वैसा न हुआ होता तो सत्याग्रहके आन्दोलनकी शायद हानि ही हुई होती । बहुतसे लोग इस नई संस्थाके सदस्य हुए और जनताने पैसा भी खुले हाथो दिया ।

मेरे अनुभवने मुझे यह वताधा है कि कोई भी आन्दोलन पैसेकी कमीसे टूटता, अटकता या निस्तोज नहीं होता । इसके मानी यह नहीं है कि कोई भी लौकिक आन्दोलन विना पैसेके चल सकता है । पर इसका यह अर्थ अवश्य है कि जहा सच्चे संचालक है वहा पैसा अपने आप चला आता है । इसके विपरीत मुझे यह भी अनुभव हुआ है कि जिस आन्दोलनको पैसेका अतिरेक हो जाता है उसकी उसी समयसे अवनति आरम्भ हो जाती है । इससे कोई सार्वजनिक संस्था पूजी इकट्ठी करके उसके व्याजसे अपना कारबार चलाये इसे पाप कहनेकी हिम्मत तो नहीं होती, इससे इतना ही कहता हूँ कि यह अयोग्य है । सार्वजनिक संस्थाकी पूजी तो जन-हूँ कि यह अयोग्य है । सार्वजनिक संस्थाकी पूजी तो जन-समुदाय ही है । जबतक वह चाहता है तभी तक उसे जीवित

रहना चाहिए। पूजी इकट्ठी करके व्याजसे काम चलानेवाली संस्था सार्वजनिक नहीं रहती, बल्कि स्वतंत्र और स्वच्छंद हो जाती है। सार्वजनिक टीकाके अंकशाके वश नहीं रहती। व्याजपर चलानेवाली अनेक धार्मिक और लौकिक संस्थाओंमें कितनी बुराइयाँ घुस गई हैं, इसे बतानेका यह स्थान नहीं। यह लगभग स्वयंसिद्ध बात है।

अब हम फिर अपने मूल विषयपर आएं। बालकी खाल निकालना और नुकताचीनी करना कुछ बकीलों और बंगली पढ़े हुए लोगोंका ही ठेका नहीं है। मैंने देखा कि दक्षिण अफ्रीकाके अपने हिन्दुस्तानी भी बहुत ही बारीक दलीलें कर सकते हैं। कितनोंने यह दलील निकाली कि पहला खूनी कानून रद हो गया है, इसलिए नाटकशालामें को ही प्रतिज्ञा पूरी हो गई। जो लोग ढीले पढ़े हुए थे उन्होंने इस दलीलकी छायामें आश्रय लिया। इस दलीलमें कुछ दम न था, यह तो नहीं कहा जा सकता। फिर भी जिन लोगोंने उस कानूनका विरोध कानूनकी हैसियतसे नहीं, बल्कि उसके भीतर निहित तत्त्वके कारण किया था उनपर तो इस नुकताचीनीका कोई वसर नहीं हो सकता था। पर यह होते हुए भी सलामतीकी खातिर, जन-जागरण बढ़ानेके लिए और लोगोंके भीतर जो कमजोरी आ गई है उसकी गहराई कितनी है यह देख लेनेके लिए लोगोंसे फिरसे प्रतिज्ञा कराना बर्खरी समझा गया। इसलिए जगह-जगह सभाएं करके लोगोंको परिस्थिति समझाई गई और उनसे फिरसे प्रतिज्ञाएं भी कराई गई। लोगोंका जोश कुछ ठंडा हो गया हो, यह नहीं दिखाई दिया।

इस बीच जुलाईके महीनेका अंत निकट आता जा रहा था। उसकी आखिरी तारीखको हमने दूसरावालकी राजधानी प्रिटोरियामें विराट सभा करनेका निश्चय किया था। दूसरे शहरोंसे भी प्रतिनिधि बुलाये गये थे। सभा

प्रिटोरियाकी मस्जिदके मैदानमें हुईं। सत्याग्रह आरम्भ होनेके बादसे लोग सभाओमें इतनी बड़ी तादादमें आने लगे थे कि किसी भक्तानमें सभा करना नाममकिन हो गया था। सारे ट्रासवालमें हिंदुस्तानियोकी आवादी १३ हजारसे अधिक नहीं मानी जाती थी, जिसमेसे १० हजारसे कुछ ऊपर जोहान्सवर्ग और प्रिटोरियामें ही वसते थे। इस तादादमेसे पांच-छः हजार लोग सभामें उपस्थित हो, यह संख्या दुनियाके किसी भी भागमें बहुत बड़ी और अति सतोषजनक मानी जा सकती है। सार्वजनिक सत्याग्रहकी लडाई और किसी शार्टपर लड़ी भी नहीं जा सकती। जहा युद्धका आधार केवल अपना वल हो वहा उस विषयकी सार्वजनिक शिक्षा नहीं दी गई हो तो लडाई चल ही नहीं सकती। इससे यह उपस्थिति हम कार्यकर्ताओंके लिए कोई अचंभेकी चीज नहीं थी। हमने चुरूसे ही निश्चय कर लिया था कि अपने आम जलसे खुले मैदानमें ही करेंगे। इससे हमारा खर्च कुछ नहीं होता था और जगहकी तरीके कारण एक भी आदमीको वापस नहीं जाना पड़ता था। यही यह बात भी लिख देना चाहिए कि ये सारी सभाएं अधिकाशमें बहुत शारी होती। आनेवाले सारी बातोंको बड़े ध्यानसे सुनते। कोई बहुत दूरपर खड़ा होनेके कारण सुन न सकता तो बक्तासे ऊंची आवाजमें बोलनेका अनुरोध करता। पाठकोंको यह बतानेकी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इन सभाओमें कुसियों वगैरहका इंतजाम विलकूल ही न होता। मच्छ इतना ही बड़ा बनाया जाता कि केवल सभापति, वक्ता और सभापतिके अगल-बगल दो-चार आदमी और बैठ ले। उसके ऊपर एक छोटीसी मेज और दो-चार कुसिया-तिपाड़िया रख दी जाती।

प्रिटोरियाकी इस सभाके सभापति विटिश इडियन एसोसियेशनके कार्यकारी अध्यक्ष यूसुफ इस्माइल मिया थे। खूनी कानूनके अनुसार परवाने निकालनेका वक्त

नजदीक आता जा रहा था। इससे जैसे हिंदुस्तानियोंमें गहरा जोश होते हुए भी वे चितातुर थे वैसे ही जनरल बोथा और जनरल स्पट्स भी, उनकी सरकारके पास अमोघ बल होते हुए भी, चितातुर थे। एक सारी कौमको ताकतसे काम लेकर भूकाना किसीको रुच तो सकता ही नहीं। अतः जनरल बोथाने भि० हॉस्टिनको इस सभामें हमें समझानेके लिए भेजा। भि० हॉस्टिनका परिचय मैं उन्हें प्रकरणमें करा चुका हूँ। सभाने उनका स्वागत किया। अपने भाषणमें उन्होने कहा—“आप जानते हैं कि मैं आप लोगोंका भिन्न हूँ। मेरी सहानुभूति आपके साथ है, यह कहने-की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरे बसकी बात हो तो मैं आपकी मांग जरूर मंजूर करा दूँ; पर यहाँके सामान्य गोरोके विरोधके विषयमें मुझे आपको कुछ बताना तो है ही नहीं। आज मैं आपके पास जनरल बोथाका भेजा हुआ आया हूँ। उन्होने इस सभामें आकर आपको उनका सदेसा सुना देनेको कहा है। भारतीय जनताके लिए उनके दिलमें इज्जत है। उसकी भावनाओंको वह समझते हैं। पर वह कहते हैं—‘मैं लाचार हूँ। ट्रांसवालके सारे यूरोपियन ऐसा कानून मांगते हैं। मैं खुद भी इस कानूनकी जरूरत देखता हूँ। ट्रांसवाल सरकारकी शक्तिको भारतीय जनता जानती है। इस कानूनको बड़ी सरकारकी सम्मति प्राप्त है। भारतीय जनताको जितना करना चाहिए था उतना उसने किया और अपने सम्मानकी रक्खा कर ली। पर जब उसका विरोध सफल नहीं हुआ और कानून पास हो गया तब उसको चाहिए कि इस कानूनको शिरोधार्य कर अपनी वफादारी और शान्ति-प्रियताका सबूत दे। इस कानूनके अनुसार जो नियम बने हैं उनमें कोई छोटा-मोटा हैर-फेर कराना हो तो इस विषयमें आपका कहना जनरल स्पट्स ध्यानपूर्वक

सुनेगे।” यह सदेसा सुनाकर मिठौ हॉस्किनने कहा—“मैं खुद भी आपको यह सलाह देता हूँ कि जनरल बोथाके सदेसेको आप मान ले। मैं जानता हूँ कि द्रासवालकी सरकार इस कानूनके वारेमे दृढ़ है। उसका विरोध करना दीवारसे सिर टकराना जैसा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी कौम विरोध करके वरवाद न हो या बेकार कट्ट न भोगे।” मैंने इस भाषणके अब्द-अब्दका उल्था जनताको सुना दिया। खुद अपनी ओरसे भी चेतावनी दी। मिठौ हॉस्किन तालियोकी आवाजके दीच विदा हुए।

अब भारतीयोंके भाषण शुरू हुए। इस प्रकरणके और सच पूछिये तो इस इतिहासके, नायकका परिचय मझे अभी कराना वाकी है। जो लोग बोलनेको खड़े हुए उनमें स्वर्णीय अहमद मुहम्मद काछलिया भी थे। मैं तो उन्हें एक मवाकिल और दुभाषियेके रूपमें ही जानता था। वह अबतक सार्वजनिक कामोमे आगे बढ़कर हिस्सा नहीं लेते थे। उनका अग्रेजीका ज्ञान कामचलाऊ था। पर अनुभवसे उसको इतना बढ़ा लिया था कि अपने दोस्तोंको अग्रेज वकीलोंके पास ले जाते तो खुद ही दुभाषियेका काम करते। दुभाषियेका काम कूछ उनका पेशा नहीं था। यह काम तो वह मित्ररूपमें ही करते थे। धधा पहले कपड़ेकी फेरीका करते थे, फिर अपने भाईके सामें छोटे पैमानेपर व्यापार करने लगे। वह सूरती मेमन थे। उनका जन्म सूरत जिलेमें हुआ था और सूरती मुसलमानोमें उनकी अच्छी इज्जत थी। उनका गुजरातीका ज्ञान भी साधारण ही था और अनुभवसे उसे भी काफी बढ़ा लिया था। पर उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि चाहे जो विषय हो उसे बहुत आसानीसे समझ लेते थे। मुकदमोंकी गृहिण्या इस तरह सुलभा लेते थे कि अकसर मैं देखकर दंग रह जाता। वकीलोंके साथ कानूनकी

वहस करते भी नहीं हिचकते थे और अकसर उनकी दलीले वकीलोंके लिए भी विचारणीय होतीं।

बहादुरी और एकनिष्ठामे उनसे बड़े जानेवाला आदमी न मुझे दक्षिण अफ्रीकामे दिखाइं दिया और न हिंदुस्तानमे। कौमके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व होम दिया था। जितनी बार उनसे मेरा सम्पर्क हुआ, मैंने उन्हें एक बातवाला प या। खुद पकके मुसलमान थे। सूरतकी मेमन मस्जिदके मुतवलियोंमें से भी थे। पर इसके साथ-साथ हिंदू-मुसलमान दोनोंको एक निगाहसे देखते थे। मुझे एक भी ऐसा भौका याद नहीं जब उन्होंने धर्मनिवातके भावसे और अनुचित रीतिसे हिंदूके मुकाबिले मुसलमानकी तरफदारी की हो। वह नितात निर्भय और पक्षपात-रहित थे। इसलिए जब जरूरी मालम होता तब हिंदू-मुसलमान दोनोंको उनके दोष बतानेमे तनिक भी संकोच न करते। उनकी सख्ती और निरसिमानता अनुकरण करने योग्य थी। उनके साथ वरसोके गाढ़ परिचयके बाद वनी हुईं मेरी यह पक्की राय है कि स्वर्गीय अहमद मुहम्मद कालिया जैसा मनष्य कौमको मिलना मुश्किल है।

प्रिटोरियाकी सभामे बोलनवालाम यह नर-रत्न भी था। उन्होंने बहुत ही छोटा भाषण दिया। वह बोले—“इस खूनी कानूनको हर हिंदुस्तानी जानता है। उसका अर्थ हम सभीकी मालूम है। मिं हॉस्टिकनका भाषण मैंने ध्यान-पूर्वक सुना है। आपने भी सुना है। मुझपर तो उसका एक ही असर हुआ है कि अपनी प्रतिज्ञापर मैं और पक्का हो गया हूँ। द्रांसवालकी सरकारका बल हम जानते हैं। पर इस खूनी कानूनके डरसे बड़ा डर वह हमें कौन-सा दिखा सकती है? वह हमें जेल भेजेगी, हमारा माल नीलाम कर देगी, हमें देशसे निकाल देगी, फांसीपर चढ़ा देगी। ये सारी बातें सहन हो सकती हैं, पर यह कानून तो

सहन नहीं होगा।” मैं देख रहा था कि ये वाक्य बोलते हुए अहमद मुहम्मद काछलिया बड़े उत्तेजित होते जा रहे थे। उनका चौहरा सुख्ख हो गया था, गर्दन और माथेकी रगें खूनके जोरसे दौरा करनेके कारण उभर आई थीं। शरीर काप रहा था। अपने दाहिने हाथकी उंगलिया गर्दनपर फेरते हुए वह गरज उठे—“मैं खुदाकी कसम खाकर कहूता हूँ कि मैं कल हो जाऊंगा, पर इस कानूनके सामने सिर न झुकाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि यह सभा भी यही निश्चय करें।” यह कहकर वह बैठ गये। उन्होंने जब गर्दनपर उंगलिया फेरी तो मचपर बैठे हुए कुछ लोगोंके चेहरोंपर मुस्कराहट आगई। जहांतक मुझे याद है, मैंने भी उनका साथ दिया। सेठ काछलियाने अपने शब्दोंमें जितना बल भरा था उतना वह अपने कामोंमें दिखा सकेंगे, इस चिव्यमें मेरे मनमें थोड़ी शंका थी। जब-जब मैं इस शाकाकी बात सोचता हूँ तब-तब और यहा इस बातका उल्लेख करते हुए भी मैं लजित हो रहा हूँ। इस महान सग्राममें जिन वहुतोंने अपनी प्रतिज्ञाका अक्षरशः पालन किया उनमें सेठ काछलिया सदा आगे रहे। उनका रग बदलता हुआ मैंने कभी देखा ही नहीं।

सभाने तो इस भाषणका तालियोंकी गडगडाहट्से स्वागत किया। उस बक्ता मैं उनको जितना जानता था उसकी बनिस्वत और सभासद कहीं ज्यादा जानते थे, क्योंकि उनमेंसे अधिकाशको तो इस गुदड़ीके लालका निजी परिचय था। वे जानते थे कि काछलियाको जो करना होता है वही कहते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। जोशीले भाषण और भी कई हुए। पर काछलिया सेठके भाषणको उल्लेखके लिए इस कारण चुना है कि यह भाषण उनकी भावी कार्यविलीकी भविष्य-वाणी सिद्ध हुआ। जोशीले भाषण करनेवाले सभी नहीं टिक सके। इस पुरुषसिंहकी मृत्यु अपने देश-भाइयोंकी सेवा करते हुए

ही १९१८ मे अर्थात् युद्ध समाप्तिके चार साल बाद हुई।

इनके एक संस्मरणको और कही स्थान मिलना सभव नहीं। इसलिए उसे भी यही दिये देता हूँ। पाठक टाल्स्टाय फार्मकी बात आगे चलकर पढ़ेगे। उसमे सत्याग्रहियोंके कुट्टव वसते थे। सेठ काछलियाने अपने बेटेको भी शिक्षा प्राप्तिके लिए इस फार्ममे भेजा था, केवल इस दृष्टिसे कि दूसरोके लिए उदाहरण उपस्थित कर और अपने बेटेको भी सरल जीवनका अभ्यासी और जनताका सेवक बनाएं। और कह सकते हैं कि इसको देखकर ही दूसरे मुसलमान लड़कोको भी उनके मा-वापने इस फार्ममे भेजा। बालक काछलियाका नाम बली था। उसकी उम्र उस वक्त १०-१२ सालकी होगी। वह नम्र, चचल, सरल और सत्यवादी बालक था। काछलिया सेठके पहले, पर लड़ाईके बाद, फरिस्ते उसे भी खुदाके दरवारमे उठा लाये। मैं मानता हूँ कि वह जिदा रहता तो पिताकी कीर्तिको अवश्य चार चांद लगाड़ा।

: १७ :

पहली फूट

१९०७की पहली जुलाई बाईं। परवाना जारी करनेके दफ्तर (परमिट आफिस) खुले। कौमका हृकम था कि हरएक दफ्तरकी खलेतौरपर पिकेटिंग की जाय, यानी दफ्तरोंको जानेवाले रास्तोपर स्वयंसेवक रखे जाएं और वे दफ्तरमे जानेवालोंको सावधान करें। हरएक स्वयंसेवकको एक खास विला दिया गया था और हरएकको खासतौरसे यह समझा दिया गया था कि परवाना लेनेवाले किसी भी

हिंदुस्तानीके साथ विनय-विरुद्ध व्यवहार न करे। उनका नाम पूछे, पर वह न बताएं तो बलात्कार या अविनय न करे। कानूनको मान लेनेसे होनेवाली हानियोंकी जो सूची छपा रखी गई थी उसे एशियाई दफ्तरमें जानेवाले हर हिंदुस्तानी-को दे दे और उसमें क्या लिखा है यह समझा दें। पूलिसके साथ भी विनयका व्यवहार करे। वह गाली दे, मारे तो शान्तिसे सह लें। मार बर्दाश्त न हो तो बहासे हठ जाय। पूलिस पकड़े तो सुझीसे गिरफ्तार हो जायें। जोहान्सबर्गमें ऐसी कोई बात हो तो मुझको ही खबर दे। और कही हो तो उन स्थानोंमें नियुक्त मन्त्रियोंको खबर दे और उनकी सलाहके अनुसार काम करे। स्वयंसेवकोंकी हरएक टुकड़ीका एक भुखिया या नायक था। उसकी आज्ञाका पालन करना दूसरे स्वयंसेवकों (पहरेदारों) का फर्ज था।

भारतीय जनताके लिए इस प्रकारका यह पहला ही अनुभव था। १२ वरससे उपरकी उम्रबाले सब लोग 'पिकेट' या पहरेदारका काम करनके लिए चुन लिये गये थे। इससे १२ से १८ वरस तकके नवयुवक भी बड़ी सख्त्यामें स्वयंसेवक बना लिए गये थे; पर स्थानीय कार्यकर्ता जिसे न जानते हों ऐसा कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं किया जाता था। इतनी सावधानीके अतिरिक्त हर सभामें दूसरे तीरपर लोगोंको जता दिया गया था कि नुकसानके डरसे या और किसी कारणसे जो कोई नया परवाना निकलवाना चाहे, नेता उसके साथ एक स्वयंसेवक कर देगा जो साथ जाकर उसे एशियाटिक दफ्तरमें पहुंचा देगा और काम हो जानेपर उसे फिर स्वयंसेवकोंके घरके बाहर पहुंचा आयेगा। बहुतोंने इस सुरक्षाके प्रबंधका लाभ भी उठाया। स्वयंसेवकोंने हर जगह बड़े उत्साहसे काम किया। वे सदा अपने काममें मुस्तैद और चौकङ्गे रहते। मोटे हिसाबसे यह कह सकते

है कि पुलिसने उन्हे बहुत तंग नहीं किया। कभी-कभी करती तो स्वयंसेवक उसे सह लेते।

स्वयंसेवकोंने इस काममे हास्य रसका भी मिश्रण किया था जिसमे कभी-कभी पुलिस भी शामिल होती। अपना बक्त आनंदमे वितानेके लिए वे अनेक चूटकुले ढूढ़ निकालते। एक बार रास्ता रोकनेके हिंतजामपर वे राहदारीके कानूनके अदर गिरफतार कर लिये गये। यहां सत्याप्रहृमे असहयोग न था। इसलिए अदालतमे वचाव न करनेका नियम नहीं था, यद्यपि यह सामान्य नियम था कि जनताका पैसा खर्च करके बकील रखकर वचाव नहीं कराया जायगा। इन स्वयंसेवकोंको अदालतने निरपराष कहकर छोड़ दिया। इससे उनका उत्साह और बढ़ा।

इस प्रकार जो हिंदुस्तानी परवाना लेना चाहते थे यद्यपि उन्हें पर प्रकटमे स्वयंसेवकोंकी ओरसे कोई असभ्य व्यवहार या जोर-खबरदस्ती नहीं होती थी, फिर भी मुझे यह तो स्वीकार करना ही होगा कि लड़ाईके सिलसिलेमे एक ऐसा भी दल खड़ा हो गया था जिसका काम बिना स्वयंसेवक बने छिपे तौरपर परवाना लेनेवालोंको मारपीटकी घमकी देना या दूसरे तौरपर नुकसान पहुंचाना था। यह दुखद बात थी। ज्योही इसकी खबर मिली, इसे रोकनेके लिए सुब कड़े उपाय किये गये। इसके फलस्वरूप घमकियां देना बंद-सा हो गया, पर उसका जड़-मूलसे नाश नहीं हुआ। घमकियोंका असर रह ही गया और मैं यह भी देख सका कि उतने बंशमे लड़ाईको नुकसान पहुंचा। जिन्हें डर ला रहा था उन्होंने तुरंत सरकारी सरक्षण ढूँढ़ा और वह उन्हे मिला। यों कौमयें विषका प्रवेश हुआ और जो कमजोर थे वे और भी कमजोर हो गये। इससे विपक्षों पोषण मिला, क्योंकि दुर्बलताका स्वभाव बदला लेनेका होता ही है।

इन धर्मक्रियोंका असर बहुत ही थोड़ा हुआ, पर लोकमत और स्वयंसेवकोंकी उपस्थितिसे परवाना लेनेवालोंके नाम जनतापर प्रकट होगे, इन दोनों बातोंका असर बहुत गहरा हुआ। ~~मैं~~ एक भी हिंदुस्तानीको नहीं जानता जो यह मानता ही कि खनी काननके सामने सिर झुका देना अच्छा है। जो परवाने लेने गईं वे महज इसलिए गये कि कष्ट सहने या हानि उठानेका दम उनमें नहीं था। इसीसे वे जाते हुए शरमाये भी।

एक ओर लोकलाज और दूसरी ओर अपने व्यापारको नुकसान पहुंचनेका डर इस दुहरी कठिनाईसे निकलनेका रास्ता कुछ मुखिया हिंदुस्तानियोंने ढूढ़ निकाला। एशियाटिक दफ्तरके साथ बातचीत कर उन्होंने यह प्रबंध किया कि दफ्तरका कोई अहलकार किसी निजी मकानमें और वह भी रातमें नौ-दस बजके बाद जाकर उन्हें परवाने दे दे। उन्होंने सोचा कि इस प्रबंधसे कुछ वक्तरतक तो उनके खनी काननके सामने घटने टेक देनेकी किसीको खबर ही नहीं होगी, और चूंकि वे नता थे, इसलिए उनको द्वाकर दूसरे भी उस काननको मान लेगे। इससे और कुछ न हो तो लज्जाका बोझ तो कुछ हल्का हो ही जायगा। पीछे बात लोगोंपर प्रकट हो गई तो उसकी चिता नहीं।

पर स्वयंसेवकोंकी चौकसी इतनी कड़ी थी कि कौमको पल-पलकी खबर मिला करती थी। एशियाटिक दफ्तरमें भी ऐसा कोई होगा ही जो सत्याग्रहियोंको इस तरहकी सूचनाएं देता रहा हो। फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जो खुद तो कमज़ोर थे, पर नेताओंका खनी काननके सामने सिर झुका देना बदूशत नहीं कर सकते थे और जी इस सद्भावसे सत्याग्रहियोंको खबर दे दिया करते थे कि वे ढूढ़ रहे तो हम भी रह सकेंगे। यो एकवार इस चौकसेपनकी बदौलत कौमको

खबर मिली कि अमृक रातको अमृक दुकानमे कलां-फला आदमी परवाना लेनेवाले हैं। इससे कौमने पहले तो यह इरादा रखनेवालोंको समझानेका यत्न किया, फिर उस दुकानपर पहरा भी बैठवा दिया। पर मनुष्य अपनी कमजोरी-को कवतक ददा सकता है? रातके दस-चारह बजे कुछ मुखियोंने इस तरह परवाने लिये और एक सुरमे बजनेवाली वासरीमे विसंवादी स्वर बज उठा। दूसरे ही दिन इनके नाम भी कौमने इंप्रकाशित कर दिये। पर शमकों भी एक हृद होती है! स्वार्थ जब सामने आकर खड़ा होता है तब लाज-संकोच काम नहीं देता और मनुष्य सत्पथसे झट्ट हो ही जाता है। इस पहली फूटके फलस्वरूप घीरे-घीरे कोई पाच सौ आदमियोंने परवाने ले लिये। कुछ दिनोंतक परवाने देनका काम निजी मकानोंमे ही होता रहा, पर ज्यो-ज्यो लाजका बल घटता गया त्यों-त्यों इन पाच सौ आदमियोंमे कितने ही खुले आम भी अपने नाम दर्ज करानेके लिए एशियाटिक दफ्तरमे जाने लगे।

: १८ :

पहला सत्याग्रही कैदी

अथक प्रथत्न करनेपर भी जब एशियाटिक दफ्तरको ५०० से अधिक आदमी नाम दर्ज करानेवाले नहीं मिल सके तब उस महकमेके अफसरोंने निश्चय किया कि अब हमे किसी-न-किसीको गिरफ्तार करना चाहिए। पाठक जमिस्टन नगरका नाम जानते हैं। वहा बहुतसे हिंदुस्तानी वसते थे। उनमे पडित रामसुदर नामका एक आदमी था। वह देखनेमे बहादुर आदमी-सा लगता था और बाचाल था।

थोडे-बहुत श्लोक भी याद थे। उत्तर भारतका रहनेवाला था, इसलिए रामायणके कुछ दोहे-चौपाईया तो उसे याद होने ही चाहिए। वह पड़ित कहलाता था, इससे लोगोंमें उसकी प्रतिष्ठा भी थी। उसने जगह-जगह भाषण दिये। अपने भाषणोंमें वह खब जोश उड़ेल सकता था। अत वहके कुछ विघ्नसतोषी भारतीयोंने ऐशियाटिक दफ्तरको सुझाया कि रामसुदर पड़ितको गिरफ्तार करलें तो जर्मिस्टनके बहुतस हिंदुस्तानी परवान ले लेंगे। उस विभागके अधिकारी रामसुदर पड़ितको पकड़नेके लिए इस लोभके वश हुए बिना नहीं रह सके। रामसुदर पड़ित गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरहका यह पहला ही मुकदमा था। इसलिए सरकार और भारतीय जनतामें भी इससे गहरी हलचल भची। जिस रामसुदर पंडितको अबतक केवल जर्मिस्टन ही जानता था, उसको क्षणभरमें सारा दक्षिण अफ्रीका जानने लगा। जैसे किसी महान् पुरुषपर मुकदमा चल रहा हो और वह सबकी निशाह अपनी ओर खीच ले बैसे ही सबकी आखे राम-सुदर पड़ितपर लग गई। शांति-रक्षाके लिए किसी प्रकारके प्रबंधकी आवश्यकता सरकारको नहीं थी, फिर भी उसने बैसा बदोबस्त भी कर लिया। अदालतमें भी यह मानकर राम-सुदरकी इजाजत की गई कि वह सामान्य अपराधी नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी कौमका एक प्रतिनिधि है। अदालतका कमरा उत्सुक भारतीय दर्शकोंसे भर गया था। राम-सुदरको एक महीनेकी सादी कैदकी सजा मिली। वह जोहान्सवर्गकी जेलमें रखा गया। उसके लिए यूरोपियन वार्डमें अलग कोठरी दी गई। उससे मिलने-जुलनेमें तनिक भी कठिनाई नहीं होती थी। बाहरसे खाना भेजनेकी इजाजत थी और भारतीय जनता नित्य उसके लिए सुदर पकवान बनाकर भेजा करती। वह जिस चीजकी इच्छा करता वह

हाजिर कर दी जाती। जनताने उसका जेल-दिवस बढ़ी घम-धामसे मनाया। कोई हताश नहीं हुआ, बल्कि लोगोंका उत्साह और बढ़ा। जेल जानेको सैकड़ों तैयार थे। एशियाटिक विभागवालोंकी आशा फलीभूत नहीं हुई। जर्मिस्टनके भारतीय भी परवाना लेने नहीं गये। हिंदुस्तानी कौम ही नफेमे रही। महीना पूरा हुआ। रामसुदर छूटा और बाज़गाजेके साथ जुलूस बनाकर उसको समाके लिए नियत स्थानपर ले गये। वहाँ उत्साह बढ़ानेवाले भाषण हुए। लोगोंने फूल-मालाओंसे रामसुन्दरको ढक दिया। स्वयंसेवकोंने उसके सम्मानमे दावत दी और सैकड़ों भारतीय यह सोचकर राम-सुदर पंडितसे मीठी इर्प्पा करने लगे कि हम भी जेल गये होते तो कैसा अच्छा होता।

पर रामसुदर खोटा सिक्का निकला। उसका बल मीठी सतीका-सा था। एक महीनेके पहले तो जेलसे निकला ही नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी अचानक हुई थी। जेलमे तो उसने वह अमीरी की जो वाहर कभी मुथस्सर नहीं हुई थी। फिर भी स्वच्छ विचरनेवाला और व्यसनी मनुष्य जेलके एकात-बास और अनेक प्रकारके भोजन मिलते रहनेपर भी वहाँ रखे जानेवाले संयमको सहन नहीं कर सकता। यही बात रामसुदर पंडितकी हुई। भारतीय जनता और जेलके अमले उसकी इतनी खुशामद बजा रहे थे, फिर भी जेल उसको कहड़ी लगी और उसने द्रांसवाल और युद्ध दोनोंसे आखिरी सलामकर अपना रास्ता लिया। हर कौममे कुछ चतुर दाव-पेच जानेवाले लोग तो होते ही हैं। यही बात हरएक संग्रामके विषयमे भी कही जा सकती है। लोग रामसुदरके रण-रेखेसे बाकिफ थे। पर उससे भी कौमका कोई अर्थ सध सकता है, यह सोचकर उन्होंने उसका गुप्त इतिहास, उसकी पोल खुलनेसे पहले, मुझपर

प्रकट नहीं होने दिया। पीछे मुझे मालूम हुआ कि रामसुदर गिरमिटिया था जो अपना गिरमिट पूरा किये बिना भाग आया था। उसके गिरमिटिया होनेकी बात में यहाँ वृणा से नहीं लिख रहा हूँ। गिरमिटिया होना कोई ऐब नहीं। पाठक अंतमे देखेंगे कि जिनसे इस युद्धको अतिशय जोभा मिली वे गिरमिटिए ही थे। लड़ाई जीतनेमें भी उनका हिस्सा बड़े-से-बड़ा था। हा, गिरमिटसे भाग निकलना अवश्य दोष था।

पर रामसुदरका सारा इतिहास मैंने उसके दोष दिखानेके लिए नहीं लिखा है, बल्कि उसमे जो तत्प छिपा है उसे प्रकट करनेके लिए ही उसका समावेश किया है। हरएक युद्ध संग्रामके नेताओंका फर्ज होता है कि केवल युद्ध जनोंको ही लड़ाईमें ले; पर कितनी ही सावधानी क्यों न रखी जाय, अशुद्ध मनव्योंका प्रवेश रोका नहीं जा सकता। फिर भी नेता निडर और सच्चे हों तो अशुद्ध जनोंके अनजानमें घुस आनेसे अंतमे लड़ाईको नुकसान नहीं पहुँचता। रामसुदर पंडितका सच्चा रूप प्रकट हो गया तो उसकी कोई कीमत नहीं रही। वह बेचारा पंडित न रहकर केवल रामसुदर रह गया। कौम उसको भूल गई, पर युद्धको तो उससे बल ही मिला। युद्धके निर्मित भोगी हुई केंद्र बटेखाते नहीं गई। उसके जल जानेसे जो शक्ति जगी वह कायम रही और उसके उदाहरणसे दूसरे कमज़ोर दिलवाले अपने आप लड़ाईके मैदानसे लिसक गये। ऐसी कमज़ोरीकी कुछ और मिसाले भी सामने आई, पर उनका इतिहास में नाम-घाम-सहित नहीं देना चाहता। उसे देनेसे कोई अर्थ नहीं सध सकता। पर हा, कौमकी सबलता-निर्वलता पाठकों की निगाहसे बाहर न रहे, इस दृष्टिसे इतना कह देना जरूरी है कि रामसुदर अकेला ही रामसुदर नहीं था; पर मैंने देखा कि सभी रामसुदरोंने संग्रामकी सेवा ही की।

पाठक रामसुदरके दोष न देखे । इस जगत्मे मनुष्य-मात्र अपूर्ण है । किसीकी अपूर्णता अधिक देखनेमे आती है तो हम उसकी और उगली उठाते हैं । वस्तुतः यह मूल है । रामसुदर कुछ जानवूभकर निबंल नहीं बना । मनुष्य अपने स्वभावकी दशा बदल सकता है, उसपर अंकुश रख सकता है; पर उसे जडमूलसे कौन मेट सकता है? जगत्कर्तने इतनी स्वतंत्रता उसको दी ही नहीं । बाध अपनी खालकी विचित्रताको बदल सकता है तो मनुष्य भी अपने स्वभावकी विचित्रता बदल सकता है । भाग जानेपर भी रामसुदरको अपनी कमजोरीपर कितना पश्चाताप हुआ होगा, यह हम कैसे जान सकते हैं? अथवा उसका भाग जाना ही क्या उसके पश्चातापका एक सबल प्रमाण नहीं माना जा सकता? वह बेशमं होता तो उसे भागनेकी क्या जरूरत थी? परवाना निकलवाकर ख़ुनी कानूनके अनुसार वह सदा जेलभूत रह सकता था । यहीं नहीं, वह चाहता तो एशियाटिक दफ्तरका दलाल बनकर दूसरोंको वहका सकता था और सरकारका प्रिय भी बन सकता था । हम यह उदार अर्थ क्यों न करे कि यह करनेके बदले अपनी कमजोरी कौमको दिखानेमे उसको शमं लगी और उसने मुहँ छिपा लिया, और यह करके भी उसने कौमकी सेवा ही की?

: १६ :

‘इंडियन ओपीनियन’

सत्याप्रहृकी लड़ाईमे बाहरके और भीतरके जितने भी साधन अपने पास थे उन सबको मुझे पाठकोके सामने रखना है । इसलिए ‘इंडियन ओपीनियन’ नामका जो साप्ताहिक पत्र

दक्षिण अफ्रीकामे आज भी निकल रहा है उसका परिचय भी उन्हे करा देना ज़रूरी है। दक्षिण अफ्रीकामे पहला हिंदुस्तानी छापाखाना खोलनेका यश मदनजीत व्यावहारिक नुमके गुजराती संज्ञनको है। यह छापाखाना कुछ वरसोतक कठिनाइयोके बीच चलाते रहनेके बाद उन्होने अखवार निकालनेका भी इरादा किया। इसमे उन्होने स्व० मनसुखलाल नाजर-की और मेरी सलाह ली। अखवार डर्वनसे निकला, मनसुख-लाल नाजर उसके अवैतनिक सपादक हुए। अखवारमें शुरूसे ही घाटा रहने लगा। अतमे यह निश्चय हुआ कि उसमे काम करनेवालोको हिस्सेदार या हिस्सेदार सरीखा बना ले, एक खेत खरीदकर उसमे उन लोगोको आबाद करे और वहीसे अखवार निकाले। यह खेत डर्वनसे १३ मीलके फासलेपर एक सुदर पहाड़ीपर अवस्थित है। उसके पासका रेलवे स्टेशन खेतसे ३ मील दूर है। उसका नाम फिनिक्स है। अखवारका नाम शुरूसे ही 'इडियन ओपीनियन' है। एक समय वह अग्रेजी, गुजराती, तामिल और हिंदी इन चार भाषाओमें निकलता था। तामिल और हिंदीका बोझ हर तरह भारी लगता था। ऐसे तामिल और हिंदी लेखक नहीं मिलते थे जो खेतपर रहनेको तैयार हों और उनके लेखोपर नियन्त्रण भी नहीं रखा जा सकता था। इससे ये विभाग बद कर दिये गये और अग्रेजी तथा गुजराती विभाग चालू रखे गये। सत्याग्रहकी लड़ाईं जब शुरू हुईं उस वक्त वह इसी रूपमें निकल रहा था। इस सत्याग्रहमें बसनेवालोमे गुजराती, हिंदुस्तानी, तामिल, अग्रेज सभी थे। मनसुखलाल नाजरकी अकाल मृत्युके बाद एक अग्रेज मित्र हबटे किंचन सपादक हुए। अनन्तर हनरी एस० एल० पोलक सपादक हुए और अनेक वषातक यह भार उठाये रहे। मेरे और उनके कारावास-कालमे भले पादरी स्वर्गीय जोसफ डोकने भी कुछ दिनोतक

सपादकका काम सम्भाला । इस अखबारके जरिये हर हफ्ते कौमको हफ्तेकी सारी खबरे देनेका काम भलीभांति हो सकता था । अग्रेजी विभागके द्वारा गुजराती न जानने-बाले हिन्दुस्तानियोंको लड़ाईकी थोड़ी-बहुत जानकारी होती रहती और हिन्दुस्तान, इंगलैण्ड और दक्षिण अफ्रीकाके अग्रेजोंके लिए तो ‘इंडियन ओपीनियन’ साप्ताहिक समाचारपत्र-का काम देता । मैं मानता हूँ कि जिस युद्धका मुख्य आधार आतंरिक बल हो वह अखबारके बिना लड़ा जा सकता है । पर इसके साथ-साथ मेरा यह भी अनुभव है कि ‘इंडियन-ओपीनियन’ के कारण हमे जो सुझीते मिले थे, जो शिक्षा कौमको सहज ही मिल सकती थी, जो खबरे दुनियामे जहां-जहा हिन्दुस्तानी बसते थे वहां-वहा फैलाई जा सकती थीं, वह शायद हूँसरी तरहसे नहीं हो सकता था । इसलिए इतना तो पक्के तौरपर कहा जा सकता है कि लड़ाई लड़नेके साधनोंमें ‘इंडियन ओपीनियन’ भी एक बड़ा उपयोगी और प्रवृत्त साधन था ।

यहकी प्रगतिके साथ-साथ और अनुभव प्राप्त करते-करते जैसे-जैसे कौममे अनेक परिवर्तन हुए, वैसे ही ‘इंडियन ओपी-नियन’ मे भी हुए । इस अखबारमे पहले विज्ञापन और बाहरकी फूटकर छपाईके काम भी लिये जाते थे । मैंने देखा कि इन दोनों कामोमे अपने अच्छे-से-अच्छे आदमियोंको लगना पड़ता था । विज्ञापन लेने ही हों तो कौन-से लिये जायं और कौन-से न लिये जाय इसको तैयारनेमे सदा घर्म-संकट उपस्थित होता था । फिर कोई विशेष विज्ञापन न लेनेका विचार हो फिर भी उसे भेजनेबाला जातिका कोई मुख्यिया हो तो उसका दिल ढुकनेके डरसे भी न लेने योग्य विज्ञापन लेनेके लोभमें फसना पड़ता । विज्ञापन प्राप्त करने और उसके पैसे बसूल करनेमे हमारे अच्छे-से-अच्छे आदमियोंका बक्त जाता, खुशामद

करनी होती वह अलग। इसके साथ-साथ यह बात भी सोची गई कि अगर यह अखबार पैसा कमानेकी गरजसे नहीं, बल्कि कौमकी सेवाके उद्देश्यसे ही चलाया जा रहा हो तो यह सेवा जवर्दस्ती नहीं होनी चाहिए। कौम चाहे तभी होनी चाहिए। और कौमकी इच्छाका पक्का प्रमाण तो यही माना जा सकता था कि वह आवश्यक संख्यामें ग्राहक होकर उसका खर्च उठा ले। फिर हमने यह भी सोचा कि अखबार चलानेके लिए महीनेका खर्च निकालनेमें थोड़से व्यापारियोंको सेवाभावके नामपर अपने विज्ञापन देनेको समझानेसे कौमके आम लोगोंको अखबार खरीदनेका कर्तव्य समझाना लुभानेवाले और लुब्ध होनेवाले दोनोंकेलिए कैसी सुंदर शिक्षा होगी। यह निश्चय हुआ और तुरत काममें लाया गया। फल यह हुआ कि जो लोग अबतक विज्ञापन आदिके भास्तुमें उलझे हुए थे, वे अब अखबारको सुंदर बनानेकी कोशिशमें लगे। न्कौम तुरत समझ गई कि 'इडियन ओपीनियन'की मालिकी और उसे चलानेकी जिम्मेदारी दोनों उसी की है। हम सब काम करनेवाले निश्चित हो गये। हमें वस इतनी चिता करनी रही कि कौम अखबार मांगे तो पूरी-परी मेहनत करदें और छूट्टी पाए। और अब हर हिंदुस्तानीकी बाह पकड़कर उससे 'इंडियन ओपीनियन' लेनेको कहनेमें शर्म नहीं रही, बल्कि यह कहना हम अपना धर्म समझने लगे। 'इंडियन ओपीनियन' का आतंरिक बल और स्वरूप भी बदला और वह एक महाशक्ति बन गया। उसकी साधारण ग्राहक-संख्या १२००-३५०० तक थी। वह दिन-दिन बढ़ने लगी। उसका चंदा बढ़ाना पड़ा था, फिर भी जब युद्धने उग्र रूप ग्रहण किया तब ग्राहक इतने बढ़ गये कि ३५०० प्रतियांतक छापनी पड़तीं। 'इंडियन ओपीनियन' का पाठक-कर्ग अधिक-से-अधिक २० हजार माना जा सकता है। उनमें ३ हजारसे अधिक प्रतियोंका

खपना आश्चर्यजनक विस्तार कहा जा सकता है। कौमने इस बक्तव्यों इस अखबारको इतना अपना लिया था कि वंधे बक्तपर उसकी प्रतियाँ जोहान्सवर्ग न पहुंच जाती तो मुझपर शिकायतोंकी भड़ी लग जाती। आमतौरसे वह इतवारको सबरे जोहान्सवर्ग पहुंच जाता। मैं जानता हूँ कि अखबार आनेपर बहुतसे लोगोंका पहला काम उसका गुजराती भाग आदिसे अततक बांच जाना होता था। एक आदमी पढ़ता और उसके इर्द-गिर्द बैठे हुए दस-बीस लोग सुनते। हम लोग गरीब ठहरे! इसलिए कितने ही लोग सामने भी अखबार मगते।

छापेखानेमें वाहरका काम न लेनेके दारमें भी मैं लिख आया हूँ। उसे बद करनेके कारण भी प्रायः वही थे जो विज्ञापन बंद कर देनेके थे। और उसे बद कर देनेसे कंपोज करनेवालोंका जो बक्त बचा उसका उपयोग हमने छापेखानेसे पुस्तके प्रकाशित करनेमें किया। कौमने मालूम था कि इस काममें भी हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था और पुस्तके चूंकि संग्राममें सहायता देनेके उद्देश्यसे ही छापी जाती थीं, इसलिए उनकी खपत भी बच्छी होने लगी। इस प्रकार अखबार और छापेखाना होनेने यदूमें अपना भाग अपैण किया और सत्याग्रहकी जड़ ज्यो-ज्यों कौममें गहरी होती गई त्यो-त्यो अखबार और छापेखानेकी सत्याग्रहकी दृष्टिसे नैतिक प्रगति भी होती गई, यह बात साफ तौरसे दिखाई दें सकती थी।

: २० :

लिए मददगार नहीं सावित हुईं। दूसरी ओर अधिकारियोंने यह भी देखा कि कौम वडे जौशके साथ एकदिल होकर आगे बढ़ रही है। 'इंडियन ओपीनियन' के लेख तो एशियाटिक महकमके अधिकारी ध्यानपर्वक पढ़ते ही थे। लडाईसे संवध रखनेवाली कोई भी बात छिपाई तो जाती ही नहीं थी। कौमकी निर्वलता-सबलता सभी शत्रु-मित्र-उदासीन जो कोई भी देखना चाहे इस अखदारमे देख सकता था। काम करने-वाले शुरूसे ही यह सीख गये थे कि जिस लडाईमे बुरा करनेको कुछ है ही नहीं, जिसमे फरेव और चालाकीके लिए जगह ही नहीं और जिसमे बल हो तभी विजय हो सकती है, उसमे छिपा रखनेको कुछ ही ही नहीं सकेगा। कौमके स्वाधिकारी ही यह आदेश था कि निर्वलता रूपी रोगको निर्मल करना हो तो निर्वलताकी परीक्षा करके उसे समुचित रूपमे प्रकट करना चाहिए। अधिकारियोंने जब देखा कि 'इंडियन ओपीनियन' इसी नीतिसे चल रहा है तब उनके लिए वह हिंदुस्तानी कौमके वर्तमान इतिहासका दर्पण रूप हो गया और इससे उन्होंने सोचा कि जबतक हम कुछ खास नेताओंको न पकड़े, लडाईका बल टूटनेका नहीं। अत. १९०७ के दिसंवर, वडे दिनके हफ्तेर्म, कुछ नेताओंको अदालतमे हाजिर होनेका नोटिस मिला। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह नोटिस तामील करानेमे अधिकारियोंने सभ्यताका व्यवहार किया। वे चाहते तो नेताओंको वारट्से गिरफ्तार कर सकते थे। इसके बदले उन्होंने हाजिर होनेका नोटिस देकर सभ्यताके साथ-साथ अपना यह विश्वास भी प्रकट किया कि नेता अपने आपको गिरफ्तार करानेको तैयार हैं। जिन लोगोंको नोटिस मिला था वे नियत तिथि अर्थात् शनिवार २२ दिसंवरको अदालतमे हाजिर हुए। नोटिसमे लिखा था कि कानूनके अनुसार तुम्हें परवाना लेना चाहिए था, वह तुमने नहीं किया।

अतः कारण बताओ कि तुम्हे एक विशेष अवधिके अदर द्वासवाल छोड़ देनेका हूँकम क्यों न दिया जाय ?

इन लोगोंमे बिचन नामका चीनी भी था जो जोहान्स-वर्गमे वसनेवाले चीनियोका मुखिया था । जोहान्सवर्गमे उनकी आबादी ३-४ सौ व्यक्तियोकी होगी । वे सभी व्यापार या छोटी-भोटी खेतीका व्यवहा करते थे । हिंदुस्तान खेतीके लिए मशहूर मुल्क है । पर मे मानता हूँ कि चीनके लोग इस धंधेमे जितना आगे बढ़ गये हैं वहातक हम नहीं पहुँच पाये हैं । अमरीका आदि देशोंमे खेतीकी जो आधुनिक प्रगति हुई है उसका बर्णन नहीं हो सकता । पर पश्चिमकी खेतीकी मैं अभी प्रयोग रूप ही मानता हूँ । परंतु चीन तो हमारे देश जैसा ही प्राचीन देश है और वहा पूरने जमानेसे ही इस कलाका विकास किया गया है । इससे चीन और हिंदुस्तानकी तूलना करके हम कुछ सीख सकते हैं । जोहान्सवर्गके चीनियोंकी खेती देखकर और उनकी बाते सुनकर मुझे तो यही जान पड़ा कि चीनियोका ज्ञान और उद्यम हमसे बहुत बढ़ा-चढ़ा है । जिस जमीनको हम पठती मानकर उसका कोई उपयोग नहीं करते, चीनी उसमे भिज्ञ-भिज्ञ प्रकारकी जमीन-के अपने सूक्ष्म ज्ञानकी बदौलत अच्छी फसल उपजा सकते हैं ।

यह उद्घोगी और चतुर जाति भी खूनी कानूनकी श्रेणीमें आती थी । इससे उसने सत्याग्रहकी लड़ाईमे भारतीयोका साथ देना मुनासिव समझा । पर यह होते हुए भी दोनोंके सारे काम-काज आदिसे अततक विलकुल अलग रहे । दोनों अपनी-अपनी सस्थाओंके जरिये लड़ रहे थे । इसका शुभ फल यह होता है कि जवतक दोनों कोमे अपने निश्चयपर अटल रहती है तबतक दोनोंका लाभ होता है; पर अगर एक गिर भी जाय तो दूसरेका कोई नुकसान पहुँचनेका

कारण नहीं रहता । गिरनेका तो रहता ही नहीं । अतमें वहुत-से चीनी फिसल गये, क्योंकि उनके नेताने उन्हें दगा दिया । उसने खनी कानूनके सामने घुटने तो नहीं टेके, पर एक दिन किसीने मुझे खबर दी कि वह विना हिसाब-किताब दिये भाग गया । सरदारके चल देनेपर अनुयायियोंका टिका रहना सदा ही कठिन होता है । फिर उसमें कोई मलिनता देखनेमें आये तब तो दूना नैराश्य उत्पन्न होता है । पर जब पकड़-घकड़ शूल हुई उस वक्त तो चीनियोंका जोश खब बढ़ा हुआ था । उनमें सायद ही किसीने परवाना लिया ही । इससे जैसे भारतीय नेता गिरफ्तार किये गये वैसे ही चीनियोंके कर्ता-धर्ता श्री विन भी पकड़े गये । कुछ दिनोंतक तो कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ।

गिरफ्तार किये गये लोगोंमें जिस दूसरे नेताका परिचय यहा देना चाहता हूँ वह है थम्बी नायडू । थंबी नायडू तामिल थे । उनका जन्म मोरीशसमें हुआ था । पर माँ-बाप मद्रास इलाकेसे आजीविकाके लिए वहाँ गये थे । थम्बी नायडू सामान्य व्यापारी थे, स्कूलकी पढाई एक तरहसे कुछ भी न थी, पर अनुभव-ज्ञान ऊचे प्रकारका था । अग्रेजी बहुत अच्छी बोल-लिख सकते थे, यद्यपि भाषाशास्त्रकी दृष्टिसे उसमें दोप दिखाई देते थे । तामिलका ज्ञान भी अनुभवसे ही प्राप्त किया था । हिंदुस्तानी भी अच्छी तरह समझ और बोल लेते थे । तेलगु भी काफी जानते थे, पर हिंदी या तेलगु लिपि विलकुल नहीं जानते थे । मोरीशसकी भाषाका भी, जैसे श्रीओल कहते हैं और जो फ्रेचका अपन्नश कही जा सकती है, थम्बी नायडूकों बहुत अच्छा ज्ञान था । दक्षिणके भारतीयोंमें इतनी भाषाओंका कामचलाऊ ज्ञान होना अपवादरूप नहीं था । दक्षिण अफ्रीकामें सैकड़ों हिंदुस्तानी मिलेंगे जिन्हे इन सभी भाषाओंका सामान्य ज्ञान

है। इन सबके साथ हवाई भाषाका ज्ञान तो उन्हे होता ही है। इन सारी भाषाओंका ज्ञान उन्हे अनायास हो जाता है और हो सकता है। इसका कारण मुझे तो यही दिखाई दिया कि पर-भाषाके द्वारा शिक्षा प्राप्त करके उनका दिमाग थक नहीं गया था। उनकी स्मरण-शक्ति तीव्र होती है और उन भाषाओंके बोलनेवालोंके साथ वात-चौत और अबलोकन करके ही वे विविध भाषाओंका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसमें उनके दिमागको बहुत श्रम नहीं करना पड़ता, पर दिमागकी इस हल्की कसरतसे उनकी बुद्धि स्वाभाविक रीतिसे खिल उठती है। यही वात थबी नायड़ीकी भी थी। उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। नये-नये मसलोंको भट्ट समझ लेते थे। उनकी हाजिर-जवाबी देखकर तो लोग दंग रह जाते थे। हिंदुस्तानके उन्होंने दर्शन नहीं किये थे, फिर भी उसपर उनका अगाध प्रेम था। स्वदेशभिमान उनकी नस-नसमें भर रहा था। उनकी ढूढ़ता उनके चेहरेपर चिन्तित थी। उनके जरीरकी गठन बड़ी भजवूत और कसी हुई थी। मेहनत करते थकना जानते ही नहीं थे। कुरसीपर बैठकर नेतृत्व करना हो तो इस पदको भी सुशोभित कर सकते थे और इतनी ही स्वाभाविक रीतिसे मौटियेका काम भी कर सकते थे। सरेआम बोझ उठाकर चलते बह तनिक भी नहीं शरमाते थे। मेहनत करनी हो तो रात-दिनका भेद नहीं जानते थे और कौमके लिये सर्वस्व होमनेमें हरएकके साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकते थे। अगर थबी नायड़ी हद्देसे ज्यादा साहसी न होते और उनमें क्रोध न होता तो आज यह बीर पुरुष काछलियाकी अनुपस्थितिमें ट्रांसवालमें कौमके नेताकी जगह सहज ही ले सकता था। जबतक ट्रांसवालकी लड़ाई चलती रही, उनके क्रोधका विपरीत परिणाम नहीं हो सका और उनमें जो अमूल्य गुण थे वे रत्नकी भाँति चमक रहे थे। पर पीछे मुझे मालूम हुआ कि

उनका क्रोध और साहसिकता (rashness) उनके प्रवल गति सिद्ध हुए और उन्होंने उनके गुणोंको छक दिया। कुछ भी हो, दक्षिण अफ्रीकाके सत्याप्रह-समाम में थबी नायडूका नाम सदा प्रथम वर्गमें रहेगा।

हम सबको अदालतमें साथ ही हाजिर होना था; पर सबके मुकदमें अलग-अलग चलाये गये। मजिस्ट्रेटने कुछ अभियुक्तोंको ७ या १४ दिनके अदर और वाकी सबको ४८ घटेके अदर ट्रांसवाल छोड़ देनेका हुक्म दिया। आज्ञाकी अवधि १९०८की १० बी जनवरीको परी होती थी। उसी दिन सजा सुनानेकोलिए हमें अदालतमें हाजिर होनेका हुक्म मिला। हमसे किसीको कोई बचाव तो करना नहीं था। सबको यह स्वीकार करना था कि हमने कानूनके अनुसार परवाने नहीं लिये हैं और इस कारण मजिस्ट्रेटने जो हमें निदिष्ट अवधिके भीतर ट्रांसवाल छोड़ देनेका हुक्म दिया है उसका सविनय अनादर करनेका अपराध हमने किया है।

मैंने अदालतसे छोटा-सा व्यान देनेकी इजाजत मांगी और वह मिल गई। मैंने इस आग्रहका व्यान दिया—“मेरे और मेरे बाद सुने जाने वाले मुकदमोंमें भेद किया जाना चाहिए। मुझे अभी-अभी प्रिटोरियासे खबर मिली है कि वहाँ मेरे देश-वंशजोंको तीन महीनेकी कड़ी कैदकी सजा मिली है और भारी जर्माना भी किया गया है, जो अदा न किया गया तो तीन महीनेकी कड़ी कैद और भगतनी होगी। इन लोगोंने अगर अपराध किया है तो मैंने और वड़ा अपराध किया है। अतः मजिस्ट्रेटसे मेरी प्रार्थना है कि वह मुझे वडी-से-वडी सजा दें।” पर मजिस्ट्रेटने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और मुझे दो महीनेकी सदी कैदकी सजा दी। जिस अदालतमें मैं सकड़ो वार वकीलकी हैसियतसे खड़ा हुआ, वकील-मठलीके साथ बैठता था उसमे आज मुलजिमके कटघरेमें खड़ा हू, यह

विचार कुछ विचित्र अवश्य लगा, पर इतना तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बकील-मडलकी बैठकमें बैठनेमें जो कुछ सम्मान मैंने साना होगा, अभियुक्तके पीजड़में खड़े होनमें उससे कही अधिक सम्मान समझा। उसमें प्रवेश करनेमें लेशमात्र भी क्षोभ मेरे मनमें हुआ, यह मुझे याद नहीं आता। अदालतमें तो सूकड़ों हिस्तानी भाइयों, बकीलों, मित्रों आदिके सामने मैं खड़ा था। ज्योही सजा सुनाइ गई, सिपाही मुझे, कैदियोंको बाहरले जानेके दरवाजेसे उस जगह ले गया, जहा कैदी पहले रखे जाते हैं।

उस बक्त मुझे अपने आसपास सब कुछ शन्य, निस्तब्ध दिखाई दिया। कैदियोंके बैलोंके लिए एक देव पही थी। उसपर बैठनेको कहकर और दरवाजा बद करके पुलिस कर्मचारी चलता बना। यहाँ मुझे क्षोभ अवश्य हुआ। मैं गहरे विचारमें डूब गया। कहाँ है घर-त्वार! कहाँ है बकालत! कहाँ है सभाए! यह सब क्या स्वप्नबहुत था और आज मैं कैदी हूँ! दो महीनेमें क्या होगा? दो महीने पूरे काटनेही होगे? लोग अपने बचनके अनुसार जेल चले आए तो दो महीने क्यों बिताने पड़ेगे? पर वै न आएं तो दो महीने कैसे पहाड़से हो जाएंगे? इन विचारोंको लिखनेमें जितना समय लग रहा है उसका सौबा हिस्सा भी दिमागमें इन और ऐसे अन्य विचारोंके आनेमें नहीं लगा। ये विचार ज्योही मनमें आये, मैं लच्छित हुआ। यह कितना बड़ा मिथ्याभिमान है! मैं तो जेलको महल मनवानेवाला हूँ! खूँनी कानूनका सामना करते हुए जो कुछ सहन करना पड़े उसे दुख नहीं। बल्कि सुख सानना चाहिए। उसका सामना करते हुए जान-माल सब अपर्ण कर देना पड़े तो इसे तो सत्याग्रहमें बड़ा आनंद मानना चाहिए। यह सारा ज्ञान बाज कहाँ चला गया? मेरे विचार मनमें आते ही मैं फिर होशमें आया

और अपनी मर्खतापर हूसने लगा। दूसरे भाइयोको कैसी कैद मिलेगी? क्या उन्हे भी मेरे साथ ही रखेगे? इन व्यावहारिक विचारोंमें अब मैं उलझ गया। मैं इस उधेड़-वुनमें पड़ा था कि इतनेमें दरवाजा खुला और एक पुलिस कमंचारीने मुझे अपने पीछे आनेका हृकम दिया। मैं चला तो उसने मुझे आगे कर दिया और खूद पीछे हो लिया। वह मुझे जेलकी जगलेदार गाड़ीके सामन ले गया और उसमें बैठ जानेको कहा। मुझे जोहान्सवर्गके जेलखानेकी ओर ले गये।

जेलमें ले जानेके बाद मेरे कपडे उत्तरवाये गये। मुझे मालम था कि जेलमें कैदियोंको नगा कर दिया जाता है। हम सबने निश्चय कर लिया था कि जेलके कायदे जहांतक व्यक्तिगत अपमान करनेवाले या धर्म विरुद्ध न हो वहांतक उनका इच्छा-पूर्वक पालन करेगे। इसे हमने सत्याग्रहीका धर्म माना था। जो कपडे मुझे पहननेको मिले वे बहुत मैले थे। उन्हे पहनना तनिक भी नहीं रुचा। उन्हे पहनते और मनको इसके लिए भुकाते दुःख हुआ। पर यह सोचकर मनको दबाया कि थोड़ा मैल बदशित करना ही होगा। नाम-धाम लिखकर मुझे एक बड़े कमरेमें ले गये। वहा कुछ ही देर रहा हुआ कि मेरे साथी भी हस्तेचौलते आ पहुच और उनका मुकदमा कैसे चला और क्या हुआ यह सब कह सूनाया। मैं इतना जान सका कि मेरा मुकदमा हो जानेके बाद लोगोंने काले भड़े हाथमें लेकर जुलूस निकाला। कुछ लोग उत्तेजित भी हो गये। पुलिसने दखल दिया और कुछ लोगोपर भार भी पढ़ी। हम सब एक ही जेलमें और एक ही बड़ी कोठरीमें रखे गये, इससे हम बहुत प्रसंश हुए।

कोई छ वजे हमारा दरवाजा बद कर दिया गया। वहांकी जेलोंकी कोठरियोंके दरवाजोंमें छड़े कगैरह नहीं होती। बहुत ऊंचाईपर दीवारमें एक छोटा झरोखा हवाके लिए रखा जाता है।

अत. हमे जान पड़ा, जैसे हम सहूकर्मे बंद कर दिये गये हों। पाठक देखेंगे कि जो आदर्स-सत्कार जेल-अधिकारियोंने राम-सुदरका किया था वैसा कुछ हमारा नहीं किया। इसमें कोई अचरजकी बात नहीं। रामसुंदर पहला सत्याग्रही कैदी था। इसलिए उसके साथ किस तरह बर्ताव किया जाय, अधिकारी इसे पूरी तरह समझ भी नहीं पाये थे। हमारी तादाद तो शुरूसे ही खासी थी और दूसरोंको भी गिरफ्तार करनेका इरादा तो था ही। इसलिए हम हवशी बांधमें रखे गये। दक्षिण अफ्रीकामें कैदियोंके दो ही विभाग होते हैं— गोरे और काले। और हम हिंदुस्तानी कैदियोंकी गिनती भी हवशी विभागमें ही होती है। मेरे साथियोंको भी मेरी जितनी ही और सादी कैदकी सजा हुई थी।

सबेरा होनेपर हमे मालूम हुआ कि सादी कैदवालोंको अपने निजके कपड़े पहननेका अधिकार होता है और वे उसे न पहनना चाहे तो सादी कैद वालोंके लिए जो खास पोशाक होती है वह दी जाती है। हमने तै कर लिया था कि घरके कपड़े पहनना अयोग्य है और जेलके ही कपड़े पहनना हमे मुनासिब होगा। हमने अधिकारियोंको यह बता दिया। इससे हमे सादी कैदवाले हवशी कैदियोंका पहनावा दिया गया। पर सादी कैदवाले सेकड़ों हवशी कैदी दक्षिण अफ्रीकाकी जेलमें होते ही नहीं। अत. जब दूसरे सादी कैदवाले हिंदुस्तानी पहुचने लगे तो सादी कैदवाले कपड़े जेलमें चुक गये। हमे इस बारेमें तो कोई तकरार करनी थी ही नहीं, इसलिए हमने मशक्तवाले कैदियोंके कपड़े पहननेमें आनाकानी नहीं की। कुछ लोग जो पीछे आये उन्होंनें ये कपड़े पहननेके बदले अपने ही कपड़े पहने रहना पसंद किया। यह मुझे ठीक तो नहीं लगा, पर इस विषयमें आग्रह करना मुनासिब नहीं मालूम हुआ।

दूसरे या तीसरे दिनसे ही सत्याग्रही कई जेलमें भरते लगे। वे जानबूझकर गिरफ्तार होते थे। उनमें अधिकाश फेरी करनेवाले ही थे। दक्षिण अफ्रीकामें हरएक फेरी करनेवालेको, वह गोरा हो या काला, फेरी करनेका परवाना लेना पड़ता है। उसे हर बक्त अपने पास रखना होता है और पुलिस जब मारे तब दिखाना होता है। बहुत करके रोज ही कोइंन-कोइं पुलिस कर्मचारी परवाना मारा ही करता है और जो न दिखाये उसे गिरफ्तार कर लेता है। हमारी गिरफ्तारीके बाद कौमने जेलको भर देनेका नियम किया था। फेरीवाले इसमें आगे बढ़े। उनके लिए गिरफ्तार होना असान भी था। फेरीका परवाना नहीं दिखाया और गिरफ्तार हुए। यो गिरफ्तार होकर एक हफ्तेके अंदर १०० से ऊपर सत्याग्रही कई हो गये। और थोड़े बहुत तो आते ही रहते, इसलिए हमें तो एक तरहसे बिना अखबारके ही अखबार मिल जाता। रोजकी खबरे ये भाँई लाया करते। जब सत्याग्रही बड़ी तादादमें गिरफ्तार होने लगे तब भजिस्ट्रैट या तो थक गया था, जैसा कि हम मानते थे, सरकारसे उसे आदेश मिला कि सत्याग्रहियोंको आगेसे साढ़ी कैद दी ही न जाय, मशक्कतवाली कैदकी ही सजा दी जाय। कारण कुछ भी हो, पर अब सत्याग्रहियोंको कड़ी कैदकी ही सजा मिले लगी। मुझे तो आज भी जान पड़ता है कि कौमका अनुमान सही था, क्योंकि शुरूके मुकदमोंमें जो साढ़ी कैदकी सजाए दी गई उसके बाद इसी बक्तकी लडाईमें और पीछे समय-समयपर जो और लडाइया लड़ी गई उनमें कभी पुरुष क्या, स्त्रियोंको भी साढ़ी कैदकी सजा ट्रासवाल या नेटालकी एक भी अदालतमें नहीं सुनाई गई। जबतक सबको एक ही तरहकी हिदायत या हुक्म न मिला हो तबतक हरएक भजिस्ट्रैटका हर बार हर पुरुष और स्त्रीको मशक्कतवाली ही सजा देना

अगर आकस्मिक सयोग मात्र हो तो यह चमत्कार-सा माना जायगा ।

इस जेलमे साथी कैदवाले कैदियोंको भोजनमे सबेरे मकईं-की लपसी मिलती थी । उसमे नमक नहीं होता था, पर हर कैदीको अलगसे थोड़ा नमक दिया जाता था । दोपहरको बारह बजे पाव भर भात, थोड़ा नमक और आधी छटांक धी और पाव भर ढबल रोटी दी जाती थी । शामको फिर मकईंके आटेकी लपसी और उसके साथ थोड़ी तरकारी, मुख्यत आलू दिया जाता था । आलू छोटे हो तो दो और बड़े हो तो एक दिया जाता था । इस खुराकसे किसीका पेट नहीं भरता । चावल गीला पकाया जाता था । वहाके डाक्टरसे हमने कुछ मसाला मांगा । उन्हे बताया कि हिंदुस्तानकी जेलोमे भी मसाला मिलता है । “यह हिंदुस्तान नहीं है और कैदीके लिए स्वाद होता ही नहीं । इसलिए मसाला भी नहीं हो सकता ।” यह दोटूक जवाब मिला । हमने दालकी मांग की, क्योंकि उपर्युक्त आहारमे मासपेशी या पट्ठे बनानेका गुण नहीं था । डाक्टरने जवाब दिया—“कैदियोंको डाक्टरी दलील नहीं देनी चाहिए । पट्ठे बनानेवाली खुराक आप लोगोंको दी जाती है, क्योंकि हृफ्तेमे दो बार मकईंके बदलेमे उबली हुई मटर दी जाती है ।” मनुष्यका जठर यों हृफ्तेमे या पखवाडेमे भिज्ञ-भिज्ञ गुणोवाला आहार भिज्ञ-भिज्ञ समयपर लेकर उसके सत्वको खीच ले सके तो डाक्टरकी दलील सही थी । बात यह थी कि डाक्टरका इरादा किसी तरह हमारे अनुकूल होनेका था ही नहीं । सुपरिटेंडेंटने हमारी यह माग मजूर कर ली कि अपना खाना हम खुद पका लिया करें । यंदी नायडूको हमने अपना पाक-शास्त्री चुना । रसोइंमे उसको बहुत झगड़ा करना पड़ता । शाक-भाजी तौलमे कम मिले तो वह पूरी मांगता । यही बात दूसरी चीजोंके बारेमे भी थी । केवल दोपहरका खाना

पकाना ही हमारे जिम्मे किया गया था । वह हमारे हाथमें आनेके बाद हम अपना भोजन कुछ संतोषपूर्वक करने लगे ।

पर ये सुभीते भिले, या न भिले, हर हालमें प्रसन्नतापूर्वक जेलकी सजा भोगनी हैं, इस निश्चयसे इस मडलीमेसे कोई भी नहीं डिगा । सत्याग्रही कैदियोंकी सख्ता बढ़ते-बढ़ते १५० से ऊपर हो गई थी । हम सब सादी कैदवाले थे, इसलिए अपनी कोठरी बगैरह साफ करनेके सिवा हमारे लिये और कोई काम नहीं था । हमने काम मांगा । सुर्पर्टेंडेटने जवाब दिया—“मैं आप लोगोंको काम दू तो माना जायगा कि मैंने अपराध किया । इससे मैं लाचार हूँ । सफाई आदि करनेमें आप जितना पसद करे उतना बक्त लगा सकते हैं ।” हमने छिल (कवायद) आदि किसी तरहकी कसरतकी माँग की, क्योंकि मशक्तवाले हबशी कैदियोंसे भी छिल कराई जाती थी । जवाब भिला—“आपके रखवाले (वार्डर) के पास बक्त हो और वह आपको कसरत कराये तो मैं एतराज नहीं करूँगा । पर उसे कराना मैं उसका फर्ज नहीं बना सकता ।” रखवाला बड़ा भलामानस था । उसे तो इतनी इजाजत भरकी दरकार थी । उसने बड़ी दिलचस्पीके साथ हमे रोज सवेरेकी छिल कराना शुरू किया । यह हम अपनी कोठरीके छोटे-से आगनमे ही कर सकते थे । इसलिए हमे तो चक्कर-सा काटना होता था । यह भला रखवाला जिस तरह सिखा जाता उसी तरह नवाबखा नामके एक पठान भाई उसे जारी रखते और कवायदके अंशेजी शब्दोंका उद्दीउच्चवारण करके हमे हसा देते । ‘स्टेड ऐट इंज’ का वह ‘सडलीज’ कहते । कुछ दिनोंतक तो हम समझ ही न सके कि यह कौनसा हिंदुस्तानी शब्द है । बादमें सूझा कि यह तो नवाबखानी अंशेजी है ।

: २१ :

पहला समझौता

इस तरह जेलमे एक पखवाड़ा बीता होगा कि नये आने-वाले यह खबर लाने लगे कि सरकारके साथ समझौतेकी कँड़ी बातचीत चल रही है। दो-तीन दिन बाद जोहान्सवर्गके 'ट्रासवाल लीडर' नामक अंग्रेजी दैनिकके सुपादक अलबर्ट कार्टराइट मुझसे मिलने आये। जोहान्सवर्गसे उन दिनों जितने दैनिक निकलते थे, सदका स्वामित्व सोनेकी खानवाले किसी-न-किसी गोरेके हाथमे था; पर जो उनके विशेष स्वार्थके लिये न हो उन सभी प्रश्नोंपर संपादक अपने स्वतंत्र-विचार प्रकट कर सकता था। इन अखबारोंके सुपादक विद्वान् और विस्थित पुरुष ही चुने जाते थे। जैसे 'स्टार' नामके दैनिकके सुपादक किसी बक्त लाई मिलरके प्राइवेट सेक्रेटरी थे और 'स्टार'से 'टाइम्स'के संपादक मिं० बकलकी जगह लेने विलायत गये। मिं० अलबर्ट कार्टराइट बृद्धिमान होनेके साथ-साथ अतिशय उदार हृदयके थे। आमतौरसे वह सदा अपने अग्र लेखोंमे भी भारतीयोंके पक्षका समर्थन करते थे। उनके और मेरे बीच गहरा स्नेह हो गया था। मेरे जेल जानेके बाद वह जनरल स्मॉट्ससे मिल आये थे। जनरल स्मॉट्सने उन्हें सधिकर्ता मजूर कर लिया था। भारतीय नेताओंसे भी वह मिले। नेताओंने उन्हे एक ही जवाब दिया—“कानूनी नुक्तोंको हम नहीं समझ पाते। गांधी जेलमे हैं और हम समझौतेकी बातचीत करे, यह नहीं हो सकता। हम समझौता चाहते हैं; पर सरकार चाहती है कि हमारे आदमी जेलमे बद रहें और समझौता हो जाय तो आपको गांधीसे मिलना चाहिए। वह जो करेगे वह हमें मंजूर होगा।”

इसपर अलवर्ट कार्टराइट मुझसे मिलने आये और अपने साथ जनरल स्मट्सका बनाया हुआ या पसद किया हुआ समझौतेका मसविदों भी ले आये। उसकी भाषा गोल-मटोल थी। वह मुझे नहीं स्वीकृत किया। फिर भी एक परिवर्तनके साथ उस मसविदेपर दस्तखत करनेको मैं खुद तैयार था। पर मैंने उन्हें बताया कि वाहरवालोंकी ड्जाजत होनेपर भी जेलके अपने साथियोंकी राय लिये बिना मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता। इस मसविदेका मतलब यह था कि हिन्दुस्तानी अपने परवाने स्वेच्छासे बदलवा ले। उनपर किसी कानूनका प्रयोग—नहीं हो सके, नये परवानेका रूप सरकार भारतीयोंके साथ मशविरा करके तैं करे और भारतीय जनताका बड़ा भाग स्वेच्छासे परवाना ले ले तो सरकार खूनी कानूनको रद कर देगी और अपनी खुशीसे लिए हुए परवानेको बाकायदा मान लेनेके लिए एक नया कानून पास करेगी। खूनी कानून रद करनेकी बात इस मसविदेमें स्पष्ट नहीं थी। मेरी दृष्टिसे उसे स्पष्ट करनेके लिए जो सुधार आवश्यक था वह मैंने सुकृता। पर अलवर्ट कार्टराइटको इतना परिवर्तन भी पसद नहीं आया। उन्होंने कहा—“जनरल स्मट्स इस मसविदेको अतिम मानते हैं। मैंने खुद भी इसे पसद किया है और इस बातका तो मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि अगर आप सबने परवाने ले लिये तो खूनी कानूनको रद हुआ ही समझिये।” मैंने जवाब दिया—“समझौता हो या न हो, पर आपकी सहानुभूति और सहायताके लिए हम सदा आपके अहसानमद रहेंगे। मैं एक भी गैरज़रूरी फेरफार नहीं कराना चाहता। जिस भाषासे सरकारकी प्रतिष्ठाकी रक्षा होती हो मैं उसका दिरोध नहीं करूँगा। पर जहा मुझे खुद ही अर्थके विषयमें शका हो वहा तो मुझे हेर-फेर सुझाना ही होगा और अंतको अगर समझौता होना ही है तो दोनों पक्षोंको मसनिदेमें

अदल-बदल करनेका अधिकार होना ही चाहिए । यह अतिम है, कहकर जनरल स्मट्सको पिस्तौल हमारे सामने नहीं कर देना चाहिए । खुनी कानून रूपी पिस्तौल तो हमारे सामने घरा ही है, अब इस दूसरे पिस्तौलका असर हमारे ऊपर क्या हो सकता है ?” मिं० कार्टराइट इस दलीलके खिलाफ कुछ कह नहीं सके और सुझाया हुआ परिवर्तन जनरल स्मट्सके सामने रखना स्वीकार किया । मैंने साथियोंसे मशविरा किया । उन्हें भी भाषा नहीं भाँई, पर जनरल स्मट्स इस सुझाये सुधारके साथ मसविदेको मजूर कर ले तो समझीता कर लेना चाहिए, यह उन्हे भी पसद आया । जो लोग वाहरसे आये थे उन्होंने मुझे नेताओंका यह सबेसा दिया था कि मुनासिब समझीता होता हो तो उनकी मजूरीकी राह न देखकर मैं उसे कर ल । इस मसविदे पर मैंने मिं० किंचन और थवी नायड़ीकी सही ली और तीनोंके हस्ताक्षरके साथ मसविदा कार्टराइटके हवाले किया ।

दूसरे या तीसरे दिन १९०८ की ३० वी जनवरीको जोहान्सवर्गके पुलिस सुपरिटेंडेंट मुझे जनरल स्मट्सके पास प्रिटोरिया ले गये । हममे वहुतसी बातें हुईं । मिं० कार्टराइटके साथ उनकी जो बातचीत हुईं थी वह उन्होंने मुझे बताईं । हिंदुस्तानी कौम मेरे जेल जानेके बाद भी दृढ़ रही, इसके लिये भी उन्होंने मुझे मुदारकवाद दी और कहा—“मुझे आपके देशवासियोंसे नफरत हो ही नहीं सकती । आप जानते ही हैं कि मैं भी बैरिस्टर हूँ । मेरे बक्तमे कुछ हिंदुस्तानी विद्यार्थी भी मेरे साथ पढ़ रहे थे । मुझे तो अपने कर्तव्यका पालन भर कर देना है । गोरे यह कानून मागते हैं और आप स्वीकार करेंगे कि वे मुख्यत बोमर नहीं, बल्कि अंग्रेज हैं । आपका सुधार मेरे स्वीकार करता है । जनरल बोथाके साथ भी मैंने बातचीत कर ली है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगोंमेंसे अधिकांश परवाना ले लेंगे तो मैं एविया-

टिक ऐकटको रद कर दूगा । अपनी मर्जीसे लिये जानेवाले परवानेको जायज बनानेवाले कानूनका मसविदा जब बनाने लगूगा तब उसकी एक नकल आपकी आलोचनाके लिए भेज दूगा । मैं यह नहीं चाहता कि यह लड़ाई पीछे फिर बुरु हो और आपके देशवासियोकी भावनाओंका आदर करना चाहता हूँ ।” यह कहकर जनरल स्मट्स उठकर खड़े हो गये । मैंने पछा—“अब मुझे कहा जाना है? और मेरे साथके दूसरे कैदियोंका क्या होगा?” उन्होंने हसकर जवाब दिया—“आप तो अभीसे आजाद हैं । आपके साथियोंको, कल सवेरे छोड़ देनेके लिए टेलीफोन करता हूँ । पर मेरी यह सलाह है कि आपके लोग बहुत जलसा-तमाशा न करे । करेंगे तो सरकारकी स्थिति कुछ कठिन हो जा सकती है ।” मैंने जवाब दिया—“आप इतमीनान रखें, जलसेकी स्थातिर में एक भी जलसा नहीं होने दूगा । पर समझीता कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या है और अब हिंदुस्तानियोंकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है, यह समझानेके लिए तो मुझे सभाएं करनी ही होगी ।” जनरल स्मट्सने कहा—“ऐसी सभाएं आप जितनी भी करनी चाहे करें । मैं क्या चाहता हूँ यह आपने समझ लिया, इतना ही काफी है ।”

इस वक्त शामके कोई सात बजे होगे । मेरे पास तो एक धेला भी नहीं था । जनरल स्मट्सके सेक्रेटरीने मुझे जोहान्सवर्ग जानेका भाड़ा दिया । यह बातचीत प्रिटोरियामें हुई थी । प्रिटोरियाके भारतीयोंके पास रुकना और वहाँ समझीता प्रकट करना जल्दी नहीं था । मुख्य लोग जोहान्सवर्गमें हुए थे । हमारा केंद्र भी वही था । वहाँ जानेवाली आखिरी ट्रेन वाकी थी । वह मुझे मिल भी गई ।

: २२ :

समझौतेका विरोध : मुझपर हमला

रातके कोई नी बजे जोहान्सवर्ग पहुंचा । तुरत अध्यक्ष सेठ इंसप मियाके यहाँ गया । मुझे प्रिटोरिया ले जानेकी खबर उन्हे मिल गई थी । इससे कुछ मेरी राह भी देखते रहे होगे । फिर भी मुझे अकेला पहुंचा हुआ देखकर सबको अचंभा हुआ और हर्पं भी । मैंने कहा कि जितने आदमी इकट्ठे किये जा सके उतने ही को इकट्ठाकर हमें इसी बत्त सभा करनी होगी । इंसप मियां आदि मित्रोंको भी यह सुलाह पसंद आई । अधिकांश भारतीय एक ही मुहल्लेमें रहते थे, इसलिए सूचना देना कठिन नहीं था । अध्यक्षका मकान मस्जिदके पास ही था, और सभाएं तो मस्जिदके मैदानमें ही हुआ करती थी । इससे कोई भारी प्रबन्ध करना था ही नहीं । मचपर एक बत्ती लगवा लेना, बस यही प्रबन्ध करना था । रातके ११ या १२ बजेके लगभग सभा हुई । सूचनाके लिए समय बहुत कम मिला था, फिर भी कोई एक हजार आदमी इकट्ठे हो गये थे ।

सभा होनेके पहले जो खास-खास लोग मौजूद थे उन्हे मैंने समझौतेकी शर्तें समझ दी थी । कुछ उसका विरोध करते थे । फिर भी उस मंडलीके सभी लोग मेरी दलीले सुन लेनेके बाद समझौतेका औचित्य समझ गये । पर एक शंका तो सबके मनमें थी—“जनरल स्टाट्सने विश्वासघात किया तो ? खूनी कानून भले ही अमलमें न लाया जाय, पर हमारे सिरपर मूसलकी तरह खड़ा तो रहेगा ही । इस बीच हमने अपनी मर्जीसे परवाने लेकर अपना हाथ कटा दिया तो इस कानूनसे लड़नेके लिए हमारे पास जो एक बड़ा हथियार है उसे हाथसे ।

छोड देगे । यह तो जानबूझकर अपने आपको दुश्मनके पजेमें फसा देना-सा होगा । सच्चा समझौता तो यह कहा जायगा कि पहले खूनी कानून रद करदे और फिर हम स्वेच्छासे परवाने निकलवा ले ।”

मुझे यह दलील पसंद आई । दलील करनेवालोकी तीक्ष्ण बुद्धि और हिम्मतपर मुझे गर्व हुआ और मैंने देखा कि सत्याग्रही ऐसे ही होने चाहिए । इस दलीलके जवाबमें मैंने कहा—“आपकी दलील बहुत अच्छी है और विचारने योग्य है । खूनी कानून रद हो जानेके बाद ही हम अपनी इच्छासे परवाने ले, इससे अच्छी तो दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती, पर इसको मैं समझौतेका लक्षण नहीं मानता । समझौतका अर्थ ही यह होता है कि जहा सिद्धान्तका भेद न हो वहा दोनो पक्ष खुद बहुत-कुछ करे और भगाडा निकटाले । हमारा सिद्धान्त यह है कि हम खूनी कानूनके डरसे तो, उसके अनुसार जो कुछ करनेमें कोई वाधा न हो वह काम भी न करे । इस सिद्धान्तपर हमें अटल रहना है । सरकारका सिद्धान्त यह है कि हिंदुस्तानी नाजायज तौरपर द्रासवालमें दाखिल न हो । इसके लिए बहुतसे भारतीय ऐसे परवाने निकलवा ले जिनप्रेर वह पहचानके निशान हो और जिनकी अदलवदल न हो सके, और यों गोरोकाँ शके दूर कर उन्हें निर्भय कर दें । सरकार इस सिद्धान्तको नहीं छोड़ने की । आजतक अपने व्यवहारसे हमने इस सिद्धान्तको स्वीकार भी कर रखा है । अत उसका विरोध करनेकी बात सोचे तो भी जबतक नये कारण उत्पन्न न हो तबतक उसके विरुद्ध नहीं लडा जा सकता । हमारी लडाइं इस सिद्धान्तको काटनेके लिए नहीं, बल्कि कानूनका काला दाग दूर करनेके लिए है । अत कौममें जो नथा और प्रचड बल प्रकट हुआ है उसका उपयोग करनेके लिए अब हम एक नई बातको सामने रखें तो सत्याग्रहीके सत्यको लाऊन

लगेगा । अतः सच पूछिये तो इस समझौतेका विरोध किया ही नहीं जा सकता ।

“अब इस दलीलपर विचार करे कि खूनी कानून रद्द किये जानेके पहले हम अपना हाथ कैसे कटा दे ? क्यों अपने शत्रु छोड़ दे ? इसका जवाब तो बहुत आसान है । सत्याग्रही भयको तो कोसो दूर रखता है । इसलिए विश्वास करते वह कभी डरता ही नहीं । अब बार विश्वासका धात हो तो भी इक्की-सवी बार विश्वास करनेको तैयार रहता है । कारण यह है कि सत्याग्रही अपनी नाव विश्वासके सहारे ही चलाता है और विश्वास रखनेमे हम अपने हाथ कटा देते हैं यह कहना यह प्रकट करना है कि हम सत्याग्रहको नहीं समझते ।

“मान लीजिये, हमने अपनी इच्छासे नये परवाने ले लिये । पीछे सरकार विष्वासघात करती है और कानूनको रद्द नहीं करती । तो क्या उस वक्त हम सत्याग्रह नहीं कर सकते ? यह परवाना ले लेनेपर भी हम मुनासिब वक्तपर उसे दिखानेसे इन्कार कर दे तो उसकी क्या कीमत होगी ? तब जो हजारो हिंदुस्तानी छिपे तौरपर ट्रासवालमे दाखिल हो जाए । सरकार उनमे और हममे किम तरह बांतर कर सकेगी ? अत कानून हो या न हो, किसी भी दक्षामे सुरकार हमारी सहायताके बिना हमपर प्रतिवध नहीं लगा सकती । कानूनका अर्थ इतना ही है कि जो रीक सरकार लगाना चाहती है उसे हम स्वीकार न करे तो हम डडके पात्र होते हैं । और आम-तौरसे ऐसा होता है कि मनुष्य सजाके डरसे अकुशके अधीन होते हैं; पर सत्याग्रही इस सामान्य नियमका उल्लंघन करता है । वह अकुशके अधीन होता है तो सजाके डरसे नहीं; बल्कि उसके माननेमे लोक-कल्याण है, यह मानकर अपनी इच्छासे बैसा करता है । ठीक यही स्थिति हमारी इस वक्त इन परवानोके बारेमे है । इस स्थितिको सरकार कैसा ही विष्वास-

धात करके भी वदल नहीं सकती। इस स्थितिको उत्पन्न करनेवाले हम हैं और उसे वदल भी हमहीं सकते हैं। जबतक सत्याग्रहका हृथियार हमारे हाथमें है तबतक हम स्वतन्त्र और निर्भय हैं।

“और अगर कोई मुझसे यह कहे कि कौममें जो बल आज आ गया है वह फिर आनेवाला नहीं तो मैं यह जवाब दूँगा कि यह कहनेवाला सत्याग्रही नहीं, वह सत्याग्रहको समझता ही नहीं। यह कहनेका अर्थ तो यह होता है कि आज जो बल प्रकट हुआ है वह सच्चा नहीं है, बल्कि नशेके जैसा झटा और क्षणिक है। यह बात सही हो तो हम विजयके अधिकारी नहीं। और जीत जाए तो जीती हुई बाजी भी हार जायगे। मान लीजिये, सरकारने खुनी कानूनको रद कर दिया। पीछे हमने ऐच्छिक परवाने ले लिये। इसके बाद सरकारने यही खुनी कानून फिर पास कर दिया और हमें परवाने लेनेको मजबूर करने लगे, तो उस बक्त उसे कौन इससे रोक सकता है? और अगर इस बक्त अपने बलके विषयमें हमें शका हो तो उस बक्त भी हमारी ऐसी ही दुर्दशा होगी। अत चाहे जिस दृष्टिसे हम इस समझौतेको देखें, हम यह कह सकते हैं कि उसे करनेमें कौम कुछ खोयेगी नहीं, बल्कि कछु नफरें ही रहेगी। और मैं तो यह भी मानता हूँ कि हमारे विरोधी भी हमारी नम्रता और न्याय-बद्धिको पहचान लेनेपर विरोध त्याग देंगे या उसे नरम कर देंगे।”

इस प्रकार जिन एक-दो आदमियोंने उस छोटी-नी मडलीमें विरोध प्रकट किया था उनके मनका मैं परा समाधान कर सका। पर आधी रातवाली बड़ी सभामें जो बवडर उठनेवाला था उसका तो मुझे स्वप्नमें भी ख्याल नहीं था। मैंने सभाको पूरा समझौता सुमझाया और कहा—“इस समझौतेसे कौमकी जिसमें दारी बहुत बढ़ गई है। हमें यह दिखानेके लिए अपनी खुशीसे

परवाना ले लेना है कि हम धोखा देकर या नाजायज तरीकेसे एक भी हिंदुस्तानीको ट्रांसवालमें बुसाना नहीं चाहते। कोई परवाना न ले तो इस वक्त तो उसे कोई सजा भी नहीं दी जायगी; पर न लेनेका अर्थ यही होगा कि कौम समझौतेको मंजूर नहीं करती। अत यह ज़रूरी है कि आप लोग हाथ ऊचा करके समझौतेका स्वागत करे। यह मैं चाहता भी हूँ। पर इसका अर्थ यही होगा और मैं यही करूँगा कि आप हाथ उठानेवाले लोग, ज्योही नये परवाने निकालनेका प्रबंध हो जाय, परवाने लेनेमें लग जाएंगे और आजतक जैसे परवाना न लेनेको समझानेके लिये आपमेंसे बहुतेरे स्वयंसेवक बने थे वैसे अब लोगोंको परवाने लेनेको समझानके लिए स्वयंसेवक बनेंगे। जो काम हमें करना है वह कर देंगे तभी इस जीतका सच्चा फल हम पा सकेंगे।”

ज्योही मेरा भाषण पूरा हुआ, एक पठान भाई खड़े हुए और मुक्तपर सवालोंकी झड़ी लगादी :

“इस समझौतेके अंदर हमें दसो उगलियोंकी छाप देनी होगी न ?”

“हाँ और नहीं भी। मेरी अपनी सलाह तो यही होगी कि सब लोग दसो उगलियोंकी छाप दें; पर जिन्हे घर्मकी बाधा हो या जो निशानी देनेमें अपने आत्मसम्मानकी हानि मानते हों वे न दे तो भी चल सकता है।”

“आप खुद क्या करेंगे ?”

“मैंने तो दसो उगलियोंकी छाप देनेका निश्चय कर रखा है। मैं खुद न दू और दूसरोंको देनेकी सलाह दू, यह मुझसे तो हो ही नहीं सकता।”

“दसो उगलियोंकी निशानीके बारेमें आप बहुत लिखा करते थे। यह तो अपराधियोंसे ही ली जाती है, इत्यादि सिखानेवाले आप ही थे। यह लड़ाई दस उगलियोंकी छापकी

लडाई है, यह कहनेवाले भी आप ही हैं। ये सारी बाते आज कहाँ गई ?”

“दसो उगलियोकी निशानीके बारेमें जो कुछ मैंने लिखा है उसपर आज भी कायम हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि उगलियोंकी छाप हिंदुस्तानमें जरायम पेशा या अपराधी जातियोंसे ली जाती है। मैंने कहा है और आज भी कहता हूँ कि खूनी कानूनक अनुसार दसों उगलियोकी निशानी देना तो क्या, दस्तखत करना भी पाप है। यह बात भी सच है कि उगलियोकी निशानीपर मैंने बहुत जोर दिया है और मैं मानता हूँ कि वैसा करनेमें मैंने समझदारीसे काम लिया। खूनी कानून-की वारीक बातोपर, जिन्हे अवतक करते आ रहे थे, जोर देकर कौमको समझानेके बदले दसो उगलियोकी निशानी जैसी बड़ी और नई बातपर जोर देना आसान था और मैंने देखा कि कौम इस बातको तुरत समझ गई।

“पर आजकी स्थिति भिन्न है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि जो बात कल अपराध थी वह आजकी नई स्थितिमें भलमनसी और शराफतका निशान है। आप मुझसे जवांस्ती सलाम कराना चाहें और मैं करूँ तो मैं आपकी, दुनियाकी और खुद अपनी निगाहमें भी गिर जाऊँगा। पर मैं आपको अपना भाई या इसान समझकर अपनी मर्जीसे सलाम करूँ तो यह मेरी नम्रता और सज्जनताका सबत होगा और खुदाके दरवारमें भी यह बात मेरी नेकीके खातेमें लिखी जायगी। इसी दलीलसे मैं कौमसे उगलियोकी निशानी देनेकी सलाह देता हूँ।”

“हमन सुना है कि आपने कौमके साथ दगा की है और १५ हजार पौंड लेकर उसे जनरल स्मटसके हाथ वेच दिया है। हम कभी दसो उगलियोकी निशानी देनेवाले नहीं और किसीको देने देंगे भी नहीं। मैं खुदाकी कसम खाकर कहता हूँ

कि जो आदमी एक्षियाटिक दफ्तरमें जानेमें अगुआई करेगा उसे जानसे मार डालगा ।”

“पठान भाइयोकी भावना मैं समझ सकता हूँ । मुझे विश्वास है कि मैंने घस खाकर कौमको बेच दिया है इसपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा । यह बात मैंने पहले ही समझा दी है कि जिन लोगोंने उगलियोकी निशानी न देनेकी कसम खाई है उन्हे कोई निशानी देनेके लिए मजबूर नहीं कर सकता और जो कोई पठान या दूसरे भाई उगलियोके निशान दिये बिना परवाना लेना चाहे उन्हे परवाना दिलानेमें मैं पूरी-पूरी मदद करूँगा । मैं आपको इतमीनान दिलाता हूँ कि बिना उगलियोकी निशानी दिये वे ऐच्छिक परवाना ले सकेंगे ।

“मुझे यह बात कवूल करनी होगी कि मार डालनेकी घमकी मुझे पसंद नहीं आती । मैं यह भी मानता हूँ कि किसी-को मार डालनेकी कसम खुदाके नामपर नहीं खाई जा सकती । इसलिए मैं यही भाने लेता हूँ कि क्रोधके आवेशमें आकर ही इन भाईनें मार डालनेकी कसम खाई है, पर इस कसमपर अमल करना हो या न करना हो, समझौता करनेमें मुख्य आदमी होनेकी हैसियतसे और कौमके सेवकके रूपमें मेरा स्पष्ट कर्तव्य है कि उगलियोकी निशानी देनेमें मैं ही अगुआ बनूँ । और मैं तो इश्वरसे प्रार्थना करूँगा कि वह मुझको ही इसका श्रेय दे । मरना तो एक दिन सभीको है । रोग या इस तरहके दूसरे कारण-से मरनेके बजाय मैं अपने किसी भाईके हाथसे मरूँ तो इसमें मुझे तनिक भी दुख नहीं होगा । और अगर उस बक्त भी मैं तनिक भी क्रोध या मारनेवालेके प्रति द्वेष न करूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरा तो भविष्य बनेगा ही और मारनेवाला भी पीछे तो समझ ही जायगा कि मैं सर्वथा निर्दोष था ।”

अपरके सवाल क्यों किये गये, यह बता देना जरूरी है । जिन लोगोंने खूनी कानूनके आगे सिर भुका दिया था उनके

प्रति यद्यपि कोई वैर-भाव नहीं रखा जाता था, फिर भी उस कार्यके विषयमें तो खुले और कडे शब्दोमें बहुत-कुछ कहा और 'इडियन ओपीनियन'में लिखा गया था। इससे कानूनको मान लेनेवालोंका जीवन अप्रिय अवश्य हो गया था। उन्होंने कभी सोचा ही न था कि कौमका बड़ा भाग अपने निश्चयपर अटल रहेगा और इतना जोर दिखायेगा कि समझौता होनेकी नीचत आ जाय। पर जब १५० से ऊपर सत्याग्रही जेलमें पहुंच गये और समझौतेकी बातचीत चलने लगी तब कानूनकी घरण जानेवालोंको और भी नागवार लगा और कुछ ऐसे भी निकले जो चाहते थे कि समझौता न हो और हो जाय तो उसको तुड़वा देना भी चाहते थे। >

द्रासनालमें रहनेवाले पठानोंकी सख्त बहुत थोड़ी थी। मेरा श्याल है कि कुल शिलाकर ५० से अधिक नहीं होगे। उनमें बहुतेरे बोअर-गुद्दके समय आये हुए सिपाही थे। जैसे गुद्द-कालमें आये हुए बहुतसे गोरे दक्षिण अफ्रीकामें आवाद हो गये, वैसे ही लडाईके सिलसिलमें आये हुए पठान और दूसरे हिंदुस्तानी भी वस गये थे। उनमेंसे कुछ मेरे मवक्किल भी थे और दूसरे तौरपर भी उनके साथ मेरा खासा परिचय हो गया था। वे स्वभावसे बड़े भोले होते हैं। घूरवीर तो होते ही हैं। मारना और मरना उनकी नियाहमें बहुत मामूली बातें हैं। उनको किसी पर गुस्सा आये तो उसको पृकड़कर पीटते अथवा उनकी भापामें कहना चाहे तो उसकी पीठ गरम करते हैं और कभी-कभी जानसे भी मार डालते हैं। इसमें वे नितात निष्पक्ष होते हैं। सगां भाई हो तो उसके साथ भी यही वर्ताव करेंगे। पठानोंकी तादाद यहा इतनी कम है, फिर भी उनमें आपसमें तकरार होनेपर मार-पीटकी नीचत आ ही जाती है। ऐसे झगड़ोमें मुझे अक्सर बीच-वचाव करना पड़ता। इसमें भी जब विश्वासघातकी बात हो तब तो वे

अपना गुस्सा रोक ही नहीं सकते। न्याय पानेके लिए उनके पास सबसे बढ़िया कानून भारपीट ही है।

पठानोने इस लड़ाईमें पूरा हिस्सा लिया था। उनमेंसे एक आदमीने भी खूनी कानूनके सामने घुटने नहीं टेके थे। उनको बहकाना आमान है। उगलियोकी निशानी देनेके बारेमें गलतफहमी होना समझमें आ सकनेवाली बात है और इसको लेकर उनको भड़काना तनिक भी कठिन नहीं था। वहस न खाई होती तो उगलियोकी निशानी देनेकी बात में क्यों कहता, इतना कहना पठानोको भ्रममें डालनेके लिए काफी था।

इसके सिवा द्रासवालमें एक और पक्ष भी था। यह था उन लोगोंका जो विना परवाना लिये छिपे तौरपर द्रासवालमें आये थे या जो दूसरे हिंदुस्तानियोंको गप्तरीतिसे विना परवाना लिये या जाली परवानोंके जरिये द्रासवालमें प्रविष्ट कराया करते थे। इस पक्षका स्वार्थ समझौता न होनेमें ही था। जबतक लड़ाई चल रही हो तबतक किसीको परवाना दिखाना होता ही नहीं। इसलिए ये लोग निर्भय होकर अपना रोजगार चलाते रहते। लड़ाई चलती रहनेके दरमियान ये लोग जेल जानेसे आसानीसे बच सकते थे। अत लड़ाई लवे अरसेतक चले तो यह पक्ष इसे अपने लिए अच्छा ही मानता। इस प्रकार ये लोग भी पठानोंको समझौतेके खिलाफ भड़का सकते थे। अब पाठक समझ सकते हैं कि पठान यकायक क्यों उत्तेजित हो गये थे।

पर इस मध्यरात्रिके उद्गारोंका असर सभाके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सभाका भत माँगा था। सभापति और दूसरे नेता दृढ़ थे। इस सवादके बाद सभापतिने भाषण दिया, जिसमें समझौतेका स्वरूप समझाया और उसको मजूर कर लेनेकी आवश्यकता बताई। अनन्तर उन्होंने सभाका भत लिया। दो-चार पठान जो उस बत्त बहां मौजूद

थे उनके सिवा और सबने समझौतेको स्वीकार किया और मैं रातके दो या तीन बजे घर पहुंचा। सोना तो कहासे मिलता, क्योंकि मुझे तड़के ही उठकर दूसरोको छुड़ानेके लिए जेल जाना था। ७ बजे मैं जेलपर पहुंच गया। सुपरिटेंडेंटको टेलीफोनसे हृक्षम मिल गया था और वह मेरी राह देख रहे थे। एक घटके अदर सभी सत्याग्रही कंदी छोड़ दिये गये। अध्यक्ष और दूसरे भारतीय उन्हे लेनेके लिए आये थे। जेलसे हमारा जुलूस पैदल सभा-स्थानको गया। वहां सभा हुई। यह दिन और दूसरे दो-चार दिन यों ही दावतों आदिमे तथा लोगोंको समझानेमें लग गये।

ज्यो-ज्यों दिन बीतते गये त्यो-त्यों एक ओर तो लोग समझौतेका अर्थ अधिकाधिक समझने लगे और दूसरी ओर गलतफहमी भी बढ़ने लगी। उत्तेजनाके कारण तो ऊपर हम देख ही चुके हैं। उनके अतिरिक्त जनरल स्मट्सको लिखे हुए पत्रमें भी भ्रमका सबल कारण था। इसलिए जो अनेक प्रकारकी दलीलें पेश की जा रही थीं उनका जवाब देनेमें मुझे जो तकलीफ हुई वह उन कष्टोंसे कही अधिक थी जो लडाई चलती रहनेके दिनोंमें मुझे उठाने पड़े थे। लडाईके दिनोंमें जिसे हम अपना दुश्मन मानते हो उसके साथ व्यक्त-हार करनेमें कठिनाई पड़ती है; पर मेरा अनुभव यह है कि इन कठिनाइयोंको हम आसानीसे दूर कर सकते हैं। उस वक्त आपसके झाड़े, अविश्वास आदि होते ही नहीं या बहुत कम होते हैं। पर यद्दु समाप्त होनेके बाद आपसके विरोध आदि जो सामने आँइ हुई आपत्तिको देखकर दबे रहते हैं, बाहर आ जाते हैं और लडाईका अत समझौतेसे हुआ हो तो उसमें दोप निकालनेका काम सदा सहल होता है। इससे बहुतेरे उसे उठा लेते हैं और जहां व्यवस्था राष्ट्रीय या लोक-तंत्रीय हो वहा छोटे-वडे सबको जवाब देना और उनका समा-

घान करना पड़ता है। यह ठीक ही है। जितना अनुभव आदमी ऐसे समय, यानी दोस्तोंके दरमियान होनेवाले भगड़े या गलतफहमीके समय प्राप्त कर सकता है उतना विरोधीके सामने लड़ते हुए नहीं प्राप्त किया जा सकता। विरोधीके साथ की जानेवाली लड़ाईमें एक तरहका नशा रहता है और इससे उसमें उल्लास होता है। पर जब मित्रोंके बीच गलतफहमी या विरोध उत्पन्न हो जाता है तब वह असाधारण घटना माना जाता है और सठा दुखद ही होता है। किर भी आदमीकी परख तो ऐसे ही बक्त होती है। मेरा तो यह अपवाद-रहित अनुभव है और मुझे जान पड़ता है कि ऐसे ही समयमें मैं अपनी सारी आंतरिक सम्पत्ति प्राप्त कर सका हूँ? युद्धका शुद्धस्वरूप जो लोग लड़ते-लड़ते नहीं समझ सकते थे वे समझौतेकी बातचीतके दरमियान और उसके बाद उसे पूरी तरह समझ गये। सच्चा विरोध तो पठानोंसे आगे नहीं बढ़ा।

यो करते-कराते दो-तीन महीनेमें एशियाटिक दफ्तर अपनी डच्छासे लिया जानेवाला नया परखाना निकालनेको तैयार हो गया। परखानेका रूप विलकूल बदल गया था। उसे बनानेमें सत्याग्रही मंडलके साथ मशविरा कर लिया गया था।

१९०८ की १० वीं फरवरीको सबैरे हम कुछ आदमी परखाने लेनेके लिए जानेको तैयार हुए। लोगोंको खब समझा दिया गया था कि परखाने लेनेका काम कौमकी भटपट कर ढालना है। यह भी तै कर लिया गया था कि पहले दिन नेतागण ही सबसे पहले परखाने के। इसमें उद्देश्य यह था कि लोगोंकी हिचक दूर हो जाय, एशियाटिक दफ्तरके अफसर-अहलकार अपना काम सौजन्यके साथ करते हैं या नहीं, इसको देख ले और कामकी और तरह पर निगरानी भी रखें।

मेरा दफ्तर ही सत्याग्रह-मडलका भी दफ्तर था। वह पहुंचा तो दफ्तरकी दीवारके बाहर मीर आलम और उसके साथियोंको खड़ा पाया। मीर आलम मेरा पुराना मध्यकालीन था और अपने सभी कामोंमें मेरी सलाह लिया करता था। वहुतसे पठान ट्रासवालमें घास या नारियलके रेशेके गद्दे बनानेका काम करते हैं। इसमें वे अच्छा नफा करते हैं। ये गद्दे वे मजदूरोंके जरिये बनवाते और पीछे अच्छे नफेपर बेचते हैं। मीर आलम भी यही काम करता था। वह छँ फुट्से अधिक ऊचा होगा। लंबे-चौड़े कद और दुहरे बदनका था। आज पहली ही बार मैंने मीर आलमको दफ्तरके भीतरके बजाय बाहर खड़ा देखा और हमारी आखें मिलनेपर भी उसने सलामके लिए हाथ नहीं उठाया तो यह भी पहली ही बार हुआ। पर मैंने सलाम किया तो उसने भी जवाब दिया। अपने अभ्यासके अनुसार मैंने पूछा, “कैसे हो ?” मुझे ऐसा ख्याल है कि उसने जवाबमें ‘अच्छा हूँ’ कहा। पर आज उसका चहरा रोजकी तरह हसता हुआ नहीं था। मैंने उसकी आखोंमें कोषकी झलक देख ली और अपने मनमें इसे नोट कर लिया। यह भी सोचा कि आज कुछ होनेवाला है। मैं दफ्तरके अदर गया। अध्यक्ष इंसप मिया और दूसरे मिश्र भी आ पहुंचे और हम एशियाटिक दफ्तरकी ओर रवाना हुए। मीर आलम और उसके साथी भी साथ हो लिये।

एशियाटिक अफिसके लिए लिया हुआ मकान, फॉन ब्राडिस स्कॉलरसे था और मेरे दफ्तरसे एक मीलके अदर ही होगा। वहाँ पहुंचनेके लिए आम सड़कोंसे होकर जाना था। फॉन ब्राडिस स्ट्रीटसे जाते हुए हम मैसर्स आर्नाट एड गिव्सनकी कोठीसे बांगे पहुंचे थे, जहाँसे एशियाटिक दफ्तरका तीन मिनिट्से अधिकका रास्ता न था कि मीर आलम

मेरी बगलमे आ गया और पूछा, “कहाँ जाते हो ?” मैंने जवाब दिया—“मैं दस उगलियोकी निशानी देकर रजिस्ट्रीका सार्टीफिकेट लेना चाहता हूँ। अगर तुम भी चलो तो तुम्हे दसों उगलियोकी निशानी देनेकी जरूरत नहीं है। केवल दोनों अगढ़ोकी निशानी दिलाकर मैं पहले तुम्हे सार्टीफिकेट दिला दूँगा, फिर अपनी उगलियोकी छाप देकर अपना सार्टीफिकेट निकलवाऊगा।” मैं यह कहही रहा था कि इन्हें मेरी खोपड़ीपर लाठी गिरी और मैं है राम कहते हुए बेहोश होकर मुहक बल गिरा। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी मुझे खबर नहीं। पर मीर आलम और उसके साथियोंने और लाडिया मारी और लाते भी जड़ी। उनमेंसे कुछको इसपर मिया और यवो नायडून अपने ऊपर ले लिया। इससे वे भी थोड़ी मार खा गये। इन्हें शौर मचा। आते-जाते गोरे हकटठा हो गये। मीर आलम और उसके साथी भाग; पर गोरोंने उन्हें पकड़ लिया। इस बीच पुलिस भी आ पहुँची और वे पुलिसके हवाले कर दिये गये।

बगलमे ही एक यूरोपियन मिठि गिव्सनका दफ्तर था। लोग मुझे बहा उठा ले गये। थोड़ी देरमे मुझे होश आया तो मैंने रेवरेंड डोकको अपने ऊपर भूका हुआ पाया। उन्होंने मुझसे पूछा—“कैसे हो ?” मैंने हसकर जवाब दिया—“मैं तो अच्छा हूँ, पर मेरे दात और पसलियां दुख रही हैं।” मैंने पूछा—“मीर आलम कहाँ है ?” उन्होंने जवाब दिया—“वह तो पकड़ लिया गया है और उसके साथ दूसरे लोग मीर।” मैंने कहा—“उन्हें छूटना चाहिए।” मिठि डॉकले जवाब दिया—“वह सद तो होता रहेगा। यहा तो तुम एक पराये दफ्तरमें पड़े हो। तुम्हारा होट फट गया है। पुलिस तुम्हे अस्पताल ले जानेको तेयार है। पर तुम मेरे यहा चलो तो मिमेज डोक और मैं जितनी तुम्हारी सेवा हमसे

हो सकती है करेंगे।” मैंने कहा—“मुझे तो अपने ही यहा
ले चलिये। पुलिस जो सहायता करना चाहती है उसके लिए
उसको धन्यवाद दीजिए, पर उन लोगोंसे कह दीजिये कि
मैं आपके यहा जाना पसंद करता हूँ।”

इतनेमे एशियाटिक आफिसर (रजिस्ट्रार बाब एशि-
याटिक्स) मिं चमनी भी आ पहुँचे। एक गाड़ीमे लिटाकर
मुझे इस भले पादरीके मकानपर ले गये, जो स्मिट स्ट्रीटमे था।
डाक्टर बुलाया गया। इस बीच मैंने मिं चमनीसे कहा—
“मेरी आशा तो यह थी कि आपके दफ्तरमे आकर और
दसो उगलियोंकी निशानी देकर पहला परवाना अपने नाम
निकलवाऊंगा। यह ईश्वर को मजूर नहीं था। पर
बब मेरी प्रार्थना है कि आप अभी जाकर कागज ले आए
और मेरी रजिस्ट्री कर ले। मैं आशा करता हूँ कि आप
मुझसे पहले और किसीकी रजिस्ट्री नहीं करेंगे। उन्होंने
जबाब दिया—“ऐसी क्या उतावली है? अभी-अभी डाक्टर
आते हैं। आप आराम करे। पीछे सब होता रहेगा।
दसरोंको परवाने दूगा तो भी आपका नाम पहला रहेगा।”
मैंने कहा—“ऐसे नहीं हो सकता। मेरी भी प्रतिज्ञा है कि
मैं जीवित रहा और ईश्वरको मजूर हुआ तो सबसे पहले
खुद मैं ही परवाना लूँगा। इसीसे मेरा आश्रह है कि आप
कागज ले आए।” इसपर वह कागज लाने गये।

मेरा दूसरा काम था एटर्नी जनरल अर्थात् बड़े सरकारी
वकीलको इस आशयका तार भेजना—“मीराओलम और
उसके साथियोंने मेरे ऊपर जो हमला किया उसके लिए मैं
उन्हे दोषी नहीं मानता। जो हो, उनपर फौजदारी मुकदमा
चले यह मैं नहीं चाहता। मुझे आशा है कि मेरी खातिर आप
उन्हे छोड़ देंगे।” इस तारके जबाबमे मीर आलम और
उसके साथी छोड़ दिये गये।

पर जोहान्सवर्गके गोरोने एटर्नी जनरल्को इस तरहका कडा पत्र लिखा—“अपराधियोंको सजा मिलनेके बारेमे गांधीके विचार कुछ भी हो, वह इस देशमें नहीं चल सकते। उनपर जो मार पड़ी है उसके विषयमें वह भले ही कुछ न करे, ‘पर अपराधियोंने उन्हें घरके कोनेमें नहीं मारा, सरेआम बीच रास्तेमें मारा है। यह सावंजनिक अपराध माना जायगा। कितने ही अग्रेज भी इस अपराधकी शाहदत दे सकते हैं। अपराधियोंको पकड़ना ही होगा।” इस आन्दोलनके कारण सरकारी वकीलने भीर आलम और उसके एक साथीको फिर गिरफ्तार कराया और उन्हे तीन-तीन महीनेकी कड़ी कैदकी सजा मिली। हाँ, मैं गवाहकी हैसियतसे तलव नहीं किया गया।

अब हम फिर बीमारके कमरेकी ओर निगाह फेरे। मिं० चमनी कागजात लेने गये, इनमें डाक्टर थेट्स आ पहुँचे। उन्होंने मुझे देखा। मेरा ऊपरका होट फट गया था। उसके और गालके जख्ममें भी टांका लगाया। पसलियों आदिको देखकर उनमें लगानेके लिए दवा लिखी और जवतक टाका न खुले तबतक बोलनेको मना किया। खानेमें भी पतली चीजोंको छोड़कर और कुछ खानेको मना किया। उन्होंने यह निदान किया कि मुझे कही भी बहुत गहरी चोट नहीं आई है। हफ्तेके अंदर अपना मामूली काम-काज करने लायक हो जाऊँगा। हाँ, एक-दो महीने इसका ध्यान रखना होगा कि शरीरपर अधिक श्रम न पढ़े। यह कहकर वह विदा हुए। यो मेरा बोलना बद हुआ, पर मेरा हाथ तो चल ही सकता था। मैंने कौमके लिए अध्यक्षकी मारफत एक छोटा गुजराती संदेश लिखकर प्रकाशित करनेके लिए दे दिया। वह इस प्रकार है :

“मेरी तबीयत अच्छी है। मिस्टर और मिसेज डोक

मेरे लिए जान दे रहे हैं। मैं थोड़े ही दिनोंमें अपनी डच्चौटीपर फिर हाजिर हो जाऊगा। जिन्होने मुझे मारा है उनपर मुझे गुस्सा नहीं है। उन्होने नासमझीकश यह काम किया। उनपर कोई मुकदमा चलानेकी जरूरत नहीं। दूसरे लोग शात रहेंगे तो इस घटनासे भी हमें लाभ ही होगा।

“हिंदू भाई अपने मनमें तनिक भी रौप न रखें। मैं चाहता हूँ कि इस घटनासे हिंदू-मुसलमानके बीच कटूता पैदा न होकर मिठास उत्पन्न हो, ईश्वरसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ।

“मुझपर मार पड़ी और उससे ज्यादा पड़े तो भी मैं तो एक ही सलाह दूँगा। और वह यह कि आमतौरसे सभी दस उगलियोंकी निशानी दे दे। जिनके लिए सच्ची धार्मिक अडचन हो उन्हे सरकार छट देंगी। इसमें ही कौमका और गरीबोंका भला है और इसीसे उनकी रक्षा होगी।

“अगर हम सच्चे सत्याग्रही होंगे तो मार या भविष्यमें किये जानेवाल विश्वासधातके डरसे तनिक भी नहीं डरेंगे।

“जो लोग दसों उगलियोंकी निशानीकी वातको लेकर अडे हुए हैं उन्हे मैं अज्ञानी समझता हूँ।

“मैं परमात्मासे प्रार्थना करता हूँ कि कौमका भला करे, उसे सही रास्तेपर लगाये और हिंदू-मुसलमानोंको मेरे रक्तके एक करे।”

मिं चमनी आये। वड़ी मुश्किलसे मैंने उगलियोंकी निशानी दे दी। मैंने देखा कि इस वक्त उनकी आखे गीली हो रही थी। इनके खिलाफ तो मुझे कड़े लेख भी लिखने पड़े थे। पर अवसर आनेपर मनुष्यका हृदय कितना कोमल हो जाता है, इसका चित्र मेरी आखोंके सामने खड़ा हो गया।

एटक यह अनमानन्तो कर ही ले गे कि यह सारी विधि पूरी होनेमें कुछ मिनटसे अधिक न लगे होंगे। मिं डॉक

और उनकी भली पल्ली इसके लिए चितित हो रहे थे कि मैं विलकूल शात और स्वस्य हो जाऊँ। घायल होनेके बाद भी मुझे मानसिक श्रम करते देख उन्हें दुख हो रहा था। उन्हें डर था कि शायद मेरी तवियतपर इसका बुरा असर पड़े। इसलिए इशारा करके और दूसरी युक्तियोंसे मेरी बाटके पाससे सबको हटा ले गये और मुझे लिखने या कोई भी काम करनेसे मना कर दिया। मैंने प्राथंना की और उसे लिखकर जताया कि मैं विलकूल शात होकर सो जाऊँ, इसके पहले और इसके लिए उनकी बेटी आलिव, जो उस बक्त निरी आलिका थी, मेरा प्रिय अंगजी भजन "लीड काइंडली लाइट" (प्रेमल ज्योति) मुझे सुना दे। मिठा डोकको मेरी यह प्राथंना बहुत रुची। अपने मवूर हास्पसे उन्होंने मुझे इसकी सूचना दी और आलिवको इशारेसे बुलाकर आज्ञा की कि दरवाजेके बाहर खड़ी रहकर धीमे स्वरसे उक्त भजन गाये। ये पंक्तियां लिखते समय यह सारा दृश्य मेरी आखोके सामने फिर रहा है और आलिवका दिव्य स्वर आज भी मेरे कानोमे गूज रहा है।

इस प्रकरणमे मैं ऐसी बहुतसी बातें लिख गया हूँ जिन्हे मैं इस प्रकरणके लिए अप्रस्तुत मानता हूँ और पाठक भी मानेंगे। फिर भी उनमे एक संस्मरण और बढ़ाये बिना मैं इस प्रकरणको पूरा नहीं कर सकता। इस समयके सभी संस्मरण मेरे लिये इतने पर्विन्द्र हैं कि उन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। डोक कुटुंब-की सेवाका बर्णन मैं किस तरह कर सकता हूँ?

जोसफ डोक वैपटिस्ट संप्रदायके पाठीरी थे। उनकी उम्र उस बक्त ४६ वरस की थी। दक्षिण अफ्रीका बानेके पहले न्यूजीलैंडमे थे। इस हमलेसे कोई छ महीने पहलेकी बात है। वह मेरे दफ्तरमे आये और अपने नामका काढ़ मेरे पास भजा। उसमे नामके साथ रेवरेड विशेषण लगा था। इससे

मैंने यह गलत अनुमान कर लिया कि जैसे कितने पादरी मुझे ईसाई वनानेके इरादेसे या लड़ाई बंद करतेके लिए समझाने आते हैं, वैसे ही ये भी आये होगे या बुजर्ग बनकर लड़ाईमे हमदर्दी दिखाने आये होगे। और मिं० डॉक बदर आये और हमसे बात-चीत होते दो-चार मिनटसे अधिक त छुए होगे कि मैंने अपनी भूल देख ली और दिलही-दिलमे उनसे क्षमा मांगी। उस दिनसे हम गहरे दोस्त हो गये। अखबारोंमे लड़ाईके जो समाचार छपते थे उन सबसे उन्होंने अपनी जानकारी प्रकट की। उन्होंने कहा—“इस लड़ाईमे आप मुझे मित्र ही मानियेगा। मुझसे जो कुछ सेवा बन पड़े उसे मैं अपना धर्म समझकर करना चाहता हूँ। ईसाके जीवनका चितन करके जो कुछ मैंने सीखा है वह यही है कि दुखियोंका दुःख बढ़ाना चाहिए। यो हमारा परिचय हुआ और दिन-दिन हमारा स्नेह-संवध बढ़ता ही गया।

डॉकका नाम इस इतिहासमे इसके बाद अनेक प्रसंगोंमे मिलेगा, पर डॉक-कट्टुबने मेरी जो सेवा की उसका वर्णन करते हुए इतना परिचय पाठकोंको दे देना जरूरी था। रात और दिन कोई-न-कोई तो मेरे पास मौजूद रहता ही। जितने दिन मैं वहाँ रहा उतने दिन उनका घर धर्मशाला बन गया था। हिंदुस्तानियोंमे फेरी करनेवाले भी थे। उनके कपड़े मजदूरों जैसे होते, मैले भी होते, जितोंपर सेर भर धूल होती। फिर उनकी गठरी या टौकरी भी साथ होती। इन लोगोंसे लगाकर अध्यक्ष जैसों या सभी श्रेणियोंके हिंदुस्तानियोंका मिं० डॉकके घर मेला लग रहा था। सब मेरा हाल पछने और जब डाक्टरकी अनुमति मिल गई तब मुझसे मिलनेके लिए आते। मिं० डॉक सबको समान बादर-भावसे अपने दीवानखानेमे बैठते और जबतक मेरा रहना डॉक-परिवारके साथ हुआ तबतक

मेरी सेवा-शुश्रूषा और मुझे देखने आनेवाले सैकड़ों लोगोंके आदर-सत्कारमें उनका सारा वक्त जाता। रातमें भी दो-तीन बार आकर चूपचाप मेरे कमरमें भाँक जाते। उनके घरमें मैं कभी यह सोच ही नहीं सका कि यह मेरा घर नहीं है और मेरा प्रिय-से-प्रिय आत्मीय भी होता तो इससे अधिक मेरी सेवा करता।

पाठक यह भी न सोचे कि हिंदुस्तानी कौमकी लड़ाईकी इतनी खुले तौरपर तरफदारी करने या मुझे अपने घरमें आश्रय देनेके कारण मिठा डोकको कुछ नुकसान नहीं उठाना पड़ा। अपने पथके गोरोके लिए वह एक गिरजाघर चलते थे। उनकी आजीविका इन पथबालोंसे ही चलती थी। इन लोगोंमें सभी उदार हृदयके होते हो, सो बात तो है नहीं। हिंदुस्तानियोंके लिए गोरोमें जो आम नफरत है वह इनमें भी थी ही। डोकने इस बातकी परवा ही नहीं की। हमारे परिचयके प्रारंभमें ही मैंने इस नाजुक विषयकी उनके साथ चर्चा की। उनका जबाब लिखने लायक है। उन्होंने कहा—“मेरे प्यारे दोस्त, इंसाके धर्मको तुम कैसा मानते हो? जो आदमी अपने धर्मकी खातिर सूलीपर चढ़ा और जिसका प्रेम जगत्के जितना ही विशाल था, उसका मैं अनुयायी हूँ। जिन गोरोके हारा मेरे त्यागका तुम्हें भय है अगर मैं चाहता हूँ कि उनके सामने इसाके अनुयायीकी हैसियतमें खड़े होकर तर्किक भी शोभा पाऊ तो इस युद्धमें मुझे खुले तौरपर योग देना ही चाहिए और यह करते हुए मुझे मेरा मडल छोड़ दे तो मुझे इसमें रक्तीभर भी दुख नहीं मानना चाहिए। मेरी रोजी उनसे मिलती है यह सही है; पर तुम्हें यह तो नहीं ही मानना चाहिए कि मैं आजीविकाकी खातिर उनके साथ संवंध रखता हूँ, या वे मेरी रोजी देनेवाले हैं। मेरी रोजी तो खुदा देता है। वे तो निमित्त मात्र हैं। उनके साथ संवंध रखनेकी मेरी यह

विना कहे मानी हुई शर्त है कि मेरी धार्मिक स्वतंत्रतामें उनमेंसे कोई दखल नहीं देगा। इसलिए मेरे बारेमें तो तुम वेर्फिक रहो। मैं कुछ हिंदुस्तानियोपर मेहरबानी करनेके लिए इस लडाईमें शामिल नहीं हुआ हूँ। मेरा तो यह धर्म है और यह समझकर ही इसमें भाग दे रहा हूँ। पर सच यह है कि अपने डीन (चर्चके मुखिया) के साथ मैंने इस बारेमें सफाई कर ली है। उन्हें मैंने विषय-पूर्वक जता दिया है कि अगर हिंदुस्तानी कीमके साथ मेरा सबध आपको न रुचता हो तो आप मुझे खुशीसे विदा दे सकते हैं और दूसरा पादरी नियुक्त कर सकते हैं। पर उन्होंने मुझे इस विषयमें विलकूल निश्चित कर दिया है, मुझे वढ़ावा भी दिया है। फिर तुम यह भी न समझो कि सभी यरोपियन तुम लोगोंको एकसी नफरतकी निगाहसे देखते हैं। बहुतोंकी परोक्ष रीतिसे तुम्हारे साथ कितनी हमदर्दी है, इसका अदाजा तुम्हें नहीं हो सकता; पर मुझे इसका पता होना चाहिए, यह तो तुम मानोगे ही।”

इतनी स्पष्ट वातचीत हो जानेके बाद मैंने इस विषयको फिर कभी छेड़ा ही नहीं और पीछे जब मिठो ढोक अपना धर्मकार्य करते-करते हैबलोक सिधारे, हमारी लडाई उस वक्त चल ही रही थी, तब उनके पथबालो—बटिस्ट लोगो—ने गिरजेमें सभा की ओर उसमें स्व० काछलिया और दूसरे हिंदुस्तानियों तथा मुझको भी बुलाया था। उसमें मुझसे बोलनेका अनुरोध किया गया था।

मेरे अच्छी तरह चलने-फिरने लायक होनेमें कोई दस दिन लगे होगे। ऐसी दशा हो जानेपर मैंने इस स्नेही कूटबंधने विदा ली। हम दोनोंके लिए यह वियोग बहुत दुखदाइ हो गया था।

: २३ :

गोरे सहायक

इस लडाईमें हतने अधिक और प्रतिष्ठित यूरोपियनोंने हिंदुस्तानी कीमकी औरसे आगे बढ़कर हिस्सा लिया कि इस स्थानपर उनका एक साथ परिचय करा देना अनुचित नहीं समझा जायगा। इससे आगे चलकर जब जगह-जगह उनके नाम आयेंगे तो उस बक्ता पाठकोंको वे अपरिचित नहीं लगेंगे और लडाईके चलते दर्णनमें उनका परिचय देनेके लिए मुझको रुकना भी नहीं पड़ेगा। जिस क्रमसे मैं उनके नाम दें रहा हूँ उस क्रमको पाठक उनकी प्रतिष्ठा या सहायताके मूल्यका क्रमन मानें। उसको कुछ तो उनसे परिचय होनेके कारण और कुछ लडाईके जिस-जिस उपविभागमें उनकी मदद मिली उसके क्रमसे रखा हुआ समझना होगा।

इनमें पहला नाम अल्वर्ट वेस्टका आता है। भारतीय जनताके साथ उनका सबसे तो लडाईके पहले ही जुड़ गया। मेरा उनका बास्ता तो और भी पहलेका था। मैंने जब जोहान्सवर्गमें दफ्तर खोला तब मेरा कटुब मेरे साथ नहीं था। पाठकोंको याद-होगा कि दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंका तार पाकर १९०३-ई० मेरे साथ यकायक रखाना हो गया था और वह भी एक वरसके अदर लौट आनेके इरादेसे। जोहान्सवर्गमें एक निरामिप भोजन-गूह था। उसमें मैं नियमसे दोपहर और शामको खाना खाने जाया करता था। वहां वेस्ट भी आते और वही हमारी जान-पहचान हुई। वह एक और यूरोपियनके सामनेमें छापाखाना चलाते थे।

१९०४में जोहान्सवर्गके हिंदुस्तानियोंमें भयानक प्लेग फैला। मैं पीड़ितोंकी सेवामें लग गया और उक्त भोजन-

गृहमे मेरा जाना अनियमित हो गया । जब जाता भी तब मेरी छूत दूसरोंको लगनेका डर न रहे इस ख्यालसे और भोजन करनेवालोंके आनेके पहले ही वहाँ हो आता । जब दो दिन लगातार मुझे नहीं देखा तब वेस्ट घवराये । उन्होंने अख-वारोंमें देखा कि मैं प्लेग पीड़ितोंकी सेवामें लगा हूँ । तीसरे दिन सबरे इ बजे मैं हाथ-मुह धो रहा था कि वेस्टने मेरे कमरेका दरवाजा खटखटाया । मैंने दरवाजा खोला तो वेस्टका हंसता चेहरा दिखाइं दिया ।

वह तुरंत ही प्रसन्न होकर बोल उठे—“तुम्हें देखकर इतमीनान हुआ । तुम्हे भोजन-गृहमे न देखा तो मैं घवराया । मुझसे तुम्हारी कोई मदद हो सकती हो तो जरूर कहना ।”

मैंने हसकर जवाब दिया—“रोगियोंकी सेवा ?”

“क्यों नहीं ? मैं जरूर तैयार हूँ ।”

इस विनोदके बीच मैंने अपनी बात सोच ली । मैंने कहा—“आपसे मुझे दूसरे उत्तरकी आशा ही नहीं थी । पर इस काममें तो मेरे बहुतसे मददगार हैं । आपसे तो मैं इससे अधिक कठिन काम लेना चाहता हूँ । मदनजीत यही है । ‘इडियन ओपीनियन’ के प्रेसको कोई देखने-सम्हालने-वाला नहीं । मदनजीतको तो मैंने प्लेगके काममें लगा लिया हूँ । आप डब्बन जायें और उस कामको सम्हालें तो यह सच्ची सहायता होगी । इसमें कोई ललचानेवाली चीज तो है ही नहीं । मैं तो आपको एक बहुत छोटी रकम ही नचर कर सकता हूँ—१० पौंड प्रति मास और जो प्रेसमें नफा हो तो उसमें आधा आपका होगा ।”

“यह काम है तो जरा अटपटा । मुझे अपने साक्षीदारसे इजाजत लेनी होगी । कुछ उगाही भी नसूल करना है । पर कोई चिंता नहीं । आज शामतककी मुहल्लत मुझे दे सकते ह ?”

“हा, छ. बजे हम पाकंमें मिले ।”

“मैं जरूर पहुँचूगा ।”

इस निश्चयके अनुसार हम मिले । वेस्टने अपने साम्नी-दारकी अनुभवित भी प्राप्त कर ली । उगाहीकी बसूली मुझे सौंप दी और अगले दिन जामकी ट्रेनसे रखाना हो गये । एक महीनेके अंदर उनकी रिपोर्ट मिली—“इस छापेखानेमे नफा तो है ही नहीं, घाटा बहुत है । उगाही बहुत पड़ी है; पर हिसाब ठीक-ठिकानेसे नहीं रखा गया है । ग्राहकोंके पूरे नाम नहीं लिखे हैं, ठिकाना नहीं लिखा है । दूसरी अव्यवस्था भी बहुत है । यह सब मैं शिकायतके तौरपर नहीं लिख रहा हूँ । मैं यहा नफोंके लिए नहीं आया हूँ । इसलिए यह ऊपर लिया हुआ काम छोड़नेका नहीं, इसे पक्का समझिये । पर यह नोटिस मैं अमीरी दिये देता हूँ कि आपको लवे अरसेतक घाटा तो भरते ही जाना होगा ।”

मदनजीत जोहान्सवर्ग आये थे ग्राहक बनाने और छापेखानेके प्रवधके बारेमे मुझसे बातचीत करने । मैं हर महीने प्रेसका थोड़ा-बहुत घाटा पूरा किया ही करता था । इससे यह जान लेना चाहता था कि इस गह्डेमे और कितना पैसा भर्तोंकना होगा । पाठकोंको मैं बता चुका हूँ कि मदनजीतको गुरुके दिनोंमें भी छापेखानेके कामका विलकुल अनुभव नहीं था । इसलिए यह तो मैं चुरूसे ही सौचा करता था कि छापेखानेका काम जाननेवाले किसी आदमीको उनके साथ कर सकते हो । इस बीच प्लेग फैला और मदनजीत ऐसे कामोंमें तो बहुत कुशल और निर्भय थे । इसलिए उन्हे रोक लिया । इसमें वेस्ट जब हमारी सहायता करनेको तैयार हो गये तो मैंने इस अनपेक्षित प्रस्तावको सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्हे यह समझा दिया कि उन्हे केवल प्लेगके दिनोंके लिए नहीं, वल्कि सदाके लिए जाना होगा । इसीसे उनकी उपर्युक्त प्रकारकी रिपोर्ट मिली ।

पाठक जानते हैं कि अखबार और छापाखाना अंतमे फिनिक्स गये। वहां वेस्टको माहवार १० पौंडके बदले ३ ही पौंड दिये जाने लगे। इन सारे परिवर्तनोंमें उनकी पूरी सम्मति थी। मैंने एक दिन भी उनको इसकी चिता करते नहीं देखा कि उनकी आजीविका कैसे 'चलेगी। उन्होंने धर्मग्रन्थ नहीं पढ़ा था, फिर भी मैं उन्हें अत्यन्त धार्मिक मनुष्यके रूपमें जानता हूँ। वह अतिशय स्वतंत्र स्वभावके मनुष्य थे। जिस चीज़को जैसी मानते थे वैसी ही कहते थे। कालेको कृष्णवर्ण न कहकर काला ही कहते। उनकी रहन-सहन अत्यन्त सादी थी। मुझसे परिचय होनेके समय नहावारी थे और मैं जानता हूँ कि वह नहावर्यका पालन करते थे। कुछ वरस बाद वह मा-दापके दर्शन करने विद्यायत गये और वहांसे ब्याह करके लौटे। मेरी सलाहसे अपनी स्त्री, सास और कुमारी वहनको साथ लाये। ये सभी फिनिक्समें निहायत सादगीसे और हर तरह हिंदुस्तानियोंसे घुल-मिलकर रहते।

कुमारी एडा वेस्ट (या 'देवी वहन'—हम उन्हे इसी नामसे पुकारते थे) इस वक्त ३५ वरसकी रही होगी, पर अब भी कुमारी थी और बहुत ही पवित्र जीवन विताती थी। फिनिक्समें रहनेवाले बच्चोंको रखना, उन्हे अग्रेजी पढाना, सार्वजनिक रसोईमें खाना पकाना, घर साफ करना, हिंसाव-किताब रखना, कपोज करना और छापेखानेके दूसरे काम करना—इन सारे कामोंमें उन्होंने कभी आना-कानी नहीं की। इस वक्त वे लोग फिनिक्समें नहीं हैं तो इसका कारण इतना ही है कि उनका छोटा-सा खर्च भी मेरे हिंदुस्तान-लौट आनेके बाद छापेखानेके उठाये नहीं उठ सका। वेस्टकी सासकी उम्र ८० के ऊपर होगी। वह सिलाइंका काम बहुत अच्छा जानती है। अतः इस काममें वह बड़ा

भी पूरी सहायता करती। फिनिक्समे उनको सब 'दादी' कहते और मानते। मिसेज वेस्टके बारेमे तो कुछ कहनेकी जरूरत ही नहीं। जब फिनिक्स आध्रमके बहुतसे लोग जेल चले गये तब वेस्ट-कट्टुबने मणिलाल गांधीके साथ मिलकर फिनिक्सका काम-काज सम्भाला। अस्थार और छापेखानेके बहुतसे काम वेस्ट करते। मेरी और दूसरोंकी अनुपस्थितिमे डबनसे गोखलेके पास भेजे जानेवाले तार वही भेजते। अतमे जब वेस्ट भी पकड़ लिये गये (यद्यपि वह तुरत छोड़ दिये गये) तब गोखले घबराये और ऐड्ज तथा पियसनको भेजा।

इसरे है मिंगो रिच। इनके बारेमे लिख चुका हूँ। ये भी लडाईके पहले ही मेरे दफ्तरमे दाखिल हो गये थे। मेरे पीछे मेरा काम सम्भाल सकनेकी आशासे वह वैरिस्टरी पास करने विलायत गये, वहांकी कमेटी (साउथ अफिकन एंटिश इंडियन कमेटी) के कामकी सारी जिम्मेदारी उन्हींपर थी।

तीसरे है मिंगो पोलक। वेस्टकी तरह उनसे जान-प्रहचान भी जनायास भोजन-गूहमे हुई। वह भी कागझरमे 'ट्रासवाल क्रिटिक'के उपसपादकी जगह छोड़कर 'इंडियन ओपीनियन' मे आये। उन्होंने लडाईके सिलसिलेमे इगलेंड और पूरे हिंदुस्तानमे ध्वनि किया, यह तो सभी जानते हैं। रिच विलायत गये तो मैंने उन्हे फिनिक्ससे अपने दफ्तरमे बुला लिया। वहा आर्टिकिल्स दिये और किर सुद भी बकील (एटनी)हो गये। पीछे ब्याह भी किया। मिसेज पोलकको भी हिंदुस्तान जानता है। इन बहनने लडाईके काममे अपने पतिका पूरा-पूरा हाथ बटाया। उसमे विष्णु कभी नहीं ढाला। इस बक्त भी वे दपती बसहयोगकी लडाईमे हमारे सहयोगी न होते हुए भी हिंदुस्तानकी यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं।

इनके बाद हर्मन कलेनबेकका नंदर आता है। इनका परिचय

भी लडाईके पहले ही हुआ । ये जातिके जर्मन हैं और अग्रेज-जर्मनोंकी लडाई न छिड़ गई होती तो आज हिंदुस्तानमें होते । इनका हृदय विशाल है । इनके भोलेपनकी हृद नहीं । इनकी भावनाएं अति तीव्र हैं । इनका धधा शिल्पीका है । ऐसा एक भी काम नहीं जिसे करनेमें इन्होंने कभी आनाकानी की हो । जब मैंने जोहान्सवर्गकी अपनी गृहस्थी तोड़ दी तब हम दोनों साथ ही रहते थे । अतः मेरा खर्च वही उठाते । घर तो इनका अपना ही था । खानेके खर्चमें मैं अपना हिस्सा देनेको कहता तो नाराज होते और यह कहकर चूप कर देते कि मुझको फिजूल खर्चसे बचानेवाले तो तुम्हीं हो । उनके इस कथनमें सचाई थी; पर यरोपियनोंके साथ अपने निजी सर्वधोके वर्णनका यह स्थान नहीं । गोखले जब जोहान्सवर्ग आये तब भारतीय जनताने उन्हे केलनबेकके बगलेमें ही उतारा । यह स्थान गोखलेको बहुत पसद आया । गोखलेको विदा करनेके लिए वह मेरे साथ जंजीबारतक गये । पोलकके साथ वह भी पकड़े गये । जेल गये और अतमे जब दक्षिण अफ्रीकासे विदा होकर और इगलेंडमें गोखलेसे मिलकर मैं हिंदुस्तान लौट रहा था तब केलनबेक मेरे साथ थे और लडाईके कारण ही उन्हे हिंदुस्तान आनेकी इजाजत नहीं मिली और सब जर्मनोंके साथ वह भी इगलेंडमें नजरबद रखे गये थे । युद्ध समाप्त होनेपर वह जोहान्सवर्गको बापस गये और अपना धधा फिर शुरू किया । जोहान्सवर्गमें जब सत्याग्रहीं कैदियोंके कुट्टवोका एक साथ रखनेका विचार हुआ तब केलनबेकने अपना ११०० बीघेका खेत भारतीय जनताको विना किसी लगानके सौप दिया । उसका विवरण पाठ्क आगे पढ़ें ।

अब एक पवित्र वालिकाका परिचय दूँ । गोखलेने जो उसे प्रमाणपत्र दिया उसे पाठ्कोके सामने रखे दिना मुझसे

नहीं रहा जाता। इस बालिकाका नाम है मिस सोजा छ्लेजीन। गोखलेकी आदमियोंको पहचाननेकी शक्ति अद्भुत थी। डेलागोआ बेसे जंजीवारतक हमें बाते करनेको सुदर और शांति-भरा अवसर मिल गया था। दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दू-स्तानी और गोरे नेताओंका भी उन्हें अच्छा परिचय हो गया था। इन सभी मूल्य पात्रोंके चरित्रका उन्होंने सूख्म विश्लेषण कर दिया और मुझे अच्छी तरह याद है कि मिस छ्लेजीनको उन्होंने भारतीय और गोरे सबमें प्रथम स्थान दिया था। “इसके जैसा निर्मल अत करण और काममें एकाग्रता, दृढ़ता मैंने बहुत ही थोड़े लोगोंमें पाई है और भारतीयोंके संग्राममें, किसी भी लाभकी आशाके बिना इतना सर्वार्पण देखकर मैं तो दग रह गया। फिर इन सारे गुणोंके साथ उसकी होशियारी और चुस्तीने तो तुम्हारी इस लड़ाईमें उसे एक अमूल्य सेविका बना दिया है। मेरे कहनेकी जरूरत तो नहीं, फिर भी कह देता हूँ कि उसको तुम अवश्य अपनाना।”

एक स्काच कुमारिका मेरे यहा शाटेंहैंड और टाइपका काम करती थी। उसकी वफादारी और नीतिमत्ता सीमारहित थी। इस जिंदगीमें मुझे कहवे अनुभव तो बहुतेरे हुए हैं, पर सुदर चरित्र वाले इतने अधिक यूरोपियनों और भारतीयोंसे मेरा सम्पर्क हुआ है कि मैं इसको सदा अपना सौभाग्य ही मानता आया हूँ। इस स्काच कुमारिका मिस डिकके विवाहका अवसर आया तो मुझसे उसका वियोग हुआ। तब मिं० केलनवेक मिस छ्लेजीनको लाये और मुझसे कहा—“इस लड़कीको इसकी माने मुझे सौंपा है। यह चतुर है, ईमानदार है, पर इसमें नटखटपन और स्वतंत्रता बहुत अधिक है। शायद कुछ उद्घात भी कही जाय। तुमसे चल सके तो इसे रखो। मैं इसे तनखाहकी सातिर चुम्हारे पास नहीं रखता।” मैं तो अच्छे स्टेनो-टाइपिस्ट्सको

२० पौंड माहवार देनेको तैयार था । मिस इलेजीनकी योग्यताका मुझे पता नहीं था । मिं० केलनबेकने कहा—“फिलहाल तो इसे ६ पौंड प्रति मास देना ।” मुझे तो यह मंजूर होना ही चाहिए था ।

मिस इलेजीनके नटखटपनका अनुभव तो मुझे तुरंत ही हुआ; पर एक महीनेके अदर ही उसने मुझे अपने वसरे कर लिया । रात और दिन चाहे जिस वक्त आप उसे काम दे सकते थे । उसके लिये न हो सकनेवाला या कठिन तो कछु था ही नहीं । इस वक्त वह १६ वरसकी थी । मध्यिकालों और सत्याग्रहियोंका मन भी उसने अपनी सरलता और सेवाकी तत्परतासे हर लिया । दफ्तर और आन्दोलनकी नीतिकी यह कुमारिका चौकीदार और रखवाली करनेवाली हो गई । किसी भी कामके नीतियुक्त होनेके विषयमें उसको तनिक भी शका हो जाय तो पूरी आजादीके साथ मुझसे वहस करती और जवतक मैं उस वस्तुके नीतियुक्त होनेका उसे इत्तमीनान न करा देता तबतक उसको संतोष नहीं होता था ।

जब लगभग सभी नेता पकड़ लिये गये और अकेले सेठ काछलिया ही बाहर रह गये तब इस बालिकाने लाखों रुपयेका हिसाब रखा और भिज-भिज प्रकृतिके भनुज्योंसे काम लिया । सेठ काछलिया भी उसका सहारा, उसकी सलाह लेते । हम सबके जेल चले जानेके बाद ‘इडियन ओपीनियन’की कमान मिं० डोकने सम्हाली । पर यह घबलकेश अनुभवी बूजुर्ग भी ‘इडियन ओपीनियन’ के लिए लिखे हुए लेखोंको मिस इलेजीनसे पास कराता । मुझसे उन्होंने कहा—“मिस इलेजीन न होती तो नहीं जानता कि किस तरह अपने कामसे मैं अपने आपको भी संतोष दे पाता । उसकी सहायता और सुभावोंका मूल्य मैं बांक ही नहीं सकता । अक्सर उसके सुझाये हुए सुधारोंको ठीक मानकर मैंने स्वीकार किया है ।”

पठान, पटेल, गिरमिटिया हर कर्ण और हर उम्रके भारतीय उसे घेरे रहते, उसकी सलाह लेते और जैसा वह कहती बैसा करते।

दक्षिण अफ्रीकामें गोरे आमतौरसे रेलमें हिंदुस्तानियोंके साथ एक ही डब्बेमें नहीं बैठते। द्वासवालमें तो बैठनेको मना भी करते हैं। सत्याग्रहियोंका नियम तो तीसरे दरजेमें ही यात्रा करनका था। यह होते हुए भी मिस इलेजीन जान-बूझकर हिंदुस्तानियोंके ही डब्बेमें बैठती और रोकटोक करने-वाले गाड़ीं हे साथ लड़ भी पड़ती। मिस इलेजीनको खुद भी गिरफ्तार होनेका हौसला था और मुझे ढर था कि किसी दिन वह पकड़ न ली जाय; पर उसकी शक्ति, युद्धके विषयमें उसका पूरा ज्ञान और सत्याग्रहियोंके हृदयपर उसने जो साम्राज्य स्थापित कर लिया था, द्वासवाल सरकारको इन तीनों वातोंका पता होते हुए भी मिस इलेजीनको गिरफ्तार न करनेकी अपनी नीति और अपनी भलमनसीका उसने त्याग नहीं किया।

मिस इलेजीनने अपनी ६ पौंड मासिककी वृत्तिको बढ़ानेकी न कभी माग की और न कभी चाही। उसकी कितनी ही जरूरतोंका जब मुझे पता लगा तब मैंने उसको १० पौंड देना शुरू किया। इसे भी उसने बड़ी हिचकिचाइट्से स्वीकार किया। इससे अधिक लेनेसे तो उसने साफ इन्कार कर दिया—“मेरी जरूरत इससे ज्यादा है ही नहीं। फिर भी मैं अधिक लू तो जिस निष्ठासे आपके पास आई हू वह भूठी ठहरेगी।” इस जवाबसे उसने मुझे चूप कर दिया। पाठक शार्यद यह जानना चाहते हो कि मिस इलेजीनकी पढ़ाई क्या थी। केप यूनीवर्सिटीकी इटरमीडियेट परीक्षा उसने पास की थी और शाटहैड इत्यादि-में अच्छल दरजेका प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। लड़ाईके कामसे छुट्टी पानेके बाद वह उसी यूनीवर्सिटीकी ग्रेजुएट द्वाईं और इस वक्त द्वासवालके किसी सरकारी वालिका विद्यालयमें प्रधानाध्यायिका है।

हर्वर्ट किचन एक शुद्ध हृदयके और बिजलीका काम जाननेवाले अग्रेज थे। बोअर्स्पुदमे उन्होने हमारे साथ काम किया था। थोडे दिनोंतक वह 'इंडियन ओपीनियन' के सपादक भी रहे। उन्होने आजीवन व्रहाचर्यका पालन किया।

उपर जिन लोगोके नाम गिनाये गये हैं वे तो ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा निजी और निकटका सबध रहा। उनकी गिनती ट्रासवालके अग्रग्री यूरोपियनमें नहीं की जा सकती। फिर भी कह सकता हूँ कि उनसे हमें मदद भरपूर मिली। प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे मिं० हास्किनका स्थान पहला है। वह दक्षिण अफ्रीकाके एसोसियेशन आद चेवर्स आव कामसंबंधी भूतपूर्व अध्यक्ष और ट्रासवालकी धारा सभाके सदस्य थे। उनका परिचय पहले करा चुका हूँ। उनकी अध्यक्षतामें सत्याग्रह-समाजमें सहायक गोरोका स्थायी मठल भी स्थापित किया गया था। इस मठलने उससे जितनी हो सकी उतनी हमारी मदद की थी। लडाईका सच्चा रग जमनेके बाद स्थानीय सरकारके साथ बातचीतका व्यवहार कैसे रह सकता? वह इसलिए नहीं कि हमने असहयोगका सिद्धांत स्वीकार किया था, कल्कि सरकार ही अपने कानून तोड़नेवालोके साथ बातचीतकी रस्म रखना पसद नहीं करती थी। इसलिए इस बक्त गोरोकी यह कमेटी सरकार और सत्याग्रहियोंको जोड़नेवाली कड़ी बन रही थी।

अलवर्ट कार्टराइटका परिचय भी पहले करा चुका हूँ। एक और भले पादरी थे जिनका हमारे साथ डोक जैसा ही सबध रहा और जिन्होने हमारी वहूत मदद की। उनका नाम है रेवरेड चाल्स फिलिप। ये ट्रासवालमें अरसेतक 'काग्गिगेशनल मिनिस्टर' थे। उनकी भली पली भी हमारी सहायता करती। एक तीसरे प्रसिद्ध पादरी थे रेवरेड डब्बूडनी

दृश्य, जिन्होंने पादरीका काम छोड़कर पत्रका संपादकत्व स्वीकार किया था। वह ब्लोम फोटोनसे प्रकाशित होनेवाले 'फेड' नामक दैनिक पत्रके संपादक थे। उन्होंने गोरोकी अवगणना और विरोध मोल लेकर भी अपने पत्रमें हिन्दुस्तानियोंकी हिमायत की थी। दक्षिण अफ्रीकाके प्रसिद्ध वक्ताओंमें उनकी गिनती होती थी।

'प्रिटोरिया न्यूज' के संपादक मिठो वेर स्टेंट भी इसी तरह स्वतंत्रतापूर्वक सहायतां करनेवालोंमें से थे। एक बार प्रिटोरियाके टाउनहालमें गोरोने बहाके मेयरके सभापतित्वमें विराट सभाका आयोजन किया था। उसका उद्देश्य एशियावासियोंको कोसना और खूनी काननको सराहना था। वेर स्टेंटने अकेले ही इस सभामें इसके विरोधमें आवाज उठाई। सभापतिने उन्हे बैठ जानेको कहा, पर उन्होंने ऐसा करनेसे साफ छन्कार कर दिया। गोरोने उनके शरीरको हाथ लगानेकी भी घमकी दी, पर यह पुरुष सिंहके समान गर्जता हुआ उस सभामें अड़िग रहा। अतमें प्रस्ताव पास किये विना ही सभा भग कर देनी पड़ी !

मैं ऐसे दूसरे गोरोके नाम भी गिना सकता हूं जो किसी भी सम्पादकमें सम्मिलित नहीं हुए, मगर हमारी मदद करनेका एक भी अवसर नहीं चूके। पर अधिक न लिखकर केवल तीन वहनोंका परिचय देकर ही इस प्रकरणको पूरा कर देना चाहता हू। उनमेंसे एक हैं मिस हॉवहाउस। वह लाड हॉवहाउसकी बेटी थी। यह वहन बोअर-युद्धमें लाड मिलरका विरोध करके भी दक्षिण अफ्रीका पहुची थीं। जब लाड किचनरने दुनियाभरमें ख्यात या कहिए फि निदित अपना 'कॉन्सेट्रेशन कैम्प'* दूसराल और क्री स्टेटमें कायम

*लाइनेवाले दो अरोकी स्त्रियोंको इकट्ठा करके कैदमें रखनेकी छावनी।

किया उस वक्त यह बीर महिला बोअर स्ट्रियोमे अकेले फिरती और उन्हे दृढ़ रहने को समझती और बढ़ावा देती। वह मानती थी कि बोअर-युद्धके विषयमें अग्रेजोंकी राजनीति सोलह आने अन्यायकी है। इसलिए स्व० स्टेडकी तरह वह उनकी हार मनाती और ईश्वरसे इसके लिए प्रार्थना करती। बोअरोंकी इतनी बड़ी सेवा करनेके बाद जब उसे मालम हुआ कि जिस अन्यायके विरुद्ध बोअरोंने तलबार उठाई थी वही अन्याय वह अजानवण भारतीयोंके साथ करनेको तैयार है तब उससे सहन न हो सका। बोअर जनता उसके प्रति बहुत सम्मान और प्रेम रखती थी। जनरल बोथाके साथ उसका अति निकटका सबब था। उन्हींके यहाँ वह ठहरा करती थी। खूनी कानूनको रद करानेके लिए बोअर लोगोंसे कहनेमें उसने कुछ उठा नहीं रखा था।

दूसरी वहन थी बॉलिव श्राइनर। इनके बारेमें मैं पांचवें प्रकरणमें लिख चुका हूँ। ये दक्षिण अफ्रीकाके प्रख्यात श्राइनर परिवारमें जन्मी हुई विदुपी महिला थी। श्राइनर नाम इतना प्रसिद्ध है कि जब उनका व्याह हुआ तब उनके पतिको यही नाम ग्रहण करना पड़ा जिसमें श्राइनर-परिवारके साथ उनका संबंध दक्षिण अफ्रीकाके गोरोमें लुप्त न हो जाय। यह उनका कुछ मिथ्या स्वामिमान न था। इन वहनकी सादगी और नम्रता भी वैसे ही उनका आभूषण थी जैसे उनकी विद्वत्ता। उनके हवशी नौकरों और सुद उनके बीच कोई अंतर है, यह उन्होंने कभी नहीं माना। अग्रेजी भाषा जहाँ-जहाँ बोली जाती है वहाँ-वहाँ उनकी 'ट्रीम' नामक पस्तक आदरके साथ पढ़ी जाती है। यह है तो गद्य, पर काव्य-कौं पक्षितमें रखी जाती है। उन्होंने और भी वहतमी चीजें लिखी हैं। लेखनीपर इतना अधिकार होते हुए भी वह अपने

हाथ खाना पकाते, घरकी सफाई करते, वरतन माँजते शमर्ती नहीं थी, न उससे परहेज करती थी। वह मानती थी कि यह उपयोगी शरीर-श्रम उनकी लेखन-शक्तिको मंद करनेके बदल उसे उत्तेजित करता है और भाषा तथा विचारोंको एक प्रकारका आभिभावत्य और गमीर्य प्रदान करता है। यह वहन भी दक्षिण अफ्रीकाके गोरोपर जो कुछ असर डाल सकती थी उस सबका उपयोग भारतीय पक्षका समर्थन करनेमें किया था।

तीसरी वहन थी भिस माल्टीनों। यह भी दक्षिण अफ्रीकाके पुराने घरानेकी वयोवृद्ध महिला थी। इन्होंने भी मारतीयोंकी अपनी शक्तिभर सहायता की।

पाठक पूछ सकते हैं कि इन सारे यूरोपियनोंकी सहायता-का फल क्या रहा? इसका जवाब मैं यह दूगा कि फल वताने-के लिए यह प्रकरण नहीं लिखा गया है। उनमेंसे कुछका काम ही, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, उसके फलका साक्षी रूप है? पर इन हितेन्द्रि गोरोकी सारी सहायता-सहानुभूतिका नतीजा क्या निकला, यह सवाल पैदा हो सकता है। यह लड़ाई ही ऐसी थी कि उसका फल उसमें ही समाया हुआ था। यह लड़ाई थी स्वावलवन, आत्म-ब्रलि और भगवानपर भरोसा रखनेकी।

गौरे सहायकोंके नाम गिना जानेका एक हेतु तो मह है कि दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके इतिहासमें उनसे मिली हुईं सहायताका उल्लेख न हो तो वह इस इतिहासकी कभी मानी जायगी। मैंने सभी गौरे सहायकोंके नाम नहीं दिये हैं। पर जितने दिये हैं उन्हेंसे सहायक मात्रके प्रति हम अपनी कुरतज्जता इस प्रकरणमें प्रकट कर देते हैं। दूसरा कारण है इस सिद्धान्तमें सत्याग्रही व्यस्ते अपनी अद्वा प्रकट करना कि यद्यपि कर्मविशेषका परिणाम हम स्पष्ट रीतिसे नहीं देख सकते हों, फिर भी शुद्ध चित्तसे किये हुए कर्मका फल शुभ ही होता

है, फिर वह दृश्य हो या अदृश्य। इसका तीसरा सबल कारण है यह दिखाना कि सदुचार्य ऐसी अनेक प्रकारकी शूद्ध और निस्त्वार्थ सहायताए अपनी ओर अनायास खीच लेते हैं। इस प्रकरणमें यह बात अवतक समझा नहीं दी गई हो तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सत्याग्रहकी लडाईमें सत्यके पालनको ही अगर हम प्रयास मारें तो इसे छोड़कर और कोइं भी प्रयास इन यूरोपीय सज्जनोंकी सहायता पानेके लिए नहीं किया गया। युद्धके अर्तानिहित वलसे ही वे आकृष्ट हुए थे।

: २४ :

और भीतरी कठिनाइयां

२१ वें प्रकरणमें हमें कुछ भीतरी कठिनाइयोंका अंदाजा हो गया है। मुझपर हमला होनेके समय मेरे वाल-बच्चे फिनिक्समें रहते थे। हमलेकी खबरसे उनका उद्घिन होना स्वाभाविक था; पर मुझे देखनेके लिए पैसा खर्च करके फिनिक्ससे जोहान्सवर्ग दौड़े आए, यह तो मुमकिन नहीं था। इसलिए अच्छा हो जानेपर मुझको जाना था। नेटाऊ और ट्रांसवालके बीच मेरा आना-जाना, कामके सिलसिलेमें हुआ ही करता था। समझौतेके बारेमें नेटालमें भी चूब भ्रम फैल रहा था, इससे मैं अनजान नहीं था। मेरे बार दूसरोंके पास जो चिट्ठियां आती थीं उनसे मुझे इसथल पता था और 'इंडियन ओपोनियन'को जो गहरे बटाक करनेवाले पत्र भिले थे उनका बंडल तो मेरे ही पास था। यद्यपि मत्याग्रह अवतक ट्रांसवालके भारतीयोंको ही करना था तो भी नेटालके भारतीयोंकी मम्मति और सहानुभूति तो प्राप्त करनी

ही थी। ट्रांसवालके भारतीय ट्रांसवालके निमित्तसे सारे दक्षिण अफ्रीकाकी लड़ाई लड़ रहे थे। इससे नेटालमें पैदा हुई गलतफहमी दूर करनेके लिए भी मेरा डब्बन जाना चर्चरी था। बातः मौका मिलते ही मैं वहाँ गया।

डब्बनके हिन्दुस्तानियोंकी आम सभा की गई। कुछ मिन्नोंमें मुझे चेता दिया था कि इस सभामें तुमपर हमला होनेवाला है। इसलिए या तो तुम सभामें जाओ ही नहीं या अपने बचावका कुछ उपाय कर लो। दो में से एक भी बात मुझसे हो सकनेवाली नहीं थी। नौकरको मालिक बुलाये और वह डरसे न जाये तो उसका सेवक धर्म गया और मालिककी सजासे ढेरे तो वह सेवा कैसी? जनताकी सेवा सेवाकी खातिर करना खाडेकी धारपर चलना है। लोकसेवक स्तुति लेनेको तैयार हो जाता है तो निदासें कैसे भाग सकता है? बातः मैं तो नियत समयपर सभामें पहुंच ही गया। समझौता कैसे हुआ, यह समझाया। जो सवाल किये गये उनके जवाब भी दिये।

यह सभा रातके कोई आठ बजे हुई थी। काम लगभग पूरा हो चला था कि इतनेमें एक पठान अपनी लाठी क्लेकर मध्यपर चढ़ आया। इसी बक्त बत्तियाँ भी बुझ गईं। मैं स्थिति समझ गया। सभापति सेठ दाऊद मुहम्मद अपनी भेजपर चढ़ गये और लोगोंको सभाभाने लगे। मेरा बचाव करनेवालोंने मुझे घेर लिया। मैंने अपने बचावका कोई उपाय नहीं किया था। पर मैंने पीछे देखा कि जिन्हें हमलेका ढर था वे तो सब तरहसे तैयार होकर आये थे। उनमेंसे एक तो अपनी जेबमें तमंचा रखकर आये थे और उसका खाली फैर भी किया। इस बीच पारसी इस्तमजी, जिन्होंने हमलेकी तैयारी देख ली थी, विद्युत वेगसे दौड़कर थानेपर पहुंचे और पुलिस सूपरिंटेंडेंट अलेक्झेंडरको खबर दी। उन्होंने पुलिसका

एक दस्ता भेज दिया और पुलिस गडवडमे रास्ता करके मुझे अपने बीचमे कर पारसी रस्तमजीके यहा ले गई ।

ह़सरे दिन सबरे पारसी रस्तमजीने डबनके पठानोंको इथाठा करके कहा कि आप लोगोंको गांधीजीसे जो कुछ शिकायत हो उन्हे उनके सामने रखें । मैं उनसे मिला । उन्हे जात करनेकी कोशिश की, पर मैं नहीं समझता कि मैं उन्हे शान्त कर सका । वहमकी दवा दलील देने या समझने से नहीं हो सकती । उनके मनमे यह बात जम गई थी कि मैंने कौमको धोखा दिया है और जबतक यह मैल उनके दिमागसे न निकल जाय, मेरा समझना बेकार था ।

मैं उसी दिन फिनिक्स पहुंचा । जिन मित्रोंने पिछली रात मेरी रक्खा की थी उन्होंने मूझे अकेले भेजनेसे साफ इन्फार कर दिया और मूझे सुना दिया कि हम भी चलकर फिर उनमे डेरा डालेंगे । मैंने कहा—“आप लोग मेरी ‘ना’ को अनुसुनी करके आना चाहेंगे तो मैं आपको रोक नहीं सकता, पर वहा तो जंगल है और वहा बसनेवाले हम लोग आपको भोजन भी न दे तो आप क्या करेंगे ?” उनमेरो एकते जवाब दिया—“हमे यह डर दिखानेकी जरूरत नहीं । अपना प्रबंध हम खुद कर लेंगे । पर जबतक हम तिनाहींगिरी करते होंगे तबतक आपका भडार लूटनेसे हमे कौन रोकते बाला है ?”

इस प्रकारका विनोद करते हुए हम फिनिक्स पहुंचे । इस रस्तकदलवा नेता जैक मुडली नामका व्यक्ति था, जो हिंदुस्तानियोंमें काफी मशहूर था । उसका जन्म नेटालमें तामिल मां-जापके घर हुआ था । उसने घूसेवाजी (बाल्सिंग) की खास तौरसे तालीम हासिल की थी और वह और उसके साथी भी मानते थे कि घूसेवाजीसे दक्षिण अफ्रीकामे गोरा या काला कोई भी जैक मुडलीका मुकाबला नहीं कर सकता ।

दक्षिण अफ्रीकामें जब बारिश न हो रही हो तब मैं बिलकुल

बाहर सुलें सोना । अनेक वर्षोंसे मेरी यह आदत थी । हृत्समें कोई फेरफार करनेको मैं इस बक्त तैयार नहीं था । इससे खौन्नामत रक्कड़लने रातमें मेरी खाटके पास पहरा देनेका निश्चय किया । गोकि फिनिक्समें मैंने इस दलसे मजाक किया था और उसे आनेसे रोकनेको भी कोशिश की थी, फिर भी मैंके अपनी इतनी कमजोरी कबल करनी होगी कि जब उन लोगोंने पहरा देना शूल किया तो मैंने कछु अधिक निर्भयता अनुभव की और मनमें यह भी सोचा कि अगर मेरे लोग न आये होते तो क्या मैं इतना ही निर्भय होकर सो सकता ? मैंके यह भी जान पड़ता है कि किसी आवाजसे मैं अवश्य चौक उठता था ।

मैं भानता हूँ कि इंश्वरपर मेरी अविचल श्रद्धा है । मेरी बुद्धि वरसोंमें इस बातको भी स्वीकार करती आ रही है कि मृत्यु जीवनमें एक बड़ा परिवर्तन मात्र है और चाहे जब आये, सदा स्वागत करने योग्य है । द्विलमेंसे मौतके और दूसरे डरोंको निकाल देनेका मैंने ज्ञानपूर्वक महाप्रयत्न किया है । फिर भी अपने जीवनमें ऐसे अवसर याद कर सकता हूँ जब मृत्युसे मिलनेका विचार करते हुए मैं वैसा उल्लसित नहीं ही सका जैसा अरसेसे बिछुड़े हुए मित्रसे मिलनेकी बात सोचने-पर हम हो जाया करते हैं । इस प्रकार सबल होनेका महाप्रयत्न करते हुए भी मनुष्य अक्सर निर्बल बना रहता है और बुद्धिसे गृहीत ज्ञान अनुभवका अवसर आनेपर बहुत काम नहीं आता । फिर जब उसको बाहरका सहारा मिलता है और वह उसको स्वीकार कर लेता है तब तो वह अपना अन्तबंल अधिकांशमें छो देता है । सत्याग्रहीको इस प्रकारके भयोंसे सदा बचते रहना चाहिए ।

फिनिक्समें मैंने एक ही काम किया । गलतफूटी दूर करनेके लिए मैंने खूब लिखना शूल किया । संपादक

और शंकाशील वाचक वर्गके बीच एक कल्पित सवाद लिख डाला। जो-जो शंकाए और आक्षेप मैंने सुन रखे थे उन सवपर जितनी तफसीलके साथ मुझसे हो सका विचार किया। मैं मानता हूँ कि इसका फल अच्छा ही हुआ। यह तो प्रकट हो गया कि उन लोगोंके दिलमे गलतफहमी जड़ न जमा सकी, जिनको अगर वह सचमुच हुई होती या कभी रहती तो दुखद परिणाम होता। समझौतेको मानना न मानना केवल द्रासवालके हिंदुस्तानियोंका काम था। अतः उनके कामोंसे उनकी ओर नेता तथा सेवकके रूपमे मेरी भी परीक्षा होनेवाली थी। वहुत ही थोड़े हिंदुस्तानी द्वेष होगे जिन्होंने अपनी इच्छासे परवाना नहीं ले लिया हो। इतने अधिक लोग परवाना लेने जाते थे कि परवाना देनेवाले अहलकारोंको दम मारनेकी फुरसत भी नहीं मिलती थी। भारतीय जनताको समझौतेकी शर्तोंमेंसे जिनका पालन करना था उनका पालन उसने बड़ी शीघ्रतासे कर दिया। सरकारको भी यह बात केवल करनी पड़ी। मैंने यह भी देखा कि गलतफहमियोंने यद्यपि उग्र रूप ग्रहण कर लिया था, फिर भी उनका क्षेत्र वहुत ही सकुचित था। कुछ पठानोंने जब कानून अपने हाथमे ले लिया और वल-प्रयोगका रास्ता पकड़ा तब भारी खलबली मच गई, पर इस खलबलीका विश्लेषण करने वैष्टिये तो मालूम हो जायगा कि उसकी कोई बुनियाद नहीं होती और अक्सर तो वह केवल क्षणिक होती है। पर यह होते हुए भी उसका जोर आज भी दुनियामें कायम है, क्योंकि खून-खराबीसे हम काप उठते हैं। पर हम धीरजके साथ विचार करने वैठे तो तुरंत मालूम हो जाय कि कापनेका कुछ भी कारण नहीं। मान लीजिये कि मौर आलम और उसके साथियोंके प्रहारसे मेरा जरीर जखमी होनेके बदले नष्ट हो गया होता और साथ ही यह भी मान लीजिये कि कौम

बुद्धिपूर्वक अनुहित और शांत रही होती, मीर आलम अपनी बुद्धि-का अनुसरण करते हुए दूसरा कुछ करही नहीं सकता था, यह समझ-कर उसने उसके प्रति मित्रभाव और कामाभाव रखा होता तो इससे कौमकी कोई हानि नहीं हुई होती, बल्कि अतिशय लाभ ही हुआ होता। कारण यह है कि कौममें तो उस दशामें गलतफहमी-का अभाव होता और वह द्वाने जोशसे अपनी प्रतिज्ञापर अटल रहती और अपने कर्तव्यका पालन करती। मुझे तो विशुद्ध लाभ होता, क्योंकि सत्याग्रही इससे अधिक मंगल-परिणामकी तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि अपने सत्यका आग्रह रखते हुए, सत्याग्रहके प्रसंगमे ही, वह अनायास मृत्यु प्राप्त करे।

अमर दी हुई दलीले सत्याग्रहकी जैसी लडाईपर ही लागू हो सकती है, क्योंकि उसमे वैर-भावके लिए स्थान ही नहीं। आत्मशक्ति या स्वावलंबन ही एकमात्र साधन होता है। उसमें एकको दूसरेका मुहताकरे बैठे रहना नहीं होता। उसमे कोई नेता नहीं होता, इसलिए कोई सेवक भी नहीं, अथवा सभी नेता और सभी सेवक होते हैं। इसलिए प्रौढ़-से-प्रौढ़ पुरुषकी मृत्यु भी युद्धको शिथिल नहीं करती, बल्कि उसका वेग और बढ़ा देती है।

यह सत्याग्रहका शूद्ध और मूल स्वरूप है। अनुभवमे हमे इसके दर्शन नहीं होते, क्योंकि सभी वैर त्याग दे यह नहीं होता। सब सत्याग्रहका रहस्य समझते हों यह भी अनुभवमे देखनेमे नहीं आता। थोड़ोंको देखकर बहुसूखक उनका मूढ़ अनुकरण करते हैं। फिर सामुदायिक और सामाजिक सत्याग्रहीका द्रासवालका प्रयोग तो टाल्सुटायके कथनानुसार पहला ही माना जायगा। मैं खुद शूद्ध सत्याग्रहका ऐति-हास्यक उदाहरण नहीं जानता था। मेरा इतिहास-ज्ञान नगण्य है। इसलिए इस विषयमे मे कोई पक्की राय कायम नहीं कर सकता। पर सच पूछिये तो ऐसे ऐतिहासिक उदाहरणोंसे

हमारा कोई संबंध नहीं। सत्याग्रहके मल्लरात्वको आप स्वीकार कर ले तो आप देखेंगे कि जो फल मैंने बताये हैं वे उसमें पहले ही से मौजूद हैं। यह दलील देकर हम इस अमूल्य वस्तुको त्याग नहीं सकते कि इसका आचरण करना कठिन या अशक्य है। शस्त्रवलके दूसरे प्रयत्न तो हजारों वरससे होते ही आ रहे हैं। उसके कडवे फल तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। भविष्यमें उससे मीठे फल उपजनेकी आशा थोड़ी ही रखी जा सकती है। अधिकारमें अगर उजाला उत्पन्न किया जा सकता हो तो वैर-भावसे प्रेम-भाव भी प्रकृटि किया जा सकता है।

दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह

द्वितीय खण्ड

प्रस्तावना

पाठक जानते हैं कि दक्षिण आफ्रीकाके सत्याग्रहको इतिहास उप-वासादि कारणोंसे मैं जारी न रख सका था। उसे अब इस शक्ति से फिर शुरू करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब मैं उसे निर्विघ्न पूरा कर सकूँगा।

इस इतिहासकी स्मृतियोपरसे मैं देखता हूँ कि हमारी आजकी स्थितिमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका अनुभव, छोटे पैमानेपर, दक्षिण आफ्रीकामें मुझे न हुआ हो। भारमध्ये यही उत्साह, यही एका, यही आग्रह, मध्यमें यही नेराश्य, यही अशुचि, आपसमें भगड़ा और द्वेषादि, ऐसा होते हुए भी मूद्दीभर लोगोंमें अविचल अद्वा, दृढ़ता, त्याग, सहिष्णुता, वैसे ही अनेक प्रकारकी सोची-भनसोची कठिनाइया। हिंदुस्तानकी लड़ाईका अतिम काल अभी बाकी है। इस आखिरी मजिलकी मैं तो जो स्थिति दक्षिण आफ्रीकामें अनुभव कर चुका हूँ उसकी ही भागा यहाँ भी रखता हूँ। दक्षिण आफ्रीकाकी लड़ाईका अतिम काल पाठक अभी आगे देखेंगे। उसमें कैसे बिना मारी मदद हमारे पास चली आई, लोगोंमें कैसे अनायास उत्साह उपजा और अतमे हिंदुस्तानी कौमकी सपूर्ण विजय किस प्रकार हुई, वह सब पाठक देखेंगे।

'यह इतिहास 'नवजीवन' में भारतात्मिक स्पसे प्रकाशित हुआ था।—अनु०

इस प्रकार मेरा दृढ़ विश्वास है कि जैसा दक्षिण अफ्रीकामें हुआ वैसा ही यहा भी होगा । कारण यह कि तपश्चयपिर, सत्यपर, अहिंसापर मेरी भ्रविचल श्रद्धा है । मैं इस बातको अक्षरश सत्य मानता हूँ कि सत्यका पालन करनेवालेके सामने सपूर्ण जगत्की समृद्धि रहती है और वह ईश्वरका साक्षात्कार करता है । अहिंसाके सम्बिध्यमें वैरभाव टिक नहीं सकता, इस बचनको भी मैं अक्षरश सत्य मानता हूँ । कट्ट सहन करनेवालोंके लिए कुछ भी अशक्य नहीं होता, इस सूत्रका मैं उपासक हूँ । इन तीनो वस्तुओंका मेल मैं कितने ही सेवकोंमे पाता हूँ । उनकी साधना कभी निष्फल नहीं होती, मेरा यह निरपेक्ष अनुभव है ।

पर कोई कह सकता है कि दक्षिण अफ्रीकामें पूरी जीत होनेका शर्य तो इतना ही है कि हिंदुस्तानी जैसे थे वैसे ही बने रहे । ऐसा कहनेवाला अज्ञानी कहलायेगा । दक्षिण अफ्रीकामें लडाई न लड़ी गई होती तो आज दक्षिण अफ्रीकासे ही नहीं, बल्कि सारे अप्रेजी उपनिवेशोंसे हिंदुस्तानियोंके कदम उठ गये होते और किसीने उनकी खोज-खबर भी न ली होती । पर यह उत्तर यथेष्ट या सतोषजनक नहीं माना जायगा । यह दलील भी दी जा सकती है कि सत्याग्रह न किया गया होता और समझानेन्हु फ़ालेसे जितना काम हो सकता था उतना काम लेकर हम बैठ गये होते तो आज जो स्थिति है वह नहीं होती । यह दलील यद्यपि सचाईसे लाली है, फिर भी जहा केवल दलीलो और अटकलोंसे ही काम लिया जाता हो वहा किसकी दलील और किसके अनुभान अच्छे हैं, यह कौन कह सकता है ? अटकले लगानेका हक सभीको है । जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता, जिसका खड़न नहीं किया जा सकता, वैसी बात तो यह है कि जो वस्तु जिस शस्त्रके द्वारा प्राप्त की जाती है, उसकी रक्षा उसी हथियारसे हो सकती है ।

'कावे अर्जुन लुटियो वही घनुप वही बाण'

जिस अर्जुनने शिवजीको हराया, कौरवोंका मद उतारा, वही अर्जुन जब कृष्णस्थी सारथिसे रहित हुए तब एक दस्यु दलको अपने गाड़ीव घनुपसे न हरा सके । यही स्थिति दक्षिण अफ्रीकाके हिंदुस्तानियोंकी है । अभी तो वे लड़ ही रहे हैं । पर जिस सत्याग्रहके द्वारा उन्होंने लड़ाई जीती थी उस हथियारको वे लो बैठे हो तो अतमे वे जीती हुई बाली हाथ जायगे । सत्याग्रह उनका सारथि था और वही सारथि उनकी सहायता करनेमें समर्थ है ।

नवजीवन
५ चूलाई १९२५ }

—मोहनदास करमचंद गांधी

¹ अनन्दुके हाथोंमें वही घनुप और वही बाण था; पर डाकुओंने उन्हें लूट लिया ।

दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह

द्वितीय खण्ड

: १ :

जनरल स्मट्स का विश्वासघात (?)

पाठकोंने भीतरी कठिनाइया तो कुछ-कुछ देख ली । उनके बर्णनमें अधिकांशतः मुझे आत्मकथा ही देनी पड़ी । यह अनिवार्य था, क्योंकि सत्याग्रहसे सबंध रखनेवाली मेरी कठिनाइयाँ सत्याग्रहियोंकी भी कठिनाइयाँ हो गईं । अब हम वाहरी कठिनाइयोंकी कथा फिरसे उठाते हैं ।

इस प्रकरणका शीर्षक लिखते हुए मुझे शर्म आती है और यह प्रकरण लिखते हुए भी । इसलिए कि इसमें मनुष्य-स्वभावकी वक्रताका बर्णन किया गया है । जनरल स्मट्स १९०८में भी दक्षिण अफ्रीकामें तो योग्यतम् नेता माने जाते थे, आज दुनियामें नहीं तो त्रिटिश साम्राज्यम् तो वह कम्ब द्वर्जक कार्यकृताल पुरुष गिने जाते हैं । उनकी शक्तिवृद्धि वही है, इस विषयमें मेरे मनमें तनिक भी शंका नहीं । वह जैसे कुशल वकील है वैसे ही कुशल सेनापति है और राजकाज चलानेमें भी वैसे ही कुशल है । दक्षिण अफ्रीकामें दूसरे कितने ही राजनीतिज्ञ आये और गये, पर १९०७से आजतक वहाँके राजकाजकी बागडोर यह पुरुष अपने हाथमें रखे हुए हैं और आज भी दक्षिण अफ्रीकामें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उनके मुकाबलेमें खड़ा रह सके । ये पक्षियाँ

लिखते समय मुझे दक्षिण अफ्रीका छोड़े १ वरस हो चके हैं। मैं नहीं जानता कि आज दक्षिण अफ्रीका उन्हें किस विषयपृष्ठे याद करता है! जनरल स्मट्टसका घरका (क्रिश्चियन) नाम जॉन है और दक्षिण अफ्रीकाके लोग उन्हे 'स्लिम जेनी' कहकर पुकारते हैं। 'स्लिम'का अर्थ यहा है 'जो सरक जाय' 'जो पकड़मे न आये'। हिंदीमे उससे मिलते-जुलते अर्थका धूर्त या मीठा विशेषण व्यवहार करे तो विपरीत अर्थमे चालाक शब्द काममे ला सकते हैं। अनेक अग्रेज मिश्नोने मुझसे कहा था—जनरल स्मट्टसे होशियार रहना। यह बड़ा काइया है। बात कहकर पलटते उसे तनिक भी देर नहीं लगती। अपने शब्दोका अर्थ वही जान सकता है। अक्सर वह इस तरह बोलता है कि दोनों पक्ष उसके शब्दोका वही अर्थ कर सकते हैं जो उन्हे प्रिय होता है। फिर जब मीका आता है तब वह दोनों पक्षके अर्थोंको किनारे रखकर अपना तीसरा ही अर्थ दिखाता है, उसको अमलमे लाता है और उसके समर्थनमे ऐसी चतुराईभरी दलीले देता है कि दोनों पक्ष क्षणभर तो यह मानने लगते हैं कि भूल हम हीसे हुई होनी चाहिए। जनरल स्मट्टस जो अर्थ कर रहे हैं वही सही अर्थ है। ऐसे ही एक विषयका वर्णन मुझे इस प्रकरणमे करना है। वह घटना जिस समय घटित हुई उसी वक्त वह विश्वासघात मानी और कही गई। आज भी भारतीय समाजकी दृष्टिसे उसको मैं विश्वासघात मानता हूँ। फिर भी इस शब्दके सामने मैंने जो प्रश्नचिह्न रखा है उसका कारण यह है कि उनका काम वास्तवमें शायद इरादके साथ किया हुआ विश्वासघात न हो। जहा घातका इरादा न हो वहा विश्वासका भंग कैसे माना जा सकता है? १९१३-१४ में मुझे जनरल स्मट्टसका जो अनुभव हुआ, उसे मैंने उस वक्त कहवा नहीं माना था और आज जब उसपर कुछ अधिक तट्ट्य दृष्टिसे

विचार करता हूँ तब भी उसे कहवा नहीं मान सकता। इसलिए
मैं सर्वथा संभव है कि १९०८ में भारतीयोंके साथ उन्होंने
जी व्यवहार किया वह ज्ञानपूर्वक किया हुआ विश्वास-
भंग न हो।

इतनी प्रस्तावना मैंने इसलिए दी है कि जनरल स्मृत्सके
साथ न्याय कर सकूँ और उनके नामके साथ विश्वासघात
शब्दका जो मैंने व्यवहार किया है उसका, और जो कुछ इस
प्रकरणमें मुझे कहना है उसका भी वचाव हो सके। पिछले
प्रकरणमें हम देख चुके कि भारतीयोंने ऐच्छिक परवाने इस
रीतसे निकलवाये लिये जिससे ट्रांसवालकी सरकारको सतोप हो
जाय। अब खूनी कानूनको रद करना उक्त सरकारका
फर्ज़ था। वह यह कर देती तो सत्याग्रहकी लडाई बंद हो जाती।
इसका अर्थ यह नहीं है कि ट्रांसवालमें हिंदुस्तानियोंके खिलाफ
जितने कानून बने थे वे सभी रद हो जायं या हिंदुस्तानियोंके
सारे दुःख दूर हो जाय। उन्हें दूर करनेके लिए तो जैसे पहले
वैध आदेलन किया जाता था वैसे करना ही था। सत्या-
ग्रह तो खूनी कानूनरूपी नये डरावने वादलको हटाने भरके
लिए था। उस कानूनको स्वीकार करनेमें कौमकी जिल्लत
होती थी और पहले ट्रांसवाल और अंतमें सारे दक्षिण
अफ्रीकामें उसकी हस्ती ही मिट जाती थी। पर खूनी कानून रद
करनेके बाय जनरल स्मृत्सने नया ही कदम उठाया। उन्होंने
जो विल प्रकाशित किया उसके जरिये खूनी कानूनको बहाल
रखा और अपनी मर्जिसे लिए हुए परवानेको कानूनके अनु-
कल माना। पर्विलके अदर एक दफा ऐसी रक्ष दी जिससे
जिसने परवाना ले लिया हो उसपर खूनी कानून लागू न हो।
इसके मानी यह होते थे कि एक ही उद्देश्यवाले दो कानून साथ-
साथ चलते रहे और नये बानेवाले या बादमें परवाना लेने-
वाले हिंदुस्तानी भी खूनी कानून द्वारा शासित हों।

०

दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह

यह विल पढ़कर मैं तो दिग्मढ हो गया। कौमको मैं क्या जवाब दूगा? जिन पठान भाइयोंने पिछली मध्यरात्रिकी सभामें मुझपर कठोर आक्षेप किये थे उनको कैसी बढ़िया खुराक मिली? पर मुझे यह बता देना चाहिए कि सत्याग्रहपर मेरा विश्वास इस धूक्केसे ढीला न होकर और दृढ़ हो गया। अपनी कमेटीकी बैठक बुलाई और उसे स्थिरत समझाई। कुछने मुझे ताना भी मारा—“हम तो आपसे कहते था रहे हैं कि आप बहुत भोले हैं। जो कुछ भी कोई कह दे उसे सच मान लेते हैं। आप अपने निजी कामोंमें ही भोलापन बरतते तब तो अधिक हानि न थी; पर कौमी कामोंमें जो आप यह सरलताका व्यवहार करते हैं उससे कोईको नुकसान उठाना पड़ता है। अब पहलेका-सा जोश किर जगाना हमें तो बहुत कठिन दिखाई देता है। अपनी कौमको क्या आप नहीं जानते? वह तो सोडावाटरकी बोतल है। क्षणभरके लिए उफान आता है, उसका उपयोग कर लेना होता है। यह उफान ठंडा हुआ और सब गया।” इस गवद-वाणमें विष न था। ऐसी बातें मैं दूसरे भाइकोपर भी सुन चुका था। मैंने हँसकर जवाब दिया—“जिसे आप मेरा भोलापन कहते हैं वह तो ऐसी चीज है जो मेरे न्यभावका एक अंग हो गया है। यह भोलापन नहीं, विश्वास है और विश्वास रखना तो मेरा और आपका सबका वर्म है। फिर भी यदि आप इसे दोष मानते हो, पर अगर मेरी सौवासें कुछ लाभ होता हो तो मेरी खोट-खामीसे होनेवाली हानि भी आपको सह्य होनी चाहिए। आपकी तरह मैं यह भी नहीं मानता कि कौमका जीण सोडावाटरके उफान-जैसा है। कौममें मैं और आप भी हैं। मेरे जोगको अगर आप यह विशेषण दे तो मैं इसको अवश्य अपना अपमान मानूँगा। और मुझे विश्वास है कि आप अपनेको तो अपवादरूप ही मानते होगे और वैसा न मानते हों

और अपने पैमानेसे कौमको नापते हों तो आप कौमका अपमान करते हैं। ऐसे महान् संग्रामोमे ज्वार-भाटा तो आया ही करता है। आपने कितनी ही सफाई कर ली हो, पर विषयी विषयासंघात करना ही चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? इस मंडलमे ऐसे कितने ही लोग हैं जो मेरे पास प्रामिसरी नोट नालिंग करनेके लिए लाते हैं। दस्तखत करके अपना हाथ कटा देनेसे अधिक सावधानी और क्या हो सकती है? फिर भी ऐसे लोगोंपर भी अदालतमे नालिश दायर करनी पड़ती है। वे अनेक प्रकारके बचाव पेश करते हैं, डिगरियाँ होती हैं। कुकियाँ निकलती हैं। ऐसी बयोग्य घटनाओंके लिए कौन-सी सावधानी रखी जा सकती है, जिससे उनकी आवृत्ति न हो? अत मेरी सलाह तो यही है कि जो उच्छवन हमारे सामने आ गई है उसे धीरजके साथ सुलझाए। हमें फिर लड़ना हो पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, यानी दूसरे क्या करेंगे, इसको सोचे विना हरएक सत्याग्रही खुद क्या करेगा या कर सकता है—इसीका विचार करना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इतने लोग सच्चे रहे तो दूसरे भी वैसे ही रहेंगे, या उनमे कोई कमजोरी आ गई हो तो हमारी मिसाल लेकर वे उसको दूर कर सकेंगे।”

मेरा स्वयाल है कि जिन लोगोंने फिर लडाई चल सकनेके बारेमे नेक इरादेसे तानेके रूपमे शका प्रकट की थी वे समझ गये। इस अवसरपर सेठ काछलिया दिन-दिन अपना जौहर दिखा रहे थे। सभी विषयोमे कम-से-कम दोलकर अपना निश्चय बता देते और फिर उसपर अटल रहते। मुझे एक भी ऐसा अवसर याद नहीं आता जब उन्होंने कमजोरी दिखाई हो या अतिम परिणामके विषयमे शंका ही प्रकट की हो। ऐसा भौका भी आया जब इंसप मिया तृफानी समूहमे कौमकी नैयाकी पतवार पकड़े रहनेको तैयार न थे।

उस वक्त सबने एकमत्से कर्णधारके रूपमें काछलियाका स्वागत किया और तबसे अतिम घडीतक उन्होंने पतवार हाथसे न छोड़ी। जो कष्ट-कठिनाइया बिरले ही सहन कर सकते हैं उन्हें उन्होंने निश्चित और निर्भय होकर सहन किया। लडाई आगे बढ़ी तो एक ऐसा अवसर आया जब कितनोंके लिए जेलमें जाकर बैठ जाना आसान काम था, आराम था, पर बाहर रहकर सब वातोंको बारीकीसे देखना, उनका प्रबंध करना, वहुतोंको समझाना, यह सब कही अधिक कठिन था।

ऐसा अवसर भी आया कि सेठ काछलियाके पावनेदारोंने उन्हें अपने शिकजेमें कस लिया।

बहुतसे भारतीय व्यापारियोंका रोजगार गोरे व्यापारियोंकी कोठियोंपर अवलवित था। वे लाखों रुपयेका माल बिना किसी जमानतके हिंदुस्तानी व्यापारियोंके हाथ उधार बेच देते थे। भारतीय व्यापारियोंका इतना विद्वास सपादन कर लेना भारतीय व्यापारियोंका सामान्य प्रामाणिकताका एक सुदर प्रमाण है। सेठ काछलियापर भी बहुत-सी गोरी कोठियोंका पावना था। सरकारकी ओरसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीतिसे उकसाये जाकर इन व्यापारियोंने काछलियाको बुलाकर भी यह कहा कि आप इस लडाईसे अलग हो जायें तो हमें अपने पैसेकी कोई जल्दी नहीं, पर आप उससे अलग न होंगे तो हमें डर है कि सरकार आपको किसी भी क्षण गिरफ्तार करा सकती है। उस दशामें हमारे पैसेका क्या होगा? इसलिए आप इस लडाईसे अलग हो ही न सकते हो तो हमारा पावना आपको तुरत चुका देना चाहिए।" इस बीर पूर्णपने इसका यह जवाब दिया— "लडाई में शामिल होना मेरी अपनी बात है, मेरे व्यापारके साथ उसका कोई लगाव नहीं। इस लडाईमें मेरा धर्म,

कौमका मान और मेरा अपना आत्मसम्मान भी समाया हुआ है। आपने मुझे उधार माल दिया, इसके लिए आपका अहसान मानता हूँ, पर इसको या अपने व्यापारको मैं सर्वोपरि नहीं मान सकता। आपके पैसे मेरे लिए सोनेकी मुहरें हैं। जबतक मैं जीवित हूँ तबतक अपने आपको बेचकर भी आपका पैसा भर सकता हूँ। पर मान लीजिए कि मेरा कुछ हो गया तो भी मेरी उगाही और मेरे मालको अपने हाथमें ही समझिए। आजतक आपने मेरा विश्वास किया है और मैं चाहता हूँ कि अब भी आप विश्वास करे।" यद्यपि यह दलील सोलहों आने सही थी और काछलियाकी ढूढ़ता गोरे व्यापारियोंके लिए विश्वासका एक अतिरिक्त कारण थी, फिर भी इस बक्त उनपर उसका असर नहीं हो सकता था। हम सोते हुएको जगा सकते हैं, पर जो जागते हुए सोनेका ढोग करता हो उसको नहीं जगा सकते। गोरे व्यापारियोंके विषयमें भी यही हुआ। उन्हें तो सेठ काछलियाको दवाना था। उनके पैसेको कोई खतरा न था।

मेरे दफ्तरमें लेनदारोंकी बैठक हुई। उनको मैंने स्पष्ट गद्दोमें बता दिया कि काछलियापर जो दबाव आप लोग डाल रहे हैं उसमें व्यापारनीति नहीं, राजनीतिक चाल है, व्यापारियोंको बैसा करना शोभा नहीं देता। इससे वे उलटे और चिढ़ गये। सेठ काछलियाके माल और उनकी उगाहीका जो लेखा मेरे पास था वह मैंने उन्हें दिखाया और इससे यह सिद्ध किया कि उनका पावना पाई-पाई बसूल हो सकता है। इसके सिवा वे यह व्यापार दूसरेके हाथ बेच देना पसंद करें तो काछलिया यह सारा माल और पावना खरीदारके हृवाले कर देनेको तैयार है। यह न करे तो जो माल डुकानमें भौजूद है उसको बसूल दामपर ले ले और इसमें उन्हें कुछ घाटा लगे तो उसके एकजूमे जो

पावना वे पसद करे वह ले ले । पाठक समझ सकते हैं कि यह प्रस्ताव स्वीकार करनेमें गोरे व्यापारियोंको कुछ खोना न पड़ता और मैं अपने अनेक मवकिकलोंके लिए संकटकालमें पावनेदारोंके साथ ऐसा बदोवस्त कर सका था, पर व्यापारी इस मीकेपर न्याय करना नहीं चाहते थे । वे तो काछलियां-को झुकाना चाहते थे । काछलिया नहीं झुके और दिवालिया कर्जदार करार दे दिये गये, गो कि उनका पावना देनेसे बहुत ज्यादा निकला ।

यह दिवालियापन उनके लिए कलकरूप नहीं, बल्कि उनका भूषण था । कौममें उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उनकी दृढ़ता और वहाँदुरीके लिए सबने उनको मुवारकवादी दी । पर इस प्रकारकी वीरता अलौकिक है । सामान्य मनुष्य इसको समझ ही नहीं सकता । दिवाला किस तरह दिवाला न रहकर, बैद्यज्ञती न रहकर, आदर और मान माना जा सकता है, इसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता । काछलियांको यही वस्तु स्वाभाविक लगी । बहुतरे व्यापारियोंने दिवालेके डरसे ही खुनीं काननके सामने सिर झुकाया था । काछलिया चाहते तो दिवालियैपनसे बच सकते थे । लडाईसे अलग होकर बचनेका उपाय तो था ही, पर इस समय मैं कुछ और ही कहना चाहता हूँ । बहुतसे भारतीय उनके मित्र थे । वे ऐसे सकटके समय उन्हें पैसा उधार दे सकते थे । पर ऐसा प्रवध करके वह अपना व्यापार बचाते तो उनकी वीरता लज्जित होती । जेल जानेका जो खतरा उनके लिए था वह तो सभी सत्याग्रहियोंके लिए था । इसलिए किसी सत्याग्रहीसे पैसे लेकर गोरोका ऋण चुकाना उनको कदापि शोभा न देता । पर जैसे सत्याग्रही व्यापारी उनके मित्र थे वैसे ही जिन्होंने खुनीं कानूनके सामने घटने टेक दिये थे वे भी मित्र थे । उनकी मदद मिल सकती थी, यह मैं जानता

हूं। मेरी स्मृतिके अनुसार एक-दो मिनेंने उनसे इसके लिए कहलाया भी, पर उनकी मदद लेना तो यह भान लेने जैसा होता कि खुनी कानूनके सामने सिर झुका देना बुढ़मानी है। अत हम दोनोंने निश्चय किया कि उनकी मदद हमें हरगिज न लेनी चाहिए। इसके सिवा हम दोनोंने यह भी सोचा कि अगर काछलिया अपने आपको दिवालिया करार दिया जाने वे तो उनका दिवाला दूसरोंके लिए ढालका बाम देगा। कारण कि अगर सौमे नहीं तो १० फीसदी दिवालोंमें पावनेदारको कुछ-न-कुछ नुकसान उठाना ही पड़ता है। अत उसे अगर रुपयेमें आठ आने मिल जाए तो वह प्रसन्न होता है और बारह आने मिल जाएं तब तो वह भान लेता है कि हमारा पूरा पावना बसूल हो गया। दक्षिण अफ्रीकाके बड़े व्यापारी आमतौरसे दू. फीसदी नहीं, कल्कि २५ फीसदी नफा लिया करते हैं। अत उन्हे रुपयेमें बारह आने मिल जाए तो वे इसे बाटका रोजगार नहीं भानते। पर दिवालेमें पूरा-पूरा पावना तो शायद ही मिलता है। इसलिए कोई भी पावनेदार कर्जदारको दिवालिया बनवाना नहीं चाहता।

अत. काछलियाके दिवालेसे गोरे व्यापारियोंका दूसरोंको भभकाना तो बंद हो ही जाना चाहिए था। हुआ भी यही। गोरोंका मतलब यह था कि काछलियाको दबाकर युद्धसे अलग करा दे और वह ऐसा न करे तो अपना सौ फीसदी पावना उनसे बसूल करे। दोमेसे एक भी उद्देश्य सिद्ध न हुआ, उलटा प्रतिकूल परिणाम हुआ। प्रतिष्ठित भारतीय व्यापारी-के दिवालियेंपनका स्वागत करनेका यह पहला उदाहरण देखकर गोरे व्यापारी हतबुद्धि हो गये और सदाके लिए शांत हो गये। एक सालके अदर सेठ काछलियाके मालमें गोरोंका पावना पूरा-पूरा, गत-प्रतिशत बसूल हो गया। दिवालेमें

पावनेदारोंको सी फीसदी मिलनेकी मेरी जानकारीमें तो दक्षिण अफ्रीकामे यह पहली ही मिसाल थी। इससे, लडाई जब चल रही थी उसी बचत काछलियाका मान गोरे व्यापारियोंमें अतिशय बढ़ गया और वही व्यापारी लडाईके जारी रहते हुए उनको जितना माल चाहिए उतना उधार देनेको तैयार हो गये। पर काछलियाका बल तो दिन-दिन बढ़ता ही जाता था। युद्धका रहस्य भी वह समझ गये। लडाई कितनी लंबी होगी यह पीछेमें तो कोई कह ही न सकता था। इसलिए दिवालिया ठहराये 'जानेके बाद हमने तै कर लिया था कि जवतक लडाई चल रही है तबतक वह लंबे व्यापारमें पढ़े ही नहीं। एक गरीब आदमी जितनेमें अपना खर्च चला सकता है उतना कमा लेने भर कारबार रखकर वाकी व्यापार लडाईके दरभियान बद रखनेका उन्होनेने निश्चय किया। इससे गोरे उन्हे जो सुभीता दे रहे थे उसका लाभ उन्होनेनहीं उठाया। पाठक इतना तो समझ ही लेगे कि काछलिया सेठके जीवनकी जिन घटनाओंका वर्णन मैंने ऊपर किया है वे सारी इस प्रकरणमें वर्णित कमेटीकी बैठकके बाद ही नहीं घटित हुईं। पर इस वर्णनको एक ही साथ देना ठीक समझ-कर यहा मैंने उन्हे दे दिया है—~~तीर्तिथिकमकी~~ दिप्तिसे देखे तो दूसरी लडाई शुरू होनेके (१० सितंबर १९०८) के कुछ दिन बाद काछलिया अध्यक्ष हुए और इसके कोई पात्र महीने बाद दिवालिया करार दिये गए।

अब हम कमेटीकी बैठकके नतीजेपर विचार करे। इस बैठकके बाद मैंने जनरल स्मट्सको पत्रमें लिखा कि आपका नया विल समझौतेका भग है। समझौतेके एक हृष्टेके अंदर उन्होने जो भाषण दिया था उसकी ओर भी मैंने अपने पत्रमें ध्यान खीचा। उस भाषणमें उन्होने ये शब्द कहे थे—“ये लोग (एशियावासी) एशियाटिक कानून रद

कर देनेके लिए मुझसे कहते हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि जबतक सभी एशियावासी ऐच्छिक परवाना नहीं ले लेते तबतक कानून रद नहीं किया जा सकता।” अधिकारी लोग ऐसी बातोंका जवाब नहीं दिया करते जो उन्हे उल्लंघनमे फैसा दे। देते भी हैं तो वह गोल-मटोल होता है। जनरल स्मट्स तो इस कलाके आचार्य थे। आप चाहे जितना लिखे, चाहे जितना बोले, जब उनकी जवाब देनेकी इच्छा न होगी तब उनके मुहसे आप कोई उत्तर नहीं निकलवा सकते। अपनेको मिले हुए पत्रोंका उत्तर देना ही चाहिए, यह सामान्य शिष्टाचार उनके लिए वंघनकारक नहीं था। अतः अपने पत्रोंके उत्तरसे मैं कुछ भी सतोष_न प्राप्त कर सका।

अपने भव्यस्थ अलवर्ट कार्टराइटसे मैं मिला। वह सुनकर स्तब्ध हो गये और कहा—“सचमुच मैं इस आदमी-को समझ नहीं सकता। एशियाटिक कानून रद कर देनेकी बात मुझे अच्छी तरह याद है। मुझसे जो हो सकेगा करूँगा, पर तुम जानते हो कि यह आदमी जब एक निश्चय कर लेता है तब उसपर किसीकी कुछ चलती नहीं। अखबारोंके लेखों-को तो वह कुछ गिनता ही नहीं। इसलिए मुझे पूरा फर है कि मेरी मदद तुम लोगोंके कुछ काम न आ सकेगी।” मिं० हास्टिक्न आदिसे भी मिला। उन्होंने जनरल स्मट्सको पत्र लिखा। उन्हे भी बहुत ही असंतोषकारक उत्तर मिला। ‘विश्वासघात’ शीपींक देकर मैंने ‘इडियन ओपीनियन’ मे कहाँ लेख भी लिखे; पर जनरल स्मट्स उनकी परवा क्यों करने लगे? तत्त्ववेत्ता अथवा निष्ठुर मनुष्यके लिए चाहे जैसे कठबे विशेषण व्यवहार करो उसपर कोई असर नहीं होनेका। वह अपने सोचे हुए काम करनेमें तन-भनसे लगा रहता है। जनरल स्मट्सके विप्रमे दोमें से

किस विशेषणका व्यवहार हो सकता है, यह मैं नहीं जानता। मुझे यह तो स्वीकार करना ही होगा कि उनकी वृत्तिमें एक प्रकारकी दर्शनिकता है। जिस बक्त उनके साथ मेरा पत्र-व्यवहार हो रहा था और अखबारोमें मेरे लेख निकल रहे थे उस बक्त तो मुझे याद है कि मैंने उन्हें निष्ठुर ही माना था। पर यह युद्धका अभी पहला भाग, उसका दूसरा ही वरस, था और हमारी लड़ाई तो आठ वरस चली। इस बीच मैं उनसे कितनी हीं बार मिला। हमारी पीछेकी बात-चीतसे मूझे अकसर ऐसा लगता कि जनरल स्मट्सके काड्यापनके बारमें जो आम खयाल दक्षिण अफ्रीकामें है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। दो बातें तो मझे साफ दिखाई दीं। अपनी राजनीतिके विषयमें उन्होंने कुछ सिद्धांत स्थिर कर रखे हैं और वे नितान्त अनीतिभय तो नहीं ही हैं, पर इसके साथ-साथ मैंने यह भी देखा कि उनके राजनीतिशास्त्रमें चालाकी और मौका पढ़नेपर सत्याभासके लिए भी स्थान है।^१

: २ :

युद्धकी पुनरावृत्ति

एक ओर जनरल स्मट्ससे समझीतेकी शर्तोंका पालन करनेके लिए विनती की जा रही थी तो दूसरी ओर कौमको फिरसे जगानेका उद्योग उत्साहपूर्वक चल रहा था। अनुभव यह हुआ कि हर जगह लड़ाई फिर शुरू करने और जेल जानको लोग तैयार थे। हर जगह सभाएं की जाने लगी, जिनमें

^१ ये पक्षितया छपते समय हमें यह मालूम हो गया है कि जनरल स्मट्सकी सरदारीका भी अंत हो सकता है।—मो० क० गांधी।

सरकारके साथ हमारा जो पत्र-व्यवहार चल रहा था वह समझाया जाता। 'इडियन ओपीनियन' में तो हर हफ्तेका रोजनामचा दिया ही जाता था। इससे कौमको स्थितिकी पूरी जानकारी रहती। सबको समझा दिया गया कि हमारा अपनी खुशीसे परवाने लेना निष्फल सिद्ध होनेवाला है और खूनी कानन किसी तरह रद्द न हुआ तो हमें अपने प्रत्यवाने जला डालने होंगे। इससे स्थानीय सरकारको यह मालम हो जायगा कि हिंदुस्तानी अहिंग है, निर्भय है और जेल जानेको भी तैयार है। इस दृष्टिसे हर जगह परवाने मी इकट्ठा किये जा रहे थे।

जिस विलक्षणे बारेमें हम पिछले प्रकरणमें पढ़ चुके हैं सरकारकी ओरसे उसको पास करानेकी तैयारी होने लगी। द्रासवालकी धारा सभाका अधिवेशन आरम्भ हुआ। भारतीयोंने उसमें आवेदनपत्र भेजा, पर इसका भी नतीजा कुछ न निकला। अतमे सत्याग्रहियोंका 'अल्टिमेटम' सरकारके पास भेजा गया। 'अल्टिमेटम' के माली होते हैं 'निश्चयपत्र' या घमकीका पत्र जो लड़ाईके दूरादेसे ही भेजा जाता है। इस गव्दका व्यवहार कौमकी ओरसे नहीं किया गया, वल्कि उसके निश्चयकी सूचना देनेवाला जो पत्र सरकारको भेजा गया उसको जनरल स्मट्सने धारा सभामें यही नाम दिया और साथ-साथ यह भी कहा कि जो लोग ऐसी घमकी इस सरकारको दे रहे हैं उनको उसके बलका पता नहीं है। मुझे खेद इतना ही है कि कुछ बांदोलनकारी(एजिटेटर) गरीब हिंदुस्तानियोंको उकसा रहे हैं और गरीब लोगोंमें उनका जोरहुआ तो वे वरवाद हो जायें। अखदारोंके संवाददाताबांगेने इस प्रसगका वर्णन करते हुए लिखा था कि धारा सभाके वहुस्वयक सदस्य अल्टिमेटमकी बात सुनकर बाग-बूला हो गये। उनकी आखे सुख्ख हो गईं और उन्होंने

जनरल स्मट्सके पेश किये हुए विलको एकमतसे तथा उत्साहपूर्वक पास कर दिया ।

उपर्युक्त अल्टिमेटममे इतनी ही बात थी—“जो समझौता हिंदुस्तानीकौम और जनरल स्मट्सके बीच हुआ था उसकी स्पष्ट शर्त यह है कि हिंदुस्तानी अपनी इच्छासे परवाने ले ले तो उनको बाकायदा मान लेनेके लिए एक विल विधान-सभामे पेश किया जायगा और एशियाटिक कानून रद कर दिया जायगा । यह तो प्रसिद्ध बात है कि हिंदुस्तानी कौमने इस रीतिसे ऐच्छिक परवाने ले लिए जिससे सरकारी अधिकारियोंको संतोष हो जाय । इसलिए अब एशियाटिक कानून रद हो ही जाना चाहिए । कौमने इस बारेमे जनरल स्मट्सको बहुत लिखा । न्याय पानेके लिए जो दूसरे कानूनी उपाय किये जा सकते थे वे सब भी किये गये; पर अबतक उसका सारा प्रयत्न निफल हुआ है । मसविदा विधान-सभामें पास होने ही जा रहा है । ऐसे बक्त कौममे फैली हुई बेचैनी और उसकी तीव्र भावना सरकारको बता देना नेताओंका फर्ज है । और हमे खेदके साथ कहना पड़ता है कि अगर समझौतेकी बार्ताके अनुसार एशियाटिक कानून रद न कर दिया गया और ऐसा करनेके निष्ठयकी सूचना कौमको अमुक अवधिके अदर न मिल गई तो उसने जो परवाने इकट्ठा किये हैं वे जला डाले जायगे और ऐसा करनेसे जो मुसीबतें उसपर आयेगी उनको वह विनय और दृढ़ताके साथ सहन कर लेगी ।”

इस पत्रको ‘अल्टिमेटम’ भाननेका एक कारण तो यह था कि उसमे जवाब देनेके लिए एक अवधि रख दी गई थी । दूसरा कारण था गोरोंका यह आम खयाल कि हिंदुस्तानी एक जगली कौम है । अगर हिंदुस्तानियोंको वे अपने-जैसा समझते होते तो इस चिट्ठीको विनय-पत्र मानते और उसपर ध्यान देते; पर गोरोंकी यह जगलीपनकी धारणा ही हिंदुस्तानियोंके

अमरके जैसा पत्र लिखनेका पर्याप्त कारण था। कौमके सामने दो स्थितिया थीं। एक तो यह कि जगलीपनका आरोप स्वीकार कर दबी पड़ी रहे। दूसरी यह कि उक्त आरोपसे इन्कार करनेके अमली कदम उठाये। ऐसे कदमोंमे यह पत्र पहला था। इस पत्रके पीछे उसपर अमल करनेका दृढ़ निश्चय न होता तो यह पत्र उद्धत समझा जाता और हिंदुस्तानी विचाररहित और उज्ज्वल कौम है, यह सावित होता।

पाठकोंके मनमें शायद यह शंका पैदा हो कि जगली होने से इन्कार करनेका कदम त्रो १९०६मे, जब्र सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा की गई उसी वक्त उठाया जा चुका था और यदि यह सही हो तो इस पत्रमे ऐसी कौन-सी नई बात थी जिससे भै उसको महत्व देता है और यह मानता हूँ कि उसके लिखे जानेके वक्तसे कौमने जंगलीपनके आरोपको अस्वीकार करना आरम्भ किया? एक दृष्टिसे यह दलील सही मानी जा सकती है, पर विशेष विचारसे मालूम होगा कि अस्वीकारका सच्चा आरंभ निश्चय-पत्रसे ही हुआ। पाठकोंको याद रखना चाहिए कि सत्याग्रहकी प्रतिज्ञाका संयोग अनायास बना। उसके बादकी जेल आदि तो उसका अनिवार्य परिणाम ही था। उसमें कौमकी प्रतिष्ठा बढ़ी, पर अनजानमे। यह पत्र लिखे जानेके समय तो पूरा ज्ञान और प्रतिष्ठाका दावा करनेका पूरा इरादा था। खूनी कानूनको रद करनेका उद्देश्य तो था ही, जैसे पहले वैसे अब। पर उसके साथ भापाकी घौली, काम करनेके ढंगके चुनाव आदिमे फैर्के था। गुलाम मालिकको सलाम करे और एक मित्र दूसरे मित्रको करे तो दोनों सलाम तो हैं ही, पर दोनोंमे इतना बड़ा अतर है कि उससे तटस्थ प्रेक्षक तुरंत जान जायगा कि एक गुलाम और दूसरा दोस्त हैं।

अल्टिमेटम भेजते समय हम लोगोंमे यह चर्चा भी हुई थी कि अवधि नियत करके जवाब मंगाना क्या अविनय न माना

जायगा ? क्या उसीसे यह नहीं हो सकता कि सरकार हमारी भाग मज़र करनेवाली हो तो भी न करे ? कौमका निष्ठ्य परोक्ष रीतिसे सरकारपर प्रकट कर देना क्या काफी न होगा ? इन सब वातोपर विचार कर लेनेके बाद हम सबने एकमतसे निष्ठ्य किया कि हम जिसको सही और मुनासिव समझे वही करें । अधिनथी कहे जानेका इलजाम सिरपर आये तो उसे कब्ज़े ल कर ले । सरकार जो देनेवाली हो वह भूठा रोप दिखाकर न दे तो यह जोग्विम भी उठा लें । अंगर हम मनुष्यरूपमे अपने आपको दूसरोंसे किसी तरह हेठा न भानते हो और यह भी मानते हो कि चाहे जितना दुख चाहे जितने दिनतक उठाना पड़े उसे मह लेनेकी अवित्त हमसे है, तो जो सही और सीधा रास्ता हो वही हमे स्वीकार करना चाहिए ।

अब आयद पाठक यह समझ सके कि इस बक्त जो कदम उठाया गया उसमे कुछ नवीनता और विशेषता थी । उसकी प्रतिष्ठनि विधान-सभामे और वाहरके यूरोपीय मडलोंमे भी हुँड़ । कुछने हिंदुस्तानियोंकी हिम्मतकी सराहना की और कितने ही उनपर अति कुद्दु हुए । उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुस्तानियोंको इस गुस्ताखीको पूरी सजा मिलनी चाहिए । उभयपक्षने अपने व्यवहारसे हिंदुस्तानियोंके कदमका नया-पन स्वीकार किया । सत्याग्रह जब आरम हुआ उस बक्त सच पूछिए तो वह नया कदम था । फिर भी उससे जो हलचल भवी थी उसकी बनिस्वत हिंदुस्तानियोंके कदमका नया-पन स्वीकार किया । सत्याग्रह जब आरम होनेके समय कौमकी अवित्तका अद्वाजा किसीको न हुआ था । अत उस बक्त ऐसा पत्र या उसकी भाषा हमे शोभा न देती । अब कौमकी थोड़ी-वहुत परीक्षा हो चुकी थी । सबने देख लिया था कि सामाजिक कठिनाइयोंका सामना करनेमे जो कष्ट सिरपर आये उन्हे सह लेनेकी अवित्त उसमे है । अत-

निश्चयपत्रकी भाषा स्वाभाविक रीतिसे उद्भूत हुई और तनिक भी अशोभनीय न लगी ।

४५ :

ऐच्छिक परवानोंकी होली

'अल्टिमेटम' या निश्चयपत्रकी अवधि उसी दिनकी रखी गई थी जिस दिन दूसरा एजियाटिक कानून विधान-सभामे पास होनेवाला था । अवधि दीतनेके एक-दो घंटे बाद परवानोंको जलानेकी सावंजनिक क्रिया करनेके लिए सभा बुलाई गई थी । सत्याग्रह-कमेटीने सोचा था कि जायद अनसोची रीतिसे सरकारका अनुकूल उत्तर मिल जाय तो भी सभा व्यर्थ न जाय । उस दशामें सरकारका अनुकूल निश्चय उसके जरिये लोगोपर प्रकट किया जा सकता था ।

कमेटीका ख्याल तो यह था कि इस निश्चयपत्रका सरकार कोई जवाब ही नहीं देगी । हम सभी पहलेहीसे सभा-स्थानपर पहुच गये थे । इसका प्रबंध भी कर रखा गया था कि सरकारका तारसे भी कोई जवाब आये तो वह सभामें तूरत मिल जाय । सभाका समय चार बजेका रक्ता गया था । नियमानुसार वह मस्जिदके मैदानमें १६ अगस्त १९०८ को की गई थी ।

सारा मैदान हिंदुस्तानियोंसे ठसाठस भर गया था । दक्षिण अफ़्रीकामे हवड़ी अपना खाना पकानेके लिए लोहेकी बनी चार पायोवाली छोटी या बड़ी कढाई काममे लाते हैं । परवाने जलानेके लिए ऐसी ही एक कढाई जो बड़ी-से-बड़ी मिल सकी, एक हिंदुस्तानी व्यापारीकी दुकानसे भंगा रखी गई थी । यह कढाई एक कोनेमें चबूतरेके ऊपर रखी गई थी ।

सभाका काम शुरू करनेका समय हुआ कि इतनेमें एक स्वयंसेवक बाइसिकिलपर आ पहुंचा। उसके हाथमें तार था। यह तार सरकारका जवाव था। उसमें हिंदुस्तानी कौमके निश्चयपर खेद प्रकट किया गया था और यह भी जता दिया गया था कि सरकारके लिए अपना निश्चय बदल सकता मुझकिन नहीं। यह तार सभाको पड़कर सुना दिया गया। सभाने उसका स्वागत किया। सरकार निश्चयपत्रकी मार्गे मजूर कर लेती तो कौमको परवानोंकी होली जलानेका शुभ कार्य करनेका जो अवसर मिला था वह हाथसे निकल जाता। यह हर्ष योग्य माना जाय कि अयोग्य, इसका निश्चय करना बहुत कठिन है। जिस-जिसने जवावका तालियोंसे स्वागत किया उनका हेतु समझे बिना योग्यता-अयोग्यताका निर्णय नहीं हो सकता। पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह हर्ष सभाके उत्साहका सुदर लक्षण था। सभाको अपनी शक्तिका कुछ अंदाजा मिल गया था।

सभा आरंभ हुई। सभापतिने सभाको सावधान किया। सारी स्थिति समझाइँ। सभाने अवसरके अनुरूप प्रस्ताव स्वीकार किये। जो भिन्न-भिन्न स्थितियां हमारे सामने आयी आई थीं मैंने उन्हें स्पष्ट रीतिसे समझा दिया और कहा—“जिन लोगोंने अपने परवाने जलानेके लिए दिये हैं उनमेंसे कोई अपना परवाना बापस लेना चाहता हो तो ले सकता है। परवाने जला देनेसे ही कोई अपराध नहीं होता और जिन्हे जेल जानेका हीसला हो उनका हीसला इतनेहीसे पूरा नहीं होनेका। परवाने जलाकर तो हम महज अपना यह निश्चय प्रकट करते हैं कि हमें खुनी काननके आगे सिर नहीं झूकाना है और परवाना दिखानेमें रखी शक्ति भी अपने पास नहीं रखना चाहते। पर जो आदमी परवाना जलानेकी क्रियामें आज शामिल हो वह अगले ही दिन जाकर नया परवाना निकलवा

ले तो कोई उनका हाथ पकड़नेवाला नहीं। जिसका ऐसा कुकर्म करनेका इरादा हो या जिसे परीक्षाके समय अपनी शक्तिके विपर्यमे अका हो उसके लिए अब भी बक्त है कि अपना परवाना वापस ले ले और वह ले सकता है। इस बक्त अपना परवाना लौटा लेनेवालेके लिए लज्जाका कोई कारण नहीं। मैं तो इसको एक तरहकी हिम्मत ही मानूगा। पर पीछेसे परवानेकी नकल लेनेमे जर्म और जिल्लत है और कौमकी हानि है। इसके सिवा कौमको यह भी समझ रखना चाहिए कि यह लड़ाई लड़ी हो सकती है। हमें यह भी मालूम है कि हमारे कुछ साथी निश्चयसे गिर गये हैं। अतः स्पष्ट है कि कौमकी गाड़ी खीचनेवाले जो वाकी रह गये हैं उन्हे उतना जोर और लगाना होगा। मेरी सलाह है कि इन सारी बातों-को सोच-समझकर ही आप आनेका साहस करें।”

मेरे भाषणके बीचमे ही ये आवाजे तो आ ही रही थी—“हमे परवाने वापस नहीं लेने हैं, उनकी होली जलाइये।” अतमे मैंने कहा कि किसीको प्रस्तावका विरोध करना हो तो वह खड़ा हो जाय। पर कोई खड़ा न हुआ। इस सभामें मीर आलम भी हाजिर था। उसने जाहिर किया कि मुझको मार्क्झर उसने मूल की ओर अपना बसल परवाना जलानेके लिए दिया। ऐन्ड्रियन परवाना तो उसने लिया ही नहीं था। मैंने मीर आलमका हाथ पकड़ा और हृप्यसे द्वाया। मैंने फिर उसे जताया कि मेरे मनमे तुम्हारे प्रति कभी कोई रोष नहीं था। मीर आलमके इस कामसे सामाने हृषकाठिकाना न रहा।

कमेटीके पास दो हजारसे ऊपर परवाने जलानेके लिए आ चुके थे। उनकी गठरी उपर्युक्त कढ़ाईमे झोंककर ऊपरसे मिट्टीका तेल उड़ेल दिया गया और इसप मियांने उसे दिया-सलाह लगा दी। सारी सभा खड़ी हो गई और यह होली जबतक जलती रही तबतक तालियोसे मैदानको गुजा रखा। कुछ

लोगोने अपने परवाने अभीतक अपने पास ही रख छोड़े थे । वे मच्चपर उनकी वर्षा करने लगे । कढाईमे उनकी भी आहुति कर दी गई । होली जलनेसे पहले तक वे क्यों नहीं दिये गए, यह पछनेपर किसीने जवाब दिया कि हमारा ख्याल था कि होली जलते समय देनेमे अधिक शोभा है और दूसरोपर उसका असर भी अधिक होगा । दूसरे कितनोने सरल भावसे स्वीकार किया कि हमारी हिम्मत न होती थी और अतिम क्षणतक यह भी सोचते थे कि शायद परवाने न जलाये जायें । पर यह होली देखकर हमसे रहा न गया । जो गति सबकी होगी वह हमारी भी हो जायगी । इस लडाईमे ऐसी सरल हृदयताके अनुभव हमें अनेक हुए ।

लदनके 'डेली मेल' अखबारके जोहान्सवर्गके सदाददाताने उक्त पत्रको इस सभाका विवरण भेजा । उसमे परवानोकी होली जलानेकी तुलना उस घटनाके साथ की गई जब अमरीकाके अश्रेजोनें विलायतसे भेजी चायकी पेटियोको वॉर्स्टन-वेंडराहमें जलसमाधि दे दी और इंगलैंडके अधीन न रहनेके निश्चयकी घोषणा की । दक्षिण अफ्रीकामे १३००० हिंदुस्तानियोके असहाय समुदायका ट्रासवालके बलवान राज्यसे सामना था । उधर अमरीकामे वहाके हर बातमे कशल लाखो गोरे लिटिया साम्राज्यके बलका सामना कर रहे थे । इन दोनों स्थितियोंकी तुलना करके देखनेपर 'डेलीमेल' के सदाददाताने भारतीयोके विषयमे अतिशयोक्ति की, ऐसा नहीं जान पड़ता । हिंदुस्तानी कौमका हथियार अपने सत्यपर विज्ञाप और भगवान्नके भरुसेके सिवा और कुछ न था । इसमें सद्दह नहीं कि श्रद्धालुके लिए यह वस्त्र सर्वोपरि है । पर जन-समाजमे अभी यह दृष्टि नहीं आई थी और जबतक वह नहीं आती तबतक लिहत्ये १३ हजार हिंदुस्तानी हर हथियारसे लैस अमरीकाके गोरोक सामन तुच्छ ही गिरे जाएंगे, पर

ईश्वर तो निर्बलका ही बल है। इसलिए दुनिया इनको तुच्छ समझे, यह ठीक ही है।

: ४ :

कौमपर नथा सवाल उठानेका आरोप

विधानसभाकी जिस वैठकमे एशियाटिक कानून (दूसरा) पास हुआ उसीमे जनरल स्मट्सने एक और बिल भी पेश किया। उसका नाम था 'इमिप्रदस रिस्ट्रिक्शन एक्ट' यानी नहं वृक्षीपर रोक लगानेवाला कानून। यह कानून सबपर लागू होता था; पर उसका मूल्य उद्देश्य नये आनेवाले हिंदुस्तानियोंको रोकना था। इस कानूनको गढ़नेमे नेटार्लके बैसे ही कानूनका अनुकरण किया गया था। पर इसमे एक दफा यह थी कि जिनपर एशियाटिक कानून लागू होता है वे भी ग्राहितवाद वृक्षीकी व्याख्यामे आ जाएं। अर्थात् परोक्ष रीर्तिसे उस कानूनमे ऐसी युक्ति की गई थी कि एक भी नथा हिंदुस्तानी दूसरावालमे दाखिल न हो सके। इससे लोहा लेना तो कौमके लिए जरूरी था ही, पर उसको सत्याग्रहमे शामिल करें या नहीं, यह सवाल सामने खड़ा हो गया। सत्याग्रह कव और किस विषयमे करे, इस वारेसे कौम किसीके साथ वंधी हुई नहीं थी। उसकी सीमा कौमके बिंबेक और शक्तिसे थी। बात-बातमे कोई सत्याग्रह करे तो वह दुराग्रह होगा। बैसे ही अपनी शक्तिकी नाप-तील किये विना कोई इस शस्त्रका उपयोग करे और पीछे हार लाय तो इसमे भी वह खुद तो कलिक्त होता ही है, इस अविवेकसे इस बेजोड़ हृथियारको भी दूषित करता है।

कमटीने देखा कि हिंदुस्तानी कौमका सत्याग्रह खूनी

कानूनके ही खिलाफ है। वह रद हो जाय तो वस्तीसवंधी कानून (इमिग्रेंट्स रिस्ट्रिक्शन एक्ट) मे छिपा हुआ जहर, जो ऊपर बताया गया है, अपने आप नष्ट हो जायगा। फिर भी अगर यह सोचकर कि खूनी कानून रद हो गया तो वस्तीवाले कानूनके लिए अलगसे चर्चा या आंदोलनकी आवश्यकता न होगी। कौमे चुप बैठी रहें तो यह समझा जायगा कि हिंदुस्तानियोंकी नई वस्तीपर लगाये गये सारे प्रतिवधोंको उसने स्वीकार कर लिया। इसलिए उस कानूनका तो विरोध करना ही होगा। विचार केवल इस बातका करना है कि इस संघर्षको सत्याग्रहमें शामिल करें या नहीं। कौमने सोचा कि सत्याग्रहके दौरानमें ही उसपर कोई नया हमला हो तो इस हमलेको भी सत्याग्रहमें शामिल कर लेना उसका फर्ज होगा। अशक्तिवश वैसा न किया जा सके तो यह जुदी बात है। नेताओंने देखा कि शक्तिके अभाव या न्यनताका बहाना बनाकर हम इस जहरीली दफाकी थूटको पी नहीं सकते, इसलिए उसको भी सत्याग्रहका विषय बना ही लेना चाहिए।

‘अत’ इस विषयमें स्थानीय सरकारके साथ लिखा-पढ़ी आरभ हुई। इससे कानूनमें कोई हेर-फेर तो नहीं हुआ, पर जनरल स्मट्सको उसमे कौमको, सच पृष्ठिये तो मुझको, वदनाम करनेका एक नया औजार मिल गया। वह जानते थे कि जितने गोरे जाहिरा हमारी मदद करते हैं उनसे कही अधिककी हमदर्दी निजी तौरपर हमारे साथ है और वह हमदर्दी नष्ट की जा सकती हो तो उसकी फिकर की जाय। उनका यह सोचना स्वाभाविक ही था। इसलिए उन्होंने मुझपर नया सवाल उठानेका इलजाम लगाया और अपने साथ बातचीतमें तथा लिखकर भी हमारे अग्रेज सहायकोंको बताया—“गांधीको जितना मे पहचानता हू उतना आप लोग नहीं पहचानते। आप उसे एक इच दे तो वह एक हाथ मारेगा।

यह सब मे जानता हू। इसीलिए एशियाटिक कानूनको रद नहीं कर रहा हू। जब उसने सत्याग्रह आरम किया था तब नई वस्तीकी तो कोई बात ही नहीं थी। ट्रासवालकी रक्षाके लिए हम नये हिंदुस्तानियोका आना रोकनेका कानून बना रहे हैं तो यह उसम भी अपना सत्याग्रह चलाना चाहता है। ऐसी चालाकी (कर्निग) कवतक बदाश्त की जा सकती है? उसे जो करना हो करे, भले ही एक-एक हिंदुस्तानी बरवाद हो जाय, मै एशियाटिक कानूनको रद करनेवाला नहीं और ट्रासवाल सरकारने हिंदुस्तानियोके विपद्यमे जो नीति ग्रहण की है उसका भी त्याग नहीं किया जायगा। इस न्यायसंगत नीतिका समर्थन करना हर यूरोपियनका फर्ज है।” >

तनिक-सा विचार करनेसे ही यह देखा जा सकता है कि उपर्यूक्त दलील सोलहो आने गैरवाजिब और नीतिविरुद्ध थी। नई वस्ती रोकनेके कानूनका जब जन्म ही नहीं हुआ था उस बक्त मे या कौम उसका विरोध कैसे कर सकती थी? जनरल स्मट्सने मेरी चालाकीके अनुभवकी बात कही है, पर इसकी एक भी मिसाल वह पेश नहीं कर सके और मै खुद तो जानता हू कि दक्षिण अफ्रीकामे मै इतने बरस रहा उसमे कभी चालाकी बरतनेकी बात मुझे याद ही नहीं आती; बल्कि इस मौकेपर तो मूझे आगे बढ़कर यह कहनेमे भी हिचक नहीं होती कि अपनी सारी जिद्दीमे मैने चालाकीसे कभी काम लिया ही नहीं। मै भानता हू कि चालाकीसे काम लेना नीति-विरुद्ध है। इतना ही नहीं, मै तो उसे युक्तिविरुद्ध भी भानता हूं। इसलिए ब्यवहार-दृष्टिसे भी उसका उपयोग मैने सदा नापसद किया है। अपने बचावमे इतना लिखनेकी भी जरूरत मै नहीं समझता। जिस पाठकवर्गके लिए मै यह लिख रहा हू उसके सामने अपने मुहसे अपनी सफाई देते मुझे शर्म मालूम होती है। मै चालाकीसे रहित हूं इसका अनुभव अगर उन्हे

अबतक न हुआ हो तो अपनी सफाईसे मैं इस विषयको सिद्ध कर ही नहीं सकता । ऊपरके बाक्य लिखनेका हेतु इतना ही है कि सत्याग्रहकी लड़ाई कैसे संकटके दीच लड़ाई जा रही थी इसकी कल्पना पाठकोको हो जाय और वे समझ लें कि कौम नीतिकी पगड़दीसे बाल बराबर भी हट जाती तो लड़ाई कैसे खतरेमें पड़ जाती । बाजीशर जब वीस फुट ऊचे सभेसे लटकाई गई रस्सीपर चलता है तो उसे जैसी एकाग्र दृष्टि रख-कर चलना पड़ता है—तनिक भी निगाह चूके तो दाहिने गिरे या बाये, उसके लिए मौत रखी ही होती है—सत्याग्रहीको उससे भी अधिक एकाग्र दृष्टि रखकर चलना होता है । आठ बरसके लिए कालमे मैंने यह बात सीख ली थी । जिन मित्रोके सामने जनरल स्मट्सने उक्त आरोप लगाया था वे मुझे अच्छी तरह पहचानते थे । अत उनपर जनरल स्मट्स जो चाहते थे उसका उलटा ही असर हुआ । उन्होने मेरा या युद्धका त्याग नहीं किया, बल्कि हमारी सहायता करनेमें अधिक उत्साह दिखाने लगे और कौमने पीछे दूख लिया कि हमने नई वस्तोके कानूनको सत्याग्रहमें जासिल न कर लिया होता तो हम भारी मुसीबतमें पड़ जाते ।

मेरे अनुभवने मुझे सिखाया है कि जिसे मैं बढ़िका नियम कहता हूँ वह हरएक शुद्ध युद्धपर घटित होता है । पर सत्याग्रहक विषयमें तो मैं इस वस्तुको सिद्धातरूपमें मानता हूँ । जैसे गणनादी ज्यो-ज्यों आगे बढ़ती है त्यो-त्यो अनेक नदियाँ आकर उसमें मिलती जाती है और मुहानेपर तो उसका पाट इतना चौड़ा हो जाता है कि दाये-बाये किसी ओर किनारा दिखाई नहीं देता और नावमें बैठे हुए यात्रीको विस्तारमें उसमें और समुद्रमें कोई फक्कं नहीं दिखाई देता । उसी तरह सत्याग्रहकी लड़ाई ज्यो-ज्यो आगे बढ़ती है त्यो-त्यो उससे उत्पन्न होनेवाले परिणाममें वृद्धि होती जाती है । मैं मानता

हूँ कि सत्याग्रहका यह परिणाम अनिवार्य है। उसका कारण उसके मूल तत्त्वमें ही विद्यमान है। कारण कि सत्याग्रहमें कम-से-कम ही अधिक-से-अधिक है। कम-से-कममें कुछ घटाना तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इससे पीछे हटा ही नहीं जा सकता और स्वाभाविक क्रिया वृद्धिकी ही हो सकती है। दूसरी लडाइया शुद्ध हों तो भी मागमे कमीकी गुंजाइश शुरूसे ही रखी जाती है। इससे वृद्धिका नियम उनपर निरपवाद-रूपसे घटित हो सकता है। इस दिपयमे मैंने शका प्रकट की। पर जब कम-से-कम अधिक-से-अधिक ही हो तब वृद्धिका नियम कैसे घटित होता है, यह बात मुझे समझानी होगी। जैसे गंगा वृद्धिकी स्रोतमे अपनी गति छोड़ती नहीं, वैसे ही सत्याग्रही भी अपनी तलबारकी धार-सरीखा रास्ता नहीं छोड़ता। पर जैसे गगाकी धारा ज्यो-ज्यो बढ़ती जाती है त्यो-त्यों दूसरी नदिया अपने आप आकर उसमे मिलती जाती है, वही बात सत्याग्रही गगाकी भी है।

वस्तीका कानून सत्याग्रहके विषयमे शामिल कर लिया गया तो यह देखकर सत्याग्रहका सिद्धात न जाननेवाले हिन्दू-स्तानियोने आग्रह किया कि द्रांसवालके भारतीय विरोधी सभी कानून उनमे ले लिये जाए। इसरे कितने लोगोंने कहा कि जबतक लड़ाई चल रही है, नेटाल, केप कालोनी, आरेंज फी स्टेट इन सद्वको निर्मनित करके दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोके विरोधी हरएक कानूनके विशद्ध सत्याग्रह छेड़ दिया जाय। इन दोनो वातोंमें सिद्धात भग था। मैंने साफ बता दिया कि जो स्थिरति सत्याग्रह आरंभ होनेके समय हमने नहीं ग्रहण की थी वह अब मौका देखकर ग्रहण कर लें तो यह इंमानदारीके खिलाफ होगा। हमारी जक्ति कितनी ही क्यों न हो, यह सत्याग्रह जिन मामोके लिए किया गया है उन मामोके पूरी हो जानेपर वह समाप्त होना ही चाहिए। मेरा

दृढ़ विश्वास है कि इस सिद्धातपर हम दृढ़ न रहते तो जीतके बदले हमारी हार हुई होती। इतना ही नहीं, जो हमदर्दी हम पा सके वह भी गंवा बैठते। इसके विपरीत जब सत्याग्रह चल रहा हो उस वक्त प्रतिपक्षी खुद नई अड़चने पैदा करता है तो वे अपने आप सत्याग्रहमें शामिल हो जाती हैं। सत्याग्रही जब अपनी दिशामें चला जा रहा हो उस वक्त जो चीजें उसके रास्तेमें आकर मिलती जाएं उनकी उपेक्षा वह अपने सत्याग्रहका त्याग किये विना कर ही नहीं सकता। और प्रतिपक्षी तो सत्याग्रही होता ही नहीं। सत्याग्रहके विस्तृत सत्याग्रह करना असभव है। इसलिए न्यूनतम और अधिकातमका वधन उसको होता ही नहीं। वह कोई नई वात खड़ी करके सत्याग्रहीको डराना चाहे तो डरा सकता है, पर सत्याग्रही तो भयसे मुक्त हो चुका होता है। इसलिए प्रतिपक्षी नई आपत्तियां खड़ी करे तो उनके सामने भी वह अपना मंत्रोच्चार करता है और यह विश्वास रखता है कि उसकी राहमें आनेवाली सभी वाधाओंके सामने यह मंत्रोच्चार अवश्य फलदायी होगा। इसीसे सत्याग्रह ज्यो-ज्यो लंबा होता है, यानी प्रतिपक्षी उसे ज्यो-ज्यो लंबा करता है, त्यों-त्यों उसकी अपनी दृष्टिसे तो वह गाठकी पूजी ही गवाता है और सत्याग्रहीका अधिकाविक लाभ होता है। इस नियमकी चरितार्थताके दूसरे दृष्टांत हमे इस युद्धके इतिहासमें मिलेगे।

: ५ :

सोराबजी शापुरजी अडाजनिया

जब नई वस्तीका सवाल—इमिग्रेशन एकट भी लडाईके विषयमें जामिल कर लिया गया तब सत्याग्रहियोंके लिए इस अधिकारकी परीक्षा कर लेना भी जरूरी हो गया। कमटीने

तथ किया था कि चाहे जिस भारतीयके जरिये यह परीक्षा नहीं कराई जायगी । खयाल यह था कि ऐसे आदमीको द्रांस-वालमे दाखिल कराके जेल-महलमे बैठा दें जो नई वस्तीके कानूनकी उन दूसरी शर्तोंको पूरा करता हो जिनसे हमारा कुछ भी विरोध नहीं है । इससे हमें यह सावित करना था कि सत्याग्रह मर्यादा-बर्मं है । इस कानूनमे एक दफा इस आशयकी थी कि नये आनेवालेको यूरोपकी किसी एक भाषाका ज्ञान होना ही चाहिए । इसलिए कमेटीने अग्रेजी जानेवाले ऐसे हिन्दुस्तानीको दाखिल करानेकी बात सोची थी जो द्रांसवालमे पहले रह चुका हो । कितने ही हिन्दुस्तानी नौजवानोंने इस परीक्षाके लिए अपने आपको पेश किया । पर उनमेंसे सोरावजी शापुरजी अडाजनियाकु नाम बतार क्सेटीके स्वीकार किया गया ।

तामसे ही पाठक समझ लेंगे कि सोरावजी पारसी थे । सारे दक्षिण अफ्रीकामे पारसियोंकी सूख्या सौ से ऊपर नहीं होगी । पारसियोंके बारेमे जो मत मैंने हिन्दुस्तानमे प्रकट किया है, दक्षिण अफ्रीकामे भी मेरा वही मत था । सारी दुनियामे कुल मिलाकर एक लाखसे अधिक पारसी न होंगे । इतनी छोटी-सी जाति अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा कर रही है । अपने बर्मंपर दृढ़तासे आरूढ़ है और दानवीलतामें दुनियाकी कोई भी कौम उसकी बराबरी नहीं कर सकती । इतनी ही बात इस जातिकी उत्तमताका प्रमाणपत्र है । उनमे भी सोरावजी तो काम पहने-पर रस्त निकले । जब वह लड़ाईमे शामिल हुए उस बैंकत मैं उनको कुछ यो ही मामूली-सा जानता था । लड़ाईमे शामिल होनेके विपर्यमे उन्होंने जो पत्र लिखे थे उन्होंने मुझपर अच्छा असर डाला था । मैं जैसे पारसियोंके गुणोंका पुजारी हूँ वैमे ही जातिरूपमे उनमें जो अनेक खामियां हैं उनसे भी अनजान नहीं था और न हूँ । इसलिए सच्ची परीक्षाका अवसर आनेपर

सोराबजी टिक सकेगे या नहीं, इस विषयमें मेरे मनमें शंका थी। पर विपक्षी इसके विरुद्ध बात कहता हो तो अपने शक्ति-शुब्दहेपर अमल न करना मेरा नियम था। इसलिए मैंने तो कमटीसे यही सिफारिश की कि सोराबजीने अपने पत्रोमें जो दृढ़ता दिखाइ है उसको पक्की मान ले। और अतमें तो सोराबजी प्रथम श्रेणीके सत्याग्रही सिद्ध हुए। जिन सत्याग्रहियोंने लंबी-सेलबी कैदे भुगती उनमें वह भी थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस युद्धका इतना गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि वह जो कुछ कहें उस सबको ध्यानसे सुनना पड़ता। उनकी सलाहमें सदा दृढ़ता, विवेक, उदारता, शार्ति आदिकी झलक रहती। राय कायम करनेमें वह जलदबाजी न करते और जो कायम कर ली उसे बदलते भी नहीं। उनमें जितना पारसीपन था—और वह भरपूर था—उतना ही हिंदुस्तानीपन भी था। सकृचित जाति-अभिमानकी तो उनमें कभी गध भी नहीं मिली। यद्युप समाप्त होनेके बाद डाक्टर मेहताने अच्छे सत्याग्रहियोंमेंसे किसीको विलायत भेजकर बैरिस्टर बनवानेके लिये छानवृत्ति दी थी। इसका चुनाव मुझीको करना था। दो-तीन योग्य भारतीय थे, पर सारी मित्रमठलीकी रायमें कोइं दूसरा आदमी नहीं था जो विचारकी प्रौढ़ता और समझदारीमें सोराबजीकी बराबरी कर सके। अतः वही चुने गये। ऐसे एक हिंदुस्तानीको विलायत भेजनेमें उद्देश्य यह था कि वह वापस आकर सेरो ज़गह ले जाओ और कीमुकी सेवा करें। कौमका आशीर्वाद और सम्मान लेकर सोराबजी विलायत गये और बैरिस्टर बने। गोखलेसे उनका सपर्क तो दक्षिण अफ्रीकामें ही हो गया था। विलायतमें वह अधिक निकटका हो गया। उनका मन सोराबजीने हर लिया। उन्होंने सोराबजीसे यह आश्रह भी किया कि हिंदुस्तान लौटने-पर भारत सेवक समिति (सरवेटस् आव इंडिया सोसायटी)में शामिल हो जाओ। विद्यार्थीवर्गमें सोराबजी अतिशय प्रिय

हो गये थे । वह हरएक दुःख-दर्दमें शरीक होते । विलायतके ठाट-बाट और विलासिताका उनके मनपरतनिक भी असर न हुआ । जब वह विलायत गये, उनकी उम्र ३० से ऊपर थी । उनका अंग्रेजीका अभ्यास लंबे दरजेका नहीं था । व्याकरण आदि भूलभाल गये थे; पर मनुष्यके अध्य-व्यायामके सामने ऐसी कठिनाइयां टिक नहीं सकती । सोराबजी-ने शुद्ध विद्यार्थी-जीवन बिताया और परीक्षाओंमें पास होते गये । मेरे जमानेकी बैरिस्टरीकी परीक्षा आजकी तूलनामें आसान थी । अब तो बैरिस्टर बननेवालेको तबस बहुत अधिक पढ़ना पड़ता है; पर सोराबजीने हार न मानी । विलायतमें जब 'ऐम्बुलेस कोर' (युद्धमें सेवा-कार्य करनेवाला दस्ता) बनातो जो लोग इसमें बगुआ बने उनमें वह भी थे और अंततक उसमें बने रहे । इस दस्तेको भी सत्याग्रह करना पड़ा था । सदस्योंमें सबहतेरे गिर गये । जिनके पांच अचल रहे उनमें सोराबजी सबसे आगे थे । यहाँ वह भी बता दूँ कि इस दस्तेके सत्याग्रहमें भी हमें जय ही मिली थी ।

विलायतसे बैरिस्टरी पास कर लेनेके बाद सोराबजी जोहान्सबर्ग लौटे । वहाँ उन्होंने सेवा और वकालत दोनों साथ-साथ शुरू कर दीं । दक्षिण अफ्रीकासे मुझे जो चिट्ठियां मिली उनमें सभी सोराबजीकी तारीफ करते थे—“वह पहले जैसे सीधे-साधे थे वैसे ही अब भी हैं । आडंबर नामको नहीं । छोटे-बड़े सबके साथ हिले-मिले रहते हैं ।” पर हँसवर जैसा दयालू दिखाई देता है वैसा ही निर्दय भी लगता है । सोराबजीको त्रिप्रकाश (गैलर्पिंग थाइसिस) हुआ और कुछ महीनोंमें वह कौमका नया प्रेम संपादन करके और उसे रोती छोड़कर चल दसे । इस तरह हँसवरने थोड़े ही समयके बीच कौमसे दो पुश्परत्न छीन लिये । काल्पिका और सोराबजी ! चुनाव करना हो तो मेरे इन दोनोंमेंसे किसे प्रथम पद दे सकता हूँ ?

मेरे इनमे चुनाव कर ही नहीं सकता। दोनों अपने-अपने क्षेत्रमें बेजोड़ थे। जैसे काछलिया जितने शुद्ध मुसलमान थे उतने ही शुद्ध भारतीय थे, वैसे ही सोरावजी भी जितने सच्चे पारसी थे उतने ही सच्चे हिंदुस्तानी थे।

यहीं सोरावजी सरकारको पहलेसे नोटिस देकर आजमाइशके लिए ट्रांसवालमे दाखिल हुए। सरकार हस्त कदमके लिए विलकुल तैयार न थी। इससे सोरावजीके साथ क्या कारंबाईं की जाय इसका तुरत निश्चय न कर सकी। सोरावजीने खुले तौरपर सरहद लाधी और ट्रांसवालमे दाखिल हुए। सरहदपर परवानोकी जांच करनेवाला अफसर उन्हें जानता था। सोरावजीने उससे कहा, “मेरे ट्रांसवालमे जान-बम्फकर अपने अधिकारकी परीक्षाके लिए प्रवेश कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी अग्रेजीकी परीक्षा लेनी हो तो लो और गिरफ्तार करना हो तो कर लो।” अधिकारीने जवाब दिया—“मुझे मालम है कि आप अग्रेजी जानते हैं, इसलिए यह परीक्षा मुझे लेनेकी जरूरत ही नहीं। आपको गिरफ्तार करनेका मुझे हृक्षम नहीं। इसलिए आप खुशीसे जाए। जहां जायगे वहां सरकारको आपको गिरफ्तार करना होगा तो करेगी।”

इस प्रकार अनसोची रीतिसे सोरावजी जोहान्सवर्ग तक पहुँच गये। हम सबने उनका हृषके संथ स्वागत किया। किसीको यह आशा नहीं थी कि सरकार ट्रांसवालके सरहदी स्टेशन बोक्सरेस्टसे उनको एक कदम भी आगे न बढ़ने देगी। अकसर ऐसा होता है कि जब हम अपना कदम सोच-समझकर और निर्भय होकर तुरत उठाते हैं तो सरकार उसका सामना करनेको तैयार नहीं होती। हरएक सरकारका यह स्वभाव भाना जा सकता है। सामान्य आदोलनोमें सरकारका कोई भी अधिकारी अपने महकमेको इतना अपना नहीं लेता कि हर मामलेमें पहलेसे विचार स्थिर और व्यवस्थित कर

रक्षे और तदनुसार तैयारी भी । फिर अधिकारीका एक ही काम नहीं होता, बल्कि उनेक काम होते हैं जिनमें उसका ध्यान बट जाता है । इसके सिवा अधिकारीको अधिकारका मद होता है जिससे वह बेफिक रहता है और मान लेता है कि कैसा ही आदोलन हो उसका उपाय कर लेना सत्ताधीश के बाएं हाथका खेल है । इसके विपरीत आदोलन करनेवाला अपना ध्येय जानता हो, उसके साधनको जानता हो और अपनी योजनाके वारेमें उसका मन पक्का हो तो वह तो पूरी तरह तैयार होता है और उसे एक ही कामका विचार रात-दिन करना होता है । इसलिए अगर वह सही कदम पक्के तौरपर उठा सके तो वह सरकारसे सदा आगे ही रहता है । बहुतसे आदोलन जो विफल हो जाते हैं उसका कारण सरकारकी अभासान्ध शक्ति नहीं, बल्कि संचालकोंके ये ऊपर बताये हुए गुणोंका अभाव होता है ।

साराज, सरकारकी गफलतके कारण या जान-बूझकर की हुई वैसी योजनाके कारण सोरावजी जोहान्सवर्गतक पहुँच सके और उनके जैसे मामलेमें अधिकारीका क्या कर्तव्य है, इसकी कल्पना स्थानीय अधिकारीको न थी और न इस विपर्यमें बड़े अफसररका आदेश मिला था । सोरावजीके इस तरह आनेसे कौमके उत्साहमें बहुत वृद्धि हुई । कछ नौजवानोंको तो ऐसा जान पड़ा कि सरकार हार गई और जल्दी ही समझौता कर लेगी । वैसा कुछ नहीं था, यह उन्होंने तूरत ही देख लिया; बल्कि उन्होंने यह भी देखा कि समझौता होनेके पहले गायद बहुतरे युवकोंको आत्मवलि देनी होगी ।

सोरावजीने अपने जोहान्सवर्ग आनेकी सूचना घृणके पलिस-सुपरिटेंडेटको दी और उसके साथ यह भी लिखा कि नई वस्तीके कानूनके अनुसार में अपने आपको टांसवालमें रहनेका हकदार मानता हूँ, इसलिए कि मुझे अग्रेजी भाषाका

सामान्य ज्ञान है और स्थानीय अधिकारी इसकी परीक्षा लेना चाहे तो देनेको तैयार हूँ। इस पत्रका उन्हें कोई जवाब न मिला था। कछु दिन बाद उसका जवाब समनके रूपमें मिला।

अदालतमें मुकदमा चला। १९०८ की ८ वीं जुलाईको उसकी सुनवाई हुई। अदालतका कमरा भारतीय दशंकोसे भर गया था। मुकदमा शुरू होनेके पहले अदालतके अहातेमें उपस्थित भारतीयोंको इकट्ठा करके तात्कालिक सभा की गई। सोरावजीने उसमें जोशीला भाषण दिया। उसमें यह प्रतीक्षा की कि जबतक हमारी विजय न हो तबतक जितनी बार जेल जाना पड़े उतनी बार जानेको तैयार रहूगा और चाहे जो संकट आये उसे सहन करूँगा। यह अरसा इतना लवा था कि इस बीच मैंने सोरावजीको अच्छी तरह पहचान लिया था और समझ गया था कि वह अवश्य सच्चे रत्न निकलेंगे। मुकदमा पेश हुआ। मैं वकीलकी हैसियतसे खड़ा हुआ। समनमें कई दोष थे। उन दोषोंके कारण मैंने सोरावजीके विशद्ध निकाले हुए, समनको रद कर देनेकी मांग की। सरकारी वकीलने जवाबमें दलील पेश की; पर अदालतने अगले दिन मेरी दलीलको मान कर समन रद कर दिया और सोरावजीको रिहा कर दिया। कौम खुशीसे पागल हो गई और कह सकते हैं कि उसके पागल हो जानेका कारण भी था। हँसरा समन निकाल कर फैरन ही सोरावजी पर पुनः मुकदमा चलानेकी हिम्मत तो सरकार को किस तरह हो सकती थी? और हुआ भी यही। इसलिए सोरावजी सार्वजनिक कामोंमें लग गये।

पर यह छुटकारा सदाके लिए नहीं था। सोरावजीको तरंत चेतावनी मिली कि १० जुलाईको फिर अदालतमें हाँजिर हो। उस दिन मजिस्ट्रेटने उन्हे सात दिनके बदर दासबाल छोड़ देनेका हुक्म दिया। अदालतका हुक्म तामील हो जानेके बाद सोरावजीने पुलिस-सुपरिटेंडेंट मिं. वरनोनको सूचना दी कि

मेरा द्वांसवालसे चले जानेका इरादा नहीं है। इसपर २० जुलाईको वह फिर अदालतके सामने लाये गये और मजिस्ट्रेटकी आज्ञा न भाननेके जूममें उन्हें एक महीनेकी कड़ी कैदकी सजा दी गई।

परस्थानीय हिंदुस्तानियोंको सरकार गिरफ्तार ही नहीं करती थी। उसने देखा कि गिरफ्तारियाँ जितनी ज्यादा होंगी हिंदुस्तानियोंका जोश उतना ही बढ़ता जायगा। फिर किसी मुकदमेमें किसी-न-किसी कानूनी बारीकीके कारण भारतीय अभियुक्त छट जाता था तो इससे भी जोश बढ़ता। सरकारको जो कानून बनाने थे वे सब पास कर चुकी थीं। वहुतसे हिंदुस्तानियोंने अपने परवाने जला जरूर ढाले थे; पर उन्होंने परवाने लेकर द्वासवालमें रहनेका अपना हक्क तो साधित कर ही दिया था। अत. उन्हें जेल भेजनेके लिए ही उनपर मुकदमा चलानेमें सरकारको कोई फायदा नहीं दिखाई दिया और उसने वह भी सोचा कि वह खामोश रहेगी तो आदोलन करनेवाले आदोलनका कोई दरबाजा खूला न रहनेके कारण अपने आप शांत हो जायगे। पर सरकारका यह हिसाब गलत था। कौमने उसकी चुप्पी तोड़नेके लिए ऐसा नया कदम उठाया कि वह टूटकर ही रही और सोराबजी पर फिर मुकदमा चलाना पड़ा।

: ६ :

सेठ दाऊद मुहम्मद आदिका लड़ाईमें

शामिल होना

कौमने जब देखा कि सरकार खुद कुछ न करके उसको थका देना चाहती है तब दूसरा कदम उठाना उसके लिए जरूरी हो गया। सत्याग्रहीमें जबतक कष्ट सहन करनेकी शक्ति हो

तबतक वह थकता ही नहीं। इसलिए कोई सरकारकी धारणाको गलत साबित कर देनेमे समर्थ थी।

नेटालमे अनेक ऐसे हिंदुस्तानी बसते थे जिन्हे द्रासवालमें बसनेका पराना हक था। उन्हें व्यापारके लिए द्रासवालमें दाखिल होनेकी आवश्यकता नहीं थी। पर कोई मानती थी कि उन्हें यहाँ आनेका हक है। फिर वे थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो जानते ही थे। इसके सिवा सोरावजी जितनी शिक्षा पाये हुए भारतीयोंके प्रवेशसे तो सत्याग्रहके नियमका किसी तरह भग होता ही नहीं था। अतः हमने दो तरहके हिंदुस्तानियोंको दाखिल करनेका निश्चय किया : एक तो वे जो पहले द्रासवालमें रह चके थे, दूसरे वे जिन्होने खास तौरसे अंग्रेजी पढ़ी हो, यानी जो शिक्षित कहे जाते हों।

इनमें सेठ दाऊद मुहम्मद और पारसी रस्तमजी ये दो वडे व्यापारियोंमेंसे थे और सरन्द्रराय मठे, प्रागजी खंडूभाई देसाई, हरिलाल गाधी, रतनशीं सोढा आदि शिक्षित जनोंमेंसे थे।

सेठ दाऊद मुहम्मदका परिचय पाठकोंको करा दूँ। ये नेटाल डिडियन काग्नेसके अध्यक्ष थे और उन भारतीय व्यापारियोंमें थे जो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीकामें पहुंचे थे। वह सरतके सुनी जमातके बोहरा थे। दक्षिण अफ्रीकामें मुझे ऐसे थोड़े ही हिंदुस्तानी मिले जो चतुराईमे उनकी वरावरी कर सकें। उनकी समझनेकी जिक्र बहुत अच्छी थी। अक्षरज्ञान थोड़ा ही था, पर अभ्याससे अंग्रेजी और डच अच्छी बोल लेते थे। यूरोपियन व्यापारियोंके साथ अपना काम मजेसे चला लेते थे। उनकी दानशीलता विख्यात थी। उनके यहा नित्य कोई ५० मेहमानोंका खाना तो होता ही था, कोई चन्दोमें उनका नाम मुखियाओंमे होता। उनके एक बेटा था जो अमूल्य रत्न था। वह चारित्र्यमे वापसे बहुत बढ़ा-चढ़ा था। उसका हृदय स्फटिक मणिके समान था। इस बेटेके चारित्र्य-वेगको दाऊद सेठने कभी रोका

नहीं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि वह अपने पुत्रको पूजते थे। वह चाहते थे कि उनका एक भी दोष हुसेनमें न हो। उन्होंने उसे विलायत भेजकर अच्छी शिक्षा दिलाई थी, पर सेठ दाउद इस रत्नको भरी जवानीमें खो बैठे। कथ रोगने हुसेनको पकड़ा और उसका प्राण हर लिया। यह थाव कभी भरा नहीं। हुसेनके साथ हिंदुस्तानी कौमकी बड़ी-बड़ी आशाएं भी ढूँढ़ गईं। हुसेनके लिए हिंदू-मुसलमान दाँड़-बाँड़ आखे थे। उसका सत्य तेजस्वी था। आज दाउद सेठ भी इस लोकमें नहीं है। काल कव किसीको छोड़ता है?

पारसी स्तरमजीका परिचय मैं करा चुका हूँ। शिक्षित भारतीयोंमें से अधिकांशको पाठक जानते हैं। यह प्रकरण मैं विना कोई पुस्तकादि अपने सामने रखे लिख रहा हूँ। इस कारण कुछ नाम छूट गये होंगे। वे भाँई मुझे इसके लिए भाफ़ करेंगे। ये प्रकरण नाम अमर करनेके लिए नहीं लिखे जा रहे हैं; बल्कि सत्याग्रहका रहस्य समझाने और यह बतानेके लिए लिखे जा रहे हैं कि उसकी विजय कैसे हुई। उसमें कैसे-कैसे विघ्न आये और वे किस तरह दूर किये जा सके। जहाँ-जहाँ नामों और उन नामोंको धारण करनेवालोंकी चर्चा भी है वहा भी उहेक्षण यही है कि पाठक जान लें कि दक्षिण अफ्रीकामें अपठ कहलानेवालोंने कैसा पराक्रम किया। हिंदू, मुसलमान, पारसी, इंसाई-आदि कैसे साथ मिल सके और कैसे व्यापारियों, शिक्षितवर्ग आदिने अपने कर्तव्यका पालन किया। जहाँ गुणीका परिचय दिया है वहाँ उसका नहीं, उसके गुणका स्तब्धन किया है।

इस प्रकार जब दाउद सेठ अपनी सत्याग्रही सेना लेकर ट्रांस-वालकी सरहदपर पहुँचे तब सरकार उनका सामना करनेको तैयार थी। वह इतने बड़े दलको ट्रांसवालमें प्रवेश करने देती तो उसकी हँसी होती, इसलिए उन्हे गिरफ्तार करनेसे ही छुटकाराथा। वे पकड़ लिये गये। मुकदमा चला। १८ अगस्त १९०८को

मजिस्ट्रेटने उन्हें सात दिनके अदर ट्रांसवालकी सरहदसे बाहर हो जानेका हुक्म दिया । उन्होंने आज्ञाका ड्रलंबन किया और २८ अगस्तको मिटोरियमें किर गिरफ्तार किये गये और विना भुकदमा चलाये ही देशसे निकाल दिये गये । ३१ तारीखको वे फिर ट्रांसवालकी सीमामें दाखिल हुए और अंतमें ८ सितंबरको बोक्सरस्टमें उन्हे ५० पौँडके जुमर्नि या तीन महीनेकी कडी कैदकी सजा सुनाई गई । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उन्होंने खुशीसे जेल जाना पसंद किया ।

कौमका जोग बढ़ा । ट्रांसवालके भारतीय नेटालसे उनकी मददको आये हुए अपने भाइयोको छुड़ा न सके तो जेलमें उनका साथ तो उन्हे देना ही चाहिए । इस विचारसे ट्रांसवालके भारतीय भी जेलकी राह ढूँढ़ने लगे । उनकी गिरफ्तारीके कितने ही रास्ते थे । ट्रांसवालमें वसनेवाला हिंदुस्तानी परवाना न दिखाये तो उसे व्यापारका परवाना न मिलेगा और परवानेके विना व्यापार करे तो अपराधी माना जाता । नेटालसे ट्रांसवालकी सरहदमें दाखिल होना हो तो भी परवाना दिखाना जरूरी था । न दिखानेवाला गिरफ्तार कर लिया जाता । परवाने तो जला डाले गये थे, इसलिए रास्ता साफ था । दोनो रास्ते पकड़े गये । कुछ लोग विना परवाना दिखाये फेरी करने लगे और कुछ ट्रांसवालकी सरहदमें दाखिल होते समय परवाना न दिखाकर गिरफ्तार होने लगे ।

अब यद्धका रंग जमा । सबकी परीक्षा होने लगी, नेटालसे और भारतीय आये । जोहान्सबर्गमें भी घर-पकड़ शुरू हुई । स्थिति यह हो गई कि जो चाहे वह गिरफ्तार हो सकता था । जेलखाने भरे जाने लगे । नेटालसे आये हुए आक्रमणकारियोको तीन-तीन महीनेकी सजा मिली, ट्रांसवालके फेरीवालोको चार दिनसे लगाकर तीन महीनेतककी ।

जो लोग इस तरह गिरफ्तार हुए उनमें हमारे इमाम

साहब इमाम अब्दुलकादिर वावजीर भी थे। वह फेरी करके गिरफ्तार हुए थे। उनकी सजाकी गुरुआत चार दिनकी कड़ी कैदसे हुई। उनका शरीर इतना नाजुक था कि लोग उनके जेल आनेकी बात सुनकर हँसते थे। कुछ लोग आकर मुझसे कहते कि भाईं, इमाम साहबको न लो तो यच्छा है। वह कौमको लज्जित करेगे। मैंने इस चेतावनीको अनसुनी किया। इमाम साहबकी शक्तिकी नाप-तौल करनेवाला मैं कौन होता था? इमाम साहब कभी नगे पांव न चलते, जौकीन थे, मलायी स्त्रीसे व्याह किया था, घर सजा हुआ रखते और घोड़े-गाड़ीके बिना कही नहीं जाते थे। यह सब सच था, पर उनके मनको कौन जान सकता था? चार दिनकी सजा भुगत कर रिहा होनेके बाद इमाम साहब फिर जेल गये। वहाँ आदर्श कैदीके रूपमे रहे, कही मशक्कत करके भोजन करते और जिसे नित्य नयी चीजे खानेकी आदत थी वह मर्कर्के आटेकी लप्सी खाकर खुदाका शुक्र बजा लाता। इन कष्टोंसे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी; वल्कि सादगी अस्तियारकी। कैदीकी हैसियतसे उन्होंने पच्चर तोड़े, फाड़ लगाई, कैदियोंकी पातमें लड़े रहे। अंतमे फिनिक्समे पहुंचकर पानी भरने और अक्षर जोड़ने (कंपोज करने)का काम भी किया। फिनिक्स-आश्रममे रहनेवालेके लिए अक्षर जोड़नेकी कला सीख लेना जरूरी था। इमाम साहबने इस कार्यको यथाशक्ति सीख लिया था। मेरे इमाम साहब इन दिनों हिंदुस्नानमें अपना भाग अपेण कर रहे हैं।

पर ऐसे तो वहुतरे इस जैलमें गढ़ हो गये।

जोसफ रायपेन बैरिस्टर, कैम्ब्रिजके ग्रेजूएट, नेटालमें गिरमिटिए मा-वापके घर जान्मे थे, पर साहब लोग बन गये थे। वह तो घरमे भी बूटके बिना एक कदम भी नहीं चलते थे। इमाम साहबके लिए बजू करते समय पैर धोना जरूरी था। नमाज नगे

पाव करनी चाहिए थी। बेचारे रॉयपेनको तो इतना भी नहीं करना था। उन्होने बैरिस्टरीसे छुट्टी लेकर साग-तरकारीकी टोकरी बगलमे दबाई और फेरी करके गिरफ्तार हो गये। उन्होने भी जेल भुगती। रॉयपेनने मुझसे पूछा—“पर मुझे तीसरे दरजे में सफर करना चाहिए ?” मैंने जवाब दिया—“अगर आप पहले या दूसरे दरजे में सफर करेंगे तो मैं किसको तीसरे दरजे में बैठाऊंगा ? जेलमें आपको बैरिस्टरके रूपमें कौन पहचानेगा ?” जोसफ रॉयपेनके लिए यह जवाब काफी था। वह भी जेलमें चले गये।

सोलह बरसके नौजवान तो कितने ही जेलमें पहुंचे थे। मोहनलाल मानजी घेलानी तो चौदह ही बरसका था। जेलमें अधिकारियोंने हमें सतानेमें कूछ उठा नहीं रखा। पाखाने साफ कराये। हिंदुस्तानी कैदियोंने उन्हे हँसते-हँसते साफ किया। पत्थर तुडवाये और अल्ला या रामका नाम लेकर सत्याग्रहियोंने उन्हे तोडा। तालाब खुदवाये, पथरीली जमीन खुदवाई। उनकी हथेलियोंमें छाले पड़ गये, कोई-कोई असह्य कष्टसे भूछित भी हो गये; पर किसीने हिम्मत नहीं हारी।

कोई यह न समझे कि जेलमें आपसमें झगड़े या ईर्ष्या द्वेष नहीं होता था। ज्यादा जोरकी तकरार तो खानेको लेकर होती है; पर हम उससे भी उबर गये।

मैं भी दूसरी बार गिरफ्तार हुआ। बोक्सरस्टके जेल-खानेमें एक बक्त हम लगभग ७५ हिंदुस्तानी कैदी इकट्ठे हो गये थे। अपनी रसोई हमने अपने हाथमें ले ली। झगड़ेका बचाव मेरे ही हाथों हो सकता था, इससे मैं ही रसोइया बना। मेरे साथी प्रेमके बश मेरे हाथकी बनी कच्ची-पक्की, बिना गुड़-शक्करकी पतली लप्सी पी लेते थे। सरकारने सोचा कि मुझे और कैदियोंसे अलग कर दे

तो मैं भी जरा बाँच खा जाऊँ और दूसरे कैदी भी हीले हो जाएँ; पर इसका उसे कोई बढ़िया मौका नहीं मिला।

मुझे प्रिटोरियाकी जेलमें ले गये। यहाँ मैं तनहाई-वाली कोठरीमें रखा गया, जिसमें केवल स्तरनाक कैदी रखे जाते हैं। सिफ़ दो बार कसरत करानेके लिए बाहर निकाला जाता। बोक्सरस्टमें हमे भी दिया जाता था, यहाँ वह भी नदारद। इस जेलके गौण कष्टोंके बर्णनमें मैं नहीं उलझना चाहता। जिसको उसकी जिज्ञासा हो वह 'देक्षिण अफ्रीकाके जेलके मेरे अनुभव' पुस्तक पढ़ ले।

इतनेपर भी हिंदुस्तानियोंने हार नहीं मानी। सरकार सोच-विचारमें पड़ी। जेलमें कितने हिंदुस्तानियोंको भरे? इससे उलटा सर्व बढ़ता था। अब वह क्या करे?

: ७ : *

देशनिकाला

खुनी काननमें तीन तरहकी सजाएं रखी गई थी: जुर्माना, कैद और देशनिकाला। अदालतको तीनों सजाएं एक साथ देनेका अधिकार था और यह अधिकार छोटे-छोटे मजिस्ट्रेटों-को भी दे दिया गया था। पहले तो देशनिकालेके मानो ऐ अपराधीको ट्रासवालकी हदसे बाहर नेटाल, फ़ी स्टेट या डेलागोआ वे (पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका) की हदमें ले जाकर छोड़ देना। उदाहरणार्थ नेटालकी तरफसे आधे हुए भारतीयोंको बोक्सरस्ट स्टेशनकी हदसे बाहर ले जाकर छोड़ देते थे। इस तरहके देशनिकालेमें योड़ी-सी तकलीफ़के सिवा और कोई नक्सान न था। यह दंड तो केवल स्त्रिलवाड़ था। हिंदुस्तानियोंमें इससे उलटा और ज्यादा जोश आता था।

अत. स्थानीय सरकारको हिंदुस्तानियोको हेरान करनेकी नई तरकीब सोचनी पड़ी । जेलमे जगह रह नहीं गई थी । सरकारने सोचा कि हिंदुस्तानियोको अगर हिंदुस्तानतक पहुचा सके तो वे जरूर डरकर हमारी शरण आयंगे । इसमे कुछ सचाई जरूर थी । इस प्रकार एक बडे जट्येको सरकारने हिंदुस्तान भेजा । इन निर्वासितोंको बहुत कष्ट सहने पडे । खानेपीनेको भी जो सरकार दे वही मिलता, यानी भारी कष्ट था । सब डेकमे ही भेजे गए, फिर इस तरह निर्वासित होनेवालोंके पास अपनी जमीन होती, दूसरी मिल्कियत होती । अपना धधा-रोजगार होता, अपने आश्रित बाल-बच्चे होते, कुछके सिरपर कर्ज भी होता । शक्ति होते यह सब गंवाने, दिवालिया बननेको तैयार होनेवाले लोग अधिक नहीं हो सकते थे ।

यह सब होतेहुए भी बहुतसे भारतीय अपने निश्चयपर अटल रहे । बहुतेरे ढीले भी पड़ गये, पर उन्होने इतना ही किया कि अपने आपको जान-बम्भकर गिरफतार नहीं कराया । उनमेसे अधिकांशने इतनी कमज़ोरी नहीं दिखाई कि जलए हुए परवानोको फिरसे निकलवा ले; पर कुछते डरकर फिरसे परवाने ले लिए ।

फिर भी जो लोग दृढ़ रहे उनकी संख्या नगण्य नहीं थी । उनकी बहादुरीकी हृद न थी । मेरा विश्वास है कि उनमें किलने ही ऐसे थे जो हँसते-हँसते फासीके तस्तेपर चढ़ जाते । माल-जायदादकी चिता तो उन्होने छोड़ ही दी थी; पर जो हिंदुस्तान भेज दिये गये उनमें बहुतेरे गरीब और सीधे-सादे आदमी थे । वे केवल विश्वासके बलपर ही लडाईमें शामिल हुए थे । उनपर इतना जुल्म होना असह्य लगा । उनकी मदद भी कैसे की जाय, यह समझना कठिन था । पैसा तो अपने पास थोड़ा ही था । ऐसी लडाईमें पैसेकी मदद देने

जाय तो लड़ाई ही हार जाय । उसमे लालची आदमी न बुझ आएं, इस छरसे पैसेका लालच एक भी आदमीको नहीं दिया जाता था । हां, सहानुभूतिकी सहायता देना हमारा वर्म था ।

बनुभवसे मैंने देखा है कि सहानुभूति, भीठी निगाह और भीठेवोल जो काम कर सकते हैं वह पैसेसे नहीं हो सकता । पैसेका लोभी भी अगर उसको हमदर्दी न मिले तो अतमें वह उसे त्याग देता है । इसके विपरीत जो प्रेमसे वश हुआ है वह अनेक संकट सह लेनेके लिए तैयार रहता है ।

अतः हमने निश्चय किया कि इन निर्वासित भाइयोंके लिए हमदर्दी जो कुछ कर सकती है वह किया जाय । उन्हे आश्वासन दिया कि हिंदुस्तानमे आप लोगोंके लिए यथोचित प्रबवध किया जायगा । पाठकोंको जान लेना चाहिए कि इन लोगोंमेंसे बहुतेरे तो गिरमिट-मुक्त थे । हिंदुस्तानमें उनका कोई सुगा-सबधी न मिलता । कुछ तो दक्षिण अफ्रीकामे ही जन्मे भी थे । सबके लिए हिंदुस्तान परदेश-जा तो हो ही गया था । ऐसे निराधार जनोंको समझके किनारे उत्तारकर भटकने-को छोड़ देना तो कूरता ही मानी जायगी । इसलिए उन्हें इतमीनान दिलाया गया कि हिंदुस्तानमे उनके लिए सब आवश्यक प्रबन्ध कर दिया जायगा ।

यह सब करते हुए भी जबतक उनके साथ कोई मददगार न हो तबतक उनको धाति नहीं मिल सकती थी । देशनिकाला पानेवालोंका यह पहला ही जत्था था । स्टीमर छूटनेके कूछ ही घटे वाकी रह गये थे । चुनावके लिए वक्त न था । साथियों-मेंसे भाई पी० के० नायडूपर मेरी नज़र गई । मैंने पूछा—“इन गरीब भाइयोंको पहुँचाने हिंदुस्तान जा सकते हो ?”

“क्यों नहीं ?”

“पर स्टीमर तो छूटने ही वाला है ।”

“छटने दीजिए।”

“पर तुम्हारे कपड़े-लत्तेका क्या होगा? खानेका क्या होगा?”

“कपड़े जो पहने हूं वही काफी होंगे। खाना स्टीमरसे मिल जायगा।”

मेरे हृष्ण और आशचर्यकी सीमा न रही। यह बातचीत पारसी स्त्रीजीके मकानपर हुई थी। वही उनके लिए कुछ कपड़े-कंवल आदि माग-मूगकर उन्हे रखाना किया।

“देखना, रास्तेमे इन भाड़योंकी पूरी सम्हाल रखना। उन्हे सुलाकर सोना। मैं मद्रासमे श्रीनटेसन्को तार दे रहा हूं। वह जो कहे सो करना।”

“मैं अपने आपको सच्चा सिपाही सावित करनेकी कोशिश करूंगा।” यह कहकर नायड़ रखाना हो गए। मैंने सोच लिया कि जहाँ ऐसे वीर पुरुष हीं वहा हार हो ही नहीं सकती। भाई नायड़का जन्म दक्षिण अफ्रीकामे हीं हुआ था। हिंदु-स्तानके उन्हें कभी दर्शन ही नहीं हुए थे। मैंने श्रीनटेसन्के नाम सिफारिशी चिट्ठी दी थी। उन्हे तार भी दे दिया।

यह कहना अत्युक्ति न होगा कि हिंदुस्तानमें इस वक्ता प्रदासी भारतीयोंके कष्टका अध्ययन करनेवाले, उनकी सहायता करनेवाले और उनके बारेमे नियमित तथा ज्ञानपूर्वक-लिखने-वाले अकेले श्रीनटेसन् ही थे। उनके साथ मेरा पत्रब्यवहार नियमित रूपसे हुआ करता था। ये निवासित भाईं जब मद्रास पहुंचे तो श्रीनटेसन्ने उनकी पूरी मदद की। भाई नायड़के जैसे समझदार आदमीके साथ रहनेसे उन्हे भी समूचित सहायता मिली। उन्होंने नगरबासियोंसे चदा किया और निवासितोंको यह मालूम नहो होने दिया कि हम देशनिकालेका दंड पाकर यहा आये हैं।

टास्वाल सरकारका यह काम जितना कूरता-भरा था

उतना ही गैरकानूनी भी था । वह खुद भी इसको जानती थी । आमतौरसे लोगोंको इस बातकी जानकारी नहीं रहती कि सरकारें अक्सर जान-बूझकर अपने कानून तोड़ा करती हैं । कठिनाईमें पहलेपर नया कानून बनानेका समय रहता नहीं, इसलिए कानूनको तोड़कर मनमानी कर लेती है और पीछे या तो नये कानून बना लेती है या ऐसी स्थिति पैदा करती हैं कि जिससे जनता इस बातको भूल जाय कि सरकारने कानून तोड़ा है ।

सरकारकी इस गैरकानूनी कामके खिलाफ हिंदुस्तानियोंने जवदेस्त आंदोलन चलाया । हिंदुस्तानमें भी शोर मचाया और द्वासवाल सरकारके लिए इस तरह गरीब हिंदुस्तानियोंको देशनिकाला देना कठिन हो गया । हिंदुस्तानियोंको जो कानूनी कार्रवाइया करनी चाहिए थीं वे सब उन्होंने कीं । अपीलें कीं और उनमें भी उनकी जीत हुई । अंतमें निर्वासितोंको ठेठ हिंदुस्तान भेजनेकी प्रथा बढ़ी हुई ।

पर इसका असर सत्याग्रही सेनापर पड़े विना न रहा । अब उसमें सच्चे योद्धा ही रह गये । 'सरकार कही पकड़कर हिंदुस्तान न भेज दे' इस भयका त्याग सब नहीं कर सके ।

कौमका उत्साह भग करनेके लिए सरकारने यही एक काम नहीं किया । पिछले प्रकरणमें मैं बता चुका हूँ कि सत्याग्रही कैदियोंको दुख देनेमें उसने जरा भी कसर नहीं रखी । उनसे पत्थर तुड़वाने तकके काम कराये जाते । इतनेसे भी आगे सरकार बढ़ गई । पहले सभी कैदी साथ रखे जाते थे । अब उन्हें अलग-अलग रखनेकी नीति गहण की गई और हर जेलमें उन्हें खब तकलीफ दी गई । द्वासवालका जाड़ा बहुत सख्त होता है । ठड़ इतनी अधिक होती है कि सबरे काम करते हुए हाथ अकड़ जाते हैं । इससे कैदियोंके लिए जाड़ेके दिन बहुत कठिन हो गये । ऐसी दशामें कुछ कैदी एक छोटीसी

जेलमे रखे गये जहा कोई उनसे मिलने भी नहीं जा सकता। इस जथेमे स्वामी नागप्पा नामका एक १८ वरसका नौजवान सत्याग्रही था। वह जेलके नियमोंका पालन करता और जो काम उसे सीर्पां जाता परा करता। सबेरे, पौ फटते ही, उसे सड़कपर मिट्टी कूटनेके लिए ले जाते थे। इससे उसे फेफड़ेके शोथ (डबल निमोनिया) का कठिन रोग हो गया और अत्यं उ जुलाई १९०९ को उसने अपने प्रिय प्राणोकी बलि दे दी। नागप्पाके साथियोंका कहना है कि अतिम क्षणतक वह लड़ाई-की ही बात सोचता, करता रहा। जेल जानेका उसे कभी पछतावा न हुआ। देशकी सातिर मिली हुई भौतिको उसने इस तरह गले लगाया जैसे कोई मित्रसे मिलता है। हमारे पैमानेसे नापा जाय तो नागप्पाको निरक्षर कहना होगा। अग्रेजी, जुल आदि भाषाएं वह अभ्याससे बोल लेता था। अग्रेजी टूटी-फटी चायद लिख भी लेता हो; पर उसे विद्वानोंके पैकितमै तो नहीं ही विठा सकते थे। फिर भी नागप्पाके धीरज, उसकी शक्ति, उसकी देशभक्ति, आमरणान्त वनी रहनेवाली उसकी ढढताका विचार करे तो क्या उसके विषयमें और कुछ चाहने लायक रह जायगा? बड़े विद्वानोंके न मिलनेपर भी ट्रांसवालकी लड़ाई चल सकी; पर नागप्पा-जैसे सिपाही न मिले होते तो क्या वह चल सकती थी?

जैसे नागप्पाकी मृत्यु जेलके काटोसे हुई, वैसे ही नारायण स्वामीकी देशनिकालसे हुई (१६ अक्टूबर १९१०)। देशनिकालकी तकलीफे उसकी मौत सवित हुई। पर इन घटनाओंसे कौमने हिम्मत न हारी। ही, कमजोर दिलवाले मैदानसे खिसक गये। पर वे भी अपनी शक्तिभर कुबनी तो कर ही चुके थे। कमजोर जानकर हमें उनकी अवगणना नहीं करनी चाहिए। हममें यह रिवाज हो गया है कि आगे बढ़ जानेवाले पीछे छूटनेवालोंका तिरस्कार करते और अपनेको

वहां और मानते हैं। हकीकत अक्सर इसकी उलटी होती है। जिसकी शक्ति पचास शपथे देनेकी हो वह पञ्चीस देकर बैठ जाय और पांच देनेकी शक्ति रखनेवाला पूरे पांच हाजिर कर दे तो हम यही मानेगे कि पांच देनेवालेने अधिक दिया। फिर भी पञ्चीस देनेवाला पांच देनेवालेके सामने अक्सर इतराता है। पर हम जानते हैं कि उसके इतरानेका कोई भी कारण नहीं। वैसे ही अपनी निर्बलताके कारण आगे न जा सकनेवाला अगर अपनी सारी शक्ति खर्च कर चुका हो और शक्ति चुरा रखनेवाला उस नाप-तीलमें उससे अधिक शक्ति लगा रहा हो तो भी पहला उससे अधिक योग्य है। इसलिए जो लोग युद्धके अधिक कठोर होनेपर बैठे रहे उन्होंने भी देशकी सेवा तो की ही। अब वह वक्त आया जब अधिक सहनशक्ति और अधिक हिम्मतकी आवश्यकता थी। इसमें भी द्रासवालके भारतीय पीछे न रहे। युद्ध जारी रखनेके लिए जितनेकी जरूरत थी उतने तो रहे ही।

इस तरह हिंदुस्तानियोंकी दिन-दिन अधिक कठिन परीक्षा होने लगी। ज्यो-ज्यों वे अधिक बल प्रकट करते त्यो-त्यों सरकार भी और ज्यादा ताकत काममें लाती। खतरनाक कैदियोंके लिए या जिन्हे खास तौरसे सीधा करना होता है उनके लिए हर देशमें कुछ खास कैदसानें रखे जाते हैं। द्रासवालमें भी ऐसा ही था। ऐसे एक जेलखानेका नाम 'डायकल्फ' था। बहांका दारोगा भी सस्त, बहांकी मशक्कत भी सस्त। फिर भी उसको भी पूरा कर देनेवाले कैदी मिल गये। वे मशक्कत करनेको तैयार थे, पर अपमान सहनेको तैयार नहीं थे। दारोगाने उनका अपमान किया, इसलिए उन्होंने उपवास आरभ किया। अर्त यह थी—“जबतक तुम हस दारोगाको नहीं हटाते या हमारी जेल नहीं बदलते तबतक हम अप्रग्रहण नहीं करेंगे।” यह उपवास शुद्ध था। उपवास

करनेवाले ऐसे आदमी नहीं थे जो छिपे तौरपर कुछ खा-पी लेते हॉं। पाठकोंको जान लेना चाहिए कि ऐसे मामलेमें यहाँ हिंदुस्तानमें जो आंदोलन हो सकता है ट्रासबालमें उसके लिए अधिक अवकाश नहीं था। वहाँके जेल-नियम भी अधिक छड़े थे। ऐसे समयमें भी कैदियोंको देखने जानेका वहाँ रिवाज नहीं था। सत्याग्रही जब जेलमें पहुच गया तब आमतौरसे उसे अपनी फिक्र खुट करनी पड़ती। यह लडाई गरीबोंकी थी और गरीबोंके तरीकेसे चलाई जा रही थी। अतः ऐसी प्रतिक्रिया-की जोखिम बहुत कड़ी थी, फिर भी ये सत्याग्रही दृढ़ रहे। उस वक्तका उनका कार्य आजकी तुलनामें अधिक स्तुत्य गिना जायगा; क्योंकि उस समय अनशनकी आदत लोगोंको नहीं पड़ी थी। पर वे सत्याग्रही अडिग रहे और उनकी जीत हुई। सात दिन के उपवासके बाद उन्हें दूसरी जेलमें भेजनेका हृक्षम आ गया।

* : * :

फिर शिष्ट-मंडल

इस प्रकार सत्याग्रहियोंको जेलमें ठूसने और देशनिकाला देनेका चक्र चल रहा था। इसमें ज्वारभाटा आता रहता। दोनों पक्ष कछ ढीले भी हो रहे थे। सरकारने देखा कि जेलोंको भरनेसे पैकके सत्याग्रही हारनेवाले नहीं। देशनिकालेसे उसकी बदनामी होती थी। मामले अदालतमें पहुचते तो उनमें उसकी हार भी होती थी। हिंदुस्तानी भी जोरदार मुकाबले-के लिए तैयार नहीं थे। न इतने भयाग्रही अब रह ही गये थे। कुछ थक गये थे, कुछने विलकुल हिम्मत हार दी थी और अपने निष्चयपर अटल रहनेवालोंको मूर्ख समझते थे।

पर ये मूर्ख अपने आपको वृद्धिमान मानकर भगवान् और अपनी लड़ाइं तथा उसके साधनोंकी सचाईपर पूरा भरोसा रखे हुए देखे थे । वे मानते थे कि अंतमें तो सत्यकी ही जय होती है ।

दक्षिण अफ्रीकाकी राजनीति तो एक क्षणके लिए भी स्थिर नहीं होती थी । बोअर और अंग्रेज दोनों चाहते थे कि दक्षिण अफ्रीकाके सब उपनिवेशोंको इकट्ठा करके और अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करे । जनरल हृष्टोग चाहते थे कि ब्रिटेनसे विलकूल नाता टूट जाय । दूसरे लोग उससे नामका सवंध बनाए रखना पसंद करते थे । अंग्रेज संवंधका पूर्ण विच्छेद तो सहन न कर सकते थे । जो कुछ मिलता था वह ब्रिटिश पार्लिमेटके जरिये ही मिल सकता था, इसलिए बोअरों और अंग्रेजोंने ग्रहते किया कि दक्षिण अफ्रीकाकी ओरसे एक शिष्ट-मंडल विलायत जाय और उसका भासला ब्रिटिश मन्त्रि-मंडलके सामने रखे ।

भारतीयोंने देखा कि चारों उपनिवेश एक हो गये, उनका 'यनियन' (सघ) बन गया तो हमारी जैसी दशा है उससे भी बुरी हो जायगी । सभी उपनिवेश सदा हिंदुस्तानियोंको अधिक-से-अधिक दबाये रखना चाहते थे । यह तो स्पष्ट ही था कि ये सब भान्तके हेपी आपसमे और ज्यादा मिल गये तो हिंदुस्तानी और ज्यादा दबाये जायगे । गो हिंदुस्तानियोंकी आवाज नक्कारखानेमें तूतीकी आवाज-जैसी ही थी, फिर भी हमें एक भी कोशिशसे वाज न रहना चाहिए, यह सोचकर भारतीयोंका एक शिष्ट-मंडल फिर विलायत भेजनेका निश्चय हुआ । इस बार पोउवांहुके ऐसून सेठ हाजी हवीब शिष्ट-मंडल में मेरे साथी चुने गये । इनका ट्रांसवालका कारबार बहुत पुराने जमानेसे था । अनुभव विस्तृत था । अंग्रेजी पढ़ी नहीं थी, फिर भी अंग्रेजी, डच, जूल आदि भाषाएं भासानीसे समझ लेते थे । इनकी सहानुभूति सत्याप्रहियोंकी ओर थी;

पर पूरे सत्याग्रही नहीं कहे जा सकते थे । हम दोनों केपटाउन से जिस जहाज (केनिलवर्थ कासिल) पर रखाना हुए । उसपर दक्षिण अफ्रीकाके मशहूर बुजुर्ग मेरीमेन भी थे । वह यूनियन बनवानेके लिए जा रहे थे । जनरल स्मद्स आदि तो पहलेसे पहुंचे हुए थे । नेटालकी तरफसे भी एक अलग भारतीय शिप्ट-मडल इस वक्त विलायत गया था । यह सत्याग्रहके सिलसिलेमे नहीं, बल्कि नेटालमे हिंदुस्तानियोंको जो विशेष कष्ट और कठिनाईयां थी उनकी बात कहने गयी था ।

इस वक्त लार्ड क्रूपनिकेंग मन्त्री थे और लार्ड मॉर्ले भारत मन्त्री । खब बातचौत हुई । हम बहुतोंसे मिले । जितने पश्चात् के सपादको और साधारण या उमरावोंकी सभाके सदस्योंसे हम मिल सकते थे उनमेंसे एकसे भी मिले विना नहीं रहे । लार्ड एम्प्टहिलके बारेमे कह सकता हूँ कि उन्होंने हमारी वेहद मदद की । वह मिठो मेरीमेन, जनरल बोथा आदिसे मिला करते थे और अतमें जनरल बोथाका एक सदेसा भी लाये । उन्होंने कहा—‘जनरल बोथा आपकी भावनाको समझने हैं । आपकी छोटी मागे मंजूर कर लेनेको तैयार हैं, पर एनियाटिक कानून रद करने और दक्षिण अफ्रीकामें नये आदिमियोंके आनेके सबंधके कानूनमें अदल-वदल करनेको तैयार नहीं हैं । आप चाहते हैं कि कानूनमें जो काले-गोरे-का भेद किया गया है वह दूर कर दिया जाय । उनको इसमें इन्कार है । भेद रखना उनके लिए सिद्धांतस्वरूप है और शायद वह सोचते हैं कि मैं इस भेदको दूर कर भी दू तो दक्षिण अफ्रीकाके गोरे इस बातको कभी सहन नहीं करेंगे । जनरल स्पटसकी राय भी जनरल बोथाकी जैसी ही है । दोनों कहते हैं कि यह हमारा अंतिम निर्णय और अंतिम प्रस्ताव है । आप इससे अधिक मांगेगे तो आप दुखी होगे और आपकी कौम भी दुखी होगी । अतः आप जो निर्णय करें सोच-समझकर करें ।

जनरल बोथाने मुझसे कहा है कि आपसे यह कह दू और आपकी जिम्मेदारीका खयाल आपको करा दूँ।”

यह संदेसा सुनानेके बाद लाड एम्प्टहिलने कहा—“देखिये, आपकी सारी व्यवहारिक मांगें तो जनरल बोथा मंजूर कर ही रहे हैं और इस दुनियामें हमें कहीं लेना और कहीं देना तो पहता ही है। हम जो चाहते हैं वह सब तो हमें मिल नहीं सकता। इसलिए आपको मेरी अपनी सलाह यही है कि आप इस प्रस्ताव-को स्वीकार कर ले। आपको सिद्धांतके लिए लड़ना हो तो आगे चलकर लड़ सकते हैं। आप दोनों इस बातपर विचार कर ले और फिर जो मुनासिव हो वह जवाब दें।”

यह सुनाकर मैंने सेठ हाजी हबीबकी ओर देखा। उन्होंने कहा—“मेरी तरफसे कहिये कि मैं समझौता-पक्षकी ओरसे कहता हूँ कि मैं जनरल बोथाका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। वह इतना दे देगे तो तत्काल हम संतोष कर लेंगे और सिद्धांत-के लिए पीछे लड़ लेंगे। अब कौमका और वरवाद होना मुझे पसंद नहीं। जिस पक्षकी ओरसे मैं बोल रहा हूँ उसकी सत्यता अधिक है और उसके पास पैसा भी अधिक है।” मैंने इन बाक्योंके अक्षर-अक्षरका उल्लंघन कर दिया और फिर अपने सत्याग्रही पक्षकी ओरसे कहा—“आपने जो कष्ट किया उसके लिए हम दोनों आपके अहसानमंद हैं। मेरे साथीने जो बात कही है वह ठीक है। वह उस पक्षकी ओरसे बोले हैं जो सत्या और पैसा दोनोंमें अधिक वलवान है। जिनकी ओरसे मैं बोल रहा हूँ वे पैसेमें उनसे गरीब और सख्तामें थोड़े हैं। पर वे सिरपर कफन बांधे हुए हैं। उनकी लड़ाई व्यवहार और सिद्धांत दोनोंके सातिर है। अगर दोमेंसे एकको छोड़ना ही पड़े तो वे व्यवहारको जाने देंगे और सिद्धांतके लिए लड़ेंगे। जनरल बोथाकी शक्तिका हमें अंदाजा है, पर अपनी प्रतिज्ञाको हम उससे ज्यादा बजनदार मानते हैं, इसलिए उसका पालन

करनेमे हम मर-मिटनेको तैयार है। हम धीरज रखेगे। हमारा विश्वास है कि हम अपने निश्चयपर अठल रहे तो जिस ईश्वरके नामपर हमने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करेगा।

“आपकी स्थिति मैं पूरी तरह समझता हूँ। आपने हमारे लिए बहुत किया है। अब आप हम मुट्ठोभर सत्याग्रहियोंका और साथ, न दे सकते तो हमें उससे भ्रम न होगा और इससे हम आपके उपकारोंको भूलेगे नहीं। हमें आशा है कि आप भी हमें आपकी सलाह कवूल न कर सकनेके लिए माफ कर देंगे। जनरल वोयाको हम दोनोंकी वाते सुखसे सुनाइएगा और कहिएगा कि हम जो थोड़से सत्याग्रही हैं वे अपनी प्रतिज्ञाका अवश्य पालन करनेवाले और यह आशा रखनेवाले हैं कि हमारी हुख-सहनकी शक्ति अतमे उनके हृदयको भेदेगी और वे एशियाटिक कानूनको रद कर देंगे।”

लाडं एम्प्टहिलने उत्तर दिया, “आप यह न समझिएगा कि मैं आपको छोड़ दूगा। मुझे भी अपनी भलमनसीकी रक्खा तो करनी ही है। अग्रेज जिस कामको एक बार हाथमे लेता है उसको यकायक छोड़ता नहीं। आपकी लड़ाई न्यायसंगत है। आप शुद्ध साधनसे लड़ते हैं। मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? पर मेरी स्थिति आप समझ सकते हैं। कष्ट तो आपको ही सहने होगे। इसलिए समझौता हो सकता हो तो उसे स्वीकार करनेकी सलाह देना मेरा धर्म है। पर आप जिन्हे कष्ट सहन करना है, अपनी टेकके लिए चाहे जितना कष्ट सहनेको तैयार है तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? मैं तो आपको बधाई हीं दूगा। अतः आपकी कमटीका अध्यक्ष तो बना ही रहूँगा और मुझसे जो मदद वन पड़ेगी वह भी जरूर करता रहूँगा; पर आपको इतना ध्यानमें रखना होगा कि मैं उमराव सभाका एक छोटा सदस्य समझा

जाता हूँ। मेरा वजन ज्यादा नहीं है। फिर भी जो कुछ है वह आपके लिए काम आता ही रहेगा, इस विषयमें आप निश्चक रहें।”

ये प्रोत्साहनके बचन सुनकर हम दोनोंको प्रसन्नता हुई। इस प्रसगकी एक मंधुर वस्तुकी और शायद पाठकोने ध्यान न दिया हो “सेठ हाजी हवीब और मुझमे, जैसा कि ऊपर बता चुका हूँ, मतभेद था, फिर भी हममे परस्पर इतना प्रेम और विश्वास था कि सेठ हाजी हवीबको अपना विरोधी बक्तव्य भेरे ही जरिये कहलानेमे हितक न हुई। वह इतना विश्वास रख सकते थे कि उनका प्रश्न मे लाड एम्प्टहिलके सामने ठीक तौरसे उपस्थित कर दूगा।

यहा पाठकोंसे एक अप्रस्तुत बात भी कह दू। विलायतमें रहनेके दिनोमें वहुतसे भारतीय अराजकतावादियोंके साथ मेरी बातचीत हुई। उन सबकी दलीलोंका खडन करके और दक्षिण अफ्रीकाके बैसे विचारवाले लोगोंका समाधान करनेके प्रयत्नसे ‘हिंदस्वराज’की उत्पत्ति हुई। उसके मुख्य तत्त्वोंकी मैने लाड एम्प्टहिलके साथ भी चर्चा की थी। उसमें उद्देश्य यही था कि वह जरा भी यह न सोच सके कि मैने अपने विचारको दबाकर उनके नाम और उनकी सहायताका दक्षिण अफ्रीकाके कामके लिए दुरपयोग किया। उनके साथ हुई मेरी वहस और बातचीत मुझे सदा याद रही है। उनके घरमे बीमारी होते हुए भी वह मुझसे मिले थे और यद्यपि ‘हिंद-स्वराज’में प्रकट किये हुए मेरै विचारोंसे वह सहमत नहीं हुए, फिर भी दक्षिण अफ्रीकाकी लडाईमे उन्होने अपना हिस्सा आखिरतक पूरा बदा किया और हमारा मंधुर संवंध अंततक बनारहा।

४

टाल्स्टाय फार्म—१

इस बार विलायतसे जो शिष्टमडल लौटा वह अच्छी खबर नहीं लाया। लोग लाईं एम्प्टीहिलके साथ हुई बातचीतका नतीजा क्या निकालेगे इसकी चिंता मुझे अधिक नहीं थी। मेरे साथ अंततक कौन खड़ा होगा यह मैं जानता था। सत्याग्रह-के विषयमें मेरे विचार अब अधिक परिपक्व हो गये थे। उसकी व्यापकता और उसकी अल्लीकितताको अब मैं अधिक समझ सकता था। इसलिए मैं शांत था। 'हैर्ड-स्वराज' को मैंने विलायतसे लौटते हुए जहाजपर ही लिख डाला। उसका उद्देश्य केवल सत्याग्रहकी भव्यता दिखाना था। यह पुस्तक मेरी श्रद्धाका मानदण्ड है। इससे लडनेवालोंकी संख्याका मेरे सामने सवाल ही नहीं था।

पर मुझे पैसेकी चिंता रहती थी। लंबे अरसेतक लडाई चलानी हो और पासमें पैसा न हो, यह दुख भारी हो गया। पैसेके बिना लडाई चलाई जा सकती है, पैसा अक्सर सत्यकी लडाईको दृष्टि कर देता है, प्रभु सत्याग्रहीको, मुमुक्षुको, आवश्यकतासे अधिक साधन कभी देता ही नहीं। इस बातको जितना स्पष्ट आज समझता हूँ उतना उस वक्त नहीं समझता था। पर मैं आस्तिक हूँ। प्रभुने उस वक्त भी मेरा साथ दिया। मेरा संकट काटा। एक और मुझे दक्षिण अफ्रीकाके तटपर उत्तरते ही कौमको कामकी विफलताका समाचार देना था तो द्वास्री ओर प्रभुने मुझे पैसोंके कष्टसे मुक्त कर दिया। कैप-टाउनमें उत्तरते ही मुझे विलायतसे तार मिला कि सुररुतनजी जमशेदजी ताताने सत्याग्रह काष्म २५ हजार रुपया दिया है। इसना रुपया उस वक्त हमारे लिए काफी था। हमारा काम चल निकला।

पर इस घनसे या दड़ी-से-दड़ी अनराणिसे सत्याग्रहकी आत्मशुद्धिकी—आत्मबलकी—लडाईं चहीं चल सकती। इस सप्तामके लिए चारित्र्यकी पूजी होनी चाहिए। मालिकके विना महल जैसे खड्हर-सरीखा लगता है वैसे ही चारित्र्यहीन मनुष्य और उसकी सम्पत्तिको समझना चाहिए। सत्याग्रहियोंने देखा कि लडाई कितने दिन चलेगी इसका अदाजा किसीसे नहीं लगाया जा सकता। कहाँ जनरल वोथा और जनरल स्प्रॉट्सको एक इंच भी न हटनेकी प्रतिज्ञा और कहा, सत्याग्रहियोंकी भरते दूमतक जूफनेकी प्रतिज्ञा। हाथी और चीटीकी लडाई थी। हाथीके एक पावके नीचे अगणित चीटियोंका भुरता बन सकता है। सत्याग्रही अपने सत्याग्रहकी अवधिको हृदसे धेर नहीं सकता। एक वरस लगे या अनेक, उसके लिए सब वरावर हैं। उसके लिए तो लडना ही जय है। लडनेके मानी थे जेल जाना, देशनिकाला होना। इसके बीच वाल-वच्चोंका क्या हो? निरंतर जेल जानेवालेको नौकरी तो कोई देगा ही नहीं। जेल-से छूटनेपर खुद क्या खाय, वाल-वच्चोंको क्या खिलाये? कहा रहे? भाड़ा कौन दे? आजीविकाके दिना सत्याग्रही भी उद्विग्न होता है। भस्त्रो भरकर और अपनोंको भस्त्रों मारकर भी लडाई लडते रहनेवाले दुनियामे अधिक नहीं ही सकते।

अवतक जेल जानेवालोंके कुनवोंका भरण-पोषण उनको हर महीने पैसा देकर किया जाता था। हरएकको उसकी आवश्यकता-के अनुसार दिया जाता था। चीटीको कण और हाथीको मन। सबको वरावर तो दे ही नहीं सकते थे। पांच वच्चेवाले सत्याग्रही और ब्रह्मचारीको जिसके आगे-भीछे कोई हो ही नहीं, एक पातम नहीं विठा सकते। केवल ब्रह्मचारियोंको ही भरती करें, यह भी नहीं हो सकता था। तब किंस दर या पैमानेसे पैसा दिया जाय? आम तौरसे तो हरएक कुटुबसे पूछा जाता कि कम-से-कम कितने रुपयेमे उसका गुजर हो जायगा और जो

रकम वह बताता उसपर विश्वास रखकर उसीके अनुसार उसका खर्च दिया जाता। इसमें छल-कपटके लिए बहुत अवकाश था। कपटियोंने इसका कुछ लाभ भी लिया। दसरे सच्चे लोग भी, किसी खास ढंगसे रहनेके आदी होनेसे उसके योग्य सहायताकी आशा रखते थे। मैंने देखा कि इस ढंगसे लवे अरसेतक लडाई चलाना अशक्य है। लायकके साथ अन्याय होने और नालायकके अपने पांखडमे सफल हो जानेका डर रहता है। यह मुश्किल एक ही तरह हल हो सकती थी कि सारे कुटुंबोंको एक जगह रखे और सब साथ रहकर काम करे। इसमें किसीके साथ अन्याय होनेका डर न रहता। ठगोंके लिए बिलकुल गुजाईश नहीं रहती, यह भी कह सकते हैं। जनताके पसंकी बचत होती और सत्याग्रही कुटुंबोंको नये और सादे जीवनकी तथा बहुतोंके साथ मिलकर रहनेकी शिक्षा मिलती, अनेक प्रातों और अनेक धर्मोंके भारतीयोंके साथ रहनेका मौका मिलता।

पर ऐसी जगह कहा मिले? शहरमें रहने जाय तो वकरी-को निकालते हुए ऊटोंको घुसा लेनेका डर था। महीनेके खर्चके वरावर शायद मकानभाड़ा ही देना पड़े और सत्याग्रही कुटुंबोंको शहरमें सादगीसे भी कठिनाई होती। फिर शहरमें इतना लबा-चौड़ा स्थान भी न मिल सकता जहाँ बहुतसे परिवार घर बैठे कोई उपयोगी धंधा कर सकें। अत यह स्पष्ट था कि हमें ऐसा स्थान प्राप्त करना चाहिए जो शहरमें न बहुत दूर हो और न बहुत नजदीकी फिरनिक्स तोथा ही, 'इडियन आपीनियन' वहाँ छपता था। थोड़ी खेती भी होती थी, बहुतसे सुभाते मौजूद थे। पर फिनिक्स जोहान्सबर्गसे ३०० मीलके फासलेपर और रेलसे तीस घण्टेका रास्ता था। इतनी दूर कुटुंबोंको लाना, ले जाना देढ़ा और महँगा काम था। फिर सत्याग्रही कुटुंब अपना घर-बार छोड़कर इतनी दूर जानेको हैरान नहीं हो सकते थे।

होते भी तो उन्हे और सत्याग्रही बदियोंको जेलसे छूटनेपर इतनी दूर भेजना वशक्य-सा लगा ।

अतः स्थान तो द्रांसवालमे ही और वह भी जोहान्सबर्गके पास ही होना चाहिए था । मिठोलनवेकका परिचय पाठकों-को करा चुका हूँ । उन्होने १९५० एकड़ जमीन खरीदी और सत्याग्रहियोंको बिना किटी आडे-लगानके उसको काममे लानेका अधिकार दे दिया (३० मई १९५०) । इस जमीनमे बहुतसे एक हजारके लगभग, फलवाले पेड़ थे और पहाड़ीकी तलहटीमे पांच-सात आदिभियोंके रहने लायक एक छोटा-सा मकान था । पानीके लिए एक झरना और दो कुए़ थे । रेलवे स्टेशन लाले करीब एक मीलपर था और जोहान्सबर्ग ३१ मील । इस जमीनपर ही मकान बनवाने और सत्याग्रही कुटवौको द्रासानेका लिखय किया गया ।

: १० :

ठारसूटाय फार्म—२

यह जमीन ११०० एकड़ थी और न्यूज़े ऊचे रहस्येपर एक छोटी-सी पहाड़ी थी, जिसकी तलहटीमें एक छोटा-सा मकान था । उसमे एक हजारके लगभग फल वाले पेड़ थे । उनमे नारणी, एप्रिकॉट, प्लम इफ्रातसे फलते, इतने कि मौसिममे सत्याग्रही भरपेट खाये तो भी बच रहे । पानीका एक नन्हा-सा झरना था । उससे पानी मिल जाता । जहाँ रहना था उस जगहसे वह कोई ५०० गज दूर होगा । इसलिए पानी कांवरपर भरकर लानेकी मेहनत तो थी ही ।

इस स्थानमे हमारा यह आश्रह था कि घरका कोई काम नौकरसे न लिया जाय और खेती-बारी और घर बनानेका काम

भी जितना अपने हाथो हो सकता है किया जाय। इसलिए पाखाना साफ करनेसे लगाकर खाना पकानेतकका सारा काम हमे अपने हाथोंही करना था। कुटुंबोंका रखना था, पर हमने शुरूसे ही तै कर लिया था कि स्त्रिया और पुरुष अलग-अलग रखे जायं। इसलिए दोनोंके लिए अलग-अलग मकान और थोड़े फासलेपर बनानेका निश्चय हुआ। १० स्त्रियोंऔर ६० पुरुषोंके रहने लायक मकान तरत बना लेनेका निश्चय किया गया। एक मकान मिं० केलनबेकके रहनेके लिए बनाना था और उसके साथ-साथ एक पाठशालाके लिए भी। इनके सिवा बढ़ईके काम, मोचीके काम इत्यादिके लिए एक कारखाना भी तैयार करना था।

जो लोग इस स्थानमे रहनेके लिए आनेवाले थे वे गुजरात, मद्रास, आंध्र और उत्तरी हिंदुस्तानके थे। धर्मके विचारसे वे हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई थे। कुल ४०के लगभग युवक, दो-तीन बूढ़े, पाच स्त्रियाँ और २०से ३० तक बच्चे थे, जिनमे पाच लड़कियाथीं।

स्त्रियोंमें जो ईसाई थी उन्हे और दसरोंको भी मासाहार-की आदत थी। मिं० केलनबेककी और मेरी भी राय थी कि इस स्थानमे मांसाहारका प्रवेश न हो तो अच्छा है। पर जिन्हे उसके विषयमे धर्म-नीतिकी तनिक भी अडचन न हो, जो संकटके समय इस स्थानमें आ रहे थे और जिन्हें जन्मसे इस चीजकी आदत हो उनसे थोड़े दिनोंके लिए भी उसे छोड़नेको कैसे कहा जा सकता? न कहा जाय तो खर्च कितना होगा? फिर जिन्हे गोमांसकी आदत हो उन्हें क्या गोमास दिया जाय? कितने रसोईधर चलाये जाय? मेरा धर्म इस विषयमे क्या था? इन कुटुंबोंको पैसा देनेका निमित्त बनकर भी तो मै मांसाहार और गोमासाहारमे सहायक होता ही था। अगर यह नियम कर लू कि मांसाहार करनेवालेको मदद न मिलेगी तो

सत्याग्रहकी लड़ाई मुझे केवल निरामिषभोजियोंके जरिये ही लड़नी होगी । यह भी कैसे हो सकेगा ? लड़ाई तो भारतीय-मात्रकी थी । अपना धर्म मैं स्पष्ट देख सका । इंसाई या मुसलमान भाईं गोमास ही मागे तो मुझे उनको वह देना ही होगा । मैं उन्हें इस स्थानमें आनेकी मनहाही नहीं कर सकता ।

पर प्रेमका बेली ईश्वर है ही । मैंने तो सरल भावसे इंसाई वहनोंके सामने अपना सकट रखा । मुसलमान भाइयोंने तो मुझे केवल निरामिष रसोई चलानेकी इजाजत पहले ही दे दी थी, केवल इंसाई वहनोंकी बात मुझे समझनी थी । उनके पति या पुत्र तो जेलमें थे । उनकी सम्मति मुझे प्राप्त थी, उनके साथ ऐसे मौके अनेक बार आ चुके थे । केवल वहनोंके साथ ऐसे निकट संवधका यह पहला ही बवसर था । मैंने उनसे मकानकी अड़चन, पैसेकी अड़चन और अपनी भावनाकी बात कही, साथ ही यह डतमीनान भी दिला दिया कि वे मागेगी तो मैं गोमांस भी हाजिर कर दूँगा । वहनोंने प्रेमभावसे मांस न मांगना मंजुर किया । रसोईका काम उनके हाथमें सौंपा गया । उनको मद्देके लिए हमर्मेंसे एक-दो पूरष भी दे दिये गये । उनमें मैं तो था ही । मेरी मौजदगी छोटे-मौटे भाजड़े-टंटोंको दर रख सकती थी । रसोई जितनी सादी हो सकती है रखनेका निश्चय हुआ । खानेका समय निश्चित हुआ । रसोई एक ही रखी गई । सबको एक ही पांतमें भोजन करना था, सबको अपने-अपने बरतन घो-भाजकर साफ रखने थे । शामिल बरतन सब लोग बारी-बारीसे भाँजें यह तै हुआ । मुझे यह बता देना चाहिए कि टाल्सूदाय फार्म लवे अरसेतक चला, पर वहनों या भाइयोंने कभी मासाहारकी मांग नहीं की । शराब, तंबाकू आदि तो बर्जित थे ही ।

मैं लिख चुका हूँ कि मकान बनानेका काम भी जितना अपने हाथों हो सके उतना करनेका हमारा आग्रह था । स्थापति

(Architect) तो मिं. वेलनवेक थे ही। वह एक यूरोपियन राज ले आये। एक गुजराती बढ़ई नारायणदास हमानियाने, अपनी गहायता खिना प्रमेके प्रदान दी। और दूसरे बढ़ई भी धोउ पैनोंमें बला दिये। केवल धारीरिक श्रमका काम हमने अपने हाथों लिया। हममें जिनके अगले लचीले थे उन्होंने नो रामाल कर दिया। बटड़का आधा काम तो विहारी नामके रात्यागहीने डाढ़ा लिया। नफार्टका काम, गहर जाना और यहांने गामान जाना आदि निह गमान थंडी नायडूने अपने जिसमें ले लिया।

उम टकड़ीमें एक थे भाऊं प्रागजी छट्ठभाई देसाई। उन्होंने अपनी जिंदगीमें कभी सर्दी-गर्मी नहीं नहीं थी। यह तो कड़ाकी ठड़, गड़ी गर्मी और गहरी दरसान सब सहनी थी। इन रथानमें हमारे निवासका श्रीगणेश तो खेमोमें हुआ। जव-तक गकान बने तबनक उन्हींमें भोना पड़ा। भकान दो महीनोंमें बने होंगे। भगवन मफेद लोहेकी चादरोंके थे, इससे उनके बनानेमें ज्यादा बक्कन न लगता। हमें लकड़ी भी जिस-जिस नापकी दरकार पी तैयार मिल जाती थी। हमको बस इतना ही करना रहता कि नापकर उनके टुकड़े कर ले। खिड़की, दर-दाखें भी थोड़े ही बनाने थे, इनीसे इतने कम समयमें इतने अधिक भवान बना लिये गये। पर इन कामोंमें भाईं प्रागजीकी पूरी मशवकत हो गई। जेलकी तुलनामें फार्मका काम निश्चय ही कड़ा था। एक दिन तो थकावट और गर्मीसे वह बेहोश हो गये; पर वह भट हार माननेवाले आदमी नहीं थे। उन्होंने अपने घरीरको यहां पूरी तरह कस लिया और अतमें तो इतनी जाक्कित प्राप्त कर ली थी कि मशवकतमें सबके साथ जुट गके।

ऐसे ही दूसरे भाईं थे जोसफ और पन्। वह तो बैरिस्टर थे, पर उन्हें बैरिस्टरीका गर्व न था। बहुत कड़ी मेहनत उनसे

न हो सकती थी, द्रेनसे बोझा उतारना और बैलगाड़ीपर उसे लादना उनके लिए कठिन था, पर अपनी शक्तिमर उन्होंने इसे भी किया ।

टाल्स्टाय फार्ममें निवंल सबल हो गये और मेहनत सबके लिए शक्तिवर्द्धक साधित हुई ।

सबको किसी-न-किसी कामसे जोहान्सवर्ग जाना पड़ता । वज्चोंको सैरके लिए जानेकी इच्छा होती, मुझको भी कामवश जाना होता । हमने निश्चय किया कि सार्वजनिक आश्रमके कामसे जाना हो तभी रेलसे जानेकी इजाजत मिले और तीसरे दरखेंको छोड़कर और किसीमें जाना तो हो ही नहीं सकता था । जिसे सैरके लिए जाना हो वह पैदल चलकर जाय और अपना नाश्ता बांधकर साथ ले जाय । कोइं झहरमे खानेको खर्च न करे । इतने कड़े नियम न रखे होते तो जो पैसा बचानेके लिए हमने बनवास स्वीकार किया वह रेलभाड़े और बाजारके रास्तेमें चढ़ जाता । घरका नाश्ता भी सादा ही होता । घरके पिसे और बिना छने बाटेकी रोटी, मूगफलीका घर बनाया हुआ मक्खन और नारंगीके छिलकेका मुरब्बा । आटा पीसनेके लिए हाथसे चलानेकी लोहेकी बनी चक्की ली थी । मूगफलीको भूनकर पीस लेनेसे मक्खन तैयार हो जाता था । उसका ढाम दूधके मक्खनकी अपेक्षा चार गुना सस्ता पड़ता । नारंगी तो फार्ममें ही इफरातसे होती थी । फार्ममें गायका दूध तो शायद ही कमी लिया जाता । हम छिप्पेका दूध काममें लाते ।

अब फिर सफरकी चर्चापर आएं । जिसे जोहान्सवर्ग जानेका शीक होता वह हफ्तेमें एक या दो बार पैदल जाता और उसी दिन लौट आता । पहले वहा चुका हूँ कि वह २१ मीलका रास्ता था । पैदल जाने-आनेके इस एक नियमसे ही सैकड़ों रूपये बच गये और पैदल जानेवालोंको बहुत

लाभ भी हुआ । कितनोको पैदल चलनेकी नई आदत पड़ गई । नियम यह था कि इस तरह जानेवाले दो बजे रातको उठे और २॥ बजे रवाना हो जायं । सब छः से सात घटके अंदर जोहान्सवर्ग पहुंच सकते थे । कम-से-कम समय लेनेवाले ४ घंटे १८ मिनटमे पहुंचते ।

पाठक यह न माने कि ये नियम आश्रमवासियोंपर भारहप थे । सभी उनका प्रेमपूर्वक पालन करते थे । बलात्कारसे तो मैं एक भी आदमीको बहां न रख सकता । युवक सफरमे हो या आश्रममे, सारा काम हँसते हँसते और किलकते हुए करते । शारीरिक श्रमके समय तो उन्हें ऊपर मचानेसे रोकना कठिन होता । उनसे उतना ही काम लेनेका नियम रखा गया था जितना उन्हें खुश रखते हुए लिया जा सके । इससे काम कम हुआ, यह मुझे नहीं जान पड़ा ।

पाखानेकी कथा समझ लेनी चाहिए । इतने आदमी डकटठे रहते थे, फिर भी किसीको कही कूड़ा, मैला या जूँठ पड़ी दिखाई नहीं देती थी । एक गढ़ा खोद रखा गया था, सारा कड़ा उसीमे ढालकर ऊपरसे मिट्टी ढाल दी जाती । पानी कोई रोस्टेमे न गिराने पाता । सब वरतनोमे इकट्ठा किया जाता और पेड़ोंको सीचनेमे खर्च किया जाता । जूठन और साग-तर-कारीके छिलको आदिकी खाद बनती । पाखानेके लिए रहनेके मकानके पास एक चौरस गढ़ा डेढ़ फुट गहरा खोद रखा था । उसीमे सारा पाखाना ढाल दिया जाता और ऊपरसे खोदी हुई मिट्टीको भी ढालकर पाट दिया जाता । इससे जरा भी हुर्गण न आती । मक्कियां भी वहाँ नहीं भिनभिनाती थीं और किसीको इसका खयाल भी न आता कि यहा पाखाना पाटा गया है । साथ ही फारंगोंको अमल्य खाद यिरती थी । हम मैलेका सदृपयोग करें तो लौसो रूपयेकी खाद बचाएं और अनेक रोगोंसे भी बचे । पाखानेके बारेमें अपनी

बरी आदतके कारण हम पवित्र नदीके किनारेको भ्रष्ट करते हैं, मकिखर्योंकी उत्पत्ति करते हैं और नहा-धोकर साफ-सुधरे होनेके बाद, जो मकिखर्यां हमारी बेहूदी लापरवाहीसे खुले हुए विष्टापर वैठ चुकी है उन्हें अपने शरीरका स्पर्श करने, देते हैं। एक छोटी-सी कुदाली हमें बहुत-सी गंदगीसे बचा सकती है। चलनेके रास्तेपर मैला फैकना, थूकना, नाक साफ करना इश्वर और मनुष्य दोनोंके प्रति पाप है। इसमें दयाका अभाव है। जंगलमें रहनेवाला भी अगर अपने मैलेको मिट्टीमें दबा नहीं देता तो वह दफ्के योग्य है।

हमारा काम था सत्याग्रही कूटुंबोंको उद्घोगी बनाये रखना, पैसा बचाना और अंतमे स्वावलंबी बनाना। हम यह कर सके तो चाहे जितने अरसेतक लड़ सकते थे। जूतोंका तो खचं था ही। बंद जूते (शू) से गर्म आव-हवामे तो नुकसान ही होता है। सारा पर्सीना पैर चूस लेता है और नाजुक हो जाता है। मोजेकी जरूरत तो हमारी जैसी आवहवामे होती ही नहीं। पर काटे-रोडे आदिसे बचनेके लिए कुछ बचावकी आवश्यकता हम भानते थे। इसलिए हमने कंटकरक्षक अर्थात् चप्पल बनानेका काम सीख लेनेका निश्चय किया। दक्षिण अफ्रीकामें प्राइंगटाउनके प्रास मेरियनहिलमे रोमनकैथेलिक पादरियोका ट्रैपिस्ट नामका मठ है। वहाँ ऐसे उद्घोग चलते हैं। ये पादरी जमीन हैं। उनके एक मठमे जाकर मिठ केलनवेक चप्पल बनाना सीख आये। उन्होंने मुझे सिखाया और मैने दूसरे साधियोंको ये अनेक युवक चप्पल बनाना सीख गये और हम मित्रमंडलीमे उसे बैचने भी लगे। मुझे यह कहनेकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि मेरे कितने ही 'चेले' इस हुनरमें मुझसे सहज ही आगे निकल गये। दूसरा बंधा हमने बढ़ईका दाखिल किया। हम एक गांव-सा बसा रहे थे। वहाँ हमे चौकीसे लगाकर बक्स-सदूकतक अनेक

छोटी-बड़ी चीजोंकी आवश्यकता थी । वे सब चीजे हम अपने हाथ ही बनाते । जिन प्रोपकारी मिस्ट्रियोकी बातु ऊपर कह चुका हूँ उन्होंने तो कई महीनेतक हमें मदद दी । इस विभागकी अध्यक्षता मि० केलनबेकते स्वय स्वीकार की थी । उनकी कुशलता और सावधानताका अनुभव हमें प्रतिक्षण होता था ।

श्रुष्टका और बालक-बालिकाओंके लिए एक पाठशाला तो चाहिए हींथी । यह काम सबसे कठिन जान पड़ा और अततक पर्णताको नहीं पहुँचा । शिक्षणका भार मुख्यतः मि० केलनबेक और मुझपर था । पाठशाला दोपहरसे ही चलाईं जा सकती थी । उस वक्त हम दोनों सबैरेकी मशक्कतसे खूब थके होते । पढ़नेवालोंका भी यही हाल होता । अत अकसर वे और हम भी ऊंचने लगते । हम आखोंपर पानीके छीटे देते, बच्चोंके साथ हँस-खेलकर उनकी और अपनी ऊंच भगाते; पर अकसर यह कौशिश बेकार जाती । शरीर जो आराम मांगता है वह लेकर ही छोड़ता है । यह तो एक और सबसे छोटा विषय था, क्योंकि नीदमें भोके खाते हुए भी कक्षाएं तो चलती ही थी । पर तामिल, तेलगू और गुजराती तीन भाषाएं बोलनेवालोंको क्या सिखाया जाय और कैसे? मातृभाषाके द्वारा शिक्षा देनेका लोभ तो मुझे था ही । तामिल थोड़ी-बहुत जानता था, पर तेलगू तो एक अक्षर भी न आती थी । ऐसी स्थितिमें एक शिक्षक क्या करे? युवकोमेसे कुछका शिक्षकरूपमें उपयोग किया । यह 'प्रयोग सफल हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । भाईं प्राणजीका उपयोग तो होता ही था । युवकोमेसे कुछ बड़े नटखट और आलसी थे । किताबके साथ हमेशा लडाई करते थे । ऐसे विद्यार्थियोंको आगे बढ़ाने-की शिक्षक क्या आशा कर सकते थे? फिर हमारा काम अनियमित था । जरूरी होनेपर मुझे जोहान्सवर्ग जाना ही पड़ता । यही बात मि० केलनबेककी थी!

‘हसरी’ कठिनाई धार्मिक शिक्षाकी थी। मुसलमानोंको कुरान पढ़नेका लोभ तो मुझे था ही। पारसियोंको अवेस्ता पढ़नेकी इच्छा होती। एक खोजाका लड़का था। उसके पास अपने पंथकी एक छोटी-सी पोथी थी। उसके बापने वह पोथी पढ़नेका भार मुझपर ढाल दिया था। मैंने इस्लाम और पारसी धर्मकी पुस्तके इफट्ठी की। हिन्दू-धर्मके जो मुझे मूलतत्त्व जान पड़े उन्हे मैंने लिख डाला—अपने ही वच्चोंके लिए या फार्मके वच्चोंके लिए, यह बात अब याद नहीं रही। यह चीज मेरे पास होती तो अपनी प्रगति या गतिकी नाप करनेके लिए मैं उसे यहां देता; पर ये चीजे तो कितनी ही अपनी जिदगीमें मैंने फेंक दी था जला डाली। इन वस्तुओंके संग्रहकी आवश्यकता मुझे ज्यो-ज्यों कम जान पड़ती गई और ज्यो-ज्यो मेरा काम बढ़ता गया त्यो-त्यों मैं इन चीजोंका नाश करता गया। मुझे इसका पछतावा भी नहीं। इन वस्तुओंका संग्रह मेरे लिए एक बोझ और बड़े खर्चकी चीज हो जाता। उनके रक्षणके साधन मुझे जुटाने पड़ते और मेरी अपरिणीती आत्माको यह असह्य होता।

पर यह शिक्षणका प्रयोग व्यर्थ नहीं गया। बालकोमे कभी असहिष्णुता नहीं आई। एक दूसरेके धर्म और रीति-रिवाजके प्रति उन्होंने उदार-भाव रखना सीखा। सगे भाइयों-की तरह हिल-मिलकर रहना सीखा। एक-दूसरेकी सेवा करना सीखा। सम्यता सीखी। उच्छमी बने और आज भी उन बालकोमेंसे, जिनके कार्योंकी थोड़ी-बहुत खबर मुझको है उसपरसे मैं जानता हूँ कि टाल्स्टाय फार्ममे उन्होंने जो कुछ सीखा वह व्यर्थ नहीं गया। अधूरा सही, पर यह विचारमय और धार्मिक प्रयोग था और टाल्स्टाय फार्मके जो संस्मरण अत्यन्त भवुर हैं उनमे यह शिक्षणके प्रयोगका स्मरण तनिक भी कम भवुर नहीं है।

पर हज मधुर स्मृतियोंके लिए एक पूरे प्रकरणकी आवश्यकता है।

: ११ :

टाल्स्टाय फार्म—३

इस प्रकरणमें टाल्स्टाय फार्मके बहुतसे संस्मरणोंका सप्रह होगा। अतः ये स्परण असवध लगेंगे। पाठक इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे।

पढानेके लिए जैसा वर्ग मुझे मिला था वैसा शायद ही किसी शिक्षकके हिस्से पढ़ा हो। सात वरसके बाल्क-बालिकाओंसे लगाकर २० वरसतकके जवान और १२-१३ वरसतककी लड़-कियाँ इस वर्गमें थीं। कुछ लड़के ऐसे थे जिन्हें जगली कह सकते हैं। वे खूब ऊधम भवाते।

ऐसे जमातको क्या पढाऊ? सबके स्वभावके अनुकूल कौसे होऊँ? फिर सबके साथ किस भाषामें बातचीत करूँ? तामिल और तेलगुभाषी बच्चे या तो अपनी मातृभाषा समझते थे या अग्रेजी। शौड़ी डच भी जानते थे। मुझे तो अग्रेजीसे ही काम लेना होता। मैंने वर्गके दो विभाग कर दिये—गुजराती भाषी बच्चोंसे गुजरातीमें बोलता, बाकी सबसे अग्रेजीमें। शिक्षणकी योजना यह थी कि उसका मुख्य भाग होता तो कोई रोचक वार्ता कहना या पढ़कर सुनाना। बच्चोंको साथ मिलकर बैठना और मित्रभाव, सेवाभाव सिखाना, यही उद्देश्य मैंने सामने रखा था। इतिहास-भौगोलिक शोड़ा सामान्य ज्ञान करा देता और थोड़ा लिखना सिखा देता। कुछको अक्गणित भी सिखाता। इस तरह गाड़ी चला

लेता । प्रार्थनामे गानेके लिए कुछ भजन सिखाता । उसमे शामिल होनेके लिए तामिल बालकोंको भी ललचाता ।

लड़के-लड़कियां आजादीसे साथ उठते-बैठते । टाल्स्टाय फार्ममे मेरा यह सहशिक्षाका प्रयोग अधिक-से-अधिक निर्भय था । जो आजादी मैंने बालक-बालिकाओंको वहां दी या सिखाई थी वह आजादी देने या सिखानेकी मेरी हिम्मत भी आज नहीं होती । मुझे अक्सर ऐसा लगा है कि मेरा मन उन दिनों आजकी अपेक्षा अधिक निर्दोष था । इसका कारण मेरा अज्ञान हो सकता है । इसके बाद कई बार मुझे घोका हुआ है, कठवे अनुभव हुए हैं । जिन्हें मैं निर्तांत निर्दोष समझता था वे संदोष सिद्ध हुए हैं । अपने आप भी गहराईमे पैठनेपर मैंने विकार पाये हैं । इससे मन कातर बन गया है ।

मुझे अपने इस प्रयोगपर पछतावा नहीं । मेरी आत्मा गवाही देती है कि इस प्रयोगसे कुछ भी हानि नहीं हुई; पर दूधका जला छाल्को भी फूक-फूककर पिया करता है । यही बात मेरे बारेमें समझनी चाहिए ।

मनुष्य श्रद्धा या हिम्मत दूसरेसे चूरा नहीं सकता । 'सशम्भात्मा विनश्यति' । टाल्स्टाय फार्ममे मेरी हिम्मत और श्रद्धा पराकाष्ठाको पहुची हुई थी । यह श्रद्धा और हिम्मत फिर देनेके लिए मैं प्रभुसे प्रार्थना किया करता हूँ । पर वह सूने तब न ! उसके सामने तो मुझ-जैसे अगणित भिखारी होते हैं । भरोसा इतना ही है कि जैसे उससे याचना करने-वाले असख्य हैं वैसे उसके कान भी असख्य हैं । इसलिए उसपर मेरी श्रद्धा पूरी है । यह भी जानता हूँ कि जब मैं इसका अधिकारी हो जाऊंगा तब मेरी अर्ज जरूर सुनेगा ।

यह था मेरा प्रयोग । मैं तो बदमाश समझे जानेवाले लड़कों और निर्दोष साधानी लड़कियोंको साथ नहानेको भेजता ।

लड़के-लड़कियोंको मर्यादाधर्मके विपर्यमे खूब समझा दिया था। मेरे सत्याग्रहसे वे सभी परिचित थे। मैं उन्हें माके जितना ही प्यार करता था इसे मैं तो जानता ही था, पर वे भी इसे मानते थे। पाठकोंको पानीके भरनेकी बात याद होगी। वह रसोईसे कुछ ढूरपर था। वहां बालक-वालिकाओंका संगम होने देना और फिर यह आशा रखना कि वे निर्दोष निष्पाप बने रहेंगे? मेरी आखे तो उन लड़कियोंके पीछे वैसे ही फिरा करती थी जैसे मांकी आखें बेटीके पीछे फिरा करती हैं। स्नानका समय नियत था। उसके लिए सब लड़कियां और सब लड़के साथ जाते। संघमे जो एक प्रकारकी सुरक्षितता होती है वह यहां थी। उन्हें कही एकात तो मिलता ही नहीं। आमतौरसे मैं भी उसी बक्त वहां पहुंच जाता।

हम सभी एक खुले वरामदेमें सोते थे। लड़के-लड़कियां मेरे आस-पास सोते। दो विस्तरोंके बीच मुश्किलसे तीन फूटका अंतर होता। विस्तरोंके क्रममें अवश्य थोड़ी सावधानी रखी जाती; पर सदोष मनके लिए यह सावधानी क्या कर सकती थी? अब मैं देखता हूँ कि इन लड़के-लड़कियोंके बारेमे प्रभुने ही लाज रखी। मैंने इस विश्वाससे यह प्रयत्न किया कि लड़के-लड़कियां इस तरह निर्दोष रीतिसे मिल-जुल सकते हैं। उनके मा-बापने मुझपर बेहद विश्वास रखकर यह प्रयोग करने दिया।

एक दिन इन लड़कियोंने ही या किसी लड़केने मुझे सबर दी कि एक युवकने दो लड़कियोंके साथ मजाक किया है। मैं कांप उठा। मैंने जांच की। बात सच थी। युवकोंको समझाया, पर इतना काफी नहीं था। दोनों लड़कियोंके शरीरपर कोई ऐसा चिह्न चाहता था जिससे हरएक युवक यह समझ सके और जान ले कि इन बालाओंपर कुदूषि डाली ही नहीं जा सकती। लड़कियां भी समझ ले कि हमारी पवित्रतापर

कोई हाथ डाल सकता ही नहीं। सीताके शरीरको विकारी रावण स्पर्शतक न कर सका। राम तो दूर थे। ऐसा कौन-सा चिह्न इन लड़कियोंको दू, जिससे वे अपने आपको सुरक्षित समझें और दूसरे भी उन्हें देखकर निर्विकार रहे? रातभर जागा। सबेरे लड़कियोंसे विनती की। उन्हें चौकाये विना समझाकर सलाह दी कि वे अपने सुंदर केश कतर देनेकी इजाजत मुझे दे दे। फार्मपर हम एक दूसरेकी दाढ़ी बनाया और बाल कतर दिया करते थे। इससे कतरनी मेरे पास थी। पहले तो उन लड़कियोंने नहीं समझा। बड़ी स्त्रियोंको मैंने अपनी बात समझा दी थी। उन्हें मेरी सलाह सहन तो नहीं हुई, पर वे मेरा हेतु समझ सकी थी। उनकी मदद मैंके मिली। दोनों लड़कियां भव्य थीं। आह! आज उनमें से एक चल बसी है। वह तेजस्विनी थी! दूसरी जीवित है और अपनी गृहस्थी चला रही है। अतमे वे दोनों समझ गईं। उसी क्षण उस हाथने जो आज यह प्रसंग लिख रहा है, उन वालिकाओंके केशपर कतरनी चला दी। पीछे दरजेमे इस कार्यका विश्लेषण करके सबको समझा दिया। परिणाम सुंदर रहा। फिर मैंने मजाककी बात नहीं सुनी। इन लड़कियोंने कृष्ण स्त्रीया तो नहीं ही। कितना पाया यह तो भगवान ही जानते होंगे। मैं आगा रखता हूँ कि यवक इस घटनाको याद करते और अपनी दृष्टिको चाढ़ रखते होंगे।

ऐसे प्रयोग अनुकरणके लिए नहीं लिखे जाते। कोई निक्षक उनका अनुकरण करे तो वह भारी जोखिम अपने सिरपर लेगा। इस प्रयोगका उल्लेख स्थितिविशेषमे मनव्य किस हृदयक जा सकता है यह दिखाने और सत्याग्रहकी लड़ाईकी विशुद्धता बतानेके लिए किया गया है। इस विशुद्धतामे ही उसकी विजयकी जड़ थी। इस प्रयोगके लिए शिक्षकको मां-बाप दोनों बनना होता है और हर कष्ट-हानिके लिए

तैयार होकर ही ऐसे प्रयोग किये जा सकते हैं। उनके पीछे कठिन तपश्चर्या का बल होना चाहिए।

इस कार्यका असर फार्मबासियोकी सारी रहन-सहनपर पड़े विना न रहा। कम-से-कम खर्चमें गजर करना हमारी उद्देश्य था, इसलिए पहनावेमें भी हेर-फैर किया। दक्षिण अफ़्रीकाके शहरोंमें आमतौरसे हमारे पुरुषवर्गका पहनावा यूरोपियन ढंगका ही होता है। सत्याग्रहियोका भी था। फार्मपर उतने कपड़ोंकी जरूरत नहीं थी। हम सभी मजदूर बन गये थे। इससे पहनावा रखा मजदूरोंका, पर यूरोपीय ढंगका—यानी मजदूरोंके पहननेका पतलून और उसी तरहकी कमीज। इस पहनावेमें जेलका अनकरण था। मोटे आसमानी रगेके कपड़ोंका सस्ता पतलन और कर्मोंज मिलती, वहीं सब पहनते। स्त्रियोंमें अधिकाश सिलाईका काम सुदर रीतिसे कर सकती थी। उन्होंने सिलाईका सारा काम अपने ऊपर ले लिए।

भोजनमें चावल, दाल, तरकारी, रोटी और कभी-कभी खीर होना सामान्य नियम था। ये सारी चीजें एक ही बरतनमें परसी जाती। बरतनमें थालीके बदले जेलकी जैसी तसली रखी गई थी और लकड़ीके चमचे अपने हाथसे बना लिए गये थे। खाना तीन बजे दिया जाता। सबेरे छ. बजे रोटी और गेहूँका कहवा (काफ़ी), ग्यारह बजे दाल-भात और तर-करी और शामके ५॥ बजे गेहूँकी लपसी और दूध या रोटी और गेहूँका कहवा। रातके ९ बजे सबको सो जाना होता। शामके भोजनके बाद सात या साढ़े सात बजे प्रार्थना होती। प्रार्थनामें भजन गये जाते और कभी रामायणसे तो कभी डसलामके धर्मग्रन्थोंमेंसे कुछ पढ़ा जाता। भजन अगेजी, हिंदी और गुजराती-में होते। कभी तीनोंके भजन गये जाते तो कभी एकहीसे।

फार्ममें बहुतरे एकादशी व्रत करते। वहा भाईं पी के कोतवाल पहुँच गये थे जिन्हे उपवास आदिका अच्छा ज्ञान

और अनुभव था। उनको देखकर वहुतोने चातुर्भास किया। इसी बीच रोजा भी आ गया। हममे कछ मुसलमान नौजवान थे। उन्हे रोजा रखनेको प्रोत्साहन देना हमे अपना धर्म जान पड़ा। उसके लिए सरगाही (सहरी) और रातके भोजनका प्रबंध कर दिया। उनके लिए रातमे खोर आदि भी बनती। मासाहार तो होता ही नहीं था। किसीने इसकी मांग भी नहीं की। उनके धर्मभावका सम्मान करनेके लिए हम भी एक ही बन शामको भोजन करते। हमारा सामान्य नियम मर्यास्तसे पहले भोजन कर लेनेका था। मुसलमान लड़के थीं ही थे, इसलिए बत्तर इतना ही होता कि दूसरे सूर्यास्तसे पहले खा-पीकर तैयार हो जाते। मुसलमान नवयुदकोने भी रोजा रखनेमे इतनी भलभनसी बरती कि किसीको ज्यादा तकलीफ न होने दी। पर इस तरह गैर मुस्लिम लड़कोंके आहार-संयममे उनका साथ देनेका असर सबके ऊपर बच्चा ही हुआ। हिंदू-मुसलमानके लड़कोंके बीच मजहबको लेकर एक बार भी झड़ा हुआ हो या भेद उत्पन्न हुआ हो इसकी याद मुझे नहीं है। इसका उलटा मैं जानता हूँ कि सब अपने-अपने धर्मपर दृढ़ रहते हुए भी एक दूसरेके प्रति पूरा आदर रखते और एक दूसरोंको स्वधर्मचिरणमे सहायता देते।

हम शहरसे इतनी दूर रहते थे कि फिर भी बीमारियोंके लिए दवा-दार्का जो साधारण प्रवंध रखा जाता है वैसा कछ भी नहीं रखा गया था। उन दिनों लड़के-लड़कियोंकी निदापताके विषयमें मुझे जो श्रद्धा थी वही श्रद्धा बीमारीमे केवल प्राकृतिक उपचार करनेके विषयमे भी थी। मैं सोचता था कि पहले तो सावे जीवनमे बीमारी होगी ही क्यों और हो भी गई तो हम उसका उपाय कर लेंगे। मेरी आरोग्यविषयक पूँस्तक मेरे प्रयोगों और मेरी उस संयमकी श्रद्धाकी नोटबुक है। मुझे यह अभियान था कि मैं तो बीमार हो ही नहीं सकता।

यह मानना था कि केवल पानी, मिटटी या उपवासके प्रयोग या भोजनके अदल-बदलसे सब प्रकारके रोग दूर किये जा सकते हैं। फार्ममे एक भी बीमारीके मौकेपर डाक्टरका उपयोग नहीं किया गया। उत्तर भारतका रहनेवाला एक सत्तर वरसका बूढ़ा था। उसको दमे और खांसीकी शिकायत थी। वह भी महज खूराकके अदल-बदल और पानीके प्रयोगसे चंगा हो गया। पर ऐसे प्रथल करनेकी हिम्मत अब मैं खो बैठा हूँ और खुद दो बार बीमार पड़नेके बाद यह मानने लगा हूँ कि मैंने इसका अधिकार भी खो दिया।

फार्म जब चल रहा था उसी बीच स्व० गोखले दक्षिण अफ्रीका आये थे। उनकी यात्राके वर्णनके लिए तो अलग प्रकरणकी जरूरत है। पर उसका एक कड़वा-भीठा सम्मरण यहा लिखे देता हूँ। हमारा जीवन कैसा था यह तो पाठकोने जान ही लिया। फार्ममे खाट-जैसी कोई चीज़ नहीं थी; पर गोखलेजीके लिए एक माग लाये। कोई ऐसा कमरा नहीं था जहाँ उनको पूरा एकात मिले। बैठनेके लिए पाठशालाकी बेचे भर थी। ऐसी स्थितिमे भी नाजुक तबियत-वाले गोखलेजीको फार्मपर लाये बिना हमसे कैसे रहा जाता? कैसे वह भी उसे देखे बिना कैसे रह सकते थे? मेरा स्थान था कि उनका शरीर एक रातकी तकलीफ बदाशित कर लेगा और वह स्टेशनसे फार्मतक डेढ़ मील पैदल भी आ सकते हैं। मैंने उनसे पूछ लिया था और अपनी सरलतावश उन्होने बिना सोचे-समझे मुझपर विश्वास रखकर सारी व्यवस्था स्वीकार कर ली थी। संयोगवश उसी दिन वर्षा भी हो गई। यकायक मेरे किये प्रबंधमे कोई हेरफेर नहीं हो सकता था। इस अज्ञानभरे प्रेमके कारण उस दिन मैंने गोखलेजीको जो कष्ट दिया वह मुझे कभी नहीं भला। इतना बड़ा परिवर्तन उनकी प्रकृति सहन नहीं कर सकती थी। उन्हे ठंड लग गई।

भोजनके लिए उन्हे रसोइमे नहीं ले जा सकते थे । मिं० केलनबेकके कमरेमे उन्हे उत्तारा था । वहाँ खाना ले जानेमे ठड़ा तो हो ही जाता । उनके लिए मैं खास घोरवा बनाता । भाइं कोतवाल खास चपातिया बनाते । पर वे गरम कैसे रखे जाय ? ज्यो-स्थ्र्यों करके निवटाया । गोखलेने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा; पर उनके चेहरेसे मैं समझ गया और अपनी मूर्खता भी समझ गया । जब उन्हे मालूम हुआ कि हम सभी जमीनपर सोते हैं तब उनके लिए जो स्टार्ट लॉइंग है वही उसे हटा दिया और अपना विस्तर भी फर्शपर ही लगा लिया । यह रात मैंने पश्चात्ताप करते चिंताई । गोखलेकी एक आदत थी जिसे मैं दुरी आदत कहता । वह नौकरकी ही सेवा स्वीकार करते । ऐसी यात्राओंमें नौकरको साथ न रखते । मैंने और मिं० केलनबेकने उनसे बहुत चिंती की कि हमे पाव दबाने दीजिए; पर वह टस-से-मस न हुए । हमे अपना शरीर स्पर्शतक न करने दिया । उलटे आधी खीझ और आधी हँसीमें कहा—“जान पढ़ता है कि आप सब लोगोंने यही समझ लिया है कि कष्ट भोगनेके लिए अकेले आप ही लोग जन्मे हो और हम-जैसे लोग इसीलिए पैदा हुए हैं कि तुम्हें कष्ट दे । अपनी अतिकी सजा आज तुम पूरी-परी भोग लो । मैं तुम्हें अपना शरीर छुनेतक नहीं दूगा । तुम सब लोग निवटनेके लिए दूर जावोगे और मैंरे लिए कमोड रखोगे ! ऐसा क्यों ? चाहे जितनी तकलीफ उठानी पड़े, मैं भोग लूँगा; पर तूम्हारा गर्व चर करूँगा ।” यह वचन हमारे लिए वज्रसमान थे । मैं और मिं० केलनबेक जिन्न हुए; पर इतना ढाढ़स था कि उनके चेहरेपर हास्य था । अर्जुनने कुण्डको अनजानेमें बहुत कष्ट दिया होगा, पर कुण्डने क्या उसे याद रखा ? गोखलेने हमारा सेवाका भाव ही याद रखा, सेवा तो करते ही नहीं थी । मोदासासे उन्होंने मुझे जो प्रेमभरा पत्र लिखा वह मेरे हृदयपर अंकित हो गया है । उन्होंने कष्ट सह लिये, पर जो

सेवा हम कर सकते थे वह अततक न करने दी । भोजन आदि हमारे हाथसे न लेते तो करते क्या ?

अगले दिन सवेरे न उन्होने खुद आराम लिया, न हमें लेने दिया । उनके सब भाषणोंको जिन्हे हम पुस्तकरूपमें छपाने जा रहे थे, सुधारा । उनकी आदत थी कि कुछ भी लिखना हो तो उसका मजमून इधर-से-उधर टहलते हुए सोचते । उन्हें एक छोटा-सा पत्र लिखना था । मैंने सोचा कि उसे तो वह तरत लिख डालेंगे; पर उन्होने ऐसा नहीं किया । मैंने टीका कीं तो मुझे यह व्याख्यान सुनना पड़ा—“मेरा जीवन तुम क्या जानो ? मैं छोटी-से-छोटी बातें भी उत्तावलीमें नहीं करता । उसको सोचता हूँ । उसके मध्यविदुको सोचता हूँ; फिर विषयके अनुरूप भाषाका विचार करता हूँ और तब लिखता हूँ । सब ऐसा करे तो कितना बक्त बच जाय ? और समाज भी आज जो अव-कररे विचार उसे मिले रहे हैं उनके भारसे बच जाय ।”

जैसे गोखलेके आगमनके वर्णनके विना टाल्स्टाय फार्म-के संस्मरण अधूरे माने जायंगे वैसे ही मिठो केलनबेकी रहन-सहनके विषयमें भी यही बात कही जा सकती है । इस निर्मल पुस्तक परिचय मैं पहले करा चुका हूँ । मिठो केलनबेका टाल्स्टाय फार्ममें, हम लोगोंके बीचमें हम-जैसे ही होकर रहना यही अचरजकी बात थी । गोखले सामान्य बातोंसे आकृष्ट होने-वाले आदमी नहीं थे; पर केलनबेकके जीवनके महान परिवर्तन-से वह भी अतिशय आकृष्ट हुए थे । केलनबेकने कभी दुनियाकी सर्दी-गर्मी न सही थी, एक भी तकलीफ या अडचन न उठाइ थी । असरम उनका धर्म ही गया था । ससारके सुख भोगनेमें उन्होने कोई कसर नहीं रखी थी । पैरेंगे जो चीज मिल सकती थी अपने सुखके लिए उसे प्राप्त करनेमें उन्होने कभी आगा-पीछा न किया था ।

ऐसे आदमीका टाल्स्टाय फार्ममें रहना, सोना-वैठना,

खाना-पीना और फार्मवासियोंके साथ घुल-मिल जाना ऐसी-वैसी बात नहीं थी। हम लोगोंको यह देखकर आनंदजनक आश्चर्य हुआ। कुछ गोरोते मिठाकेलनबेकको मूर्ख या पागल समझ लिया। दूसरे कितनोंके दिलमें उनकी त्यागशक्तिको देखकर उनके लिए इच्छत बढ़ी। केलनबेकने अपने त्यागको कभी दुखरूप न माना। जितना आनंद उन्होंने सुखोंके भोगमें पाया था उससे अधिक उनके त्यागमें पाया। सारी जिदगीके सुखका वर्णन करते हुए वह तल्लीन हो जाते और क्षणभरके लिए तो सुननेवालेको भी वह सुख भोगनेकी इच्छा हो जाती। छोटें-बड़े सबके साथ वह इतने प्रेमसे हिल-मिल जाते कि उनका अल्प वियोग भी सबको खले बिना न रहता। उन्हे फलवाले पेड़ोंका बड़ा शौक था। इससे मालीका काम उन्होंने अपने ही लिए रख छोड़ा था। रोज सदेरे बच्चों और बड़ोंसे भी सीचने-संवारनेका काम करते। वह इतने हँसमुख और स्वभावके इतने आनन्दमय थे कि मशक्कत पूरी करते, फिर भी उनके साथ काम करना सबको रुचता। जब-कभी रातके दो बजे उठकर टाल्सूटाय फार्मसे जोहान्सवर्गसे जाने वाले निकलते तो मिठाकेलनबेक इस टोलीमें जरूर होते।

इनके साथ वार्मिक संवाद सदा हुआ करता था। मेरे पास अहिंसा, सत्य इत्यादि कामोंको छोड़कर दूसरी बात हो ही क्या सकती थी? सर्पादिक मारनेमें भी पाप है, मेरी इस बातसे जैसे मेरे अनेक दृसरे पूरीपियन मित्र पहले चौकें थे वैसे ही मिठाकेलनबेकको भी घबका लगा; पर पीछे तात्प्रक दृष्टिसे उन्होंने यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया। हमारे सबके आरंभमें ही उन्होंने यह बात मान ली थी कि वुद्धि जिस वस्तुको स्वीकार कर ले उसका आचरण करना उचित और धर्म है। इसीमें वह अपने जीवनमें इतने महत्वके परिवर्तन एक क्षणमें बिना किसी हिचक-के कर सके थे। अब अगर सर्पादिका मारना अनुचित है तो

मि० केलनबेकको इच्छा हुई कि उनकी मित्रता संपादन करे। पहले तो उन्होने ऐसी पुस्तके इकट्ठी की जिनसे भिन्न-भिन्न जातिके सापोंकी पहचान हो सके। उनमें उन्होने देखा कि सभी साप जहरीले नहीं होते। कुछ तो खेतोंकी फसलकी रक्षा करनेवाले होते हैं। हम सबनै सापोंको पहचानना सीख लिया और अतमे एक विशाल अजगरको, जो फार्मसे ही मिल गया था, पाल लिया। उसको सदा अपने ही हाथसे खाना देते। मैंने नरमीसे उनके साथ यह दलील की—“यद्यपि आपका भाव शुद्ध है फिर भी अजगर तो उसको पहचाननेसे रहा, क्योंकि आपकी प्रीतिके साथ भय मिला हुआ है। उसको खुला रखकर उसके साथ खेड़नेकी हिम्मत तो न आपकी है, न मेरी और ऐसी हिम्मत ही वह चीज़ है जिसे हम अपने अदर पैदा करना चाहते हैं। इसलिए इस सर्पको पालनेमे मे सद्भाव तो देखता हू; पर उसमे अहिंसा नहीं देखता। हमारा व्यवहार तो ऐसा होना चाहिए कि अजगर उसे पहचान सके। प्राणिमात्र भय और प्रीतिको पहचानते हैं, यह तो हमारा रोजका अनुभव है। फिर इस सांपको आप जहरीला तो मानते ही नहीं। इसके तौर-तरीके, इसकी आदने आदि जाननेके लिए ही उसे कैद कर रखा है। यह एक प्रकारकी विलासिता है। मित्रनामे इसके लिए भी स्थान नहीं है।”

मि० केलनबेकवो यह दलील जंची, पर उस अजगरको तुरत छोड़ देनेकी उनदी इच्छा नहीं हुई। मैंने किसी तरहका दबाव नहीं ढाला। सर्पके व्यवहारमें मैं भी रस लेने लगा था और बच्चोंको तो उसमे अतिशय आनंद मिल रहा था, उगको तग करनेकी सभीको मनाही थी; पर इस कैदीने अपना रास्ता खुद निकाल लिया। पिंजड़का दरवाजा ढला रह गया ही या उसी ने युक्तिसे खोल लिया हो, चाहे जो कारण हो, दो-चार दिनके अदर ही एक दिन सबेरे मि० केलनबेक अपने कैदी मिटाने

मिलने गये तो देखते हैं कि उसका पिजडा खाली है । वह खुश हुए, मैं भी हुआ; पर इस प्रयोगके फलस्वरूप सर्प हमारी बात-चीतका स्थायी विषय हो गया था ।

मिं० केलनबेक एक गरीव जर्मनको फार्मपर लाये थे । वह गरीव तो था ही, अपंग भी था । उसका कूबड़ इतना निकल आया था कि लकड़ीके सहारेके बिना चल ही नहीं सकता । उसकी हिम्मतकी हद नहीं थी । शिक्षित होनेसे सूधम बातोंमें बहुत रस लेता था । फार्ममें वह भी हिंदुस्तानियों-जैसा ही होकर सबके साथ हिल-मिलकर रहता था । उसने निर्भय होकर सांपोंके साथ खेलना शुरू किया । छोटे सांपोंको तो हाथमें पकड़कर ले आता और हथेलीपर रखकर खिलाता भी । फार्म लवे अरसेतक चलता तो इस जर्मनके, जिसका नाम बॉल्ड्रेस्ट था, प्रयोगका फल क्या होता, यह तो ईश्वर ही जाने ।

इन प्रयोगोंके फलस्वरूप यद्यपि हमारे मनमे सांपोका ढर घट गया था; पर कोई यह न समझ ले कि फार्ममें कोई सापसे ढरता ही नहीं था या सर्पादिको मारनेकी सभीको मनाही थी । अमुक वस्तुमें हिंसा है या पाप है, यह मान लेना एक बात है और तदनुसार आचरण करनेकी शक्ति होना दूसरी बात है । जिसके मनमें सांपका ढर बना हो और जो स्वयं प्राण त्याग करनेको तैयार न हो वह संकटमें पढ़नेपर सांपको छोड़नेवाला नहीं । फार्ममें ऐसी एक घटना हुई थी जो मुझे याद है । पाठकोंने यह तो समझही लिया होगा कि वहाँ सांपोंका उपद्रव काफी था । हम जब इस फार्ममें गये तब वहाँ आदमियोंकी वस्ती विलक्कल ही नहीं थी और कुछ अरसेसे योही निजंन पढ़ा था । एक दिन मिं० केलनबेकके ही कमरेमें सांप दिखाई दिया और ऐसी जगह जहाँसे उसे भगाना या पकड़ लेना नामुम-किन-सा था । फार्मके एक विद्यार्थीने उसको देखा । उसने

मुझे बुलाया और पूछा कि अब क्या करना चाहिए । उसने उसे मारनेकी इजाजत मारी । इस अनुभवितके बिना वह सापको मार सकता था; पर आम तौरसे विद्यार्थी या दूसरे लोग भी मुझसे पूछे बिना ऐसे काम नहीं करते थे । मारनेकी इजाजत दे देना मुझे अपना धर्म दिखाई दिया और मैंने इजाजत दे दी । यह बात लिखते समय भी मुझे ऐसा नहीं जान पड़ता कि यह इजाजत देनेमें मैंने कोई गलती की । सापको हाथसे पकड़ लेने या फार्मवासियोको और किसी तरह भयमुक्त कर देनेकी मुझमें शक्ति न थी और आज भी उसे उत्पन्न नहीं कर सकता हूँ ।

फार्ममें सत्याग्रहियोंका ज्वारभाटा आया करता था, यह बात तो पाठक आसानीसे समझ सकते हैं । कोई सत्याग्रही जेल जानेवाला होता तो कोई न-कोई उससे छटकर आया होता । छूटकर आनेवालोंमें दो ऐसे आये जिन्हे मजिस्ट्रेटने जाती मुच्चलकेपर छोड़ा था और जिन्हे सजा सूननेके लिए अगले दिन अदालतमें हाजिर होना था । वे बैठे बातें कर रहे थे । इतनेमें उनके लिए जो आखिरी ट्रैन थी उसका बक्त हो गया और वे उसे पा सकेंगे या नहीं, यह सदिग्ध हो गया । दोनों जवान थे और अच्छे कसरती थे । वे और हमसेसे भी कुछ लोग जो उन्हें विदा करने जानेवाले थे, दौड़े । रास्तमें ही मैंने ट्रैनके आनेकी सीटी सुनी । ट्रैन छूटनेकी सीटी हुई तब हम स्टेशनकी बाहरी हृदतक पहुँच पाये थे । वे दोनों भाई तो अधिकाधिक तेज दौड़ते जा रहे थे । मैं पीछे छूट गया । ट्रैन चल दी । दोनों युवकोंको दौड़ते देख स्टेशनमास्टरने चलती ट्रैन रोक दी और उनको बैठा लिया । मैंने स्टेशन पहुँचकर स्टेशनमास्टरके प्रति कृतज्ञता प्रकट की । इस घटनाका वर्णन करनेमें मैंने दो बातें जतायी हैं : एक तो यह कि सत्याग्रहियोंको जेल जाने और प्रतिज्ञा का पालन करनेकी कितनी उत्सुकता होती थी । दूसरी

यह कि स्थानीय कर्मचारियोंके साथ उन्होंने कैसा मधुर संबंध छोड़ लिया था । ये युवक उस ट्रेनको न पकड़ सके होते तो अगले दिन बदालतमें हाजिर न हो पाते । उनका कोई दूसरा जाग्रित नहीं था । न उनसे रुपये-पैसेकी ही जमानत ली गई थी । वे महज अपनी भलमनसीके विश्वासपर छोड़े गये थे । सत्याग्रहियोंकी साख इतनी हो गई थी कि उनके खुद जेल जानेसे आतुर होनेके कारण मजिस्ट्रेट उनसे जमानत लेनेकी जल्दत नहीं समझते थे । इस कारण इन युवक सत्याग्रहियोंको ट्रेन छूट जानेके दूरमे भारी खेद हुआ था । अतः वे बायुवेगसे दौड़े । सत्याग्रहके आरम्भमें अधिकारियोंकी ओरसे सत्याग्रहियोंको कुछ कप्ट दिये गये थे, यह बात कही जा सकती है । यह भी कह सकते हैं कि कही-कही जेलके अफसर-अहलकार वहूत ज्यादा सख्त थे; पर लड़ाई ज्यो-ज्यों आगे बढ़ती गई हमने कुल मिलाकर देखा कि अहलकार पहलेसे बम कहवे हो गये और कुछ तो मीठे भी हो गये और जहाँ उनके साथ लवा सावका पड़ा वहाँ इस स्टेशनमास्टरकी तरह हमारी मदद भी करने लगे । कोई पाठक इससे यह न सोचें कि सत्याग्रहियोंने अहलकारोंको किसी तरह धूस देकर उनसे सुभीते प्राप्त किये । ऐसे अयोग्य सुभीते प्राप्त करनेकी बात उन्होंने कभी सोची ही नहीं; पर सम्यताके सुभीते लेनेका हौसला किसको न होगा ? और वैसे सुभीते सत्याग्रहियोंको कितनी ही जगह मिल सकते थे । स्टेशनमास्टर प्रतिकूल हो तो नियमोंकी सीमामें रहते हुए भी मुसाफिरको कितनी ही तरहसे हैरान कर सकता है । ऐसी हैरानियोंके खिलाफ आप कोई विकायत—फरियाद भी नहीं कर सकते । और वह अनुकूल हो तो कायदेके बदर रहकर भी आपको वहूतसे सुभीने दे सकता है । ऐसी सब सहूलियतें हम फार्मके पासके स्टेशन लॉलेके स्टेशन-मास्टरसे पा सके थे और इसका कारण था सत्याग्रहियोंका सीजन्य, उनका धर्य और कप्ट-सहन करनेकी उनकी अक्षित ।

एक अप्रस्तुत प्रसगकी चर्चा यहां कर देना सभवत अनुचित है। माना जायगा। मुझे भोजनके सुधार और प्रयोग धार्मिक, आर्थिक और आरोग्यकी दृष्टिसे करनेका शौक लगभग ३५ वरसे रहा है। यह शौक आज भी मद नहीं पड़ा है। नेरे प्रयोगोंका असर मेरे आसपासवालोंपर तो पड़ता ही है। इन प्रयोगोंके साथ दबाकी मदद लिये बिना प्राकृतिक-जैसे पानी और मिट्टीके—उपचारोंसे रोग मिटानेके प्रयोग भी मैं करता था। जब बकालूत करता था उन दिनों मवकिलोंके साथ मेरा संवध कीटविक-जैसा हो जाता। इससे वे मुझे अपने सुख-दूखमें साथी बनाते। कुछ आरोग्यविधयक नेरे प्रयोगोंसे परिचित हो जानेके बाद उस विषयमें मेरी सहायता लेते। ऐसी सहायता लेनेवाले कभी-कभी टल्स्टाय फार्मसेपर भी चढ़ आते। यो जानेवालोंमें लुटावन नामका एक बूढ़ा था जो उत्तर भारतका रहनेवाला था और पहले गिरमिटमें दक्षिण अफ्रीका आया था। उसकी उम्र ७०के पार होगी। उसे पुराने दमे और खासीकी बीमारी थी। बैद्योंके चर्ण और डाक्टरोंके मिस्सचर काफी आजमा चुका था। उन दिनों अपने उपचारोंके विषयमें मेरे विश्वासकी भी कोई सीमा नहीं थी। मैंने कहा कि तुम मेरी सभी शर्तोंका पालन करो और फार्मसेपर रहो तो मैं तुमपर अपने प्रयोगोंकी परीक्षा कर सकता हूँ। यह तो कैसे कह सकता हूँ कि मैंने उसका इलाज करना कबूल किया। लुटावनने मेरी शर्तें मजूर कर ली। उसको तबाक पीनेका भारी व्यसन था। उससे जो शर्तें कबूल कराई गई थीं उनमें एक तबाक छोड़ देनेकी भी थी। लुटावनको मैंने एक दिनका उपचास कराया। रोज १२ बजे धूपमें कले बाथ देना शुरू किया। उस बक्त औसत ऐसा था कि धूपमें बैठा जा सके। भोजनमें थोड़ा भात, थोड़ा जैतूनका तेल, शहद और शहदके साथ कभी खीर और मीठी नारंगी और कभी अगूर

और भुने गेहूंका कहवा देता। नमक-मसाला विलक्कल अद था। जिस भकानमे मैं सोता, उसीमे भीतरके हिस्सेमे लुटावनका भी बिस्तर लगता था। बिस्तरमे सबको दो कबल मिलते थे—एक बिछानेके लिए दूसरा बोढ़नेके लिए। और एक काठका तकिया होता था। एक अठवारा बीता। लुटावनके शरीरमे तेज आया। दमा घटा, खासी भी घटी। पर रातमे दमा और खासी दोनों उठते। मेरा शक तबाक-पर गया। मैंने उससे पूछा। लुटावनने कहा—“मैं नहीं पीता।” एक-दो दिन और गये। फिर भी फक्कं न पड़ा तो मैंने छिपे तौरपर लुटावनपर निगाह रखनेका निश्चय किया। सभी जमीनपर सौते थे। सर्पादिका भय तो था ही, इसलिए भि० कोलनबेकने मुझे विजलीकी चोरवत्ती (टाँच) दे रखी थी और खुद भी एक रखते थे। इस वत्तीको मैं पास रखकर सोता। एक रात मैंने तैं किया कि बिस्तरपर पड़ा-पड़ा जागता रहूगा। दरवाजेके बाहर बरामदेमे मेरा बिस्तर था और दरवाजेके भीतर बगलमें ही लुटावनका लगा था। आधी रातको लुटावनको खासी आई। उसने दिया-सलाई जलाई और बीड़ी पीना शुरू किया। मैं धीरेसे जाकर उसके बिस्तरके पास खड़ा हो गया और वत्तीका बटन दबा दिया। लुटावन घबराया, सब समझ गया। बीड़ी बुझा दी और मेरे पाव पकड़ लिए। “मैंने भारी कसर किया। अब मैं कभी तंबाकू न पीऊगा। आपको मैंने धोखा दिया। मुझको आप माफ करें।” यह कहते-कहते लुटावनका गला भर आया। मैंने उसको तसल्ली दी और कहा कि बीड़ी न पीनेमे तुम्हारा हित है। मेरे हिसाबसे खासी अबतक चली जानी चाहिए थी। वह नहीं गई, इसलिए मुझे शक हुआ। लुटावनकी बीड़ी गड़ और उसके साथ दो या तीन दिनमे खासी और दमा ढीले पहुँ, और एक महीनेमे दोनों

चले गये। लुटावनमे खूब तेज-शक्ति-उत्साह आ गया और उसने हमसे विदा माँगी।

स्टेशनमास्टरका केटा, जो दो सालका रहा होगा, टाइफाइड ज्वरसे पीड़ित हुआ। उन्हे मेरे उपचारोंका पता था ही। मुझसे सलाह ली। उस वच्चेको दो दिन तो मैंने कुछ भी खानेको नहीं दिया। तीसरे दिनसे आवा केला, खूब मसला हुआ और उसमें एक चम्मच जैतूनका तेल और दो-चार बूद नीबूका रस डालकर देने लगा। इसके सिवा और सब खुराक बंद। रातमें उसके पेटपर मिट्टीकी पट्टी बाधता। यह वच्चा भी चंगा हो गया। हां मकता है कि डाक्टरका निदान गलत रहा हो और उसका बुखार टाइफाइड (मिथादी) न रहा हो।

ऐसे बहुतेरे प्रयोग मैंने फार्ममें किये। उनमेंसे एकमें भी विफल होनेकी बात मुझे याद नहीं है; पर आज वहीं उपचार करनेकी मेरी हिम्मत नहीं होती। टाइफाइडके रोगीको जैतूनका तेल और केला देते तो मुझे कपकंपी होने लगेगी। १९१८ मे हिंदुस्तानमें मुझे आवकी दीमारी हुई और उसीका इलाज मेरे किये न हो सका और मुझे आजतक इसका पता नहीं कि जो उपचार दक्षिण अफ्रीकाम सफल होते थे वही उपचार हिंदुस्तानमें उसी अंशमें सफल नहीं होते। इसका कारण मेरे आत्मविद्वासका घट जाना है या यहकि यहांकी जलवायु उन उपचारोंके पूरी तरह अनुकूल नहीं? मैं इतना जानता हूँ कि इन घरेल इलाजों और टाल्स्ट्राय फार्ममें रखी गईं सादी जिदगीसे कीर्यके कुछ नहीं तो भी दो-तीन लाख रुपये बच गये। रहनेवालोंमें कौटुम्बिक भावना उत्पन्न हुई। सत्याग्रहियोंको शुद्ध आश्रय-स्थान मिला। बैंगानी और मक्कारीके लिए अवकाश न रहा, मूग और कट्टी अलग-अलग हो गईं।

ऊपरकी घटनाओंमें वर्णित आहारके प्रयोग आरोग्यकी दृष्टिसे किये गये; पर इस फार्मके अंदर ही मैंने अपने ऊपर एक अतिथाय महत्वका प्रयोग किया, जो शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टिसे था।

निराभिषभोजीकी हैसियतसे हमें दूध लेनेका विचार है या नहीं, इस विपर्यपर मैंने खूब विचार किया था, खूब पढ़ा भी था, पर फार्ममे रहनेके दिनोंमें कोई पुस्तक या अखबार मेरे हाथमें पढ़ा जिसमें मैंने देखा कि कलकत्तेमें गाय-भैसोका दूध निचोड़कर निकाल लिया जाता है। उस लेखमें फूकेकी निर्देशताभरी और भयानक क्रियाका भी वर्णन था। एक बार मि० केलनबेक साथ दूध लेनेकी आवश्यकताके बारेमें बात-चीत हो रही थी। उस सिलसिलेमें मैंने इस क्रियाकी बात भी कही। दूधके त्यागके दूसरे अनेक आध्यात्मिक लाभ भी मैंने बताये और कहा कि दूध छोड़ा जा सकता हो तो अच्छा है। मि० केलनबेक अत्यन्त साहसी थे, इसलिए दुर्घट-त्यागके प्रयोगके लिए तुरत तैयार हो गये। उन्हें मेरी बात बहुत पसंद आई। उसी दिन हम दोनोंने दूध त्याग दिया और अंतमें हम केवल सूखे और ताजे फलोंपर रहने लगे। आगपर पकाई हुई हर तरहकी खुराक त्याग दी। इस प्रयोगका अंत कथा हुआ, इसका इतिहास देनेका यह स्थान नहीं है। पर इतना तो कह ही दूँ कि मैं केवल फल खाकर पांच बरस रहा। इससे न मैंने कोई कमज़ोरी अनुभव की और न मुझे किसी प्रकारकी व्याधि हुई। इस कालमे मुझमें शारीरिक काम करनेकी पूरी शक्ति थी, यहांतक कि एक दिन-मे मैं पैदल ५५ मीलकी यात्रा कर सकता था। दिनभरमें ४० मीलकी मंजिल कर लेना तो मामली बात थी। भेरा दृढ़ विश्वास है कि इस प्रयोगके आध्यात्मिक परिणाम बड़े सुदर हुए। इस प्रयोगको अंशतः त्याग देना पड़ा, इसका दुर्भ

मुझे सदा रहा है और मैं राजनीतिक काम-काजके भ्रमलें-मैं जिस हृदयक उलझ गया हैं उससे छुटकारा पा सकूँ तो इस उम्रमें और शरीरके लिए जोखिय लेकर भी इसके आध्यात्मिक फलके परीक्षणके लिए फिरसे यह प्रयोग कर देख। डाक्टरों-वैद्योंमें आध्यात्मिक दृष्टिका अभाव होना भी हमारे मार्गमें विघ्नकारक हो गया है।

पर अब इन मधुर और महत्वके सस्मरणोकी समाप्ति करनी होगी। ऐसे कठिन प्रयोग आत्मशुद्धिके समाप्तके अंदर ही किये जा सकते हैं। आखिरी लडाईके लिए टाल्स्टाय फार्म आध्यात्मिक शुद्धि और तपश्चर्याका स्थान सिद्ध हुआ। इसमें मुझे पूरा सदैह है कि ऐसा स्थान न मिला होता या प्राप्त किया गया होता तो आठ बरसतक हमारी लडाई चल सकी होती या नहीं, हमें अधिक पैसा मिल सका होता या नहीं और अतमें जो हजारों आदमी लडाईमें शामिल हुए वे जामिल होते या नहीं। टाल्स्टाय फार्मका ढोल पीटनेका नियम हमने नहीं रखा था। फिर भी जो वस्तु दयाकी पात्र नहीं थी उसने लोगोके दयाभाव, सहानुभृतिको जाग्रत किया। उन्होंने देखा कि हम खुद जो बात करनेको तैयार नहीं हैं और जिसे कष्ट-रूप मानते हैं, फार्मवासी उस बातको कर रहे हैं। उनका यह विश्वास, १९१३ में जो फिरमे बड़े पैमानेपर लटाई शुरू हुई, उसके लिए बड़ी पूजीरूप हो गया। इस पूजीको मुआविजेंका हिसाब नहीं हो सकता। मुआवजा कब मिलता है, यह भी कोई नहीं कह सकता। पर मिलता है इस विषयमें मुझे तो तनिक भी शंका नहीं और मेरा कहना है कि किसीको भी शंका नहीं करनी चाहिए।

: १२ :

गोखलेकी यात्रा—१

इस तरह टाल्स्टाय फार्ममे सत्याप्रही अपनी जिदगी विता रहे थे और जो कुछ उनके नसीबमे लिखा था उसके लिए तैयार हो रहे थे। युद्ध कद समाप्त होगा इसका न रहे पता था, न चिंता थी। उनकी प्रतिज्ञा एक ही थी : खुनी काननके सामने सिर न झुकायेंगे और ऐसा करते हुए जी कष्ट सिरपर आयेंगे उन्हे सह लेंगे। सिपाहीके लिए लड़ना ही जीत है; व्योकि इसमे ही वह सुख मानता है और चूंकि लड़ना अपने हाथमे होता है इसलिए वह मानता है कि हार-जीत या सुख-दुःख खुद मुझपर ही अवलम्बित है। या यों कह सकते हैं कि पराजय-जैसी चीज उसके शब्दकोपमे होती ही नहीं। नीताके शब्दोमे कह तो उसके लिए सुख-दुःख, हार-जीत समान है।

इकने-दुकने सत्याप्रही जेल जाया करते थे। जब इसका मौका न हो तब फार्मके वाहरी कामोको देखकर कोई यह नहीं सोच सकता था कि इसमे सत्याप्रही रहते होंगे औरवे लडाईकी तैयारी कर रहे होंगे। फिर भी कोई नास्तिक वहाँ आ जाता तो वह मित्र होता तो हमपर तरस जाता और आलोचक होता तो हमारी निदा करता। कहता—“आलस सवार हो गया है। डसीसे जगलमे पड़े-यडे रोटियां जा रहे हैं। जैलसे हार गये हैं, इत्तलिए सुदर फलोद्धानमे बसकर नियमित जीवन विता और शहरके भरभरीसे दूर रहकर सुख भोग रहे हैं।” ऐसे आलोचकको कैसे समझाया जाय कि सत्याप्रही अयोग्य रीतिसे नीतिको भग करके जेल जा ही नहीं सकता ? उसे कौन समझाये कि सत्याप्रहीकी आतिमे, उसके संयममे

ही लडाईकी तैयारी होती है ? उससे कौन कहे कि सत्याग्रही मनुष्यकी सहायताका ख्यालतक दिलसे निकाल देता है, केवल भगवानका भरोसा रखता है । परिणाम यह हुआ कि जिन्हें किसीने न सोचा था ऐसे संयोग आ उपस्थित हुए या भगवानने भेज दिये । ऐसी सहायता भी मिली जिसकी आशा हम नहीं रखते थे । हमारी परीक्षा भी अचानक, जब वह हमारी कल्पनासे कोसों दूर थी, आ पहुँची और अंतमें ऐसी बाह्य क्रिया भी मिली, जिसको दुनिया समझ सके ।

~~मैं अरसेसे गोखले~~ और दूसरे नेताओंसे प्रार्थना करता आ रहा था कि दक्षिण अफ्रीका आकर भारतीयोंकी स्थिति-को देखें । पर कोई आयेगे या नहीं इस विषयमें मुझे पूरा संदेह था । मिठ रिच किसी भी नेताको भेजनेकी कोशिश कर रहे थे; पर जब लडाई बिलकूल ही मंद पड़ गई हो वैसे वक्तमें आनेकी हिम्मत कौन करता ? १९११ मे गोखले विलायतमें थे । उन्होंने दक्षिण अफ्रीकाके संग्रामका अध्ययन तो किया ही था । वही कौसिलमे बहस भी की थी और गिर-मिटियोका नेटाल भेजना बद कर देनेका प्रस्ताव भी पेश किया था (२५ फरवरी १९१०), जो पास हुआ । उनके राय मेरा पत्र-व्यवहार बराबर चल ही रहा था । भारतमन्त्रीके साथ वह मणिरा भी कर रहे थे और उन्हे यह जता दिया गया था कि वह दक्षिण अफ्रीका जाकर पूरे मसलेको समझना चाहते हैं । भारतमन्त्रीने उनके हाराएको पराद किया था ~~जोखलेने~~ मुझे छः हस्तेके दौरेकी योजना बनाने-को लिख भेजा और दक्षिण अफ्रीकासे विदा होनेकी आखिरी तारीख भी लिख दी । हमारे हृषका तो पार ही न रहा । किसी भी भारतीय नेताने अवतक दक्षिण अफ्रीकाकी यात्रा नहीं की थी । दक्षिण अफ्रीकाकी बात तो क्या, हिंदुस्तानके बाहरके एक भी देश या उपनिवेशमे प्रवारी

भारतियोंकी हालत समझनेके उद्देश्यसे कोई नहीं गया था । इससे हम सभी गोखलें जैसे महान् नेताओं आणुसनको महत्वको समझ सके और निश्चय किया कि उनका ऐसा स्वागत-सम्मान किया जाय जैसा कभी किसी वादशाहका भी न हुआ हो । दक्षिण अफ्रीकाके मुख्य-मुख्य नगरोमे उनको ले जानकी बात भी तै की गई । सत्याग्रही और दूसरे हिंदुस्तानी स्वागतकी तैयारीमे खूबीसे बारीक हुए । इस स्वागतमे शामिल होनेके लिए गोरोको भी निमंत्रण दिया गया और लगभग सभी जगह वे उसमे सम्मिलित हुए । हमने यह भी तै किया कि जहा-जहां सार्वजनिक सभा की जाय वहा-वहा उस नगरका भेयर स्वीकार करे तो आमतौरसे उसीको सभापतिके आसनपर बिठाया जाय और जहा-जहा मिल सके वहा-वहां टाउनहालमें ही सभा की जाय । रेलवे विभागकी इजाजत लेकर रास्ते-के बड़े-बड़े स्टेशनोंको सजानेका भार भी अपने ऊपर लिया और अधिकांश स्टेशनोंके सजानेकी इजाजत भी हासिल कर ली । आमतौरसे ऐसी इजाजत नहीं दी जाती । स्वागतकी हमारी जबर्दस्त तैयारीका असर अधिकारियोंपर हुआ और उसमे जितनी हमदर्दी वह दिखा सके उतनी दिखाई । मिसालके लिए जोहान्सर्वामे वहांके स्टेशनको सजानेमें ही हमे कोई १५ दिन लग गये होंगे; क्योंकि वहां हमने एक सुंदर चित्रित तोरण बनाया था, जिसका नकाशा मिं० केलनवेकने तैयार किया था ।

दक्षिण अफ्रीका कैसा देश है इसका अंदाजा गोखलेको बिलायतमे ही हो गया था । भारतमंत्रीने दक्षिण अफ्रीकाकी सरकारको गोखलेके रुठबे, साम्राज्यमे उनके स्थान इत्यादिकी सूचना दे दी थी; पर स्टीमर कंपनीसे टिकट ले रखने या अच्छा केबिन (कमरा) रिजर्व करा रखनेकी बात किसीको कैसे सूझ सकती? गोखलेकी तबीयत नाजुक तो रहती ही थी ।

अतः उन्हें जहाजपर अच्छा केविन चाहिए था। एकान्त भी जरूरी था। स्टीमर कपनीके यहासे दो टक जबाब मिला कि ऐसा-केबिन हमारे यहां है ही नहीं। मुझे ठीक याद नहीं कि गोखलेने खुद या उनके किसी मित्रने इंडिया आफिस (भारतमनीके दफ्तर) को इसकी खबर दी। कपनीके डाइरेक्टरको इंडिया आफिसकी ओरसे पत्र लिखा गया और जहा कोई था ही नहीं वहां गोखलेके लिए अच्छे-से-अच्छा केबिन हाजिर हो गया। इस प्रारम्भिक कडवाहटका फल भीठा रहा। स्टीमरके कप्तानको भी गोखलेका सुदर स्वागत करनेकी हिदायत कर दी गई। इससे गोखलेके इस सफर-के दिन आनंद और शांतिमें बीते। वह जितने गभीर थे उतने ही आनंदी और बिनोदी भी थे। जहाजपर होनेवाले खेलों आदिमे वह अच्छी तरह शामिल होते और इससे जहाजके यात्रियोमें खूब लोकप्रिय हो गये थे। यूनियन सरकारने गोखलेसे उसके मेहमान होने और रेलवेका सरकारी सेलन स्वीकार करनेका अनुरोध किया था। मुझसे भविरा कर लेने-के बाद सेलन और प्रिटोरियमें सरकारका आतिथ्य स्वीकार कर लेनेका निश्चय किया।

गोखले केप टाउन बदरगांहमें जहाजसे उतरनेवाले थे।

१९१२ की २२ वी अक्तूबरको वह जहाजसे उतरे। उनका स्वास्थ्य जितना मैं सोचता था उससे कही ज्यादा नाजुक था। वह एक खास खूराक ही ले सकते थे। अधिक थम भी सहन नहीं हो सकता था। जो कार्यक्रम मैंने बनाया था वह उनसे नहीं चल सकता था। जितना अदल-ददल हो सकता था उतना किया। वह बदला ही न जा सके तो स्वारथ्यकी जोखिम उठाकर भी वह सारा कार्यक्रम कायम रखनेको तैयार हो गये। उनसे पछे बिना कठिन कार्यक्रम बना डालनेमें मैंने जो मूर्खता की उसका मुझे वहुत पछताका हुआ। मुझ

रद्दोवदल तो मैंने किया, पर अधिकाश कार्यक्रम तो ज्यो-कास्त्रो कापम रखना ही पड़ा। गोखलेको अधिक एकान्त मिलना आवश्यक था, यह मैं नहीं समझ सका था। ऐसा एकान्त दिलानेमें मुझे अधिक से-अधिक कठिनाई पड़ी। पर सत्यके खातिर मुझ नम्रतापूर्वक इतना तो कहना ही होगा कि रोपियो और बड़ोकी सेवा करनेका मुझे अभ्यास और शौक था, इससे अपनी मुख्यता जान लेनेके बाद मैं प्रवधमे इतना सुचार कर सका कि उन्हे यथेष्ट एकान्त और शांति मिल सके। सारे दौरेमें उनके अफ्रीका काम मैंने ही किया। स्वयं-सेवक ऐसे थे कि उन्हे अबेरी रातमें भी जाकर जबाब ला दे। अत सेवकोके प्रगादसे उन्हे कभी कोई कठिनाई हुई हो, इसकी मुझे याद नहीं। मिठ कलनवेक भी इन स्वयंसेवकोमें थे।

केप टाउनम अच्छी-से-अच्छी सभा होनी चाहिए, यह तो स्पष्ट ही था। श्राइनट-कृष्णके बारेमें मैं प्रथम लड़मे लिख चका हूँ। उसके मुख्यांश सिनेटर डब्ल्यू० पी० श्राइनरसे इस सभाका सभापतित्व स्वीकार करनेकी प्रार्थना की और उन्होने उसे स्वीकार कर लिया। विशाल सभा हुई। हिंदुस्तानी और यूरोपियन बड़ी सम्प्रथमे उपस्थित हुए। मिठ श्राइनरले मध्युर बद्दोमें गोखलेका स्वागत किया और दक्षिण अफ्रीकाके हिंदुस्तानियोके साथ अपनी हृष्मदर्दी जाहिर की। गोखलेका भाषण छोटा, परिपक्व विचारोंसे भरा हुआ, दृढ़ पर विनययुक्त था। उससे भारतीय प्रसन्न हुए और गोरोंका मन गोखलेने हर लिया। अत यह कह सकते हैं कि गोखलेने जिस दिन दक्षिण अफ्रीकाकी घरतीपर कदम रखा उसी दिन वहाँकी पचरणी जनताके हृदयोमें प्रवेश कर गये।

केप टाउनसे जोहान्सबर्ग जाना था। रेलका दो दिनका सफर था। युद्धका कुछसेव ट्रांसवाल था। केप टाउनसे आते हुए ट्रांसवालका पहला बड़ा सरहदी स्टेशन क्लर्क्स-

डार्प पड़ता । वहा हिंदुस्तानियोकी आवादी भी खासी थी । इससे वहा और जोहान्स्बर्ग पहुँचनेसे पहले रास्तेमें पड़नेवाले ऐसे ही दो और नगरोमें भी गोखलेको रोकने और सभामें उपस्थित होनेका कार्यक्रम बनाया गया था । इससे कलकांसड़ैयर्से स्पेशल ट्रेनकी व्यवस्था कराई गई । वैनोर्जिंगह उन नगरोंके मेयरोने सभापतिका आसन प्राहण किया । कही भी एक घटेसे अधिक समय नहीं दिया गया । जोहान्स्बर्ग ट्रेन ठीक बक्तपर पहुँची, एक मिनटका भी फर्क नहीं पड़ा । स्टेशनपर बढ़िया कालीन आदि बिछाये गये थे । एक मच भी बनाया गया था । जोहान्स्बर्गके मेयर मिं० एलिस और दूसरे यरोपियन उपस्थित थे । मिं० एलिसने अपनी मोटर इसके लिये पेश की कि गोखले जबतक जोहान्स्बर्गमें रहे, तबतक उनकी सवारीमें रहे । गोखलेको मानपत्र स्टेशनपर ही भेट किया गया । मानपत्र तो उन्हें हर जगह ही मिलता । जोहान्स्बर्गका मानपत्र वहीकी खानसे निकले हुए सोनेकी हृदयाकार तस्तीपर सुदा हुआ था जो दक्षिण अफ्रीकाकी बढ़िया लकड़ी (रोडेशियाकी टीक) पर जड़ी हुई थी । इस लकड़ीपर तार्जमहल और हिंदुस्तानके कुछ दृश्योंके चित्र बड़ी खूबसूरतीसे खोदे गये थे । गोखलेका सबके साथ परिचय करना, मानपत्र पढ़ना, उसका जवाब देना; दूसरे मानपत्र स्वीकार करना, ये सारे काम २० मिनटके अंदर ही निवाटा दिये गये । मानपत्र इतना छोटा था कि उसे पढ़नेमें पाच मिनटसे अधिक नहीं लगे होगे । गोखलेके उत्तरने भी इससे ज्यादा बहत नहीं लिया होगा । स्वयंसेवकोका प्रवध इतना सुंदर था कि पवं निश्चित लोगोंसे अधिक एक भी आदमी प्लटफार्मपर नहीं आने पाया । शोरगुल विलकूल नहीं था । बाहर जबदस्त भीड़ थी, किर भी किसीके आन-जानेमें तनिक भी अडचन नहीं हुई ।

गोखलेको ठहरानेका प्रबंध मिठा केलनवेकके एक सुदर बंगलमे किया गया था जो जोहान्स्वर्गसे पाच मीलके फामलेपर अवस्थित एक पहाड़ीकी चोटीपर बना हुआ था । वहांका दृश्य इतना सुंदर था, शांति इतनी आनंददायक थी और बगलेकी बनावट सादी होते हुए भी इतनी कलामय थी कि गोखलेको यह स्थान बहुत ही पसंद आया । सब लोगोसे मिलनेका प्रबंध शहरमे किया गया था । इसके लिए एक खास दफ्तर किरायेपर लिया गया था । उसमे तीन कमरे थे । एक खास कमरा गोखलेके आराम करनेके लिए, दूसरा मलाकातके लिए और तीसरा मिलनेको आनेवालोके बैठनेके लिए । नगरके कुछ विशेष व्यक्तियोंसे निजी मुलाकातके लिए भी हम गोखलेको ले गये थे । प्रभुत्व यरोपियनोंने भी अपनी एक निजी सभा की थी जिसमे उनके दृष्टिकिंदुको गोखले पूरी तरह समझ ले । इसके सिवा जोहान्स्वर्गमें उनके सम्मानमे एक बड़ा भोज भी दिया गया जिसमे ४०० आदमियोंको निमच्छ दिया गया था । इनमें १५० के लगभग यरोपियन होंगे । भारतीयोंका प्रवेश टिकटसे रखा गया था जिसकी कीमत एक गिनी रखी गई थी । इससे इस दावतुका सच्च निकल आया । भोजन शुद्ध निरामिष और मध्यपान-रहित ही था । रसोई भी सारी स्वयंसेवकोने ही बनाई थी । इस सुंदर आयोजनका चित्र यहां प्रस्तुत कर सकना कठिन है । दक्षिण अफ्रीकामे हमारे भारतीय भाई हिंदू-मुसलमान छुआ-छुत नहीं जानते । हाँ, निरामिषभोजी भारतीय अपने निरामिषाहारकी रक्षा करते हैं । हिंदुस्तानियोंमें कितने ही इंसाई भी थे । वे बहुत करके गिरमिटिया मां-वापकी सतान हैं । उनमें से बहुतेरे होटलोमे खाना पकाने और परसनेका घंघा करते हैं । इन भाइयोंकी मददसे ही इतने बड़े भोजका प्रबंध कर लेना शक्य हुआ । भोजनमें कोइं पंद्रह प्रकारकी चीजे रही

होगी। दक्षिण अफ्रीकाके यूरोपियनोंके लिए यह विलकुल नया और अचरजभरा अनुभव था। इतने अधिक हिंदुस्तानियोंके साथ एक पातमे भोजन करने वैठना, निरामिप भोजन और विना शराबके काम चला लेना, तीनों अनुभव उनमेंसे वहुतोंके लिए नये थे। दो तो सभीके लिए नये थे।

~~इस~~ सम्मेलनमें गोखलेने जो भाषण दिया वह दक्षिण अफ्रीकामें उनका संबंध वडा और सवसे अधिक महत्वका भाषण था। वह लगातार ४५ मिनट बोले। इस भाषणकी तैयारीमें उन्होंने हमारी पूरी हजिरी ली थी। उन्होंने अपना यह जिंदगीभरका नियम बताया कि स्थानीय लोगोंके दृष्टिविदुकी अवगणना न हो और उसका जितना लिहाज किया जा सकता है उतना किया जाय, इसलिए मुझे यह बता देनेको कहा कि मैं अपनी दृष्टिसे उनसे क्या कहलवाना चाहता हूँ। यह मुझे लिखकर देना था और इसके साथ यह शर्त थी कि अगर उनके एक वाक्य या विचारका भी वह उपयोग न करें तो मैं बुरा न मानूँ। वह मज्जमूल न ज्यादा लवा हो न छोटा, फिर भी कोई जरूरी वात छूट न जाय। इन सारी शर्तोंका पालन करते हुए मुझे उनके लिए अपने नोट तैयार करने होते थे। यह तो कह ही दूँ कि मेरी भाषाका तो उन्होंने विलकुल ही उपयोग नहीं किया। अग्रेजी भाषामें पारगत गोखले मेरी भाषाका कही भी उपयोग करेंगे, यह आशा मैं रखता ही क्यों? मेरे विचारोंका उन्होंने उपयोग किया, यह भी मैं नहीं कह सकता। पर उन्होंने मेरे विचारोंकी उपयोगिता स्वीकार की। इससे मैंने भनको यह समझा लिया कि उन्होंने किसी तरह मेरे विचारोंका उपयोग कर लिया होगा। पर उनकी विचारश्वेषी ऐसी थी कि उन्होंने उसमें अपने विचारको कही स्थान दिया या नहीं, इसका पता आपको चल ही नहीं सकता था। गोखलेके सभी भाषणोंमें उपस्थित था, पर मुझे एक भी ऐसा अक्षर याद नहीं आता

जब मैंने सोचा हो कि उन्होंने अमुक भाव प्रकट नहीं किया होता या अमुक विशेषणका व्यवहार न किया होता तो अच्छा होता। उनके विचारोंकी स्पष्टता, दृढ़ता, विनय इत्यादि उनके अतिशय परिश्रम और सत्यपरायणताका प्रसाद थी।

जोहान्स्बर्गमे केवल हिंदुस्तानियोंकी विराट् सभा भी होनी ही चाहिए थी। मेरा यह आग्रह पर्वकालसे ही चला आ रहा है कि हम या तो अपनी मातृभाषामे बोले या राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानीमें। इस आग्रहकी बदौलत दधिण अफीकर्में भारतीयोंके साथ मेरा सबंध सरल और निकटका हो गया। इससे मैं सोचता था कि हिंदुस्तानियोंके साथ गोखले भी हिंदुस्तानीमें ही बोलें तो अच्छा है। इस विषयमें गोखलेके विचार मुझे मालम थे। टूटी-फूटी हिंदीसे वह अपना काम चला ही नहीं सकते थे। इसलिए या तो मराठीमें बोलते या अंग्रेजीमें। मराठीमें बोलना उन्हे बनावटी-सा जान पड़ा और उसमें बोलें भी तो गुजराती और उत्तर भारतवाले श्रोताओंके लिए उसका हिंदुस्तानी उल्था तो करना ही होता। तो फिर अंग्रेजीमें ही क्यों न बोले? सोभाग्यवज्र मेरे पास एक ऐसी दलील थी जिसमें गोखले मराठीमें बोलना मजबूर कर लें। जोहान्स्बर्गमें कौंकणके बहुतसे भुसलभान बसते थे। थोड़े सहाराष्ट्रीय हिंदू तो थे ही। इन सभोंको गोखलेकां मराठी भाषण सूननेकी बड़ी इच्छा थी और उन्होंने मुझसे कह रखा था कि गोखलेसे मराठीमें बोलनेकी प्रार्थना करूँ। मैंने उनसे कहा—“आप मराठीमें बोलेगे तो ये लोग बहुत खुश होंगे और आप जो बोलेगे उसका हिंदुस्तानी तरजुमा मैं कर दूगा।” वह खिलखिलाकर हँस पड़े और बोले—“तुम्हारा हिंदुस्तानीका ज्ञान तो मैं सब जानता हूँ। यह हिंदुस्तानी तुमको मुवारक हो। पर तुम मराठीका उल्था हिंदुस्तानीमें करने चले हो। यह तो बताओ कि इतनी मराठी तुमने कहाँ सीखी?” मैंने

जवाब दिया—“जो वात आपने मेरी हिंदुस्तानीके बारेमें कहीहैं कहीं मराठीकी भी समझिए। मराठीका एक अकार भी मैं बोल नहीं सकता। परं जिस विषयका मुझे ज्ञान है उस विषयपर आप मराठीमें जो कुछ कहेगे उसका भावार्थ मैं जरूर समझ जाऊगा। इतना तो आप देख लेंगे कि मैं लोगोंके सामने उसका अनर्थ कदापि न करूँगा। मैं आपको ऐसे उल्लंघन करनेवाले दे सकता हूँ जो मराठी अच्छी तरह समझते हैं, परं शायद आप इसको पसद न करें। अतः मुझे निशा लीजिएगा और मराठीमें ही बोलिएगा। कोकणी भाष्यके जैसी मझे भी आपका मराठी भाषण सुननेकी हवस है।”

“तुम अपनी टेक जरूर रखना। यहाँ तुम्हारे पाले पड़ा हूँ, इसलिए छुटकारा शोडे ही पा सकता हूँ।” यो कहकर मुझे रिखाया और इसके बाद ऐसी सभाओंमें ठें जंजीवारतक मराठीमें ही बोले और मैं उनका विशेष रूपसे नियुक्त भापांतरकार रहा। मैं नहीं जानता कि यह वात मैं उन्हें कहाँ तक समझा सका कि मुहावरेदार और व्याकरण-शृङ्खल अंग्रेजीमें बोलनेकी अपेक्षा यथासमव भातृभाषा, यहाँ तक कि टटी-फूटी व्याकरण-रहित हिंदीमें ही बोलना मुनासिब है। परं इतना जानता हूँ कि दक्षिण अफ्रीकामें वह महज मुझे खुब करनेकी खातिर मराठीमें बोले। मराठीमें कुछ भाषण देनेके बाद इसके फलसे उन्हे भी प्रसन्नता हुई, यह मैंदेख सका। गोखलेने दक्षिण अफ्रीकामें अनेक अवसरोंपर अपने व्यवहारसे यह दिखा दिया कि जहाँ सिद्धांतका प्रश्न नहीं वहाँ अपने सेवकोंको प्रसन्न करना गुण है।

: १३ :

गोखलेकी यात्रा—२

जोहान्स्बर्गसे हमें प्रिटोरिया जाना था । प्रिटोरियामें गोखलेको यनियन सरकारकी ओरसे निमत्रण था । अतः द्रोसवाल होटलमें उसने उनके लिए जो स्थान जाली रखवाया था वही उतरना था । यहाँ गोखलेको यनियन सरकारके मंत्रिमंडलसे मिलना था, जिसमें जनरल वोथा और जनरल स्मट्स भी थे । जैसा कि ऊपर बता चुका हूँ, उनका कार्यक्रम मैंने ऐसा बनाया था कि रोज करनेके कामोंकी सूचना मैं उन्हे सबेरे या वह पूछें तो अगली रातको दे दिया करता था । मंत्रिमंडलसे मिलनेका काम बड़ी जवाबदेहीका था । हम दोनोंने तै किया कि मैं उनके साथ न जाऊँ, जानेकी इच्छा भी प्रकट न करूँ । मेरी उपस्थिति-से मंत्रिमंडल और गोखलेके बीच कुछ-न-कुछ पर्दा पड़ जाता । मंत्रिगण जी-मरकर स्थानीय भारतीयोंकी और इच्छा होतो मेरी भी जो गलतिया मानते हो उन्हे न बता सकते । वे कुछ कहना चाहते हो तो उसे भी लाले दिलसे न कह सकते, पर इससे गोखलेकी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती थी । कोई तथ्यकी भूल हो जाय या वे कोई नया तथ्य सामने रखे और उसका जवाब गोखलेके पास न हो अथवा उन्हें हिंदुस्तानियोंकी ओरसे कोई स्वीकृति देनी हो तो उस दशामें क्या करना होगा, यह समस्या उपस्थित हो गई । पर गोखलेने तूरत उसका हल निकाल लिया । मैं उनके लिए भारतीयोंकी स्थितिका अवसरे इति तक सुलासा तैयार कर दूँ । भारतीय कहांतक जानेको तैयार है, यह भी लिख दूँ । उसके बाहरकी कोई भी बात सामने आये तो गोखले अपना अज्ञान स्वीकार कर ले । यह निश्चय करके वह निश्चित हो गये । अब करना इतना ही रहा कि मैं उस तरहका

खुलासा तैयार कर दू और गोखले उसे पढ़ लें। पर वह उसे पढ़ लें इतना बहत तो मैंने रखा ही नहीं था। कितना ही छोटा खुलासा लिखूँ फिर भी चार उपनिवेशोंमें भारतीयोंकी स्थितिका इतिहास दस-बीस पन्ने लिखे विना कैसे दे सकता था। फिर उस खुलासेको पढ़नेके बाद उनके मनमें कछु सवाल तो उठते हीं। पर उनकी स्मरणशक्ति जितनी तीव्र थीं वैसी ही थ्रम करनेकी शक्ति अगाध थी। सर्वर्गी रात जगे और पोलकको और मुझे जगाया। एक-एक बातकी पूरी जानकारी प्राप्त की और उन्होंने भी समझा या नहीं, इसकी जांच भी करा ली। अपने विचार मुझे सुनाते जाते। अतमें उन्हें सतोष हुआ। मैं तो निर्भय था ही।

लगभग दो घण्टे या इससे कुछ अधिक वह मंत्रिमंडलके पास दैठे और लौटकर मुझसे कहा—“मुझे एक बरसके अंदर हिंदुस्तान लौट आना है। सब बातोंका फसला हो गया। खुनी कानून रद्द होगा। हमियेशन कानूनमें वर्णभेद निकाल दिया जायगा। तीन पौँडिका कर उठा दिया जायगा।” मैंने कहा, “मुझे इसमें पूरी जाका है। मंत्रिमंडलको जितना मैं जानता हूँ उतना आप नहीं जानते। आपका आशावाद मुझे प्रिय है, क्योंकि मैं खुद भी आशावादी हूँ; पर अनेक बार धोखा खा चुका हूँ। इसलिए इस विषयमें आपकी जितनी आशा मैं नहीं रख सकता। पर मझे कोई डर नहीं। आप मंत्रिमंडलसे बचन ले आये, इतना ही मैंरे लिए काफी है। मेरा धर्म तो इतना ही है कि जब आवश्यक हो तब लड़ लूँ और यह सावित कर दूँ कि हमारी लड़ाई न्यायकी है। इसकी सिद्धिमें आपको मिला हुआ बचन हमारे लिए बहुत लाभजनक होगा। और लड़ना पड़ा ही तो लड़नेमें उससे हमारा बल दूना हो जायगा। पर अधिक भारतीयोंके जेलमें गये विना और एक सालके अंदर मैं हिंदुस्तान लौट सकता हूँ, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता।”

यह सुनकर वह बोले—“मैं तुमसे जो कहता हूँ उसमे फलं पठनेवाला नहीं। मुझे जनरल बोथाने चचन दिया है कि सुनी कानून रख कर दिया जायगा और तीन पाँडका कर उठा दिया जायगा। तुम्हे बारह महीनोंके अदर हिंदुस्तान लौटना ही होगा। मैं तुम्हारा एक भी बहाना सुननेवाला नहीं।”

जोहान्स्बर्गका भाषण प्रिटोरियाकी यात्राके बाद हुआ था।

हास्ट्रालसे गोखले डब्बन, मेरिट्सवर्ग आदि स्थानोंमें गये। वहां भी बहुतसे यूरोपियनोंसे मिले-जुले। किम्बरलीकी हीरेकी खान भी दृश्यी। किम्बरली और डब्बनमें भी स्वागत-महलकों औरसे जोहान्स्बर्गकी जैसी दावते की गई और उनमें भी बहुतसे यूरोपियन सम्मिलित हुए। यों भारतीय और यूरोपियन दोनोंके मन हर कर गोखलेने १९१२की १७वीं नववर्ष-को दक्षिण अफ्रीकाके समझौतसे प्रस्थान किया। उनको इच्छासे मैं और मि० केलनबैक जूजीवारउक उन्हें पहुँचाने गये। स्टीमरपर उनके लिए ऐसे भोजनका प्रबध कर दिया था जो उनकी प्रकृतिके अनुकूल हो। ग्रास्टेमें डेलागोआ वे, इनहाम-वेन, जूजीवार आदि बदरगाहोंपर भी उनका खूब सम्मान किया गया।

स्टीमरपर हमारे बीच होनेवाली बातचीतका विषय केवल हिंदुस्तान या उसके प्रति हमारा धर्म ही होता। उनकी हर बातमें उनकी कोमल भावना, उनकी सत्यपरायणता और उनका स्वदेशभिमान भल्कु उठता। मैंने देखा कि स्टीमर-पर वह जो स्लेल स्लेलों उनमें भी स्लेलकी बनिस्वत हिंदुस्तान-की सेवाका भाव अधिक होता। उसमें भी संपूर्णता तो होनी ही चाहिए थी।

स्टीमरपर हमे इतमीनानसे बातें करनेकी फूरसत तो रहती ही। इन बातालालापोमे उन्होंने मुझे हिंदुस्तानके लिए तैयार किया। भारतके हरएक नेताके चरित्रका विश्लेषण

करके दिखाया। उनका विश्लेषण इतना सही था कि उन नेताओंके विषयमें जो कुछ मैंने स्वयं अनुभव किया उसमें और गोखलेके आलेखनमें शायद ही कही फर्क पाया हो।

गोखलेकी दक्षिण अफ्रीकाकी यात्रामें उनके साथ मेरा जो संबंध रहा उसके कितने ही पवित्र संस्मरण ऐसे हैं जो यहाँ दिये जा सकते हैं, पर सत्याग्रहके इतिहासके साथ उनका सबध नहीं है, इससे मुझे अनिच्छापूर्वक अपनी कलम रोकनी पड़ रही है। जजीवारमें हुआ वियोग मेरे और मिंट केलनबेक दोनोंके लिए अतिशय दुःखदायी था, पर यह सोचकर कि देहधार्मियोंके निकट-से-निकट सबधका भी एक दिन बात होता ही है हमने धैर्य धारण किया और दोनोंने यह आशा रखी कि गोखलेकी भविष्यवाणी सत्य होगी और हम दोनों एक वरसके अंदर हिंदुस्तान जा सकेंगे। पर यह अनहोनी बात निकली।

फिर भी गोखलेकी दक्षिण अफ्रीकाकी यात्राने हमें अधिक दृढ़ किया और कुछ दिन बाद जब युद्ध फिर अधिक तीव्र हुपमे आरम्भ हुआ तब इस यात्राका मर्म और उसकी आवध्यकता हम अधिक समझ सके। गोखले दक्षिण अफ्रीका न गये होते और मन्त्रिमंडलसे न मिले होते तो तीन पौड़के करको हम युद्धका विषय न बना सके होते। अगर खुनी कानून रद्द हो जानेपर सत्याग्रह-की लडाई बंद हो जाती तो तीन पौड़के करके लिए हमे नया सत्याग्रह करना पड़ता और उसे करनेमें अपार कष्ट सहन करना पड़ता। इतना ही नहीं, लोग तुरत हूसरे सत्याग्रहके लिए तैयार होते या नहीं, इसमें भी शका ही थी। इस करको रद करना स्वतंत्र भारतीयोंका फर्ज था। इसके लिए बर्जिया भेजना आदि सब वैघ उपाय किये जा चुके थे। १८९५से वह कर आदि किया जा रहा था। पर कैसा ही घोर कष्ट क्यों न हो, वह लंबे अरसेतक बना रहे तो लोग उसके आदी हो जाते हैं और उसके विरोध करनेका धर्म उन्हें समझाना कठिन हो जाता है।

दुनियाको उसकी घोरता समझाना भी उतना ही कठिन हो जाता है। गोखलेको मिले, हुए वचनने सत्याग्रहियोंका रास्ता साफ कर दिया। आत्म-सरकार अपने वचनके अनुसार उक्त करको उठा दे, नहीं तो यह वचन-भंग ही लड़ाइंका सबल कारण हो जाता। हुआ भी ऐसाही। सरकारने एक वरसके बंदर कर नहीं उठाया। इतना ही नहीं, साफ कह दिया कि वह हटाया नहीं जा सकता।

अतः गोखलेकी यात्रासे तीन पौटके करको सत्याग्रहके जरिये हटवानेमें हमे मदद तो मिली ही, इस यात्रासे वह दक्षिण अफ्रीकाके प्रश्नके विशेषज्ञ मान लिये गये। दक्षिण अफ्रीकाके बारेमें अब उनके कथनका बजन भी बढ़ गया। साथ ही दक्षिण अफ्रीकामें वसनेवाले भारतीयोंके विषयमें निजी जानकारी हो जानेके कारण इस बातको अधिक समझने लगे कि हिंदुस्तानको उनके लिए क्या करना चाहिए और हिंदुस्तानको यह बात समझानेमें उनकी ज्ञानित तथा अधिकार बहुत बढ़ गया। हमारी लड़ाई जब फिर छिड़ी तो हिंदुस्तानसे पैसेकी वर्षा होने लगी और लाहौर हार्डिजने सत्याग्रहियोंके साथ अपनी गहरी और ज्वलन्त सहानुभूति दरसाकर उन्हे प्रोत्साहन दिया। हिंदुस्तानसे मि० एड्ब्ल्यू और मि० पियसन दक्षिण अफ्रीका गये। गोखलेकी यात्राके बिना ये सभी बाते अग्रक्य होतीं।

वचन-भंग कैसे हुआ और उसके बाद क्या हुआ, यह नये प्रकरणका विषय है।

१४ :

वचन-भंग

दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रह-संग्राममें इतने सूक्ष्म विचार-

से काम लिया जा रहा था कि प्रचलित नीतिके विरुद्ध एक भी कदम नहीं उठाया जाता। इतना ही नहीं, बल्कि इस वातका भी ध्यान रखा जाता कि सरकारको अनुचित रीतिसे कष्ट न पहुंचाया जाय। मिसालिके लिए, ख़ुनी कानून केवल द्रासवालके हिंदुस्तानियोपर लाग किया गया था। इससे सत्याग्रह-नीतिमें केवल द्रासवालके भारतीय ही दाखिल किये जाते थे। नेटाल, केप कोलोनी इत्यादिसे सत्याग्रहियोंको भरती करनेका कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया, बल्कि वहासे आये हुए, इसके प्रस्ताव भी लौटा दिये गये। लडाई-की मर्यादा भी इस कानूनको रद करानेतक ही थी। इस वातको न गोरे समझ सकते थे, न भारतीय। आरंभमें भारतीयोंकी ओरसे यह मांग हुआ करती थी कि अगर लडाई शुरू करनेके बाद ख़ुनी कानूनके अतिरिक्त और कष्टोंको भी हम उसके उद्देश्योंमें शामिल कर सकते हो तो क्यों न कर लें? मैंने उन्हें धीरजके साथ समझाया कि इसमें सत्यका मांग होता है और जिस युद्धमें सत्यका ही आश्रह हो उसमें उसके भागकी वात कैसे सोची जा सकती है? युद्ध युद्धमें तो लडते-लडते लडनेवालोंका बल बढ़ता हुआ दिखाई देतो भी युद्ध आरंभ करते समय जो उद्देश्य नियत किये गये हो उनसे आगे जा ही नहीं सकते। दूसरी ओर लडनेका बल अगर दिन-दिन छोजता दिखाई दे तो भी जिस हेतुके लिए लडाई छोड़ी गई हो उसका त्याग नहीं किया जा सकता। इन दोनों सिद्धांतोपर दक्षिण अफ्रीकामें पूरी तरह अमल किया गया। युद्ध आरंभ करते समय जिस बलके भरोसे हमने युद्धका लक्ष्य नियत किया हमने देखा कि आगे चलकर वह बल भूठा निकला, फिर भी जो मुट्ठीभर सत्याग्रही बच रहे थे वे युद्धका त्याग नहीं कर सके। इस प्रकार लडना अपेक्षाकृत आसान होता है और बलमें वृद्धि होते हुए भी उद्देश्यमें

वृद्धि न करना उससे कही कठिन होता है। इसमें अधिक समय दरकार होता है। ऐसे प्रलोभन दक्षिण अफ्रीकामें अनेक बार हमारे सामने आये; पर में निश्चयपूर्वक कह सकता है कि उसका लाभ हमने एक बार भी नहीं उठाया और हसींसे मैंने बक्सर कहा है कि सत्याग्रहीके लिए एक ही निश्चय होता है। वह उसे न घटा सकता है, न बढ़ा सकता है। उसमें न क्षयका अवकाश होता है और न वृद्धिका। आदमी जो पैमाना अपने लिए तैयार करता है, दुनिया भी उसको उसी पैमानेसे नापती है। सरकारने जब जान लिया कि सत्याग्रही ऐसी सूक्ष्म नीति वरतनेका दावा करते हैं तब उसने उनके ही पैमानेसे उनको नापना शुरू कर दिया, हालांकि वह खुद उस नीतिके एक भी नियम-सिद्धांतसे अपने आपको बंधा नहीं मानती थी। उसने सत्याग्रहियोपर दो-चार बार नीति-भंगका इलजाम लगाया। जूनी कानूनके बाद हिंदुस्तानियोंके सिलाफ कोई नया कानून गढ़ा जाय तो उसका समायेश सत्याग्रहके हेतुओंमें हो सकता है, इस बातको एक बच्चा भी समझ सकता है। फिरे भी जब नये दाखिल होनेवाले हिंदुस्तानियोपर नया प्रतिबंध लगाया गया और वह लड़ाईके हेतुओंमें शामिल कर लिया गया तब सरकारने उनपर युद्ध-हेतुओंमें नये विषयोंको शामिल करनेका इलजाम लगाया। यह आरोप सोन्हो-बाने अनुचित था। अगर नये आनेवाले हिंदुस्तानियोपर ऐसी रुकावटें लगाईं गईं जो पहले नहीं थीं तो उनको भी युद्धके हेतुओंमें शामिल करनेका हक हमें होना ही चाहिए था और हम देख चुके हैं कि सोराबजी बगैरह इसीलिए ट्रांसवालमें दाखिल हुए। सरकारको यह बात बदौश्ट नहीं हो सकती थी। पर निष्पक्ष लोगोंको इस कदमका बोचित्य समझानेमें मुझे तनिक भी कठिनाईं नहीं हुईं।

गोखलेकी रवानगीके बाद ऐसा मौका फिर आया।

गोखलेने तो सोचा था कि तीन पौड़का कर एक वरसके अंदर रद हो ही जायगा और उनके जानेके बाद यनियन पार्लामेंटका जो अधिवेशन होगा उसमे उसे उठा देनेके कानून-का भसविदा पेश कर दिया जायगा। इसके बदले जनरल स्मट्सने यह प्रकट किया कि नेटालके यरीफियन यह कर उठा देनेको तैयार नहीं है, इसलिए यनियन सरकार उसे रद करनेका कानून पास करनेमें असमर्थ है। वस्तुत ऐसी कोई बात नहीं थी। यनियन पार्लामेंटमें चारों उपनिवेशोके प्रतिनिधि बैठते हैं। अकेले नेटालके सदस्योंकी उसमे कृष्ण नहीं चल सकती थी। फिर मंत्रिमंडलके पेश किये हुए विलको पार्लामेंट नामंजर करे वहातक पहुंचाना जरूरी था। जनरल स्मट्सने इसमेंसे कष्ट भी नहीं किया। इससे हमें इस कर करको युद्धबे कारणोंमें सम्मिलित कर लेनेका सुयोग सहज ही मिल गया। इसके लिए हमें दो कारण मिले: एक तो यह कि चलती लडाईके दरभियान सरकारकी ओरसे कोई वचन दिया जाय और फिर उस वचनका भंग किया जाय तो यह वचन-भंग चलते सत्याग्रहके कार्य-क्रममें दाखिल हो जाता है। दूसरा यह कि हिंदुस्तानके गोखले सरीखे प्रतिनिधियों दिया हुआ वचन तोड़ा जाय तो यह उनका ही नहीं, सह हिंदुस्तानका अपमान है और यह अपमान सहन नहीं किया जा सकता। केवल पहला ही कारण होता और सत्याग्रहियोंमें शामिल न होती तो उक्त करको रद करनेके लिए सत्याग्रह करना बहु छोड़ सकते थे। पर जब उससे हिंदुस्तानका अपमान हो रहा हो तब तो उसे सहन कर लेना अभव ही नहीं था। इनलिए तीन पौड़के करको युद्धके कार्य-क्रममें शामिल कर लेना सत्याग्रहियोंको फर्ज जान पड़ा और जब तीन पौड़के करको युद्धके हेतुओंसे स्थान मिल गया तब गिरभिटिया हिंदुस्तानियोंसे भी सत्याग्रहमें सम्मिलित होनेका मौका मिल गया। पाठ्यक्रमोंको

यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि अबतक ये लोग लड़ाईसे बाहर ही रखे गये थे। अत. एक और तो लड़ाईका बोझ बढ़ा और दूसरी और लड़नेवालोंके भी बढ़नेका समय आया हुआ दिखाई दिया।

गिरिमिटियोंसे अबतक सत्याग्रहकी शिक्षा देनेकी तो बात ही क्या, लड़ाईकी चर्चातक नहीं की गई थी। वे निरक्षर थे, इसलिए 'इंडियन ओपीनियन' या दूसरे अखबार कहाँसे पढ़ सकते थे? फिर भी मैंने देखा कि ये गरीब लोग सत्याग्रहका निरीक्षण कर रहे थे और जो कुछ हो रहा था उसको समझ रहे थे। कुछको इस लड़ाईमें शामिल न हो सकनेका दृश्य भी था। पर जब वचन-भंग हुआ और तीन पौँडका कर भी युद्धके हेतुओमें शामिल किया गया तब उनमें से कौन लड़ाईमें शामिल होगा, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं था।

वचन-भंगकी बात मैंने गोखलेको लिखी। उन्हे अत्यन्त दुःख हुआ। मैंने उन्हे लिखा कि आप निर्विचित रहें, हम भरते दमतक लडेंगे और इस करको रद कराके रहेंगे। हाँ, एक वरसके अंदर जो मुझे हिंदुस्तान लौटना था वह टला और पीछे कब लौट सकंगा यह कहना अशक्य हो गया। गोखले तो अंकशास्त्री थे। उन्होंने मुझसे पछा कि तुम्हारे पास अधिक-से-अधिक और कम-से-कम किरण लड़नेवाल हो सकते हैं और उनके नाम मारें। जहांतक मुझे याद है, मैंने अधिक-से-अधिक ६५ या ६६ और कम-से-कम १६ नाम में जै थे। मैंने यह भी लिख दिया कि इतनी छोटी-सी तादादके लिए मैं हिंदुस्तानसे पैसेकी मददकी अपेक्षा नहीं रखूँगा। यह बिनती भी की कि हमारे बारेमें आप निर्विचित रहे और अपने शरीरको अधिक कष्ट न दे। मैं अखबारोंके जरिये और दूसरे तौरपर भी जान चुका था कि दक्षिण अफ्रीकासे बंबई वापर जानेपर गोखलेपर

कभजोरी दिखाने हत्यादिके आक्षेप किये गये थे। इससे मैं चाहता था कि हिंदुस्तानमें हमें पैसा भेजनेके लिए वह कुछ भी आंदोलन न करे। पर गोखलेसे मुझे यह कठा जवाब मिला—“जैसे तुम लोग दक्षिण अफ्रीकामें अपना फर्ज समझते हो वैसे हम भी कुछ अपना फर्ज समझते होगे। हमें क्या करना उचित है, यह तुमको बतानेकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो महज वहांकी स्थिति जानना चाहता था। हमारी ओरसे क्या होना चाहिए इस बारेमे सलाह नहीं मांगी थी।” इन शब्दोका मर्म में समझ गया। इसके बादसे मैंने इस विषयमें एक शब्द भी नहीं कहा और न लिखा। उन्होंने इसी पत्रमें मुझे आश्वासन दिया और चेतावनी भी दी। उन्हे डर था कि जब सुरक्षारें इस तरह बचन-भंग किया है तब लडाई बहुत लंबी होगी और ये मटठीभर आदमी कवतक उससे लोहा ले सकेंगे। इधर हम लोगोंने अपनी तैयारिया शुरू की। इस बारकी लडाईमें शांतसे बैठना तो हो ही नहीं सकता था। हमने यह भी समझ लिया कि इस बार सजाएं लंबी होगी। अतः टाल्स्टारफार्म बंद कर देनेका निश्चय किया गया। मर्दोंके जेलसे छूटनेके बाद कुछ कुटूब अपने-अपने घर चले गये। जो लोग बाकी रहे गये थे उनमें अधिकांश फिनिक्स आश्रमके थे। अत निश्चय हुआ कि जागेसे सत्याग्रहियोंका केन्द्र फिनिक्स ही हो। तीन पौड़-के करकी लडाईके बंदर अगर गिरमिटिये शामिल हुए तो उनसे मिलना-जुलना नेटालमें अधिक सुभीतेसे हो सकता था। इस ख्यालसे भी फिनिक्सको केन्द्र बनाना तै हुआ।

लडाई शुरू करनेकी तैयारी चल ही रही थी कि उन्नेमें एक नया विघ्न उपस्थित हो गया, जिससे स्त्रियोंको भी लडाईमें शामिल करनेका मौका मिला। कुछ और स्त्रिया उसमें शामिल होनेकी मार्ग्य-पहले ही कर चुकी थीं और जब विना परवाना दिखाये फेरी करके जेल जाना आरम्भ हुआ तब फेरी करने-

बालोकी स्त्रियोंने भी जेल जानेकी इच्छा प्रकट की थी। पर उस वक्त परदेशमें स्त्रीवर्गको जेल भेजना हम सबको अयोग्य जान पड़ा। उन्हे जेल भेजनेका कारण भी नहीं दिखाई दिया और उन्हे जेल ले जानेकी मेरी तो उस वक्त हिम्मत भी नहीं थी। इसके साथ-साथ यह भी दिखाई दिया कि जो कानून सास तौरसे मर्दोंपर ही लागू होता हो उसको रद करानेमें स्त्रियों-को रोकना मर्दोंके लिए जिल्लतकी बात होगी। पर इस वक्त एक ऐसी घटना हुई जिसमें स्त्रियोका सास तौरसे अपमान होता था और हमें जान पड़ा कि इस अपमानको दूर करनेके लिए स्त्रियाँ भी बलिदान हो जाएं तो अनुचित न होगा।

: १५ :

व्याह व्याह नहीं रहा

मानों बढ़स्य रहकर ईश्वर हिंदुस्तानियोंकी जीतका सामान तैयार कर रहा हो और दक्षिण अफ्रीकाके गोरोकें अन्यायको अधिक स्पष्ट गैतिसे प्रकट कर देना चाहता हो, दक्षिण अफ्रीकामें एक ऐसी घटना हुई जिसकी सभावना किसीको भी नहीं थी। हिंदु तानसे वहुतेरे विवाहित लोग दक्षिण अफ्रीका गये थे और कठने वही व्याह किया था। हिंदुस्तानमें सामान्य व्याहोंकी रजिस्टरी करानेका कानून तो है ही नहीं। वार्षिक किया ही काफी समझी जाती है। दक्षिण अफ्रीकामें भी हिंदुस्तानियोंके लिए यही प्रथा होनी चाहिए थी। हिंदुस्तानी चालीस बरससे उस देशमें वस रहे थे। फिर भी हिंदुस्तानके भिन्न-भिन्न घरोंके अनुसार हुए व्याह नाजायज नहीं समझे गये थे। पर इस वक्त एक मुकदमा ऐसा हुआ जिसमें केप सुप्रीमकोर्टके एक न्यायाधीशने यह फैसला

दिया कि दक्षिण अफ्रीकाके कानूनमें वही व्याह जायज माना जायगा जो इंसाई धर्मकी रीतिसे सपन्न हुआ हो और जिसकी रेजिस्ट्री विवाहके अधिकारी (रेजिस्ट्रार आव मेरिजेज) के यहाँ करा ली गई हो। अर्थात् हिंदू, मुसलमान, पारसी इत्यादि धर्मोंकी विविसे हुए व्याह इस भयंकर निर्णयसे दक्षिण अफ्रीकामें रद हो जाये और वहुत-सी विवाहिता भारतीय महिलाओंका दरजा दक्षिण अफ्रीकामें अपने पतिकी धर्म-पत्नीका न रहकर रखेलीका हो गया और उनकी संतानको बापकी कमाई पानका हक भी नहीं रहा। यह स्थिति न स्त्रियोंको सहन हो सकती थी, न पुरुषोंको। दक्षिण अफ्रीकामें वसने-वाले हिंदुस्तानियोंमें भारी खलबली भी। मैंने अपने स्वभावके अनुसार सरकारसे पूछा कि सरकार न्यायाधीशके इस निर्णयको मान लेगी या कानूनका उन्होंने जो अर्थ किया है वह सही हो तो भी वह अनर्थ है यह समझकर नया कानून बनाकर हिंदू-मुसलमान इत्यादि धर्मोंकी विविसे हुए व्याहोंको जायज मान लेंगी ? सरकारका भाव इस बक्त एसा नहीं था कि वह हमारी वातकी परवा करती। इसलिए जवाब डंकारी का मिला।

उक्त निर्णयके विरुद्ध अपील की जाय या नहीं, इसपर विचार करनेके लिए सत्याग्रह-मङ्गलकी बैठक हुई। अंतमे सभीने निश्चय किया कि ऐसे मामलेमें अपील हो ही नहीं सकती। अपील करनी ही हो तो सरकार करे या वह चाहे तो अपने वकील (एटर्नी जनरल) की मारफत खुले तौरपर हिंदुस्तानियोंका पक्ष ले, तभी हिंदुस्तानी अपील कर सकते हैं। इसके बिना अपील करना हिंदू-मुसलमान विवाहोंका नाजायज ठहरा दिया जाना सहन कर लेना-सा होगा। फिर अपील की गई और उसमे हमारी हार हुई तो सत्याग्रह करना ही होगा। अतः ऐसे अपमानके बारेमें अपील की ही नहीं जा सकती।

अब ऐसा वक्त आ गया जब शुभतिथि या मंगलमूहूर्तकी राह देखी जा ही नहीं सकती थी। स्त्रियोंका अपमान होनेके बाद धीरज क्से रहता? थोड़े या बहुत जितने भी आदमी मिल जाएं उन्हींको लेकर तीव्र रूपमे सत्याग्रह आरंभ करनेका निश्चय किया गया। अब स्त्रियोंका लडाईमें शामिल होना रोका नहीं जा सकता था। इतना ही नहीं, हमने उन्हे लडाईमें शामिल होनेका निमंत्रण देनेका निश्चय किया। पहले तो जो बहने टाल्स्ट्राय फार्ममें रह चुकी थी उन्हींको निमंत्रण दिया गया। वे बहने तो लडाईमें शामिल होनेको बेचैन हो रही थी। मैंने उन्हे लडाईकी सभी जोखिमे बता दी। खाले-पीने, कपड़े-कर्ता, सोने-चैठनेमे पावादियां होगी, यह समझा दिया। यह चेतावनी दे दी कि जेलमे उन्हे सख्त भशककत करनी होगी। कपड़े बुलवाये जाएंगे। अमले अपमान करेंगे। पर ये बहने एक भी बातसे नहीं डरी। सभी बहादुर थी। एकतो कई महीनेका गर्भ था। कुछकी गोदमें बच्चे थे; पर उन्होंने भी आमिल होनेका आग्रह किया और उनमेसे किसीको भी रोक सकना मेरे ब्रसकी बत नहीं थी। ये सभी बहने नामिल थीं। उनके नाम ये हैं—

१. श्रीमती थंडी नायड़;
२. श्रीमती एन० पिल्ले;
३. श्रीमती क० मुरगेसा पिल्ले,
४. श्रीमती ए० पी० नायड़;
५. श्रीमती पी० क० नायड़,
६. श्रीमती चिश्शस्वामी पिल्ले;
७. श्रीमती एन. एस. पिल्ले;
८. श्रीमती मुदालिगम;
९. श्रीमती भवानी दयाल;
१०. श्रीमती एम० पिल्ले,
११. श्रीमती एम० वी० पिल्ले।

इनमेसे ६ बहनोंकी गोदमें बच्चे थे।

अपराध करके जेल जाना आसान है। निवेंप होते हुए अपने आपको गिरफ्तार कराना कठिन है। अपराधी गिरफ्तार होना नहीं चाहता, इससे पुलिस उसके पीछे

लगी रहती है और उसे पकड़तो है। परंजो अपनी लुब्जीसे और निरपराव होते हुए जेल जाना चाहता है उसको पुलिस तभी पकड़ती है जब वह इसके लिए लाचार हो जाती है। इन वहनोंका फहला यत्न विफल हुआ। उन्होंने विना परवानेके दूसरालमें डाक्टिल होकर केरी की, पर पुलिसने उन्हें गिरफ्तार करनेने इन्हाँर किया। उन्होंने फिनिक्सनसे बोरेजियो (आरेज फ्री स्टेट) की सुरक्षदर्श में विना अनुमतिके प्रवेश किया। फिर नी किसीने उन्हें न पकड़ा। अब स्क्रियोके सामने वह नवाल खड़ा हो गया कि वह किस तरह अपने आपको गिरफ्तार कराएं। ज्यादा मर्द गिरफ्तार होनेको तैयार नहीं थे और जो थे उनके लिए अपने आपको गिरफ्तार करना आसान नहीं था।

हमने वह कदम उठानेका निष्ठय किया जिसे आतिरके लिए नोच रखा था। यह कदम बड़ा प्रभावकारी सिद्ध हुआ। मैंने सोच रखा था कि युद्धके अंतिम पर्वमें फिनिक्सके अपने ननी जायियोंको होम डंगा। उन्हें मेरे लिए अंतिम त्याग था। फिनिक्समें रहनेवाले मेरे अंतरंग सहयोगी और सर्वधी थे। सबाल यह था कि अन्वार चन्द्रानेके लिए जितने आदमी चाहिए उतने आदमियों और सोलह वरससे नीचेके छड़के-लड्कियोंको छोड़कर बाकी नबको जेल यात्राके लिए नेज़ हैं। इन्हें अधिक त्याग करनेके भावन मेरे पास नहीं थे। गोखलेश्वी लिखते हुए जिन सोलह आदमियोंका उल्लेख किया था, वे इन्हनें ही थे। इस महलीकी भरहट लोध कर दूसरालमें विना परवानेके प्रवेश करनेके अपनावके लिए गिरफ्तार हो गया। उस कदमकी बात पहले कहना था। डर था कि अगर इस कदमकी बात पहले इन्हें दो-चार मिनटोंको छोड़कर और किसीको मैंने वह बत्त नहीं बनाई थी। सुरक्ष लोधते नमय पुलिस-अफसर नवा

नाम-धाम पूछा करता था। इस वक्त उसको नाम-पता न बताना भी हमारी योजनाके अंदर था। पुलिस-अफसरको नाम-धाम न बताना भी एक जुदा अपराध माना जाता था। इर था कि नाम-पता बतानेमें पुलिस यह जान गई कि वे मेरे सगे-सवधियोंसे हैं तो वह उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। इससे नाम व ठिकाना न बतानेकी बात सोची गई थी। इस कदमके साथ-साथ उन वहनोंको नेटालमें दाखिल होना था जो ट्रांसवालमें दाखिल होनेका विफल प्रयत्न कर रही थी। जैसे नेटालसे परखानेके बिना ट्रांसवालमें दाखिल होना अपराध था वैसे ही ट्रांसवालसे नेटालमें बिना परखानेके दाखिल होना भी अपराध था। इसलिए हमने तैयार किया था कि पुलिस इन वहनोंको पकड़े तो ये अपने आपको नेटालमें गिरफ्तार करा दें और न पकड़े तो नेटालके कोयलेकी खानोंके केन्द्र न्यूकैसलमें जाकर वहाँके गिरभिटिया मजदूरोंसे खानोंसे निकल आनेका अनुरोध करे। इन वहनोंकी मातृभाषा तामिल थी। थोड़ी बहुत हिंदुस्तानी भी आती ही थी। मजदूरवर्गका बड़ा भाग मद्रास इलाकोंका और नामिल-तैलगू बोलनेवाला था। उत्तरी हिंदुस्तानवाले भी काफी थे। मजदूर इन वहनोंकी बात सुनकर काम छोड़ दे तो सरकार मजदूरोंके साथ-साथ उन्हें भी गिरफ्तार किये बिना नहीं रहती। इसीसे मजदूरोंमें और ज्यादा जोश पैदा होनेकी पूरी समावना थी। इस प्रकारकी ब्यूह-रचना भनमें करके मैंने उसे ट्रांसवालकी वहनोंको समझा दिया था।

इसके बाद मैं फिनिक्स गया। वहाँ सबके साथ बैठकर बातें की। पहले तो वहा रहनेवाली वहनोंके साथ मजविरा करना था। वहनोंको जैल भेजनेका कदम बड़ा भयानक है। यह मैं जानता था। फिनिक्समें रहनेवाली अधिकांश वहनें गुजराती थीं। अतः उक्त ट्रांसवालकी वहनोंकी तरह

मुस्तंद या अनुभवी नहीं मान सकते थे। इसके सिवा यह बात भी थी कि उनमें से अधिकांश मेरी रिक्तेदार थी। इसलिए हो सकता था कि मेरी लाज रखनेके लिए ही जेल जानेकी बात सोचे और पीछे कसौटीके समय डरकर या जेलमें जानेके बाद वहांके कष्टसे घबराकर माफी आदि मांग लें तो मेरे दिलको गहरा धक्का लगता और लडाई एकवारी कमज़ोर हो जाती। अपनी पत्नीके बारेमें तो मैंने निश्चय कर लिया था कि उसको कभी नहीं ललचाऊगा। उसके मुहसे तो ना निकल ही नहीं सकता। और हा निकले तो उस हाकी भी कितनी कीमत समझूँ, यह मैं जान न सकता था। मैं समझता था कि ऐसी जोखिमके काममें पत्नी अपनी मर्जीसे जो कुछ करे पतिको वही स्वीकार करना चाहिए और वह कुछ भी कहे तो उसका तनिक भी दुख नहीं मानना चाहिए। इसलिए यह तैयार कर लिया था कि उसके साथ इस बारेमें बात ही नहीं करूँगा। दूसरी बहनोंके साथ मैंने बातें की। उन्होंने भी द्रासवाल-वाली बहनोंकी तरह तूरंत बीड़ा उठा लिया और जेल जानेको तैयार हो गई। मुझे इस बातका इतमीनान दिलाया कि कैसे ही कष्ट क्यों न सहने पड़ें, वे अपनी सजाकी मुद्दत पूरी करेंगी। पर इस सारी बातचीतका सार मेरी पत्नीने भी जान लिया। उसने मुझसे कहा—“आप मुझे इस बातकी खबर नहीं देते, इसका मुझे दुख होता है। मुझमें ऐसी क्या खासी है कि मैं जेल नहीं जा सकती? मुझे भी वही रस्ता लेना है जिसपर चलनेकी सलाह आप इन बहनोंको दे रहे हैं।” मैंने जबाब दिया—“तुम्हारा दिल दुखानेकी बात मैं सोच ही नहीं सकता। इसमें अविश्वासकी बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे जेल जानेसे प्रसन्न ही हूँगा। पर मुझे इसका आभास-तक नहीं होना चाहिए कि तुम मेरे कहनेसे जेल गई हो। ऐसे काम हरएकको अपनी हिम्मतसे ही करना चाहिए। मैं कह-

तो मेरी बात रखनेके लिए तुम सहज ही जेल चली जाओगी । पीछे अदालतमे खड़ी होते ही कांपने लगो या हिम्मत हार दो अबवा जेलके कष्टसे कातर हो जाओ तो इसमे तुम्हारा दोष तो मै मानूंगा, पर मेरी दशा क्या होगी ? मै तुम्हें किस तरह ग्रहण कर सकूंगा ? दुनियाके सामने कैसे मुह दिखा सकूंगा ? इसी ढरसे मैंने तुम्हें जेल जानेको नही ललचाया ।” मुझे जबाब मिला—“मै हिम्मत हारकर चली आऊ तो आप मझे न अपनाये । मेरे लड़के कष्ट सह सकते हैं । आप सब लोग सह सकते हैं और अकेली मैं ही नही सह सकती, यह आप कैसे सोच सकते हैं ? मुझे तो इस लड़ाईमे जामिल करना ही होगा ।” मैंने जबाब दिया—“तो तुम्हे जामिल करना ही होगा । मेरी शर्त तो तुम जानती ही हो । मेरा स्वभाव भी जानती हो । बब भी सोचना-विचारना हो तो सोच-विचार लो और भलीभांति विचार कर लेनेके बाद अगर तुम्हारा दिल कहे कि तुम्हे इसमे जामिल नही होना चाहिए तो तुम्हे इसकी आजादी है । और यह भी जान लो कि निश्चय बदलनेमें अभी कोई शर्म भी नही ।” जबाब मिला—“मुझे कृष्ण सोच-विचार करना ही नही है । मेरा निश्चय ही है ।”

फिनिक्समे रहनेवाले दूसरे लोगोंको भी मैंने स्वतंत्र रीतिसे निश्चय करनेकी सलाह दी थी । लड़ाई थोड़े दिन चले या बहुत दिन, फिनिक्स-आश्रम कायम रहे या जमीदोज हो जाय, जेल जानेवाले तदुरस्त रहे या बीमार हो जाए, पर कोई पीछे नही हट सकेगा, यह शर्त मैंने बार-बार और तरह-तरहसे कहकर समझा दी । सब तैयार हो गये । फिनिक्स-से बाहरके अकेले रुस्तमजी जीवनजी घोरखोदू थे । उनसे यह सारा विचार-विमर्श छिपा रखा जाय, यह नही हो सकता था । वह पीछे रहनेवाले आदमी भी नही थे । वह जेल हो

भी आये थे, परं फिर जानेका आग्रह कर रहे थे। इस जर्त्यमें शामिल होनेवालोंके नाम इस प्रकार हैं-

१. सौ० कस्टूर मोहनदास गांधी, २. सौ० जयाकुवर मणिलाल डाक्टर, ३. सौ० काशी छगनलाल गांधी, ४. सौ० सन्तोक मगनलाल गांधी, ५. श्रीपारसी रस्तमजी जीवन घोरखोदू, ६. श्रीछगनलाल खुशालचंद गांधी, ७. श्रीरावजी भाई मणिलाल पटेल, ८. श्री मगन भाई हरिभाई पटेल, ९. श्री-सालोमन रायपन, १०. भाई रामदास मोहनदास गांधी, ११. भाई राजगोविन्द, १२. भाई शिवपंजन बद्री, १३. गोविंद राजुलू, १४. श्रीकुप्पु स्वामी मुदालियार, १५. भाई गोकुलदास हसराज, १६. रेवाशकर रत्नकी सोडा।

आगे क्या हुआ यह अगले प्रकरणमें पढ़ियेगा।

: १६ :

स्थियां जेलमें

इस जर्त्येको सरहद पारकर बिना परवानेके ट्रासवालमें दाखिल होनेके जुर्ममें गिरफ्तार होना था। नामोंसे पाठक देखेगे कि उनमें कुछ ऐसे नाम हैं जो प्रकट हो जाते तो पुलिस जायद उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। मेरे विषयमें यही बात हुई थी। एक-दो बार गिरफ्तार करनेके बाद सरहद पार करते वक्त पुलिसने मुझे पकड़ना छोड़ दिया था। इस जर्त्येके कच्चकी खबर किसीको नहीं दी गई थी। अखबारोंको तो देहों कैसे सकते थे? जर्त्येके सदस्योंको समझा दिया गया था कि वे पुलिसको भी नाम-बाम न बताए। पूछनेपर उससे कह दें कि हम अदालतमें नाम बतायेंगे। पुलिसके सामने ऐसे मामले अकसर आते। अपने आपको

गिरफ्तार करनेके आदी हो जानेके बाद हिंदुस्तानी अकसर मजेके लिए पुलिसको तग करनेकी नीयतसे भी उसको नाम नहीं बताते थे। अतः इस जत्थेके नाम न बतानेमें उसे कोई विचिन्ता नहीं जान पड़ी। पुलिसने इस जत्थेको गिरफ्तार किया। मुकदमा चला। सबको तीन-तीन महीनेकी कड़ी कैदकी सजा मिली।

जो वहने ट्रासवालमे अपने आपको गिरफ्तार करनेके प्रयत्नमे निराश हुई थी वे नेटालकी सरहदमें दाखिल हुई। पुलिसने उन्हे दिना परवानेके प्रवेश करनेके जुम्में गिरफ्तार नहीं किया। यह तै हुआ था कि पुलिस उन्हे न पकडे तो वे न्यू-कैसेल जाकर पड़ाव करे और कोयलेकी खानोंके हिंदुस्तानी मजदूरोंसे अपना काम छोड़ देनेकी विनती करे। न्यूकैसेल नेटालमे कोयलेकी खानोंका केन्द्र है। इन खानोंमें मुख्यतः हिंदुस्तानी मजदूर ही काम करते थे। वहनोंने अपना काम शुरू किया। उसका असर बिजलीकी तरह फैल गया। तीन पौटके करकी कहानी उन्होंने सुनी तो उनपर गहरा असर हुआ। उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। मुझे तार मिला। मैं लूंग हुआ, पर इतना ही घबराया भी। मुझे क्या करना है? इस अद्भुत जागरणके लिए मैं तैयार नहीं था। मेरे पास पैसा नहीं था; न इतने आदमी थे जो इस कामको संभाल लें। अपना फर्ज मैं समझता था। मुझे न्यूकैसेल जाना और जो कुछ हो सके वह करना था। मैं उठा और चल दिया।

सरकार अब इन वहादुर वहनोंको क्यों छोड़ने लगी? वे गिरफ्तार हुई। उन्हे भी वही सजा मिली जो फिनिक्स-वाले जत्थेको मिली थी—तीन-तीन महीनेकी कड़ी कैद और उसी जेलमे रखी गई।

दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय अब जागे। उनकी नीद दूटी। उनमे नई चेतना आई जान पड़ी। पर वहनोंके

बलिदानने हिंदुस्तानको भी जगाया। सर फीरोजशाह मेहता अबतक तटस्थ थे। १९०१ मे उन्होंने मुझे कडे शब्दोंमें चेतावनी देकर दक्षिण अफ्रीका न जानको समझाया था। उनका मत मै पहले बता चुका हूँ। सत्याग्रहकी लडाईका भी उनपर थोड़ा ही असर हुआ था। पर स्त्रियोकी कैदने उनपर जादूका-सा असर डाला। बबईके टाउनहालमें भाषण देते हुए उन्होंने खुद कहा कि स्त्रियोकी जेल-यात्राने मेरी शांति भग कर दी। हिंदुस्तानसे अब चुप बैठे नहीं रहा जा सकता।

बहनोंकी वहादुरीके क्या कहने ! सभी नेटालकी राजधानी मारिस्टबर्गमें रखी गईं। यहा उन्हे काफी कष्ट दिया गया। खुराकमें उनका जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। काम उन्हे कपड़े धोनेका दिया गया। बाहरसे खाना भोजनेकी सख्त मनाही लगभग आखिरतक रही। एक बहनने एक विशेष प्रकारके भोजनका ही ब्रत ले रखा था। बड़ी कठिनाईसे उसे वह भोजन देनेका निश्चय हुआ। पर वह ऐसा होता था कि गलेसे उतारा न जा सके। उसे जैतनके तेलकी खास जूरत थी। पहले तो वह मिला ही नहीं। फिर मिला भी तो वरसोका पुराना और बदबूदार। अपने खर्चसे मांगनेकी प्रार्थना की गई तो जवाब मिला—“यह कोई होटल नहीं है। जो मिले वह खाना होगा।” यह बहन जब जेलसे निकली तो देहमें ठठरी भर रह गई थी। महाप्रयाससे जान बची।

एक दूसरी बहन भयकर ज्वर लेकर निकली। उम्म ज्वरने रिहाई (२२ फरवरी १९१४) के बाद कुछ ही दिनोंमें उसे प्रभुके पास पहुँचा दिया। उसको मै कैसे भूल सकता हूँ ? बलिअम्मा सोलह सालकी लड़की थी। मै जब उसको देखने गया तो वह खाटपर पड़ी थी। लंबे कदकी होनेसे उसकी लकड़ी-जैसी देह डरावनी लगती थी।

मैंने पूछा “वलिअम्मा, जेल जानेका पछतावा तो नहीं हो रहा है न ?”

“पछतावा क्यों होगा ? मुझे तो फिर गिरफ्तार करे तो इस बक्त भी जेल जानेको तैयार हूँ।”

“पर उसका फल मत्त्य हो नो ?”

“हुआ करे । देशक लिए मरना किसे न भायेगा ?”

इस बातचीतके कुछ ही दिन बाद वलिअम्मा स्वर्ण सिंधारी । उसकी देह गई, पर यह बाला अपना नाम अमर कर गई है । वलिअम्माकी मृत्युके बाद जगह-जगह शोक प्रकाश करनेवाली सभाएँ हुईं और कौमने इस पवित्र बहनकी स्मृति-रक्षाके लिए ‘वलिअम्मा हाल’ के नामसे एक सभा-भवन बनाने-का निश्चय किया । यह हाल बनानेके धर्मका कौमने अवतक पालन नहीं किया । उसमें अनेक विघ्न आये । कौममे फूट पड़ी । मृत्यु कार्यकर्ता एकके पीछे एक छोड़कर चले गये । पर पत्थर-चूनेका हाल बने या न बने, वलिअम्माकी सेवाका नाश नहीं हो सकता । इस सेवाका हाल तो वह अपने हाथोंही निर्माण कर गई है । उसकी मूर्ति आज भी बहुतसे हृदय-मदिरोंमें दिराजती है और जबतक भारतवर्षका नाम है तबतक दक्षिण अफ्रीका-के इतिहासमें वलिअम्माका नाम भी अमर रहेगा ।

इन बहनोंका बलिदान विशुद्ध था । ये बेचारी कानून-कामदेकी बारीकियोंको नहीं जानती थीं । उनमें बहुतोंको देशकी कल्पना नहीं थी, उनका देशप्रेम केवल श्रद्धापर अवलबित था । उनमें अनेक निरक्षर थीं, इसलिए अखबार पढ़ना कहांसे जानती ? पर वे इतना जानती थीं कि कौमके मानस्त्री वस्त्रका हरण हो रहा है । उनका जेल जाना उनका आत्मनाद था । जुँद यज था । ऐसी हृदयकी प्रार्थनाको प्रभु सुनते हैं । यजकी सफलता उसकी उसी शुद्धतापर आश्रित होती है । भगवान् भावके भूम्बे है । भक्तिपूर्वक अर्थात् निस्त्वार्थ-

बुद्धिसे अपितं पत्र, पूज्य या जलको वह सप्रेम स्वीकार करते हैं और उसका करोड़ गुना फल देते हैं। सुदामाके मुट्ठीभर चावलकी भेटसे उसका वरसोकी भूख भाग गई। बहुतोंके जेल जानेका चाहे कोई फल न हो, पर एक ही शुद्ध आत्माका भवित्तपूर्वक किया हुआ आत्मार्पण कभी निष्कल नहीं होता। दक्षिण अफ्रीकामे किस-किसका यज्ञ फला इसे कौन जानता है? पर इतना हम जानते हैं कि वलिअम्माका यज्ञ तो सफल हुआ ही। दूसरी वहनोंका यज्ञ भी जरूर सफल हुआ।

स्वदेश-यज्ञमें, जगत-यज्ञमें असत्य आत्माओंका होम हो चुका है, हो रहा है और होगा। यही यथार्थ है; क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन शुद्ध है। पर सत्याग्रही इतना तो समझ ही रखे कि उनमें एक भी शुद्ध हो तो उनका यज्ञ फल उपजानेके लिए काफी है। पृथ्वी सत्यके वलपर टिकी हुई है। असत्—असत्य अर्थात् नहीं, सत्—सत्य अर्थात् है। जब असतका अस्तित्व ही नहीं है तब उसकी सफलता क्या होगी? और जो है, उसका नाश कौन कर सकनेवाला है? इतनेहीमें सत्याग्रहका सम्पूर्ण शास्त्र समाया हुआ है।

: १७ :

मजदूरोंकी धारा

वहनोंके इस त्यागका असर मजदूरोपर अद्भुत हुआ। न्यूकैसलके नजदीकी खानोंके मजदूरोंने अपने औजार फेंक दिये। उनकी धारा नगरकी ओर वह चली। खबर मिलते ही मैने फिनिक्स छोड़ा और न्यूकैसलके लिए रवाना हो गया।

इन मजदूरोंका अपना घर नहीं होता। मालिक ही उनके लिए घर बनवाते हैं। उनकी सड़को-गलियोंमें लैम्प

लगताते हैं। मालिक ही उनको पानी भी देते हैं। अर्थात्
मजदूर हर तरह पराधीन होते हैं और जैसा कि गोस्वामी
तुलसीदासजीने कहा है :

“पराधीन सप्नेहुँ मुख बाही”

ये हड्डताली मेरे पास अनेक प्रकारकी शिकायतें लाने
लगे। कोई कहता—“मालिक रास्तेपरकी रोशनी बंद कर रखे
हैं।” कोई कहता—“पत्ती बंद कर रखे हैं।” कोई कहता—“वे
हड्डतालियोंका सामान कोठरियोंसे बाहर निकालकर। फेंके दे
रखे हैं।” एक पठान सैयद इजाहीमने अपनी पीठ दिखाकर
कहा—“यह देखो, मुझे कैसा भारा है! मैंने आपके लिए
बदमाशको छोड़ दिया है। आपका यही हुक्म है। मैं
पठान हूँ और पठान कभी भार लाता नहीं, भार भारता है।”

मैंने जवाब दिया—“भाई, तुमने बहूत ही अच्छा काम
किया। ऐसीको मैं सच्ची बहाऊरी कहता हूँ। तुम जैसे
लोगोंसे ही हम जीतेगे।”

मैंने यों मुवारकबादी तो दी, पर दिलमें सोचा कि बहूतोंपर
ऐसी बीती तो हड्डताल नहीं लगेगी। भारको छोड़ दें तो
मालिकोंकी शिकायत किस बातकी करें? हड्डताल करनेवालोंकी
रोशनी-मानी आदिकी सुविधाएं मालिक बंद कर दें तो इसमें
शिकायतके लिए अधिक स्थान नहीं। पर हो या न हो,
लोग ऐसी स्थितिमें कैसे निभा सकते हैं? मुझे कोई चपाय
सोच लेना ही होगा। अथवा लोग थक्कर कामपर बापस
जायं इससे तो यही अच्छा है कि वे अपनी हार कबल कर लें
और कामपर लौट जाएं। पर लोग मेरे मुहर्ये ऐसी सलाह
हरणिज न सुनेंगे। तब एक ही रास्ता था : मजदूर मालिकोंकी
कोठरियां छाली कर दें, यानी ‘हिजरत’ करे।

मजदूर दस-बीस नहीं थे, सकहों थे। हजारों होते भी
देर न लगती। उनके लिए मकान कहसिं पैदा कर्हे? खाना

कहासे लाऊ ? हिंदुस्तानसे पैसा मगाना नहीं था । वहासे पैसेका जो मैंह बरसा वह अभी आरम नहीं हुआ था । भारतीय व्यापारी इन्हाँ डर गये थे कि वे मुझे खुले तौरपर कोई मदद देनेको तैयार नहीं थे । उनका व्यापार खान-मालिको और दूसरे गोरोके साथ था । इसलिए वे खुले तौरपर मेरा साथ कैसे देते ? जब कभी मैं न्यूकैसेल जाता, उन्हीके यहा उत्तरता था । इस बार मैंने खुद ही उनका रास्ता आसान कर दिया, दूसरी ही जगह उत्तरनेका निश्चय किया ।

मैं बता चुका हूँ कि जो वहनें ट्रासवालसे आई थी वे द्राविड प्रदेशकी थी । वे एक द्राविड कट्टवके यहा, जो इंसाइंथा, ठहरी थी । यह कुट्टव मध्यम स्थितिका था । उसके पास जमीनका एक छोटा-सा टुकड़ा और दो-तीन कमरोका भकान था । मैंने यही उत्तरनेका निश्चय किया । घरके मालिकका नाम लाजरस था । गरीबको किसका डर हो सकता है ? ये लोग मूलत एक गिरमिटिया कुट्टवके थे । इसलिए उन्हे और उनके स्वजनोको भी तीन पौँडका कर देना होता । गिरमिटियोके कष्टोकी पूरी जानकारी उन्हे होनी ही चाहिए थी और उनके साथ हमदर्दी भी पूरी होनी चाहिए थी । इस कट्टवने मेरा सहर्ष स्वागत किया । मुझे मेहमान बनाना मिश्रोके लिए कभी आसान तो रहा ही नहीं, पर इस बक्त ने स्वागत करना आर्थिक नाशका स्वागत करना था और जायद जेलका स्वागत करना भी होता । ऐसे धनिक व्यापारी थोड़े ही हो सकते थे जो अपने आपको ऐसी स्थितिमें डालनेको तैयार हो । अत मैंने अपनी और उनकी मर्यादा समझकर तैं किया कि मुझे उनको कठिनाइमें नहीं डालना चाहिए । लाजरस वेचारेको थोड़ी-सी तनख्वाह खोनी पड़ती तो वह खो देता । उसे कोई जेल ले जाय तो वह चला जाता । पर अपनेसे भी ज्यादा गरीब गिरमिटियोका कष्ट वह कैसे

अनुद्विग्न चित्तसे सहन करता ? इसने देखा कि ट्रांसवालकी वहने जो उसीके यहाँ टिकी हुई थी, गिरमिटियोकी मदद करने जाकर ज़ेलसाने पहुच गईं। भाईं लाजरसने सोचा कि उनके प्रति उसका भी कुछ फर्ज है और मुझे आश्रय दे दिया। उसने मूझे आश्रय तो दिया ही, साथ ही अपना सर्वस्व अपेण कर दिया। मेरे उसके यहा जानेके बाद उसका घर धमंगाला बन गया। सैकड़ो आदमी और हर तरहके आदमी चाहे जब आते और जाते। उसके घरके आसपासकी जमीन आदमियोंसे खाचाखच भर गई। उसका चल्हा चौबीसी घटे जला करता। उसकी धमंपत्तीको इसीमे जी-नोड मेहनत करनी पड़ती। फिर भी पति-पत्नी दोनोंके चेहरे हर बक्त हँसते रहते। उनकी मुखाश्छिति मेरे मैने कभी अप्रसन्नता नहीं देखी।

पर गरीब लाजरस क्या सैकड़ो मजदूरोंको खिला सकता था ? मजदूरोंको मैने सुना दिया कि उन्हे अपनी हृष्टालको स्थायी चीज समझकर मालिकोंके दिये हुए झोंपडे खाली कर देने चाहिए। जो चीजे बिक सकती हो वेच डालो, बाकी सामानको कोठरीमें पढ़ा रहने दो। मालिक उसको हाथ नहीं लगायगे। पर और बदला चुकानेके लिए वे उसे उठाकर फेक दे तो मजदूरोंको यह जोखिम भी उठानी होगी। मेरे पास वे पहननेके कपडे और ओढ़नेके कबलके सिवा और कोई भी चीज न लाये। जबतक हृष्टाल चलतो रहेगी और जबतक वे जेलके बाहर रहेंगे तबतक मेरे उन्हींके साथ रहूगा और खाऊगा-पिऊगा। इन शर्तोंके साथ वे सानोंसे बाहर निकल आये तभी वे टिक सकते हैं और कौमकी जीत हो सकती है। जिसमे इसकी हिम्मत न हो वह अपने कामपर लौट जाय। जो कामपर बापस जाय, उसका कोई तिरस्कार न करे, उसको तंग न करे। इन शर्तोंको माननेसे किसीने इन्कार किया हो

इसकी याद मुझे नहीं है । जिस दिन मैंने कहा उसी दिन से हिंजरत करनेवालों—गृहत्यागियोंका ताता लग गया । सब अपने दीवी-चच्चोंको साथ लिए सिरपर कपड़ोंकी गठरी रखे पहुंचने लगे । मेरे पास धरके नाम पर तो सिर्फ़ खली जमीन थी । सौभाग्यवश उस भौसममें न बर्पा हो रही थी और त ठड़ ही पढ़ रही थी ।

मेरा विज्ञास था कि भोजनका भार उठानेमें व्यापारी-वर्ग पीछे न रहेगा । न्यूकैसेलके व्यापारियोंने पकानेके लिए वरतन दिये और चावल-दालके बोरे भेजे । दूसरे स्थानोंसे भी दाल, चावल, सब्जी, मसाले आदिकी वर्षी होने लगी । जितनेकी आशा में रखता था उससे कही अधिक ये चीजें मेरे पास आने लगी । सब जेल जानेको तैयार न हो; पर सदकी हमदर्दी तो थी ही । सब इस यज्ञमें यथाशक्ति सहायताके रूपमें अपना भाग वर्पण करनेको तैयार थे । जो कुछ देने लायक न थे उन्होंने अपनी सेवा देकर मदद की । इन अनजान अपढ़ आदियोंको सम्हालनेके लिए जाने-पहुंचाने हुए और समझदार स्वयंसेवक तो दरकार थे ही । वे मिल गये और उन्होंने अमूल्य सहायता की । उनमेंसे बहुतेरे तो गिरफ्तार भी हुए । ये सबने यथाशक्ति सहायता की और हमारा रास्ता आसान हो गया ।

आदियोंकी भीड़ बढ़ने लगी । इतने बड़े और लगातार बढ़ते जानेवाले मजदूरोंके भजमेंको एक ही स्थानमें बिना किसी काम-धंधेके समेट रखना नामुमकिन नहीं तो खतरनाक जरूर था । उनकी शीर्च आदिकी आदते तो सुधरी होती ही नहीं थी । इस समुदायमें कितने ही ऐसे थे जो अपराध करके जेल भी हो जायें थे । कोई हत्याका अपराधी था, कोई व्यभिचारके अपराधमें जेल काटकर आया था । हड्डताली मजदूरोंमें नीतिका भेद मेरे किये नहीं हो सकता था । भेद कहु भी

तो अपना भेद मुझे कौन बतलाता ? मैं काजी बन वैठूँ तो विवेकहीन बनूँ । मेरा काम केवल हृष्टाल चलाना था । इसमेहू सरे सुवारोंको मिलाना मुभकिन नहीं था । छावनी-मेरी नीतिका पालन करना मेरा काम था । आनेवाले पहले कैसे थे, इसकी जाच करना मेरा फर्ज नहीं था । यह शिवकी वरात एक जगह जमकर बैठ जाय तो अपराध होना निश्चित था । अचरजकी वात तो यह थी कि जितने दिन मैंने यहाँ विदाये वे शातिसे दीते । सब लोग ऐसी शातिसे रहे भानों उन्होंने अपना आपद्धर्म समझ लिया हो ।

मुझे उपाय सूझा । इस दस्तेको ट्रांसवाल ले जालं और जैसे पहलेके १६ आदमी गिरफ्तार हो गये वैसे इन्हें भी जेलमें विठा दूँ । इन लोगोंको छोटे-छोटे जत्थोंमें बांटकर उनसे सरहद पार कराऊँ । यह विचार ज्योंही मनमें आया त्योंही उसे रद कर दिया । इसमें बहुत बक्त जाता और सामुदायिक कार्यका जो असर होता वह छोटे-छोटे जत्थोंके जेल जानेका न होता ।

मेरे पास कोई पांच हजार आदमी हक्कड़ा हुए होगे । इन सबको ट्रेनसे नहीं ले जा सकता था । इतना पैसा कहाँसे लाऊँ ? और इसमें लोगोंकी परीक्षा भी नहीं हो सकती थी । न्यूकेसेल्से ट्रांसवालकी सरहद ३६ मील थी । नेटालका सरहदी गांव चाल्सटाउन था, ट्रांसवालका वाक्सरस्ट । अंतमे मैंने पैदल यात्रा करनेका ही निश्चय किया । मजदूरोंके साथ भशविरा किया । उनके साथ स्त्रियाँ, बच्चे आदि थे । अतः कुछने आनाकानी की । मेरे पास दिल कडा करनेके सिवा दूसरा उपाय ही नहीं था । मैंने लोगोंसे कह दिया कि जिसे खान-पर वापस जाना हो वह जा सकता है । पर कोई वापस जानेको तैयार न था । जो लोग अपंग थे उन्हें ट्रेनसे भेजनेका निश्चय किया । वाकीके सब लोगोंने कहा कि हम पैदल चलकर

चाल्संटाउन जानेको तैयार है । यह मजिल दो दिनमें परी करनी थी । अंतमें सभी इस निव्वयमें प्रसव हुए । लोगोंने यह भी समझा कि इससे देचारे लाजरस-पौरबारको कुछ राहत मिलेगी । न्यूकैसेलके गोरांको प्लेग फैलनेका डर लग रहा था और उसके प्रतीकाके लिए उनके उपाय करनेकी वात सोच रहे थे । वे भयमुक्त हुए और उनकी कारंवाइयोंके दरसे हम भी मुक्त हुए ।

इस कूचकी तैयारी चल रही थी कि मुझे खानमालिकोंसे मिलनेका बुलावा आया । मैं डर्बन गया; पर इस कहानी-का उल्लेख पृथक् प्रकरण में कहूँगा ।

: १८ :

खानमालिकोंके पास और उसके बाद

खानमालिकोंके बुलावेपर मैं उनसे मिलने दर्बन गया । मैंने सभी कि मालिकापर कुछ असर हुआ है । इस बातचीतसे कुछ मिलेगा यह आशा तो मैं नहीं रखता था । पर सत्याग्रहीकी नम्रताकी कोई हट नहीं होती । वह समझौतेके एक भी अवसरको जाने नहीं देता । इससे कोई उसको डरपोक माने तो वह अपने आपको डरपोक मानने देता है । जिसके हृदयमें विश्वास और विश्वाससे उपजनेवाला बल है, वह इसरोकी अवगणनाकी परवा नहीं करता । वह अपने अनन्दलक्ष्मा भरोसा रखता है । इससे सबके सामने नम्र रहकर वह जगतके जनमतको जगाता और अपने कार्यकी ओर छीनता है ।

इससे मुझे मालिकोंका निम्रण स्वागत करने योग्य जान पड़ा । मैं उनके पास पहुँचा । मैंने देखा कि हवामें गर्मी है । मुझसे स्थिति समझनेके बदले उनके प्रतिनिधिने मुझसे

जिरह शुरू कर दी । मैंने उसको मुनासिव जवाब दिये । मैंने कहा—“यह हड्डताल वद कराना आपके हाथमें है ।”

उनकी ओरसे जवाब मिला—“हम कोई अधिकारी नहीं हैं ।”

मैंने कहा—“आप अधिकारी नहीं हैं, फिर भी वहूं कुछ कर सकते हैं । आप मजदूरोंका केस लड़ सकते हैं । आप सरकारसे तीन पौढ़का कर उठा देनेकी मांग करे तो मैं यह नहीं भानता कि वह उसे नामंजर करेगी । आप दूसरोंका मत, अपने अनुकूल बना सकते हैं ।”

“पर सरकारके लगाये हुए करके साथ हड्डतालका क्या सवध ? मालिक मजदूरोंको कट देते हो तो आप उनसे बाकायदा बाबेदन करे ।”

“मजदूरोंके पास हड्डताल करनेके सिवा इसका रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता । तीन पौढ़का कर भी मालिकोकी खातिर ही लगाया गया है । मालिक मजदूरोंकी मेहनत चाहते हैं, पर उनकी आजादी नहीं चाहते । इससे इस करको हुए करनेके लिए मजदूरोंके हड्डताल करनेमें मैं कुछ भी अनीति या मालिकोके प्रति अन्याय नहीं देखता ?”

“तो आप मजदूरोंसे कामपर दापस जानेको नहीं कहेगे ?”

“मैं लाचार हूँ ।”

“आप इसका नतीजा जानते हैं ?”

“मैं सावधान हूँ । अपनी जिम्मेदारीका मुझे पूरा ख्याल है ।”

“वेणक, इसमें आपका जाता ही क्या है ? पर इन वहकाये हुए मजदूरोंकी जो हानि होगी वह क्या आप भर देंगे ?”

“मजदूरोंने सोच-समझकर और अपने नुकसानको जानते-समझते हुए यह हड्डताल की है । मनुष्यके लिए आत्म-नम्मानकी हानिसे बड़ी हानि मैं सोच ही नहीं सकता । मजदूरोंने इस बातको समझ लिया है, इसका मुझे संतोग है ।”

इस तरहकी वातचीत हुईं। पूरी वातचीत मुझे इस वक्त याद नहीं आ सकती। जो वार्ते याद रह गई हैं उन्हें थोड़ेमें दे दिया है। मैं इतना जान सका कि मालिकोंका अपना पक्ष पंग जान पड़ा; क्योंकि सरकारके साथ उनकी वात-चीत पहलेसे चल रही थी।

डर्बन जाते और वहासे लैटरे हुए मैंने देखा कि रेलवेके गार्डों आदिपर इस हड़ताल और हड़तालियोंकी शातिका बहुत अच्छा असर हुआ। मेरा सफर तो तीसरे ही दरजेमें चल रहा था। पर वहां भी गार्ड आदि रेलकर्मचारी मुझे घेर लेते, दिलचस्पीभरे आग्रहके साथ हमारी लड़ाईके समाचार पढ़ते और सब हमारी विजय मनाते। मुझे उनके प्रकारके छोटे-मोटे सुभीतें कर देते। उनके साथ अपना सबध मैं निर्भल रखता। एक भी सुभीतेके लिए मैं उन्हें लालच न देता। अपनी इच्छासे वे भलमनसी बरतें तो मैंने उससे प्रसन्नता थी, पर भलमनसी खरीदनेकी कोशिश कभी नहीं की। गरीब, अपढ़, नासमझ इतनी दृढ़ता दिखायें यह उनके लिए अच्छेकी वात थी, और बढ़ता तथा बीरता ऐसे गुण हैं जिनकी छाप विरोधीपर पढ़े विना नहीं रहती।

मैं न्यूक्सेल लौटा। मजदूरोंकी धारा तो चली ही था रही थी। उनको सारी वाते बारीकीके साथ समझा दी। यह भी कह दिया कि आप लोग कामपुर वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। मालिकोंकी धमकीकी वात भी बताई और भविष्य-में जो जोखिमे उठानी थी उनका वर्णन भी कर दिया। कह दिया कि लड़ाई कब खत्म होगी यह भी नहीं कहा जा सकता। जेलके कप्ट समझा दिया। फिर भी मजदूर अड़िग रहे। “जबतक आप लड़नेको तैयार होगे तबतक हम हिम्मत हारन-वाले नहीं। हमें कप्ट सहनेका अभ्यास है। आप हमारी चिता-न करें।” यह निर्भय जवाब मुझे उनसे मिला।

मेरे लिए तो अब कूच करना ही बाकी रह गया था । एक दिन शामको लोगोंसे कह दिया कि उन्हें अगले दिन भोरमे कूच खुरू करनी होगी (२८ अक्टूबर १९१३) । रास्तेमे जिन १५४ नियमोंका पालन करना था वे सुना दिये गये । ५-६ हजारके मजमेको सम्भालना ऐसी-बैसी बात नहीं थी । उनकी गिनती तो मेरे पास थी ही नहीं, न था नाम-धारा । जो रह गये सो रह गये । उतनेहींको अपने लिए काफी मान लिया । रास्तेके लिए हरएकको तीन पाव रोटी (डेढ़ पौँड) और आधी छठांक शक्करके सिवा और कोई खूराक देनेकी गुजाइश नहीं थी । इसके बतिरिक्त यह कह दिया था कि हिंदुस्तानी व्यापारी अगर रास्तेमे कुछ दें तो वह ले लूगा । पर लोगोंको रोटी और शक्करसे ही संतोष करना था । बोअर-न्युद और जुलू-बगावतमे मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ था वह इस वक्त बहुत काम आया । जहरतसे ज्यादा कपड़े साथ न रखनेकी जरूरत तो थी ही । रास्तेमे कोई किसीका माल न ले, कोई सरकारी कर्मचारी या यूरोपियन मिले और गाली दें या मारे भी तो वर्दित कर ले, पूलिस गिरफ्तार करें तो गिरफ्तार हो जाय । मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊं तो भी कूच जारी रहे आदि बाते समझा दी । मेरे स्थानपुर एकको बाह दूसरे कौन लोग नियुक्त होंगे यह भी बता दिया ।

लोगोंने सब बाते समझ ली । काफला सहीसलामत जाल्स्टाउन महुचा । वहांके व्यापारियोंने हमारी खूब भद्द की । अपने भकानोंको काममें लाने दिया । भस्त्रियके सहनमें खाना पकानेकी इजाजत दे दी । कूचके बक्त जो खूराक दी जाती वह पढ़ावपर पहुंचनेतक चक जाती । इसलिए हमे खाना पकानेके बरतन भी चाहिए थे । व्यापारियोंने उन्हें भी सुशीसे हाजिर कर दिया । चाबल आदि तो हमारे पास काफी हो गया था । व्यापारियोंने इसमे भी अपना हिस्सा दिया ।

चार्ल्सटाउन छोटा-सा गांव कहा जा सकता है। इस वक्त उसमे मुश्किलसे एक हजारकी आबादी रही होगी। उसमे इतने आदमियोंका समावेश कर लेना कठिन था। स्त्रियो और बच्चोंको ही मकानोंमे रखा। वाकी सबको मैदानमे ही ठहराया।

यहांकी मधुर स्मृतियां कितनी ही हैं। कुछ कड़वी भी हैं। मधुर स्मरण मुख्यत। चार्ल्सटाउनके स्वास्थ्य-विभाग और उसके अधिकारी डाक्टर ब्रिस्कोके हैं। गांवकी आबादी इतनी बढ़ी हुई देखकर वह घबरा गये; पर कोई कड़ा उपाय करनेके बजाय मुझसे ही मिले। कुछ सुझाव पेश किये और मेरी मदद करनेकी भी बात कही। यूरोपके लोग तीन बातोंका सास तौरसे खायाल रखते हैं—हम नहीं रखते—पानीकी सफाई, रास्तेकी सफाई और पाखानेकी सफाई। मुझे यह करना था कि रास्तेपर पानी न गिराने दू, जहाँ-तहाँ लोगोंको पेशाब न करने दू और कही कड़ा-करकट न फेकने दू। वह जहा बतायें वही लोगोंको टिकाऊ और उस स्थानकी सफाईके लिए अपने आपको जिम्मेदार समझू। इन सारी सुचनाओंको मेरे धन्य-वाद-सहित स्वीकार किया। मुझे पूरी शांति हो गई।

अपने देशवासियोंसे इन नियमोंका पालन करना बहुत ही कठिन काम है। पर मजदूर भाइयो और साथियोंने उसे आसान कर दिया। मेरा सदा यह अनुभव रहा है कि सेवक सेवा करे और हुक्म न चलाये तो बहुत काम हो सकता है। सेवक खुद अपनी देहको काममे लगाये तो दूसरे भी लगायेंगे। इसका पूरा अनुभव मुझे इस छावनीमे हुआ। मैं और मेरे साथी फ़ाड लगाना, मैला उठाना आदि काम करते तनिक भी नहीं हिचकते थे। इससे लोगोंने ये काम उत्साहसे उठा लिये। यदि हम ऐसा न करते तो हुक्म किस पर चलाते? सब सरदार बनकर दूसरोंपर हुक्म चलायें तो अतमें काम पड़ा ही रह

जाता । पर जहा सरदार खुद ही सेवक बन जाय वहां दूसरे सरदारीका दावा कैसे कर सकते हैं ?

साथियोंमे केलनबेके पहुंच गये थे । मिस इलेजिन भी उपस्थित हो गई थी । इस वहनकी अमशीलता, सजग चिता और सचाईकी जितनी भी सराहना कर्ण कम होगी । हिंदुस्तानियोंमे स्वर्गीय पी. के. नायडू और बलबट्ट श्रिस्टोफरके नाम तो मुझे इस बक्त याद आ रहे हैं । दूसरे भी थे जिन्होंने भरपूर भेहनत की और अच्छी सहायता की ।

भोजनमें चावल और दाल दी जाती । सब्जी हमारे पास काफी जमा हो गई थी, पर उसको अलग पकानेका सुभीता नहीं था । इसलिए दालमे ही डाल दी जाती । अलग पकानेको समय न मिलता, इतने वरतन भी नहीं थे । रसोइमे चौबीसो बटे चूल्हा जला रहता; क्योंकि चाहे जिस बक्त भूखे-प्यासे लोग आ पहुंचते । न्यूकैसेलमे किसीको रहना नहीं था । सबको रास्तेकी खावर थी । इसलिए खातुसे निकलकर वे सीधे चाल्स-ट्रूज़न पहुंचते ।

मनुष्योंके बीरज और सहनशीलताका विचार करता हूँ तो मावनाकी महिमा मेरे सामने मूर्तिमान् होकर खड़ी हो जाती है । भोजन पकानेवालोंमे मृत्युया मैं था । कभी दालमे पानी ज्यादा हो जाता तो कभी वह कच्ची रहती । कभी तरकारी पकी न होती तो कभी भात ही कच्चा रह जाना । ऐसा भोजन प्रसन्न चित्तसे ग्रहण कर लेनेवाले मैंने दुनियामें अधिक नहीं देखे हैं । इसका उलटा दक्षिण अफ्रीकाकी जेलमें यह अनुभव भी हुआ कि खाना जरा कम, या कच्चा होने या जरा देरसे मिलनेपर सृष्टिक्षित माने जानेवालोंका भी परा चढ़ जाता था ।

परसनेका काम पकानेसे भी अधिक कठिन था और वह मेरे ही जिम्मे था । कच्चे-पक्केका हिसाब तो मुझे देना ही

होता। भोजन कम हो और खानेवाले ज्यादा हो जायं तो थोड़ा देकर सबका सतोष कराना भी मेरा ही कर्तव्य होता। वहनोंके सामने मैं थोड़ा खाना रखता तो क्षणभर मेरी ओर डाटनेकी निगाहें देखती और फिर मेरी स्थिति समझकर हँसते हुए चल देती। वह दृश्य मुझे जिदगीभर भूलनेका नहीं। मैं कह देता कि मैं लाचार हूँ। मेरे पास पका हुआ भोजन थोड़ा है और खानेवाले वहुत हैं। इसलिए मुझको उतना ही देना होगा कि सभी को थोड़ा-थोड़ा मिल जाय। इसपर वे स्थितिको समझ जाती और 'सन्तोप्तम्' कहकर हँसते हुए चल देती।

ये सब तो मधुरस्मरण हुए। कड़वे स्मरण ये हैं कि लोगोंको थोड़ी फुरसत मिली तो उसका उपयोग आपसके झगड़े-टटेम होने लगा। इससे भी बुरी बात यह हुई कि व्यभिचारकी घटनाएं हुईं। स्त्री पृथ्वीको साथ तो रखना ही पड़ता। भीड़ भी ऐसी ही थी, व्यभिचारीको शर्म क्यों आने लगी? ये घटनाएं ज्योंही घटित हुईं मैं भीकेपर जा पहुचा। अपराधी शर्मये। उनको बलग रखा। पर जो मेरे कानतक नहीं पहुची, ऐसी घटनाएं कितनी हुई होंगी, यह कौन कह सकता है? इस विषयका अधिक विस्तारसे वर्णन करना बेकार है। इतना यह जतानेके लिए लिख दिया कि सब कुछ आसान नहीं था और ऐसी घटनाएं घटित हुईं तब भी किसीने मेरे साथ उज्ज्वलनका बरताव नहीं किया। नीति-अनीतिका भैद अधिक न जाननेवाले जगली जैसे लोग भी अच्छे बातावरणमें कैसे सीधे चलते हैं, इसे मैंने अनेक अवसरोपर देख लिया है और इसे जानना अधिक आवश्यक और लाभदायक है।

। १६ ।

दूसरालमें प्रवेश—१

अब हम १९१३के नवंवर महीनेके आरंभमें हैं। कूच करनेके पहले हो घटनाओंका उल्लेख कर देना चित्त होगा। न्यूकैसेलमें द्राविड़ वहनोंको जेलकी सजा मिली तो डर्वनकी बाईं फातिमा महतावसे न रुहा गया। इसलिए वह भी अपनी माँ हनीफा बाई और उवरसके लड़के के साथ जेल जानेको निकल पड़ी। माँ-बेटी तो पकड़ ली गई, पर बेटेको गिरफ्तार करनेसे सरकारने साफ़ इन्कार कर दिया। पुलिसने फातिमा बाईकी उंगलियोंकी निशानी लेनेकी कोशिश की, पर वह निःड़र रही और उगलियोंकी निशानी नहीं दी।

इस बक्त हृदताल परे जोरमें चल रही थी। उसमें पुरुषोंकी तरह स्त्रियाँ भी आकर गामिल हो रही थीं। दो स्त्रियोंकी गोदमें बच्चे थे। एक बच्चेको कूचमें सर्दी लग गई और वह मौतकी गोदमें चला गया। दूसरा बच्चा एक नालेको छांधते हुए माकी गोदसे गिर गया और प्रवाहमें बहकर ढूँढ़ गया; पर वीर माताने दिल छोटा नहीं किया। दोनोंने कूच जारी रखी। एकने कहा—“हम मरे हुओका शोक करके क्या करेगी? वे कही लौटकर आ सकते हैं? जीवितोंकी सेवा करना हमारा धर्म है।” ऐसी जांत बीरता, इंश्वरमें ऐसी दृढ़-आस्था, ऐसे ज्ञानकी मिसाले गरीबोंमें मुझे अक्सर मिली है।

ऐसी ही दृढ़तासे चाल्सटाउनमें स्त्री-पुम्प अपने कठिन धर्मका पालन कर रहे थे। पर हम यहाँ कुछ शांतिके लिए नहीं आये थे। जांति जिसे दरकार हो वह उसे अपने बंतरमें प्राप्त करे। बाहर तो जहाँ देखो और देखना आता हो तो “यहाँ शांति नहीं मिलती” की ही तस्तिया लगी दिखाई देगी।

पर इसी अगांतिके बीच मीरावाईं-सरीखी भक्त हाथमें जहरका प्याला लेकर हँसते हुए मुहको लगाती है। अपनी अंधेरी कोठरीमें बैठा हुआ सुकरात अपने हाथमें जहरका प्याला थामे अपने मिन्नको गृहज्ञानका उपदेश करता है और कहता है—जो जाति चाहता हो वह उसे अपने अतरमें तलब करे।

इसी शांतिके बीच सत्याग्रहियोंका दस्ता पडाव ढालकर, सबेरे क्या होगा इसकी चिंता न करते हुए पड़ा था।

मैंने सरकारको चिट्ठी लिखी थी कि हम ट्रांसवालमें वसने-के इरादेसे प्रवेश करना नहीं चाहते। हमारा प्रवेश सरकारके वचनभगके विरुद्ध अमली फरियाद है और हमारे आत्म-सम्मानके भंगसे होनेवाले दुःखका शुद्ध निदर्शन है। हमें तो सरकार यही चाल्सटाउनमें गिरफ्तार कर ले तो हम निर्णित हो जाय। वह ऐसा न करे और हममेंसे कोई छिपकर ट्रांसवाल-में दाखिल हो जाय तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी लड़ाईमें गुप्त कुछ है ही नहीं। व्यक्तिगत स्वार्थ किसीको साधना नहीं है। किसीका छिपकर प्रवेश करना हमें पसंद नहीं होगा, पर जहाँ हजारों अनजान आदियोंसे काम लेना हो और जहाँ प्रेमके सिवा दूसरा कोई वधन न हो वहा किसीके कामके लिए हम जिम्मेदार नहीं हो सकते। फिर सरकार यह भी जान ले कि अगर उसने तीन पौँडका कर उठा दिया तो गिरमिटिए कामपर लौट जायगे और हड़ताल बंद हो जायगी। अपने दूसरे कष्ट दूर करनेके लिए हम उन्हे सत्याग्रहमें शामिल नहीं करेंगे।

~~अतः स्थिति ऐसी अनिश्चित थी कि सरकार कब गिरफ्तार करेगी यह कहा नहीं जा सकता था। पर ऐसी स्थितिमें सरकारके जवाबकी राह अविक दिन नहीं देखी जा सकती थी। इसलिए हमने एक-दो डाककी ही राह देखी जा सकती थी।~~

दांसंवालमें प्रबोह—?

निश्चय किया कि सरकार हमें गिरफ्तार न करे तो तुरंत चाल्स-
टाडन छोड़ दें और दांसंवालमें दाखिल हो जायें। रास्तेमें
पुलिस न पकड़े तो काफिला रोज आठ दिनतक २० से २४ मील
तुक कच करता जाय। हमारा इरादा आठ दिनमें टाल्स्ट्राय फार्म
पहुंचने का था। हमने सोचा था कि जवाहतक लड़ाई सततम जहीं
होती तबतक सब बही रहे और फार्ममें काम करके आजीविका
पूजा करे। मिं० केलनवकने सारा प्रबोह कर रखा था। काफिले-
के रहनेके लिए कच्चे घर बनवाने और यह काम उससे ही
लेनेकी बात सोची गई थी। इस बीच छोटे-छोटे स्तरेमें सड़े
करके बढ़े, कमजोर उनमें रखे जायें और सबल जरीरवाले
स्वल्प मैदानमें पढ़े रहे। इसमें कठिनाई यही थी कि वरसातका
आशय चाहिए ही। पर मिं० केलनवके इस कठिनाईका उपाय
कर लेनेकी हिम्मत रखते थे।

काफिलेने कच्ची दृश्यरियाँ भी कर ली। चाल्स-
टाडनके भले ब्रिज डाक्टर प्रिस्टो (जिलेके हेल्थ अफसर) ने
हमारे लिए दवाइयोंका एक छोटा-सा बक्स लैयार कर दिया
और अपने कुछ औजार भी दिये, जिन्हे मुझ-सा बनाड़ी आदमी
भी इस्तेमाल कर सकता था। यह बक्स हमें खुद लादकर ले
जाना था, क्योंकि काफिलेके साथ कोई भी सवारी नहीं रखनी
थी। इससे पाठक समझ सकते हैं कि इस बक्समें कम-से-
कम दवाएं रही होगी। वे इतनी भी नहीं थी कि एक बक्समें साथ-
आदमियोंके लिए काफी हो सके। इतनी कम दवाएं साथ-
गावके पास पहाव करना था। हमलिए जो दवा चुकती, वह
मिल सकती थी और हमें अपने साथ एक भी रोगी या बेग
आदमी को नहीं रखना था। उन्हें तो रास्तेमें ही छोड़

खानेके लिए रोटी और शाकके सिवा और कुछ तो था ही नहीं। पर रोटियां आठ दिन बराबर मिलती रहें, इसका क्या उपाय हो? रोज-की-रोज बांट देनी थी। इसका उपाय तो एक ही था कि हर मंजिलपर हमारे लिए कोई उन्हे पहुंचा दिया करे। यह कौन करे? हिंदुस्तानी बाबर्ची तो थे ही नहीं। फिर हर गावमें डबल रोटी बनाने-बेचनेवाले नहीं थे। गावोंमें रोटी शहरोंसे जाती। अतः कोई बाबर्ची तैयार करके दे और रेलवे उन्हे पहुंचा दे तभी हमें रोटिया मिल सकती थी। वोकूसरस्ट (ट्रासवालके चाल्स्टाउनके नजदीकीका सरहदी स्टेशन) चाल्स्टाउनसे बड़ा नगर था। वहां डबल रोटी बनाने वालेकी एक बड़ी (यूरोपियन) दूकान थी। उसने खुशीसे हर जगह रोटियां पहुंचा देनेका इकरार किया। हमारी मजबूरी जानकर उसन हमसे बाजार-भावसे अधिक लेनेकी भी कौशिश नहीं की। बढ़िया आटेकी बनी रोटियां दी। उसने बक्तसे रोटियां रेलवेके पास पहुंचाई और रेलवे कर्मचारियोंने—ये भी यूरोपियन ही थे—उन्हे इंमानदारीके साथ हमारे पास पहुंचा दिया। पहुंचानेमें पूरी सावधानी रखी और हमारे लिए कुछ सुझीते भी कर दिये। वे जानते थे कि हमारी किसीसे शब्दता नहीं। हमें किसीको नुकसान नहीं पहुंचाना था। हमें तो कष्ट सहन कर न्याय प्राप्त करना था। इससे हमारे आसपासका बातावरण शुद्ध हो गया और बना रहा। मानव-जातिका प्रेमभाव प्रकट हुआ। सबने अनुभव किया कि हम इंसाई, यहूदी, हिंदू, मुसलमान कोई भी हो, सब भाई-भाई ही हैं।

यो कब्जकी सारी तैयारी कर लेनेके बाद मैंने किर सम-भीतेकी कौशिश की। चिट्ठियां, तार आदि तो भेज ही चुका था। मैंने तय किया कि मेरा अपमान तो होगा ही; पर उसका खतरा उठाकर भी मुझे टेलीफोन भी कर ही लेना

चाहिए। चाल्सटाउनसे प्रिटोरियाको टेलीफोन था। मैंने बनरल स्मट्टसको टेलीफोन किया। उनके मत्रीसे मैंने कहा—“जनरल स्मट्टससे कहिये कि मेरी कूचकी पूरी तैयारी हो चुकी है। वोक्सररस्टके लोग उत्तेजित हैं। वे शायद हमारी जानका भी नुकसान करे। ऐसी घमकी तो दे ही चुके हैं। यह परिणाम वह (जनरल स्मट्टस) भी नहीं चाहेगे। वह तीन पौँडका कर उठानेका बच्चन दे दे तो मुझे कूच नहीं करना है। मुझे कानून तोड़नेके लिए ही कानून नहीं तोड़ना है। मैं इसके लिए लाचार हो गया हूँ। वह मेरी हतनी प्रार्थना न सुनेगे?” आधे मिनटमे जवाब मिला—“जनरल स्मट्टस आपसे कभी कोई सरोकार नहीं रखना चाहते। आपकी मर्जीमें जो आये वह करे।” टेलीफोन बद!

यह फल मैंने सोच ही रखा था। हा, ऐसी रखाईकी आणा नहीं रखता था। जनरल स्मट्टसके साथ सत्यापहुँके वादका मेरा राजनीतिक सबध छँ सालसे माना जा सकता था। अत मैं उनसे शिष्ट, विनययुक्त उत्तरकी आणा रखता था, पर उनकी विनयसे मुझे फूल नहीं जाना था। वैसे ही इस अविनयसे ढीला भी नहीं पड़ा। अपने क्रतव्यकी सीधी रेखा मुझे साफ़ दिखाई दे रही थी। अगले दिन (६ नवंबर १९१३) नियतकालका (६॥ बजे सबरे) घंटा वजनेपर हमने प्रार्थना की और इंश्वरका नाम लेकर कृच कर दिया। काफिलेमे २०३७ पुस्त, १२७ स्त्रियां और ५७ बच्चे थे। २०३४ / १३३८।

: २० :

ट्रांसवालमें प्रवेश—२

- इस प्रकार मजमा कहिये, कफिला कहिये, यात्रीसमृद्धय

कहिये नियत समयपर रवाना हो गया। चूल्सटाउनसे एक मीलके पुस्तेपर वोक्सरस्टका नाला पड़ता है। उसको लाधा और वोक्सरस्ट या ट्रांसवालमे दाखिल हुए। इस नालेके सिरे-पर घुड़सवार पुलिस खड़ी थी। मैं पहले उसके पास गया और लोगोंसे कह दिया था कि जब मैं इशारा करू तब वे प्रवेश करे। पर मैं पुलिससे बात कर ही रहा था कि शांति-सेनाने हमला बोल दिया और लोग नालेको लांघ आये। घुड़सवारोंने उन्हें धेर लिया, पर यह काफिला ऐसा न था कि यो रोके रोका जा सके। पुलिसका इरादा हमे गिरफ्तार करनेका तो था ही नहीं। मैंने लोगोंको शात किया और पक्षिवद्ध होकर चलनेको समझाया। पाच-सात मिनटमे सारी गड़वड दूर हो गई और ट्रांसवालमें हमारा दाखिल होना शुरू हो गया।

वोक्सरस्टके लोगोंने दो दिन पहले ही सभा की थी। उसमे हमे अनेक प्रकारकी धमकियां दी गईं थीं। कुछने कहा था कि हिंदुस्तानी ट्रांसवालमे दाखिल हुए तो हम गोलियोंसे उनका स्वागत करेंगे। मिं० केलनबेक इस सभामे गोरोको समझानेके लिए गये थे। कोई उनकी बात सुननेको तैयार नहीं था। कुछ लोग तो उन्हें मारनेके लिए खड़े हो गये। मिं० केलनबेक पहलवान है। उन्होंने सैडोसे कसरतकी तालीम ली है। उन्हे डराना कठिन था। एक गोरेने उन्हे छन्दयद्ध-के लिए ललकारा। मिं० केलनबेकने जवाब दिया—“मैंने शांति-धर्मको स्वीकार किया है, इसलिए यह (छन्दयद्ध) तो मुझसे नहीं हो सकेगा। पर मुझपर जिसको प्रहार करना हो वह खुशीसे कर ले। मगर इस सभामे तो मैं बोलकर ही रहूगा। आपने सभी यूरोपियनोंको इसमे आनेका साँच-जनिक निमंत्रण दिया है। सभी यूरोपियन आपकी तरह निर्दोष मनुष्योंको मारनेको तैयार नहीं। यही सुनानेके लिए।”

मैं यहाँ आया हूँ । एक गूरोपियन ऐसा भी है जो आपको बता देता चाहता है कि आपने हिंदुस्तानियोंपर जो इलजाम छायाए है वे गलत हैं । आप जो सोचते हैं वह हिंदुस्तानी नहीं चाहते । उन्हें न आपका राज्य चाहिए, न वे आपसे लड़ना चाहते हैं । उनको मांग तो शुद्ध न्यायकी है । जो लोग द्वांसवालमें दाखिल होना चाहते हैं वे वहाँ वसनेके लिए नहीं जाना चाहते । उनपर अन्यायकारी कार लगाया गया है । उसके चिलाफ अमली फरियाद करनेके लिए उन्हें दाखिल होना है । वे वहाँबुर हैं । वे लडाई-झगड़ा नहीं करेंगे । आपसे लड़ेंगे नहीं; पर आपकी गोलियाँ खाकर भी द्वांसवालमें दाखिल तो होगेही । वे आपकी गोलियों या भालोंसे डरकर पीछे कदम हटानेवाले नहीं । उन्हें स्वयं कष्ट सहनकर आपका दिल पिघलाना है । वह पिघलेगा ही । इतना ही कहनेके लिए मैं यहाँ आया हूँ । यह कहकर मैंने तो आपकी सेवा ही की है । आप चेते, अन्यायसे बचें ।" इतना कहकर मिठो केलनवेक अपनी जगहपर बैठ गये । लोग कुछ लज्जित हुए । उन्हेंको झुलकारनेवाला पहलवान् तो उनका दोस्त हो गया ।

पर इस सभाकी हमे स्वर थी, इसलिए बोक्सरस्टके गोरोकी ओरसे कोई उपद्रव हो तो हम उसके लिए तैयार थे । सरहदपर जो इतनी बड़ी पुलिस इकट्ठी कर रखी गई थी उसका अर्थ यह भी हो सकता है कि गोरोको मर्यादाका चलांघन न करनेसे रोका जाय । जो हो, हमारा जल्स वहाँसे धार्ति-पूर्वक गुजर गया । किसी गोरेके कोई शरारत करनेकी याद मुझे नहीं है । सब यह नया कौतुक देखनेको निकल पड़े । उनमेंसे कितनोंकी आखियोंमें मिवताकी झलक भी थी ।

हमारा मुकाम पहले दिन बोक्सरस्टसे कोई आठ भीलपर पुड़नेवाला पासफोड़ नामका स्टेशन था और हम शामके ५-६ बजतक वहाँ पहुँच गये । लोगोंने रोटी और शक्करका

आहार किया और मदानमें लेट गये। कोई भजन गाता था, कोई बातें करता था। कुछ स्त्रियाँ रास्तेमें थक गईं। अपने चच्चोंको गोदमे लेकर चलनेकी हिम्मत तो उन्होंने की थी। पर और आगे जाना उनकी शक्तिके बाहर था। इसलिए अपनी चेतावनीके अनुसार मैंने उन्हे एक भले हिंदुस्तानीकी डुकानमें छोड़ दिया और कह दिया कि हम टाल्स्ट्राय फार्म पहुंच जाएं तो उनको बहा भेज दें। हम गिरफ्तार कर लिये जाएं तो उनको घर भेज दें। उस व्यापारी भाईने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली।

‘ज्यों-ज्यो अधिक रात होती गई त्यों-त्यों सब शोखुल गांत होता गया। मैं भी सोनेकी तैयारीमें था। इतनेमें खड़-खड़ाहट सुनी। मैंने एक यूरोपियनको लालटेन लिए आते देखा। मैं समझ गया। मुझे कोई तैयारी तो करनी ही नहीं थी। पुलिस-अफसरने मुझसे कहा—“आपके लिए मेरे पास वारट है। मुझे आपको गिरफ्तार करना है।”

मैंने पूछा—“कब ?”

जवाब मिला—“अभी !”

“मुझे कहां ले जाइयेंगा ?”

“अभी तो पासके स्टेशन पर और जब ट्रेन आयेगी तब वोक्सरस्ट ले जाऊगा।”

मैंने कहा—“तो मैं किसीको जगाये बिना तुम्हारे साथ चलता हूं, पर अपने साथीको कुछ हिदायते दे दू।”

“शौकसे दीजिए।”

मैंने वगलमें सोये हुए पी० के० नायड़को जगाया। उनसे अपनी गिरफ्तारीकी खबर देकर कहा कि काफिलेवालोंको सबेरा होनेके पहले न जाना और सबेरा होनेपर नियमानुसार कच कर देना। कूच तो सूर्योदयसे पहले ही करनी थी। जहाँ विश्राम करने और रोटी बाटनेका समय आये वहां लोगोंको

मेरी गिरफ्तारीकी बात बता देना । इस बीच जो पूछे उसको बताते जाओ । काफिलेको पुलिस गिरफ्तार करै तो वह गिरफ्तार हो जाये । न गिरफ्तार करे तो निर्धारित रीतिसे कूच जारी रखे । नायड़ोको कोइं डर तो था ही नहीं । उनको यह भी बता दिया कि वह पकड़ लिये जाएं तो क्या करना होगा ।

बोक्सरस्ट में मिं० केलनवेक तो मौजूद ही थे ।

मैं उस पुलिस-अफसरके साथ गया । सवेरा हुआ । बोक्सरस्ट जानवाली ट्रेनमें बैठा । बोक्सरस्ट में मुझपर मुकदमा चलाया गया । सरकारी बकीलने सुद ही १४ तारीखतक मामला मुलतवी रखनेकी प्रार्थना की; क्योंकि उनके पास शहादत तैयार नहीं थी । मुकदमा मुलतवी हो गया । मैंने जमानतपर छोड़े जानकी दरख्तास्त दी । कारण यह बताया कि मेरे साथ दो हजार मद्द, १२२ औरते और ५० बच्चे हैं । मुकदमेकी तारीखतक मैं उनको ठिकाने पहुंचाकर लौट आ सकता हूँ । सरकारी बकीलने जमानतकी दरख्तास्त-का विरोध तो किया, पर मजिस्ट्रेट लाचार था । मुझपर जो आरोप था वह ऐसा नहीं था जिसमें अभियुक्तको जमानतपर छोड़ना भी मजिस्ट्रेटकी मर्जीकी बात हो । अत उन्होंने मैंके ५० पौड़की जमानतपर रिहा कर दिया । मेरे लिए मोटर तो मिं० केलनवेकने तैयार ही रखी थी । उसमें बैठाकर तुरत मुझको मेरे काफिलेके पास पहुंचा दिया । द्रांसवालके अखबार 'दी द्रांसवाल लीड्स' का प्रतिनिधि हमारे साथ आना चाहता था । उसे अपनी मोटरमें बैठा लिया । उसने इस यात्रा, मुकदमे और यात्रीदलसे मिलनेका विशद वर्णन अपने पत्रमें प्रकाशित किया । लोगोंने हृष्पूर्वक मेरा स्वागत किया । उनके उत्साहकी सीमा नहीं रही । मिं० केलनवेक तुरंत बोक्सरस्ट लौट गये । उन्हे चाल्स्टोनमें ठहरे हुए और नये आनेवाले भारतीयोंकी सम्हाल करती थी ।

हम आगे बढ़े, पर मुझे आजाद छोड़ना सरकारको अनुकूल नहीं पड़ सकता था। इसलिए अगले दिन मैं फिर स्टेंडर्टनमें गिरफ्तार कर लिया गया। स्टेंडर्टन औरोकी तुलनामें कुछ बड़ा गांव है। यहाँ मैं विचित्र रीतिसे गिरफ्तार किया गया। मैं लोगोंको रोटी बांट रहा था। यहाँके हिंदुस्तानी दुकानदारोंने मुरब्बेके कुछ डब्बे भेंट किये थे। इससे वितरणमें कुछ अधिक समय लग रहा था। इस बीच मजिस्ट्रेट मेरे पास आकर खड़े हो गये। उन्होंने वितरणका काम पूरा हो जाने दिया। इसके बाद मुझे एक किनारे बुलाया। उनको मैं पहचानता था। इसलिए मैंने सोचा कि वह मुझसे कुछ बातें करना चाहते होगे। उन्होंने हँसकर मुझसे कहा—

“आप मेरे कौदी हैं।”

मैंने कहा—‘तो मेरा दर्जा बड़ा; क्योंकि पुलिसके बदले खुद मजिस्ट्रेट मुझे गिरफ्तार करने आये हैं। पर मुझपर अभी मुकदमा चलाइयेगा न?’

उन्होंने जवाब दिया—“मेरे साथ ही चलिए। अदालत तो बढ़ी ही है।”

लोगोंकी कूच जारी रखनेकी सलाह देकर मैंने विदा ली। अदालतमें पहुँचते ही देखा कि मेरे कुछ साथी भी पकड़ लिए गये हैं। वे थे पौं० के० नाथड, बिहारीलाल महाराज, रामनारायणसिंह, रघुनारेस और रहीम खाँ—ये पांच जूँ।

मैं तुरंत अदालतके सामने पेश किया गया। मैंने वही कारण देकर जो वोक्सरस्टमें दिये थे, मुहल्त और जमानतकी दरख्वास्त दी। यहा भी सरकारी वकीलने विरोध किया। पर मजिस्ट्रेटने २१ नवबरतक मुकदमा मुलतवी कर दिया। और मुझे ५० पौंडके जाती मुचलकेपर रिहा कर दिया। भारतीय व्यापारियोंने मेरे लिए इक्का तैयार रखा ही था। काफिला अभी तीन मील भी आगे नहीं पहुँचा था कि मैं फिर

उससे जा मिला । अब तो लोगोने और मने भी सोचा कि शायद हम टाल्स्ट्राय फार्म पहुंच जायेंगे । पर यह खयाल सही नहीं था । लोग मेरी गिरफ्तारीके आदी हो गये, यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी । मेरे पाचो साथी जेलमे ही रहे ।

१२१ :

समी कैद

अब हम जोहान्सवर्गके काफी नजदीक पहुंच गये थे । पाठक याद रखे कि सारा रास्ता हमने आठ दिनमें तैयार करनेका उत्तम किया था । अबतक हम योजित मजिलें पूरी करते आये थे, इसलिए अब पूरी चार मजिलें बाकी रह गईं थीं । पर जैसें-जैसे हमारा उत्साह वढ़ रहा था वैसे-वैसे सरकार-की जागृति भी बढ़नी ही चाहिए थी । हमें अपनी मंजिलपर पहुंच जाने दे और इसके बाद गिरफ्तार करे तो यह उसकी कमजोरी और अकुशलता समझी जाती । इसलिए अगर हमें गिरफ्तार करना हो तो मंजिल पूरी होनेके पहले ही गिरफ्तार करना चाहिए ।

सरकारने देखा कि मुझको गिरफ्तार कर लेनेपर भी काफिला न निराश हुआ, न डरा, न उसने उपद्रव किया । उपद्रव करे तो सरकारको तोप-बदूकसे काम लेनेको पूरा मौका मिल जाय । जनरल स्मिट्सके लिए तो हमारी दृढ़ता और उसके साथ-साथ शांति, यही दुःखकी बात हो गई । उन्होने तो यहाँ तक कह डाला—“शात मनव्यको कोई कदतक सताये?” मरे हुएको मारना कैसे हो? मरेको मारनेमे कोई मजा ही नहीं आता । इसीसे दुश्मनको जिदा पकड़नेमे गौरव माना जाता है । चूहा बिल्लीको देखकर भागना छोड़ दे तो बिल्लीको दूसरा

शिकार ढूढ़ना ही होगा । सभी मेमने सिंहकी वगलमे जाकर बैठ जाए तो सिंहको मेमनोका आहार छोड़ ही देना पड़े । सिंह सामना न करता हो तो पुरुषसिंह क्या सिंहका शिकार करे ?

हमारी शांति और हमारे निश्चयमें हमारी विजय छिपी हुई थी ।

गोवर्लेंकी इच्छा थी कि पोलक हिंदुस्तान जाकर भारत-सुरकार और साम्राज्य-सरकारके सामने दक्षिण अफ्रीकाकी परिस्थिति रखनेमें उनको सुहायता करे । मिं० पोलकका स्वभाव ऐसा था कि जहाँ हों वही उपयोगी हो जाए । वह जो काम हाथमे लेते उसीमे तन्मय हो जाते । इससे उन्हे हिंदुस्तान भेजनेकी तैयारी चल रही थी । मैंने तो उन्हे लिख दिया था कि आप जा सकते हैं । पर मुझसे मिले और जवानी पूरी हिंदायतें लिये बिना जाना वह पसंद नहीं करते थे । इसलिए उन्होंने कचके ही दरमियान आकर मिल जानेकी इजाजत मांगी । मैंने तारसे जवाब दिया कि पकड़ लिये जानेकी जोखिम उठाकर आना चाहें तो आ सकते हैं । लड़नेवाले जरूरी खतरे सदा उठा ही लेते हैं । सरकार सबको गिरफ्तार कर ले तो गिरफ्तार हो जानेकी तो यह लडाई ही थी । जबतक न पकड़े तबतक पकड़े जानेके लिए सब सरल और नीतिमय यत्न करते जाना था । अत मिं० पोलकने पकड़े जानेकी जोखिम लेकर आना पसंद किया ।

हम हेडलवर्गके पास तक पहुँचे थे । मिं० पोलक पासके स्टेशनपर उतरकर और पैदल ही आकर हमसे मिले । हमारी बातें चल रही थी । लगभग पूरी भी हो चली थी । इस बत्त दिनके कोई तीन बजे होगे । हम दोनों काफिलेके आगे-आगे चल रहे थे । दूसरे साथी भी हमारी बातें सुन रहे थे । मिं० पोलक-को शामको डर्बन जानेवाली ट्रेन पकड़नी थी । पर जब राम-

बद्रजी-सरीखे पुरुषको राजतिलकके ही समय बनवास मिला तो पोलककी क्या हकीकत थी ? हम बाते कर रहे थे कि एक घोड़ागाड़ी सामने आकर खड़ी हो गई । उसमे एशियाई महकमेके प्रधान (ट्रांसवालके प्रधान इमिशेशन अफिसर) मिं ० चमनी और एक पुलिस-अफसर थे । दोनों नीचे उतरे । मुझको थोड़ी दूर ले जाकर एकते कहा, “मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ ।”

इस तरह चार दिनके अदर मैं तीन बार गिरफ्तार किया गया । मैंने पूछा, “और काफिलेको ?”

“वह होता रहेगा ।”

मैं कुछ नहीं बोला । पोलकसे कहा कि आप काफिलेके साथ जायें । पुलिस-अफसरने मुझे सिर्फ अपनी गिरफ्तारीकी खबर लोगोंको दे देनेकी इजाजत दी । ज्योही लोगोंसे शांति रखने आदिके लिए कहना आरम्भ किया, उक्त अफसर साहब बोल उठे—“अब आप कैदी हैं, भाषण नहीं दे सकते ।”

मैंने अपनी भयदी समझ ली । समझनेकी जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि मुझसे बोलना बंद करलेके साथ ही उक्त अफसरने गाढ़ीबानको जोरसे गाढ़ी हाँकनेका हुक्म दिया । क्षणभरमे काफिला अदृश्य हो गया ।

उक्त अधिकारी जानता था कि घड़ीभर तो मेरा ही राज्य है, क्योंकि वह तो हमारे अहिंसा ब्रतपर विश्वास रखकर ही इस वीरान मैदानमें दो हजारके मजमेके सामने अकेला आया हुआ था । वह यह भी जानता था कि उसने मुझे चिट्ठीसे कैद किया होता तो भी मैं अपने आपको उसके हवाले कर देता । ऐसी हालतमे मैं कैदी हूँ, इसकी याद मुझे दिलाना अनावश्यक था । मैं लोगोंसे जो कहता वह अधिकारियोंके लिए भी उपयोगी ही होता । पर उन्हें तो अपना रूप दिखाना ही चाहिए । इसके साथ ही मुझे यह भी कह देना चाहिए कि

अनेक अधिकारी हमारी कैदको समझते थे। वे जानते थे कि कैद हमारे लिए अंकुश या दुखरूप नहीं है, हमारे लिए तो वह मुक्तिका द्वार है। इससे हमें हर तरहकी जायज आजादी देते। इतना ही नहीं, गिरफ्तार करनेमें उनको आसानी हो और उनका बक्त वचे इससे हमारी मदद लेते और मिलनेसे उपकार मानते। दोनों तरहके नमूने इन प्रकरणोमें पाठकोको मिलेंगे।

मुझे एकसे दूसरी जगह धुमाते हुए अंतमें हेडलवर्क्स के थानेमें ले जाकर रखा। रात वही विताई।

पोलक काफिलेको लेकर आगे बढ़े और ग्रेलिस-टैड पहुचे। वहाँ भारतीय व्यापारियोंका अच्छा जमाव था। रास्तमें सेठ अहमद मुहम्मद काछलिया और सेठ आमद मुहम्मद भायात मिले। क्या होनेवाला है, इसकी खबर उन्हें मिल गई थी। मेरे ही साथ पूरे काफिलेको भी गिरफ्तार कर लेनेका प्रबंध कर लिया गया था। इसलिए मिं पोलकने सोचा कि काफिलेको ठिकाने पहुचा दिया तो एक दिन देरसे भी डर्बन पहुचकर हिंदुस्तान जानेवाले जहाजको पकड़ सकते हैं। पर ईश्वरने कुछ और ही सोच रखा था।

१० तांरीखको लगभग ९ बजे सवेरे काफिला बाल्फोर पहुंचा जहा काफिलेको गिरफ्तार कर नेटाल पहुंचा देनेके लिए तीन स्पेशल ट्रेने खड़ी थी। यहा लोगोंने कुछ हठ पकड़ी। कहा—“गांधीको बुलायो। वह कहे तो हम गिरफ्तार होगे और ट्रेनमें सवार होंगे।” यह हठ अनुचित थी। उसको न छोड़नेसे हमारी बाजी बिगड़ती, सत्याग्रहीका तेज घटता। जेल जानेमें गांधीको क्या काम? सिपाही कही सेनानायकका चुनाव करता है या उनमेंसे किसी एकका ही हृकम भाननेका आग्रह कर सकता है? मिं चमनीने इन लोगोंको समझनेमें मिं पोलक और सेठ काछलियाकी मदद ली। वे कठि-

नाईसे उन्हे समझा सके कि उनकी तो मुराद ही बेल जाना है और जब सरकार गिरफ्तार करनेको तैयार है तो हमें उसके व्यौतेका स्वागत करना चाहिए। इसीमें हमारी सज्जनता और विजय है। उन्हे समझ लेना चाहिए कि मेरी इच्छा दूसरी हो ही नहीं सकती। लोग समझ गये और द्वेषमें सवार हो गये।

इधर मैं फिर मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया गया। उस वक्त अपरकी घटनाकी मुझे कुछ भी सबर नहीं थी। मैंने किर अदालतसे मुहल्लतकी प्रार्थना की। बताया कि दो अदालतें मुहल्लत मंजूर कर चुकी हैं। यह भी कहा कि हमारी मजिल बब थोड़ी ही बाकी है और प्रार्थना की कि सरकार या तो काफिलेको गिरफ्तार कर ले या मुझे उनको उनके स्थान ट्राल्स्ट्राय फार्ममें छोड़ जाने दे। अदालतने मेरी प्रार्थना द्वारा स्वीकार नहीं की; पर मेरी दरख्वास्त तुरंत सरकारके पास भेज देना भजूर किया। इस वक्त मुझे ढंडी ले जाता था। मुझपर असल मुकदमा गिरफ्तिया मजहूरोंको नेटाल छोड़ कर चले जानेका बहकानेका तो वही चलाया जानेवाला था। अत मुझे उसी दिनकी देनसे ढंडी ले गये।

उधर मिठो पोलक बालफोरमे गिरफ्तार नहीं किये गये, वल्कि काफिलेकी गिरफ्तारीमें अधिकारियोंको उनसे जो मदद मिली उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया गया। मिठो चमनीने तो यह भी कहा कि आपको गिरफ्तार करनेका सरकारका इरादा ही नहीं है। पर यह तो था मिठो चमनीका, और जहातक उन्हें मालूम था, सरकारका विचार था, किन्तु सरकारका विचार तो घड़ी-घड़ी बदला करता है। सरकारने अतमे तै किया कि मिठो पोलकको हिंदुस्तान नहीं जाने देना चाहिए और उनको तथा मिठो कोलनबेकको, जो सूद काम कर रहे थे, गिरफ्तार कर लेना चाहिए। फलतः

मिठोलक चार्ल्सटाउनमे गिरफतार कर लिए गये। मिठोलनबेक भी पकड़ लिए गये। दोनों वोक्सरस्ट जेलमे बद किए गये।

मुझपर डडीमे मुकदमा चलाया गया और नौ महीनेकी कड़ी कैदकी सजा मिली (११ नवंबर)। अभी वोक्सरस्टमें दूसरा मादमा दर्जित व्यक्तियोंको ट्रासवालमे दाखिल होनेकी प्रेरणा और इसमे सहायता करनेका बाकी था। मुझे वोक्सरस्ट ले गये। वहाँ मैंने मिठोलनबेक और मिठोलकको देखा। यों हम तीनों वोक्सरस्ट जेलमें मिले। इससे हमारे हर्पका पार न रहा।

वोक्सरस्टमे मुझपर जो मुकदमा चलाया गया उसमें अपने खिलाफ मुझको ही शहादत देनी थी। पुलिसको मिल सकती थी; पर कठिनाईसे। इसलिए उसने मेरी मदद ली। यहाँकी अदालते केवल अभियुक्तके अपराधी होना स्वीकार कर लेनेपर सजा नहीं करती थी।

मेरा काय तो हुआ; पर मिठोलनबेक और मिठोलकके खिलाफ कौन शहादत दे? शहादत न मिले तो उनको सजा देना नामुकिन था। उनके खिलाफ भट्ट शहादत हासिल कर लेना भी कठिन था। मिठोलनबेकको तो अपना अपराध स्वीकार कर लेना था, क्योंकि उनका इरादा काफिलेके साथ रहनेका था। पर मिठोलकका विचार तो हिंदुस्तान जानेका था। इससे हम तीनोंने मिलकर यह तैयार किया कि मिठोलकने अपराध किया है या नहीं, इस सवालके जवाबमें हम 'हाँ' या 'ना' कुछ भी न कहें।

इन दोनों साथियोंके विरुद्ध मैं गवाह बना। हम यह नहीं चाहते थे कि मुकदमे ज्यादा बक्त ले, इसलिए तीनों मुकदमे एक-एक दिनमें ही खत्म हो जायें, इसमें अपनी ओरसे परी मदद दी। ऐसा हुआ भी। हम तीनोंको तीन-तीन महीनेकी

कैदकी सजा मिली। हमने सोचा कि ये तीन महीने तो हम साथ रह सकेंगे, पर सरकारका सुभीता इसकी इजाजत नहीं देता था।

इस वीच थोड़े दिन हम बोक्सरस्ट जेलमें सुखसे रहे। यहां रोज नये कैदी आते और बाहरकी खबर लाते। इन सत्याग्रही कैदियोंमें एक हरवत्सिंह नामका बूढ़ा था। उसकी उम्र ७५ से ऊपर थी। वह किसी ज्ञानमें काम नहीं करता था। अपना गिरफ्तारी वह वरसो पहले परा कर चुका था। इसलिए वह हड्डालमें शामिल नहीं था। मेरी गिरफ्तारीके बाद लोगोंमें उत्साह बहुत ही बढ़ गया था और बहुतेरे नेटालसे द्रास-वालमें दाखिल होकर गिरफ्तार हो रहे थे। हरवत्सिंह भी उन्होंमें था। मैंने उससे पछा—“आप जेलमें बयो आये? आप जैसे बूढ़ोंको मैंने जैलमें आनेका निमंत्रण नहीं दिया है?”

हरवत्सिंहने जवाब दिया—“मैं कैसे रह सकता था, जब आप, आपकी घमंपली और आपके छड़के तक हम लोगोंके लिए जेल चले गये?”

“लेकिन आपसे जेलके दुःख बदाश्त नहीं हो सकेंगे। आपके छूटनेके लिए मैं कोशिश करूँ?”

“मैं हरगिज जेल नहीं छोड़ूगा। मुझे एक दिन तो मरना है ही। किर ऐसा दिन कहां, जो मेरी मौत यहां हो जाय!”

इस दृढ़ताको मैं कैसे डिगाता? वह डिगाए डिगती भी नहीं। मेरा सिर इस निरक्षर ज्ञानीके सामने झुक गया। जैसी हरवत्सिंहकी भावना थी वैसा ही हुआ। हरवत्सिंहकी मृत्यु जेलमें हुई। उसका शव बोक्सरस्टसे ढर्बन मंदाया गया और सैकड़ों भारतीयोंकी उपस्थितिमें उसका गम्भानपर्वक अग्निमंस्कार किया गया। ऐसे हरवत्सिंह इस लड्डाईमें एक ही नहीं, अनेक थे। पर जेलमें मरनेका सीधार्थ

केवल अकेले उसीको मिला। इससे दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके इतिहासमें वह उल्लेखका अधिकारी हो गया।

इस प्रकार लोग आकृष्ट होकर जेल आयें यह सरकारको पसंद नहीं हो सकता था। फिर जेलसे छूटनेवाले मेरा सदेसा ले जाय यह भी उसको गवारा नहीं हो सकता था। अतः हम तीनोंको अलग कर देने, एकको भी बोक्सरस्टमें न रहने देने और मुझे ऐसी जेलमें ले जानेका निश्चय किया गया जहाँ कोई हिंदुस्तानी जा ही न सके। फैलते मैं आरेजियाकी राजधानी ब्लम फोनटीनकी जेलमें भेजा गया। आरेजियामें कुल मिलाकर ५० से अधिक हिंदुस्तानी नहीं थे। वे सभी होटलोमें नौकरी करते थे। ऐसे प्रदेशकी जेलमें हिंदुस्तानी कैदी हो ही नहीं सकते थे। उस जेलमें मैं अकेला ही हिंदुस्तानी था। बाकीके सभी कैदी गोरे या हवशी थे। मुझे इसका दुख नहीं था, बल्कि मैंने इसको सुख माना। मुझे न कुछ सूनना था, न देखना। नया अनुभव मिले यह मेरे मनको भानवाली बात थी। फिर मुझे पढ़नेका समय तो बरसोंसे, कहिये १८९३ के बादसे, मिला ही नहीं था। अब एक ब्रूस भिलेगा यह जानकर मुझे तो खुशी हुई।

मैं ब्लम फोनटीन पहुचाया गया। वहा एकांत तो यथेच्छ मिला। कठिनाइया भी बहुत थी, पर सभी सह्य थी। उनका वर्णन करके पाठकोका समय नहीं लूँगा। फिर भी इतना बता देना जरूरी है कि वहाका डाक्टर मेरा मित्र हो गया। जेलर तो केवल अपने अधिकारको ही समझता था, पर डाक्टर कैदियोंके हक्की रक्षाका ध्यान रखता था। मेरा यह काल शुद्ध फलाहारका था। न दूध लेता, न घी। अन भी न खाता। केले, टमाटर, कच्ची मूगफली, नीबू और जैतनका तेल, वस यहीं मेरी खूराक थी। इनमें एक भी चीज़ नहीं आये तो भूखों मरना पड़ता। इसलिए डाक्टर खास

तौरसे ध्यान रखते और उन्होंने मेरी खुराकमें वादाम, अखरोट और ब्रेजीलनट बढ़ा दिया। खुद सारे फलोंको देखते और उनके अच्छे होनेका इतमीनान करते। मुझे जो कोठरी दी गई थी उसमें हवा बहुत ही कम आती थी। उसका दरबाजा खुला रखनेकी उन्होंने पूरी कोशिश की, पर उनकी चली नहीं। जेलरने घमकी दी कि दरबाजा खुला रखा गया तो मैं इस्तीफा दे दूगा। जेलर बुरा आदमी नहीं था, पर उसका स्वभाव एक ही साँचेमें ढला हुआ था, वह कैसे बदला जाय? उसे उपद्रवी कैदियोंसे काम पड़ता था। इसलिए मुझे जैसे भले कैदीके साथ भेदभाव करता तो दूसरे कैदियोंके उसपर हावी हो जानेका सच्चा फर था। मैं जेलरका दृष्टिर्विदु ठीक तौरसे समझ सकता था और इससे डाक्टर और जेलरके बीच मेरे बारेमें जो झगड़ा होता उसमें मेरी हमदर्दी जेलरकी ओर होती। जेलर बनुभवी और सीधे रास्तेपर जानेवाला था और अपने रास्तेको साफ देख सकता था।

मिं० कैलनबेक प्रिटोरियाकी जेलमें भेजे गये और मि० पोलक जरमिस्टनकी जेलमें।

पर सरकारकी सारी योजना बेकार थी। आसमान टूटे तो पैंचद क्या काम देगा? नेटालके गिरमिटिए हिंदूस्तानी पूरे तौरसे जग गये थे। दुनियाकी कोइं भी ताकत उनका रोक नहीं सकती थी।

: २२ :

कसौटी

सोनेकी परख करनेवाला सदा उसको कसौटीपर घिसता है। फिर और परीक्षा करनी हो तो उसे भट्टीमें डालता है, उसे

पीटता हैं, मैल हो तो उसे निकाल डालता है और अतमें उसका कुदन बनाता है। ऐसी ही कसौटी हिंदुस्तानियोंकी हुई। वे हथीडेसे पीटे गये, भट्टीमें डाले गये, तपाये गये और जब वे परीक्षामें सच्चे उत्तरे तभी उनकी कीमत आंकी गई।

यात्रियोंको जो स्पेशल ट्रेनमें सवार कराके ले गये तो वन-भोजके लिए नहीं; बल्कि उनको निहाई पर चढ़ानेके लिए ले गये। रास्तेमें उनको खाना देनेका भी प्रबंध नहीं था। नेटाल पहुचे कि तुरत उनपर मुकदमा चलाया गया। उनको कैदकी सजा मिली। यह तो समझी हुई बात थी; पर हजारों आदमियोंको जेलमें रखना तो खच्चे बढ़ाना और हिंदुस्तानियोंकी मनचाही करना होता। कोयलेकी खानें बद रहती। ऐसी स्थिति अधिक दिन चले तो तीन पौड़का कर रद करना ही पड़ता। इस-लिए यूनियन सरकारने एक नयी युक्ति सोची। गिरमिटिये जहां-जहांसे आये थे उन्हीं स्थानोंको, एक नया कानून बनाकर, उसने जेल बना दिया और इन जेलोंका दारोगा खानोंके गोरे कर्मचारियोंको बना दिया। इस प्रकार जो काम मजदूरोंने छोड़ दिया था वही सरकारने उनसे जबर्दस्ती कराया। गुलामी और नौकरीमें यह कर्क है कि नौकर काम छोड़ दे तो उसपर दीवानी अदालतमें नालिश ही की जा सकती है और गुलाम काम छोड़े तो जबर्दस्ती कामपर वापस लाया जा सकता है, यानी अब मजदूर पूरे तौरपर गुलाम हो गये।

पर इतनाही काफी नहीं था। मजदूर बहादुर थे। उन्होंने स्थानोंमें काम करनेसे साफ इन्कार कर दिया। इसके फल-स्वरूप उन्हें कोडोकी मार सहनी पड़ी। अक्खड आदमियोंने जो क्षणभरमें अधिकारी बन बैठे थे उन्हें लाते मारी, गलियाँ दी और दूसरे अत्याचार किये। उसका तो कहीं उल्लेखतक नहीं हुआ है। गरीब मजदूरोंने इस सवको धीरजके साथ सह लिया। इन अत्याचारोंके तार हिंदुस्तान पहुचे। सब तार गोसलेके

नाम भेजे जाने। उन्हे एक दिन भी व्योरेवार तार न मिलता तो सीधे पछते। इन तारोंका प्रचार वह अपनी रोगशब्द्यासे करते, क्योंकि इन दिनों वह सख्त वीमार थे। पर दक्षिण अफ़्रीकाका काम इस दशामें भी खुद देखनेका आग्रह रखते थे और इस काममें न रात देखते, न दिन। फल यह हुआ कि सारा हिंदुस्तान भड़क उठा और दक्षिण अफ़्रीकाका सबाल वहाँ प्रवाल प्रश्न बन गया।

यही वक्त था जब लाड़ हार्डिजने मद्रासमे (दिसंवर १९१३)
वह प्रसिद्ध भाषण दिया जिसने दक्षिण अफ़्रीका और विलायतमें खुलबली मचा दी। वाइसराय दूसरे उपनिवेशों या साम्राज्यके अगमूत देशोंकी आलोचना नहीं कर सकता। पर लाड़ हार्डिजने यूनियन सरकारकी कड़ी टीका ही नहीं की, सत्याग्रहियोंके कामका परा बचाव भी किया, यहातक कि सविनय कानून भंग-का भी समर्थन किया। विलायतमें उनके साहसकी कुछ कहवी आलोचना अवश्य हुई, फिर भी उन्होंने अपने कार्यपर पश्चात्ताप न कर उसका ओचित्य प्रकट किया। उनकी इस दृढ़ताका असर बहुत अच्छा हुआ।

इन अपनी खानोंमें कैद दूखी और हिम्मतवाले मजदूरों-को छोड़कर हम क्षणभर खानोंके बाहरकी स्थितिपर निगाह डाले।

खाने नेटालके उत्तरी भागमे अवस्थित थी, पर हिंदुस्तानी मजदूरोंकी बड़ी-से-बड़ी तादाद नेटालके नैऋत्य और बायब्य कोणमें थी। बायब्य कोणमें फिनिक्स, वेल्लम, टोंगाट इत्यादि स्थान पड़ते हैं, नैऋत्यमें इसीपिंगो और अमजिन्टो इत्यादि। बायब्य कोणके मजदूरोंके साथ मेरा खास परिचय था) उनमें से बहुतेरे बोअर-युद्धमें भी मेरे साथ रह चुके थे। नैऋत्य दिशाके मजदूरोंके साथ मेरा इतना नजदीकका साबका नहीं पढ़ा था। उस और

मेरे साथी भी बहुत थोड़े थे। फिर भी हड्डताल और जेलकी वात विद्युत् गतिसे फैल गई। दोनों कोणोंसे हजारों मजदूर याकायक निकल पड़े। कितनोंने यह सोचकर अपना सामान बेच डाला कि लडाइं लबी होगी और हमें खाना कोई देगा नहीं। मैंने तो जेल जाते समय साथियोंको चेता दिया था कि ज्यादा मजदूरोंको हड्डताल करनेसे रोकें। मुझे आशा थी कि खानोंके मजदूरोंकी मददसे ही लडाइंकी सब मंजिल पार कर लूगा। अगर सारे मजदूर यानी लगभग दस हजार लोग हड्डताल कर देतो उनके भरण-पोषणका भार उठाना कठिन होगा। इतनी बड़ी सेनासे कूच कराने जितनी सामग्री भी अपने पास नहीं थी। न इतने मुखिया थे, न इतना पैसा। फिर इतने आदमियोंको इकट्ठा कर शांति-भग बचाना भी नामुमकिन होता।

पर बाढ़ आये तो किसीके रोके रुक सकती है? मजदूर हर जगह अपने आप काम छोड़कर निकल पड़े। स्वयंसेवक भी उन स्थानोंमें स्वेच्छासे संघटित हो गये।

सरकारने अब बंदकसे काम लेनेकी नीति अपनाई। लोगोंको हड्डताल करनेसे जबर्दस्ती रोका। उनके पीछे घुड़सवार दौड़ाये और वे अपने स्थानपर पहुंचा दिये गये। वे तनिक भी उपद्रव करे तो फैर कर देनेका हुक्म था। हड्डतालियोंके एक समूहने उन्हे कामपर वापस ले जानेकी कोशिशका विरोध किया। किसी-किसीने पुलिसपर इंट-पत्थर भी फेंके। उनपर गोलियोंकी बौछार कर दी गई। बहुतेरे धायलहुए, दो-चार मरे भी। पर मजदूरोंका जोश इससे ठड़ा नहीं हुआ। स्वयंसेवकोंने बड़ी कठिनाईसे बेरूलमके पास हड्डताल करनेसे लोगोंको रोका। पर सब मजदूर कामपर वापस नहीं गये। कुछ तो डरसे छिप गये और फिर कामपर वापस नहीं गये। एक घटना उल्लेखयोग्य है। बेरूलममे बहुतसे मज-

दूर काम छोड़कर निकल पड़े थे। वे किसी उपायसे कामपर वापस नहीं जाते थे। जनरल ल्यूकिन अपने सिपाहियोंके साथ वहा भौजूद थे और हड्डतालियोंपर गोली चलानेका हुक्म देनेको तैयार थे। स्वर्णीय पारसी सूतमजीका छोटा लड़का वहाडुर सोरावजी जो उस बक्त शुश्किलसे १८ वरसका रहा होगा, डबेनसे यहां पहुच गया था। जनरलके घोड़की लगाम आमकर वह बोल उठा, “आप फैर करनेका हुक्म नहीं दे सकते। मैं अपने आदमियोंको शांतिसे कामपर लौटा देनेकी जिम्मेदारी लेता हूँ।” जनरल ल्यूकिन इस नौजवानकी वहाडुरीपर मुझ्हे हो गये और उसे अपना प्रेम-बल आजमा लेने-की मुहूलत दे दी। सोरावजीने लोगोंको समझाया। वे समझ गये और अपने कामपर लौट गये। इस तरह एक नवयवक-की भौकेकी सूझ, निर्भयता और प्रेमसे खूनखराबी होते-होते बची।

- पाठकोंको जान लेना चाहिए कि ये गोलियोंकी बीछार आर्द्ध काम गैरकानूनी ही माने जा सकते हैं। सानोंके मजदूरोंके साथ अवहार करनेमें सरकारकी कार्रवाईकी जाहिरा शक्ल बाकायदा थी। वे हड्डताल करनेके लिए नहीं, बल्कि ट्रासवालकी सरहदमें बिना परवानोंके प्रवेश करनेके जुर्में मिरफ्तार किये गये थे। नैऋत्य और वायव्य कोणोंमें हड्डताल करना ही अगर अपराध मान लिया गया था तो वह किसी कानूनके रूपे नहीं; बल्कि अधिकारके वलसे। अतमें तो शक्ति ही कानून बन जाती है। अगरेजीमें एक कहावत है जिसके माने यह है कि बादशाह कभी कोई गलती करता ही नहीं।^१ हुक्मतका सुभीता ही आखिरी कानून है। वह दोष सावंभीम है। सच पछिये तो इस तरह कानूनको भूल जाना सदा दोष ही नहीं होता। कुछ

^१‘धी किंग कैन दू नो रोग।

मौकोंपर काननसे चिपके रहना ही दोष वन जाता है। जब राजशक्ति लोकसंग्रह करती हो और जब उसका नियन्त्रित करने वाला वंधन उस शक्तिका नाश करनेवाला वन रहा हो तब उस वंधनका अनादर धर्म-संगत और विवेकका अनुसरण है। ऐसे अवसर कभी-कभी ही उपस्थित होते हैं। जहा राज्य अक्सर निरकृश होकर व्यवहार करता है वहा वह लोकोपकारी नहीं हो सकता। यहा राज्यके निरकृश होनेका कोई कारण नहीं था, हड्डताल करनेका हक अनादि है। यह जान लेनेके लिए सरकारके पास काफी मसाला था कि हड्डताल करनेवालोंको उपद्रव कदापि नहीं करना था। हड्डतालका बड़े-से-बड़ा परिणाम इतना ही हो सकता था कि तीन पौड़का कर रद हो जाता। शांतिप्रिय लोगोंके विरुद्ध शातिभय उपाय ही उचित माने जा सकते हैं। फिर यहा राजशक्ति लोकोपकारी नहीं थी। उसका अस्तित्व केवल गोरोके भलेके लिए था। आमतौरसे वह हिंदुस्तानियोंकी विरोधिनी थी। इसलिए ऐसी एक-पक्षीय राजशक्तिकी निरकृशता किसी तरह उचित और क्षन्तव्य नहीं मानी जा सकती।

अतः मेरी समझसे यहा शक्तिका शुद्ध दुरुपयोग हुआ। जिस कार्यकी सिद्धिके लिए शक्ति या अधिकारका यों दुरुपयोग किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। कभी-कभी क्षणिक सिद्धि मिलती दिखाई देती है, पर स्थायी सफलता कभी नहीं मिलती। दक्षिण अफ्रीकामे गोलिया वरसानेके ६ महीनोंके अदर ही जिस तीन पौड़के करको कायम रखनेके लिए यह अत्याचार किया गया वही रद हो गया। यो अक्सर हुख सुखके लिए होता है। इन क्लेशोंकी पकार हर जगह सुनी गई। मैं तो यह मानता हूं कि जैसे एक रेलमे उसके हर पुरजे-का अपना स्थान होता है वैसे ही हर-एक सधर्ष-सग्राममे हर चीजकी अपनी जगह होती है और जैसे कीट, मैल आदि

कलकी गति रोक देते हैं वैसे ही किंतनी चीजे युद्धकी गति नी रख कर देती है। हम तो निमित्तमात्र होते हैं, इसलिए हम सदा यह जानते कि क्या हमारे प्रतिकूल है और क्या अनुकूल। अतः हमें केवल साधनको जाननेका अधिकार है और साधन प्रवित्र हो तो फलके विषयमें हम निर्मय और निश्चित रह सकते हैं।

इस लडाईमें मैंने यह देखा कि ज्यों-ज्यो लड़नेवालोंका कष्ट बढ़ा त्यो-त्यो उसका अंत निकट आता गया। कष्ट उठानेवालोंकी निर्दोषिता ज्यों-ज्यों अधिक स्पष्ट होती गईं त्यों-त्यो भी युद्धका अत निकट आता गया। फिर इस युद्धमें मैंने यह भी देखा कि ऐसे निर्दोष, निःश्वस और अहिंसक युद्धमें आडे वक्तपर आवश्यक साधन अनायास जूट जाते हैं। वहूतसे स्वयंसेवकोंने, जिन्हे मैं आजतक नहीं जानता, अपने आप आकर हमारी मदद की। ऐसे सेवक बहुत करके निस्स्वार्थ होते हैं। इच्छा न होते हुए भी अदृश्य रीतिसे सेवा कर देते हैं। न कोई उनकी सेवा कही लिखता है और न कोई उन्हे प्रमाणपत्र देता है। कितने ही तो इतना भी नहीं जानते कि उनके ये अमूल्य कार्यं भगवानकी बहीमें दर्जं किये जाते हैं।

दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय परीक्षामें पास हुए। उन्होंने अग्निने प्रवेश किया और उससे बिना वाल वाका हुए बाहर निकले। युद्धका अंत किस तरह आरभ हुआ यह अलग प्रकरणमें देखेंगे।

: २३ :

अंतका आरंभ *

पाठकोने देखा होगा कि जितना बल लगाया जा सकता था उतना और जितनेकी उससे आशा रखी जा सकती थी उससे अधिक शांत बल कौमने लगा दिया। उन्होंने यह भी देखा होगा कि बल लगानेवालोंका बहुत बड़ा भाग ऐसे गरीब और दलित जनोंका था जिससे कुछ भी आशा नहीं रखी जा सकती थी। उन्हे यह भी याद होगा कि दो या तीनको छोड़-कर फिनिक्स-आश्रमके सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता इस वक्त जेल-मे थे। फिनिक्ससे बाहर रहनेवालोंमे स्वर्गीय सेठ अहमद मुहमद काछलिया बचे थे। फिनिक्समें मिं० वेस्ट, मिस वेस्ट और मगनलाल गांधी थे। सेठ काछलिया साधारण देखभाल करते थे। मिस इलेजिन ट्रासवालका सारा हिसाब-किताब और सरहद लांघनेवालोंकी देख-रेख रखती थी। मिं० वेस्टपर 'इंडियन ओपीनियन' के अग्रेजी भागका काम सम्हालने और गोखलेके साथ तारद्वारा पत्रव्यवहार रखनेकी जिम्मेदारी थी। जब परिस्थिति क्षण-क्षणमे नया रग ददला करती हो उस वक्त डाकसे होनेवाले पत्रव्यवहारकी जरूरत ही क्यों होती? तार पत्रके जैसे लबे भेजने पड़ते थे।

अब फिनिक्स न्यूकैसेलकी तुरह वायव्यकोणके हड्डी-लियोका केन्द्र हो गया। सैकड़ों वहां आकर सलाह और आश्रय लने लगे। इस दशामे सरकारकी निगाह फिनिक्सकी ओर गये बिना कैसे रहती? आसपास रहनेवाले गोरोकी त्यौरी भी चढ़ने लगी। फिनिक्समें रहना कुछ अशोमे खतरनाक हो गया। फिर भी छोटे-छोटे लड़के-लड़किया भी जोखिमभरे काम कर रहे थे। इतनेमे वेस्ट पकड़े गये। सब

पूछिये तो वेस्टको गिरफ्तार करनेका कोई कारण नहीं था । हमने यह तैयार कर रखा था कि वेस्ट और मगनलाल गांधी अपने आपको गिरफ्तार करानेका एक भी प्रयत्न न करे । इतना ही नहीं, जहातक हो सके गिरफ्तारीके भौकोंसे हर भी खुँहे । इसलिए वेस्टने गिरफ्तार करनेके लिए सरकारको कोई कारण दिया ही नहीं था, पर सरकार कुछ सत्याग्रहियोंका सुभीता थोड़े ही देखनेवाली थी या उसे गिरफ्तार करनेकी भौका थोड़े ही ढूँढ़ा था । अधिकारवालेको कोई काम करनेकी इच्छा होना ही उसका अवसर है । अत वेस्टकी गिरफ्तारीका तार ज्योंही गोखलेके पास पहुँचा, उन्होने हिंदुस्तानके कुछ योग्य आदमियोंको दक्षिण अफ्रीका भजनेका यत्न आरम्भ कर दिया । लाहौरमें जब दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहियोंको सहायताके लिए सभा हुई थी तो सी०१० एंड्रूजने, जितना पैसा उनके पास था, सब दे दिया था । तभीसे गोखलेकी नजर उनपर पड़ रही थी । अत वेस्टकी गिरफ्तारीकी सबर मिलते ही उन्होने एंड्रूजसे तारसे पूछा कि आप तूरत दक्षिण अफ्रीका जानेकी तैयार हैं? एंड्रूजने जवाबमें पुरंत 'हाँ' कह दिया । इसी कानून उनके परम प्रिय मित्र पियर्सन भी तैयार हो गये और वे दोनों पहले स्टीमरसे दक्षिण अफ्रीका जानेको रवाना हो गये ।

पर अब तो यद्दृ समाप्तिके पास पहुँच गया था । हजारों निरपराष लोगोंको जेलमें बंद रखनेकी शक्ति दक्षिण अफ्रीकाके सरकारके पास नहीं थी । बाह्यसाधारण भी इसे सहन नहीं कर सकते थे । सारों इनिया यह देख रही थी कि जनरल स्पट्स क्या करते हैं । ऐसे भौकेपर राज्य आमतौरसे जो किया करते हैं, दक्षिण अफ्रीकाकी सरकारने भी कही किया । जाच-पड़ताल तो कुछ करनी नहीं थी । जो अन्याय हुआ था वह जाहिर था । उससे हर करनेकी आवश्यकता हर आदमी देख रहा था । जनरल

स्मट्स भी देख सकते थे कि अन्याय हुआ है और वह दूर होना चाहिए; पर उनकी दशा सांप-छांदूदरकी-सी हो रही थी। उन्हें न्याय करना था, पर न्याय करनेकी शक्ति वह खो वैठे थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकाके गोरोको उन्होंने यह इतमीनान दिला दिया था कि वह खुद तीन पौँडका कुर रद नहीं करेंगे और न दूसरे सुधार ही। पर अबतो उक्त करको उठाकर और दूसरे सुधार करके ही छूटकारा था। ऐसी विकट स्थितिसे निकलनेके लिए लोकमतसे डरकर चलनेवाले राज्य सदा कमीशन नियुक्त किया करते हैं। उसके जरिये महज नामकी जांच कराइ जाती है, क्योंकि वह क्या सलाह, देगा यह पहलेसे जाना-समझा हुआ होता है। यह आम रवाज है कि कमीशन जो सिफारिश करे उसपर अमल होना ही चाहिए। इसलिए कमीशनकी सिफारिशकी आड लेकर राज्य पीछे वही न्याय किया करते हैं जिसे करनेसे पहले इन्कार कर चुके होते हैं। जनरल स्मट्सने कमीशनमें तीन सदस्य नियुक्त किये। भारतीय जनताने कमीशनके वारेमें कुछ शर्तें पेश की और जवतक वे पूरी न कर दी जाएं तबतक कमीशनका वहिष्कार करनेकी प्रतिज्ञा की। इन शर्तोंमेंसे एक यह थी कि सब सत्याग्रही कैदी छोड़ दिये जाएं और दूसरी यह कि कमीशनमें कम-से-कम एक सदस्य तो हिंदुस्तानी कौमकी औरसे होना ही चाहिए। पहली शर्त तो अक्षत, कमीशनने ही मजर कर ली थी। उसने सरकारसे सिफारिश की थी कि कमीशनके कामको आसान बनानेके लिए मि० केलनबेक, मि० पोलक और गोधी बिज्ञा. किसी शर्तेके छोड़ दिये जायें। सरकारने इस सिफारिशको मंजूर किया और हम तीनोंको एक साथ (१८ दिसंबर १९१३) छोड़ दिया। हम मूँशिकलसे दो महीने जेलमें रहे होंगे। दूसरों और मि० वेस्टको सरकारने गिरफ्तार तो कर लिया, पर उनपर मुकदमा

चलानेके लिए कोई मसाला नहीं था। इसलिए उन्हे भी छोड़ना पड़ा।

ये घटनाएं एंड्रूज और पियर्सनके पहुंचनेके पहले ही हो चुकी थीं। इसलिए इन दोनों भित्रोंको मैंने ही ढर्बन जाकर जहाजसे उतारा। उन दोनोंको इन घटनाओंकी कुछ भी स्वर नहीं थी। इसलिए सूनकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। इन दोनों भित्रोंके साथ मेरी यह पहली ही मुर्लीकात थीं।

छोड़े जानेसे हम तीनोंको मायूसी ही हुईं। बाइरकी हमें कुछ भी स्वर नहीं थी। कमीशनकी स्वरसे हमें अचरज हुआ। पर हमने देखा कि हम कमीशनकी कोई सहायता करनेमें असमर्थ हैं। इतना जरूर समझा कि उसमें हिंदुस्तानियोंकी ओरसे कोई एक आदमी तो होना ही चाहिए। इसपर हम तीनों डर्बन पहुंचे और बहासे जनरल स्मट्सको इस आशयका पत्र लिखा :

“हम कमीशनका स्वागत करते हैं। पर उसके दो सदस्यो—मिंर एसेलेन और मिंर बाइलीकी नियुक्ति जिस रीतिसे हुई है उसपर हमें सख्त एतराज है। उनके व्यक्तित्वसे हमारा कुछ भी विरोध नहीं। वे प्रसिद्ध और सुयोग्य नागरिक हैं। पर दोनों अनेक बार भारतीयोंको नापसंद करनेका भाव प्रकट कर चुके हैं। इसलिए उनसे विना जाने अन्यथा हो जाना संभव है। मनुष्य अपना स्वभाव यकायक बदल नहीं सकता। ये दोनों सज्जन अपना स्वभाव बदल लेंगे यह मानना प्रकृतिके नियमके विरुद्ध है। फिर भी हमारी मांग यह नहीं है कि वे कमीशनसे अलग कर दिये जाएं। हमारा सुझाव इतना ही है कि एक-दो तटस्थ पुरुष उसमें बढ़ा दिये जाएं और इसके लिए हम सर्जेन्स रोल इनिस और ऑन-रेबल डब्ल्यू०पी० श्राइनरके नाम पेश करते हैं। दोनों नामी व्यक्तियोंनी न्यायवृत्तिके लिए सुविद्यात हैं। हमारी

दूसरी प्रार्थना यह है कि सभी सत्याग्रही कैदी छोड़ दिये जाएं। यह न होनेसे हमारा अपना जेलके बाहर रहना कठिन हो जायगा। अब उन्हे जेलमें वंद रखनेका कोई कारण नहीं है। तीसरे अगर हमें कमीशनके सामने गवाही देनी है तो हमें खानोंमें और जहा-जहा गिरमिटिए काम करते हैं वहाँ-वहाँ जानेकी आजादी होनी चाहिए। हमारी ये प्रार्थनाएं स्वीकार न की गई तो हमें खेदके साथ फिर जेल जानेके उपाय ढूढ़ने होंगे।”

जनरल महोदयने कमीशनमें और किसीको लेनेसे इन्कार किया और कहा कि कमीशन किसी पक्षके लिए नहीं नियुक्त हुआ है। वह केवल सरकारके सतोषके लिए बनाया गया है। यह जवाब मिलनेपर हमारे पास एक ही डलाज रह गया और <हमने जेलकी तैयारी करके यह विवाहित निकाली कि १९१४ को पहली जनवरीको जेल जानेवालोंकी डर्बनसे कूच शुरू होगी। १८ दिसंवर (१९१३)को हम छोड़े गये थे, २१ को हमने उपर्युक्त पत्र लिखा और २४ को जनरल स्मद्सका जवाब मिला।>

पर इस उत्तरमें एक बात ऐसी थी जिससे मैंने जनरल स्मद्सको फिर पत्र लिखा। उनके जवाबमें इस आशयका बाक्य था—“कमीशन निष्पक्ष और अदालती बनाया गया है, और उसकी नियुक्ति करते समय अगर भारतीयोंसे मशविरा नहीं किया गया तो खानवालों और शब्करवालोंसे भी नहीं किया गया।” इस बाक्यको देखकर मैंने जनरल महोदयको निजी पत्रमें लिखा कि अगर सरकार न्याय ही करना चाहती हो तो मुझे आपसे मिलना है और कुछ तथ्य आपके सामने रखने हैं।” इसके जवाबमें जनरल स्मद्सने मलाकातका अनुरोध स्वीकार किया। इससे कूच कुछ दिनके लिए तो मुलतानी हो ही गई।

ब्रह्मरंगोखलेने जब सुना कि हम नई कच करनेवाले हैं तब उन्होंने लंबा तार भेजा। उसमे लिखा कि ऐसा करनेसे लाड़ हार्डिंजकी और मेरी स्थिति भी कठिन हो जायगी और दूसरी कच मुलतवी रखने और कमीशनके सामने इजहार देनेकी जोरदार सलाह दी।

हमारे ऊपर धर्मसंकट आ पड़ा। कमीशनके सदस्योंमें और आदमी नहीं लिए गये तो भारतीय जनता उसका बहिष्कार करनेकी प्रतिज्ञा कर चकी थी। लाड़ हार्डिंज नाराज हों, गोखले दुखी हों तो भी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ी जाय? मिठौ पहुँचने गोखलेकी भावना, उनके नाजुक स्वास्थ्य और हमारे निश्चयसे उनके दिलको लगनेवाले बक्केपर विचार करनेकी सलाह दी। मैं तो जानता ही था। नेताओंने इकूटठे होकर स्थितिपर विचार किया और अंतमे निश्चय किया कि चाहे जो जोखिम उठानी पड़े, पर बहिष्कार तो कायम रहना ही चाहिए। इसलिए हमने गोखलेको लगभग सौ पौँड खर्च करके लंबा तार भेजा। उससे श्रीएड्झूज भी सहभत हुए। उसका आशय यह था:

“आपका दुख समझता हूँ। मैं सदा ही चाहूँगा कि बड़ी-से-बड़ी वस्तुका त्याग करके भी आपकी सलाहका अनुसरण करूँ। लाड़ हार्डिंजने हमारी जो सहायता की है वह अमूल्य है। मैं यह भी चाहता हूँ कि यह मदद हमे अंततक मिलती रहे। पर मैं चाहता हूँ कि आप हमारी स्थितिको समझे। इसमे हजारों आदमियोंकी प्रतिज्ञाका प्रश्न आता है। प्रतिज्ञा शुद्ध है। हमारी सारी लडाईकी इमारत प्रतिज्ञावोकी नीवपर खड़ी की गई है। प्रतिज्ञावोका बंधन नहीं होता तो हमसेसे बहुतेरे आज गिर गये होते। हजारोंकी प्रतिज्ञापर एक बार पानी फिर जाय तो नैतिकबंधन-जैसी कोई चीज रहेगी ही नहीं। प्रतिज्ञा करते समय लोगोंने पूरी तरह

विचार कर लिया था। उसमें कोई अनीति तो है ही नहीं। वहिष्कारकी प्रतिज्ञा करनेका कौमको अविकार है। मैं चाहता हूँ कि आप भी हमें यह सलाह दें कि ऐसी प्रतिज्ञा किसी-की सातिर भी नहीं तोड़ी जानी चाहिए और हर हानि-जोखिम उठाकर भी उसका पालन होना चाहिए। यह तार आप लाड़ हाडिंजको दिखाइयेगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी स्थिति कठिन न हो जाय। हमने अपनी लड़ाई इंश्वरको साक्षी और उसकी सहायताका भरोसा रखकर जुरु की। बड़ोंकी और बडे आदमियोंकी सहायता हम चाहते और मांगते हैं। वह मिल जाय तो प्रसन्न होते हैं। पर मेरी नम्र राय है कि वह मिले या न मिले, प्रतिज्ञाका वंचन कदापि न टटना चाहिए। उसके पालनमें आपका समर्थन और आर्थिर्वाद चाहता हूँ।"

यह तार गोखलेको मिला। इसका असर उनके स्वास्थ्य-पर तो हुआ; पर उनकी सहायतापर नहीं हुआ या हुआ तो यही कि उसका जोर और बढ़ गया। लाड़ हाडिंजको उन्होंने तार भेजा; पर हमारा त्याग नहीं किया। उलटे हमारी दृष्टिका वचाव किया। लाड़ हाडिंज भी दृढ़ रहे।

मैं एंडंजको साथ लेकर प्रिटोरिया गया। इसी बहत यूनियन रेलवे में गोरे कर्मचारियोंकी जर्वर्डस्ट हड्डताल हुई। इस हड्डतालसे सरकारकी स्थिति नाजक हो गई। मुझसे कहलाया गया कि हिंदुस्तानियोंकी कूच बाँल दो। मैंने जाहिर किया कि मुझसे हड्डतालियोंकी इस रीतिसे मदद नहीं होने की। हमारा उद्देश्य सरकारको हैरान करना नहीं है। हमारी लड़ाई जुदी और दूसरे तरीकेकी है। हमें कूच करना ही होगा तो भी हम जब रेलवे की गड्डवड़ जांत ही जायगी तब करेंगे। इस निव्वयका गहरा असर हुआ। रायटर्जे उसका तार विलायत भेजा। लाड़ अम्पटहिलने वहाँसे

धन्यवादका तार भेजा । दक्षिण अफ्रीकाके अंग्रेज मिश्रोने भी धन्यवाद दिया । जनरल स्मट्टसके एक मंत्रीने मजाकमे कहा—“मुझे तो आपके लोग तनिक भी नहीं भाते । मैं उनकी जरा भी मदद करना नहीं चाहता । पर उनका हम करें क्या ? आप लोग हमारे संकटकालमें हमारी सहायता करते हैं । हम आपको कैसे मारें ? मैं तो बहुत बार चाहता हूँ कि आप लोग भी अंग्रेज हड्डतालियोंकी तरह दंगा-फसाद करें । तब हम तुरंत सीधा कर दे । आप तो हुश्यनको भी हुँख देना नहीं चाहते । आप तो स्वयं हुँख सहकर विजय प्राप्त करना चाहते हैं । भलमनसी और शिष्टताकी मर्यादाका कभी उल्लंघन नहीं करते । यहाँ हम लाचार हो जाते हैं ।”

इसी तरहके भाव जनरल स्मट्टसने भी प्रकट किये ।

पाठकोंको मालूम होना चाहिए कि सत्याग्रहीके सौजन्य और विनयका यह पहला उदाहरण नहीं था । जब वायव्य कोणके हिंदुस्तानी मजदूरोंने हड्डताल की तो बहुत-सी इंख जो काटी जा चुकी थी, ठिकाने—कारखानेमें—नहीं पहुँच जाती तो मालिकोंको भारी नुकसान उठाना पड़ता । इसलिए १२०० भारतीय मजदूर उस कामको पूरा करनेके लिए कामपर वापस गये और उसके पूरा हो जानेपर ही अपने साधियोंके साथ शामिल हुए । फिर जब छवंन म्यूनिसिपलिटीके गिर-मिटियोंने हड्डताल की तो उसमे भी जो लोग भंगीका और अस्पतालका काम करते थे वे वापस भेजे गये और वे खुशीसे अपने कामोपर लौट गये । भंगी और अस्पतालके काम करने-वाले अपना काम छोड़ दे तो शहरमे बीमारी फैलती और रोगियोंकी सेवा-शुश्रेष्ठा न हो पाती । सत्याग्रही ऐसे परिणामकी इच्छा नहीं कर सकता । इसलिए ऐसे कर्मचारी हड्डनालसे अलग रखे गये । सत्याग्रही जो भी कदम उठाये उसमें उसे विरोधीकी हिम्मतका विचार कर ही लेना चाहिए ।

ऐसी भूलमनसीके अनेक दृष्टातोंका अदृश्य प्रभाव चारों ओर पड़ता हुआ मैं देख सकता था और उससे भारतीयोंकी प्रतिष्ठा बढ़ती और समझौतेके लिए हवा अनुकूल होती जा रही थी ।

: २४ :

प्राथमिक समझौता

इस प्रकार समझौतेके लिए वातावरण अनुकूल होता जा रहा था । मैं और मि० एंड्रूज जब प्रिटोरिया पहुँचे उसी वक्त सर वेजामिन राबट्सन, जिन्हें लार्ड हार्डिंगने स्पेशल स्टीमर-में भेजा था, पहुँचनेवाले थे । पर हमें तो जनरल स्मट्सने जो दिन नियत किया था उसी दिन पहुँचना था । इससे सर वेजामिनकी राह देखे विना ही हम रवाना हो गये थे । राह देखनेका कारण भी नहीं था । लडाइका अंतिम परिणाम तो हमारी शक्तिके अनुसार ही होनेवाला था ।

हम दोनों प्रिटोरिया पहुँचे; पर जनरल स्मट्ससे मुझे अकेले ही मिलना था । वह रेलवेके गोरे कर्मचारियोंकी हड्डतालमे उलझ रहे थे । यह हड्डताल ऐसी भयानक थी कि धूनियन सरकारने फौजी कानून जारी किया था । इन कर्मचारियोंका उद्देश्य मजदूरी बढ़वाना मात्र नहीं था; बल्कि राज्यकी लगाम अपने हाथमे कर लेना था । मेरी पहली मुलाकात बहुत ही छोटी हुई । पर मैंने देखा कि जनरल स्मट्सकी जौ स्थिति पहले यानी कूच शुरू कर देनेके समय थी वह आज नहीं थी । पाठकोंको याद होगा कि उस वक्त उन्होंने मुझसे बात करनेसे 'भी इन्कार कर दिया था । सत्याग्रहको घमकी तो जैसे उस वक्त थी वैसे ही आज थी । फिर

भी उस वक्त उन्होंने समझौतेकी बातचीत करनेसे इन्कार कर दिया था। इस वक्त वह मुझसे मशविरा करनेको तैयार थे।

“सार्वतीर्थ जनताकी मांग तो यह थी कि कमीशनमें हिन्दुस्तानियोंका कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। पर इस बातपर जनरल् स्मृद्दस् अटल् थे। उन्होंने कहा—“यह बृद्धि किसी तरह नहीं हो सकती। उसमें सरकारकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मैं जो सुधार करना चाहता हूँ उन्हे नहीं कर सकूँगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मिं० एसेलेन हमारे आदमी हैं। सुधार करनेके बारेमें वह सरकारके खिलाफ नहीं जायेगे; बल्कि उसके अनुकूल ही रहेंगे। कर्नल वाइली नेटालके प्रतिष्ठित पुरुष है और आप लोगोंके विरोधी भी माने जा सकते हैं। अतः वह जी तीन पौँडका कर उठा देनेमें उहमत् हो जायें तो हमारा काम आसान हो जायेगा। हमारे अपने झगड़े-भंगट इतने हैं कि हमें क्षणभरकी फुरसत नहीं है। अतः हम चाहते हैं कि आपका सवाल ठिकाने लग जाय। आप जो मांगते हैं उसे देनेका हमने निश्चय कर लिया है; पर कमीशनकी सम्मतिके बिना वह दिया नहीं जा सकता। आपकी स्थिति भी मैं समझ सकता हूँ। आपने कसम खा ली है कि जबतक हम आपकी ओरसे किसीको कमीशनमें नहीं ले ले तबतक आप उसके सामने शाहादत न देंगे। आप शाहादत भले ही पेश न करें; पर जो लोग देने आयें उन्हें रोकनेका आदोलन न करे और सत्याग्रहको मूलतवीं रखें। मैं भानता हूँ कि इससे आपका लाभ ही होगा और मुझे शांति मिलेगी। आप लोग हड्डतालियोंपर जुल्म होनेकी बात कहते हैं। इस बातको आप सावित नहीं कर सकेंगे; क्योंकि आप शाहादत नहीं दे रहे हैं। इस बारेमें आपको खुद सोच-विचार लेना है।”

इस प्रकारके भाव जनरल स्मृद्दसने प्रकट किये। मुझे तो ये सारे भाव कुल मिलाकर अनुकूल मालूम हुए। सिपाहियों

और जेलके दारोगाओंके दुर्व्यवहारके बारेमे हमने बहुत शिकायतें की थी, पर कमीशनका वहिष्कार करनेके कारण उन्हें सावित करनेका सुयोग हमारे पास नहीं था। यह धर्मसंकट था। हममें इस विषयमें भत्तेद था। एक पक्षका विचार था कि भारतीयोंने सिपाहियोपर जो इलजाम लगाया है वे सावित किये ही जाने चाहिए। इसलिए उसकी सलाह थी कि अगर हम कमीशनके सामने शाहदत न दे सकें तो कौम जिन्हें अपराधी मानती है उनके खिलाफ अपनी शिकायतें इस रूपमें प्रकाशित कर दे कि अभियुक्तकी मरजी हो तो मानहानिकी नालिश दायर कर सके। मैं इस पक्षका विरोधी था। कमीशनके सरकारके विरुद्ध निर्णय करनेकी संभावना बहुत कम थी। मानहानिका दावा दायर करने लायक तथ्य प्रकाशित करनेमें कौमको भारी भ्रमलेमे पड़ना पड़ता और इसका नतीजा इतना ही होता कि हमे अपनी शिकायतें सावित कर देनेका संतोष मिल जाता। वकीलकी हैसियतसे मैं जानता था कि मानहानिवाली बातोंको सावित करनेमें कैसी कठिनाइयाँ होती हैं; पर मेरी सबसे वजनदार दलील तो यह थी कि सत्याग्रहीको कष्ट सहन करना था। सत्याग्रह आरंभ करनेके पहले सत्याग्रही जानते थे कि हमें मरणात्मकष्ट सहना होगा और उसे सहनेको वे तैयार भी थे। ऐसी दशामें यह सावित करनेमें कोई विशेषता नहीं थी कि हमें कष्ट सहने पड़े। बदला लेनेकी वृत्ति तो सत्याग्रहीमें होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए जहां अपने कष्ट सावित करनेमें असाधारण कठिनाइयाँ सामने आ जायें वहाँ शांत रहे, यही सही रास्ता माना जायगा। सत्याग्रहीको तो मूलवस्तुके लिए ही लड़ना होता है। मूलवस्तु तो थी उक्त कानून। जब उनके रद कर दिए जाने या उनमें यथोचित सूधार हो जानेकी पूरी संभावना हो तो वह दूसरे अंकटोंमें झों पड़ेगा? दूसरे सत्याग्रहीका मौत

अध्यायकारी कानूनोंके विशद् उसकी लडाईमें समझौता होते समय तो सहायक ही होगा। इस तरहकी दलीलोंसे विरोधी पक्षके बड़े भागको मैं समझा सका और अंतमें हमने कष्टों-की शिकायतें बाकायदा सावित करनेका विचार स्थाग दिया।

: २५ :

पत्र-व्यवहार

प्राथमिक समझौतेके लिए जनरल स्पट्सके और मेरे बीच पत्रव्यवहार दृढ़ा। मेरे पत्रका आशय यह था:

"अपनी प्रतिज्ञाके कारण हम आपके सूचनानुसार कभी-शब्दको काममें मदद नहीं कर सकते। इस प्रतिज्ञाको आप समझ सकते हैं और उसकी कद्र भी करते हैं; पर आपने हिंदुस्तानी कीमके साथ मशविरा करनेका सिद्धांत स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं अपने देशवासियोंको यह सलाह दें सकता हूँ कि कभीशनके सामने शहादतें पेश करना छोड़कर दूसरी तरहसे उसकी सहायता करें और कम-से-कम उसके काममें रुकावट तो नहीं ही डालें। इसके सिवा जबतक कभीशनका काम चलता रहे और नया कानून नहीं बने तबतक सरकारकी स्थिति कठिन न हो जाय इस ख्यालसे सत्याग्रह मूलतवीं रुखनेकी सलाह भी मैं उन्हें दे सकता हूँ। सर बैंजामिन रावर्ट्सनकी, जिन्हें बाइसरायने यहाँ भैंजा हूँ, सहायता करनेकी सलाह भी मैं अपने देशवासियोंको दूंगा। जल्में और हड्डतालके दौरानमें हमारे ऊपर जो बुल्म-ज्याद-तियां हुईं उनके बारेमें मूँझे कहना होगा कि अपनी प्रतिज्ञाके कारण हम इन घिकायतोंको सावित भी नहीं कर सकते। सत्याग्रहीकी हैसियतसे हमसे जहातक हो सकता हूँ, अपने

कष्टोकी शिकायत नहीं करते और न उनका मुआवजा मांगते हैं। पर इस समयके हमारे मौनका अर्थ यह न किया जाय कि हमारे पास साबित करनेका कोई मसाला तो है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी स्थिति समझ सके। इसके अतिरिक्त चूँकि हम सत्याग्रह मुलतबी रख रहे हैं डसलिए लडाईके सिलसिलेमें जो लोग इस वक्त जेलमें हैं उन्हें रिहाई मिलनी ही चाहिए।

इमरारी मांग क्या है, यह भी यहाँ जता देना आवश्यक जान पड़ता है :

१. तीन पौँडका कर उठा दिया जाय।
२. विवाह हिंदू-बर्म, इस्लाम इत्यादिकी रीतिसे हुआ हो तो जायज माना जाय।
३. पढ़े-लिखे भारतीय इस देशमे दाखिल हो सकें।
४. आरेजिया (आरेज फ्री स्टेट)के बारेमें जो कौल-करार हुआ है उसमें सुधार किया जाय।
५. यह आश्वासन दिया जाय कि मौजूदा कानूनोंका व्यवहार इस तरह किया जायगा कि जो हक आज भोगे जो रहे हैं उनको नुकसान न पहुँचे।

इन बातोके विषयमें आपसे संतोषजनक उत्तर मिले तो मैं कौमको सत्याग्रह मुलतबी रखनेकी सलाह दू।”

अह पत्र मैंने १९४४की २१वीं जनवरीको लिखा। उसी दिन उसका जो जवाब मिला उसका आशय यह था।

“आप कमीशनके सामने इजहार नहीं दे सकते इसका सरकारको खेद है, पर वह आपकी स्थिति समझ सकती है। आप जो कष्टोंकी बात न उठानेका विचार प्रकट कर रहे हैं उसको भी सरकार समझती है। इन कष्टोंसे सरकार तो इन्कार ही करती है; पर जब आप उसका सबूत नहीं पेश कर रहे हैं तो सरकारको इस विषयमें कछु करना नहीं रह जाता। सत्याग्रही कैदियोंकी रिहाईके बारेमें तो सरकार आपका पत्र मिलनेसे

पहले ही हुक्म दे चुकी है। हिंदुस्तानी कौमके कष्ट जो आपने गिनाये हैं उनके बारेमें सरकार कमीशनकी रिपोर्ट मिलनेतक कोई कदम नहीं उठायेगी।”

ग्रह-पत्रव्यवहार होनेसे पहले हम दोनों—मैं और मि० एड्सन—अनेक बार जनरल स्मट्ससे मिल चुके थे, पर इस बीच सरे बेजामिन राबर्ट्सन भी प्रिटोरिया पहुँच गये थे। सर बेजामिन यद्यपि लोकप्रिय अधिकारी भाने जाते थे, गोखलेकी सिफारिशी चिट्ठी भी आपने साथ लाये थे, फिर भी मैंने देखा कि आम अंग्रेज अफसरोंकी कमज़ोरियोंसे वह सर्वथा भक्त नहीं थे। पहुँचनके साथ ही उन्होंने कौममें फूट डालना और सत्याप्रहियोंको डरवाना शुरू कर दिया। प्रिटोरियामें हुई भेरी पहली मुलाकातमें उनकी अच्छी छाप नहीं पड़ी। डरनेके बारेमें मुझे जो तार मिले थे उनका जिक्र भी मैंने उनसे कर दिया। मुझे तो सबके साथ एक ही रीतिसे यानी सफाई और सचाईका व्यवहार करना था। अत हम भिन्न हो गये; पर मैंने अनेक बार देखा है कि डरनेवालेको तो अधिकारी डराते हैं और सीधे तथा न डरनेवालेके साथ वह सीधे रहते हैं।

इस प्रकार प्राथमिक-अस्थायी समझौता हुआ और सत्याप्रहियोंकी बार सदाके लिए मुलतवी किया गया। बहुतेरे अंग्रेज मित्रोंको प्रसन्नता हुई और उन्होंने अंतिम समझौतेमें मदद करनेका मुझे भरोसा भी दिलाया। कौमसे इस समझौतेको मंजूर करा लेना जरा टेढ़ी खीर थी। जगा हुआ जोश ठंडा पड़ जाय, यह किसीको भी रुचनेवाली बात नहीं थी। फिर जनरल स्मट्सका विश्वास कोई क्यों करने लगा? कुछ भाइयोंने १९०८के समझौतेकी याद दिलाई और कहा—“एक बार जनरल स्मट्सने कौमको घोखा दिया, अनेक बार आपपर अपनी भागोंमें नई बाते शामिल कर लेनेका दौष लगाया, कौमपर भारी मुसीबतें गुजारी, फिर भी आपने नहीं समझा,

यह कैसे दुःखकी बात है ? यह आदमी फिर घोखा देगा और आप फिर सत्याग्रह करनेकी बात कहेंगे । उस वक्त कौन आपका विश्वास करेगा ? लोग बार-बार जेल जायें और बार-बार घोखा खायें, यह कैसे हो सकता है ? जनरल स्मट्स-जैसे आदमी-के साथ तो एक ही समझौता हो सकता है जो मांगना वहले लेना । उनसे बचन नहीं लेने चाहिए । जो बादा करके मुकर जाय उसे उधार कोई कैसे दे सकता है ?”

मैं जानता ही था कि इस तरहकी दलीलें कितनी ही जगह पेश की जायेंगी इससे मझे अचरज नहीं हुआ । सन्याग्रही कितनी ही बार घोखा क्यौं न खाये जबतक बचनपर विश्वास न करनेका सपष्ट कारण नहीं हो तबतक विपक्षीके बचनका विश्वास करेगा ही । जिसने दुःखको सुख मान लिया हो वह जहाँ अविश्वास करनेका कारण नहो वहाँ केवल दुःखके नामसे डरकर अविश्वास नहीं करेगा, वल्कि अपनी शक्तिपर भरोसा रखकर विपक्षके विश्वासधातकी ओरसे निश्चित रहकर कितनी ही बार विश्वासधात क्यों न किया जाय फिर भी विश्वास करता ही जायगा और यह मानेगा कि ऐसा करनेसे सत्यका बल बढ़ेगा और विजय निकट आयेगी । अत जगह-जगह सभाएं करके मैं अंतमें लोगोंको समझौता स्वीकार करनेके लिए समझा सका और वे भी सत्याग्रहका रहस्य अब अधिक समझते लगे । इस वक्तके समझौतेमें मिठै ऐडूज मध्यस्थ और साक्षी थे । वैसे ही वाइसरायके राजदूतके हृपमें सर वैजामिन रावर्टसन भी थे । इसलिए इस समझौतेके मिथ्या होनेका डर कम-से-कम था । मैंने हठकरके समझौता करनेसे इन्कार कर दिया होता तो यह उलंटा कौमका दोष समझ जाता और जो विजय छ महीने बाद हमें मिली उसकी प्राप्तिमें अनेक प्रकारके विच्छ आते । सत्याग्रही किसी भी कालमें इसका कारण नहीं प्रस्तुत करता कि कोई उसकी ओर उगलीतक

उठा सके। ~~क्षमा~~ दीरस्य भूषणम् वाक्य ऐसे ही अनुभवके आधारपर लिखा गया है। सत्याग्रहमें निर्भयता रहनी ही चाहिए। किर निर्भयको भय क्या ? और जहां विरोधीका विरोध जीतना है, उसका नाश नहीं करना है, वहां अविश्वास कैसा ?

इस तरह कौमके समझौता स्वीकार कर लेनेके बाद हमे महज युनियन पार्लिमेंटके बैठनेकी राहमत देखनी बाकी रही। इस बीच पूर्वोक्त कमीशनका काम जारी था। हिंदुस्तानियोंकी ओरसे बहुत ही कम गवाह उसके सामने गये। उस वक्त कौमपर सत्याग्रहियोंका कितना ज्यादा असर था इसका अकाट्य प्रमाण इससे मिल गया। सर बेंजामिन रावर्टसनने भी हिंदुस्तानियोंको गवाही देनेके लिए समझाया; पर लडाईके कद्दर विरोधी थोड़ेसे भारतीयोंके सिवा और सब लोग अधिचल रहे। इस वहिज्कारका असर तनिक भी बुरा नहीं हुआ। कमीशनका काम मरुसर हो गया और रिपोर्ट फॉटपट प्रकाशित हो गई। रिपोर्टमें कमीशनके सदस्योंने भारतीय जनताके कमीशनके काममें सहायता न करनेकी अवश्य कही आलोचना की थी। संनिकोंके दृव्यवहारके आरोपको उड़ा दिया, पर कौमको जो-जो चीज चाहिए थी उस सबको देनेकी सिफारिश कमीशनने की। यानी उसने तीन पाँडकां कर उठा देने, घ्याहके विषयमें हिंदुस्तानियोंकी मांग मंजूर करने और दूसरी अनेक छोटी-मोटी रियायतें देने और सारा काम बिना ढिलाई ही किये करनेकी सिफारिश की। इस तरह कमीशनकी रिपोर्ट जैसा कि जनरल स्मिटसने कहा भारतीयोंके अनुकूल निकली। मिठ एंडजने विलायत जानेके लिए बिदा लीं। सर बेंजामिन रावर्टसन भी रवाना हो गये। हमें यह आख्यासन दिया गया था कि कमीशनकी रिपोर्टके अनुसार कानून बनाया जायगा। यह कानून क्या था, इसपर अगले प्रकरणमें विचार करूंगा।

: २६ :

युद्धका अंत

कमीशनकी रिपोर्ट निकलनेके थोड़े ही दिन बाद जिस कानूनके जरिये समझौता होनेवाला था उसका मसविदा यूनियन गजटमे प्रकाशित हुआ। इस मसविदेके प्रकाशित होते ही मुझे केप टाउन जाना पड़ा। यूनियनकी विधान-सभा (यूनियन पालमिंट) की बैठके वही हो रही थी, अब भी वही होती है। इस विलमें ९ धाराएँ हैं और पूरा विल 'नवजीवन'के दो कालमोमे आजायगा। उसका एक भाग भारतीयोंके बीच हुए व्याहके विषयमें है, जिसका आशय यह है कि जो व्याह हिंदुस्तानमें वैष्ण माना जाता है वह दक्षिण अफ्रीकामें भी जायज समझा जायगा; पर एक ही वक्तमें किसीके एकसे अधिक पत्नियां हों तो उनमेंसे एक ही दक्षिण अफ्रीकामें कानूनन जायज पत्नी मानी जायगी। दूसरे भागके हारा उस तीन पौडक करको रद करना है जो हरएक गिरमिटिएको, अगर वह स्वतंत्र भारतीयके रूपमें दक्षिण अफ्रीकामें रहना चाहता हो तो हर साल देना पड़ता था। तीसरे भागमें जिन लोगोंको दक्षिण अफ्रीकामें रहनेके प्रमाणपत्र मिले हुए थे उन प्रमाण-पत्रोंका महत्व बताया गया है। यानी यह बताया गया है कि जिसके पास यह प्रमाणपत्र हो उसका दक्षिण अफ्रीकामें रहनेका हक किस दरजेतक सावित होता है। इस विलपर यूनियन पालमिंटमें खासी और मीठी बहस हुई।

दूसरी बातोका, जिनके लिए कानूनकी जरूरत नहीं थी, स्पष्टीकरण जनरल स्मट्सके और मेरे बीच हुए पत्रव्यवहारमें किया गया। उसमें इन विषयोंका खुलासा किया गया था। पढ़े-लिखे भारतीयोंके केप कालोनीमें प्रवेशके अधिकारकी रक्षा,

जिन्हे दक्षिण अफ्रीका में दाखिल होने की खास परवानगी प्राप्त थी उनका अधिकार, जो हिंदस्तानी १९१४ के पहले दक्षिण अफ्रीका में दाखिल हो चुके हों उनकी हैसियतें और जिन्होंने एकाधिक स्त्रियोंसे व्याह कर लिया हो उन्हे कृपारूपमें अपनी दूसरी पत्नी को भी लाने देना। जनरल स्पट्ट्सके पत्रमें इस आशयका बाबत भी है :

“प्रचलित कानूनोंके बारेमें यूनियन सरकारकी सदा यह इच्छा रही है और बाज भी है कि उनपर न्यायपर्वक और जो अधिकार बाज भोगे जा रहे हैं उनकी रका करते हुए ही अमल किया जाय।” यह पत्र ३० जून १९१४ को लिखा गया था। उसके बाबावर्में उसी दिन मैंने जनरल स्पट्ट्सको जो पत्र लिखा उसका आशय यह है,

“आपका आजकी तारीखका पत्र मुझे मिला। आपने धीरज और सौजन्यके साथ मेरी बाते सुन ली इसके लिए अहसानमद हूँ।

“हिंदुस्तानियोंको राहत देनेवाले कानून (इंडियन रिलीफ विल्स) के पास हो जाने और हमारे बीच हुए प्रब्लेम्सहारसे सत्याग्रह-संग्रामकी समाप्ति हो रही है। यह लड़ाई १९०९ ई० के सितंबर महीनेमें शुरू हुई। हिंदुस्तानी कौमको इसमें बहुत कष्ट और पैसेका नुकसान उठाना पड़ा। सरकारको भी चिंताग्रस्त रहना पड़ा।

“आप जानते हैं कि मेरे कुछ भाइयोंकी मांग बहुत ज्यादा थी। शुल्क-अलग प्रांतोंमें व्यापारके भरवानेके कानूनोंमें जैसे द्रांसवालका ‘गोल्ड लॉ’, द्रांसवाल टाउन गिर्जा ऐक्ट और १८८५का द्रांसवालका न०३ कानून, इनमें कुछ भी अदल-वदल नहीं हुआ, जिससे भारतीयोंको निवास, व्यापार और जमीन-की मालिकीका परा-परा हक मिले। इससे उनको असंतोष हुआ है। कुछ लोगोंकी तो इस कारण असंतोष है कि एकमें

हमरे सूत्रमें जानेकी परी आजादी नहीं दी गई। कुछ लोगोंको इस बातमें असंतोष है कि हिंदुस्तानियोंको राहत देनेवाले कानूनमें विचारके प्रश्नके विषयमें जितना किया गया है उससे अधिक होना चाहिए था। उनकी मुझसे यह मांग है कि ये सभी बातें नस्याग्रहकी लड़ाईमें शामिल कर ली जायें। परमेने उनकी मांग मजबूर नहीं की। अतः यद्यपि ये बातें सत्याग्रहके विषयके रूपमें शामिल नहीं की गईं तो भी इस बातसे तो हर्गज इकार नहीं किया जा सकता कि किसी दिन सरकारको इन प्रश्नोंपर और विचार करके राहत देना मुनासिर होगा। जबतक यहाँ वसनेवाली हिंदुस्तानी कौमको नागरिकके पुरे-पुरे हक नहीं दे दिये जायें तबतक पूरे संतोषकी आशा नहीं रखी जा सकती।

“वपने भाड़योंने मैंने कहा है कि आप लोगोंको धीरज़ रखना है और हरएक योग्य साधनके द्वारा लोकमतको ऐसा बनाना है जिससे इस पत्रव्यवहारमें दरसायी हुई जरूरीसे भी भविष्यकी भरकार आगे जा सके। मैं आशा रखता हूँ कि दक्षिण अफ्रीकाके गोरे जब यह समझेंगे कि हिंदुस्तानसे गिरफ्तिए मजदूरोंका आना अब बंद हो चका है और दक्षिण अफ्रीकामें नस्यानेवालोंमें संचेत्न रखनेवाले कानून (इमिग्रेशन रेगुलेशन एक्ट)में स्वतंत्र भारतीयोंका इय देशमें आना भी लगभग बंद हो गया है और यह भी समझेंगे कि भारतीयोंकी महत्वाकांक्षा यहाँके राजकान्यमें कोई अधिकार स्थापित करनेकी नहीं है तब वे देखेंगे कि मैंने जो बनाये हैं वे हक हिंदुस्तानियोंको मिलने ही चाहिए और उसीमें न्याय भी है। इस बीच इस मनलेको हल करनेमें पिछले कुछ महीनोंसे सरकारने जो उदार नीति ग्रहण कर रखी है वही उदार नीति, जैसा कि लापने पत्रमें बताया गया है, वर्तमान कानूनोंपर अमल करनेमें बदली गई तो मेरा विश्वास है कि समूर्ण यूनियनमें

हिंदुस्तानी कौम कुछ शांति भोगते हुए रह सकेगी और सरकारके लिए हैरानीका कारण नहीं होगा ।

उपसंहार

इस प्रकार बाठ बरसके बाद सत्याग्रहका यह महान संग्राम समाप्त हुआ और ऐसा जान पड़ा कि सारे दक्षिण अफ्रीकामें बसनेवाले भारतीयोंको शांति मिली । मैं खेद और हर्ष दोनोंके साथ हँगलैण्डमें गोखलेसे मिलकर हिंदुस्तान जानेके लिए दक्षिण अफ्रीकासे रवाना हुआ । जिस देशमें मैं पूरे ३१ बरस रहा, अगणित कड़वे-मीठे अनुभव प्राप्त किये, जिस देशमें मैं अपने जीवनके कार्य, उद्देश्यके दर्शन कर सका उस देशको छोड़ने-में मुझे बहुत दुःख हुआ और मैं खिल हुआ । हर्ष यह सोचकर हुआ कि इतने बरसोंके बाद हिंदुस्तान बापस जाकर मुझे गोखले-की माताहृती और रहनुमाईमें सेवा करनेका सौभाग्य प्राप्त होगा ।

इस युद्धका जो ऐसा सुंदर अंत हुआ उसके साथ दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंकी आजकी स्थितिकी तुलना करते हुए क्या अधिकरके लिए दिलमें यह सवाल उठता है कि भारतीयों इतने सारे दुःख किस लिए उठाये ? अथवा सत्याग्रहके शत्रुकी अच्छता ही कहां सिद्ध हुई ? इसके उत्तरपर यहां विचार कर लेना चाहिए । सूचिका एक नियम है कि जो वस्तु जिस साधन-से मिलती है उसकी रक्षा उस साधनसे ही होती है । अर्थात् दंडसे मिली हुई वस्तुकी रक्षा दंड ही कर सकता है—सज्जने प्राप्त वस्तुका सप्रह सत्यके हारा ही हो सकता है । इसलिए दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय आज भी सत्याग्रहके हृषियारसे काम ले सकें तो अपने आपको सुरक्षित बना सकते हैं । सत्या-

ग्रहमे ऐसी विशेषता तो है ही नहीं कि सत्यसे मिली हुई वस्तु सत्यका त्याग कर देनेपर भी बनाये रखी जा सके। ऐसा परिणाम हो सकता हो तो वह इष्ट भी नहीं समझा जायगा। अतः अगर दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंकी स्थिति आज दुर्बल है तो हमे समझ लेना चाहिए कि इसका कारण सत्याग्रहियोंका अभाव है। यह कथन दक्षिण अफ्रीकाके आजके भारतीयोंके दोषका सूचक नहीं है, बल्कि वहाकी वस्तुस्थिति बताता है। व्यक्ति या समुदाय, जो चीज अपने आपमें नहीं है, वह कहासे लायेगा? सत्याग्रही सेवक एकके बाद एक इस दुनियासे कृच कर गये। स्वेराबजी कालिया, नायडू, पारसी रस्तमजी, इत्यादिके स्वर्गवाससे सत्याग्रहके अनुभवियोंमें थोड़े ही बच रहे हैं। जो रह गये हैं वे आज भी जूझ रहे हैं।

अंतमें इन प्रकरणोंको पढ़ जानेवाले इतना तो समझ ही गये होंगे कि अगर यह संग्राम नहीं किया होता और बहुतेर भारतीयोंने जो कष्ट सहे वे न सहे गये होते तो आज दक्षिण अफ्रीकामें हिंदुस्तानियोंके कदम ही न रह गये होते। इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीकामें भारतीयोंकी विजयसे दूसरे ब्रिटिश उपनिवेशोंके हिंदुस्तानी भी कमोबेश बच गये। कुछ न बच सके तो यह दोष सत्याग्रहका नहीं है, बल्कि इससे साबित हो गया कि उन उपनिवेशोंमें सत्याग्रहका अभाव है और हिंदुस्तानमें उनकी रक्षा करनेकी शक्ति ही नहीं है। सत्याग्रह अमूल्य शस्त्र है, उसमे नैराश्य या हारके लिए अवकाश नहीं, यह बात अगर इस इतिहासमें थोड़े-बहुत अशमें भी सिद्ध हो सकी हो तो मैं अपने आपको कृतार्थ समझूँगा।

समाप्त

